JAGANNATH RAO JOSHI IN PARLIAMENT

A COMMEMORATIVE VOLUME

JAGANNATH RAO JOSHI IN PARLIAMENT

A COMMEMORATIVE VOLUME

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI
2016

LARRDIS (SAW) 2016

Price : ₹ 750.00

© Lok Sabha Secretariat, 2016

Published under Rule 382 of the *Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha* (Fifteenth Edition) and printed by Jainco Art India, 13/10, W.E.A., Karol Bagh, New Delhi-110 005.

सत्यमेव जयते

अध्यक्ष, लोक सभा
SPEAKER, LOK SABHA

प्राक्कथन

श्री जगन्नाथ राव जोशी एक प्रभावी सांसद और प्रख्यात सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने लोगों के कल्याण और भलाई के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनके जीवन के प्रारंभिक दिनों में भारत की स्वतंत्रता हेतु आंदोलन चल रहा था और वह स्वतंत्रता आंदोलन के विचारों और आदर्शों से बहुत प्रभावित थे। राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना उन्हें सदैव प्रिय रही तथा बाद के वर्षों में उनके समस्त क्रियाकलाप इन भावनाओं से ओत-प्रोत रहे। उनके समय में व्यापक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के प्रभावी समाधान के लिए उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें सुरक्षित समझी जाने वाली सरकारी नौकरी छोड़ने और जमीनी स्तर पर कार्य करने के लिए प्रेरित किया।

श्री जगन्नाथ राव जोशी सच्चे अर्थों में जनसाधारण के नेता थे जिनके द्वार आम लोगों के लिए सदैव खुले रहते थे। उनका संगठनात्मक कौशल उत्कृष्ट था जिससे भारतीय जन संघ को उनके गृह राज्य कर्नाटक में बहुत सहायता मिली जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए अनेक यात्राएं कीं। बाद में, एक निर्वाचित जन प्रतिनिधि के रूप में, जोशी जी ने लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं, उनकी समस्याओं और कठिनाइयों को जानने-समझने के लिए देश के अन्य बहुत से हिस्सों की यात्रा की। हिन्दी, कन्नड़, मराठी और अंग्रेजी भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होने के कारण उन्हें नागरिकों के साथ जुड़ने में सहायता मिली। उन्होंने गोवा मुक्ति आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया जिसके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। अत्यंत प्रभावी वक्ता - स्पष्ट उच्चारण, आंकड़ों समेत तथ्य सामने रखने का कौशल, एक कुशाग्र बुद्धि, तीक्ष्ण स्मरण शक्ति इन सबका प्रत्यय उनके भाषणों से आता था। नागरिकों के कल्याण हेतु उनके अटल सरोकार और उनके साथ उनकी घनिष्ठता उन्हें औरों से अलग बनाते हैं जिससे उन्हें एक दुर्लभ संवेदनशीलता के साथ उनके मुद्दों को उठाने में सहायता मिली।

पूरे देश में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए यह स्वाभाविक ही था कि श्री जगन्नाथ राव जोशी अपने गृह राज्य कर्नाटक के बाहर से भी संसद के लिए निर्वाचित हुए। वह मध्य प्रदेश के भोपाल और शाजापुर से दो बार लोक सभा के लिए निर्वाचित हुए तथा बाद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से एक बार के लिए राज्य सभा के सदस्य भी बने। एक सांसद के रूप

में, उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को दोनों सभाओं में उठाने के लिए संसदीय प्रक्रियाओं और साधनों का सार्थक रूप से उपयोग किया। एक लोकतंत्रवादी के रूप में, जोशी जी ने सदैव सभा के शिष्टाचार और मर्यादा के प्रति परम आदर दर्शाया है और उनका दृढ़ विश्वास था कि लोकतंत्र स्वस्थ परम्पराओं और परिपाटियों के आधार पर कार्य करता है। सरकार की कमियों अथवा त्रुटियों को इंगित करते हुए भी वह बिना किसी भय अथवा पक्षपात के सार्थक तरीके से सरकार की संयमित आलोचना करते थे।

मुझे श्री जगन्नाथ राव जोशी जी को व्यक्तिगत रूप से जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। सरलता, प्रतिबद्धता और संगठनात्मक कौशल उनकी विशिष्टता थी। उनके सुदीर्घ और सफल सार्वजनिक जीवन के दौरान वह भारतीय जन संघ और भारतीय जनता पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पर रहे तथा पार्टी को जमीनी स्तर से उठाकर एक आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम सभी ने जिनको उनके साथ कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उनसे बहुत कुछ सीखा है और हम उनके अंतर्ज्ञान एवं दृष्टिकोणों से लाभान्वित हुए हैं।

यह प्रकाशन जो हमारे देश के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में श्री जगन्नाथ राव जोशी जी के विचारों और दृष्टिकोणों का संग्रह है जैसा कि संसद में दिए गए उनके भाषणों से परिलक्षित होता है, उनकी समृद्ध विरासत और असंख्य योगदानों को सम्मान प्रदान करने का एक प्रयास है। लोक सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित इस स्मृति ग्रन्थ में एक नेता के रूप में श्री जगन्नाथ राव जोशी के जीवन के विभिन्न पहलुओं और देश के समक्ष उपस्थित मुद्दों और चुनौतियों के सम्बन्ध में उनकी राय और विचारों का समावेश है। मैं इस मूल्यवान पुस्तक के प्रकाशन हेतु लोक सभा के महासचिव, श्री अनूप मिश्र और उनके सहयोगी अधिकारियों को बधाई देती हूं। मुझे विश्वास है कि यह पुस्तक प्रतिष्ठित सांसदों और हमारी संसदीय संस्थाओं के कार्यकरण के अध्ययन में रुचि रखने वाले सभी लोगों के लिए अत्यधिक सहायक होगी।

नई दिल्ली
अप्रैल, 2016

सुमित्रा महाजन
अध्यक्ष, लोक सभा

सत्यमेव जयते

SECRETARY-GENERAL,
LOK SABHA

PREFACE

Shri Jagannath Rao Joshi was an acclaimed leader of his times as also a seasoned parliamentarian. He was a member of the Lok Sabha for two terms and of the Rajya Sabha for one term. In his distinguished association with our national life, he had undergone imprisonment for participation in the Goa Liberation Movement; he was also in the forefront of various mass movements. As a national level leader of the Bharatiya Jan Sangh and later of the Bharatiya Janata Party, Shri Jagannath Rao Joshi played an important role in the mass mobilization of the party in different regions of the country. He was an accomplished orator, equally proficient in Hindi, Marathi, Kannada and English. His ennobling ideas and informed speeches in Parliament left a deep imprint and drew the attention of the people to issues of national and international concern. The country would always remember him with gratitude for his many contributions for the welfare of the masses.

This publication, being brought out by the Lok Sabha Secretariat on the laudable suggestion of the Hon'ble Speaker of Lok Sabha, Smt. Sumitra Mahajan, is a tribute to Shri Jagannath Rao Joshi, bringing to the fore his ideas and views on diverse aspects of our country's socio-political life. We are grateful to the Hon'ble Speaker, Lok Sabha, for her guidance and encouragement in bringing out this volume. I also profoundly thank her for writing an enlightening Foreword to this commemorative souvenir.

We are profoundly grateful to the Hon'ble President of India, Shri Pranab Mukherjee, the Hon'ble Vice-President of India, Shri M. Hamid Ansari, the Hon'ble Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, the Hon'ble Deputy Chairman, Rajya Sabha, Prof. P.J. Kurien and the Hon'ble Deputy Speaker, Lok Sabha, Dr. M. Thambi Durai for finding time from their busy schedule to send their Messages for this publication. These Messages have undoubtedly added to the value of this commemorative volume. I am also grateful to

Shri Ramachandra Gowda for forwarding articles to us, highlighting Shri Jagannath Rao Joshi's endeavours for national welfare. We are especially thankful to Shri S.A. Hemantha Kumar for contributing an article as well as providing photographs of Shri Jagannath Rao Joshi for this volume.

The publication comprises four parts: Part I provides a profile of Shri Jagannath Rao Joshi. Part II contains articles on Shri Jagannath Rao Joshi by his contemporaries and close associates. Part III gives select speeches of Shri Jagannath Rao Joshi on the floor of the Lok Sabha and Rajya Sabha of which he was a member, respectively, from 1967-70 and 1971-77 and from 1978 to 1984. These speeches are reflective of his concern on the political, social, economic, cultural and educational issues of the times. Part IV contains tributes paid to him in both the Houses of Parliament on his passing away on 6 July 1991.

The publication is a result of the hard work put in by Officers and Staff of the Lok Sabha Secretariat and I am thankful to them for their dedicated hard work.

We hope the commemorative volume on Shri Jagannath Rao Joshi will be found useful by all interested readers.

New Delhi
April, 2016

ANOOP MISHRA
Secretary-General
Lok Sabha

CONTENTS

PAGE NOS.

FOREWORD ..... (i)

PREFACE ..... (iii)

MESSAGES ..... (ix)

PART I

PROFILE 1

PART II

ARTICLES

Jagannath Rao Joshi: Lion of Karnataka
(Shri Ramachandra Gowda) 9

Karnataka Kesari Jagannath Rao Joshi: Epitome of Courage, Conviction, Character and Clarity – An Ideal Worthy of Emulation
(Shri S.A. Hemantha Kumar) 12

PART III

संसद में चुनिंदा भाषण

राष्ट्रीय मामले

राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 1967 25–31

देश में बाढ़ की स्थिति पर वक्तव्य 32–36

देश में साम्प्रदायिक स्थिति पर वक्तव्य 37–48

देशी राज्य शासक विधेयक, 1972 49–51

हाल में सम्पन्न हुए लोक सभा चुनाव 52–54

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक और संकल्प, 1974 55–57

नेताजी के लापता होने संबंधी जांच समिति का प्रतिवेदन 58–60

संघ की राजभाषा नीति की समीक्षा संबंधी संकल्प 61–69

PAGE NOS.

संवैधानिक और संसदीय मामले

मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव 73–81
संविधान (पच्चीसवां संशोधन) विधेयक, 1971 82–85
संविधान (छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 1971 86–89
संविधान (इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 1973 90–92
संविधान (बत्तीसवां संशोधन) विधेयक, 1973 93–97
अविश्वास प्रस्ताव, 1974 98–104
संविधान (चौतीसवां संशोधन) विधेयक, 1974 105–107
संविधान (छत्तीसवां संशोधन) विधेयक, 1974 108–114
स्थगन प्रस्ताव 115–119
राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव 120–129
संविधान (अड़तीसवां संशोधन) विधेयक, 1975 130–132
संविधान (संशोधन) विधेयक, 1977 133–139

आर्थिक और वित्तीय मामले

रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगें, 1972–73 143–149
अनुदानों की मांगें (रेल) 1972–73 150–153
भारी उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगें 154–159
पेट्रोल की कीमत 160–162
गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगें, 1974–75 163–168

सामाजिक मामले

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1972 171–176
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के उन्नीसवें प्रतिवेदन संबंधी प्रस्ताव 177–184
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन 185–188
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को बंद किया जाना 189–191
महिलाओं के प्रति आर्थिक और सामाजिक अन्याय को दूर करने के लिए उपाय 192–196

श्रम कल्याण

रेलवे में जारी हड़ताल की स्थिति 199–201
औद्योगिक संबंध और श्रम नीति 202–205

PAGE NOS.

खाद्य और कृषि

देश में खाद्य स्थिति 209–212
आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि 213–214
आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि 215–220
वनस्पति और चीनी की कमी और कीमतों में वृद्धि 221–223
कीमतों में वृद्धि 224–229
आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1974 230–234

केन्द्र-राज्य संबंध

संसदीय समिति की नियुक्ति संबंधी संकल्प 237–243
नौ राज्य विधान सभाओं संबंधी उद्घोषणा 244–248
अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा संबंधी संकल्प 249–255

विदेशी मामले और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति

दक्षिण वियतनामी सेना की कम्बोडिया में घुसपैठ 259–260
भारत, पाकिस्तान प्रतिनिधियों की मुलाकात 261–265
अमेरिका द्वारा कथित रूप से पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई 266–268

अन्य मामले

अखबारी कागज के कोटे में कटौती 271–273
समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों के स्वामित्व संबंधी संकल्प 274–277
सांविधिक संकल्प और प्रेस परिषद (संशोधन) विधेयक, 1974 278–283

PART IV

Tributes Paid to Shri Jagannath Rao Joshi 287–288
अनुक्रमणिका 291–292

सत्यमेव जयते

राष्ट्रपति
भारत गणतंत्र
PRESIDENT
REPUBLIC OF INDIA

MESSAGE

I am happy to know that the Lok Sabha Secretariat is bringing out a Commemorative Volume on the late Shri Jagannath Rao Joshi.

Shri Jagannath Rao Joshi was a man of the masses who steadfastly worked for the people and championed their cause. As an eminent Parliamentarian, he left an indelible imprint through his oratorical brilliance on our parliamentary polity. Shri Joshi's command over details, coupled with cogent arguments and incisive analyses, made all sections of the House listen to his speeches with rapt attention. He was a scrupulous follower of parliamentary rules and procedures. He will be remembered for enriching and strengthening our parliamentary traditions and conventions.

On this occasion, I pay my tribute to late Shri Jagannath Rao Joshi and wish the Commemorative Volume every success.

(PRANAB MUKHERJEE)

New Delhi
21 January, 2016

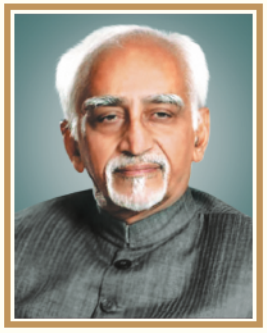

सत्यमेव जयते

भारत के उप-राष्ट्रपति
VICE-PRESIDENT OF INDIA

MESSAGE

I am happy to learn that the Lok Sabha Secretariat is publishing a Commemorative Volume of selected speeches of Late Shri Jagannath Rao Joshi.

Shri Jagannath Rao Joshi was an eminent parliamentarian of his era. He adorned both the Houses of Parliament with distinction. One of the finest orators of his generation, Shri Joshi was known for his ability to deliver impeccable political speeches in several languages with equal felicity. His active contribution in Parliament, his love and concern for the common man, particularly in his home state Karnataka, earned him the epithet of 'Karnataka Kesari'.

I offer my respects to the memory of the distinguished Parliamentarian and commend the initiative taken by the Lok Sabha Secretariat to publish this Commemorative Volume of selected speeches of Shri Jagannath Rao Joshi.

(M. HAMID ANSARI)

New Delhi
22 December, 2015

सत्यमेव जयते

प्रधान मंत्री
PRIME MINISTER

MESSAGE

I am happy to learn that the Lok Sabha Secretariat is planning to bring out a commemorative volume on the eminent Parliamentarian Shri Jagannath Rao Joshi.

I am sure, this initiative will help perpetuate the legacy and achievements of Shri Joshi.

On this occasion, I extend my best wishes to the Lok Sabha Secretariat for the success of this venture.

(NARENDRA MODI)

New Delhi
21 December, 2015

सत्यमेव जयते

उप सभापति, राज्य सभा
DEPUTY CHAIRMAN
RAJYA SABHA

MESSAGE

I am glad to know that the Lok Sabha Secretariat is bringing out a commemorative volume on late Shri Jagannath Rao Joshi, a distinguished parliamentarian and a mass leader.

Born in 1920 in Nargund, Karnataka, Shri Joshi distinguished himself as a leader of the erstwhile *Bhartiya Jana Sangh* and later as a leader of the Bhartiya Janata Party. He hailed from Karnataka and had the distinction of being elected to the Fourth and Fifth Lok Sabha from Bhopal and Shajapur Constituencies respectively of Madhya Pradesh. His acceptability as a leader of the people of Madhya Pradesh testifies to his political acumen and credibility beyond the frontiers of the place of his birth. An admirable personality, he endeared himself to leaders cutting across political and ideological barriers. In his eventful career in public life he distinguished himself as a valiant fighter for the freedom of Goa from Portuguese rule when he joined Goa Liberation Movement and suffered imprisonment for almost two years from 1955 to 1957. In his career of politics and public life he also had a distinguished tenure as a Member of Rajya Sabha from 1978 to 1984. His participation in the proceedings of both the Houses of Parliament brought out his maturity and understanding of national and international issues and underlined his debating skills. Shri Joshi always adhered to the rules and procedures and made meaningful contributions as a parliamentarian. I am sure that the commemorative volume being brought out on him will bring out his contributions and carry forward his legacy.

I have great pleasure in complimenting the Lok Sabha Secretariat for taking initiative to bring out the volume which I am sure will add to the corpus of literature on the history and evolution of our Parliament and parliamentary democracy.

I wish the Commemorative Volume all success.

(P.J. KURIEN)

सत्यमेव जयते

उपाध्यक्ष, लोक सभा
DEPUTY SPEAKER
LOK SABHA

MESSAGE

I am happy to learn that the Lok Sabha Secretariat is bringing out a Commemorative Volume on Shri Jagannath Rao Joshi, who was an eminent parliamentarian and a principled political leader.

Shri Joshi was a committed activist of the *Bharatiya Jan Sangh* from the grassroots level who went on to become the National Vice-President of the Bharatiya Janata Party. His patriotic fervor and nationalistic outlook made him quit his job from the Military Accounts Department. Later, he was one of the leading figures in the Goa Liberation Movement.

As a distinguished parliamentarian, Shri Joshi will be remembered for his oratorical skill and command over various issues of national and international concern. He always adhered to the Rules and Procedures and effectively used them to articulate the cause of his constituents.

I pay my respectful tributes to Shri Joshi for enriching our parliamentary traditions and conventions. I hope that this publication will bring to the fore, the valuable contributions of Shri Jagannath Rao Joshi to the nation.

M. Thambi Durai

(DR. M. THAMBI DURAI)

Part I
PROFILE

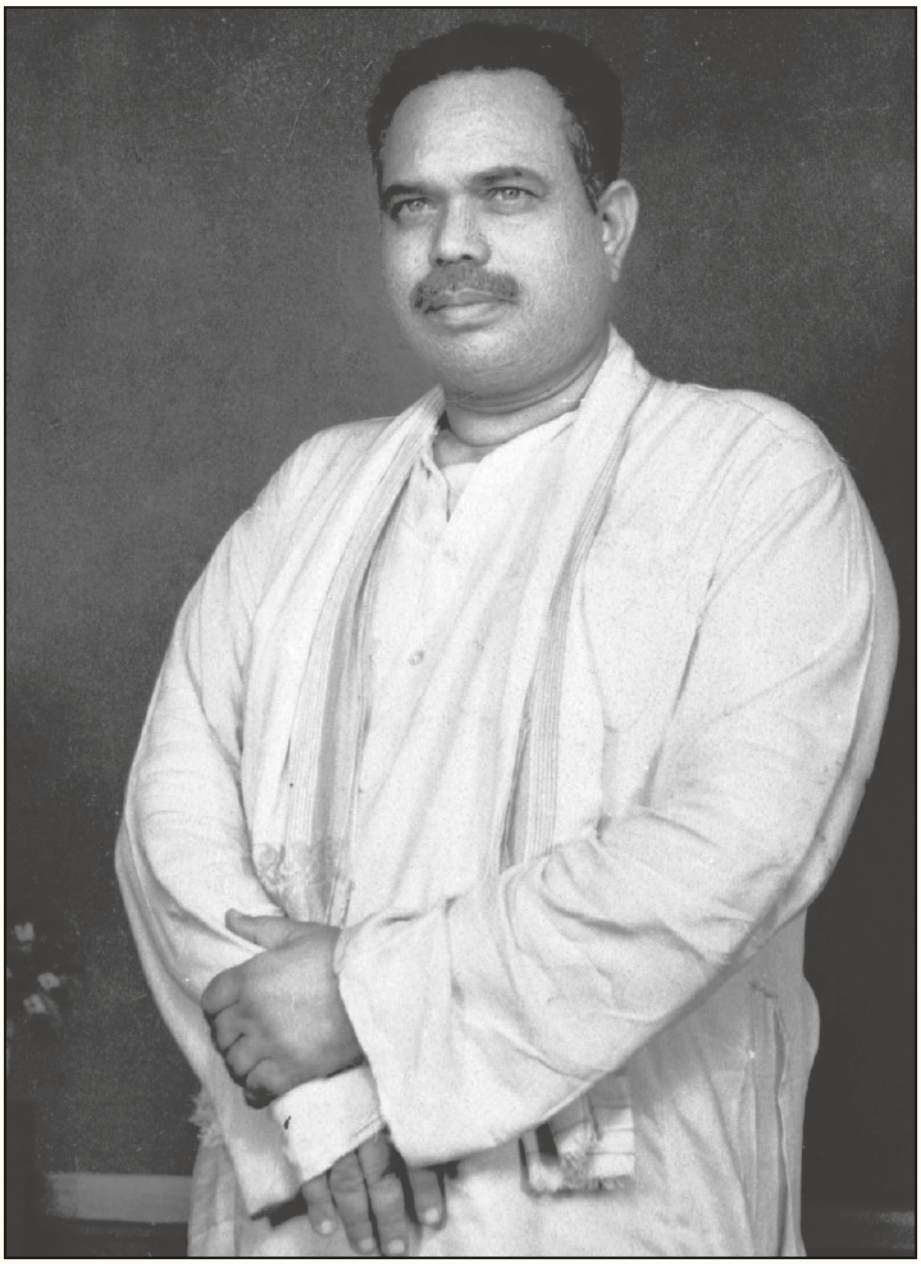

JAGANNATH RAO JOSHI: A PROFILE

Shri Jagannath Rao Joshi was an eminent political leader of modern India for whom the interests of the poor, the peasants, the landless, and the working classes and their development, always remained uppermost in his actions. The early years of his life were the days of India's struggle for freedom and he was deeply influenced by its ennobling ideals. The patriotic and nationalist fervor of the times greatly impacted his political and ideological mindset, which he retained all through his life. He was also considerably influenced by the ideology of Dr. K.B. Hedgewar and Shri M.S. Golwalkar, and he strove to spread these values among the masses. In the post-Independence years, through various fora, he worked assiduously for the welfare of the weak and the vulnerable.

Shri Jagannath Rao Joshi's long and distinguished association with the institution of Parliament provided him an opportunity to forcefully articulate popular concerns in the supreme representative body of the country. Shri Joshi was a member of the 4th and the 5th Lok Sabha and also a member of Rajya Sabha from 1978 to 1984. With his unwavering respect for the rules and procedures of Parliament and also for decorum and discipline in the House, he earned the admiration of all sections of political opinion. His grass-root understanding and practical approach to national and international issues were deeply appreciated by members across political parties.

Early Life and Initiation into Politics

Jagannath Rao Joshi was born on 23 June 1920 in Nargund in Dharwar District of Karnataka. His father Shri Anant Rao Joshi was a priest and mother Smt. Kamalabai, a homemaker. Both parents inculcated in him the noble values of social and public service. He had his primary education from Nargund, after which he proceeded to Pune to pursue higher studies. After graduating from S.P. College, Pune, he served in the Military Accounts Department from 1942 to 1945. However, his mind was always pre-occupied with the socio-political events around him, especially the ongoing freedom struggle. Accordingly, he resigned for the larger cause of social and political service and immersed himself in the national movement. Simultaneously, he took up the responsibility of a full time *Pracharak* of the *Rashtriya Swayamsewak Sangh (RSS)*. Under the advice and influence of his mentor, Shri Yadavarao Joshi, he was deputed to promote and disseminate the

Sangh ideology in the State of Karnataka. During the ban on RSS in 1948, Shri Joshi was one of the young leaders who was arrested from Karnataka for protesting against the ban, which was lifted in 1949. Shri Jagannath Rao Joshi was a dynamic leader with remarkable organizational ability. He was instrumental in strengthening the roots of the RSS in Karnataka along with his fellow RSS leaders. During his initial days, he was in charge of Belgaum District in which he could manage to organise around 88 *Shakhas* within a short span of time. In time, he earned the epithet of *Karnataka Kesari* (Lion of Karnataka). Shri Joshi remained a bachelor throughout his life.

The indomitable spirit of Shri Joshi and his courage of conviction came to the fore in 1955 when he led thousands of RSS and *Jana Sangh* members to liberate Goa from the Portuguese. He was arrested for entering Goa without a permit and was kept in the Fort Aguada Jail in solitary confinement from June 1955 to February 1957. While he was asked by the Judge as to why he came to Goa without a permit, Shri Joshi replied, quoting from the *Vishnu Purana*, that the 'entire territories to the South of Himalayas and on the North of the seas is one country and one nation with diversities of caste, sect, community and customs' and he is free to go anywhere in his Motherland. This resolute stance got widespread media coverage and caught the imagination of the people in different parts of the country to fight against the illegal occupation of Goa by the Portuguese.

In the years hence, Shri Joshi was in the forefront of various mass movements and agitations. He was imprisoned during Emergency under MISA from 11 November 1975 to 19 January 1977.

As a Parliamentarian

Shri Jagannath Rao Joshi was elected as a *Jan Sangh* member to the Fourth Lok Sabha in 1967 from Bhopal constituency and again to the Fifth Lok Sabha in 1971 from Shajapur constituency, both from the State of Madhya Pradesh. He was also a member of Rajya Sabha from 1978 to 1984, representing Delhi. His mastery of different languages like Hindi, Marathi, Kannada and English helped him in effectively connecting and establishing rapport with the electorate.

As a parliamentarian, Shri Jagannath Rao Joshi remained always very alert in raising matters of national concern and public importance in Parliament. Through various parliamentary devices, he drew the attention of the Government to diverse issues of social, political and economic importance involving justice, welfare and development of various sections of the people. The running theme of his speeches in the Houses of Parliament was his emphasis on welfare and development of the citizens through constitutionalism, national integration, justice, equality and liberty. He

also laid great stress on the welfare of the labour class and farmers, on education, on social reforms and on India's relations with other countries.

Food Security

Shri Joshi always remained alive to the problems of the masses and championed their cause. This empathy was very much visible in his speeches in Parliament. Issues like poverty and hunger afflicting large sections of the country bothered him the most. During his parliamentary career, he spoke passionately about the urgent need for eliminating hunger. He was of the view that the restriction on the inter-State movement of foodgrains should be eased so that the accessibility of surplus foodgrains could be availed by the deficit States. He observed that there should not be much stress on cash crops leading to decline in production of foodgrains. He was also of the view that making inter-State food distribution easier would help address the issue to a large extent. He further focused his attention on proper storage of foodgrains by the Government to avert food scarcity.

Shri Joshi stressed on the need to have a balance between the demand and supply of commodities. He suggested that there must be buffer stock of essential commodities and there must be fair price shops in the remotest villages to make them accessible to the citizens. As a mass leader, he always spoke for the welfare of the farmers as he believed that farmers are the backbone of the nation. He argued that water and electricity should be provided to farmers at subsidized rates, rather than to the industrialists.

Tackling Floods and Inter-Linking of Rivers

The loss of lives and property due to heavy floods in different parts of the country was a matter of great concern to Shri Joshi. He felt that the Government had not accorded the desired priority to address the issue of floods. He spoke in Parliament and outside eloquently on what caused floods and how lack of preparedness by the Government tended to compound the misery of the people. He ardently advocated a proper plan to deal with floods, ranging from pre-flood preparedness, early warning/prediction, rescue and rehabilitation during floods, tackling post-flood epidemics, etc. He could foresee the need for inter-linking of rivers as a measure to contain floods and also to harness the potential of surplus water by states having water scarcity.

Importance of Education and Infrastructure

Shri Joshi was of the view that education should empower the youth to get gainfully employed. He urged vociferously for providing necessary amenities to students in colleges and universities so that their talents and

skills were not under-utilized. He was also conscious of the meagre payment to teachers and called for a hike in their salary. He also called the attention of the nation to the problem of migration from rural to urban areas for lack of opportunities in the rural areas. He urged the youth not to neglect their villages and exhorted the Government to create adequate infrastructure in rural areas so as to enable the youth to find avenues in villages themselves and not to migrate to urban areas.

Welfare of Women, Scheduled Castes and Scheduled Tribes

Shri Joshi was pained at the discrimination faced by a large section of people due to their social status. On various fora, he spoke vehemently against the unjust practices of untouchability which, he pointed out, adversely affected the development opportunities for millions of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. He also expressed his utmost concern on the atrocities on SCs and STs and exhorted the Government to take necessary measures to rid the society of such evil practices. In this context, he called for distribution of land to the landless and to address their housing needs on priority.

Shri Joshi was equally passionate about empowering women. He was of the view that legislation alone could not improve the lot of women; there must be a change in the mindset of the people, and the society as a whole had to work for ridding gender imbalance. He was firmly against social evils like child marriage, dowry system, etc. which, he thought, among other things, were instrumental for the sad plight of women. That being so, he stressed on the need for creating awareness in society to change the mindset of the people for ushering in gender equality.

Labour Welfare

Shri Joshi was associated with various trade union movements and had the first hand experience in functioning of trade unions. He forcefully argued that workers should get their legitimate due. He was against any injustice to them and favoured workers' participation in management for greater productivity. Farsighted as he was, he emphasized the imperative of doing away with rivalries among different trade unions to minimise strikes and closures.

Shri Joshi expressed his concern for under-utilization of the productive capacity of thermal plants, steel plants and fertilizer industries. He said that in spite of India being rich in raw materials, we are far from achieving our targets. The government should play a pro-active role so that the agricultural and industrial potential are properly harnessed.

Promotion of Hindi Language

As an eloquent orator, Shri Joshi earned a distinction as one of the finest speakers having fluency and command over different languages, Hindi being the most prominent and effective. Shri Joshi was of the view that Hindi language promoted patriotism amongst people, more so in the pre-Independence period. He believed that since India has abundant diversities in languages, the increased use of Hindi language across the country would greatly help in national integration.

His Demise

Shri Jagannath Rao Joshi passed away at the Pandit Deendayal Upadhyaya Cancer Research Centre, Pune, on 15 July, 1991 at the age of 71 after a protracted battle with cancer. His cremation in Pune was attended by thousands of his well wishers and followers and leaders of various parties. Rich tributes were also paid to the departed soul in both the Houses of Parliament. As a popular leader, he left a deep imprint of his thoughts and concerns for the cause of the countrymen. His eloquence and oratorical brilliance and invaluable contribution to parliamentary democracy will be remembered for all times to come. He has truly left an indelible mark in the history of our country and especially on our Parliament.

PART II
ARTICLES

JAGANNATH RAO JOSHI—LION OF KARNATAKA

*—Shri Ramachandra Gowda**

Ideal God incarnated, is the definition of Doctorji Hedgewar in brief. So is Shri Jagannath Rao Joshiji. In him ideals got personified and came down to the terrestrial level and he himself became light and delight. This in sum should become a compact description of his life and achievements.

His bright eyes, vibrant face and imposing figure, tall appearance, majestic language, profound thoughts and towering decision-making, made him an ideal parliamentarian. Whenever Shri Joshiji stood to raise point in the Parliament, the whole gathering used to listen to him with rapt attention.

When Joshiji got elected to the Parliament from Bhopal, Madhya Pradesh, in 1967, a felicitation was arranged in Bangalore at the Town hall. This programme was shared by Shri M.R. Janardhan, a well-known legal and constitution authority and retired Advocate General. In his Presidential address, he said, **"Thousands of people move to the USA from India and get settled there, but not all are remembered like Swamy Vivekananda. Likewise hundreds of people get elected to the Parliament, but not all get the importance as of Shri Joshiji. His significance will only be known to the world when he makes his entry into the Lok Sabha."** These speak of volumes about Joshiji.

Though he hailed from Karnataka, he could not be elected from his home State. But as he was not limited to a State and his relevance spread through the length and breadth of India, suited to the famous saying of Agnipurana that "स्वयमेव मृगेन्द्रता" (Swayameva Mrigendratha), A Lion needs nobodies help nor any formal ceremonies of coronation in getting recognized as the Monarch of the wilderness. Joshiji got his entry into the Parliament at the national level. That's why inspite of him not being represented from his mother State, got the due credit as the lion of Karnataka.

Once I was expressing my regrets about the political scenario in an informal chat with Joshiji, then he immediately replied to me with a warm tone. **"We have not taken up politics to digest our food. Our political ideals are very profound, our goal is noble and to achieve that end, we**

* Member, Legislative Council, Karnataka and former Minister in the Government of Karnataka.

are in this field. Any regrets in this process, will retard us in attaining that high objective. So you need not feel bad for the situations and go ahead with the nobler spirit." Then he patted me with warmth. His kind words of wisdom are still resonating in my ears. In his life, politics was not an occupation; it was a way of penance to attain the ideal of national service.

Jagannath Rao Joshiji had a great sense of humour. Many were the occasions to enjoy his spontaneous humour and wit. Once the then Saha Sanghachalak Shri H.V. Sheshadri had just completed his foreign tour and had arrived at the Bangalore airport. Many of fans and friends had gathered there. Joshiji was also present. People were throbbing to touch the feet of Sheshadriji and obviously he was embarrassed. Having observed this Joshiji lightened the difficult position of Sheshadriji saying, "Be calm, you have flown in air and has come now, these people are just testing by touching your feet that you are still adhering to the ground." A great laugh then bursted out.

Once someone asked Joshiji about his not getting married. Immediately his wit got triggered, "Alas, none came forward to marry me and that's why I am a bachelor still".

Once Doctor told him to take light food. But in the next day when I saw him relishing some fried things, I seriously reminded the advice of the doctor. But without batting the eyelids, Joshiji with all seriousness, replied, "You see my friend, oil floats on water as it is lighter, and the fried things float on the oil, as they are much lighter than the former. Now tell me, am I not eating a real light food?" Joshiji's eyes were beaming with laughter.

In around 1989, he had some health problems. In spite of his physical ailment, he was heavy. That's why, he could not address the gathering while standing, for this he had his own logic and used to say, "Till now I used to stand and address, while you are all sitting and listening. Now the roles are changed; I am sitting and talking to you, while you are all standing". Age and ailment had not mellowed down his sense of humour.

In spite of his brilliant wit and humour, having heard his fiery speech during the China war, every one would feel that—is this same person who used to entertain us with lively chat and jokes!

"Flowery mind, flowery speech and flowery actions are the ways of the noble and my salutations" is that poetic line that always lingers in my mind, whenever I contemplated about his transparent thought speech and action.

Joshiji always used to remember the words that guruji gave: the highest corruption is flattering and not wealth or wine or women. To a volunteer along with the voluntary service, voluntary control is also important. This he often used to quote and demonstrate. He also used to say that, power is not the ultimate; it is the tool to design the nation in all respects.

Today we see the likes of Shri Jagannath Rao Joshiji among us in the form of our Honourable Prime Minister Shri Narendra Modiji. He has not taken up politics as an occupation and has been toiling for the sake of noble ideal and global welfare.

In 1990, while coming from the airport, Joshiji lost balance in handling the luggage and slipped on the ground. Me, who had gone to welcome him, got up and rushed to help him. A heavy built man he was and due to the fall had a small injury on the face and blood was oozing out. Immediately he was admitted to the hospital and got treated well. While he was getting discharged from the hospital, I had presented a nice walking stick. But he used to loose it and I used to get him a new one of his choice. I still recollect this as a gesture of Shri Joshiji's child like simplicity and liberty with me.

Shri Syama Prasad Mookerjee, Shri Deendayal Upadhyaya and Shri Jagannath Rao Joshiji are some of our great parliamentarians and as role models are still waiting with eagerness for that golden moment of India becoming the Master of the World. Now I feel that the great commitment, sacrifice and penance of these noble souls are getting fructified and India becoming great is not too far.

Whenever I remember Shri Joshiji, the famous verse of Shri Shankaracharya comes to my mind:

शांतो महंतो निवसंति संत:।
वसंतावत लोकहितम् चरंत॥

Shaanto mahaanto nivasanti santah.
Vasanthavat lokahitam charantah.

(Great are the people who are calm and sublime. Like the spring season, they always aid in the betterment of the world, without any expectations).

Jai Hind! Vande Mataram!

KARNATAKA KESARI JAGANNATH RAO JOSHI: EPITOME OF COURAGE, CONVICTION, CHARACTER AND CLARITY— AN IDEAL WORTHY OF EMULATION

*—Shri S.A. Hemantha Kumar**

Karnataka Kesari Jagannath Rao Joshi (1920-1991) was an unalloyed patriot of the first order. He was an activist with exceptional organizational qualities who always chose to lead the struggle from the front. He was a unique personality with an affable character whom the Karnataka State and the country always remembers. Joshi possessed sterling character, both personal and national; he was ideologically committed; was a zealous and ceaseless worker for the cause of motherland. By the dint of his dignified conduct, remarkable performance, exemplary behaviour, yeoman service and memorable achievements, he left an indelible impression in the minds and hearts of millions of the people and on the firmament of national politics.

His fiery but matured and measured speeches borne out of clarity and conviction laced with wit and humour continue to ring in the ears of millions of people of his time. He is eternally remembered for his remarkable ability to inspire millions of people and workers to take up the cause of the motherland.

Jagannath Rao Joshi's clarity of thought and action were amazing. Neither was there any dichotomy nor contradictions; there was no occasion he went off tangent, either in his thought process or in conviction. On the other hand, he was epitome of the courage, of conviction, credibility, character and integrity.

Jagannath Rao Joshi was a senior RSS pracharak and a front-ranking leader of the Bharatiya Jan Sangh and later the BJP. He was a versatile personality, great in all respects — absolute dedication to the nation, unwavering commitment to the ideology, courage of conviction, a fine orator who made thousands of people spell-bound, abundant presence of mind and a great sense of humour.

He was born at Nargund, present Gadag District (erstwhile undivided Dharwad district) on 23 June 1920. His father, Ananth Dhondu Dikshit Joshi was a priest in the nearby Hanuman temple. Mother was Kamalabai.

* Senior Journalist.

Jagannath Rao was the second of the two sons of Ananth Dhondu and Kamalabai. After his education at the local primary school, Jagannath Rao left Nargund and went to Pune to pursue higher studies. There he came in contact with the RSS. He joined Military Accounts as Clerk.

Around 1943, Jagannath Rao Joshi was transferred from Pune to Belgaum where he came in contact with Mananeeya Yadava Rao Joshi, a magnetic personality, personally chosen by RSS founder-chief Dr. Keshav Baliram Hedgewar, to spread RSS in Dakshin Bharat. At that time Yadava Rao Joshi was the Pranth Pracharak of the RSS.

Initiation into RSS was the turning point in life of Jagannath Rao Joshi; RSS ethos and culture which he fully imbibed in himself enabled to lay a strong and meaningful foundation to his life and mind towards the cause of motherland.

Jagannath Rao Joshi resigned from Military Accounts in 1945 and became RSS pracharak, a full-time assignment in the cause of motherland. That was a modest beginning of what was to become a mammoth affair of sacrificing everything at the altar of Motherland for the next four-and-a-half decade. When the RSS was banned in 1948, he protested against the unlawful ban; he was arrested and detained at Hindalga jail at Belgaum for four-and-a-half year.

My association with Jagannath Rao Joshi dates back to June 1981 when I first met in the residence of K.R. Gopinath (Gopu) where the former used to stay sometimes during his visit to Bangalore. I was a student of First Year B.Com. in Government R.C. College of Commerce but was on the threshold of becoming a whole-time activist of the BJP.

I introduced myself to him; it was just a casual chat nothing in specific terms. It was only when I mentioned the name of my maternal uncle, Angadi Nagaraj, his face brightened up; there was a frozen fascination on his face; there was radiance in his countenance. Are you telling truth? Are you really Angadi Nagaraj's nephew? When Gopu intervened and confirmed what I was saying, it was all warmth and affection. Jagannath Rao hugged me and said, "You are already a part of our ideological family. Good that you have joined the BJP. Make it a point to meet me whenever I come to Bangalore." He had also instructed the State BJP leadership that Hemanth should accompany him on his every tour of Karnataka State. From then on my relationship with Jagannath Rao strengthened and deepened.

Angadi Nagaraj, my maternal uncle, was one among the first five youths who were initiated into the RSS way back in 1942-43 under the direct

guidance of Mananeeya Yadava Rao Joshi, a RSS stalwart from Nagpur who was asked by none other than Dr. Keshav Baliram Hedgewar, the founder-chief of the RSS, to go to Bangalore and start RSS shakha there. My uncle was third of the five youths who came in contact with Yadava Rao Joshi. The first shakha was started in Srirampuram, a middle-class locality in North Bangalore. Jagannath Rao Joshi had an excellent rapport with my uncle, Angadi Nagaraj. "Your uncle was a strong pillar of the RSS in the initial days. Do you know about it?" Jagannath Rao asked me. I replied in the affirmative, as I was told about this by many seniors.

Having born in Nargund — the town named after Babasaheb Nargundkar who was the hero of the 1857 first war of Indian Independence, it looks like patriotism and nationalism was in Jagannath Rao's blood when he took birth.

That destiny made Jagannath Rao Joshi to choose Pune (a culturally vibrant city; the karmabhoomi of Lokmanya Tilak; and the city which also gave to the country the first revolutionary in Vasudeva Balwant Phadke) as his launching pad for RSS activities is not a mere coincidence but nature's design. He joined high school there and later joined Fergusson College.

Destiny, which wanted him to be a national leader, made him to go from Pune to Delhi as a full-time activist of the Bharatiya Jan Sangh and later took him throughout the length and breadth of the country for very many times. The roar of this Karnataka Kesari (Karnataka's Lion) could be heard from Kutch to Kamrup and from Kashmir to Kanyakumari.

That his nation-wide tour made him a polyglot — proficient in as many as six languages such as English, Kannada, Marathi, Hindi, Bhojpuri and Marwadi — needs no mention. He was as comfortable in Hindi as he was in Kannada or Marathi, both while addressing a mammoth public meeting or workers training camp. A man of mathematical precision and a keen acumen to grasp anything and everything, Jagannath Rao Joshi was meticulous to the last detail.

June 23, 1955 was a red-letter day in Jagannath Rao Joshi's life. For, it was on this day — his 35th birthday — he led thousands of RSS and Jan Sangh workers to Goa in order to liberate that coastal city from the clutches of the Portuguese. Though India had become free from the British in 1947, Goa was still ruled by the Portuguese.

It became necessary on the part of the RSS and Jan Sangh to launch nation-wide Goa Liberation Movement as the Congress Government headed by Prime Minister Nehru did not think of any action. It was Jagannath Rao

Joshi who coined the slogan, **"Nehruji ab kya kareh, police lekar Goa chaleh, police lekar Goa chaleh."** (Nehruji what shall we do now? Let's take police and go to Goa) But Nehruji remained silent. It was then Jagannath Rao Joshi commanded the Army of RSS and Jan Sangh activists and marched into Goa.

Jagannath Rao Joshi was arrested by the Portuguese Army when he entered Goa through Savantvadi forests and was taken to Fort Aguada prison because he had entered Goa without a permit - as then required. It was almost akin to Dr. Shyama Prasad Mukherjee entering Kashmir without a permit and was imprisoned in Srinagar Central Prison.

Joshi was asked by the judge why he had come to Goa without a permit. Jagannath Rao Joshi roared like a lion and said, "I have come to Goa to ask why you (Portuguese) have come to Goa. Goa is a part of my motherland and I have right to go to any part of my motherland". This statement was similar to what Dr. Mukherjee told Sheikh Abdullah — that Kashmir was an integral part of Mother Bharat and he had every right to go to any part of Bharat.

This statement of Joshi made a splash in the media and rightly got the epithet Karnataka Kesari (Karnataka's Lion). Though he was imprisoned along with hundreds of RSS and BJS activists, Joshi, however, was condemned to solitary confinement in Fort Aguada Central Prison. As the British, did the Portuguese too saw in Jagannath Rao Joshi shades of Veer Savarkar? I was fortunate to have a look at the cell number 13 in which Jagannath Rao Joshi was imprisoned. The Goa liberation movement led by Jagannath Rao Joshi was a major water-shed in the political history of Independent India.

An expert in the art of inter-personal communication, either with a huge audience or small team of activists, Jagannath Rao Joshi always spoke exactly the same what the party workers had in their mind; he spoke what the people wanted to hear; he spoke common man's longings in their tone and idiom. Such was his ability to establish telepathic contact. This was possible because Jagannath Rao Joshi's hand was always on the nation's pulse; his mind was always glancing this vast motherland — from Hindukush to Hindu Ocean — from the hoary of the past to glory of the future; he had the knowledge of the past; awareness of the present; the vision of the future.

A quintessential organizational man to whom politics was a tool to bring about a total transformation in the society, Jagannath Rao Joshi always emphasized to the workers that the ideology, institution and the mission towards Motherland mattered the most and not the individuals.

This enabled the activists not to stray away from the chosen path at times of internal squabbles. He always emphasized on ideological clarity and organizational cohesiveness.

"Let us not forget that we are the political arm of the on-going Hindu movement. No matter who works in which organization and what strategy & methodology we adopt, the ultimate aim is to make Bharat Mata Jag Janani and ensure that she occupies the cultural throne of the world", used to tell all the workers in meetings. He used to quote a Sanskrit verse of Adi Shankaracharya to that effect, ***"Aakaashaath Pathitham Thoyam, Yatha Gacchathi Saagaram, Sarva Deva Namaskaram, Keshavam Pratigacchathi".*** (Just like drops of rain fall on and ultimately join the sea, the prayers offered to any god ultimately reaches Keshava).

His sense of humour had a serious message too. A party worker once came to the Railway Station early in the morning to receive Jagannath Rao Joshi and offered him a garland. He introduced himself and said he runs a vegetarian hotel. Joshi's instant response was, "As a proprietor of hotel, you ought to have brought upahaara (breakfast) instead of the haara (garland). Everyone of us, including Jagannath Rao Joshi, had a hearty laugh. But the message was so strong and powerful, the worker made it a point to come with the breakfast as long as Jagannath Rao was in town.

Another time, Jagannath Rao Joshi was indisposed. A doctor advised him to take light food. After three days, he went to the same doctor, as the problem aggravated. After all the check up, doctor asked him what food he was taking. Joshi coolly replied, "You asked me to take light food. But I took the lightest food". The doctor was surprised. What is the lightest food? Joshi explained in as-a-matter-of-fact tone "Doctor, water is light, lighter than water is oil as it floats on water. But the lightest is that which floats on oil. What floats on oil? Bajji, Pakoda, Bonda, etc. So, I took these lightest food". Doctor had nothing to say, except to appeal to Jagannath Rao with folded hands to adhere to diet as he was precious to the nation.

Jagannath Rao Joshi's eating habits was the talk of the town. Once, the car in which we were travelling had to stop due to railway level crossing. He asked me, "Hemanth, Why are we wasting time? Look there. That boy is selling guava fruits and there are groundnuts, there is cucumber also. Go, get all these and see if you can also get mirchi bajji, aloo pakoda, mirchi bonda etc.". He was so simple and modest that even an ordinary worker could take liberty with him, exchange jokes and discuss anything and everything under the sun; ***no issue was big to be avoided and no issue was small to be ignored*** — that was his principle.

Immediately after the elections to the Lok Sabha in 1989, the party in general and Atal ji & Advani ji in particular realized that Jagannath Rao's health was falling and felt he needed a full-time attendant. Advani ji asked me if I could be with Jagannath Rao on full-time basis. I immediately accepted the assignment. That was a momentous decision I made in my life which enabled me to learn thousand of things by being with a "walking encyclopaedia" — that Jagannath Rao was. Perhaps, no worker is as fortunate as I am because serving Jagannath Rao Joshi is as good as being in service of the Motherland.

I have travelled with Jagannath Rao Joshi to UP, Bihar, Punjab, Rajasthan, Maharashtra, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Orissa and Madhya Pradesh. I was amazed that wherever he went, he always had hundreds of workers around him; his was a mesmerizing talk; affable and lovable character; a source of inspiration for normal persons and a source of sustenance and rejuvenation to those who was emotionally depressed.

When his health aggravated due to high diabetic and signs of gangarene setting in, Jagannath Rao Joshi was taken to Puttur in Dakshina Kannada district in Karnataka at the guidance of Dr. V.S. Acharya, senior party leader from Udupi, for ayurvedic treatment for his gangrene. But it was of no use. We decided to shift him back to Pune where his cousin-sister Smt. Usha Tai Patwardhan and her husband Shri Babasaheb G. Patwardhan resided and continued to reside there.

I accompanied Jagannath Rao Joshi from Puttur to Pune *via* Mangalore and Mumbai by flight. When the flight landed, Jagannath Rao Joshi held my hand and said, "Hemantha, I have completed my last flight journey. The only aircraft that I am going to board now is the Pushpaka Vimana for my eternal journey" I silently wept inside the aircraft. He profusely thanked me for having been with him and ultimately having brought him back to his Karmabhoomi, Pune.

At Mumbai airport, we were received by Pramod Mahajan, Dr. A.B. Lele, Susheela Tai Athavale and others. Joshi's condition was bad; gangrene in his right leg had spread till his knee. We rushed to Pune by car. Joshi was admitted to Pandit Deendayal Upadhyaya Cancer Research Centre in Pune, his karmabhoomi.

Even at this time of health crisis, Jagannath Rao's sense of humour was sharp. We had stopped the car at Lonavala for a break. Myself and Pramod Mahajan were eating papaya leaning on windows of the car in which Jagannath Rao was sitting. A beggar came near the car and said, "Saab, Bhagwan keh naam peh kuch dheejeeye, mujhe bhook lagraha hai, aapka

baal, baccha sahi salamat rahe." Jagannath Rao immediately remarked with a mischievous smile on his lips and said, "Dr. Lele keh shir mey baal nahi hai; mujhe baccha nahi hai. Lo, yeh Lelo aur jao" (There are no hairs on Dr. Lele's head and I don't have children). Everyone of us laughed but we knew the gravity of his health condition.

After initial examination, doctors said that his right leg had to be amputated. I called Atalji, Advaniji, Jana Krishnamurthyji, Yadava Raoji, Seshadriji and Yeddyurappaji to convey them what the doctors said. It was my duty to keep them informed before going into such a major decision.

After the amputation of his right leg just above the knee on 29th June 1991 Jagannath Rao Joshi suffered from a stroke; his speech was incoherent; I called Advaniji and informed him of the condition. After listening to what I said, Advaniji said, "Hemanth, I will come to Pune in the evening". He arrived and came straight away to the hospital.

Jagannath Rao was extremely happy to learn that Advaniji had come to see him. He thanked me profusely for my thoughtfulness. The conversation between two giants is memorable. It was the height and heat of the Ayodhya movement. Jagannath Rao complimented Advaniji for changing the ideological and political discourse on matters related to cultural nationalism; Hindutva; pseudo-secularism and fundamentalism. "You have put a strong foundation to guide the course of India's destiny" Jagannath Rao Joshi told Advaniji. Advaniji's eyes became wet; tears rolled down his eyes.

Then, Jagannath Rao Joshi requested Advaniji to convey his namaskars to all his ideological comrades by mentioning their names; Atalji, Sundar Singh Bhandariji, Krishanlalji, Rajmataji, Jana, Bhairon Singh Shekhawat, O. Rajagopal, Kedarnath Sahani, Jagadish Prasad Mathur, Ramprakash Gupta, Jagadambi Prasad Yadava, Sikandar Bakht, Ramdas Agarwal, Ram Naik, Hashu Advani, Vasanth Sabnis, Bishwabhushan Harichandan, K.R. Malkani, Sundarlal Patwa, Kailash Sarang, Kailashpathi Mishra, Satish Chandra Agarwal, Nanaji, — he recalled as many names as possible and wanted Advaniji to convey his respects to them. Perhaps, Jagannath Rao seems to have had premonition that he won't live longer.

On 9th July 1991 senior RSS functionary Yadava Rao Joshi arrived from Bangalore to Pune and came straight to the hospital. But Jagannath Rao had slipped into coma by then. Yadava Rao insisted that something be done so that he could listen to a few words from Jagannath Rao. Two injections worth Rs. 6000 were administered. Jagannath Rao regained consciousness and saw Yadava Rao Joshji.

"Namaskar", Jagannath Rao Joshi told Yadava Rao and also gestured. Two stalwarts held each other hands; tears rolled down in their eyes. It was a sight to see two great personalities looking and conversing to each other only in their countenances. The influence of injection started waning and Jagannath Rao Joshi slipped into coma.

On 15th July 1991 at about 4.45 AM, I could hear the sounds of heavy breathing; Jagannath Rao Joshi's eyes were slightly opened; I called the doctors and the nurse; they checked his pulse; heart beat and said, "The end is nearing" At that time Dr. Anil Satwik — with whom Jagannath Rao stayed for all through his life in Delhi — was with me. Jagannath Rao held my hand as well as that of Dr. Anil. Even as we tightly held his hand, he tried to say something but it was incoherent. It appeared that he was trying to tell my name and that of Anil. ".....hey hey; aa aa....." he said and breathed his last.

Karnataka Kesari, born on 23rd June 1920 left for heavenly abode on 15th July 1991 after completing the task assigned to him — the task to rekindle the flame of nationalism and patriotism in the hearts of millions and millions of people. His was a life well lived. Jagannath Rao was great in Life; Great in Death.

Senior BJP leader Atal Behari Vajpayee and the then RSS joint general secretary, H.V. Seshadri led the funeral procession, after the condolence meeting. His body was consigned to flames after his nephew, Raju did the rituals. A glorious chapter in the history of RSS, Jan Sangh and BJP in particular and national politics and public life in general had come to an end.

17th July 1991. 1 PM. I was standing in the waist-deep waters of Indrayani River in the outskirts of Pune carrying the urn that contained the mortal remains of Joshi. Jagannath Rao's nephew Raju, his brother-in-law Babasaheb Patwardhan, Dr. Anil Satwik and other RSS and BJP activists were present. We were there to immerse the mortal remains of Jagannath Rao.

I recalled a significant portion of the speech delivered by Jagannath Rao which I had listened. ".....marne keh baad, agar hamare haddiyaa Ganga ji mey visarjan kardi gayee, aur kisine kaan lagaakar dhyaan sey suna, ek hi awaaz sunayee degi, Bharat Mata Ki Jai....."

I shuddered the next moment because I was holding Jagannath Rao Joshi's mortal remains (ash and pieces of bones) to immerse in the river on 17th July 1991 and this particular speech I listened was on 17th July 1983

at the footsteps of Nandi Hills, outside Bangalore. That means, exactly after nine years of listening to his speech, I was holding his "haddiyaa" to immerse in the river. A chill ran down my spine by this coincidence or irony, no matter what one calls.

"No man is a hero to his valet" is a time-tested English saying. It means no matter how big or great is a man to the outside world he cannot be a hero to his valet (personal assistant) because this assistant would have had opportunity to come across pettiness of this great leader. But this English saying is wrong in so far as my association with Jagannath Rao Joshi is concerned. This born-leader and born-fighter scrupulously practised in private life what he preached in public. The more nearer you went, the more great and greatness one could see. He is embodiment of courage, conviction, clarity and character; an ideal worthy of emulation.

On the day Jagannath Rao Joshi died (15th July 1991), a Marathi eveninger had carried a detailed story on this great leader with a catchy headlines, "Jagannatha cha Rath Thamba" meaning "Jagannath's Rath has stopped". It is true that physically Jagannath Rao Joshi is not amidst us but the Rath of Nationalism and Patriotism which Jagannath Rao rode will not stop; it will take Bharat Mata to its pre-destined destination of occupying the Cultural Throne of the World thus making Bharat play its pre-destined role of "Vishwa Guru" in the comity of nations.

सावित्री बाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के अपने दोस्तों के साथ।

श्री जगन्नाथ राव जोशी का परिवार। बाईं ओर उनकी माता श्रीमती कमला बाई बैठी हैं। उनके पिता श्री अंनत राव खड़े हैं। बीच में उनकी दादी बैठी हैं। भाई श्री विठ्ठल राव तथा उनकी पत्नी श्रीमती सुशीला दायी ओर बैठी हैं।

श्री जगन्नाथ राव जोशी भारतीय जनसंघ के प्रमुख नेता के साथ दिखाई दे रहे हैं। वह दायीं ओर ऊपर की पंक्ति में बैठे हैं; श्री जगदीश प्रकाश माथुर (ऊपर बाईं ओर), बलराज मधोक (बीच की पंक्ति में बाईं ओर) पंडित दीनदयाल उपाध्याय (बीच की पंक्ति में मध्य में), श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बीच की पंक्ति में सबसे दाहिनी और), श्री केदारनाथ साहनी (आगे की पंक्ति में सबसे बाईं ओर), श्री सुंदरसिंह भंडारी (आगे की पंक्ति में सबसे दायीं ओर) भी दिखाई दे रहे हैं।

जगन्नाथ राव जोशी, अपने दाहिनी ओर श्री बाबा साहेब पटवर्धन के साथ दिखाई दे रहे हैं; उनके बाईं ओर श्रीमती उषा ताई पटवर्धन (जगन्नाथ राव जोशी की चचेरी बहन) हैं।

जगन्नाथ राव जोशी अपने संसद सदस्य फ्लैट सं. 27 फिरोजशाह रोड पर प्रकाश गोडसे (सबसे दाहिनी ओर) और धारवाड़ से कुछ अन्य आगंतुकों के साथ।

जगन्नाथ राव जोशी उनके बाईं ओर श्रीमती सुशीला ताई अठावले (अखिल भारतीय भाजपा महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष), उनके दायीं ओर श्रीमती आशा सात्विक, सात्विक परिवार के अन्य सदस्यों के साथ।

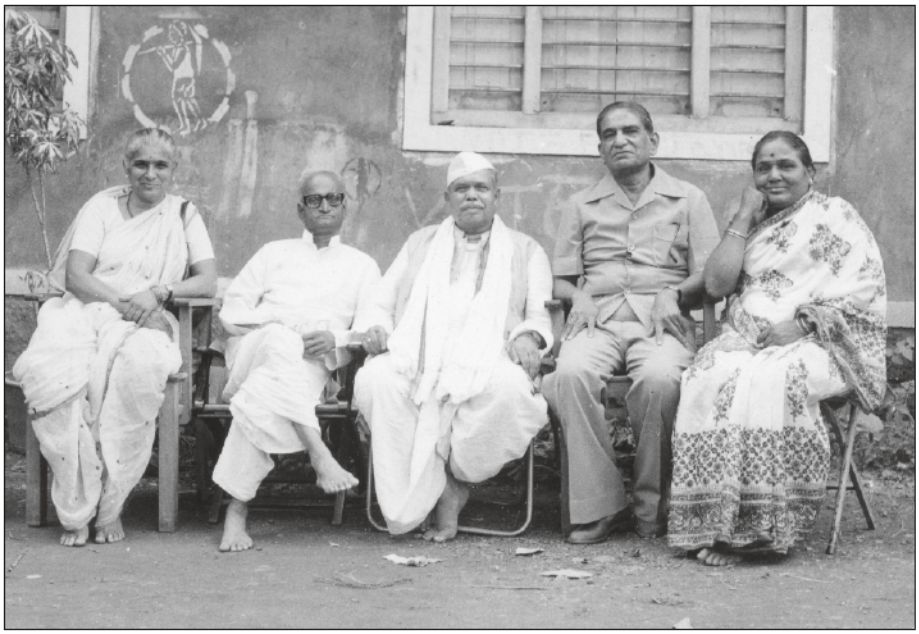

जगन्नाथ राव जोशी श्री अनन्तराव सात्विक और उनकी पत्नी श्रीमती आशा सात्विक और सात्विक परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बैठे हुए।

जगन्नाथ राव जोशी यहां श्री किसन राव गोखले (उनके बाईं ओर) और किसन राव गोखले की पत्नी उनके दायीं ओर और उनकी बेटी अल्का (खड़ी हुई)।

राष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन के साथ।

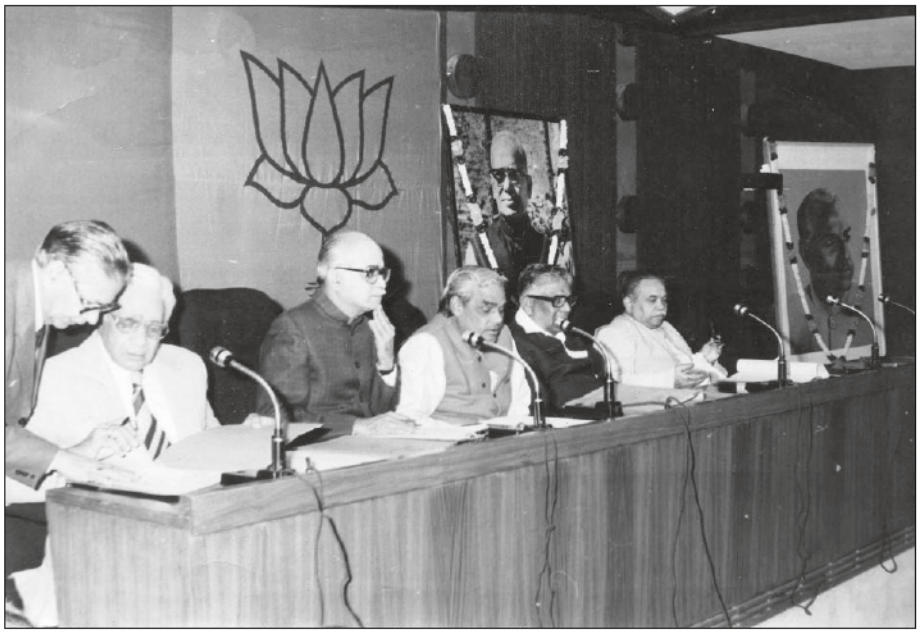

6 अप्रैल, 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के अवसर पर श्री ए.बी. वाजपेयी, श्री एल.के. आडवाणी, श्री सिकंदर बख्त और श्री के.एस. हेगड़े के साथ दिख रहे हैं।

महाराष्ट्र प्रदेश जनसंघ सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए।

भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक के अवसर पर श्री ए.बी. वाजपेयी, श्री एल.के. आडवाणी और श्री के.एस. हेगड़े के साथ दिख रहे हैं।

आर एस एस द्वारा आयोजित बैठक को सम्बोधित करते हुए।

धारवाड़ में सभा को सम्बोधित करते हुए।

जगन्नाथ राव जोशी नरगुंड में अपने पड़ोसी श्री प्रकाश गोडसे (सबसे दायें ओर खड़े हुए) और श्रीमती उषा गोडसे और उनके दोनों पुत्रों दीपक गोडसे और भार्गव गोडसे के साथ दिखाई दे रहे हैं।

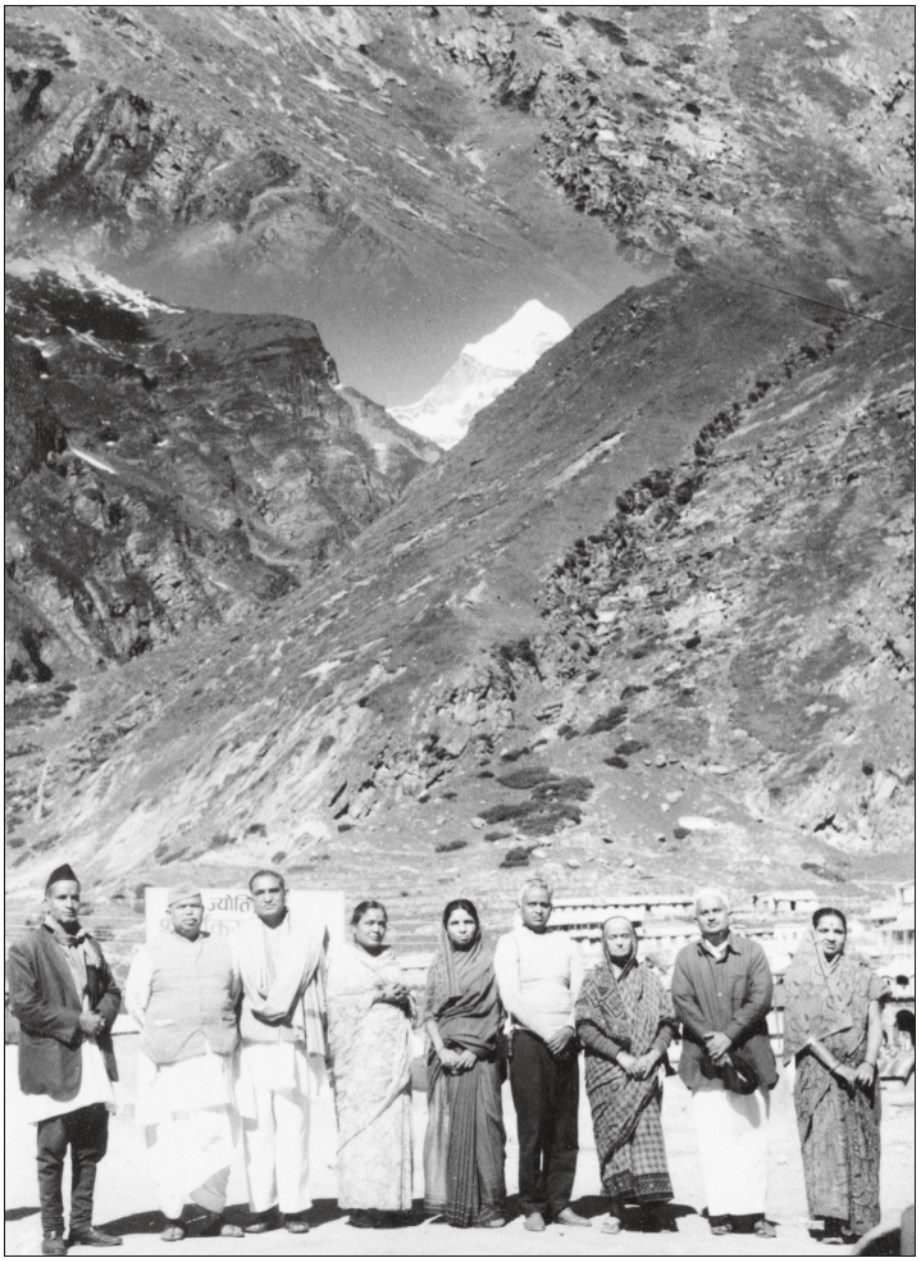

सात्विक परिवार और अन्य लोगों के साथ अपनी कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान।

PART III
SELECTED SPEECHES IN PARLIAMENT
संसद में चुनिंदा भाषण

NATIONAL ISSUES
राष्ट्रीय मुद्दे

राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 1967*

बीस साल के बाद इस दिन में यह एक ऐसा विधेयक उपस्थित हुआ है जो मैं देश के लिए बड़ा भारी दुर्भाग्य समझता हूं। मेरी मातृभाषा कन्नड़ है, पढ़ाई मराठी में हुई है और बोलता मैं हिन्दी हूं। जिन्होंने संविधान बनाया उनके सामने भी एक कल्पना थी और इसलिए उन्होंने समय को बांधा था कि पंद्रह साल के अन्दर हम एक ऐसा कार्यक्रम बनाएं ताकि देश में 26 जनवरी 1965 के पश्चात् हिन्दी राजभाषा बन जाए। किन्तु आज पंद्रह साल के बाद फिर दुबारा यह विधेयक पेश किया गया है। इसके पहले भी एक बार इस विषय में एक कानून बना था लेकिन उस में भी कोई अवधि नहीं रखी गई थी। 1963 में जो एक संशोधन आया था, उसमें भी अवधि का कोई उल्लेख नहीं था, हालांकि संविधान में पंद्रह साल की जो व्यवस्था की गई थी, उस का कोई एक अर्थ था।

स्वराज्य के कुछ तकाज़े होते हैं। स्वराज्य के पश्चात् माउंटबेटन केवल एक साल के लिए हमारा गवर्नर जेनरल रहा। लेकिन यदि कोई यह तुलना करे कि स्वर्गीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद और चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य और माउंटबेटन में कौन अच्छा है और कौन बुरा है, तो यह सवाल खड़ा नहीं होता है। स्वराज्य का यह तकाज़ा है कि देश का राष्ट्रपति इसी देश का होना चाहिए। सवाल अच्छे बुरे का नहीं है। माउंटबेटन बहुत अच्छा है, लेकिन वह इंग्लैण्ड में किसी पद पर रह सकता है।

वैसे ही हमारी सेना का प्रमुख आज सर क्लाड आचिन्लेक नहीं रह सकता है। यह सवाल तो खड़ा ही नहीं होता है कि जेनरल चौधरी, जेनरल करिआप्पा और सर क्लाड आचिन्लेक में से गुणवत्ता किस में ज्यादा है। यह स्वराज्य का तकाज़ा है कि अब इस देश का सेनापति कोई जेनरल करिआप्पा या जेनरल चौधरी या जेनरल थोरट हो। इसके लिए कोई पर्याय नहीं होता है।

वैसे ही यह स्वराज्य का तकाज़ा है कि देश का व्यवहार स्वभाषा में हो। इसके लिए कोई पर्याय नहीं होता है। अब हिन्दी कोई बड़ी विकसित, बड़ी समृद्ध और साहित्यिक दृष्टि से मौलिक भाषा है, इस कारण वह स्वभाषा के रूप में स्वीकृत नहीं हुई। सब का मूल स्रोत संस्कृत होने के नाते काश्मीरी से लेकर मलयालम तक हर भारतीय भाषा उतनी ही समृद्ध हो सकती है और है। हिन्दी को इसलिए स्वीकार किया गया कि अपने इस देश में ज्यादा से ज्यादा लोग हिन्दी भाषा को समझते हैं। मुझे अनुभव है कि 1930-31 के दिनों में जब मैं स्वयं प्रभात-फेरी में जाया करता था, तो कन्नड़-भाषी होने पर भी हम लोग ये हिन्दी गीत गाते थे, "विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा" और चरखा चला-चला कर लेंगे, स्वराज्य लेंगे। उस समय हमारे मन में

* उपरोक्त विधेयक, 1967 पर चर्चा में भाग लेते हुए।
लोक सभा वाद-विवाद, 7 दिसम्बर 1967, cc 5513-25।

यह भाव पैदा नहीं हुआ कि कन्नड़ भाषी होते हुए हम हिन्दी का गीत क्यों गायें। हम को लगता था कि टूटी-फूटी ही क्यों न हो, हिन्दी बोलना ही देश भक्ति है। वह कपड़ा चाहे कितना भी मोटा या घटिया क्यों न हो, खद्दर पहनना देश-भक्ति है; देश के बारे में गीत गाना देशभक्ति है। बचपन में, पाठशाला में पढ़ते समय भी, हमारा यह जो भाव था मुझे बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि आजादी आने के पश्चात् इन बीस सालों में हम लोगों ने इसके सम्बन्ध में जो कुछ किया, आज का यह विधेयक उस में हमारी असफलता का परिचायक है।

क्या इन बीस सालों में हम हिन्दी को प्रचलित करने और लोकप्रिय बनाने का ज़िम्मा केवल चलचित्र-पट पर नहीं छोड़ बैठे? अर्थात् देश भर में हिन्दी के चलचित्र, फ़िल्म्ज़ बनें और उन को देख कर लोग हिन्दी सीखें? क्या इसके आगे जाने की हमने कोशिश की? खेर कमीशन की रिपोर्ट में कुछ अच्छे सुझाव दिये गये थे जैसे तंत्र की और शासकीय पारिभाषिक शब्दावली एक हो, हमने उन पर अमल नहीं किया। आप मुझे क्षमा करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे दिल में, मन में, हृदय में अपने देश के बारे में एक उत्कट भावना नहीं होगी, तो वह प्रत्यक्षत: प्रकट व्यवहार में नहीं आ सकती है। जब हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे इंग्लैंड में जा कर पढ़ें, तो कहना पड़ता है कि विद्या का मलतब हमारी समझ में नहीं आया।

भारतीय विचारधारा के अनुसार "सविद्या या विमुक्तये"। मुक्ति इस देश का ध्येय है। किसी का बंधन, किसी की दासता, यह विद्या वाले का लक्षण नहीं हो सकता है। विद्यावान वही है, जो इससे मुक्त है। मैं कहना चाहता हूं कि जितेन्द्रिय होना इस देश का ध्येय है। रसना और वासना तक का भी जो गुलाम नहीं बनना चाहता, रसना और वासना को भी काबू में रख कर जो मुक्ति पाना चाहता है, वह अंग्रेजी की दासता और गुलामी सहन करे, यह नहीं हो सकता है। अंग्रेजी अच्छी है या बुरी, यह सवाल नहीं है। इसमें तुलना की बात आती ही नहीं है। सवाल यह है कि क्या हमारे देश में कोई भाषा है या नहीं।

हमारी हर भाषा को समृद्ध करने वाला संस्कृत का बड़ा विशाल महासागर देश हमारे में है। इसके बल-बूते पर हम हजारों वर्षों से हिन्दुस्तान में एक सुसंस्कृत दर्शन देकर जीवन का आदर्श खड़ा करके रहते आये हैं। हमारे कई कांग्रेसी मित्रों ने देश की एकता की बात कही। मैं उस का स्वागत करता हूं। देश बहुत बड़ा है, किन्तु इस देश में भाषायें भी कई चलती हैं, इस देश में कई जातियां हैं, इस देश में कई पन्थ हैं। इतना होने के बाद भी एक हजार साल पहले केरल में कालड़ी में पैदा हुए आचार्य श्री शंकराचार्य को कभी यह नहीं लगा कि पूरे देश भर में स्थान-स्थान पर मठों की स्थापना करने में दिक्कतें या अड़चनें आयेंगी। वे नहीं आईं। इनको यह नहीं लगा कि मैं यहां से वहां कैसे जाऊं, वहाँ से यहां कैसे जाऊं।

मुझे आप क्षमा करें, बार-बार दक्षिण वालों को दोष दिया जाता है, लेकिन दक्षिण वालों की बदनामी क्यों की जाती है, यह मेरी समझ में नही आता। दक्षिण वाले अंग्रेजी के पक्ष में हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने भी मद्रास में राजभाषा के रूप में तमिल को ही स्वीकार किया है, शिक्षा के माध्यम के रूप में तमिल को ही स्वीकार किया। बंगाल में भी वहां के लोगों ने अपनी उन्नत, विकसित और समृद्ध भाषा बंगला को ही राजभाषा और शिक्षा

के माध्यम के रूप में स्वीकार किया है, अंग्रेजी को नहीं। इसी प्रकार अन्य प्रदेशों में भी राजभाषा के और विद्या के माध्यम के रूप में कन्नड़, तेलुगू, उड़िया और मलयालम आदि को ही स्वीकार किया गया है। अपने देश में हर एक भाषा समृद्ध है। इसलिए मैं दक्षिण वालों को दोष देने के लिए तैयार नहीं हूं। आखिर मैं भी तो दक्षिण से आता हूं।

किन्तु सवाल यह है कि भाषा भाव को प्रकट करती है। कोई भाषा भाव को प्रकट करने की क्षमता रखती है या नहीं, यह सवाल है। भाषा क्या प्रकट करती है? आत्मा को प्रकट करती है, इस को भूलना नहीं चाहिए। जैसे, यदि हमें अंग्रेजी का प्रयोग करना हो, तो हम कहते हैं, "ही इज डेड"। किन्तु अपनी भाषा में हम कहेंगे, "उसका देहान्त हुआ" क्योंकि अपने विचार के अनुसार आत्मा अमर है, आत्मा मरती नहीं है। ही इज़ नेवर डेड, आई एम नेवर डेड, — देहान्त होता है, देह जाती है: भाषा आत्मा को प्रकट करती है। ज्यों-ज्यों हम दूसरी भाषा को स्वीकार करते हैं, त्यों-त्यों हम अपनी संस्कृति से दूर चले जाते हैं। जैसे, अंग्रेजी का प्रयोग करते करते हम कहने लगे हैं, "बोन्ज़ फ़ार दि लेट-कमर्स", यानि जो देरी से आयेगा, उस को मांस नहीं, हड्डी मिलेगी। यह यहां का रिवाज नहीं है। हमारे यहां कहते हैं, "अतिथिदेवो भव" इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने रात के बारह बजे द्रौपदी से कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दो। हमारे यहां कोई जब भी आयेगा, तो उसको भोजन मिलेगा। अगर देरी से आयेगा, तो दूसरी पंक्ति में भोजन मिलेगा अगर उससे भी देरी से आयेगा, तो तीसरी पंक्ति में भोजन मिलेगा। हमारे यहां बोन्ज़ फ़ॉर दि लेट-कमर्स नहीं है। अपनी आत्मा को जो भाषा प्रकट नहीं कर पाती है, उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। भाषा आत्मा को प्रकट करती है। उस में रुकावट नहीं आनी चाहिए। इसलिए भारत की कोई भी भाषा क्यों न हो, आसेतु हिमाचल, वह भारत की आत्मा को प्रकट करती है। श्री चव्हाण ने जो प्रस्ताव रखा है, उसमें "कॉम्पोज़िट कल्चर" का जिक्र किया गया है। भारत में जो विविधता है, अकारण ही उसके बारे में यह भ्रम हो गया है कि वह एक "कॉम्पोज़िट कल्चर" है। हर देश के लिए एक संस्कृति होती है। कोई पूछे कि यह राष्ट्र है कैसे? हमारे और आप के बीच में कौन सा सम्बन्ध है? क्या समानता है? वह है हमारी राष्ट्रीयता। वह सिद्ध करती है हमारी संस्कृति। हमारे राजदूतों के लड़के मास्को में पैदा हों या वाशिंगटन में उनकी संस्कृति रूसी या अमेरिकी नहीं बनती। वह भारतीय रहती है। क्यों रहती है? मां बाप का जीवन दर्शन लेकर यदि लड़का आये तभी हम कहते हैं कि वह भारतीय है। तभी हम कहते हैं कि वह हिन्दुस्तान का है। वह तो इस संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। परन्तु यह संस्कृति विविधता में विश्वास रखती है। Unity should never be misunderstood for uniformity सबको एक सांचे में ढालने का यहां का काम नहीं है। हजारों पंखुडियों वाला कमल जो होता है उस की हर पंखुड़ी से खुशबू निकलती है। पंखुड़ियां हजार हों लेकिन खुशबू एक निकलती है। यहां भाषा अनेक हैं भाव एक है। पंथ अनेक हैं परमात्मा एक है। आंखें दो हैं दिखता एक है। कान दो हैं सुनाई एक देता है। हाथ दो हैं कृति एक है। पांव दो हैं गति एक है। ऊपरी दिखने वाली जो विविधता है उस के अन्दर छिपी हुई मौलिक एकता को लेकर अगर हम चलेंगे जो आसेतु हिमाचल तक देश के अन्दर एकता भरी हुई है। यह एकता कई हज़ार वर्षों की संस्कृति के जरिए हमारे पूर्वजों ने दी है। भगवान श्री शंकर कैलाश के ऊपर बैठे हैं और माता पार्वती कन्या कुमारी में तप करने बैठी हैं कि विवाह करूं तो भगवान श्री शंकर से। पार्वती परमेश्वर के नाम पर तपस्या करती हुई बैठी हैं। पूरे देश की एकता की कल्पना जिन

महानुभावों ने की उसके दर्शन से, उस की केवल स्मृति से मस्तक विनम्र होता है। उन्होंने देश को एक रखने की कोशिश की है। भाषा जाति सम्प्रदाय रहन-सहन खान-पान यह सब कुछ अलग होने के बाद भी एक हैं। जब हम यह कहते हैं कि खायें क्या? इडली खायें, डोसा खायें, बड़ा खायें, कचौड़ी खायें या रोटी खायें तो इसका कोई सवाल नहीं है। जब तक हम को यह लगता है कि मैं जो कुछ खा रहा हूं वह जीवन का यंत्र चलाने के लिए खाता हूं, अहोरात्र यह जो एक यज्ञ चल रहा है उस यज्ञ की समिधा के रूप में खाता हूं, यह भाव जगत जब तक एक हैं, तब तक झगड़ा पैदा नहीं होता।

भाषा के नाम पर झगड़ा पैदा होने की कोई जरूरत नहीं थी। किन्तु दुर्दैव से 20 वर्षों में वह एकता का भाव नहीं आया। मन में जो एक प्यार था अंग्रेजी भाषा के लिए, उस प्यार के कारण, उस मोह के कारण देश भर में वह वातावरण पैदा नहीं किया गया। आज जो तर्क दिए जाते हैं, मुझको याद आता है अंग्रेजी राज के वास्ते यही तर्क दिए जाते थे। जब अंग्रेजों का शासन यहां कायम हुआ यही कहा जाता था कि अंग्रेजों ने शांति लायी वरना यहां बहुत गड़बड़ियां थीं और ऐसा कहा जाता था कि अंग्रेजों के जमाने में काशी से लकड़ी में सोना बांध कर आप काश्मीर तक घूमो या नीचे रामेश्वरम तक घूमो कोई उसको छुएगा नहीं। Not even Morarjibhai would dare touch under the Gold Control Order इतनी शांति इस देश के अन्दर उन्होंने पैदा की। कहने लगे कि अंग्रेजी राज अच्छा है और जब यहां अंग्रेजी राज को हटा कर स्वराज्य की मांग होने लगी तो यही विचार सामने आया कि:

Whether you want a good government or self-government.

स्वराज्य चाहिए या सुराज्य चाहिए? आम भाषा चाहिए या अन्तर्राष्ट्रीय भाषा चाहिए? कोई-कोई कहने लगे कि स्वराज्य चलाने की क्षमता भी है? तो लोकमान्य तिलक जैसे नेताओं को आगे बढ़ कर जवाब देना पड़ा कि इस देश के अन्दर स्वराज्य चलाने के लिए आई.सी.एस. अफसरों की जरूरत नहीं है। देश धर्म के नाते आपत धर्म के नाते 22 साल की विधवा स्त्री झांसी की रानी हाथ में हथियार लेकर अंग्रेजों से लड़ने बाहर निकल आई तो ब्रिटिश जनरल भी देखता रह गया। तो वह देहरादून के किसी मिलिटरी कालेज में पढ़ी हुई नहीं थी। स्वराज्य के लिए इसकी जरूरत नहीं होती। छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य प्राप्त किया, अष्ट प्रधान मंडल बनाया तो क्या उन्होंने लॉक ऑन डेमोक्रेसी पढ़ी थी? उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो उस समय जो तर्क दिए जाते थे कि आप स्वराज्य नहीं चला सकते क्योंकि आपके पास इतने आई.सी.एस. ऑफिसर नहीं हैं, आपके अंदर इतना सुधार नहीं हुआ है, इतनी शिक्षा नहीं हुई है, यह नहीं हुआ है, वह नहीं हुआ है, वही तर्क आज भी दिए जा रहे हैं। अंग्रेजी चली जायेगी तो क्या होगा? तो अंग्रेज चले गए तो क्या हुआ? वही तर्क आज भी है। और कहीं-कहीं तो यह भी बताया जाता है कि जब तक हिन्दी विकसित नहीं होगी तब तक उसको स्वीकार नहीं किया जायेगा। एक बड़े महानुभाव ने कहा था, मैं उन का नाम नहीं लूंगा, जब कि पहले-पहले विधवा विवाह लोग करने लगे तो उन्होंने कहा कि मैं भी इसके खिलाफ नहीं हूं लेकिन जब तक वह प्रचलित होकर लोकप्रिय नहीं होता तब तक किसी को नहीं करना चाहिए। तो आज हम यदि यह समझें कि हिन्दी को तब तक स्वीकार नहीं करना चाहिए जब तक वह समृद्ध नहीं हो जाती, जब तक विकसित नहीं हो जाती, तो यह भी वैसी ही बात है। जब उस का उपयोग होने

लगेगा जैसे कि आज यह बहस आई कि शैल का मतलब हिन्दी में क्या होता है? 'होगी' होता है 'रहेगी' होता है? क्या होता है? Every word has got a connotation and a denotation; it denotes something, it connotes something.

उस का आन्तरिक भी एक विचार रहता है, एक बाहर का भी विचार रहता है। भाषा जैसे-जैसे व्यवहार में आती जाती है वैसे-वैसे शब्द का अर्थ निश्चित होता जाता है। उसी दृष्टि से शब्द का प्रयोग होने लगता है। तब जाकर उसी शब्द को लेकर हर एक चलता है। इसीलिए जब भाषा प्रयोग में ही नहीं आएगी और जब बिल्कुल विकसित और समृद्ध हो जाएगी तब उसका विचार करेंगे, यह अगर तर्क है तो यह तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे किनारे पर बैठकर यह सोचना की जब तैरना आ जाएगा तभी मैं पानी में पैर रखूंगा। आप हिन्दी को स्वीकार करें देशभक्ति के भाव से।

कोई भी चीज जब हम स्वीकार करते हैं तो उसके पीछे प्रेरणाएं होती हैं। एक प्रेरणा होती है धर्म की, कर्तव्य की। दूसरी प्रेरणायें हैं अर्थ और काम की। यानी अर्थ और काम के लिए भी आदमी बहुत कुछ करता है। यह भाषा कई लोगों ने अर्थ और काम के लिए सीखी है। आज चलचित्र पर आप देखेंगे तो कई हमारी दक्षिण की जो अभिनेत्रियां हैं वह हिन्दी में काम करती हैं, जब उन को पता चला कि तमिल, तेलुगू और कन्नड़ में काम करने से बड़ा मार्केट नहीं मिलेगा तो संगम जैसे चित्रपट में काम करने वाली नायिका ने हिन्दी में काम किया और वह दक्षिण की ही हैं। तो लोग भाषा को सीखते तो हैं, भाषा को पसंद भी करते हैं किन्तु प्रेरणा अर्थ और काम की रहती है। इसलिए कभी-कभी कहा जाता है कि

If you want to learn a new thing, either you live alive or you marry a wife.

पुराने जमाने में योरप का इतिहास हम देखें तो ऐसे ही होता था इंग्लैंड और जर्मनी का भी जो संबंध रहता था तो क्या होता था? जर्मनी से जो आते थे राजा वह क्या अंग्रेजी पढ़ कर आते थे? यानि आपस में शादी चलती थी। अपने देश में भी चलती थी। अपने देश के राजा-महाराजाओं का इतिहास आप देखें तो वहां भी आप को पता चलेगा कि शादी के बाद पत्नी की भाषा पति को या पति की भाषा पत्नी को सीखनी पड़ी है। सीखते थे, क्यों? प्रेम। इसके कारण लोग बहुत बार भाषा सीखते हैं। मैं एक बार आन्ध्र में प्रवास कर रहा था। वहां एक साहब मिले, वह बोले कि बढ़िया घोड़ा देखोगे मैंने कहा चलो। मैं देखने के लिए गया। घोड़े को सामने बुलाया यह कह कर कि बेटा सामने आओ। मुझ को बड़ा ताज्जुब हुआ कि वह कैसे हिन्दी बोलते हैं? फिर वह घोड़ा सामने आया तो बोले बेटा मेहमान आया है सलाम करो तो उसने गर्दन झुका कर सलाम किया। तो मैंने पूछा कि चौधरी साहब, आप तेलुगू भाषी होते हुए घोड़े के साथ हिन्दी में कैसे बोलते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं तीर्थयात्रा पर गया था। यह घोड़ा मुझे देखने को मिला। मुझे लगा कि यह जो बताया जाता है वह करता है इसलिए मैंने खरीद लिया। घर आकर पता चला कि इस को केवल हिन्दी समझ में आती है तो मैंने यह सोचा कि अब घोड़े को तेलुगू सिखाने के बजाय मैं स्वयं हिन्दी सीख लूं तो अच्छा है। तो घोड़े को तेलुगू सिखाने के बजाय उन्होंने स्वयं हिन्दी सीखी। यानि आदमी घोड़े को प्यार करता है तो घोड़े की भाषा सीख लेता है। यदि हम भारत मां को सही अर्थों में प्यार करें तो क्या भारत की भाषा नहीं सीखेंगे? सवाल

यह है कि हम भारत मां को पिछले 20 साल में प्यार करना धीरे-धीरे भूलते जा रहे हैं इसलिए हर मामले में विदेशी चीजें हमें प्रिय हो रही हैं। विदेशी रहन-सहन, विदेशी व्यवहार और इसलिए विदेशी भाषा में भी क्या लगता है? जब सब कुछ विदेशी ले रहे हैं तो विदेशी भाषा ने ही क्या किया है? यह वजह है इसके पीछे। मैं कहना चाहता हूं कि हजारों हजार साल जिस देश के अन्दर एक सुसंगठित जीवन दर्शन के नाते हम लोग एक हो कर रहते आये हैं। कई हजार संक्रमणों को परास्त करते हुए, आज भी हम खड़े हैं और आगे चलकर भी हम खड़े रहना चाहते हैं। इसलिये कोई यह कहे कि दक्षिण वालों को यह नहीं आता, वह नहीं आता, मैं उस को मानने के लिये बिलकुल तैयार नहीं हूं। कोई भी भाषा हो उस का ठीक ढंग से प्रचार हो। मैं अभी केरल गया था। अर्नाकुलम, कोचीन और त्रिवेन्द्रम में हिन्दी का प्रचार बहुत अधिक है। केरल से तो हिन्दी की एक मासिक पत्रिका भी निकलती है। वास्तव में हम लोगों को उसे गौरव दे करके प्रशस्ति देकर आगे बढ़ाना चाहिए। उस की लोकप्रियता को पूरे देश भर में बढ़ाने का काम बहुत आवश्यक है। किन्तु सबसे बुरी बात तो यही होती है, विदेशी शासन के खिलाफ जब हम झगड़ा करते हैं तो इसीलिए....

That is what I am saying. I am saying the same thing.

तो देश की भक्ति, सारे देश के अन्दर एकता का भाव-इन बातों को लेकर वास्तव में यह भाषा की समस्या कोई कठिन नहीं है। अंग्रेजी की दासता जो है, यह दासता सब से ज्यादा खराब होती है, यह स्वत्व के खिलाफ है। यह विदेशी आक्रमण जो आता है, विदेशी राज्य जो रहता है, उस में खराबी यही है कि वह धीरे-धीरे हमारे मन का जो भाव है वह उस भाव को खत्म कर देता है। कोई कहे—कि खत्म हो तो हो क्या है? लेकिन हम चाहते हैं कि हर एक का विकास हो—तो बंधन में विकास नहीं होता, विकास मुक्ति में होता है। जब मैं अपनी मातृभाषा के साथ नहीं बंध सकता, जब दूसरी भाषा रखनी पड़ती है, तो मेरा पूर्ण विकास नहीं होगा। इसलिये हर देश में स्वभाषा में व्यवहार होता है।

अब स्वभावत: यह बात जरूर आयेगी कि हमारे देश में विभिन्न भाषायें हैं, परन्तु जैसे संस्कृत हमारी सबसे पुरानी भाषा है और लिपि चाहे अलग हो, परन्तु वर्णमाला अलग नहीं है, सबका स्रोत संस्कृत है, केवल तमिल में कुछ वर्ण कम हैं, परन्तु वहां भी क-ङ, च-ञ, ट-ण, त-न, प-म, उसी वर्ण माला से हैं, तो जब एक ही स्रोत को लेकर हम इस देश में खड़े हैं, तो फिर इस में कोई कठिनाई नहीं आती है।

मेरा विरोध इससे इसलिये है कि जो विधेयक लाया गया है, उस के अन्दर कोई योजना नहीं है बातें तो हम बहुत करते हैं, प्लानिंग की बात चलती है, परन्तु स्वदेश में स्वभाषा के व्यवहार के लिये कोई निर्दिष्ट अवधि न देकर इस को बीच में ही छोड़ दिया है। इसलिये यह विधेयक स्वयं जो मूल संविधान बनाने वालों की भावनायें हैं, उन के विपरीत है, इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को वापस लिया जाए। 1963 के पहले जो हुआ है, उसमें तो खुली छुट्टी है, उस में अवधि भी बिल्कुल बांधी नहीं है, लेकिन इस विधेयक के कारण तो एक छोटा सा नागालैंड यदि पूरे भारत पर अंग्रेजी थोपने का काम करे, तो कर सकता है। गांधी जी ने साफ कहा था कि हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम अंग्रेजों

के खिलाफ हैं, इसका मतलब यह है कि हम अंग्रेजी राज्य के खिलाफ हैं। जब हम कहते है कि अंग्रेजी हटाओ, तो उसका मतलब यह नहीं है कि देश से अंग्रेजी को निकाल दो। हमारा मतलब है कि उस को सिंहासन से हटाओ, कॉलिज के स्थान पर लाइब्रेरी में बैठाओ। उसका स्थान वहीं पर रहे, हम और आप आजाद हैं, विंडो मात्र खोल कर दुनिया की तरफ क्यों देखें, हर एक के लिये वह महाद्वार खुला है, उसके द्वारा हम सब को देखें, सब के साथ व्यवहार करें, लेकिन स्व-व्यवहार के लिये हिन्दी और देश की सभी भाषाओं को लेकर चलना होगा, हमारे लिये देश की सब भाषायें एक रूप हैं, केवल सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी को स्वीकार करना होगा। हिन्दी को लोकप्रिय करने के लिये यदि हम अब तक कार्य करते तो क्या सफलता नहीं मिलती और क्या यह विधेयक लाकर हिन्दी जल्दी आयेगी? नहीं आयेगी, आपकी मंशा ठीक नहीं दिखती, 20 साल तक जिन्होंने कुछ नहीं किया, अब वे क्या करेंगे—यह कहना बहुत मुश्किल है। इसलिये हम कहते हैं कि समय निर्धारित करो, इस विधेयक से आप बंधते नहीं हैं, बल्कि यह विधेयक तो अंग्रेजी को बांधने का काम करता है, इसलिये इसको वापस लीजिये।

मैं एक बार आन्ध्र प्रदेश में प्रवास कर रहा था। वहां एक साहब मिले, वह बोले कि बढ़िया घोड़ा देखोगे? मैंने कहा चलो। मैं देखने के लिए गया। घोड़े को सामने बुलाया यह कहकर कि बेटा सामने आओ। मुझको बड़ा ताज्जुब हुआ कि वह कैसे हिन्दी बोलते हैं? फिर वह घोड़ा सामने आया तो बोले बेटा मेहमान आया है सलाम करो तो उसने गर्दन झुकाकर सलाम किया। तो मैंने पूछा कि चौधरी साहब, आप तेलुगू भाषी होते हुए घोड़े के साथ हिन्दी में कैसे बोलते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं तीर्थयात्रा पर गया था। यह घोड़ा मुझे देखने को मिला। मुझे लगा कि यह जो बताया जाता है वह करता है इसलिए मैंने खरीद लिया। घर आकर पता चला कि इसको केवल हिन्दी समझ में आती है तो मैंने यह सोचा कि अब घोड़े को तेलुगू सिखाने के बजाय मैं स्वयं हिन्दी सिख लूं तो अच्छा है। तो घोड़े को तेलुगू सिखाने के बजाय उन्होंने स्वयं हिन्दी सिखी। यानी आदमी घोड़े को प्यार करता है तो घोड़े की भाषा सिख लेता है। यदि हम भारत मां को सही अर्थों में प्यार करें तो क्या भारत की भाषा नहीं सीखेंगे?

देश में बाढ़ की स्थिति पर वक्तव्य*

अध्यक्ष महोदय, बाढ़ के विषय में पिछले सत्र में भी हम लोगों ने विचार किया था। उस समय गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र थे। उसके पश्चात् आज हम उड़ीसा, बिहार और बंगाल के क्षेत्र में जो बाढ़ आ गई उस पर विचार कर रहे हैं। यह जो सदन के पटल पर रखा गया है उसमें इस बात को स्वीकार किया गया है कि 20 साल में इस साल जैसी बाढ़ आई वैसी बाढ़ कभी नहीं आई थी। दि फ्लड्स वेयर अनप्रैसिडेंटेड। किन्तु अपने देश के अन्दर जो बाढ़ आती है वह एक ही तरह की नहीं है काश्मीर में कभी-कभी क्लाउड बर्स्ट के कारण बाढ़ आती है। राजस्थान में घग्घर के कारण बाढ़ आ गई। महाराष्ट्र में तापी, गिरना के कारण और गुजरात में नर्मदा और ताप्ती के कारण बाढ़ आ गई। इधर केरल और मैसूर में सी-ईरोज़न जो होता चला जा रहा है उस के कारण भी उत्तर केरल इस साल अफेक्टेड रहा है और जो जलपाईगुड़ी में हुआ वह तो भयानक ही है। इसका और भी एक कारण पिछले कुछ सालों से जो हो रहा है वह शासन योजना के नाम पर जो बांध बनवा रहा है उनके टूटने के कारण भी यह बाढ़ आ रही है। जैसे पूना में पानक्षेत्र बांध टूटने के कारण और उत्तर प्रदेश में नानक सागर बांध टूटने के कारण बाढ़ आ गई थी। इसलिए जब बाढ़ पर विचार करेंगे तो इसको तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक तो बाढ़ पूर्व, दूसरा बाढ़ के समय और तीसरा बाढ़ के बाद, इन तीनों का विचार होना बहुत आवश्यक है। जब हम यह विचार करेंगे तो देखेंगे कि बाढ़ के पूर्व जो एक चेतावनी जनता को मिलनी चाहिए वह कहीं भी नहीं मिली। यानी इसमें एक बिलकुल समानता दिखाई देती है। पानक्षेत्र का जो बांध टूट गया, 12 जुलाई 1961 के दिन का जो अखबार है उसको निकाल कर देंखे तो उसमें बैनर है कि बाढ़ का कोई खतरा नहीं। मतलब कि वहां का अधिकारी कोई ठीक सूचना उन लोगों को नहीं दे पाया। सूरत में मैं स्वयं गया था और वहां के लोगों ने सबूत भी दिया कि सूरत के कलेक्टर को 36 घंटे पहले, नदी का पानी बढ़ रहा है यह सूचना मिली हुई थी। हर 20 मिनट में एक फुट पानी बढ़ रहा है यह सूचना 4 तारीख शाम को 5 बजे मिल गई थी। प्रत्यक्ष बाढ़ का पानी सूरत के अन्दर घुस गया। 6 तारीख दोपहर 11 बजे, तब तक कोई भी कार्यवाही वहां नहीं की गई थी। मैं स्वयं जलपाईगुड़ी गया था और मैं सिलिगुड़ी किशनगंज पहुंच गया था। वहां देखा कि 4 तारीख को नदी का पानी आया। 5 तारीख को पूरा गांव पानी में रहा। 60 हजार का सारा शहर श्मशान जैसे बन गया था। 6 तारीख शाम को मैं पहुंचा और एक वकील से जब मैंने पूछा कि

* उपरोक्त विषय पर चर्चा में भाग लेते हुए।
लोक सभा वाद-विवाद, 18 नवम्बर 1968, cc 283-92 ।

"What is the local administration doing? Is it functioning?" The vakil replied, "Mr. Jagannath Rao Joshi, the administration does not function normally, and in an emergency it fails."

जलपाईगुड़ी में एक सेफ्टी माचिस भी नहीं थी। केवल पेयजल का पानी ही नहीं, कहां क्या-क्या हुआ है यह देखने के लिए सेफ्टी माचिस तक सिलीगुड़ी में ले जानी पड़ी। यह हालत हर जगह होती है। जबकि बाढ़ आती है।

इसकी सूचना अगर पहले से मिल जाए तो जनता कुछ न कुछ बचाव कर सकती है। सूरत में मैंने स्वयं एक कारखाना देखा। तीस-तीस हजार की मशीनें लगी हुईं सब 24 घंटे पानी के अन्दर रहीं। उन्होंने कहा कि मेरी स्वयं की हानि 51 लाख रुपये से ज्यादा हुई है। उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा पहले सूचना हो जाती तो यहां कपड़ा होता है उसको कहीं न कहीं ऊपर रखवा देता । किन्तु कहीं कुछ नहीं हो सका। जब पानी आता है तो एकदम सिर के ऊपर से ही चला जाता है। पूना में मुझसे एक आदमी ने कहा कि यह शासन भी अल्लाह जैसा है कि देता नहीं, देता नहीं और जब देने लगता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। जब पानी आता है तो घर बहा कर चला जाता है, खेतों को उजाड़ कर चला जाता है। एक तरफ जब हम पानी की समस्या को डिसकस करते हैं, पानी के बंटवारे में जब एकता नहीं हो पाती ऐसी स्थिति में बाढ़ पूर्व की कोई बात करे, तो उसकी जानकारी, उसकी सूचना जिन-जिन क्षेत्रों को मिलनी चाहिए, वह भी हम नहीं दे पाते। यह सूचना उनको पहले से मिलनी चाहिए।

फिर दूसरा सवाल आता है बाढ़ के समय हम क्या करें? सूरत में मैंने एक बुजुर्ग आदमी से पूछा तो उन्होंने कहा कि सूरत में बाढ़ कोई नई चीज नहीं है। किन्तु जब अंग्रेज कलेक्टर रहता था, तब बाढ़ आती थी, पीपुल वेयर मैरून्ड, तो कलेक्टर स्वयं एक छोटी-सी नाव में बैठ कर वहां तक पहुंचता था और लोगों को राहत पहुंचाता था। जबकि इस साल बिहार में क्या हुआ? बिहार में बाढ़ आ रही थी, कई घंटों से आ रही थी, सूचना मिल रही थी लेकिन वहां के राज्यपाल महोदय, बताने के बाद भी और लोगों के कहने के बाद भी बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र का दौरा करने के लिए नहीं गए। लोगों को यह बात बहुत चुभती है कि एक पराया अंग्रेज कलेक्टर जब छोटी-सी नाव में बैठ कर लोगों से मिलने के लिए स्वयं अपनी जान खतरे में डाल कर जाता है तो आज आजादी के बाद जबकि अपना राज है, हमारे राज्यपाल कहने पर भी नहीं जाते और इतने ही नहीं, हमारे बड़े-बड़े लोग भी जाते हैं तो हैलीकॉप्टर में बैठ कर ऊपर-ऊपर चले जाते हैं; लोगों को यह बात चुभती है। सर्वस्व हारा हो कर लोग चाहते है कि हमारा कोई आदमी आए, हमको गले मिलाए, हमारे आंसू पोंछे, ऐसी सूरत में हम हवाई जहाज में ऊपर ही ऊपर से घूमते रहे तो जनता इसको बिल्कुल पसन्द नहीं करेगी।

जलपाईगुड़ी में जो हानि हुई, यह जो सदन के पटल पर वक्तव्य रखा है, इस में एक चीज नहीं है। वहां सेना की दो कम्पनियां गायब हैं। कहां तक वहां हानि हुई है इसका अन्दाजा नहीं है। यहां जो हानि के आंकड़े दिए है यह बहुत कम हैं। बंगाल प्रदेश कांग्रेस के सदस्य स्वयं मिस्टर सेन ने स्वीकार किया कि कई हजार लोग इसमें मरे हैं.....

इसमें 1754 दिया हुआ है। जब स्वयं सेन महोदय कहते हैं कि 20-25 हजार आदमी मर गए तो उससे यह मालूम हो जाता है कि हानि के जो आंकड़े दिए हैं जहां पर, चाहे रुपये-पैसे की हो, चाहे जान की हो, यह हानि के आंकड़े बहुत कम हैं।

तो प्रत्यक्ष भी जब बाढ़ आ जाती है तब उसका मुकाबला करने के लिए सरकार के पास कोई साधन नहीं है। मैंने सूरत में पूछा कि जैसे फायर फाइटर होते हैं फायर कंट्रोल के लिए, ऐसे ही फ्लड कंट्रोल के लिए कोई साधन हैं या नहीं, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई साधन नहीं हैं। जहां स्वाभाविक रूप से बाढ़ आती है, जैसे ब्रह्मपुत्र की बाढ़ कोई नई नहीं है, कोसी की बाढ़ कोई नई नहीं है, नर्मदा की और ताप्ती की बाढ़ कोई नई नहीं है, जहां-जहां यह बाढ़ आती है वहां लोगों को अपने सहारे छोड़ देना या भगवान के सहारे छोड़ देना ठीक नहीं है। इन स्थानों पर बाढ़ का मुकाबला करने के लिए भी नगरपालिका या कारपोरेशन के पास साधन होना चाहिए। लेकिन वह भी कही नहीं रहा। सूरत में अहमदाबाद और बाम्बे दोनों तरफ का रास्ता टूट गया था। मुझको स्वयं पैदल चल कर जाना पड़ा। मैं किशनगंज से सिलीगुड़ी पहुंच भी नहीं पाया। इस समय रेलवे मंत्री महोदय यहां नहीं है, मैं उन्हें भी एक बात बताना चाहता था। मैं स्वयं जिस गाड़ी से जा रहा था, मालदा से निकल गया, 4 तारीख को यह गाड़ी रुक गई और कोई भी ऐसी स्थिति में वहां नहीं था जो बता सकता कि इस गाड़ी का अब क्या होगा? आगे जायेगी या पीछे जायेगी? 36 घंटे बैठने के बाद भी स्टेशन का अधिकारी नहीं बता सका कि गाड़ी आगे कब जायेगी। यहां हमें किसी को कुछ पता नहीं और वहां सिलीगुड़ी में कार्यकर्ता पूछ रहे थे कि गाड़ी कहां खड़ी है, कब आयेगी? वहां का स्टेशन मास्टर उनको कुछ नहीं बता सका कि गाड़ी कब आएगी। इधर किशनगंज का स्टेशन मास्टर कहता था कि गाड़ी कब जायेगी यह मुझे पता नहीं। रेलवे मंत्री या शासन के जो दूसरे अंग है उनसे मैं यह कहना चाहता हूं कि उस समय कोई राजनीति बीच में आकर खड़ी नहीं हो सकती। उस समय सब को साथ लेना पड़ता है और मुझे बड़ा आश्चर्य और आनंद भी हुआ जब मैं वहां गया सिलीगुड़ी में तो वहां हमारे सारे कार्यकर्ता कोई भी वहां का कार्यक्रम न रखते हुए, सब जलपाईगुड़ी पहुंचे हुए थे। किन्तु मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि सिलीगुड़ी स्वयं एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है किन्तु 5 तारीख को पूरा जलपाईगुड़ी पानी में रहा, न 5 तारीख को उसकी खबर दी गई, न 6 की सुबह दी गई न 6 की रात को दी गई, न 7 को सुबह दी गई। आल इंडिया रेडियो का जहां केन्द्र है तथा सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी से 29-30 मील के फासले पर है, कोई सूचना प्रसारित नहीं हुई। तारीख 6 की सुबह से ट्रकों पर लोगों को ले जाया जाता था, उनको राहत का सामान पहुंचाया जाता था, क्या सिलीगुड़ी केन्द्र से यह सूचना नहीं दी जा सकती थी। तारीख 7 सुबह को मैंने स्वयं देखा कि कोई सूचना सिलीगुड़ी केन्द्र से नहीं दी गई। आज रेडियो हमारे हाथ में एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा लोगों को सूचना पहुंचाई जा सकती थी, लेकिन वह भी हम लोगों ने नहीं किया।

अब प्रश्न आता है- बाढ़ के बाद क्या करें? यह बहुत महत्व का काम होता है क्योंकि उस समय सारा जीवन ध्वस्त हुआ होता है। जैसे नारियल का वर्णन किया, हवा का झोंका आया, नारियल के सारे पेड़ जो तम्बू की तरह खड़े होते हैं, कहीं-कहीं धराशायी हो जाते हैं।

दो साल पहले माननीय मंत्री को पता होगा- रत्नागिरी क्षेत्र में मैंने स्वयं देखा—एक-एक घर में जितने पेड़ थे सब धराशायी हो गये थे। उस समय मेरे मित्र ने कहा—बाप की कमाई खत्म हो गई, अब आगे आपकी कमाई चालू होगी। कहीं बाढ़ के रूप में, कहीं सूखे के रूप में या किसी और रूप में जब भी कोई संकट आता है, संकटों का सामना करने के लिए जो योजना चाहिये, वह योजना आज के शासन के पास नहीं है। तारीख 5, 6, 7 से लेकर 10 तक, जैसा अभी हमारे माननीय सदस्यों ने कहा—कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर फंक्शन नहीं कर रहा था। जैसे मेरे साम्यवादी मित्र कहते हैं—विदरिंग अवे ऑफ दी स्टेट इन—वेस्ट बंगाल—कम से कम जलपाईगुड़ी में वैसा ही हुआ—व्यावहारिक रूप में वहां पर कोई स्टेट फंक्शन ही नहीं कर रही थी, वहां पर कोई स्टेट नहीं थी, जनता और सरकार सो रही थी। सरकार को सचेत हो कर ऐसे समय पर आगे आना चाहिये था, लेकिन वैसा नहीं हुआ।

बाढ़ के बाद सब से पहली चीज़ जो सामने आती है—वह है एपिडैमिक। उसको रोकने के लिये दवाइयों की जरूरत होती है, किसान के सामने समस्या आती है—बीज की और तीसरी सामान्य आदमियों के सामने समस्या आती है—घर की, घर को फिर से खड़ा किया जाए। इसके लिये पैसा, राहत और बीज की व्यवस्था करना बहुत जरूरी हो जाता है। यह काम बहुत महत्व का काम हो जाता है, इस दृष्टि से यहां हानि के जो आंकड़े दिये हुए हैं और शासन जो प्रत्यक्ष देता है—उसमें बहुत बड़ा अन्तर है। यह देख कर ऐसा लगाता है कि वास्तव में बाढ़ के कारण जब इतने करोड़ की हानि होती है तो कम-से-कम मैं डॉ. के.एल. राव साहब से प्रार्थना करना चाहता हूं, जब कि वे स्वयं इस तन्त्र के जानकार हैं, इस विषय के विशेषज्ञ हैं, कम से कम उन के कार्यकाल में भारत के अन्दर बाढ़ पर नियन्त्रण करने की दृष्टि से स्थायी रूप से योजना बनाना बहुत आवश्यक है।

इस सभा पटल पर जो चीजें रखी है, उस के आखिर में उन्होंने कहा है कि राज्य स्तर पर एक कमेटी बनी हुई है, मैं कहना चाहता हूं कि राज्य स्तर की समिति काम नहीं कर सकेगी, इसके लिये केन्द्र स्तर पर समिति का गठन करना होगा। आज काश्मीर से लेकर केरल तक बाढ़ किस-किस रूप में आती है—इस दृष्टि से आपको सारा अन्दाजा लगाना होगा और कुछ मौखिक कदम उठाने होंगे। इसी दृष्टि से मैं भी कुछ महत्व के सुझाव आपके सामने रख रहा हूं। 20 साल पहले ऐसी बाढ़ें नहीं आती थीं, आज क्यों आती है? इसका मूल कारण यह है कि पिछले 20 सालों से अन्धाधुंध हम वन की हानि करते चले जा रहे हैं। एफोरेस्टेशन का नारा दिया जाता है किन्तु कटे हुए पेड़ के स्थान पर दूसरा पौधा नहीं लगाया जाता। इसके कारण भयानक सॉयल-इरोज़न होता चला जा रहा है, इसी के कारण नदियों का धरातल दिन-प्रति-दिन बढ़ता चला जा रहा है। 70 करोड़ रुपये की हानि शासन ने स्वीकार की है परन्तु वास्तव में पता नहीं कितनी हानि हुई होगी। यदि सरकार विधायक रूप में पैसा खर्च करके पेड़ों को लगाये, ड्रेजिंग करके नदियों को गहराई तक लाया जाए तो आगे चल कर ऐसी बाढ़ न आये ऐसा हो सकता है।

कोसी और ब्रह्मपुत्र का जो मामला है, उसके बारे में स्वयं डॉ. के.एल. राव ने कहा है किन्तु बिहार की जनता आज बहुत तड़पती है। वहां पर बार-बार यही कहा जाता है कि कोसी हमारे प्रदेश में बहती है, यदि अन्य किसी प्रदेश में बहती होती तो इसके संकटों के पूर्व ही

इसका कोई इन्तजाम हो गया होता। बिहार की जनता के मन में यह जो भाव है, इस भाव को निकालने की कोशिश यह शासन करे—यही मैं चाहता हूं।

दूसरी बात—वहां वन हानि के कारण सॉयल-इरोज़न हुआ है, वहां हम यदि कोई रास्ते बनाते हैं, कोई रेलवे लाइन ले जाते हैं, उस समय स्वाभाविक रूप से पानी का बहाव कहां है—इसका बिलकुल विचार नहीं करते हुए, जैसे एक दूसरे का कोई कोऑरडिनेशन नहीं है, काम करते चले जाते हैं, जिसके कारण पानी रुका रहता है और फिर उसका भयंकर परिणाम निकलता है। मैंगलोर हार्बर प्रोजेक्ट के बारे में जो सूचना आपने दी है, उसमें आपने स्वयं बताया है कि मैंगलोर हार्बर प्रोजेक्ट के लिये जो वैकमपाड़ी केनाल बनाई है, उसके कारण फ्लड आ गया, पानी खड़ा रहा और उसके बाद सैकड़ों एकड़ भूमि में हानि हुई यानी मैंगलोर हार्बर प्रोजेक्ट के लिये केनाल बनाते समय ध्यान नहीं रखा गया लेकिन जब वह सारा पानी समुद्र में जाये, इस दृष्टि से एक जगह तोड़ा गया तब उस पानी में रिसेशन हुआ। जो भी रास्ते हम बनाएं—पी.डब्ल्यू.डी. की दृष्टि से या रेलवे की दृष्टि से—उस समय कल्वर्टस की व्यवस्था, नैसर्गिक बहाव को चैनेलाइज करने का प्रयत्न करना आवश्यक है।

तीसरी बात—यहां पर पानी के मामले बहुत ही गड़बड़ी में पड़े हुए हैं। कृष्णा, नर्मदा और तापी पर जो बांध बनने चाहिये, वे बिना झगड़े के बनने चाहिये। हमने यहां पर कानून पास किया है कि ऐसे जल-विवादों को जल्द से जल्द हल किया जाए। यदि वास्तव में हम जल्द से जल्द बांध बना दें तो बाढ़ के पानी को रोकने का बहुत अच्छा तरीका निकल सकता है। इसी संदर्भ में एक और सूचना भी मुझे देनी है। यह एक बहुत पुरानी बात है—गंगा और कावेरी को जोड़ने की योजना। मैं समझता हूं कि इसको नजरअन्दाज नहीं करना चाहिये—जब-जब ऐसा प्रवाह आयेगा, बाढ़ आयेगी, उस पानी को उधर चैनेलाइज किया जा सकता है। यदि हम उस पानी को उधर छोड़ने की व्यवस्था करें तो बाढ़ के पानी पर नियन्त्रण रखने की व्यवस्था हो सकती है।

अब जलपाईगुड़ी के बारे में एक बात और कह कर समाप्त करता हूं। मुझे वहां पर लोग यह कहते सुनाई दिये कि इस साल तीस्ता में जो इतनी भयानक बाढ़ आई है, यह कोई देवी प्रकोप होगा, ऐसी बात नहीं है इसके पीछे और भी कारण हो सकता है। लोगों के मन में यह शंका भरी हुई है— वे समझते हैं कि चीनियों ने सिक्किम, भूटान की ओर पहाड़ों के दर्रों में पानी को तालाबों के रूप में रोका और उसको जान-बूझ कर बांध तोड़ कर छोड़ा होगा, जिसके कारण इतनी भयंकर बाढ़ आई। मैं चाहता हूं कि इस समस्या पर भी शासन ध्यान दे तथा इसकी जांच करे कि यह बात कहां तक सही है। आखिर यहां प्रजातन्त्र होने के नाते उसके प्रतिनिधि के रूप में उसकी भावनाओं को प्रकट करने के लिये हम यहां पर आये हैं— यह भावना गलत है या सही है, शासन गहराई से विचार करके स्थिति को स्पष्ट करे। मैं चाहता हूं कि शासन एक स्थायी आयोग की नियुक्ति करे जो इस बात का अध्ययन करे कि बाढ़ कैसे-कैसे आती है, इस सारी समस्या पर पूर्णरूप से विचार करके बाढ़ को एकदम काबू में लाने की दृष्टि से शीघ्र कदम उठाये जायें—यही मेरी शासन से प्रार्थना है।

देश में साम्प्रदायिक स्थिति पर वक्तव्य*

सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान गम्भीर बात की ओर मुझे खींचना है। इस सदन में भी एकदम गम्भीर मामला आ गया। वास्तव में जो भी साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं, पहले हुए हों या आज हुए हैं, इससे किसी देश की शोभा नहीं बढ़ती। यह केवल दु:ख की बात नहीं है, शर्म की भी है। क्योंकि आखिर सब एक देश के हैं। तो जो झगड़ा आपसी होता है उससे नुकसान पूरे देश का होता है। जैसे किसी आदमी की दो पत्नियां थी, उन्होंने सेवा के लिये आपस में एक-एक पांव बांट लिया था। एक दिन एक की अनुपस्थिति में एक ही पत्नी ने दोनों पांव दबाये, दूसरे दिन जब दूसरी पत्नी को पता चला कि मेरा पैर पहली ने दबाया था तो उसने उस पैर को पत्थर से मारा, यह देख कर दूसरी ने डंडे से मारा। पति ने कहा कि तुम्हारे झगड़े में मैं मर रहा हूं। तो झगड़ा किसमें होता है यह सवाल नहीं है। भारत का नुकसान होता है इसको नहीं भूलना चाहिये। इसलिये इसके पीछे क्या कारण हैं, उनको हम कैसे निकाल सकते हैं इसको देखना आवश्यक है। किन्तु दु:ख की बात है कि इसमें, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसी राजनीति घसीटी जा रही है।

अहमदाबाद में जो कुछ हुआ वह क्या है, उसके पीछे क्या था यह सब जो एक वहां पर कमेटी बैठी है इन्क्वायरी करने के लिये उससे पता लग जाएगा। किंतु जानबूझकर यह प्रचार करना कि श्री हितेन्द्र देसाई की सरकार को गिराने के लिये या इन्दिरा जी की सरकार को गिराने के लिये यह सारा मामला चला है इससे जो दु:ख है वहां हम नहीं पहुंचते। इसमें जनसंघ को भी काफी घसीटा गया। यहां माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि श्री बलराज मधोक ने भाषण दिया इसके कारण कुछ हुआ। अब वह दिल्ली में रहते हैं, हमेशा भाषण देते हैं तो केवल एक आदमी के भाषण से यह हुआ मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं। जो वाराणसी में हुआ मैं तो समझता हूं कि जिनको होश है वह स्वप्न में भी नहीं सोचेंगे कि बादशाह खां वहां गये इसलिये यह हुआ।

जो वास्तव में देश के अन्दर सामन्जस्य निर्माण करने के लिये आया हुआ है और उनका दो दिन पहले कार्यक्रम होता है और उनके कार्यक्रम को धब्बा लगाने वाली चीज यदि होती है तो यह सभी के लिये एक गम्भीर मामला है कि इसके पीछे कोई ऐसे तत्व हैं जो यह नहीं चाहते कि बादशाह खां सामन्जस्य प्रस्थापित करें, आगे चलकर हम एक साथ रहें, यही नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ भी यदि हम एक पड़ोसी के नाते प्यार, प्रेम और सम्मान से रहना चाहते हैं तो यह देश के अन्दर क्यों होता है? यदि हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? इसलिये

* उपरोक्त प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए।
लोक सभा वाद-विवाद, 4 दिसम्बर 1969, cc 299-320।

केवल इधर-उधर की राजनीति लाने से लाभ नहीं है। मुझे हँसी आई जो "ब्लिट्ज" अखबार निकलता है उसमें मुझको भी घसीटा है, और मैं गृह मंत्री जी का ध्यान इसलिए दिलाना चाहता हूँ, ऊपर का कैप्शन है

Gujarat riots to discredit PM

और इसके अन्दर है जो चह्वाण जी को नोट करना चाहिये।

"Oddly enough, though the trouble began on September 18..."

Actually the trouble began on 19th—

".... the California News Bulletin broadcast on September 17 Claimed 1,500 persons were killed in rioting in Gujarat."

यह आगे की जरा मजेदार बात है:

"And coincidentally, it is said, *Jana Sangh* General Secretary, Shri Jagannath Rao secretly flew down to Ahmedabad straight—from where—from California on September 17."

आखिर झूठ की भी कोई हद होती है। मैं 17 सितम्बर को दिल्ली में था। हमारे संसद अधिकरण की बैठक थी। उसकी रिपोर्ट दूसरे दिन अखबार में आई थी। वास्तव में ऐसे जो अखबार चलाते हैं क्या उसकी ओर उनका ध्यान गया है? 17 तारीख की केलिफोर्निया बुलेटिन इसको प्रकट करता है कि गुजरात रायट्स में 1500 वेअर किल्ड। आखिर उकसाने की भी कोई हद होती है। अगर ऐसी ही बातों पर यहां चर्चा होगी तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती। इसके दो पहलू होते हैं। वास्तव में वहां कमेटी बैठी हुई है यह देखने के लिये कि कितने मरे। मैं श्री चह्वाण से इस बात में सहमत हूं कि कुछ भी हो, इस तरह से गलत आंकड़े देना ठीक नहीं है। जब तक कमेटी बैठी हुई है और वह अपने निष्कर्ष न निकाले उसके पूर्व कहते जाना कि इतने मरे, इतने नहीं, इससे किसी को लाभ होने वाला नहीं है।

आप देश में तनाव की स्थिति को खत्म करना चाहते हैं। तनाव की स्थिति केवल सम्प्रदाय में नहीं होती। आज कांग्रेस में दो सम्प्रदाय पैदा हुए हैं और वहां साम्प्रदायिक तनाव पैदा हुआ है। इसी देश में दिल्ली में अखबार वालों ने बतलाया कि डॉ. राम सुभग सिंह और श्री पुनाचा के घर के सामने पुलिस वालों को रखना पड़ा। यह दिल्ली की रिपोर्ट है। यह क्यों? कांग्रेस अध्यक्ष श्री निजलिंगप्पा की कोई कार रोके? आप उनसे सहमत नहीं हो सकते। हम भी नहीं हो सकते। मैं उनका क्रिटिक रहा हूँ, किन्तु क्या इसका यह मतलब होता है कि किसी को जाने न दिया जाए, किसी को रेजोल्यूशन न पास करने दिया जाए? उसके घर के सामने निदर्शन- प्रदर्शन किया जाए?

साम्प्रदायिक तनाव में ही राजनीतिक साम्प्रदायवाद भी बहुत कठिन होता चला जा रहा है। यहां हमारे संसद् सदस्य बैठे हैं उधर के। मैंने कांग्रेस के जन्तर-मन्तर रोड के दफ्तर के बारे में उनके शब्दों को पढ़ा कि संघ के कोई स्वयं-सेवक सेवादल की यूनिफॉर्म पहन कर गश्त लगाते

हैं। यह कोई तरीका है? अगर आपको विरोध करना है तो जरूर कीजिये। हम पार्लियामेंट में पहुंचे हैं, यहां मौजूद हैं, तो यहां पर बात का जिक्र हो सकता है और पता लगाया जा सकता है दोषी कोई भी क्यों न हो, उसको सजा मिलनी चाहिये। किन्तु आज सारे मामले को लाइटली लिया जाता है।

आज जो वायोलेंस होती है उसके दो मुख्य कारण हैं। श्री चह्वाण समझ लें। देश में आजादी मिलते ही वायोलेंस प्रारम्भ हुई, बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में हुई है। किस कारण हुई, यह बात अलग है नेशनल इंटेग्रेशन कमेटी ने जो निर्णय लिया है उसको आप देखिये तो पता चल जायेगा। हमे सही बात का पता नहीं होता और देश में किसी भी बात पर तनावपूर्ण वातावरण पैदा कर दिया जाता है। तनावपूर्ण स्थिति पैदा करना किसी को भी आता है। डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी की रहस्यमय मृत्यु काश्मीर जेल में हुई। हमने बार-बार मांग की, इस सदन में भी मांग हुई कि उसकी जांच होनी चाहिये, लेकिन आज तक नहीं हुई। क्या हम इस पर हंगामा खड़ा नहीं कर सकते हमारे नेता दीन दयाल उपाध्याय की हत्या आज भी रहस्यमय है।

आखिर तनाव जब होता है तो दोनों तरफ से होता है। इसलिये बतलाना चाहता हूं कि केवल एक गुट हो दो गुट हों, इसका मतलब यह नहीं होता तनावपूर्ण वातावरण रहे। राजधानी दिल्ली के अन्दर रहे। डॉ. राम सुभग सिंह के घर के सामने रहे, दूसरे लोगों के घर के सामने रहे और उसके बारे में हमारा और आपका यहां झगड़ा हो तो फिर क्या होगा। आपस में झगड़ा करते समय यदि इतना तनाव पैदा होता है, निदर्शन-प्रदर्शन होता है, धक्कम-धक्का होता है, कोई जाकर स्टिअरिंग पकड़ लेता है, क्या यही डिमोक्रेसी है? क्या इसी को प्रजातन्त्र बोलेंगे? प्रजातन्त्र में मतभेद की गुंजाइश होती है, किन्तु मतभेद को किसी के सामने रखने का भी एक तरीका होता है। इसलिये आज हम बड़ी गम्भीरता से सोचें कि देश में जो हुआ है उसके, जैसा मैंने कहा, दो मुख्य पहलू हैं एक पहलू है विभाजन के पूर्व का और दूसरा पहलू है विभाजन के बाद का। मैं श्री चह्वाण को बतलाना चाहता हूं, उस समय श्री चह्वाण का जन्म तक नहीं हुआ था, जब महाराष्ट्र में यवला में 1893 में साम्प्रदायिक दंगे हुए थे। उस समय न संघ था और न जन संघ था। किन्तु पहले यहां जो झगड़े होते थे उनका एक कारण था, जो श्री मोरारजी देसाई ने बतलाया है। मुझे खुशी हुई कि इधर आते ही श्री मोरारजी देसाई ने ऐसा भाषण दिया जो हमारे दिल को अच्छा लगा। जो भी कांग्रेस का नेता अधिकार छोड़ देता है वह बिल्कुल यही भाषण बोलता है। यह हमारा आज तक का अनुभव रहा है। चह्वाण साहब भी अगर कहीं सिंडीकेट में फंस कर इधर चले आते तो वह भी ऐसी ही बात बोलते, यह हम जानते हैं।

विभाजन से पहले जब दंगे होते थे, तनाव होता था तो उसमें एक सबसे बड़ी बात यह होती थी कि यहां के मुसलमान यहां रह नहीं सकते। इस आधार पर यह सब चलता था। जगह जगह ऐसे कनफ्रंटेशन पैदा करने की कोशिश की गई। 1923 में काकीनाडा कांग्रेस में सबसे पहली बार वन्दे मातरम् को गाये जाने से रोका गया। इसलिए रोका गया कि यहां के मुसलमान कहते थे कि इसमें दुर्गा-देवी का वर्णन है। त्वम् हि दुर्गा दशप्रहरण धारिणी, यह जो उसमें है यह उनको मंजूर नहीं था। इसलिए इंटिग्रेशन, एसिमिलेशन, आइडेंटिफिकेशन आदि करने की जो बात उसको

लगातार 1920 से 1947 तक नहीं किया गया। आप डॉ. राधाकृष्णन जो हमारे भूतपूर्व श्रद्धे राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनकी किताब को पढ़े। अपनी किताब में उन्होंने स्वीकार किया है:

> After all, if tomorrow there is going to be a world Government, who will provide the nucleus, if not India?

धर्म को सही मायनों में हमने पहचाना है। इसलिए देश के अन्दर कई पन्थ, उपपन्थ मानने वाले लोग हैं और रहेंगे। कोई कल को जाकर क्या यह कहेगा कि मूर्ति पूजा चूंकि इस्लाम नहीं करता है, ईसाई इसमें विश्वास नहीं करते हैं, इस वास्ते यह नहीं होनी चाहिये? लेकिन यहां आर्य समाजी हैं। सिख समाज है जो अपने-अपने विश्वासों के आधार पर चलते हैं। सिख अपने सम्प्रदाय के अनुसार गुरुद्वारे में जाते हैं और ग्रन्थ साहब की उपासना करते हैं। आर्य समाज यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। दोनों ही मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए आदिगुरु शंकराचार्य ने समग्र देश का भ्रमण करके चारों दिशाओं में मठों की स्थापना की थी। उस समय कई पन्थ देश में प्रचलित थे, शिव, विष्णु, शक्ति, गणपति, सूर्य की पूजा उपासना हुआ करती थी। तब उन्होंने कहा:

आकाशात् पतितम् तोयम् यथा गच्छति सागरम् सर्वदेव नमस्कारम् केशवम् प्रतिगच्छति।

किसी भी देव की पूजा करें इसमें अन्तर नहीं आता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि पंचायतन ही न रहते अष्टायतन् नवायतन करने की जरूरत है। किसी पर भी रोक लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहां आपके मस्तक पर धर्म चक्र प्रवर्तनाय लिखा है। मैं इस धर्म को लेकर चलता हूं। वह धर्म क्या है इसको ट्रैजरी बैंचिज वाले बतायें। इन्होने इसको यहां लगाया है, मैंने नहीं लगाया है। किन्तु हमारा धर्म यही कहता है कि पत्नी की भी धर्मेच, अर्थेच, कामेच, हम जिम्मेदारी लेते हैं लेकिन जहां तक मोक्ष का सम्बन्ध है हम उसके साथ भी कोई जबर्दस्ती नहीं कर सकते हैं। इन तीन बातों के लिए जिम्मेदार हैं, मोक्ष के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। पत्नी पर भी जो धर्म किसी प्रकार की जबर्दस्ती नहीं करना चाहता वह क्या किसी दूसरे पन्थ पर करेगा? क्यों करेगा? क्या जरूरत है?

इस देश में रामकृष्ण परमहंस पैदा हुए और उन्होंने अपने विश्वासों के अनुसार साधना करके भगवान की प्राप्ति की। उन्होंने ईसाई पंथ के अनुसार साधना करके भगवान की प्राप्ति की उन्होंने मुसलमान पन्थ के अनुसार साधना करके भगवान की प्राप्ति की। किन्तु यह कौन कर सकता है? इस देश के धर्म में जो विश्वास करता है, वही कर सकता है। भगवान सब तरफ है, हर एक के दिल में है। इस बात को अगर ले कर हम चलते हैं तो झगड़े की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती है।

वास्तव में क्या होता है? आप लोगों ने भी स्वीकार किया है कि जब अंग्रेज यहां थे तब उन्होंने जो भेद था, उसको उकसाकर लाभ उठाया। उसके पीछे एक राजनीति थी। किन्तु झगड़े किस-किस बात को लेकर होते थे। उसमें एक मंदिर है, दूसरे मस्जिद के सामने बाजे बजाना है, तीसरे होली के दिन रंग का इस्तेमाल है और चौथे गाय है। इन बातों को लेकर होते थे। आखिर सामंजस्य की प्रस्थापना करनी पड़ती है। यह सामंजस्य इस देश में प्रस्थापित नहीं किया

गया है। हमारे देश की तो यह महत्ता है कि इस देश के अन्दर कई भाषायें चलती हैं। तुंचत्तु एड़त्तन ने मलयालम में अपनी रचनायें लिखीं, तुलसीदास ने अवधी में, त्यागराज ने तेलुगू में। हमारा कम्ब तमिल में लिखेगा, थिरुवल्लार तमिल में लिखेगा। भाषा का सवाल नहीं आता है। भाषा के पीछे "चतुर्विध पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष" की ही कल्पना आती है, दूसरे पंथों में नाम चाहे अलग हों। इसी कारण हिन्दुस्तान में आप को रामायण की कई प्रतियां मिलेंगी। झगड़ा इस पर नहीं हो सकता है, क्योंकि लिखने वाले द्वैत के पीछे-पीछे हुए अद्वैत के आधार पर यह देश खड़ा है।

इस देश में सहस्त्रदल कमल होता है, मगर उसकी पंखुड़ियां अलग-अलग होने से उसकी खुशबू अलग-अलग नहीं है—पंखुड़ियां भिन्न-भिन्न होने के बावजूद खुशबू एक ही होती है। इस देश में पंथ कई हैं, परमात्मा एक है। भाषा कई हैं, भाव एक है। देखने वाली आंखें दो हैं, दिखाई देता एक है। सुनने वाले कान दो हैं, सुनाई देता एक है। हाथ दो हैं, कृति एक है। पांव दो हैं गति एक है। इसमें अन्तर नहीं आता। यह द्वैत ऊपर ही ऊपर होता है।

यहां खाने के कई रिवाज हैं कोई इडली खाता है, कोई पूरी खाता है, कोई दोसा खाता है और कोई चावल खाता है। इस से कोई अन्तर नहीं होता है। "अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाँ देहमाश्रित्:, प्राणापान-समायुक्त: पचाम्यन्न चतुर्विधम्"। दुनिया में कई अग्नियां हैं: दावाग्नि, जटराग्नि वाडवाग्नि। अग्नि के बिना जीवन नहीं चल सकता है। मेरे अन्तर में जो अग्नि जल रही है वैश्वानर के रूप में, उस को तृप्त करने के लिए समिधा के रूप में मैं खाता हूं। तब क्या खाता हूं, यह सवाल नहीं आता है; तब क्यों खाता हूं, यह सवाल आता है। यदि भगवान के मन्दिर के रूप में इस देह को समझ कर हम सारे जीवन को चरितार्थ करने की कोशिश करते हैं, तो झगड़े की कोई बात नहीं है।

जिस देश में हमने जन्म लिया है, उसमें टॉलरेंस का हमेशा स्थान रहा है। यह टॉलरेंस क्यों आता है? टु नो ऑल इज टु फ़ॉरगिव ऑल। इसलिए वास्तव में बुद्ध भगवान का विचार सबसे पहला डेविएशन था। यहां कोई किसी को हिन्दू बनाने नहीं जाता है।

शृंगेरी के पुराने शंकराचार्य-वर्तमान शंकराचार्य के गुरु के पास एक अमरीकन सज्जन आया था। उन्होंने कहा कि मुझे हिन्दू होना है। शंकराचार्य ने कहा कि मुझे तीन बातें बताइये: पहली, आप कहते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूं, उसका मतलब क्या है, यह समझने की कोशिश कीजिए; दूसरे, इस जन्म में आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, वह देखिये और तीसरे, क्रिश्चियन रहते हुए भी वह प्राप्त हो सकता है या नहीं; इस नतीजे पर पहुंचो और मेरे पास आओ। उन सज्जन की समझ में नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि मैं हिन्दू बनने के लिए आया हूं। शंकराचार्य ने कहा कि खुद को समझने का नाम ही हिन्दू है; आप क्रिश्चियन हैं ना, इस को समझिये; क्या प्राप्त करना चाहते हैं, यह समझने की कोशिश कीजिए; क्रिश्चियन रहते हुए भी वह प्राप्त होता है या नहीं, इसका प्रयोग तथा प्रयत्न कीजिए; तब पता चलेगा कि वह प्राप्त होता है। इसीलिए गीता में जो यह कहा है कि "स्वे स्वे कर्मण्य भिरत: संसिद्धि लभते नर:," वह मुफ्त में नहीं कहा है। "येऽप्यन्व देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता, तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्"। जो श्रद्धा से अपने-अपने देवताओं की पूजा करते हैं, वे सभी मेरी उपासना करते हैं, वे सभी

सत्य की उपासना करते हैं। दुनिया की इतनी बड़ी भारी परम्परा के रहते हुए भी यदि कोई कहे कि वह हमारे साथ रह कर जीवन नहीं बिता सकता है, तो मैं इसको ग्रेटेस्ट इनसल्ट, सबसे बड़ा अपमान, समझता हूं। चूंकि सबको संग्रहपूर्वक, साथ ले कर जाने की वृत्ति इस देश में पैदा हुई है, इसलिए इस देश में कभी झगड़ा नहीं था। जैसा कि कहा गया है, अंग्रेजों से पहले यहां कोई झगड़ा नहीं था।

इस देश में राजनीति के कारण ही झगड़ा प्रारम्भ हुआ। आखिर इस देश का विभाजन किस प्रकार स्वीकार किया गया? यदि हम प्यार से बंटवारा करते, तो मुझे कोई आपत्ति न होती। परन्तु बंटवारा प्यार से नहीं हुआ है। बंटवारा डर के मारे, खून-खराबे से, हुआ है। यदि एक बार लोगों को पता चल गया कि झगड़ा करने से कुछ न कुछ मिल जाता है—झगड़ा और गड़बड़ करने से देश का आधा हिस्सा मिल गया; 1947 में काश्मीर पर हमला हुआ और एक तिहाई काश्मीर मिल गया; कच्छ पर आक्रमण किया, तो कच्छ का कुछ भाग मिल गया—तो फिर लोग झगड़ा करेंगे या नहीं? जब हर बार कुछ मिलता ही जाता है, तो वह प्रवृत्ति भी बढ़ती ही जाती है। आखिर इस प्रवृत्ति को हम कहां रोकेंगे?

अगर रोने वाले बच्चे को मालूम हो कि मां हर बार रोने पर लड्डू देती जायेगी, तब वह रोना बन्द नहीं करेगा। लेकिन अगर उसको बीच में पता चल जाये कि हर बार लड्डू नहीं मिलेगा, कभी चपत भी मिल जायेगी, तब वह रोना बन्द करेगा।

नेशनल इंटिग्रेशन कौंसिल में आप ने यह स्वीकार किया है:

> "Attempts by communal elements in the minority communities to rouse communal passions and separatist feelings have also to be vigorously fought. Besides being harmful to the secular basis and unity of the country, they jeopardise the interests of the minority communities themselves. In this context, the enlightened members of the minority communities should re-recognise their special responsibility and should join hands with other secular forces to combat this tendency.

मैं यही पूछना चाहता हूं कि चागला जी ने जो कहा- He is an enlightened member. चागला जी ने रबात के बारे में कहा, चागला जी ने अहमदाबाद के बारे में कहा किन्तु गृह मंत्री उससे सहमत नहीं है। आज भी महाराष्ट्र के अन्दर पुराने एस.एस.पी. के कार्यकर्ता हमीद बलवाई जो हैं उन्होंने एक किताब लिखी है। उसमें कई संसद-सदस्यों के नाम का जिक्र हुआ है। मैं उन के नाम लेना नहीं चाहता। लेकिन उसमें यह बताया है कि कौन-कौन एक योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस के अन्दर घुसा है, कौन-कौन एक योजनाबद्ध तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी के अन्दर घुसा है। उनके नाम मैं यहां नहीं लेना चाहता। उनकी लिखी हुई किताब मौजूद है, वह आप पढ़ लीजिए, बहुत बढ़िया किताब है। तो आखिर यह जिम्मेदारी सब के ऊपर आती है। हमारे ऊपर भी आती है, आपके ऊपर भी आती है। किन्तु एक बार पार्टीशन होने के बाद जैसा कई लोगों को लगा था, हमारे राजगोपालाचारी जी को भी लगा था

> After all Pakistan is going to be the panacea for all Hindu-Muslim ills.

किन्तु जैसा अभी मोरारजी भाई ने स्वीकार किया–That was not the end. उसके आगे बढ़ गए। क्यों यह बढ़ क्यों गए? आज आखिर में कुछ एक निश्चितता हमारे विचार में आनी बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि आखिर यह जो गड़बड़ होती है यह क्यों होती है? वाराणसी की बात जो आई, चह्वाण जी ने यहां स्टेटमेंट दिया। हम यहां लोक सभा में क्यों बैठे हैं?

To collect the correct information from the authority.

किन्तु आज सब अखबार मैंने देखे, यह टाइम्स ऑफ इंडिया और पैट्रियट इन दोनों ने केवल यह लिखा है कि

> "The trouble, it was stated today, arose when a mob of over 1,000 persons attacked the Lal Bhairon Temple, and disturbed the Bhairon Astami celebrations."

आपने कहा कि देयर वाज़ सम डिस्प्यूट। अब यह डिस्प्यूट किस रूप का था? यह डिस्प्यूट एकदम एरप्ट हुआ क्या? अगर एकदम एरप्ट हुआ तो उसका कारण क्या था? यह कोई देखेगा या नहीं? वास्तव में जो मैं सामंजस्य कहता हूं, सामंजस्य इस बात को ले कर मैं कहता हूं कि हजरत मुहम्मद साहब ने इस बात को कहा है कि सब दुनिया को मस्जिद समझो, सब जगह पवित्र है। इसलिए भारत का आधा हिस्सा पाक समझना और बाकी हिस्सा नापाक समझना, यह ठीक नहीं है। सब दुनिया के अंदर भगवान भरे हुए हैं। इसलिए सच्चा और ईमानदार मुसलमान चलती हुई गाड़ी में नमाज़ पढ़ता है। भगवान के साथ उनका एक बार लगाव हो जाता है तो कहीं भी वह कर सकते हैं। मैं जब चुनाव में गया था भोपाल में तो मेरे साथ में काम करने वाले एक मुसलमान थे। शाम को साढ़े छः बजे तो उन्होंने कहा कि मैं नमाज़ पढ़ता हूं। मैंने कहा कि खेतों में कैसे पढ़ेंगे? उसने कहा कि यहीं पढ़ लेंगे। मैंने कहा पानी? उसने कहा कि पानी की जरूरत नहीं है। उन्होंने मिट्टी से अपने हाथ साफ किए और वहीं नमाज़ पढ़ी। कहां अन्तर आता है? क्यों अन्तर आता है आखिर? पानी नहीं है, मिट्टी है, जगह नहीं है, खेत है। जहां जाओ वहीं कर सकते हो। आखिर सच्चाई जो होती है सच्चाई महत्व की होती है। भगवान के बारे में जो श्रद्धा होती है वह श्रद्धा महत्व की होती है। इस बात को न समझते हुए कुछ अलग समझने की बात जब होती है तो गड़बड़ होती है। जैसे टालरेंस की बात कही न, Tolerance has also got a limit. इसलिए जो उनकी हिमायत करते हैं उनके लिए कहता हूं। मैं चाहता नहीं हूं कि इस देश के अन्दर कुछ हो। लेकिन इस देश के अन्दर क्यों कुछ होता है इसको भी तो समझना चाहिए। केरल की बात है। केरल में मैंने अंगाडीपुरम् टेम्पल में खुद जा कर देखा है कि वहां पर एक शिवलिंग मिला है। उसके बारे में पूछे गए प्रश्न का वी.सी. शुक्ला साहब यह जवाब देते हैं कि

This was objected to by the Muslims who worship at the Muslim Madrasa adjacent to the temple.

मैं वहां जाकर देख के आया हूं। आखिर केरल के अन्दर किसी को मस्जिद में जाने में रोक है क्या? चर्च में जाने के लिए रोक है क्या? यदि है तो वह गलत है। किसी को रोक नहीं होनी चाहिए

But at the same time, everybody has the right to worship.

केरल के उस समय के जो मुख्यमंत्री थे ई.एम.एस. नम्बूदरीपाद वह भी पलानी टेम्प्ल में अपनी पत्नी के साथ खड़े हो कर पूजा करते हैं जिसकी फोटो भी दूसरे अखबारों में आई। उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा To resepct the sentiments of my wife, I had to go there. ठीक है, Let us respect the sentiments. मैं जाऊं न जाऊं मैं शैव हूं, वैष्णव हूं, कुछ भी हूं लेकिन आखिर जो लोग चाहते हैं तो यह ऑबजेक्शन क्यों आता है? क्या जरूरत है?

मैं दूसरी बात भी बताना चाहता हूं। विवेकानन्द शिला स्मारक का कार्यक्रम बनाया गया। अब विवेकानन्द तो किसी एक के नहीं थे। दुनिया में जाकर जिन्होंने भारत के गौरव की ध्वजा फहरायी उन विवेकानन्द के शिला स्मारक की टेबलेट हटाई गई—

That was desecrated. And those persons were brought to book and they were sentenced.

अब मुझे यह समझ में नहीं आता कि यह क्यों किया? यह 11 कैथोलिक पकड़े गए। मैंने कन्याकुमारी में देखा कि वहां कन्याकामेरी की एक अलग स्टेचू आज भी है। उसका किसी ने विरोध किया क्या? कन्याकामेरी की आज भी स्टेचू खड़ी है। उसका देश के अन्दर कोई विरोध नहीं आया। वहां स्टेचू है, लोग आते हैं। वहां महात्मा जी का भी पुतला लगा है। वहां भी लोग आते हैं। कन्याकुमारी का मन्दिर है, मेला लगता है, वहां भी लोग आते हैं। फिर जिस प्रस्तर-शिला पर बैठने के बाद आत्मानुभूति प्राप्त करके भारत की उस आत्मा को दुनिया के सामने उन्होंने प्रकट किया, स्वामी विवेकानन्द महाराज की समाधि जहां लगी हुई थी वहां यदि उनका स्मारक बनता तो सब को खुशी होनी चाहिये थी, सबको आनंद होना चाहिये था, आखिर विवेकानन्द इस देश के थे, न जनसंघ के थे, न आर.एस.एस. के थे—

Why was the tablet desecrated? Then there was a wonderful thing. Advice was given by the then Chief Minister, Mr. Bakthavatsalam: You should not erect a statue there but have a small idol so that it can be covered and protected properly. Why covered and protected?

यह क्या तरीका है, व्हाई कवर्ड, व्हाई प्रोटेक्टेड? मेरे कहने का मतलब यह है कि इस देश की उदारता है इस देश के जो विचार हैं क्या वह सबके लिये नहीं हैं, क्या वह हर एक के लिये नहीं हैं? अगर किसी को दुख होता है उसके लिये हम खड़े रहेंगे, लेकिन वास्तव में किसी के साथ अन्याय न हो, यह बात भी उसमें होनी चाहिये।

Why the temple at Angadipuram is guarded and protected by the police?

इसकी क्या जरूरत है?

मैं कुछ और बातें भी चह्वाण साहब के सामने लाना चाहता हूं। इस देश के अन्दर कई मन्दिर टूटे हुए हैं। मथुरा में तो गायब ही हो गये; अयोध्या में पुलिस खड़ी हुई है। मैं एक और खास बात चह्वाण साहब के लिये बताता हूं—महाराष्ट्र में जहां पर ज्ञानेश्वर महाराज ने जिस खम्बे

से पीठ लगा कर ज्ञानेश्वरी का प्रवचन किया उस खम्बे के सम्बन्ध में झगड़ा हुआ और वह मामला हाई कोर्ट तक गया। मेरी समझ में नहीं आया कि वहां पर हिन्दू और मुसलमान क्यों झगड़ा करते हैं, क्या जरूरत है कि हाई कोर्ट तक वह मामला गया। वह झगड़ा होने के बाद आज वहां पर मन्दिर बना हुआ है, उस खम्बे का मन्दिर बना हुआ है, स्मृति के रूप में बना हुआ है।

अजमेर वाले यहां पर बैठे हुए हैं—अजमेर में एक ढाई दिन का झोंपड़ा है, वह एक पुराना संस्कृत विश्वविद्यालय था, करण सिंह जी उसको जानते होंगे। आज उसमें कई स्तम्भ ऐसे हैं, काफी तोड़-फोड़ करने के बाद भी उसमें जो खुदी हुई मूर्तियां हैं, वे वैसी की वैसी हैं। कुछ समझ में नहीं आता—क्या हिन्दुस्तान में जगह कम है, क्या हिन्दुस्तान के अन्दर पत्थर कम हैं, क्या यहां मन्दिर बनाने के लिये पत्थरों की कमी है मस्जिद के लिये पत्थर हैं, चर्च के लिये पत्थर हैं, गुरुद्वारे के लिये पत्थर हैं, और कहीं न जायें, श्मशान में जाने वालों की समाधि बनाने के लिये भी पत्थर हैं, फिर क्यों पत्थरों के लिये झगड़ा चलता है—मेरी समझ में नहीं आता है। इस भावना को समझ कर चलें। तब यह झगड़ा दूर हो सकता है, उसको एवर्ट करने की सब को कोशिश करनी होगी।

काश्मीर का एक मामला है—यह अखबार में आया है, काश्मीर के हिन्दुओं ने फिर मांग की है कि परमेश्वरी हाण्डू का क्या हुआ...

यह अखबार में आया है। यह अखबार महाराष्ट्र से निकलता है। मैं एक बात जानना चाहता हूं

When a mother demands that her minor girl had been kidnapped, was it not the duty of the law of the land to produce the girl before the court of law and find out whether it was case of kidnapping or whether she went of her own will and also whether the girl was minor or she was major. Who is to decide? Who is the deciding authority?

चह्वाण साहब इसके बारे में बतला दें तो बात खत्म हो जाती है। हम झगड़ा खत्म करने के लिये यहां आये हैं, बढ़ाने के लिये नहीं आये हैं। जिस कारण से तनाव बढ़ता है, क्या उस कारण को आप निकालना नहीं चाहते। यह एक स्पेसिफिक केस है, इसमें किसी राज्य का सवाल नहीं है। अहमदाबाद में झगड़ा हो गया तो हितेन्द्र देसाई का नाम लिया जा रहा है, कटक में झगड़ा हुआ—वहां तो जन कांग्रेस और स्वतन्त्र दल की सरकार है। वेस्ट-बंगाल में झगड़ा हुआ—वहां जगत दल का नाम लिया जाता है, लेकिन सवाल यह नहीं है कि देश में शासन किसका चल रहा है। इसलिए जो वास्तविक बात है उस को लेकर हमें चलना चाहिये। इस देश में किसी की भी निष्ठा के बारे में संदेह प्रकट करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये, क्या जरूरत है। हमारे कारण जो जापानी बौद्ध बने, वे अगर हिन्दुस्तान के बौद्ध पवित्र स्थानों को देखने के लिये आते हैं, बोध गया जाते हैं, सांची जाते हैं, सारनाथ जाते हैं

If he visits Bodh Gaya he never becomes a suspect in the eyes of the Japanese.

उसी तरह से हिन्दुस्तान से अगर कोई मक्का जाये, मदीना जाये पैलेस्टाइन जाये He should never become a suspect in the eyes of others for that reason.

आध्यात्मिक उन्नति के लिये कोई कहीं भी जा सकता है। इस बात को लेकर हम चलें तो कोई झगड़ा होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब सामंजस्य टूट जाता है, जैसे आज वाराणसी में घटना होती है, अहमदाबाद में घटना होती है और उसको लेकर जानबूझकर जब राजनीति खेली जाती है, किसी को कन्डेम करने का प्रयत्न किया जाता है तो उसका परिणाम क्या होगा? परसों सेठी साहब से मैंने एक सीधा सा सवाल किया था—रांची के बारे में कि दयाल कमीशन बैठा था क्या उस ने अपना निर्णय नहीं दिया है, कि जब संघ या जनसंघ का नाम लिया गया तो क्या उसने नहीं कहा है

On enquiry it was found that it had absolutely no hand in it.

फिर सेठी साहब क्यों मुकरते हैं? यहां गलत हवा पैदा करने का प्रयत्न क्यों किया जाता है। हमारे खिलाफ हवा पैदा करने की कोशिश क्यों की जाती है, क्या आप इस तरह से टेन्शन क्रियेट नहीं कर रहे हैं। कल हमारे घर पर कोई हमला करे तो? राम सुभाग सिंह के घर के सामने पुलिस रखनी पड़ी, दिन रात हमारे खिलाफ़ वातावरण पैदा करें, झूठ बोलें। सामान्य आदमी नहीं समझता है कि केलिफोर्निया कहां है, करोलबाग कहां है। यह राजनीति ठीक नहीं है, इस राजनीति को हटाइये। मैं जानना चाहता हूं कि इस देश को आप कोई भी नाम दीजिए आपको हिन्दू राष्ट्र मंजूर नहीं है, चह्वाण साहब बहुत बोलते हैं, क्या उनको पता नहीं कि हमारा पड़ोसी नेपाल राष्ट्र हिन्दू राष्ट्र है, क्या वहां पर माइनॉरिटीज़ का खात्मा हो जाता है? Is there a religious persecution? यहां पर धर्मचक्र क्यों लिखा है? धर्म का अर्थ है धारणा—राजा के लिए धर्म, पत्नी के लिए धर्म, पुत्र के लिए धर्म, पिता के लिए धर्म, टीका लगाना ही धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य। आप कर्तव्य की पवित्र भावना को लेकर चलें। वरना अभी तो

There is a wonderful confusion. Whenever there is a gentleman coming from East Bengal to Assam, if he is a Hindu he is considered to be a refugee, and if he is a Muslim, he is considered to be an infiltrator. Why? On the 14th August, 1947, all those who resided in Pakistan became Pakistanis and all those who resided here were all Hindus or Hindustanis. You call them Hindus; you call them Bharathiyas; you call them Indians. I have absolutely no objection, but let there be one common Constitution and a common civil code under which everybody will come.

चह्वाण साहब का लॉ जगन्नाथ राव को जोशी समझता है, आई एम ए हिन्दू।

The law never waits to ask me who am I. I am not allowed to marry a second wife,—although I do not have the first; Why? Because I am treated that I am a Hindu.

तो आप संकुचित दायरे में घूम रहे हैं। यहां पर सवाल था यूनिफार्म सिविल कोड का। डिप्टी मिनिस्टर, श्री यूनस सलीम ने जवाब दिया

> "The difficulties experienced by the Government in framing a uniform civil code are, lack of uniformity of views among the different sections of society in parts of the country and conservatism which always resists any attempt to reformation and change."

इसमें यह पता नहीं चलता है कि कौन कंजर्वेटिव है और कौन इसका विरोध कर रहा है। इसमें कुछ नहीं है। और यदि कंजर्वेटिज्म है तो उसको निकालना चाहिए। देश सब एक हैं। जो यहां पर रहते हैं उन सभी के लिए एक संविधान है। संविधान में सभी को समान अधिकार दिया गया है।

Irrespective of caste, colour, creed or sex, everybody should have equal rights.

अहमदाबाद में झगड़ा हो गया तो झट से अखबार में खबर आई कि पुलिस में इस प्रकार से भर्ती की जायेगी। मेरी समझ में नहीं आता कि एक बार यह कोटा शुरू हो गया तो पुलिस के बाद कल सेना में भी अगर इसी कोटे के बलबूते पर भर्ती हो गई तो वहां पर यह भी कहा जा सकता है कि हम कोटे के हिसाब से ही मरेंगे। हमारा मरने का कोटा खत्म हो गया है। इसलिए अब लड़ाई बन्द।

If we are listed according to quota, we will die also according to the quota only.

तो इस बात को लेकर मैं बताना चाहता हूं कि सन्देह जो पैदा होता है वह कहां होता है? वह सन्देह आप लोग पैदा कर रहे हैं। आज तक आपने कश्मीर को अलग रखा है यह बात मेरी समझ में नहीं आती। आपने कश्मीर को कांस्टिट्यूशनली क्यों अलग रखा है। संविधान सब के लिए समान है। हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल सबके लिए एक हो गया, सबके लिए समानता थी तो फिर कश्मीर के लिए क्यों नहीं है। वहां के लिए आपने एक कानून क्यों नहीं बनाया?

झगड़े के बाद प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश दौरा करने गईं तो उन्होंने बिल्कुल जानबूझकर मुसलमान और क्रिश्चियन लोगों से कहा कि वे भी वफादार रहें।

Who the devil told you that they were disloyal?

किसने बताया? आज अब्दुल हमीद की गौरव गाथा कैलेन्डरों के रूप में घर-घर में है। तो आप सब को साथ लेने की कोशिश करें। पाकिस्तान दिन रात उभाड़ता है जवाब मिला

> "....Anti-Indian propaganda in the Government-controlled and other Pakistani information media continues at a high pitch."

रात को कौन-कौन से होटल खुले रहते हैं और कहां-कहां के रेडियो लगाये जाते हैं।

This is the work of the Intelligence Department. Why should our Intelligence Department always fail?

चीन के बारे में भी फेल्योर, कश्मीर के बारे में भी फेल्योर और दंगों के बारे में भी फेल्योर। आज चह्वाण साहब कहते हैं कि बनारस में डिस्प्यूट था। पता नहीं डिस्प्यूट था या नहीं लेकिन अगर था तो क्या उसको हल करने की कोशिश की गई।...

...यह जो न्यूज में अलग-अलग चीजें आती हैं वह ठीक नहीं हैं। तो आप बिल्कुल सन्देह न करें। अगर किसी को बुरा लगता है तो लगे। आखिर हमारे देश में जो मुसलमान हैं वे यहीं के हैं।... इंडोनेशिया में एयरलाइन्स को गरुड़ बोलते हैं, बैंक को कुबेर बोलते हैं। अर्जुन, भीष्म, द्रोण, ये सब नाम रखते हैं। शान्ता नाम की स्त्री भी मिल सकती है। जो रोजा रखते हैं उसके लिए उपवास का शब्द प्रयोग करते हैं। वे भी अपनी संस्कृति और सभ्यता करते हैं वे मुसलमान नहीं हैं क्या? इसलिये आज की जो बदलती हुई दुनिया है उसके साथ प्रगतिशील जीवन के साथ-साथ अपना पन्थ भी चलना चाहिये अन्यथा विकासोन्मुख जीवन नहीं रह सकता। इसलिये बदलती हुई स्थिति को लेकर हम को भी आगे बढ़ना है। सेक्यूलरिज्म का विचार भारत का विचार था, केवल मुसलमानों के लिये नहीं है। यहां जैन थे, सिख थे, लिंगायत थे। हमारे यहां रतलाम में जैन दिगम्बरों और श्वेताम्बरों में झगड़ा हुआ। इमाम साशव ने कहा कि दक्षिण में झगड़ा नहीं होगा किन्तु उन्हें मालूम नहीं कि हाथी के भाल पर जो नाम है वह 'वी' जैसा रहे या 'वाई' जैसा रहे यह झगड़ा प्रिवी काउन्सिल तक गया। मुसलमानों में पिछले ही साल गाजीपुर जिले के अन्दर शिया और सुन्नियों के बीच झगड़ा नहीं हुआ क्या? केरल के अंदर क्रिश्चियन और मुसलमानों के बीच झगड़े नहीं हुए? पारसी, एंग्लो-इंडियन कम्यूनिटी के साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ? उल्टे दादाभाई नौरोजी, फ़िरोज़ शाह मेहता और टाटा को सम्मान का स्थान मिला। हमने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया किन्तु टाटा का विरोध नहीं किया। हिन्दुस्तान के अन्दर सहिष्णुता का भाव लेकर काम करें, किसी भी रूप में कोई प्रार्थना क्यों न करे, सबको मिल कर सामंजस्य फैलाना है। इस दिशा में सरकार को पहला कदम उठाना है। तब जाकर संविधान में वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है।

The Constitution should be respected by everybody without colour, creed or sex.

मोम्बासा में मैं गया था तो मुझे वहां बताया गया कि इंडियन असोसिएशन जो थी पार्टीशन होने के बाद उसका भी बंटवारा हो गया। यहां जो हम करते हैं उसका प्रतिबिम्ब बाहर भी होता है।

We should see that the Indian Community should speak in that respect.

तो यह तो देखना होगा। कहीं भी जायें, मेरा कौन है, उसका क्या आधार है, किस आधार पर कह सकते हैं कि वह मेरा है, शाश्वत आधार उसको तय करना चाहिये।....

सरकार अगुवापन करे, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन न हो, देश का भविष्य बने, यही मुझे कहना है।

इन शब्दों के साथ मैं आपसे विलम्ब के लिये क्षमा मांगता हूं।

देशी राज्य शासक विधेयक, 1972*

उपाध्यक्ष महोदय, राजा-महाराजाओं के प्रिवी पर्स समाप्त होने के बाद उनके विशेषाधिकार समाप्त करने का यह विधेयक जो आया है यह तो स्वाभाविक ही समझा जायेगा। किन्तु जिस बात को लेकर वह विधेयक आया और यह भी आया है इसमें यही कहा जा रहा है कि आज की बदलती हुई परिस्थिति में विशेषाधिकार कोई मतलब नहीं रखता। जैसे प्रिवी पर्स समाप्त करते समय सामान्य आदमी की हालत सुधारने की दृष्टि से और समाजवाद लाने की दृष्टि से यह सब बातें आवश्यक बताई गईं उसके साथ मैं समझता हूँ कि कोई विरोध नहीं करेगा। किन्तु इसमें एक राजनीति दिखती है। आज भी यह विशेषाधिकार समाप्त करते समय जो आश्वासन दिया जा रहा है बदलती हुई परिस्थिति के साथ वे खुद को सम्बद्ध करने में सुविधा अनुभव करें। इस बात के लिए कुछ उनको मुआवजा मिलने वाला है, ट्रांजीशनल एलावेंस के नाते और वह राशि 10 करोड़ 75 लाख रुपए की है। किन्तु किस आधार पर वह दिया जा रहा है? यहां तो बताया है कि बदलती हुई परिस्थिति के साथ वह अपने को खुद ढालें, यह तो ठीक हो गया, किन्तु इसका आधार कौन सा है? यानी सब से ज्यादा जिन को प्रिवी पर्स मिलती थी उनको ट्रांजीशनल एलावेंस ज्यादा मिलेगा, उसी मात्रा में मिलेगा, कौन-सा प्रमाण है, कौन-सी कसौटी है इसकी यह जानने की मैंने कोशिश की लेकिन कुछ पता नहीं लगा। तो हमको तो ऐसा ही लगता है कि इसका भी उपयोग पोलिटिकल लिवर के नाते सब राजा-महाराजाओं को अपने साथ लेने और रखने की दृष्टि से ही किया जाएगा, ऐसा मुझे बड़ा भारी शक है। क्योंकि मैसूर के जो भूतपूर्व महाराजा थे उनके राजप्रसाद के बारे में भूतपूर्व जो कांग्रेसी मंत्रिमंडल था मैसूर का उस ने ऑन दि फ्लोर ऑफ दि हाउस यह बताया था कि वह सरकारी सम्पत्ति है। किन्तु आज बदली हुई परिस्थिति में बदली हुई नई कांग्रेस की जो सरकार मैसूर में आई है उन्होंने सदन में ही बताया है कि वह निजी सम्पत्ति है। अब यह समझ में नहीं आता और अख़बार में तो खबर आई है कि वह राज-प्रसाद जो भूतपूर्व मैसूर के महाराजा का है उसे 15 करोड़ रुपये में सरकार खरीदना भी चाहती है। आखिर यह जो एक पोलिटिकल लिवर के नाते काम होता है इसमें समाजवाद को क्यों डाला जाता है यह हमारी समझ में नहीं आता है। हम शुरू से कहते रहे हैं कि बुढ़िया मरती है इस का दुख नहीं है लेकिन मृत्यु ने दरवाजा देख लिया है इसका दुख है। इसलिए हम कोई भी बात करें तो सिद्धांत ठीक ढंग से ही होना चाहिए। व्हेन यू एन्टर इन टू कांट्रेक्ट, कोई ऐग्रीमेंट, करार जब हम किया करते हैं तो उसका पालन होना चाहिए। जैसे शिमला ऐग्रीमेंट किया, जब पता चला की उसको स्पिरिट और लेटर में फॉलो नहीं किया जा रहा है तो हमको उनके

* उपरोक्त विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए।
लोक सभा वाद-विवाद, 26 अगस्त 1972, cc 61-65।

अधिकारियों को बुलाना पड़ा है यह पूछने के लिये कि भाई, इसका क्या मतलब है, यह बताओ। यानी ऐग्रीमेन्ट यदि तोड़े जाएंगे तो आगे चल कर यह पद्धति और परम्परा ऐसी बनती चली जायगी....

यह इसलिए है कि उनके साथ में एक ऐग्रीमेंट हुआ, वह ऐग्रीमेंट जब तोड़ा जाता है तो ऐसी एक परम्परा बनती चली जाती है। हम भी जब कोई ऐग्रीमेंट किया करते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि दैट शुड बी ऑनर्ड।

इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि उनके साथ में यह बाई-लेटरल ऐग्रीमेन्ट था तो हम ने यह सुझाव इसीलिए दिया था कि आप फिर बाई लैटरली इस को करिए और कोई न कोई रास्ता निकालिए। आज भी जब विशेषाधिकार समाप्त करने की बात होती है तो आखिर उस की कसौटी क्या है? एक राजनैतिक दबाव के नाते राजा-महाराजाओं को अपने साथ खींचने का यह एक तरीका तो नहीं है?

दूसरी बात यह है कि बदलती हुई परिस्थिति की कुछ जिम्मेदारी भी है। जैसे मेरे मित्र ने स्वीकार किया था कि जब राजे-महाराजे के राज्य चले गए और उनकी जिम्मेदारी अपने शासन में ली तो उनके जो कर्मचारी थे उनकी दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह साल तक पेंशन नहीं मिली। यह मैं स्वयं जानता हूं तो आज भी प्रिवी पर्स जब तक मिलता रहा तब तक उन के निजी काम-काज देखने के लिये कुछ कर्मचारी उनके यहां रहे हैं। जब प्रिवी पर्स समाप्त हो जायेगा तो उनका क्या होगा? उनको कहीं न कहीं रखेंगे या नहीं? उनके निवास की व्यवस्था जो वह सरकार करेगी या नहीं अगर जो उनकी सेवा है उसके लिए निवृत्ति वेतन उनको मिलेगा या नहीं? इस की जिम्मेदारी कौन लेगा? या यह भी राजा-महाराजाओं पर छोड़ा जायेगा कि ट्रांजीशनल एलावेंस में से उन्हें दें? क्योंकि ट्रांजीशनल एलावेंस की जो दो बातें हैं उसमें एक तो यह है कि प्रिवी पर्स के अलावा जिनको मिलता था वह तो मिलता रहेगा किन्तु प्रिवी पर्स में से जो कुछ हिस्सा उन के क्लोज रिलेशंस को दिया जाता था उनके लिए तो 5 लाख रुपए की राशि उन्होंने रखी है। इसलिए जो राजा-महाराजाओं पर अवलम्बित लोग हैं, सामान्य आदमी जो हैं, सामान्य कर्मचारी जो हैं उन की व्यवस्था क्या है, उसके बारे में कुछ समझ में नहीं आता। उनके विशेषाधिकार तो चले गए, लेकिन सामान्य आदमी का भी दो वक्त खाने का विशेषाधिकार तो है ही और समाजवाद इसको स्वीकार कर के चलता है। जीवन की आवश्यक वस्तुएं उन्हें प्राप्त हों, वे कपड़ा पहने, दो वक्त रोटी खाएं उसका प्रबन्ध क्या है? राजा-महाराजाओं के अधिकार समाप्त कर दिए किन्तु सामान्य आदमी के जो विशेषाधिकार हैं समाजवाद में जिसको स्वीकार किया है उस अधिकार के बारे में इसमें कहीं जिक्र नहीं है।

हम चाहते हैं कि उसको इसमें बढ़ाया जाए और वह सामान्य कर्मचारी जो इन पर निर्भर था उसको हवा में न छोड़ा जाए और यह भी एक राजनीतिक माध्यम बनाकर राजा-महाराजाओं को फिर अपनी ओर रखने के लिए इसका उपयोग न किया जाए। मैंने देखा है प्रिवी पर्स एबॉलिशन के बाद कई इधर से उधर गए हैं और अभी भी मैं कइयों को जाते हुए देखता हूँ। आखिर राजे-महाराजे यहां खराब हैं तो वहां भी खराब होते और यहां अच्छे हैं तो वहां भी अच्छे होते। तो यह तो कोई कसौटी नहीं होती है कि एकदम से 1942 में अंग्रेजों से जिसने झगड़ा किया वही अच्छे थे। ऐसे तो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जी भी हो गए जिन्होंने कभी

आन्दोलन में हिस्सा नहीं लिया। तो यह कोई क्राइटीरिया नहीं होता है। आखिर आदमी की कोई गुणवत्ता होती है, कर्तव्य होता है, कोई दूरदृष्टि होती है, कोई तपस्या भी होती है। सिर्फ यही है कि वह जेल में चला जाए तो वह देशभक्त बन गया। ऐसा नहीं होता है। ऐसे ही पुराने राजे, सब खराब पुरानी बातें, सब खराब, अगर यही है तो वही राजे जब आपके पास जा कर बैठते हैं तो वहीं एकदम से अच्छे दूध के धुले हुए कैसे हो जाते हैं। यह समझ में नहीं आता है। इसलिए जो भी आपने एग्रीमेंट किया था जिस भी परिस्थिति में, अब उसको स्वीकार करके चलिये। आज भी विशेषाधिकार समाप्त करते समय हम यही मांग करते हैं कि राजनीतिक दबाव के रूप में उनको अपनी तरफ लेने के लिए इसका इस्तेमाल न किया जाये और उनके कर्मचारी जो विस्थापित हो जाएंगे उनकी क्या व्यवस्था है, इन दो बातों पर आप प्रकाश डालें।

हाल में सम्पन्न हुऐ लोक सभा चुनाव*

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय समर गुहा जी ने जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा है उसके दो अंश हैं—एक तो आज की स्थिति का विवरण और दूसरा उनकी दृष्टि में जो हल निकलता है। भले ही उस हल से कोई सहमत हो या न हो, लेकिन मुझे लगता है कि जिस स्थिति का उन्होंने वर्णन किया है उससे तो सब को सहमत होना पड़ेगा। शब्द ऐसे हैं—देश में बढ़ता हुआ अभूतपूर्व राष्ट्रीय संकट। अब हमारे भागवत झा आजाद जी उस को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, उनकी दृष्टि में यह राष्ट्रीय संकट नहीं है।

आज चारों ओर जो स्थिति दिखाई देती है वह आर्थिक तो है ही। अभी कल ही यहां कहा गया कि बाढ़ पर चर्चा हो, तो कई लोगों ने कहा कि ड्राउट पर भी हो, कई जगह पानी बहुत है तो कई जगह पानी की कमी है—यह जो स्थिति आती है, यह केवल आर्थिक बात नहीं है। जैसे चेचक का प्रकोप होता है तो हजारों लोग मर जाते हैं—यह कोई सामान्य स्थिति नहीं है, एक प्रदेश में चेचक की वजह से 20-21 हजार लोग मरे तो यह सामान्य स्थिति नहीं कही जा सकती, इसका अधिकता से कोई सम्बन्ध जोड़ने की कोशिश करें तो यह गलत है।

कई तरह से आज लोग परेशान हैं इसलिए मुझे लगता है कि सत्तारूढ़ दल थोड़ा-सा अपना मन विशाल कर के समझने की कोशिश करे तो बात समझ में आ सकती है। किसी बात का कोई जवाब देना हो तो कोई भी जवाब दे सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मेरा शरीर थोड़ा-सा बड़ा है—लोग मज़ाक में पूछते हैं कि जोशी जी, आप क्या खाते हैं? उनका पूछना सही है। लेकिन उसका जवाब यह नहीं है कि मैं कहूं—तुम्हारे बाप का नहीं खाता हूं, कमाता हूं तो खाता हूं। उसके बारे में सोचना होगा—मैं सामान्य शरीर से थोड़ा बड़ा हूं तो अपने वजन को घटाना चाहिए। लोगों की आंखों में मेरा बड़ा शरीर एकदम दिखाई देता है, बाकी चीज़ नहीं दिखती है इसलिए कि मेरा शरीर थोड़ा बड़ा है—तो यह समझने की एक प्रकृति होती है। इसी तरह से जो सत्तारूढ़ दल है वह इस ढंग को अपनाये कि जो बात कोई सामने रखे उसमें से जो अच्छा हिस्सा है उसको लेने की कोशिश करें जैसे उन्होंने लोकतन्त्र की बात बतलाई, प्रजातन्त्र के बारे में आस्था के लिए कहा, देशभक्ति की भावना और आस्था जागृत करनी है—ये सब बातें उन्होंने बतलाई इससे हम सब सहमत होंगे—यह बात हंसने लायक नहीं है। उनकी दृष्टि में इसका जो हल है वह उन्होंने बतलाया है। अब वह हल भले ही आप को मंजूर न हो, लेकिन बीमारी आपको बतला दी है आप उससे निकलने की कोशिश करें।

* उपरोक्त प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए।
लोक सभा वाद-विवाद, 2 अगस्त 1974, cc 226-32 ।

मैं यह कहता हूं—

Even the Professor is forced to accept the simple fact that Lok Sabha will not deliver the goods.

यानी लोक सभा में बैठने वालों के मन पर इतना असर तो हुआ।

मैं आप को एक अनुभव बतलाता हूं। यहां से बाहर जाने के बाद लोग पूछते हैं—लोक सभा में बैठकर आप क्या करते हैं, नये-नये कर लगाते हो, हमारा जीवन दूभर बनाते हो, क्या करते हो—इस का जवाब क्या है? बतलाइए। आज तक लोक सभा में बैठकर हम जनता का जीवन दूभर ही बनाते जा रहे हैं, आपका ही नहीं हमारा भी जीवन दूभर हो रहा है। आप को दूध नहीं मिलता, हमको भी नहीं मिलता। आप के दूध में पानी तो है, लेकिन हमें तो दूध ही नहीं मिलता। इसलिए जब लोग ऐसा अविश्वास प्रकट करते हैं तो उसके पहले ही हम को समझ लेना चाहिए कि कहीं न कहीं गड़बड़ है, उसको सबसे पहले ठीक करना चाहिए।

बिहार की बात को लेकर कोई कहता है—यह है वह है जन-आंदोलन चालू है। सवाल सोचने के लिए यह है कि आंदोलन क्यों हुआ, असेम्बली के डिजोल्यूशन की बात क्यों आ रही है। इसलिए कि 1971-1972 के चुनाव में जनता को वायदे कर के आप अधिकार में आये, क्या उन वायदों को पूरा करने के लिए आप निष्ठा से संलग्न नहीं हुए? आप ने बिहार में केदार पाण्डेय को नीचे उतारने की कोशिश क्यों की? किसी ने मांग नहीं की थी कि उनको उतार कर गफूर को बैठाओ। केदार पाण्डेय हों, घनश्याम ओझा हों, कोई भी हो, कांग्रेस पार्टी का जो कार्यक्रम था उस को हाथ में लेकर अपने वायदों को पूरा करने की कोशिश करते तो जनता के अन्दर ऐसी भावना पैदा नहीं होती। जब जनता को पता चला—

They are not interested in solving the problems and delivering the goods to the people. They are fighting for their own power and position. They are after chair and power.

कुर्सी के लिए लड़ाई हो रही है, तब जनता में असंतोष फैला। केदार पाण्डेय, इन्दिरा गांधी जी का आशीर्वाद पाकर भी समस्या हल नहीं कर सका तो गफूर साहब कैसे करेंगे। आज भी गफूर पर भरोसा है क्या? अभी भी कई लेजिस्लेटर्स हस्ताक्षर कर के देते हैं कि इनको हटाओ। इसकी वजह से लोगों के मन में यह बात उठने लगी कि यह विधान सभा हमारी समस्या हल करने के लिए नहीं है, एक को नीचे लाइए दूसरे को बैठाइये, फिर उसको भी नीचे लाइये, तीसरे को बैठाइये, अधिकार पाने के लिए ये लोग लड़ रहे हैं तो जनता ने कहा कि इनको लॉक-स्टॉक एण्ड बैरल हटाओ। गुजरात में क्या हुआ? आप के चिमन भाई पटेल आप को छोड़ कर चले गये क्यों? अल्टीमेटली जनता के विश्वास की जो स्थिति है उसको धक्का पहुंचता है। मैं बार-बार यही कहता हूं—आप गलत प्रिसीडेन्टस् इस्टैब्लिश कर रहे हैं जिसको कहते हैं—पोलिटीकल-हेल।

अभी एक मित्र ने कहा कि राजनीतिक नेताओं के बारे में, राजनीतिक जीवन के बारे में जनता के मन में इतनी अनास्था और तुच्छता है, यह क्यों है? मैं आप को एक अनुभव बतलाता हूं—यह अनुभव मेरे एक सर्वोदयी मित्र का है और यह आज का नहीं है—हमारे कांग्रेसी मित्र

इसको ध्यान में रखें—यह बात मैं 1957 की बतला रहा हूं। मेरे एक सर्वोदयी मित्र मिले और बोले, जोशी जी, आप को मैं अपना अनुभव बतलाता हूं ताकि आप को पता चले कि आज की स्थिति कैसी है। उन्होंने कहा कि 1945 में मैं एक स्टेशन पर घूम रहा था। एक महिला ने गाड़ी की खिड़की से मुझको कहा—भाई साहब, हमको थोड़ा पानी लाकर देंगे? वह बेचारे गए और पानी लाकर उस महिला को दे दिया तब उन्होंने पूछा कि आपने सबको छोड़कर मुझ को ही क्यों पानी लाने के लिए कहा? उस महिला ने जवाब दिया—आप के सिर पर सफेद टोपी है, शरीर पर खादी के कपड़े हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि पानी लाकर नहीं देंगे तो कम से कम लोटा जरूर ला कर देंगे....

यह बात 1945 की है। फिर उन्होंने कहा कि अब मैं 1957 की बात बतलाता हूं। मैं एक बार एक ट्रेन में जा रहा था। गाड़ी चलते-चलते एक तरुण और पुलिसवाला दोनों गाड़ी में घुस आये और कहा कि किसी ने इनकी पॉकेट मार ली है और इनका कहना है कि वह इस डिब्बे में घुसा है। एक ने पूछा कि इनको किस पर शक है। उन्होंने पूरे डिब्बे में देखा। इन सर्वोदय नेता के सिर पर सफेद टोपी थी, उसने फौरन कहा कि यही हो सकते हैं, दूसरा कौन हो सकता है। 1945 से 1957 तक स्थिति में यह परिवर्तन आया। 1945 में हम भरोसा करते थे, कि भले ही पानी लाकर न दे लेकिन लोटा तो जरूर वापस दे जाएंगे, 1957 में यह हो गया कि यदि इस डिब्बे में कोई हो सकता है पॉकेट मारने वाला तो यह सफेद टोपीवाला है। यह आई-ओपनर है।

ऐसी बदलती हुई परिस्थिति में, श्री समर गुहा का जो प्रस्ताव आया है उसके जवाब में यह कह देना कि हम इसको नहीं मानते, ऐसा कह देने से काम नहीं चलेगा। थोड़ा-सा अन्तर्मुखी हो कर विचार करें, जनता के अन्दर विद्रोह की भावना बढ़ती जा रही है। विद्रोह जोर पकड़ता जा रहा है, जनता तंग हो चुकी है, ऐसा करने के लिए उस को परिस्थिति विवश कर रही है। ऐसी स्थिति में हम रास्ता निकालने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर प्रोफेसर साहब भी यह मांग करने लगेंगे कि इस लोक सभा का कोई मतलब नहीं है। हमने जो इंस्टीट्यूशन खड़ी की है वह मीनिंगफुल हो, परपज़फुल हो, फ्रूटफुल हो, जिस काम के लिए वह बनी है उसको पूरा करने की कोशिश सबको मिल कर करनी चाहिए।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं—आप समझते हैं कि आप ही हुकूमत चलाते हैं लेकिन इस बात को न भूलिये कि हम भी सरकार हैं। यहां जो हम बैठते हैं, इस में हिस्सा लेते हैं, हम विरोध क्यों करते हैं, जब महसूस करते हैं कि यह ठीक नहीं है, यह मेरे घर की बात है, यह जब बाहर जाएगी तो इस का प्रभाव उल्टा पड़ेगा तो हम भी इस सरकार का अंग होने के नाते, उसके लिए सही रास्ता निकालने का प्रयत्न करते हैं। अभी जैसा गोखले जी ने कहा कि कुछ अच्छे अमेण्डमेन्ट्स हों तो अवश्य पास करेंगे। मैं आपसे कहूंगा कि कुछ थोड़ा मन को विशाल कर के स्थिति को हल करने की कोशिश करें ताकि प्रस्ताव की जो मंशा है वह पूरी हो सके।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक और संकल्प, 1974*

सभापति महोदय, सदन में जिस विधेयक पर चर्चा चली है उसका विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। इसके दो पहलू हैं—एक नैतिक और दूसरा राजनीतिक। सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया इस की ओर दूसरा जो पहलू है राजनीतिक। उस दृष्टि से केवल देखकर उस खामी को दूर करने की कोशिश की है। किन्तु यह निर्णय क्यों आया, इतने दिनों के बाद क्यों आया, इसकी कोई पृष्ठभूमि है कि नहीं? इस का सारा विस्तृत वर्णन उन्होंने अपने निर्णय में किया है। वास्तव में जिस गति से हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं क्या उसके साथ यह अध्यादेश या विधेयक सुसंगत है? हम जरा सोचे तो सही। राजनीतिक विचार यह है कि कुछ व्यक्तियों को बचाने के लिए हम देश को एक बड़ा भारी धक्का दे रहे हैं, इसकी ओर शायद हमारा ध्यान नहीं गया ऐसा मुझे लगता है क्योंकि इसके पहले जब सर्वोच्च न्यायालय का कोई निर्णय आया उसकी वजह से कई लोगों को कुछ न कुछ धक्का जरूर उठाना पड़ा। जब हम ने भूमि की मर्यादा तय की तो कुछ लोगों को भूमि छोड़नी पड़ी। जब प्रिवी पर्स को समाप्त किया तो राजा-महाराजाओं को क्या प्रिवी पर्स नहीं छोड़ना पड़ा? तो वैसे ही सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करते तो कुछ लोगों को पार्लियामेंट या विधान सभाओं में स्थान छोड़ना पड़ता।

आखिर हम चाहते क्या हैं? पिछले कई सालों से लगातार क्या यह चर्चा नहीं है कि पैसे का अंधाधुध उपयोग चुनाव में हो रहा है? इसकी ओर सबने चिन्ता प्रकट की है। स्वयं प्रधानमंत्री ने भी इसके ऊपर चिन्ता प्रकट की है क्योंकि केवल चुनाव का खर्चा ही नहीं, चुनाव के अलावा भी जो खर्चा होता है, जो सरकार करती है राहत कार्य वेः रूप में कोई कारखाना खड़ा करने के रूप में जिसकी दृष्टि से जनता को किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ पहुंचे इसको भी न्यायालय ने ठीक नहीं समझा। उन्होंने यह कहा है कि यह कोई इल्लीगल प्रैक्टिस नहीं है। किन्तु यह इविल प्रैक्टिस है यह क्यों कहना पड़ा? गुजरात में जैसे चुनाव आ रहे हैं तो वहां फर्टिलाइजर कॉमप्लेक्स लग रहा है, बड़ोदा में कागज के नोट छापने का कारखाना लग रहा है। तो यह सब इविल प्रैक्टिस है। फ्री और फ़ेयर चुनाव होना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति को जनता का प्रतिनिधि बनने का अधिकार है। उसका पूरी तरह से उपयोग करे, यदि यह मंशा है तो उसके विरोध में यह अध्यादेश और विधेयक जाता है। क्योंकि जब चुनाव का सारा मामला तय हुआ उसी समय मर्यादा क्यों तय की गई कि खर्चा कितना हो, लोक सभा और विधान सभाओं के चुनाव में कितना खर्चा हो?

* उपरोक्त विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए।
लोक सभा वाद-विवाद, 16 दिसम्बर 1974, cc 379-84।

यह इसीलिये तय की गई थी कि सही रूप में जनप्रतिनिधि यहां आ सकें और कोई साधारण व्यक्ति पैसे के अभाव की वजह से वंचित न हो जाए। जब पता चला कि उम्मीदवार खुद खर्चा न करे बल्कि उस का कोई दोस्त खर्चा करे तो जो वास्तव में मर्यादा रखी गई थी, उस का उल्लंघन किसी न किसी रूप में होता रहा। तो न्यायालय का कुछ उत्तरदायित्व है कि नहीं। वास्तव में इस दायित्व को आप को निभाना चाहिए था। जो कि आपने नहीं निभाया। जब आप ईगैलिटेरियन सोसायटी की बात करते हों, समाजवादी समाज की बात करते हो वैसी हालत में यदि सारी रोक निकाल देंगे तो क्या मेरे जैसा आदमी चुन कर आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। एक बार पैसे का अधाधुंध खर्च करने की प्रवृत्ति पैदा हुई तो उस पर रोक लगनी चाहिए या नहीं? हम आखिर क्या करना चाहते हैं? लैंड सीलिंग के बाद आप अर्बन सीलिंग का विधेयक लाने वाले हैं ज्यादा पैसे वालों पर टैक्स लगाना चाहते हैं, स्मगलिंग को रोकना चाहते हैं, चाहते हैं कि कोई गलत तरीके से पैसे कमा कर बड़ा न बने आखिर यह सब किसलिए? सामाजिक दृष्टि से चाहते हैं कि शादी विवाह के अवसर पर पैसे का वल्गर डिसप्ले नहीं होना चाहिए। यह दृष्टिकोण हमारा इसीलिए है न कि हम समाजवादी समाज की स्थापना चाहते हैं। मैं बिल्कुल विरोध नहीं करता यदि आप अमरीकन रिपब्लिकन पार्टी की तरह से रहते **बगिंग** वगैरह सब करते। किन्तु जो हमारी मान्यताएं हैं यह विधेयक उन के विरोध में जाता है इसलिए हम इसके विरोधी हैं। यह आप शुरू से ही कहते कि हम करेंगे तो हम मान लेते। इसलिए मेरा कहना है कि कथनी और करनी में अन्तर नहीं रहना चाहिए अन्यथा धर्मचक्र प्रवर्तनीय नहीं होगा अपितु अधर्मचक्र प्रवर्तनीय खुले रूप से होगा। धर्म का मतलब है कर्तव्य। और चुनाव में जब कोई खड़ा होता है तो उस की क्या विचारधारा है, देश और समाज का कल्याण कैसे होगा, इस को समझा कर मैं जनता का प्रतिनिधि बनूं। इसमें पैसे का स्थान है ही नहीं। किन्तु आंखों में धूल झोंक कर जो बात कर रहे हैं। जो पहले मर्यादा लगायी थी उसका उल्लंघन जब होने लगे तो क्या उस को नहीं रोकना चाहिए?

सर्वोच्च न्यायालय ने यह नहीं कहा कि पार्टी अपने दल के लिए खर्च नहीं कर सकती। उस पर कोई रोक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगायी लेकिन जब किसी व्यक्ति के लिए पार्टी खर्च करती है तो उस को क्यों न गिना जाये। इसमें कौन सी गलत बात है? जिस पैसे की वजह से समाज की धारणा बिगड़ रही है उस को रोकना ही पड़ेगा क्योंकि व्रयेण सर्ववशः सर्वेगुणाः कांचन पाद्ययन्ति। पुरातन काल से यह चालू है। इसलिए उस पर कैसे रोक लगायी जाये इसी दृष्टि से सोचना पड़ता है। संविधान ने एक मर्यादा दी, सब को समान अधिकार दिया। तो क्या यह समान अधिकार का उल्लंघन नहीं है कि एक सामान्य व्यक्ति खड़ा हो चुनाव में वह तो 7,000 रु. खर्च करे और दल का कोई आदमी हो तो सात लाख खर्च करे। इस का मतलब क्या है यदि हम समानता चाहते हैं तो उसकी ओर क्या यह बिल ले जा रहा है?

विधि मंत्री ने कहा कि 180 लोगों की पेटीशन्स पेंडिग है। प्रश्न यह नहीं कि कितनी पेटीशन्स पेंडिंग हैं। प्रश्न यह है कि हम कहां जा रहे हैं? क्या हम वहां जा रहे हैं जहां पैसे और अधिकार का दुरुपयोग हो या जहां इन चीजों का दुरुपयोग न हो और प्रत्येक व्यक्ति को खुले रूप से अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिले, ऐसी व्यवस्था हम लाना चाहते हैं जो कि संविधान

में निहित है। एक बार पार्लियामेंट के अधिकार को जब मर्यादित करने का विचार आया तो हम ने उस का विरोध किया। विधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उस दृष्टि से समाज को आगे ले जाना चाहते हैं। उन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को यदि व्यवहार में लाने की दृष्टि से कोई कानून है, सर्वोच्च न्यायालय का कोई निर्णय है तो उस को हम को स्वीकार करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो शासन खुद नहीं कर सकता यदि वह सर्वोच्च न्यायालय ने किया तो उसका स्वागत करना चाहिए था। 180 लोगों की बात नहीं है।

सदा देश में लोकतांत्रिक ढांचा कायम रहे और इस लोकतांत्रिक ढांचे में विचार प्रकट करने का अवकाश रहे, ऐसा यदि हमें नहीं लगता है तो 180 लोगों को बचाने के लिए इस तरह का विधेयक लाना उचित नहीं हो सकता है। यह एक पीछे की ओर ले जाने वाला विधेयक है। इस तरह की बात आप क्यों कर रहे हैं यह समझ में नहीं आ रहा है। आप तो आगे ले जाने की बात किया करते हैं। अब उसको छोड़ कर जैसे मेरे मित्र ने अभी कहा है कि यह तो फ्लड गेट्स खोल देगा, पहले कम से कम चोरी से करते थे और अब तो खुले में खर्च करेंगे। पैसे का प्रयोग बिल्कुल भी न हो, कोशिश तो यह होनी चाहिए। सरकार सारा खर्चा वहन करे, कोशिश यह होनी चाहिए। वह खर्चा कोई ज्यादा नहीं बैठता है। हमारे अध्यक्ष महोदय श्री अडवानी ने हिसाब लगा कर बताया है कि सरकार का कितना खर्च होगा। उन्होंने एक-एक निर्वाचन क्षेत्र का हिसाब लगा कर बताया है कि वे प्रत्याशी जिनकी जमानतें बची हैं ऐसे लोगों का हिसाब करके उन्होंने बताया है कि 78 लोग थे जिनकी जमानतें बची हैं और लीगल सीलिंग जो एक्सपेंडीचर पर है, वह 35,000 रु. है। सारा हिसाब लगा कर उन्होंने बताया है कि लोक सभा का खर्चा आएगा 3 करोड़ 66 लाख 13 हजार रु. यदि सरकार इस खर्च को वहन करे। विधान सभाओं के लिए उन्होंने बताया है कि 8 करोड़ 28 लाख 4 हजार खर्चा आपको वहन करना पड़ेगा। इस तरह से कुल मिला कर सरकार का खर्च आएगा ग्यारह या साढ़े ग्यारह करोड़ रुपए। प्रो. के.टी. शाह ने कॉस्टिट्यूएंट असैम्बली में यह बात निकाली थी। उस समय यह बताया गया था कि सरकार के पास पैसा नहीं है। यह फीजिबल है या नहीं यह नहीं बताया गया। विधान सभाओं और लोक सभा का साथ-साथ अगर चुनाव होता है तो खर्चा चौदह-पन्द्रह करोड़ आता है। लेकिन आज आप लोगों ने इसको डी लिंक कर दिया है, एक बार इधर आप पंद्रह करोड़ करते हैं और दूसरी बार उधर आप पंद्रह करोड़ करते हैं। इसके बजाय दोनों साथ-साथ करके आप पैसे की बचत कर सकते हैं और सरकार यह खर्च वहन कर सकती है। दलों की ओर से जो खर्च होता है या बाहर का जो खर्च होता है उस पर रोक लग सकती है और आप चाहें तो दलों को भी आप रिटर्न फाइल करने के लिए बाधित कर सकते हैं। खर्चा कम हो और कोई मामला अंधेरे में न हो इसकी आपको व्यवस्था करनी चाहिए।

आज भी मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि इसके पीछे जो नैतिकता है उसकी ओर आप ज्यादा ध्यान दें। राजनीतिकता में फंस कर सदा अधिकार में आप रह सकें। इस विचार को अगर आपने सामने रखा तो आप देश को गड्ढे में ले जायेंगे। प्रजातंत्र को बिल्कुल आग लगाने की बात आप कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस लेट स्टेज पर भी आप इस पर जरा गम्भीरता से सोच विचार करके इसको वापिस ले लें तो ज्यादा अच्छा होगा वर्ना हमको इसका विरोध करना पड़ेगा।

नेताजी के लापता होने संबंधी जांच समिति का प्रतिवेदन*

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं प्रो. समर गुहा को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने खोसला आयोग के प्रतिवेदन का इतनी बारीकी से अध्ययन करके, उस में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के बारे में जो भी अपमानजनक विचार और विशेषण जाने या अनजाने में लिखे हैं, उन की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया है और यह और भी प्रसन्नता की बात है कि अभी तक जो भी सदस्य बोले हैं, उन सब ने इस बारे में अपनी सहमति व्यक्त की है और श्री समर गुहा को बधाई भी दी है।

जब इतिहास प्रत्यक्ष लिखा जाता है, उस समय तरह-तरह की भावनाएं और कल्पनाएं दिखाई देती हैं। आज जब मैं श्री झारखंडे राय का भाषण सुन रहा था, तो मन ही मन में प्रसन्नता का अनुभव कर रहा था, क्योंकि प्रत्यक्ष जब यह संग्राम चालू था, तो कौन सुभाषचंद्र बोस के बारे में क्या भाव रखता था, इसी बात का इतिहास साक्षी है। किन्तु आज इतिहास समाप्त होने के बाद इस देश की जनता निश्चित रूप से इस नतीजे पर पहुंची है कि अगर स्वाधीनता की लड़ाई में आखिरी और करारी चोट किसी ने दी, तो आजाद हिन्द फौज ने दी।

भारत की वह सेना पकड़ी गई, किन्तु हर एक भारतीय के अन्त:स्तल में सोई हुई भारत माता-स्वतन्त्रता-के बारे में भावना जगा कर, एक सेना खड़ी करके, उस सेना के सामने एक आदर्श रख कर, उस को "दिल्ली चलो" का नारा देकर, प्रत्यक्ष रूप में हिन्दुस्तान को आजाद करने के प्रयत्न में एक श्रेष्ठ अग्रणी नेता के रूप में सुभाषचंद्र बोस उभरे। इसीलिए उनको नेताजी का सार्थक नाम मिला।

मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि खोसला आयोग पर जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उस जिम्मेदारी को उन्होंने नहीं निभाया। वह सिन्ज़ आप ओमिशन एण्ड कमीशन दोनों के दोषी हैं। वास्तव में सुभाषचंद्र बोस की मृत्यु पर किसी को भी विश्वास नहीं था। कम से कम हम तो यही समझते थे कि वे एक अंग्रेज के हाथ में न लगें, केवल इसलिए उन्होंने डोज के रूप में यह सारा नाटक रचा था। किन्तु आज इतने सालों के बाद ऐसा नहीं लगता है। आज इस पर विश्वास करना बहुत कठिन है कि सुभाषचंद्र बोस अभी तक जीवित होंगे।

वैसे कई किताबें मुझे पढ़ने को मिली हैं, जिन में यह सिद्ध करने की कोशिश की गई है कि सुभाषचंद्र बोस अभी जीवित हैं। एक ऐसा फोटो भी मुझे दिखाया गया, जिसमें

* उपरोक्त विषय पर चर्चा में भाग लेते हुए।
लोक सभा वाद-विवाद, 9 मई 1975, cc 406-11 ।

नेहरू जी की मृत्यु के समय सुभाषचंद्र बोस उनके पास खड़े हैं। तमिलनाडु के फॉर्वर्ड ब्लॉक के प्रमुख नेता, श्री मुथुरमिंलाग थेवर हमेशा अपने भाषण में कहा करते थे कि अभी पिछले हफ्ते मुझे सुभाषचंद्र बोस की चिट्ठी मिली है। आखिर तक वह विश्वास करते थे कि सुभाष चंद्र बोस जीवित हैं एक बार मैं उनसे मिलने के लिए गया था, किन्तु उस समय वह बड़े बीमार थे और बोलने की स्थिति में नहीं थे।

ऐसी स्थिति में इस आयोग पर यह दायित्व था कि वह मूल में जाकर, तह में जाकर अपना निश्चित निष्कर्ष दें कि यदि मृत्यु हुई, तो कहां, किस स्थिति में और किस भूमि पर। आयोग का सारा प्रतिवेदन पढने के बाद भी इस नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं। कई त्रुटियां उसमें रह गई हैं जिनका साक्षात्कार उन्हें करना था उन्होंने नहीं किया। जहाँ उन्हें जाना चाहिए था वहां वह नहीं गए।

इसमें सरकार भी कम जिम्मेवार नहीं है। जो चीजें उसने आयोग को उपलब्ध करानी थीं, वे उस ने नहीं कराई, यह श्री समर गुहा की धारणा है। मुझे लगता है कि यह ठीक बात नहीं है। अगर कोई काम जिम्मेदारी के साथ सौंपा जाता है, तो उस को पूर्ण करने के लिए जितनी भी आवश्यक चीज़े थीं वे सब उपलब्ध कराई जानी चाहिए थीं। आयोग का प्रथम काम था निष्कर्ष पर पहुंचना, लेकिन वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा। यह तो सिन ऑफ ओमिशन हुआ। लेकिन उस का सिन ऑफ कमीशन यह है कि जिस की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी, अपेक्षा नहीं थी, अर्थात् जापानियों के मन में सुभाषचंद्र बोस के बारे में क्या भावना थी, उस को लेकर आयोग का लिखना, यह एकदम गलत है। छत्रपति शिवाजी के बारे में ग्रांट डफ क्या लिखता है, यदि इस के आधार पर हम अपना मत बनाना शुरू कर दें, तो इस को उचित नहीं कहा जा सकता है इतिहास का आलोड़न करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि सवाल यह नहीं है कि उन के बारे में जर्मनी, जापान या रूस उस समय क्या कहते थे। सुभाषचंद्र बोस का जीवन हमारे सामने है। आई. सी. एस. की परीक्षा पास करने के उपरान्त उस पर लात मार कर, सर्विस को छोड़ कर, कुर्बानी का जीता-जागता आदर्श उपस्थित कर के यह देश की आजादी के लिए लड़ने वाले सक्रिय संगठन में सम्मिलित हुए।

लगातार कांग्रेस में होते हुए भी सुभाषचन्द्र बोस हमेशा यह बात ज़ोर देकर कहते थे कि युद्ध शुरू होने वाला है, क्योंकि उन के कहने के पीछे विदेशों में रह कर प्राप्त किया हुआ प्रत्यक्ष अनुभव होता था।

लेकिन कांग्रेस उस को मानने की स्थिति में नहीं थी। इस लिए कांग्रेस से उन का मतभेद हुआ और वह कांग्रेस को छोड़ कर चले गये लेकिन अन्ततोगत्वा जब प्रत्यक्ष स्थिति पैदा हो गई, तो अकेले होने के बाबजूद चुप न रहते हुए उस परिस्थिति से लाभ उठाने के लिए सुभाषचंद्र बोस देश से बाहर गये। वहां आज़ाद हिन्द सेना को खड़ा कर के उन्होंने स्वाधीनता हासिल करने में बड़ा भारी योगदान दिया।

अभी मेरे मित्र, श्री मुन्सी ने बताया कि इंग्लैंड आसानी से स्वाधीनता देने के लिए तैयार नहीं था। 1945 के चुनाव के बाद जब चर्चिल ऑपोजीशन में बैठे थे, तो उन्होंने ऐटेली से पूछा कि आप हिन्दुस्तान को आजादी क्यों दे रहे हैं। ऐटेली ने दो बातों का ज़िक्र किया था आज हिन्दुस्तान जैसे बड़े देश को अपने बल-बूते पर रखने की अपने पास ताकत नहीं रही है और जिस के बल-बूते पर हम वहां राज्य करते थे, उस सेना की निष्ठा आज ढह गई है—इंडियन आर्मी इज़ नो लांगर लॉयल टू अस।

यह किस ने किया? जैसे एक सामान्य झोंपड़ी में रहने वाले आदमी के मन में यह बड़ा भारी संदेह महात्मा गांधी ने पैदा किया कि अंग्रेजी राज्य वरदान नहीं है, बल्कि अंग्रेजी राज्य शैतानी राज्य है, वैसे ही आज़ादी हासिल करने के रास्ते कई होते हैं-देश में अहिंसा से लेकर प्रत्यक्ष रूप में शस्त्रचारी मार्ग तक सभी का उपयोग हुआ है, इस बात को देश के लोगों के समक्ष लाने का श्रेय सुभाषचंद्र बोस को है। इसलिए देश-गौरव सुभाषचंद्र बोस जी ने बड़े साहस के साथ, धैर्य के साथ और उस समय जो परिस्थिति थी उस परिस्थिति का योग्यतम उपयोग करते हुए स्वाधीनता को नज़दीक लाने में जो बड़ा भारी योगदान किया, उसके लिए सारी भारतीय जनता हमेशा के लिए ऋणी है। ऐसी स्थिति में नेताजी के बारे में कोई एक अपमानजनक शब्द निकाले यह सामान्य रूप से हम सहन नहीं कर सकते उस दिन जब समर गुहा जी ने उस को फाड़ कर फेंक दिया तो हम कल्पना कर सकते हैं समर गुहा जी अकेले नहीं थे। यानी राष्ट्रवादी भारत की सारी जनता के एक प्रतीक के रूप में यह उन्होंने उस दिन बता दिया कि यह देश का सदन देश-गौरव सुभाषचंद्र बोस का अपमान सहन नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। यह आयोग भी इस बात को समझ ले जिस के ऊपर यह जिम्मेदारी दी थी वह भी भारत की इस भावना को समझ ले, सदन की भावना को समझ ले और आज जैसा मैंने कहा मुझे बड़ी खुशी है कि उस तरफ बैठने वालों ने भी इसका समर्थन दिया है। तो मंत्री महोदय से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि यह बहुत अच्छा है, आप भी समर गुहा जी को धन्यवाद देकर विशेषकर नेता जी के बारे में जो भी अपमानजनक शब्द इस खोसला आयोग के प्रतिवेदन में हैं उस को निकालें और फिर एक बार बता दे कि देश के बड़े सुपुत्रों का कोई भी अपमान जाने-अनजाने में यह देश सहन करने के लिए तैयार नहीं है।

संघ की राजभाषा नीति की समीक्षा संबंधी संकल्प*

In spite of the efforts for the last thirty years we could not bring about unanimity about one language Hindi. How many years it will take to make the people accept all the other languages in this country you can just imagine; I leave it to him. He did not give any concrete suggestions as to how Tamil could be taught, how it could be implemented and how it should be made an official language in the administration. It is not a small problem, Mr. Maran . In Tamil Nadu itself there are four languages: there is Tamil, there is Telugu, there is Malayalam, there is Kannada and there is Tulu; there is Coorgi and there are so many. You will have to write notes in the administration in all these languages in Tamil Nadu itself. It is not so easy and simple even in Bangalore, Tamil is hated like anything by Kannal chaluvaligars they do not like the display of Tamil pictures. Same is the case on the Maharashtra-Karnataka border. You must have seen posters on the wall of Bellary during the reorganisations of provinces: 'Telugu ravanas Tolaindu Po' (Telugu Ravanas, Get Out). Therefore, it is not such a simple thing, Mr. Maran. I can understand your position.

अंग्रेजी के इस देश से बाहर जाने के बाद यह कोई नहीं समझता था कि यहां अंग्रेजी रहेगी। हमने अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकाल दिया। इन्होंने श्री मोरारजी भाई की बात कही है। मुझे उसका कांटेक्स्ट मालूम नहीं किंतु उन्होंने इस पृष्ठभूमि में कहा होगा।

You have every right to oppose it. But when you demanded that Tamil in Tamil script should be declared as one of the official languages of the union, we should make a beginning. How has that beginning to be made? Unless we make certain efforts , it is not possible. Therefore let us try to understand that there are certain national compulsions. You cannot ignore it.

मैं आपको अपना उदाहरण देना चाहता हूं। मेरी मातृभाषा कन्नड़ है। सन् 1930-31 में जब हम प्रभात फेरियों में जाया करते थे तो हम हिन्दी का गीत गाया करते थे

'विजयी विश्व तिरंगा प्यारा
झण्डा ऊंचा रहे हमारा।'

* उपरोक्त विषय पर चर्चा में भाग लेते हुए।
राज्य सभा वाद-विवाद, 23 फरवरी 1979, cc 262-276 ।

उस वक्त हमारे मन में यह भाव नहीं आते थे कि यह गीत हमने हिन्दी में क्यों लिया। यह भाव भी हमारे मन में नहीं आता था कि भारत की जय का गीत हमने हिन्दी में क्यों लिया। क्योंकि उस समय यह समझा जाता था कि खादी के कपड़े पहनना, हिन्दी बोलना यह देशभक्ति की बात है। हिन्दी को हिन्दी वाले नहीं लाये हैं।

Let us not be under this wrong impression that propagation of Hindi has been conducted and carried on by the Hindi-speaking people. No, you will be surprised to find that the first Hindi weekly was, started in Bengal, in the last century 'Udanta Martanda'.

उदन्त मार्तंडः

हिन्दी के काम को किया राजा राममोहन राय ने, हिन्दी का काम किया बंकिम चंद्र ने, हिन्दी के लिए काम किया स्वामी दयानन्द सरस्वती ने, सुभाषचंद्र बोस ने हिन्दी के लिये काम किया, महात्मा गांधी ने हिन्दी के लिये काम किया, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नेता डॉ. हेडगेवार ने इसके लिए काम किया उन लोगों ने हिन्दी के लिए काम किया जिन्होंने समग्र देश की कल्पना की थी। यहां तक कि अपने जितने साधु–संत थे, महाराष्ट्र के संतों नामदेव और ज्ञानदेव ने हिन्दी में अपनी कविताओं की रचना की।

I completely agree with Mr. Maran. Hindi is just a language of the minority here.

बिहार में भी मैथिली बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है। राजस्थान में कई बोलियां बोली जाती हैं।

Therefore, let us not be under this impression that it is imposed upon us. If it is imposed upon a non-Hindi gentleman, it is equally imposed upon a gentleman who speaks Bhojpuri who speaks Maithili, who speaks Magadhi, who speaks Chhattisghari, who speaks Maithili, who speaks Bikaneri. So, if it is an imposition, it is not exclusively meant to people who speak only English. And, Mr. Maran, we connot divide the country into English-knowing country and Hindi-knowing country. Do you mean to say that in Tamil Nadu, people know English? It is only two per cent of the people who know English and they have completely monopolised all the offices. What about the 98 per cent of the people who speak Tamil? They connot even get a postman's job unless they know English. Only a small percentage, only two per cent of the population monopolised the offices. And if you want to fight against this monopoly, you will have to take recourse to our provincial languages. Hindi is not going to substitute the provincial languages. No. We are fighting for it. Our official policy is that every administrative department must conduct itself in Tamil in Tamil Nadu and in Kannada in Karnataka. But the pity and the tragedy is that even after so many years, even in Karnataka also, it is not even 25 or 30 per cent

of the work that is carried on in Kannada. The whole thing is going on in English only. And for the simple reason of fighting this Hindi, we have blocked the way of any Southerner to become the Prime Minister of this country. You are solely responsible.

मेरी मातृभाषा कन्नड़ है, पढ़ाई मराठी में हुई, बोलता हूं हिन्दी, राजनीति में बोलना पड़ता है। आखिर देश का जब हम विचार करेंगे तो हमें यह करना पड़ेगा अंग्रेजी के चले जाने के बाद इंडिया भारत हो जायेगा।

India will not continue for long. This is Bharat.

गोल्ड कोस्ट का नया नाम बदला है घाना। जैसा आपने आज सुना कम्बोडिया कंपूजिया है

Correct. That was Khambhoj. Take you are hearing the name of Zimbabwe. Where was Zimbabwe? You are hearing Malawi. Where was Malawi?

यानी उनको लगता है कि हम अलग है, हमारी भाषा है।

I have seen the Tanzanian Parliament. They conduct themselves very well in Swahili. Swahili is not a rich language. Swahili means shore—the language that was spoken on the shore.

'हिल' का मतलब होता है 'किनारा'। वे स्वाहिली में अपना काम चलाते हैं यह इसलिए क्योंकि वहां पर अंग्रेजों का दरबार ज्यादा दिन नहीं चला था। केनिया में अंग्रेजी में चलता है वहां पर अंग्रेजों का दरबार ज्यादा दिनों तक चला था अंग्रेजों के चले जाने के बाद वहां गॉड सेव दि किंग, गॉड सेव दि क्विन नहीं रह सकता था, जन गण मण और वन्देमातरम् को स्वीकार करना पड़ा उसी तरह अपना ध्वज है यूनियन जैक को छोड़ना पड़ा। वैसे ही इस देश को चलाना है यदि देश को चलाना है तो देश को भाषा चाहिए। श्री मारन ने युगोस्लाविया का उदाहरण दिया।

Yugoslavia is a country with six republics, and each republic has got its own language. Mr. Tito himself is a Croat.

जैसे हमारे देश में हिन्दुस्तानी हैं वैसे ही वहां पर सर्बिया और क्रोएशिया को जोड़कर सर्बोक्रोए है।

Serbocroat is the language of Yugoslavia.

फिर उन्होंने उदाहरण दिया स्विटज़रलैंड का Definitely they speak three languages. But they have evolved a language of their own, which is known as Romanche. फ्रेंच का जहां आधिपत्य रहा जैसे मेडागास्कर और मॉरीशस, The people there speak Creol. That is not your French. That is a mixture of so many languages. They speak Creol.

तो जैसे यहां विदेशी आए उन्होंने समझा कि अब चलाना है उन्होंने यहां की भाषा उठा ली और उसमें अरबी के शब्द, फारसी के शब्द घुसेड़ दिए जिससे उर्दू बनी। संविधान सभा में जो चर्चा हुई उसके विषय में श्री कृष्णन ने कहा कि एकमत नहीं था। मैं यह कहना चाहता हूं कि चर्चा इसलिए नहीं हुई कि आगे चल कर अंग्रेजी रहे या हिन्दी, नहीं। यह चर्चा थी कि यहां देवनागरी में लिखित संस्कृतनिष्ठ हिन्दी रहे या जिसमें फारसी, अरबी के शब्द हों वह हिंदुस्तानी।

The question was not whether this country should accept English forever. The question was whether the language that should be the official language of this country after the withdrawal of the Britishers from here, should be Hindi based on Sanskrit and written in Devanagiri script or it should be Hindustani written in Persian script. और यह एकमत से हुआ। मैं मानता हूं यह सही है। जब हम कहते हैं कि देश एक है तो हर एक को कहना पड़ता है कि एक भाषा चाहिए। In Russia there are 16 nations. The same is the case with China.

किंतु रश्यिंस जो अपना काम चलाते हैं वे 16 भाषाओं में नहीं चलाते हैं। इसलिए हिन्दुस्तान के अन्दर भी हमको लगता है कि हमारी भाषा एक होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि वह कौन-सी भाषा हो? जो भाषा यहां पर पुराने जमाने से चलती आई हो, हमें उसी को लेकर चलना चाहिये। भूषण कवि के सामने कोई ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट नहीं था। उन्होंने शिवाजी महाराज के चरित्र का गायन हिन्दी में किया । भूषण कवि ने हिन्दी में क्यों किया? आखिर क्या जरूरत पड़ी थी? उनके सामने कोई चुनाव जीतने का प्रश्न नहीं था।

इस देश के अन्दर जो साधु महात्मा घूमते रहे, चारों धामों में जाते रहे एक शब्द इधर का और एक शब्द उधर का करते-करते एक भाषा बनी। इस प्रकार से हिन्द की भाषा हिन्दी बनी जो किसी प्रदेश विशेष की भाषा नहीं थी। हिन्द की हिन्दी और उसको सारे देश ने स्वीकार किया। गड़बड़ यदि कुछ हुई हो तो मैं कहना चाहता हूं कि जब नया उत्साह रहता है उस समय आदमी भाषा को स्वीकार करता है, जरूर करता है नहीं करता हो, ऐसी बात नहीं है। आज हम क्या देखते हैं? पुराने जमाने में इंग्लैंड के राजा-रजवाड़े थे, यूरोप के थे आपको पता है कि जर्मनी और इंग्लैंड के लोगों के बीच में शादियां होती थीं। एडवार्ड तो जर्मन बोले और इंग्लैंड की रानी अंग्रेजी बोले तो कैसे चलेगा? पत्नी के लिए वे सीखे और पति के लिए वह जर्मन सीखे यही हाल था। हमारे मैसूर के महाराजा की पहली पत्नी धरांगदरो की थी और गुजराती बोलती थी। अल्टीमेटली पत्नी पति की और पति पत्नी की भाषा सीखता था। यह होता था। हमारे यहां नेपाल से रिश्ता होता था मातंड वर्मा केरल का था और दूसरे क्षेत्र से लड़कियां आती थी कोई झगड़ा नहीं होता था? यह तो शुद्ध 'काम' है कि जिधर से पत्नी लाए उसकी भाषा सीखे। 'अर्थ का एक उदाहरण यह है कि जैसे सिंध प्रदेश से लोग आये, पंजाब से विस्थापित होकर लोग आए, बंगाल से विस्थापित होकर आए। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो व्यापारी हैं जैसे सिंधी व्यापारी विशखापटनम, विजयवाड़ा और मद्रास आदि शहरों में हैं वे सब वहां की भाषा बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अलावा उनका धंधा नहीं चलेगा। अब हमारे

दक्षिण के जितने सिनेमा स्टार हैं जैसे वैजयंतीमाला है, हेमामालिनी, जसूदास और लक्ष्मी They all act in the Hindi films. Why? Hindi has got a bigger market. They do not have any love for any particular languages.

*** *** ***

I am saying it. I am holding a brief for the South. अरे साऊथ के कितने आचार्यों ने समग्र देश पर कब्जा किया। एक दक्षिण का शंकराचार्य निकला चारों धाम में मठ स्थापना करने के लिये। उन्होंने पूछा नहीं कि म्युनिसपालिटी मुझे जगह देगी कि नहीं। चतुर्मठ की स्थापना जिन्होंने की उनके सामने समग्र भारतवर्ष था क्योंकि भले ही केरल में कालड़ी में वे पैदा हुए पर हर दिन स्नान करते हुए उनको याद आया करता था 'गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु'। सिंधु काश्मीर के अन्दर है और नीचे है कावेरी, नर्मदा बीच में हैं। यह बातें समग्र भारत को बताने के लिए केरल में कालड़ी में पैदा हुए शंकराचार्य के दिल में आया कि मैं उत्तर में भी पहुंचूं।

*** *** ***

मैं यही बताना चाहता हूं कि कल इस संसद का क्या होगा। 1976 में ही हमने मांग की थी। उस समय केवल हिंदी, अंग्रेजी थी। हमने कहा कि यह नहीं चलेगा, हम अपनी भाषा में बोलेंगे । उसका भाषान्तर हो। किन्तु उसका अनुवाद हिंदी और अंग्रेजी में होता है। परन्तु यदि सभी मांग करेंगे, तो सभी भाषाओं including tribal languages का भी भाषान्तर करना पड़ेगा क्योंकि जो यहां पर सदस्य आयेंगे, वे एक ही भाषा जानेंगे। तो कन्नड़ में बोलने वाले का सभी भाषाओं में भाषान्तर करना पड़ेगा और हिन्दी बोलने वाले का कन्नड़ या मराठी सभी भाषाओं में भाषान्तर करना पड़ेगा। It is not a simple thing. इसलिए यदि देश को सरकार चलानी है, तो यदि यह कह दें कि इम्पोज़ीशिन है, तो every tax measure is an imposition and it is not only on the non-Hindi speaking people, it is on Hindi-speaking people also. Every tax measure is an imposition. Why do you impose taxes?

कोई हम बांध बनवाते हैं और ज़मीन डूब जाती तो लोग विरोध करते हैं But in the interest of majority, you have to do it. कोई कहीं कारखाना खुलता है, जैसे भिलाई में, कोयम्बतूर में, वहां काम मिलता है, कोई रिफाइनरी खुलती है तो वहां के लोगों को काम मिलता है, बन्दरगाह जहां होता है वहां के लोगों को काम मिलता है। यह नहीं कह सकते कि हमको काम नहीं मिलता है और उनको मिलता है, क्योंकि आगे जाकर इम्तहान में भी जो आगे आयेगा, उसी को लिया जायेगा।

*** *** ***

इसलिये हमने यह इस देश की राजभाषा हिन्दी के रूप में स्वीकार की है? Let us not say that it is an impositon. It is a self-accepted fact for the simple

reason that it is in our Constitution and everybody must have gone through the Preamble of the Constitution. This has been given unto ourselves. Nobody else has given it to us. We have given this Constitution unto ourselves. The founding fathers of the Constitution had envisaged that in a period of 15 years there would be a peaceful change-over and since 1965 the official language of the country must have been Hindi but unfortunately, the Government did not take any trouble. It was left to the cinema world to popularise Hindi. The best pictures are produced in Bengali language.

बंगाली फिल्में महाराष्ट्र में, गुजरात में नहीं चलती और 'यादों की बारात' तमिल में एक वर्ष चली। वन फुल इयर। तो यदि पिक्चर की दृष्टि से देखा जाए, बंगला फिल्में बढ़िया होती हैं पर क्यों नहीं चलतीं, क्यों उनका मार्केट नहीं है? जो कहते हैं कि हिन्दी समझ नहीं आती उनको पता लगना चाहिये कि लोग हिन्दी फिल्में क्यों देखते हैं? हिन्दी फिल्म चलती है और लोग उसे देखते हैं, इसका मतलब यह है कि लोग हिन्दी समझते हैं।

On a popular level and on the level of the people, absolutely there is no opposition, It is a political move, I can understand. हिंदुस्तान के अन्दर भी हिन्दू-मुसलमान का झगड़ा लेकर खड़े होते हैं। पर बिस्मिल्ला खाँ की शहनाई का विरोध नहीं किया जाता, अमजद खाँ का सिद्ध सरोद विरोध नहीं किया जाता, बड़े गुलाम अली खाँ का विरोध नहीं किया जाता, गामा पहलवान का विरोध नहीं किया जाता। यह जो मिस्टर हुसैन जो आर्टिस्ट हैं उनका किसी ने विरोध नहीं किया।

On the social level, there is absolutely no opposition. यहां की धारणा-'गुणिषु न चलिंगं न च वय:' है। यह जो विविधता से भरा अपना देश है उसके अंदर जितनी भाषाएं हैं उनके अन्दर भी एक सूत्र होता है। He quoted Sanskrit. As a matter of fact, Sanskrit is the mother of all languages.

जो हम तमिल बोलते हैं, वर्णमाला क्या है? अ आ इ ई। केवल तमिल में व्यंजन कम है- क ड च ट ण,.. बाकी सब क ख ग घ हैं।

*** *** ***

उपसभाध्यक्ष महोदय, उन्होंने क्या कहा मैं बताता हूं। आप की तमिल में शीक्किरम है और संस्कृत में शीघ्रम् हैं। यही शीक्किरम "शीघ्र" है—'Sikkiram' is a form of 'Shikram' आप जो पू कहते हैं, "पू" 'Poo' is a form of 'Pushpam'.

यह तो प्राकृत है।...

तमिल में कहते हैं "चोंरू", उसका मतलब होता है—चावल, भात। यज्ञ में जो आहुति दिया जाता है चावल, का वही चोरू है। 40 प्रतिशत शब्द संस्कृत के हम में हैं। दूसरी बात है, अपना व्याकरण समग्र भारतीय भाषाओं का एक है अंग्रेजी में है। I go home. कर्ता के बाद एकदम

क्रियापद आता है किंतु आता है अंग्रेजी में है— ऐसा, किसी भी भारतीय भाषा में नहीं जैसे मैं घर जा रहा हूं।

तमिल में—नान् वीट्टुक पोहिरेन।
तेलगू में—नैनू इन्टीकी पोत्तानूं।
कन्नड़ में—नानू मनैक्यू होगतेने।

पहिले कर्ता-कर्म, बाद में क्रियापद। इसमें सारा जो है वह पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रियापद पर आता है। यह जो व्याकरण है पूरे देश का एक है। इसको हम नहीं भूलें। मारन जी समझते हैं अंग्रेजी हमारी भाषा होगी। भाषा आत्मा को प्रदर्शित करती है।

भारत की भाषा में जो आशय होता है वह अंग्रेजी में नहीं। अंग्रेजी में कहते हैं- 'Bones for the latecomer'. 'जो देरी से आएगा वह हड्डी खाएगा'। यह हमारे यहां नहीं है। जो देरी से आएगा वह भी भोजन करेगा।

*** *** ***

Therefore, you have to take all this into account. If tomorrow, somebody says English is the language of this country, it cannot exactly express the soul of this country. Unless the soul is expressed, you cannot call it our language. Language is a medium of expression. It is a mode of expression. I should be able to express myself. In the English language, we say 'I am not feeling well'. As a matter of fact, according to the Bharatiya conception, 'I' is always well. There is no question of 'I' being unwell.

यदि हम भारतीय भाषा में कहते हैं तो कहते हैं—मेरी प्रकृति ठीक नहीं। तमिल में क्या कहते हैं। उडम्बु सरिया इरिका।

So, we should have a language of our own, in which the soul can be expressed completely and comprehensively. If a language does not meet this requirement, it cannot, become the language of the country. In the case of Hindi, it was a question of Hindi that was not spoken but that was understood by the majority of the people. People knew that Hindi is going to become the official language of the country. Naturally, many people took to Hindi because many people knew it. For example, I myself did not know it. Therefore, when you have decided that this is the official language, you should not have wasted thirty years, even for a simple language. You should make people understand and you should make people feel. This is my language, this is my country. Unless we begin our work in our own language, we will not feel the necessity for a link language. When we start transacting our business in Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam and so on, in all our languages, then we will feel the necessity of a common language, a link language. Then, Hindi will automatically come in. Now, only two per cent of the people knowing English have been

monopolising everything depriving ninety per cent of the population of this country to come into the mainstream. Therefore, we oppose it.

इसलिए उन्होंने जो प्रस्ताव दिया है वह बहुत कांप्रिहेंसिव प्रस्ताव है। उनके मन में था हिन्द का विरोध, मैं समझ सकता हूं, किन्तु जो उन्होंने दो-तीन बात कहीं, मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दी को राजभाषा के रूप में देश के 3 हिस्सों में बांटा है-क, ख और ग - और तमिलनाडु 'ग' में आता है।

Absolutely, there is no compulsion. That forms part of C, and who has crossed 45 years of age, there is no compulsion for him to learn Hindi. This is the policy.

*** *** ***

That is true. Therefore, certain responsibility is put upon those areas wherein they speak Hindi, for instance, Bihar, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, even Punjab, Maharashtra and Gujarat are excluded because they come under B category. So, slowly we want to make progress. Therefore let us not go in terms of South and North and the division of the country. Britishers brought in their language and we give them credit to bring unity.

If by imposing english they brought about unity. The Nizam imposed urdu on Karnataka, Vidarbha, Gulbarga in Telangana, nine districts of Andhra Pradesh, Marathwada, five districts of Maharashtra. He never cared. He imposed Urdu. Muslims from Kerala and Tamil Nadu learn Urdu. There are schools. He thinks that Urdu is a part of his religion. Whosoever is a Muslim must learn Urdu. There are madarsas.

*** *** ***

I know that. 'Chandrika' is printed in Malayalam in Kerala because there Muslims cannot speak Urdu. The same is the case with Tamil Nadu. Do you mean to say that I do not know it? But then he thinks that one who is a Muslim must speak Urdu.

*** *** ***

The first thing is that ours is one nation and there are no different nationalities in this country. We consider this great country to be one and this has not only been said by us but it is in Visnupuranam

'उत्तर यत् समुद्रस्य। हिमाद्रिष्चैव दक्षिणम्।
वर्ष तद् भारत नाम। भारती यत्र संतती।।

That means ours is a territory that spreads right from South Seas to the highest peaks of Himalayas as one and indivisible and that is known as Bharat.

The Puranic period is considered to be 500 years B.C. So, in those ancient scriptures they never considered in terms of Kannada, Marathi, Telugu or Tamil. The richest language is Tamil with *Thirukkural*, I know it. But then unless you open your hearts and go to the people and tell them, how can you achieve this? Even Thirukkural has been translated into Hindi. I have got a copy of it. In our Karnataka बसवाना ने बहुत–सा सामाजिक काम किया वह साहित्य सब कन्नड़ में रहा, इसलिए बाहर नहीं गया।

But then there has always been a revolt. The Buddhists revolted against Sanskrit. Janeswar was the first to revolt against Sanskrit and he brought in Marathi. Baswanas revolted against Sanskrit and Kannada was brought in. So, naturally, all people in independent and free country must speak in the language of the people, not only in the language of 2 per cent of the people who have monopolised completely. I will fight that, I will fight for those 98 per cent who speak their own language, Tamil.

Then he has quoted about a Bank recently, I had been in Calcutta. We said you cannot simply put 'State Bank of India' In English and Hindi. It must be in Bengali also. It must be in three languages because the banks are meant for the people, the LIC is meant for the people and, therefore, you must use the language of the people. Therefore, we do not want to substitute Kannada, Telugu, Malayalam by Hindi. No, we want to substitute only English. We want all these languages to flourish. We want all these languages to be enriched, but at the same time, as a country, as a nation, we want a common language for all of us and for that Hindi has been accepted and , it is our duty to work for it.

Therefore, by opposing this resolution I support the language Hindi as a mode of official language.

Thank you.

CONSTITUTIONAL AND PARLIAMENTARY MATTERS

संवैधानिक और संसदीय मामले

मंत्रिपरिषद् में अविश्वास प्रस्ताव*

सभापति महोदय, अविश्वास के प्रस्ताव का पूरी ताकत के साथ समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। यह अच्छा होता कि सामने जो बैठने वाले हैं वह सुनने के लिये जरा यहां रहते। या तो वह यह समझ कर चले गये होंगे कि आगे जाना ही है बाहर तो उस के पहले ही खुद चले जायें। यह ठीक नहीं है। जिस प्रजातंत्र की बात को लेकर यहां कल गृहमंत्री जी बहुत बोले तो उन के सामने हम भी कुछ बोलना चाहते थे। यह प्रजातंत्र नहीं है। जब कि अविश्वास का प्रस्ताव सदन के सामने पेश है, न प्रधानमंत्री हैं, न उपप्रधान मंत्री हैं, न वित्त मंत्री हैं, न गृह मंत्री हैं, न राज्य स्तर के गृह मंत्री हैं। यह क्या है? यह जो दृश्य दिखाई दे रहा है ...*(व्यवधान)*... यानी विरोधी दल वाले क्या कहना चाहते हैं इसको वह सुनना नहीं चाहते। यह कोई अविश्वास का प्रस्ताव एक बंगाल की बात को लेकर नहीं आया। पूरी सरकार पर, सरकार की जितनी कार्यवाही है, चौथे आम चुनाव के बाद जितनी बातें हुई हैं उन सब बातों को लेकर यह अविश्वास का प्रस्ताव आया है। इसलिये यह अच्छा होता, कि प्रमुख जो हैं इसके, वह यहां सुनने के लिये रहते। मैं याद दिलाना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि सब से पहले अविश्वास का प्रस्ताव 1963 में पहली बार आया। इस देश का पूरा विश्वास कांग्रेस के साथ था, 1963 तक बना रहा और पहली बार अविश्वास का प्रस्ताव इस सदन में जब पेश किया गया उस को स्वीकार किया गया, तभी यदि होश में आते, संभल लेते, समझने की कोशिश करते कि अविश्वास का प्रस्ताव क्यों आया, क्यों यह स्वीकृत हुआ तो 67 के चुनाव में जो स्थिति आई वह न आती। 1967 के चुनाव में जनता ने बता दिया कि हमारा विश्वास नहीं है, न इनके राम-राज्य पर है न इनके कामराज पर है। किसी पर भी भरोसा नहीं है। यह जनता ने बता दिया। अब वास्तव में तकाजा यह था प्रजातंत्र का कि इस अधिकार का इतने दिन तक उपभोग करने के बाद वह यह समझ लेते कि प्रजातंत्र में कभी यह दल अधिकार में रहेगा, कभी दूसरा दल अधिकार में रहेगा वह भी कैसा काम करते हैं इस का मौका देते। इस देश के अन्दर सब प्रयोग हो चुके हैं। यहां विश्वामित्र का पतन भी होता है, फिर विश्वामित्र मेनका, उर्वशी सब का त्याग कर के सब के सामने एक आदर्श के रूप में आ खड़े होते हैं। मैं जब गोवा जेल में था तो मेरे साथ एक कवि थे। उन्होंने कहा कि आज का शासन जो है वह आधुनिक विश्वामित्र है। मेनका आये, इसीलिये तपस्या के लिये बैठता है। गलती क्या हुई? मोह में हम न फंसते, इस बात को हम समझ लेते तो यह नौबत न आती। अभी-अभी खबर आई है कि पंजाब में दलबदल हुआ, पंजाब के मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया।

* मंत्रिमंडल में अविश्वास प्रस्ताव, 1967 पर चर्चा में भाग लेते हुए लोक सभा वाद-विवाद 22 नवम्बर 1967, 2049-64 ।

अब कल ही हरियाणें पर यह सब बात आई अर्थात् मंत्रिमंडल भंग करके राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया। वैसे मेरे नजदीक एक बुढ़िया मर गयी इसका अफसोस नहीं लेकिन अफसोस तो इस बात का होता है कि मृत्यु दरवाजा देख लेती है। एक बार पता चले कि अगर दिल्ली में बैठी हुई सरकार मदद करने जा रही है तो यह बदला हुआ है। हमारे माननीय गृह मंत्री चाहें या न चाहें दलबदल अच्छा या बुरा किन्तु उसका असर तो जरूर होता है यह आज ही पता चला। हरियाणें का असर पंजाब पर जरूर होगा किन्तु यह दलबदल भी क्यों होता है इसका थोड़ा अनुसंधान करके हम समझ लें तो सारे देश के लिए अच्छा होगा। यह कोई आज की बात नहीं है। बदलाव कोई बुरा नहीं होता। Change is the law of life बदलाव हमेशा रहता है। If there is anything permanent in this world, that is nothing but change. इसलिए हमारे पिछले ऋषि, मुनियों ने अपनी अन्त:प्रेरणा को प्रकट किया:

"असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय अमृत्योर्मा अमृतं गमय।"

यानी हम को बदलना है हम को जाना है, किन्तु बुराई से अच्छाई की ओर जाना है। बदल हो तो अच्छाई में बदल हो यह हम समझ सकते हैं। इसलिए कोई एक आदर्श निर्माण करना पड़ता है किन्तु मुझे आप क्षमा करें यह कहने के लिए कि अपने देश को आजादी मिले In our anxiety to get Independence to this country हमने आदर्श और तत्व को पैरों तले रौंदना शुरू किया। हमारे दिलों के अन्दर भी पिछले बीस साल में अधिकारों का मोह घुस गया और यह जो आज दलबदल है यह इसके पहले भी बदल होता था। There were group defection, loyalties were changed from one group to another.

इसके कारण एक पार्टी होने के बाद भी मंत्रिमंडल बदला करता था। मैसूर में हमने देखा कि हालांकि दल एक ही था लेकिन पहले श्री के.सी. रेड्डी मुख्यमंत्री बने, श्री हनुमन्तय्या बने और श्री निजिलिंगप्पा बाद में वहां के मुख्यमंत्री बने। हर एक नये मुख्यमंत्री के साथ नीतियां भी बदलती थीं। जिस मैसूर प्रदेश से मैं आता हूं वहां अब श्री निजिलिंगप्पा का मंत्रिमंडल बना हुआ है और इसलिए पहले के मुख्यमंत्री के काल में चलने वाली नीतियों में भी तबदीली आई है। एक मंत्रिमंडल में इंटिग्रेटेड मैडिकल कोर्स मैडिकल कालेज में स्टार्ट किया, दूसरा मंत्रिमंडल आया तो उन्होंने उसे बन्द कर दिया। श्री हनुमन्तय्या जब वहां पर चीफ मिनिस्टर की हैसियत से बैठते थे तो उन्होंने वहां की विधान सौध में एक बढ़िया शब्द लिखवाया था: God's work is Government's work. लेकिन उनके बाद जब वहां पर दूसरे मुख्यमंत्री आये तो उन्होंने उसे हटवा दिया as though Government's work is Satan's work. इसलिए जैसा मैंने कहा एक दल के अन्तर्गत भी यह बदलाव होता था और उसमें भी नीतियां बदलती रहती थीं। जब श्री हनुमन्तय्या मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने शिक्षा नीति में परिवर्तन करके जनवरी टु जनवरी रखा। जब श्री हनुमन्तय्या नहीं रहे तो दूसरे मुख्यमंत्री ने मार्च टु मार्च किया। यहां पर एक ही दल होने के बाद भी यह डिफैक्शंस चलते थे, इंट्रीग्स चलती थीं, ग्रुप डिफैक्शंस चलते थे और मिनिस्टरियां बदलती थीं। केरल में कई कांग्रेस की मिनिस्टरियां खत्म हुईं। बिहार में यही हाल हो

गया। मध्य प्रदेश में भी वही हाल हुआ। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसको रोकने के बजाय प्रोत्साहन दिया जाने लगा।

मध्य प्रदेश के श्री द्वारका प्रसाद मिश्र जब सन् 1951 में बाहर आये तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से पंडित जवाहरलाल की जिस तरह नुक्ताचीनी की और उन्हें भला बुरा कहा और जैसी भाषा का प्रयोग उन्होंने इस चीज के लिए किया था वह प्रजातंत्र को शोभा नहीं देता। हमने कहा था कि हमारा उनसे विरोध जरूर है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम गालीगलौच करके विरोध को प्रकट करें। कितने ऐसे ही आदमी कांग्रेस में आ जाते हैं, पी.एस.पी. में आ जाते हैं और फिर उससे बाहर चले जाते हैं। वाइस चान्सलर बनते हैं और फिर कांग्रेस के अन्दर आ जाते हैं। वह कांग्रेस के अन्दर जायें मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, एक दल छोड़ कर दूसरे में चले जाते हैं लेकिन होता यह है कि दल छोड़ कर कांग्रेस में शामिल होने के लिए उनको प्रमुख पद दिया जाता है और वह मुख्यमंत्री बनते हैं कोई इसमें बिलकुल लज्जा ही नहीं मालूम होती है।

विद्आउट ऐनी स्क्रपल्स हमारे जनसंघ के अध्यक्ष श्री मोलिचन्द्र शर्मा को इसी तरह उधर से फोड़ लिया गया। अभी हमारे गृह मंत्री कल हरियाणें के ऊपर हो रही बहस के समय यह दो व्यक्तियों द्वारा सुबह-शाम पार्टियों की अदल-बदल के बारे में चिन्ता प्रकट कर रहे थे और कह रहे थे कि इसे सबों को मिल कर रोकना चाहिए और यह कह रहे थे कि एक व्यक्ति जिस पार्टी के टिकट पर किसी असेम्बली आदि के लिए चुना जाय वह अगर वहां पहुंच कर पार्टी बदल ले तो जनता को उसका पूर्ण बहिष्कार करना चाहिए और उस शख्स को आइन्दा वोट नहीं देना चाहिए। लेकिन हमारे ही भूतपूर्व अध्यक्ष श्री मोलिचन्द्र शर्मा को इन लोगों ने गुड़गांव क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस का टिकट दिया है। आखिर जिनके हाथ में अधिकार है, शासन चलाने की बागडोर है उन पर इसकी ज्यादा जिम्मेदारी होती है। इस जिम्मेदारी के साथ यदि हम ठीक चलते और अपने ही अन्दर यह जो अधिकारों के बारे में व्यामोह पैदा हो गया है उसको निकाल कर यह लोग विरोधी दलों के नेताओं के साथ मिल कर बैठते और देश का भविष्य ठीक बनाने हेतु यदि हम सब मिल कर प्रयत्न करते तो यह नौबत न आती। 63 के दिनों में क्यों आई? इसी तरह 67 के बाद भी राजस्थान के अन्दर अपने ही हाथ में अधिकार रखने की कोशिश की गई। हम उनको भी खुली छूट देते, मौका देते उनको भी करने देते, अधिकार चलाने देते। अब विरोधी दलों को केवल यह आदत लग गयी थी कि आलोचना करो, टीका-टिप्पणी करो जिम्मेदारी भी किसी को निभानी पड़ती तो उनको पता चलता। कांग्रेसी शासन जहां-जहां बना उन पर एक बड़ी भारी जिम्मेदारी थी। 20 साल के पिछले कांग्रेसी शासन से लोगों ने बड़ी आशाएं बांधी थीं। लोग उसकी ओर बड़ी उम्मीद से आंखें लगा कर देखते थे लेकिन मुझे बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि लोगों को निराशा ही पल्ले पड़ी। जहां कम्युनिस्ट पार्टी अधिकार को अपने हाथ में लेकर बैठी वहीं उन्होंने ऐसा ढंग अपनाया, ऐसा रवैया अपनाया कि न केवल कांग्रेसी शासन को ही चोट लगी बल्कि सारी जनता की जो भावना थी उस पर भी उन्होंने पानी

फेर दिया। आपका विश्वास प्रजातंत्र में हो या न हो वह बात अलग है किन्तु एक बार when you decide to work within the frame work of a given constitution and with the idea of a democratic tendency here, उसके खिलाफ कुछ करें तो यह बात ठीक नहीं है। नक्सलबाड़ी के अन्दर अगर कोई एग्रेरियन प्रॉब्लम होती Naxalbari is no agrarian problem. It was within the purview of the provincial Government to enact suitable legislation and to given proper relief to the peasantry. वह करने के बजाय यदि कोई वहां विद्रोह का झंडा खड़ा करने की चेष्टा करे, इतना ही नहीं When the Naxalbari situation gets a patting from the Radio Peking. All the more it sound sinister. कोई विदेश की ताकत इस देश के अन्दर दखल दे और यहां भी जब तब गड़बड़ियां होती रहें उन्हीं बातों को लेकर हमारे बीच के अन्दर कोई एक दीवार, खाई खड़ी कर दें तो इसे कोई सच्चा राष्ट्रभक्त बर्दाश्त नहीं कर सकता। कम्युनिस्ट भी राष्ट्रभक्त होने चाहिए। कम्युनिज्म कोई एक आर्थिक नीति हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं किसी का पिछलग्गू बनूं। इसका मतलब यह नहीं है कि 1962 के दिनों में बड़े पैमाने पर जब हमारे देश पर बाहरी शत्रु ने हमला किया और देश की आजादी खतरे में पड़ी थी तो यह कम्युनिस्ट बंधु चीन के माओत्सेतुंग के चित्र को हाथ में लेकर कालीकट और कलकत्ते में घूमें और ऐसा किया जाना एक लज्जा की बात है। इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई एक जिम्मेदार नेता आकर कहे कि The High Court Judge should be gheraod. That is the last word of wisdom औद्योगिक अशान्तता को दूर करना है। If you want to arrest the industrial unrest in this country, gherao is not the solution. हमें उसके मूल में जाना होगा और जब तक हम मूल में नहीं जायेंगे औद्योगिक अशान्तता दूर नहीं होने वाली है। इस प्रजातंत्र पर ही जिनका भरोसा नहीं है ऐसी स्थिति सब के सामने लाकर उन्होंने सब की स्थिति खराब कर दी है। इसलिए हम यह समझते हैं कि हरियाणा के अन्दर जैसे उन्होंने वहां की शांति, व्यवस्था बिगड़ गयी थी इसी बात को लेकर **अंडर आर्टिकिल 356** यदि वह डिसमिस कर देते तो बहुत अच्छा होता किन्तु पिछले इन 20 सालों के अन्दर मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि इस देश के अन्दर कम्युनिस्टों को किसी ने अगर बढ़ावा दिया होगा तो वह कांग्रेस ने दिया है। केरल को जैसे उन्होंने अपने हाथ से जाने दिया वैसे कहीं आगे न हो। हम चाहते हैं कि हमारे देश के जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं वह सुरक्षित रहें और देश की सुरक्षा सब से बड़ी चीज है और उसके सामने कोई दलगत भावना नहीं आ सकती और न आनी ही चाहिए। जहां देश की सुरक्षा का सवाल आ जाता है सब कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहें। इसलिए सन् 1962 के दिनों में जब चीन का संकट देश के सामने आकर खड़ा हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सब देशों के सामने यह बात रखी:

"उत्तरम् यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम् वर्षम् तद्भारतम् ताम्"। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक समग्र भारत एक है। विष्णु पुराण में यह समग्र भारत का वर्णन आया है जो कि मैंने अभी बतलाया है और आज भी आपको उसके पढ़ने से समग्र भारत का यह वर्णन मिलेगा और आगे आने वाली पीढ़ी इस समग्र भारत की बात को भूल न जाये इसलिए उन्होंने इसे बतला दिया है।

Right from the deepest seas of the South to the highest peaks of the Himalayas the whole country is one and indivisible.

समग्र भारतवर्ष बिल्कुल एक है और इस नाते भारत का हर एक आदमी कन्धे से कन्धा मिलाकर चीन के खिलाफ खड़ा हुआ। किन्तु दु:ख यही है कि सन् 62 में अपनी गफलत के कारण हमने ठोकर खाई लेकिन उस ठोकर को खाने के बाद भी हमें होश नहीं आया। चीन इन दिनों में जो आया वह बिल्कुल कन्वेंशनल आर्म्स लेकर आया वह एटम बम लेकर नहीं आया था लेकिन हम को समझाया गया कि **वेव्स आफ्टर वेव्स** ऐसी चीनी सेना हमारे ऊपर चढ़कर आई लेकिन मेरा कहना है कि भारत में भी आबादी कुछ कम नहीं है। हमारे डॉ चन्द्रशेखर से पूछिये तो कहेंगे कि बहुत है। यदि चीन **वेव आफ्टर वेव** भेज सकता है तो भारत **सुपर वेव आफ्टर सुपर वेव** भेज सकता था और हम उसे पीछे हटा सकते थे but we do not know how to make an intelligent use of our own population. डिफेंस में हमने उसका उपयोग नहीं किया, उद्योग में उसका उपयोग नहीं किया। कराग्रे वसते लक्ष्मी। घोड़े पर पैसा लगा कर लक्ष्मी पैदा नही होती, पसीने से पैदा होती है, परिश्रम से पैदा होती है। इसीलिये कहा गया कराग्रे वसते लक्ष्मी। यह नहीं कहा कि धनी आदमी के यहां लक्ष्मी होती है। परिश्रम कर के और पसीने से लक्ष्मी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन हाथ का काम देने की दृष्टि से कोई योजना नहीं बनी। इसलिये सरकार के बारे में अगर कोई प्रस्ताव आ सकता है तो केवल अविश्वास प्रस्ताव ही आ सकता है, क्योंकि जिनको खुद पर भरोसा नहीं है उन पर दुनिया भरोसा नहीं कर सकती। हम कोई नीति निर्धारित करते हैं तो हमको लगता है कि रूस क्या कहेगा, अमेरिका क्या कहेगा यह क्या कहेगा, वह क्या कहेगा। हम योजना बनाते हैं तो सोचते है कि पैसा कहां से आयेगा, यह देगा या वह देगा। मैं कहना चाहता हूं कि जिनको खुद पर विश्वास नहीं है, खुद के बलबूते पर कुछ कर सकने का विश्वास नहीं है, दुनिया उन पर भरोसा नहीं करती। इसलिये 1962 के बाद यदि हम नीतियों के अन्तर्गत परिवर्तन कर लेते तो देश की सुरक्षा की दृष्टि से हम कई कदम आगे जाते। किन्तु फिर-फिर ठोकर खाना यही मानव स्वभाव बना है। इस शासन की भी ऐसी नीति देख कर दु:ख होता है और मुझे कहना पढ़ता है I am constrained to say that even genius has got limitation but stupidity is boundless. बार-बार वह ठोकर खायेंगे और बार-बार वही गलती करेंगे। इससे कोई फायदा नहीं होता।

मुझे एक बात और कहनी है। मैं गोआ जेल में रहा। डेढ़ साल जेल में रहा। मेरे एक साथी आज भी पुर्तगाल की जेल में हैं, मोहन रानाडे, तेलु नास्कारमिस। उनको 26 साल की सजा हुई थी। 20वीं शताब्दी में हम रहते हैं। हमको पता है कि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में क्या होता है। अपने ही पड़ोसी पाकिस्तान का रवैया अपने बारे में क्या है हमको पता है। कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन 1947 से लेकर 1961 तक का इतना अनुभव होने के बाद जब तक वह हमारे लोगों को हमारे हाथ में नहीं देते तब तक उनके लोगों को हमने क्यों छोड़ा? आज हम जब प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं, राष्ट्रपति जी को पत्र लिखते हैं, विदेश मंत्री जी को पत्र लिखते हैं, तो जवाब आता है कि कोशिश कर रहे हैं। पूछने पर पता लगता है कि क्या कर रहे हैं। हमारे डिपलोमेटिक

संबंध भी नहीं हैं, हमारे लिये करेगा कौन? वह बेचारे बैठे हैं 26 साल की सजा भोगते हुए, जिसमें से दस साल हो गये हैं। जब कि दुनिया में हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि 50 करोड़ ब्रदरहुड का भारत अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में यह करता है वह करता है, लेकिन जो अपने स्वातन्त्र्य के लिये लड़ा, मामूली आदमी की तरह लड़ा, सामान्य सिपाही की तरह लड़ा, यदि हम उसको रिहा कराकर नहीं ला सकते वापस, तो क्यों हम दुनिया की बात करें? अपने हाथ में जो था उसको भी हमने छोड़ दिया। किन्तु इससे भी हमने सबक नहीं सीखा। फिर 1965 में ताशकन्द टेबल में बैठकर रूस को मध्यस्थ बनाकर हम पाकिस्तान के साथ वार्ता करते, तो आज की हमारी स्थिति क्या हो? आज हमारा कार्गो पाकिस्तान के हाथ में है, वह नहीं देता। हमने दे दिया। क्यों दे दिया? यानी एक बार यूनिलैट्रली इंटरनेशनल गुड फेथ दिखाने के बाद भी यह देखने के बाद कि **इट हैज नाट रिस्पांडेड,** पुर्तगाल के बारे में पता लगने के बाद भी पाकिस्तान के रवैये का पता लगने के बाद भी जब सरकार फिर-फिर गलती करती है तभी तो मैंने कहा कि **स्टुपिडिटी इज़ वाउंडलेस।** आदमी एक बार ठोकर खाता है, होश में आता है, संभल लेता है, नीति में परिवर्तन करते हुए नीति निर्धारित करता है, सबको विश्वास में लेता है और आगे जाता है : आज वह मेरा साथी जेल में रहे, सबको मुझे बड़ी शर्म आती है जब यह पता चलता है कि हम तो यहां आकर बैठ गये, लोक सभा में आकर बैठ गये और वह जेल में बैठा हुआ है। जिस गोआ की आजादी को लेकर हम लड़े, गोलियां झेलने के लिये गये, जेल में रहे, आज यदि उसी जगह के आदमी को हम रिहा नहीं करा सकते तो हमारी वैदेशिक नीति सफल है ऐसा कहने का क्या लाभ है?

"Example is better than precept"

दुनिया में हमारा कोई मित्र नहीं रहा, दुनिया में कोई हमारी सहायता करने वाला नहीं रहा, दुनिया में हमारी बात को मानने वाला नहीं रहा, फिर भी हम कहते घूमें कि हमारी वैदेशिक नीति सफल हुई है तो हम वैदेशिक नीति सफल होने का कोई नमूना पेश नहीं करते।

देश की सुरक्षा की दृष्टि से मेरा नम्र निवेदन है, क्योंकि वित्त मंत्री जी यहां आये हुए हैं, कि चीन का हमला होने के पहले सुरक्षा के नाम पर हम लगभग 250 करोड़ रुपये खर्च कर रहे थे जबकि आज हमें 950 करोड़ रु० खर्च करने पड़ रहे हैं। Every political aspect has got an economic bearing. इसको हम भूल नहीं सकते। हमारी मामूली सी गलतियां क्यों न हों किन्तु एक बार हम चीन को तिब्बत की सीमा के इस ओर ले आयें और वह हमारे घर में आकर बैठ गया। कल कोई कह रहा था कि 21 नवंबर का ऐसा दिन था वैसा दिन था। तब मेरे दिमाग में आया कि This is the day when China decided to cease fire unilaterally 21 नवंबर के दिन चीन पीछे गया किन्तु हमने क्या किया? हमने उस समय बड़े जोर से बातें कही थीं। Until the last soldier is driven out जब तक चाइना पीछे नहीं हटता तब तक हम चुप नहीं रहेंगे। किन्तु वह बात वैसे ही टल गई।

हर 20 अक्तूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, किन्तु एकता क्या चीज होती है, इस पर गौर नहीं करते, इस पर गंभीरता से विचार नहीं करते कि एक ही चीज एकता का चिह्न मानी जाती है कि हम देश की सुरक्षा को ध्यान में रख कर काम करें। देश के अन्तर्गत जो जनता है, उस जनता की जो एकता है उसके आधार पर हम बाह्य आक्रमणों और अन्दर की गड़बड़ियों का मुकाबला नहीं कर सकते। देश को एक करने के लिये बहुत-सी बातें होती हैं, बहुत-सी बातों से नेशनल इंटिग्रेशन होता है। But do we know what are the forces and factors that integrate the people of this country?

यह एक ही भूमि है। इसीलिये कहते हैं कि:

विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पद्यस्पर्श क्षमस्वमे यह विष्णु की पत्नी है। हमारे लिये माता है। सब की माता है चाहे हम कश्मीर में रहते हों चाहे कन्याकुमारी के अन्तर्गत हों। यह भूमि है जो हमको जोड़ती है, संस्कृति है जो हमको जोड़ती है। वह **वे आफ लाइफ़ है!** हमारा जो जीवन दर्शन है वह कहीं क्यों न हो वह एक जैसा है। लेकिन बीस साल के अन्दर इस सरकार ने हर क्षेत्र में दुर्भाग्यपूर्ण अलगाव की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। पुर्तगीज़ के गोआ से हटते ही जब गोआ आजाद हुआ तो हमने उसको अलग रखा। जब 1956 रिऑर्गेनाइजेशन के बाद दिल्ली की स्टेट खत्म हो गई, कुर्ग की अलग स्टेट खत्म हो गई, अजमेर खत्म हो गया, इकाइयां बड़ी बना दी, तब पुदुचेरी अलग क्यों हो? What is the basis for Pondicherry to exist today? साथ ही 2,000 लोगों का गांव माहे पश्चिमी तट पर केरल में है, पुदुचेरी पूर्वी तट पर है। न भाषा की समानता है न प्रादेशिक संलग्नता है, न तो कंटिगुइटी है और न कुछ और है, लेकिन छोटी-छोटी इकाइयां बनती जा रही हैं और वह भी नागालैंड जैसी। प्रदेश भी बनाया तो नागप्रदेश, नागभूमि या नागनाड बनाना था, नागालैंड क्यों? यह अंग्रेजी का प्रयोग कहां से आया, क्यों किया? पता नहीं चलता कि इसके पीछे कौन सी बात काम कर रही है, कौन सा भाव काम कर रहा है। और उस छोटे से राज्य के बनने के बाद भी There is another demand for a different Federal Government of Nagaland?

और उन विद्रोही नेताओं के साथ तीन साल हो गए वार्ता चल रही है लेकिन अभी तक वह सफल नहीं हुई है। होगी भी कैसे? Because they are underground, our leaders are above ground and there is no common ground between them.

आज तक कॉमन ग्राउंड मिल ही नहीं रही है। तीन साल से वार्ता चलने के बाद भी मुझे लगता है जैसा कि फिलॉसफी अथवा तत्व-ज्ञान के बारे में कहा गया है कि What is philosophy? It is nothing but a search by a blind man in a dark room for a black cat which is not there. वैसे ही यह होती है। तीन-तीन साल हो गये लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, क्या करने जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है। तीन-तीन साल तक इस तरह की वार्ता करके दुनिया के सामने हम गलत ढंग पेश करते हैं कि there is such a thing as a Naga problem. वास्तव में हजारों मील दूर से आने वाला अंग्रेज हमको एक बनाता है

और हम जो हजार-हजार साल से इस देश में रहते आये हैं, इस मां के पुत्र बन कर रहते आये हैं, वह इसको एक नहीं बनाते, गले नहीं लगाते। अखिल विद्यार्थी परिषद् की ओर से एक कार्यक्रम किया गया था और उपुसी क्षेत्र के विद्यार्थियों को बंबई के पूना क्षेत्र में ला कर इंटर-स्टेट लिविंग का नमूना पेश किया, जिससे पता चलता है कि हम आज एक क्यों हैं। आज यहां पर इधर-उधर की एक्टिविटी की बात कहते हैं, लेकिन Do we have any positive thinking कि हम सारे एक हैं? आज हमारे अन्दर जो एक अलगाव की प्रवृत्ति काम कर रही है उसके लिये I do not blame the people जनता को सही दिशा दो, जनता के सामने सही विज्ञान रखो, वैसी कोई चीज यह नहीं रखते। समय की मांग थी इसके कारण ही पूरे देश के अन्दर एकता की बात को लेकर सारी जनता खड़ी है, यह जो सुन्दर दृश्य दिखना चाहिये था, वह दिख नहीं रहा है। क्या कारण है? 1947 में आप मानें या न मानें, मां का जो एक चित्र था वह टूट गया। मैं भौगोलिक चित्र की चिन्ता नहीं करता हूं क्योंकि भौगोलिक एकता तो बनाई जा सकती है और वह बदलती भी रहती है किन्तु अपने मन में जो चित्र था वह अभंग है क्या, एक है क्या? हम इसको मानते हैं कि चाहे भाषाएं कई हों, जातियां कई हों, रीति-रिवाज कई हों, रहन-सहन, खान-पान कई हों लेकिन फिर भी सारा भारत एक है, मरेंगे तो साथ, जियेंगे तो साथ। यह भावना हमारी होनी चाहिये।

मुझे कभी-कभी समझ में नहीं आता है कि समाजवाद बोलने वाले, साम्यवाद बोलने वाले किस तरह इस बात को लेकर चलते हैं कि प्रान्तबन्दी रहे ताकि एक प्रान्त में चावल सस्ता मिले और दूसरे प्रान्त में चावल के लिए लोग तरसें। मैंने पूना में देखा। लोग खड़े हुए थे, लम्बी लाइन उनकी लगी हुई थी। मैंने पूछा, क्यों खड़े हो भाई। बोले चावल मिलता है। मैंने पूछा कितना मिलता है, बोले सौ ग्राम मिलता है। सौ ग्राम चावल के लिए इतनी बड़ी लाइन। मैंने कहा गांधी जी का जो एक सपना था ग्राम-राज का वह पूरा हो गया बिना ग्राम के हम चलते ही नहीं हैं, सौ ग्राम चावल, ढ़ाई सौ ग्राम चीनी, पांच सौ ग्राम गेहूं, आलू भी साढ़े सात सौ ग्राम। जीवन किलो तक पहुंचा ही नहीं। ग्राम में ही हैं पूरे बीस साल से। क्या आपने ग्राम को आत्मनिर्भर बनाया है, क्या सारे समाज को आत्मनिर्भर बनाया है और क्या गांधी जी के सपने को साकार करने की कोशिश की है। देश में आज भी उपजाऊ भूमि है। भारत का नाम स्वर्ण भूमि था। दुनिया भर इसको लूटने के लिए पहुंची। बारह सौ साल का इतिहास इसका साक्षी है। इसको लूटने वाले बहुत आए। लेकिन आज भी हमारी भूमि सोना उगलने वाली भूमि है। किन्तु जो नई-नई नीति चलाई जाती है, प्रतिबंध खड़े किये जाते है कि उनके कारण पता ही नहीं चलता है कि कहां कितना पैदा हुआ। फूड कॉरपोरेशन के पुराने चेयरमैन श्री टी.ए. पाई ने साफ कह दिया था कि सरकार के पास कोई सही आंकड़े नहीं है, उत्पादन के संबंध में। इसका कारण यह है कि प्रान्त नदियों के कारण पता ही नहीं चलता है कि कितना गेहूं पंजाब में पैदा हुआ है, कितना हरियाणा में पैदा हुआ है, कितना मध्य प्रदेश में हुआ है और कितना उत्तर प्रदेश में हुआ है जब हर प्रान्त खुद के लिए सोचता है तो हर एक जिला भी खुद के लिए क्यों न सोचे? मैं केरल में गया था। वहां पालघाट का चावल कोज़ीकोड नहीं जा सकता है। जब एक बार हमने

स्वीकार किया कि प्रान्त से प्रान्त में न जाये तो फिर उसकी कोरोलरी यह है कि जिले के बाहर क्यों जायें, फिर तहसील के बाहर क्यों जाये और आखिर में किसान कहेगा मेरे खेत से खलिहान और खलिहान से बाहर कहीं न जाये। जो पैदा करता है वही उसको रखे। जब वह पूरे देश के लिए है तो पूरे देश के लिए आप राष्ट्रीय नीति रखें, बन्दी हटे और बाजार भाव से किसान का माल खरीदा जाए। इससे किसान के मन में विश्वास पैदा होगा कि खून-पसीना करके जो वह पैदा करता है उसकी ठीक कीमत आज बाजार के अन्दर उसको मिलती है। जनता को आप सुविधा पहुंचायें, आप जनता को अनाज सब्सिडाइज़ करके दे सकते हैं अगर यह प्रान्तबन्दी चलती है तो इसका मतलब यह है कि मां का जो चित्र है वह ठीक ढंग का मूर्त चित्र हमारे सामने नहीं है। भग्न मूर्ति की पूजा नहीं होती है। अन्तःकरण की मूर्ति भग्न करके पूजा करें तो उसी का नाम है अनाचार, व्यभिचार मैं नहीं कहता हूं। यह दल-बदल अनाचार है, आचार नहीं है। कुछ भी करने के लिए अगर आदमी प्रवृत्त हो जाता है तो उसको रोका जाना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस अविश्वास के प्रस्ताव का जो यहां पर आया है पूरी तरह से समर्थन करता हूं।

संविधान (पच्चीसवां संशोधन) विधेयक, 1971*

अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक संशोधन दिया है, जिसके अन्दर यह माँग की है कि मर्यादा के अन्तर्गत जो भी सम्पत्ति हो, चल-अचल, उसका पूरा मुआवज़ा मिलना चाहिये, किन्तु इस बात को मंत्री महोदय ने स्वीकार नहीं किया, यह कह कर कि यह गरीबों की भलाई के लिये है। किन्तु यह जो संशोधन अपने संविधान के लिये आया, वह जिस समय इस सदन के अन्दर पेश हुआ, उस समय और उसमें कोई संशोधन नहीं आया था, किन्तु जब प्रत्यक्ष में उस पर चर्चा शुरू हुई, उस समय जो संशोधन सामने था, उसमें भी फिर संशोधन आया। इससे यह पता चलता है कि कितनी जल्दबाज़ी में हम कोई काम कर रहे हैं।

क्योंकि After all, this is going to be an enabling provision. आप क्या करेंगे, करने के लिये यह अधिकार है? तो सवाल यह आता है कि करने का अधिकार हम आपको दे रहे हैं, जिनका 24 सालों का सारा चिट्ठा हमारे सामने है।

अभी प्रधानमंत्री ने कहा था—We have returned from Ghaziabad with a new found enthusiasm for socialism. हम तो भारतीय संस्कृति के आधार पर खड़े हैं और भारतीय संस्कृति सोशलिज़म को अपूर्ण दर्शन मानती है, क्योंकि मानव का मतलब केवल शरीर नहीं होता, उसमें शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा चारों आते हैं। इसलिये समाजवाद के अन्तर्गत हम सामाजिक न्याय को समझते हैं और 24 सालों के अन्दर आप लोगों ने कितना सामाजिक न्याय इस देश में प्रस्थापित किया है यह देखना ज़रूरी है। आज के जो नई कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष हैं श्री संजीवैया जी ने, जब पुराने ज़माने में अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था The pauper inside the Congress has turned into a multi-millionaire. मैं समझ सकता हूं कि सम्पत्ति जरूर बंटे, यह बंटने के लिये होती है, किन्तु मेरे सामने जो उदाहरण हैं उसमें सम्पत्ति एक्वायर की गई है। सम्पत्ति बांटी नहीं गई है। यह मैं नहीं कह रहा हूं आपके कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं यह सम्पत्ति कैसे अर्जित की गई, यह सम्पत्ति आपके पास कैसे आई, यह क्या गरीबी को हटाने की बात है।

बहुत बार यहां कहा जाता है कि We have received a massive mandate. 1952 से लेकर 1971 तक कभी भी आप को मतदान में 50 प्रतिशत वोट नहीं मिले। यह जो मैसिव मैन्डेट की बात आप करते हैं There also you represent only 43.8 per cent. इसलिये मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन देखना ज़रूर चाहता हूं कि गरीबों की आपने कितनी भलाई की है। यहां पर पब्लिक सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर की बात प्रधानमंत्री जी ने कही, मुझे उसको सुन

* संविधान (पच्चीसवां संशोधन) विधेयक, पर चर्चा में भाग लेते हुए।
लोक सभा वाद-विवाद, 1 दिसंबर 1971, cc 392-99।

कर दुख हुआ। प्राइवेट सैक्टर ठीक नहीं चलता, यह आप कब बतायेंगे जब पब्लिक सैक्टर को अच्छी तरह से चलाकर दिखायेंगे, उसका लाभ जनता को होगा, जनता का जीवन स्तर ऊंचा होगा लेकिन 24 सालों के अन्दर ऐसा नहीं हुआ। जब प्रॉपर्टी अर्जित की जाती है तो उस समय नीयत पर शक करना पड़ता है। यही बात श्री फ्रैंक एन्टनी बार-बार कहते थे remove property from the Fundamental Rights Chapter उनका कहना यही है कि सम्पत्ति को मूलभूत अधिकार से निकाल दीजिए, क्योंकि एक बार सम्पत्ति के नाम पर मूलभूत अधिकार को हाथ लगाने की प्रवृत्ति पैदा हो गई, तो फिर विचार-स्वातन्त्रय, संगठन स्वातन्त्रय, वाक-स्वातन्त्रय, ये सब समाप्त हो जायेंगे।

मेरे सामने गृह मंत्री बैठे हैं ये कहते फिरते हैं कि हां राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर पाबन्दी लगाने वाले हैं यानी 46 साल से काम करने वाली संस्था, जिसकी गतिविधियां क्या हैं, हमने बार-बार बतलाया है, साम्प्रदायिकता के खिलाफ हम भी हैं, किन्तु साम्प्रदायिकता किसे कहा जाए, इसके लिये आयोग बैठाइये, परन्तु इसके लिये तैयार नहीं हैं, क्योंकि एक बार हाथ में अधिकार आया मूलभूत अधिकार को दबाने के लिये, तो फिर कौन-कौन से मूलभूत अधिकार दबाये जायेंगे। Frank Anthony was quite right when he wanted a categorical reply from the Home Minister whether it gives the right or not. यह राइट यूज़ होगा या मिसयूज़ होगा। मैं एक-एक कर के बतलाना चाहता हूं क्योंकि आप लोगों ने इसको स्वीकार किया है।

मैं प्रधानमंत्री जी से कुछ क्लैरिफिकेशन पूछना चाहता था। प्रधानमंत्री जी कहती हैं Tiller of the soil should be the owner. इस प्रिन्सिपल को आपने स्वीकार किया है, लेकिन पिछले चुनाव में संयुक्त समाजवादी पार्टी ने यह बात उठाई थी कि प्रधानमंत्री जी के पास भी ज़मीन है। यह बात मुझको समझ में नहीं आई If you accept the principle that the tiller of the soil should be the owner, then what right have you to own that property. वह एक बीघा है या दो बीघा है, सवाल यह नहीं है। If we believe in that principle, let us accept it honestly and truthfully. वह किसी किसान को दे देतीं।

ऐसी स्थिति में मुझे यह कहना है कि अगर आप रियल आनेस्ट हैं और भलाई करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिये। हमने सीलिंग का विरोध नहीं किया है। हमने यह नहीं कहा कि सम्पत्ति पर मर्यादा नहीं लगाना। हमने बार-बार यही कहा है और जब सहकारी खेती के नाम पर किसानों की खेती छीने जाने की बात उठी, हम उसके खिलाफ रहे। जागीरदारी एबोलीशन और ज़मींदारी एबोलीशन का विरोध नहीं किया, लेकिन जब हम को लगा कि कोऑपरेटिव फार्मिंग के नाम पर छोटे किसानों की जमीन छीनी जायेगी, तो हम खड़े हो गये। आज आप हमको बतलाते हैं कि आप इसमें किसानों का कल्याण समझते हैं, लेकिन आप कुछ करके क्यों नहीं दिखलाते।

आज वित्त मंत्री जी यहां नहीं हैं, वित्त मंत्री जी पिछले साल कुकड़ी प्रोजेक्ट का जो पूना के पास भूमि पूजन करने गए थे। वहां के जो इर्द-गिर्द के लोग थे, वे आए और उन्होंने मांग की कि कुकड़ी प्रोजेक्ट से जो गांव डूब जायेंगे, जिनकी ज़मीनों को लिया जाएगा, पहले उनके

बसाने की व्यवस्था की जाए। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट जो हास्पेट में है, आप वहां जाइए। मोहसिन साहब यहां बैठे हैं, उनसे पूछिए। जिनकी जमीन डूब गई, उनको अभी तक मुआवज़ा नहीं मिला है। वे छोटे आदमी कहां जाएं, कहां दर-दर भटकें।

एक बार कानून बन जाएगा तो उसके अन्दर बड़े आदमी पकड़े नहीं जाते। टैक्स इवेज़न के लिए बड़े आदमी पकड़े नहीं जाते। बैंक फ्रॉड में जो दो आदमी इन्वॉल्व थे, नागरवाला और मल्होत्रा, हमने अपनी आंखों से देखा—नागरवाला को एक दिन में सजा हो गई, लेकिन मल्होत्रा को अभी तक सजा नहीं हुई—यह कौन-सी व्यवस्था है, कौन-सा कानून है। एक बार अधिकार आए तो फिर जैसे मर्जी आए वैसे करना। यही प्रवृत्ति आज 24 सालों से चल रही है—I am prepared to exchange my property with anyone of you. Let him accept the challenge. भारतीय संस्कृति के समाज की कल्पना का आपको पता नहीं है। समाज को समर्पण और त्याग की जरूरत है।

इसलिए हमने मांग की थी और मैं कहना चाहता हूं कि आपने मर्यादा को स्वीकार किया, हमने भी मर्यादा को स्वीकार किया। सम्पत्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें परिवर्तन न हो सके। समाज, काल और परिस्थिति के अनुसार सम्पत्ति की कल्पना बदलती है। किसी जमाने में स्वयं स्त्री सम्पत्ति समझी जाती थी। उपनिषद् में कहा गया है कि—

ईशावस्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्।

समग्र परमेश्वर का होने की वजह से केवल अपने जीने के लिए, देह को यन्त्र समझ कर साधन के रूप में जितना लेना है, नैवेद्य के रूप में लेना है, लेकिन जो उतना न लेकर समाज को न देते हुए खुद खाता है, उसको गीता में "चोर" कहा है। आप अब बतलाइये आप कौन-सी नई बात कह रहे हैं।

Money has a tendency to accumulate. You speak of the exploiters. Those who entertain the people and collect money. ऐसे सिनेमा के एक्टर्स हैं। एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेज हैं। They never exploit; they entertain and they get lakhs of rupees. उनका पैसा समाज के लिए कैसे आयेगा? They bring not only pups from England but even dog biscuits wasting our foreign exchange.

आखिर यह जो संस्कार होते हैं वह कहां हैं? संजीवैया जी ने बताया था पापर टर्न्ड इन्टु ए मल्टीमिलिनेयर। अपने देश में मल्टी मिलियनेयर्स ने कुएं बनवाए थे, धर्मशालायें बनवाई थीं, तालाब खुदवाए थे और अन्य क्षेत्र बनवाए थे, वह कहां हैं? एक ने भी अब जो प्रापर्टी अर्जित की उसने नदी पर घाट बनवाएं, धर्मशालायें बनवाईं? किसी ने रोका नहीं, आप गांव-गांव में जाकर कर सकते थे लेकिन नहीं किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि छोटा आदमी इसके अन्दर रगड़ा न जाए। इसलिए आज भी हम मांग करते हैं कि जो भी मर्यादा लगाएं उसके अन्तर्गत कोई छोटी जमीन हो या गांव में कोई छोटा मकान या खेत हो या दुकान हो उसको पूरा मुआवजा दिए बिना छीना नहीं जाना चाहिए। बड़ी सम्पत्ति पर पूरा मुआवजा देने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को हमने स्वीकार किया है। सम्पत्ति पर मर्यादा लगाने का सिद्धान्त हमने स्वीकार किया है लेकिन यदि एक बार समग्र मूलभूत अधिकार को दबाने की प्रवृत्ति पैदा हो जाएगी तो वह केवल सम्पत्ति तक ही सीमित नहीं रहेगी।

अध्यक्ष महोदय, आज नये-नये प्रवक्ता तो यहां बैठे हैं लेकिन हमारे पुराने कांग्रेसी कोई नजर नहीं आते। अब कभी जगजीवन राम जी नहीं बोलते, यशवन्तराव चव्हाण नहीं बोलते, आजकल तो हर बात के लिए बोलने लगे हैं श्री मोहन कुमारमंगलम लेकिन ये कांग्रेसी कब से बन गए?. .. इसीलिए हमें शक पैदा हो जाता है। जबसे ये प्रवक्ता आए हैं तब से ऐसी बातें हो रही हैं। This was not the first time the Supreme Court had declared anything *ultra vires*.

अल्ट्रावायर्स बहुत बार हुआ है लेकिन अल्ट्रावायर्स डिक्लेयर होने के बाद भी उनकी खामियों पर भी अमेंडमेंट लाए जाते थे। Nobody used to denigrate the courts. आखिर डैमोक्रेसी पर हमारा भरोसा है। We cannot denigrate the courts. जैसे हमारे में कोई कमी होती है तो हम ठीक करते हैं वैसे ही उनको भी यदि लगे कि कुछ कमी है तो उसको ठीक करना चाहिए। लेकिन पिछली बार श्री मोहन कुमारमंगलम ने जो कहा उसको हमने सुना तो बड़ा दुख हुआ।

He said, "Look at the composition of these Judges; do they come from the working class?" Is there any gentleman here who comes from the working class? Does the Prime Minister or anybody else? Why do you denigrate them for nothing. I do not understand. You may not agree with the decision of the Court but what right have you to denigrate the Court? I may not agree with Shri Anthony. But I am very sorry to say, cheap jibe is not good.

इसलिए अध्यक्ष महोदय, हम केवल यही चाहते हैं कि किसी छोटे आदमी की कोई छोटी सम्पत्ति हो, कोई छोटा मकान हो, दुकान हो या खेत हो तो उसको बिना पूरा मुआवजा दिए न लिया जाए और यदि इस बात को सरकार स्वीकार कर ले तो हम भी इसका समर्थन करने के लिए तैयार हैं।

संविधान (छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 1971*

अध्यक्ष महोदय, मैं ध्यानपूर्वक श्री भागवत झा आजाद का भाषण सुन रहा था। मैं बिल का विरोध करने के लिए खड़ा नहीं हूं किन्तु जिस ढंग से इस बिल को लाया गया है उसका विरोध हमने पहले भी किया है और आज भी मैं कर रहा हूं। पिछली बार हमारे विरोध करने के बावजूद आप कोर्ट में गए और कोर्ट से वह स्ट्रक डाउन हुआ तो वही हम पहले भी कहते थे कि कुछ मामले सुप्रीम कोर्ट की ओपीनियन के लिए रेफर किए जा सकते हैं। जैसा अभी मेरे मित्र ने बताया कि कुछ कम्युनिस्ट आजकल कांग्रेस में आ गए हैं, कांग्रेसी बनकर और उनके मन में प्रजातंत्र और संविधान के बारे में कितनी श्रद्धा होगी इस बात को हम सभी जानते हैं। किन्तु आखिर अगर श्रद्धा मजबूत करनी है तो न्यायालयों को रहना चाहिए, प्रजातंत्र में व्यक्ति की खुली स्वाधीनता को रहना चाहिए। इसलिए जब एक गलत ढंग से कोई चीज की जाती है तो हम उसका विरोध करते हैं। जैसे जंतर-मंतर इनके हाथ में जाये या उनके हाथ में जाये यह सवाल हमारे सामने नहीं है किन्तु जिस ढंग से उस पर कब्जा किया गया उससे वह सवाल हमारा भी बन जाता है।

जहां तक इस प्रश्न का राजनीतिक सवाल है, जिन्होंने 1954 में समाजवाद को स्वीकार किया उनको राजा-महाराजाओं का प्रीवी पर्स कभी खला नहीं किन्तु जब राजे-महाराजे विरोध में खड़े होने लगे तब जाकर प्रीवी पर्स का विचार सामने आया। आज श्री भागवत झा आजाद ने कहा कि बच्चों को शिक्षा दी जाये या राजाओं को प्रीवी पर्स दिया जाये लेकिन गोखले जी यहां पर बैठे हैं, एक सवाल पर उन्होंने कहा था कि सख्ती से हम प्राथमिक शिक्षा दे नहीं सकते क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं है। यदि मुझे ठीक से याद है तो उन्होंने कहा था कि 900 करोड़ रुपया इसके लिए चाहिए जबकि प्रीवी पर्स की राशि है केवल साढ़े चार करोड़। इसलिए किसी चौराहे पर खड़े होकर यह कहना तो ठीक होगा कि भाइयों, हम शिक्षा दें या प्रीवी पर्स दें? यहां पर नहीं। केवल भोपाल के हैवी इलेक्ट्रिकल्स का सालाना घाटा पांच करोड़ का है। प्रीवी पर्स से वह राशि भी पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए यह केवल जनता को गुमराह करने की बात है कि प्रीवी पर्स को समाप्त करके हम गरीबी हटायेंगे। हमारा विरोध इसी बात से है। जहां तक इगेलिटेरियन सोसायटी लाने की बात है, हम इसमें एक कदम आगे जाने के लिए तैयार हैं। किन्तु मेरे पास एक लम्बी लिस्ट है कि यहां जो बैठे हुए हैं उनकी कितनी प्रापर्टी है। ... राज्य सभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि श्रद्धेय राष्ट्रपति के राष्ट्रपति भवन का वार्षिक खर्चा 31-32 लाख है। हमने राजा-महाराजा समाप्त किए लेकिन महात्मा गांधी के सेवा ग्राम में चटाई

* संविधान (छब्बीसवां संशोधन) विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए।
लोक सभा वाद-विवाद 2 दिसंबर 1971, cc 152-59।

पर बैठने का आदर्श हमें कहीं भी दिखाई नहीं देता। मैंने यहां पर कल यह बात कही थी कि यह प्रिंसिपल का सवाल है कि हम इस बात को स्वीकार करें कि जो जमीन है वह उसको जोतने वाले को दी जायेगी लेकिन यहां पर कितने मंत्री बैठे हैं जिनके पास बड़ी-बड़ी जमीनें हैं तो वह क्यों हैं? आप बेचारे पुअर पीजेन्ट्स को लैंड से क्यों डिप्राइव करते हैं? आज चार एकड़ जमीन या चार बीघे, जो भी हो, प्रधानमंत्री के नाम पर है, बाबू जगजीवन राम के नाम पर है और एक-एक मंत्री की पत्नी के नाम पर तीन-तीन लाख रुपए का मकान है तो क्या यह इगेलिटेरियन सोसायटी के नाम पर है?

आखिर यह सब पैसा कहां से आया? सब इधर-उधर बांट दिया। यह जमीन पत्नी के नाम से खरीद ली, अमुक जमीन एक लड़के के नाम से ले ली, अन्य जमीन दूसरे लड़के के नाम ले ली और एक और जमीन भाभी के नाम से ले ली। यह तरीका क्या देश में आपके इगेलिटेरियन सोसायटी को कायम करने का है? यह जो आप का मौजूदा तर्जेअमल है उसे देखते हुए मुझे कहने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि **इट इज नथिंग बट शीयर हिपोक्रेसी।**

लंच के बाद यहां मिलने पर मैं यह बतलाने वाला हूं कि यह कांग्रेस सरकार किस तरह से उन निजी थैलियों को अभी भी दे रही है और उन्हें बंद नहीं कर सकी है जोकि अंग्रेज शासकों ने राजाओं के उत्तराधिकारियों को दी।

*** *** ***

मैं बतला रहा था कि क्या कांग्रेसी शासन का यही ढंग इस देश में इगेलिटेरियन सोसायटी कायम करने का है कि इस तरह से देशी राजाओं के उत्तराधिकारियों को इतनी भारी-भारी रकम की निजी थैलियां दी जाएं। यह थैलियां इस प्रकार से हैं:

कर्नाटक अरकाट तथा तंजार के नवाबों को	1,75,000	रुपये वार्षिक
बुरहानपुर के शाह	50,000	रुपये वार्षिक
मुर्शिदाबाद के नवाब	3,18,000	रुपये वार्षिक
सूरत के नवाब	62,000	रुपये वार्षिक
मालाबार के प्रिंसेज अवध वसीका की	2,94,000	रुपये वार्षिक
बहू बेगम आदि अवध वसीका की	8,50,000	रुपये वार्षिक
फैमिली	1,31,000	रुपये वार्षिक
गौंड राजा	6,000	रुपये वार्षिक

*** *** ***

अगर आपको वाकई पैसे की बचत करनी है तो फिर यह जरूरी हो जाता है कि आप शासक होने के नाते स्वयं एक त्याग का आदर्श देश के सामने रखें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी राज्य सभा में एक बिल लाये थे कि कम्पनियां जो यह बड़े-बड़े डोनेशंस देती हैं तो उसके ऊपर सरकार को रोक लगानी चाहिए लेकिन शासक वर्ग द्वारा उनके

उस बिल का विरोध किया गया। लेकिन जब वह कम्पनियां विरोधी दलों को पैसा देने लगीं तब कम्पनियों पर इसके लिए रोक आ गई। आज भी हम मांग करते हैं कि विदेशों से वह जो पैसा आता है उस पर सरकार रोक लगाये और उसमें हम सरकार को पूरी सहायता देने के वास्ते तैयार हैं। हम चाहते हैं कि सरकार उस विदेशी धन पर रोक लगाये लेकिन उधर कुछ नहीं होता है। सत्रह साल से यह मामला उठाया जाता रहा है और यह कह कर इसको टाल दिया जाता है कि यह जांच हो रही है और वह जांच हो रही है आदि। हम एक कदम और आगे को जाने को तैयार हैं। मैं सरकार से यह कहूंगा कि **लैट अस गिव ऐन एग्जाम्पिल एंड प्रूफ।** लेकिन मैं सरकार को यह साफ तौर पर बतला देना चाहता हूं कि यह नहीं चलेगा कि गरीबी हटाने के नाम पर खुद जमीन ले ले। कल मैंने चैलैंज भी किया था कि I am prepared to exchange my property with anyone of you.

*** *** ***

कोई भी खड़ा हो जाये उससे एक्सजेंच के लिए मैं सदैव तैयार हूं। आज देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए और देशहित को ध्यान में रखते हुए जो हमें करना वांछनीय हो उसे अवश्य करिये लेकिन करिए उचित ढंग से।

अभी श्री भागवत झा आजाद ने कहा कि जन्म जन्मान्तर से जो उन्होंने मांगा है। तो दिया तो वैसे नहीं गया था। अब इस बारे में जहां तक हमारा संबंध है **वी वैयर नोवैह्वेर इन दी पिक्चर।** जिन्होंने प्रीवी पर्स की कल्पना की थी इन्हीं के द्वारा उस सिस्टम को समाप्त किया जा रहा है। लेकिन देखना यह है कि इस सिस्टम को तोड़े जाने से क्या कोई वाकई में देश का हित होने वाला है? आमतौर पर जब एक एग्रीमेंट किया जाता है तो उसे निभाना चाहिए?, उसे तोड़ा नहीं जाता है। अलबत्ता यदि उसके तोड़े जाने से देश का हित होने वाला हो तब दूसरी बात है और उसे तोड़ा भी जा सकता है। अगर इस प्रीवी पर्स की साढ़े 4 करोड़ की रकम से देश का हित होने वाला होता तब तो उसके ऐबोलीशन की बात समझ में भी आ सकती थी लेकिन ऐसी तो कोई बात मुझे इसमें दिखाई देती नहीं है। जहां तक उनके द्वारा पब्लिक सैक्टर में सबसे बड़े संस्थान के संचालन का सवाल है तो उसकी हालत बड़ी सोचनीय है क्योंकि वहां पर घाटे पर घाटा है, कर्जे पर कर्जा है और ब्याज पर ब्याज लदता जा रहा है। यह आज स्थिति हमारे सामने आकर खड़ी हुई है। सरकार द्वारा जिस तरह से कार्य का संचालन किया जा रहा है, उससे देश का भला होने वाला नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि देश में प्रगति आये, जनता की खुशहाली हो और सच्चा समाजवाद आये तो फिर हमें स्वयं जनता के सामने इस बारे में एक त्याग का आदर्श रखना होगा। लेकिन इस तरह से लोगों को गुमराह करने से देश का कोई भला होने वाला नहीं है। शासक वर्ग को देश की जनता के सामने इस बारे में एक आदर्श उपस्थित करना होगा। इस संबंध में मुझे एक वाक्य याद आ जाता है जो कि एक सज्जन ने कहा है:

> "Don't say that the whole world is scoundrel. Behave yourself well. Be sure there is one rascal less in the world."

मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरह से लम्बी-चौड़ी बातें करने के बजाय शासक दल के लोगों द्वारा खुद क्यों नहीं त्याग का आदर्श देश के सामने प्रस्तुत किया जाता? इनके पास एक, दो नहीं, अनेकों मकान, फार्म और जमीनें हैं। वह मजे से अपने पास रखे हुए हैं लेकिन जब इनके द्वारा हम यह सुनते हैं कि जमीन को जोतने वाला किसान जमीन का मालिक बने तो वह बात सुन कर हंसी आती है। इनमें से एक दो नहीं बहुत से लोगों ने यहां दिल्ली में ही दो-दो और चार-चार मकान बनाये हुए हैं लेकिन पब्लिक में जाकर राजा-महाराजाओं के खिलाफ टिप्पणी करते हैं। आप यदि राजा-महाराजाओं के ऐश्वर्य और उनके पास जमीन-जायदाद और पैसे आदि रहने के बारे में विरोध करते हैं तो मेरा कहना है कि आप खुद तो इस बारे में जनता के सामने आदर्श रखिये। लेकिन इनके द्वारा वैसा कुछ नहीं हो रहा है और इस सिलसिले में मुझे बाइबिल में आया एक किस्सा यहां पर याद आ रहा है जिसमें एक व्यभिचारिणी स्त्री को लोग पत्थर मार रहे थे तो ईसा मसीह ने उन्हें रोकते हुए कहा था कि भाई इस स्त्री को वही लोग पत्थर मारें, जिन्होंने आज तक स्वयं कोई पाप न किया हो और उसका परिणाम यह हुआ कि वह सब पत्थर मारने वाले वहां से चले गये।

आप देश में यदि वास्तव में इगेलिटेरियन सोसायटी कायम करना चाहते हैं तो एक कायदे से सबके साथ समझौता करके इस बारे में सरकार को कार्य करना था लेकिन वैसा तो इसने किया नहीं। अब ये राजे-महाराजे अपनी-अपनी रियासतों में अनेकों छोटे लोगों को जो कि अपनी जीविका के लिए इन राजाओं पर निर्भर करते थे उन्हें प्रीवी पर्स में से पेंशन आदि देते थे, अब उन बेचारे गरीब चपरासी आदि छोटे लोगों को जिनको कि इन राजाओं से पेंशन मिलती थी राजाओं की प्रीवी पर्स बन्द हो जाने से उन लोगों की आजीविका का क्या बनेगा। इसकी चिन्ता होनी चाहिए। यह करीब 2 लाख आदमियों के गुजर-बसर की चिन्ता होनी चाहिए। हमारे इस प्रीवी पर्स के समाप्ति संबंधी कदम से वह जो दो लाख लोग प्रभावित होते हैं, उनकी भी हमें पूरी चिन्ता करनी आवश्यक है लेकिन इस समय हम इसमें कोई वैसी बात पाते नहीं हैं। अगर उस तरह से कोई बिल यहां पर लाया जाये तो हम जरूर उसका समर्थन करेंगे क्योंकि उससे समस्त देश का भला होगा, सर्वसामान्य का भला होगा। इस बारे में कल हमने संशोधन दिया था कि मर्यादा के नीचे जिसे भी आप लायें, उसे पूरा मुआवज़ा दिया जाये। आप उसे पूरा मुआवज़ा क्यों नहीं देते हैं?

मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन यह ब्लिट्ज जैसे तथाकथित प्रगतिशील अखबार में छपा है कि एक कांग्रेसी (आर.) सज्जन के यहां से 27 लाख रुपया मिला। मैं तो उस समाचार को पढ़कर चौकन्ना हो गया कि ऐसी हालत के रहते भला देश से गरीबी क्या कभी समाप्त होने वाली है।

मैं और अधिक न कहते हुए अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहूंगा कि हम बिल का समर्थन करते हैं लेकिन यह जिस ढंग से बिल लाये हैं, उसका हम जरूर विरोध करते हैं।

संविधान (इकत्तीसवां संशोधन) विधेयक, 1973*

सभापति महोदय, इस सदन की संख्या बढ़ाने की दृष्टि से 31वां संशोधन विधेयक पेश किया गया है। इस संदर्भ में कुछ बातें ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। इस संख्या को बढ़ाने के दो कारण बताये गये हैं—एक तो यह कि यहां पर हर दस साल के बाद जनगणना होती है, उसके हिसाब से कुछ संख्या बढ़ानी पड़ी है और दूसरे ईस्टर्न रिज़न में जो राज्यों का रीआर्गेनाइजेशन हुआ है, उसकी वजह से सदन की संख्या जो पहले 500 निश्चित की गई थी, अब 506 हो गई है। मेरे पूर्ववक्ता ने जनगणना के संबंध में अपने जो विचार रखे हैं—मैं उनसे सहमत हूं, क्योंकि जब कमेटी में यह विषय आया था तब भी मैंने कहा था कि यदि एक बार इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया कि जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो प्रतिनिधियों की संख्या भी बढ़ेगी तो उसका नतीजा यह होगा कि हमारा फैमिली प्लांनिग का जो कार्यक्रम है, वह उल्टी दिशा में चलने लगेगा। जैसे तमिलनाडु की संख्या 41 है, लेकिन अब इस के अन्तर्गत 39 हो जायेगी, तो उनको महसूस होने लगा है कि यह हमसे गलती हुई है, हमारी संख्या घटने लगी है। अगर संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व रहा तो आगे चल कर जो पैसा परिवार नियोजन पर खर्च होगा, उस पर परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा।

हमारे संविधान निर्माताओं के सामने संविधान बनाते हुए जो कल्पना थी, उसके हिसाब से उन्होंने 500 की संख्या रखी थी और संविधान की धारा 81 और 82 में भी उन्होंने रीएडजस्टमेंट की बात की है, बढ़ाने की बात नहीं की है। धारा 170 के अनुसार उन्होंने असेम्बली के लिये 60 से लेकर 500 तक की मर्यादा डाली है, किसी भी छोटी स्टेट के लिये कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 हो और जहां तक मुझे मालूम है किसी भी प्रदेश की असेम्बली में 500 तक संख्या नहीं पहुंची है। उत्तर प्रदेश में भी 425 की संख्या है। इसलिये यदि इसमें संख्या के अनुसार ही प्रतिनिधित्व बढ़ायेंगे तो इसकी कोई मर्यादा नहीं रहेगी।

इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार एक निर्णय पर पहुंचे कि यह जो अब 525 की संख्या की है—कम से कम यह लक्ष्मण रेखा मान ली जाये, आगे इस संख्या को नहीं बढ़ायेंगे, क्योंकि 500 के शून्य अच्छे नहीं लगते हैं इसके आगे कुछ रखना चाहिये, इसलिये 525 संख्या अच्छी है—लेकिन अब आगे के लिये यह लक्ष्मण रेखा मानी जायेगी।

दूसरी बात मुझे रीआर्गेनाइजेशन के संबंध में कहना है—यह जो ईस्टर्न रिज़न में स्टेट्स बनी हैं—एक प्रकार से सिद्धांतहीन प्रदेश बनते चले जा रहे हैं। प्रदेश के लिये संख्या 60 हो इसको

* संविधान (इकत्तीसवां संशोधन) विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए।
यह विधेयक लोक सभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने के संदर्भ में है।
लोक सभा वाद-विवाद, 8 मई 1973, cc 212-16।

तो माना जा सकता है, लेकिन कितनी संख्या का प्रदेश बने, इसका कोई सिद्धांत नहीं है। मनमाने ढंग से प्रदेश बनते जाते हैं—कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, किसी को समझ में नहीं आता है। दादर व नगर हवेली को ले लीजिये, यह पहले पुर्तगीज़ का हिस्सा था, 1954 में आजाद हो गया, आजाद हुआ तो आज तक आजाद है, न बंबई प्रदेश में शामिल किया गया, न गुजरात में शामिल किया गया और न पुराने गोआ में शामिल किया गया—गोआ भी अलग है और यह प्रदेश भी अलग है। किस आधार पर बनाया जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। अंग्रेजों के जमाने में धीरे-धीरे अधिकार देने की बात होती थी, कुछ केन्द्र में अधिकार देते थे, कुछ प्रदेशों में देते थे, लेकिन हमारे यहां तो अधिकारों की मूल स्रोत जनता है। चाहे पंचायत का चुनाव हो या पार्लियामेंट का चुनाव हो, सब में जनता भाग लेती है। जिस समय संविधान बना था, उस समय ए., बी., सी., डी. चार प्रकार के प्रदेशों की कल्पना की गई थी। लेकिन उसके बाद जब रीआर्गेनाइजेशन कमीशन बैठा तो उस समय ऐसा तय किया गया कि सिर्फ ए क्लास स्टेट्स रहेंगे, कुछ यूनियन टैरिटरीज़ रहेंगी। लेकिन आज फिर बड़ी स्टेट्स छोटी स्टेट्स और यूनियन टैरिटरीज़ बन रही हैं। मैं पूछता हूं कि हिमाचल प्रदेश, मणिपर, त्रिपुरा इन प्रदेशों को बनाते समय किन सिद्धांतों को सामने रख कर बनाया गया। हिमाचल प्रदेश बना, सबने बड़ा समर्थन किया, लेकिन दिल्ली प्रदेश वाले लगातार मांग कर रहे हैं, वहां कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो समर्थन नहीं कर रही है, इन्क्लूडिंग कांग्रेस पार्टी, सब कहते हैं कि दिल्ली को अलग प्रदेश बनना चाहिये—क्यों नहीं बनता है? जब हम सिद्धांतहीन बातें करते हैं तो उसमें ऐसी गड़बड़ होती है-ईस्टर्न रिज़न को प्रतिनिधित्व दे दिया, लेकिन दिल्ली को नहीं देना चाहते। सबको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। इसके लिये दो मत नहीं हैं। किन्तु हमारे ही एक प्रतिनिधि ने यहां पर एक बिल पेश किया था उसमें एक मामूली-सी मांग की गयी थी कि हरिजन और वनवासी जो हैं उनको अपनी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाये। जितनी उनकी संख्या है उसके अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाये। समझ में नहीं आता कि उसको क्यों ठुकरा दिया गया। शायद उनकी संख्या के अनुपात से अगर प्रतिनिधित्व देते तो संभव है कि एक, दो सीटें बढ़ जातीं। लेकिन उसको नहीं माना गया। आज आप 500 से 525 तक इस सदन की सदस्य संख्या बढ़ा रहे हैं। तो कम से कम इस पर ध्यान देकर हरिजन और वनवासी लोगों के लिये उनकी संख्या के अनुपात में, यदि पिछली जनगणना के अनुपात में बढ़ा रहे हैं, तो उनके लिये भी संख्या के अनुपात में उनका भी प्रतिनिधित्व बढ़ाने की बात करते तो एक अच्छी बात होती। मैं चाहूंगा कि इस पर ध्यान दिया जाए।

दूसरी बात यह है कि जितनी स्मालर स्टेट्स हैं उनकी संख्या भी कितनी रखनी चाहिये, क्योंकि 60 तक बिल्कुल संवैधानिक है, रखनी चाहिये। इसलिये जनगणना के बाद यदि आप को कुछ ज्यादा अलाटमेंट करना है तो लोक सभा की करने के बजाय यदि विधान सभाओं के लिये करते तो अच्छा रहता, क्योंकि वहां गुंजाइश है, 60 से लेकर 500 तक बढ़ाने की गुंजाइश दी हुई है। इसलिये वहां संख्या बढ़ाते। यहां संख्या नहीं बढ़ानी चाहिये थी। यहां जब संख्या बढ़ा रहे थे तो कमेटी में यह कहा गया था कि लोक सभा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, 10 लाख लोगों से मिलना, उनसे संपर्क बनाये रखना, मुश्किल हो जाता है। यह बात सही है। आपको अगर देखना ही है, तो अलग ढंग से इसको देखें कि चुनाव कैसे सस्ता और सुलभ हो, साधन कैसे

उपलब्ध हों, इस दृष्टि से देखें। जो व्यक्ति 7 लाख लोगों से जा कर मिल सकता है वह 10 लाख लोगों के पास भी जा कर मिल सकता है, सिवाय उन लोगों को छोड़ कर जिनके पास जीपें नहीं होती। मेरे लिये एक लाख लोगों से मिलना भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरे पास जीप नहीं है। भोपाल से मेरे क्षेत्र को जाने में 6-6 घंटे लगते हैं। हमने चाहा कि हमको जीप मिले ताकि क्षेत्र के लोगों से सीधे संपर्क रहे। इसलिये लोक सभा की संख्या बढ़ाकर वह काम नहीं चलेगा, सोचना यह चाहिये कि चुनाव कैसे सुलभ हों और व्यक्तिगत संपर्क कैसे बढ़े, इस दृष्टि से इसको सोंचें और जो सुझाव इलेक्टोरल रिफार्म्स कमेटी ने दिया था उस पर फिर आप एक बार ध्यान दें और जैसा माननीय सोमनाथ चैटर्जी ने कहा था कि डीलिमिटेशन एक्ट में, जो छोटी-छोटी स्टेट्स बनी हैं, जिसको वेटेज दिया है, इसके लिये कोई सिद्धांत निश्चित नहीं है, यह एक लैकुना है जो माननीय चैटर्जी ने बताया था, उससे मैं सहमत हूं। वरना सरकार मनमाने ढंग से प्रदेश बनाती जाये तो संख्या जरूर बढ़ने वाली है। इसलिये आगे चल कर ऐसा न हो, संविधान बनाने वालों के सामने निश्चित संख्या विधान सभाओं और लोक सभा की थी, उस संख्या को सिर्फ जनगणना के आधार पर बढ़ाने की कोशिश न करें। आज जो आप 525 तक लोक सभा के सदस्यों की संख्या बढ़ा रहे हैं, मैं चाहूंगा कि इसको आप लक्ष्मण रेखा के रूप में स्वीकार करें।

यूनियन टेरिटरी को यद्यपि 25 दिया था, किन्तु उन्होंने कहा 16 ही है, जिसको अब शायद 20 किया है। मैं चाहूंगा कि जब तक दिल्ली में असेम्बली न हो तब तक दिल्ली से लोक सभा के सदस्यों की संख्या बढ़ा कर 7 के बजाय 8 कर दें। इस बात पर मंत्री महोदय जरा विचार करें, यह मेरा अनुरोध है।

इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

संविधान (बत्तीसवां संशोधन) विधेयक, 1973*

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को यहां पर लाने मे पहले ही देर हो गई है और अब इसको ज्वाइन्ट सिलैक्ट कमेटी में भेजने की बात कही गई है। वास्तव में प्रवर समिति को भेजने की बात में हमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन जैसा मंत्री महोदय ने बताया है कि 16 मई को इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया था, बीच में एक सत्र निकल गया, अब इस दूसरे सत्र में हम केवल इसको प्रवर समिति में भेजने की बात कह रहे हैं और वह समिति अगले सत्र के पहले सप्ताह के अन्तिम दिन तक अपना प्रतिवेदन देगी। इसका अर्थ है कि बीच में उत्तर प्रदेश तथा ओडिशा के चुनाव सरकार पूर्ण करना चाहती है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी प्रजातंत्र बिना अच्छे सिद्धांतों के, परंपराओं के नहीं चल सकता, सिर्फ "लैटर-ऑफ-दी-लॉ" से हम जानना चाहेंगे तो नहीं चलेगा, हमें उसकी स्पिरिट की तरफ भी देखना होगा। वास्तव में यह जो विधेयक आज लाने की जरूरत पड़ी उसका कारण यह नहीं है कि पहले कभी कोई व्यक्ति एक दल को छोड़ कर दूसरे दल में नहीं जाता था। ऐसे कई उदाहरण अपने सामने हैं—जैसे श्री अशोक मेहता—उन्होंने एक सिद्धांत के आधार पर, इकोनॉमिक कम्पलशन के आधार पर कांग्रेस दल को स्वीकार किया था। ऐसे और भी लोगों ने किया था। किन्तु जब दल-बदल स्वार्थ की वजह से किया जाए, लाभ के लिए हो और बड़े पैमाने पर हो आज इस दल में, कल उस दल में, आया राम, गया राम, केवल आया राम और गया राम ही नहीं हुआ, उसमें से बहुत से लोग तो आ गये राम हो गये, एक दफा आ गये, फिर चले गये, फिर वापस आ गये इसकी वजह से यह सारी गड़बड़ी हुई। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि इसके पीछे एक स्वस्थ परंपरा इस देश में निर्माण करने की सरकार की इच्छा है क्या? यदि यह बात है तब तो हम मानते हैं लेकिन जब कोई आइडियोलॉजिकल डिफेरेन्सेज की बात करते हैं तब समझ में नहीं आता है। 1970 में कांग्रेस के कई जाने-माने कार्डहोल्डर इनकी पार्टी में आये, क्योंकि यह पार्टी बड़ी प्रोग्रेसिव, बड़ी रेडिकल मानी गई, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उसके बाद इस सदन में क्या कहा? वह कहती हैं:

"We have not moved even a millimetre."

हम तो उसी पुरानी कांग्रेस के 10 सूत्री कार्यक्रम पर काम कर रहे हैं, लेकिन जो उस वक्त प्रोग्रेसिव और रेडिकल कांग्रेसी बने उनको क्या समझा जाए। जब स्वयं प्रधानमंत्री जी कहती हैं:

"We have not moved even a millimetre."

---

* उपरोक्त विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए।
यह संशोधन विधेयक 'दल-बदल' के संदर्भ में है।
लोक सभा वाद-विवाद, 13 दिसंबर 1973, cc 181-86।

हम तो एक मिलिमीटर भी आगे नहीं गये हैं। इतना होते हुए भी कोई अन्दर घुस जाये, उसको रेडिकल कहें, प्रोग्रेसिव कहें—इसका क्या मतलब है?

इसलिए मैं कहता हूं—क्या मंत्री महोदय की कोई स्वस्थ परंपरा कायम करने की मंशा है? यदि आपकी मंशा है तो फिर इस विधेयक को इतने विलंब से क्यों लायें–मई में यह प्रस्तुत हो चुका था, आज क्यों सिलैक्ट कमैटी को भेज रहे हैं, यह काम पहले से क्यों नहीं हुआ?

इसमें साफ प्रोविजन है कि प्रधानमंत्री लोक सभा से होगा और मुख्यमंत्री विधान सभा से होगा–यदि सरकार की यह स्पष्ट मंशा है तो फिर बिहार में जो परिवर्तन लाया गया, केदार पांडे को नीचे लाकर विधान परिषद् के सदस्य श्री गफूर को मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया। मुझे उनसे व्यक्तिगत कोई बात नहीं है, लेकिन जब मंशा साफ है तो कौंसिल का आदमी क्यों मुख्यमंत्री बना कर लाया गया। मैं एक पुरानी बात बतलाता हूं—जब मद्रास में 1952 में उस समय एक ज्वाइन्ट मद्रास था वहां पर कम्यूनिस्टों को रोकने के लिए श्री राजगोपालाचारी को, जो गवर्नर-जनरल थे, मद्रास का मुख्यमंत्री बनाया गया–यह सब इस बात का नमूना है कि हम डैमोक्रेटिक नॉर्म्स को ताक पर रख रहे हैं। जब राजनैतिक दृष्टि से कोई लाभ दिखाई देता है, उसको करते चले जाते हैं। इस बिल का चाहे जो अर्थ निकले इसके यहां पेश होने के बाद भी कौंसिल के सदस्य को मुख्यमंत्री बनाया गया।

इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश में ले लीजिए–वहां बहुगुणा जी गये, क्यों गये? जब विधान सभा का सदस्य मुख्यमंत्री बनना था तो यहां का सदस्य, लोक सभा का सदस्य मुख्यमंत्री क्यों बनाया। यदि प्रजातंत्र के प्रति आप के मन में कोई आस्था होती तो आप वहां की असेम्बली को बुलाते—इतना ही नहीं, 2 महीने बाद चुनाव होने वाले थे, उसके पहले मंत्रिमंडल बनाने की क्या आवश्यकता थी, चुनाव हो जाने देते।

मेरा एक और भी आरोप है–आप आज के अखबार को पढ़िए–मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सेठी जी एक छोटे से उप चुनाव में हेलीकॉप्टर के द्वारा गये। हमें एक तरफ कहते हैं कि पेट्रोल की बचत करनी है, नाफ्था पैदा करना है, देश को उसकी ज्यादा जरूरत है, इसीलिए पेट्रोल को मंहगा किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ एक प्रदेश का मुख्यमंत्री एक छोटे से चुनाव के लिए सरकारी हेलीकॉप्टर लेकर घूमे इसका क्या मतलब है? इसमें तो ओमीशन और कमीशन दोनों ही हैं। हो सकता है कि सरकारी हेलीकॉप्टर का आप पैसा देते हों, सवाल पैसे का नहीं है, सवाल तो पैट्रोल की बचत करने का है। स्वयं प्रधानमंत्री जी बग्घी में जाती हैं क्यों—इसलिए कि पैट्रोल की बचत करना चाहती हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक प्रदेश का मुख्यमंत्री एक छोटे से चुनाव के लिए पैट्रोल का दुरुपयोग करे–इसका क्या अर्थ है? कल उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में भी ऐसा ही होगा, इसका क्या नतीजा निकलेगा? यह स्वस्थ परंपरा कौन डालेगा। हम सब चाहते हैं कि चुनाव पर कम खर्च हो, लेकिन यह परंपरा कौन डाल रहा है। आप पांचवीं पंचवर्षीय योजना तक पहुंच गये हैं, उसकी किताबें छप चुकी हैं, क्या जनता आप के कामों को नहीं जानती, फिर जनता को बताने के लिए, उसको गुमराह करने के लिए हेलीकॉप्टर में जाने की क्या जरूरत थी?

*** *** ***

मैं यही बतलाना चाहता हूं कि इस बिल के पीछे यदि सरकार ऑनेस्ट है, तब तो कुछ होगा, वरना कुछ भी नहीं होगा।

It is only to establish norms under a democratic set up. If the Government is there to violate them, what is the way out?

क्या ऐसा नहीं हो रहा है?

We talk about ideological differences. When the Prime Minister herself has said that we have not moved even a millimetre, can those people who do not obey be called defectors? What is it after all! I am bringing out that point. How to define the term? It is a question of defining 'defectors'. As a matter of fact, the Minister himself is in a quandary. He himself cannot define defection.

आप बतायें कैसे डिफाइन करेंगे।

For clarification's sake, I brought this point.

*** *** ***

I am giving exactly not only an indication but an example of how Government's mind works.

16 मई को यह विधेयक उपस्थित किया गया, क्या उसी समय सिलैक्ट कमेटी में नहीं भेजा जा सकता था? मैं जानना चाहता हूं–सरकार अब तक क्यों प्रतीक्षा करती रही? 1967 के बाद जब इस तरह के डिफेंक्सज शुरू हुए तो इसके बारे में एक कमेटी बिठाई गई, उसका प्रतिवेदन आया–तब से अब तक सरकार क्यों सोती रही? मेरा सरकार पर आरोप है जब अखबारों में डिफेक्शन बिल के बारे में चर्चा चली, यहां पर भी हर बार हम लोग सरकार से पूछते रहे कि वह बिल कब आयेगा—तब जाकर यह बिल आया है और अभी भी यह क्यों आया है–सिलैक्ट कमेटी में भेजने के लिए? सिलैक्ट कमेटी में जायेगा, सिलैक्ट कमेटी उस पर विचार करेगी फिर उसका प्रतिवेदन आयेगा, तब तक सारे चुनाव हो जायेंगे। आपने जल्दी क्यों नहीं की, पहले से सिलैक्ट कमेटी में भेजने में क्या कठिनाई थी, जो आज आप इसे यहां पर लाये हैं।

मैंने अभी आपको बतलाया है कि डिफैक्शन को डिफाइन करना कठिन है–ऐसा आपने स्वयं भी कहा है–इसलिए मैंने पूछा है—for the sake of clarification.

ऐसे जो लोग अपने को रेडिकल और प्रोग्रेसिव मानकर गये हैं, जब स्वयं प्रधानमंत्री जी कहती हैं कि हम आगे नहीं गये हैं–तो whether they will be treated as defectors.

यह मैं जानना चाहता हूं।

स्वस्थ परंपरा के बल-बूते पर प्रजातंत्र चलता है, केवल कानून बनाने से नहीं चलेगा। इस में जो-जो खामियां हैं, हमारे सम्माननीय सदस्य ने अभी बताया है। खामियां इसमें कौन-कौन सी हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप स्वस्थ परंपरायें डालें और इसीलिए मैंने जो उदाहरण दिया था कि जब आपने स्वीकार किया है कि मुख्यमंत्री विधान सभा का सदस्य हो और यह बिल 16 मई को उपस्थित हो चुका था, हम सोचते थे कि जब भी रीशफलिंग होगी उसमें इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया जायेगा।

In contravention of what has been expressed in the Bill, the Bill might have been passed. But it is the Government's desire.

सरकार की मंशा क्या है वह प्रकट हो गई और प्रकट होने के बाद बिल अभी पास न हो इसलिए इसको सिलैक्ट कमेटी में भेजा जा रहा है। इस बीच में पॉलिटिकल एण्ड्स (political ends) को सूट करने की दृष्टि से इस बिल का उपयोग नही होगा और जब तक यह बिल अधिनियम की शक्ल लेगा तब तक चुनाव समाप्त हो जायेंगे। इसलिए जो निष्ठा देश के अन्दर खत्म होती चली जा रही है यह जनतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। एक राजनैतिक दल में रहते हुए भी अगर आप अच्छा काम करते तो हम आपका समर्थन करेंगे। तब जाकर प्रजातंत्र चलता है। आपने देखा बंगलादेश के संबंध में यहां रहते हुए हमने आपका समर्थन किया। विरोधी दल का यह मतलब नहीं है कि सरकार जो भी करे उसका विरोध करते चले जायें। हम इसको मानते हैं सरकार जो भी अच्छा काम करे उसका समर्थन होना चाहिए, तभी प्रजातंत्र चलेगा।

It is not the role of the Opposition to oppose anything and everything that is promulgated by the Government.

इसी के आधार पर हम चलते हैं।

इसीलिए मैंने कहा कि सरकार की यदि मंशा है कि देश के अन्दर स्वस्थ परंपरा डालें और दलबदल की परिस्थिति समाप्त हो जैसे मध्य प्रदेश में हुआ—गोविन्दनारायण सिंह यहां आ गये, फिर वहां गये, तो कम-से-कम ऐसे लोगों को अधिकार न देते। यह तो हम कर सकते थे। हमने जो इस विधेयक में लिखा है उसको व्यवहार में ला सकते थे और उसको बढ़ावा नहीं देते। केवल बिल प्रस्तुत कर दें और उसके विरोध में काम करते रहें तो जिस ढंग से हम इसका उपयोग करना चाहते हैं, वह नहीं हो पायेगा।

मैं मानता हूं कि सिचुऐशन बहुत ही फ्लुइड है, यद्यपि हिरेन मुखर्जी साहब ने कहा है कि हमारी और कम्युनिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी ठीक ढंग से होने की वजह से it is difficult to say who is immune and who is not immune. We must be very careful.

इसलिए मैं चाहता हूं कि स्वस्थ परंपरा डालने की दृष्टि से, दलबदल की प्रवृत्ति पर रोक लगाने की दृष्टि से ही इस पर बहुत पहले से ही अमल शुरू हो जाना चाहिए था: आपने कहा

है कि मुख्यमंत्री विधान सभा का और प्रधानमंत्री लोक सभा का हो। यह बिल्कुल स्वस्थ परंपरा है। लेकिन इसको हम व्यवहार में लाते तो अच्छा होता। आपने बिहार में परिषद् के सदस्य को मुख्यमंत्री बनाया। जैसा गृह मंत्री जी ने कहा कि 16 मई को यह बिल इंट्रोड्यूस किया गया था उसके बाद वर्षाकालीन सत्र चल रहा था, इस समय भी जो शेड्यूल था कि कौन-कौन से बिल आयेंगे उसमें इस बिल का उल्लेख नहीं था, मैं जानना चाहता हूं कि आज जो यह बिल इंट्रोड्यूस हो गया यह क्यों हो गया? इसके पहले क्यों नहीं हुआ?

आगे चलकर दलबदल की प्रवृत्ति रोकना चाहते हैं, यह मैं जानता हूं। लेकिन देरी क्यों हो गई, यह बताने की कृपा करें जिससे हमारे गले के नीचे उतर सके।

*** *** ***

अविश्वास प्रस्ताव, 1974*

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रिपरिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव पर सदन में चर्चा चालू है। इससे बार-बार अविश्वास का प्रस्ताव क्यों आता है। यदि सत्तारूढ़ दल यह चाहता है कि हम उनपर विश्वास करें तो उन्हें कुछ ऐसी बातें करके दिखानी चाहियें कि हम उन पर विश्वास कर सकें, लेकिन जब वे ऐसा करते नहीं हैं तब विरोधी दल का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह उनको ठीक रास्ते पर लाये।

आज की जो स्थिति पैदा हुई है उसके लिये जिम्मेदार यह सरकार है। सरकार इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती—राजा कालस्य कारणम्—राजा ही इस काल का कारण है। यदि यहां रेल की हड़ताल होती है या गुजरात और बिहार जैसी स्थिति पैदा होती है, अराजकता का वायुमंडल दिखाई देता है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है तो इसके लिये आवश्यक हो जाता है कि हम इसकी जड़ में जायें और यदि हम इसकी जड़ में जायेंगे तो पता चलेगा कि आज की स्थिति इसलिये निर्माण हुई कि यहां अर्थ का अभाव है और स्वार्थ का प्रभाव है, यहां अनुशासन का अभाव और शासन का प्रभाव है। हमें इसकी जड़ में जाना होगा।

जैसा मेरे मित्र श्री स्टीफन ने अभी कहा—ये अध्यादेश हम क्यों लायें?

We want to fight it on a war-footing. I would like to remind Mr. Stephen that war is the last resort. When we have exhausted all avenues to solve the problem peacefully, then only we must resort to war.

तो आप इस बात को लेकर चलें कि जब आप युद्ध स्तर पर इसका हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो शान्तिपूर्ण स्तर पर कौन-सा हल निकालने की आपने कोशिश की उसमें आप असफल क्यों हुए?

दूसरी बात यह है कि जब-जब आप वार-फूटिंग शब्द का प्रयोग करते हैं तो कम से कम हिन्दुस्तान में तो इस सरकार ने ठीक ढंग से वॉर लड़कर आज तक नहीं दिखाई। In War it is taken for granted that it is a fight to finish.

---

* उपरोक्त अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए।
लोक सभा वाद-विवाद, 24 जुलाई 1974, cc 234-45।

किन्तु हर बार हम हारते जाते हैं। वार जीतने के बाद भी भूमि दे देते हैं, जब हम टेबिल पर बैठते हैं तो वहां भी हम हार जाते हैं और फिर कहते हैं कि We will fight it on a war-footing.

तो मुझे डर लगता है कि यहां भी कुछ गड़बड़ है। यदि युद्ध की वजह से हमारी जीत होती है, हम को कुछ प्राप्ति होती है, कुछ लक्ष्य पूरे होते हैं तब तो मैं मान सकता हूं, लेकिन यहां तो कुछ होता ही नहीं। मेरा कहना यह है कि यह स्थिति एकदम से पैदा नहीं हुई है। आप थोड़ा सा आइने में देखिये—क्या आपने अपने खुद के वायदे पूरे किये? मैं अपने वायदों की बात नहीं कहता हूं, आपके वायदों की बात कह रहा हूं। आज जो लगातार कीमत बढ़ी हैं और पिछले दो-तीन सालों में 20 से 30 प्रतिशत बढ़ गई हैं—क्या हर योजना के बाद आप यह नहीं कहते थे—We will hold the price line.

इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे? It was your duty. Why did you fail? हर योजना के बाद प्राइसेज क्यों बढ़ती जाती हैं। देश का राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ने के बाद उसका ठीक ढंग से वितरण होकर सब तक चीजें क्यों नहीं पहुंचती हैं। डॉ. महालोबोनिस की कमेटी क्यों आई थी? यह देखने के लिये कि योजनाओं के बाद देश के अन्तर्गत जो पूंजी पैदा हो रही है, उसका वितरण ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं। उस रिपोर्ट पर क्या अमल किया? हर योजना के बाद विषमता की खाई बढ़ती जा रही है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है—यह खाई क्यों बढ़ रही है? इस खाई को मिटाने के लिए कौन-सी कोशिश हमने की? हर योजना यदि हमारे लक्ष्य की पूर्ति नहीं करती तो क्यों नहीं करती? चार-चार योजनायें हमने चलाईं लेकिन क्या एक योजना के बारे में भी हम बता सकते हैं कि सारा मामला लक्ष्य के अनुसार चला? यदि यह नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? हम उस पर सोचते क्यों नहीं? यदि प्रयत्न करने के बाद भी नहीं होता तो दोष कहां है? यह कौन देखेगा? मुझे याद है श्री मोरारजी कामराज योजना के अन्तर्गत जब नीचे आये तो उन्होंने सुझाव दिया था कि हर विभाग दस प्रतिशत खर्चे की कटौती करेंगे तो नये टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कामराज योजना को 12 साल हो गये कितने और कौन-से विभागों में यह कटौती करने की कोशिश की गई? कितना उस पर अमल हुआ, खर्चा कितना कम हुआ और टैक्स में कितनी कटौती आई क्या किसी ने इसको देखा? अब हमारे चव्हाण साहब वित्त मंत्री के नाते कहते हैं कि रुपये का मूल्य नीचे जा रहा है। रुपये का मूल्य घिसते-घिसते पहले 40, फिर 38 और अब 29 पर आ गया है। आज रुपये का मूल्य 29 पैसे है। किसी को 100 में 40 मार्क मिलते हैं तो वह फेल होता है लेकिन यहां तो चव्हाण साहब को 29 ही मिले। जब पैसे का मूल्य गिरने लगे तो रोकें कैसे? 40 के नीचे गिर रहा है इसलिए मैंने कहा:

They are not holding the price-line; they are simply beholding the price-line as to how it rises sky-high.

उसको आप देख रहे हैं लेकिन इसको रोकेगा कौन, यह सवाल है। आपके अध्यक्ष संजीव रेड्डी साहब ने इंदौर अधिवेशन के पहले कहा था कि कोई भी कांग्रेसी नेता हो, कार्यकर्ता हो उसे अपनी इनकम की रिटर्न देनी चाहिए। यह आपका है, हमारा नहीं, लेकिन क्या किसी ने

दिया? क्यों नहीं दिया? आखिर पूंजी कितनी बढ़ गई, क्यों बढ़ गई, कौन-से सोर्स से आई यह मालूम हो। इस देश में इतना सारा चलता है, आप लोग कर्ताधर्ता हैं; यदि आप कोई आदर्श पैदा करेंगे तो उसको देखकर सारी जनता चलेगी। इसलिए जब श्री ज्योतिर्मय बसु कहते हैं तो किसी को अच्छा नहीं लगता किन्तु बात यह है कि मारुति का नाम लेने से आप नाराज क्यों होते हैं?

मैं चाहता हूं सब कुछ साफ-साफ हो। किसी पर कोई आरोप लगे यह अच्छा नहीं लगता है किन्तु आप यह न भूलें कि इस देश में सीता जैसी सती पर भी आरोप लग गया। अग्नि देव से, उनका चरित्र शुद्ध है, यह पता लगने के बाद भी यदि कुछ समय के लिए पर-पुरुष के घर में वह रहती हैं तो यहां इस देश का समाज आरोप लगाता है और उसका भी जवाब राम को देना पड़ता है, राजा के नाते, प्रजा अनुरंजनी होने की वजह से उनको जवाब देना पड़ता है, कर्तव्यनिष्ठ होने की वजह से देना पड़ता है। इसलिए समाज में जब हम खड़े होते हैं तो बिल्कुल शुद्ध धवल खड़े हों। यदि कोई आरोप लगता है तो उसकी जांच हो। उसमें कुछ नहीं बिगड़ता है।

संथानम कमेटी हमने नियुक्त की, क्यों की? उसने अपनी सिफारिशें दीं कि यदि दस विधायक भी किसी के बारे में मेमोरेंडम देते हैं तो उसकी जांच हो। जांच होने में क्या कठिनाई है, यह मेरी समझ में नहीं आता। बंगाल में जब कांग्रेसियों ने मांग की—दूसरों ने नहीं—तो कमीशन बैठ गया लेकिन यहां बंशीलाल जी के खिलाफ इतनी मांग होने के बाद भी कुछ होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक बार प्रधानमंत्री जी को उपकृत किसी ने किया तो उनको लगता है कि मुझको सर्टिफिकेट मिल गया, मैं चाहे जो करूं, अंधाधुंध करूं, आतंक मचाऊं। यहां सवाल व्यक्ति का नहीं है, सवाल लोकतंत्र का है, सवाल अपनी जीवन-पद्धति का है कि आखिर इस देश में न्याय नाम की कोई चीज है या नहीं? ऐसे आदमी रगड़े जायेंगे, उनकी आवाज कोई सुनेगा नहीं, आखिर यह क्या हो रहा है? यानि हरियाणा के शिक्षक यहां आयें और सत्याग्रह करें, हरियाणा के हरिजन दिल्ली में आकर सत्याग्रह करें—यह क्या है? इतना आतंक क्यों है? आप सोचते क्यों नहीं हैं? मैं यह नहीं मानता कि कोई गलती ही नहीं करता, जो भी गद्दी पर बैठेगा वह गलती करेगा। जैसे हर एक को बीमारी होती है लेकिन सवाल यह है कि बीमारी को कोई छिपायेगा तो वह खुद उसका शिकार नहीं बनता बल्कि औरों को बनाता है इसलिए डॉक्टर के सामने स्पष्ट बता देना चाहिए और बीमारी को छिपाना नहीं चाहिए। जैसे मैं देखता हूं कि यहां पर ऐसे कितने ही निवृत्त न्यायाधीश हैं जिनको आज तक किसी कमीशन में नहीं लिया—सुब्बा राव हैं, हिदायतुल्ला हैं, छागला हैं—इनको क्यों नहीं लिया? आप न्यायाधीशों के मन में यह बात क्यों बिठाते हैं कि हम सरकार की जी-हुजूरी करेंगे तो बाद में हमें कुछ मिलेगा? जो भी न्याय और कर्तव्यनिष्ठा से सरकार का विरोध करेगा उसको कमीशन पर नियुक्त नहीं करेंगे। जो भी सरकार का विरोध करेगा उसको कमीशन पर नियुक्त नहीं किया जायेगा। यदि आप ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करते तो जन-मानस खुला हो जाता किन्तु जब हम देखते हैं कि उन्हीं लोगों को कमीशन मिलता है तो मतलब यह होता है कि इसमें भी कुछ कमीशन जरूर होगा। तो आखिर न्याय निष्ठुरता से, कार्यदक्षता से कोई करे या न करे? हम चाहते क्या हैं? बुढ़िया मर गई इसका सवाल नहीं है, मृत्यु ने दरवाजा देख लिया यह ठीक नहीं है।

जब डिफेक्शन्स शुरू हुए तो उसके लिये एक कमेटी बनी जिसके माननीय चव्हाण अध्यक्ष रहे और जब कमेटी ने सिफारिश की, 10 प्रतिशत प्रदेशों में और 11 प्रतिशत केन्द्रों में, मंत्रियों की संख्या रहे तो क्यों मंत्रियों की संख्या बढ़ती है? फिर बिहार में जब भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज आती है तो 44 की जगह मंत्री घट कर 14 रह गये। ऐसा क्यों है? तो फिर डिफेक्शन कमेटी क्यों बनायी? खुले रूप से खरीदना, बेचना शुरू हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? अभी-अभी मणिपुर में क्या हुआ। यह कब तक चलेगा। एक-एक स्तम्भ जिस पर लोकतंत्र मजबूत होता है उसको हम तोड़ते जायेंगे तो आगे चल कर उसको गैर-इस्तेमाल करने वाली पार्टियां अधिकार में आयेंगी तो क्या करेंगी, यह कहना मुश्किल है यदि स्वस्थ परंपरा हो तो फिर लोकतंत्र ठीक ढंग से चलता है। जब केन्द्र में ही वरीयता को कोई ध्यान न देते हुए मनमाने ढंग से काम करेंगे तो उसका अनुसरण पंजाब ने किया। पंजाब में भी यही हुआ पंडित साहब के साथ। मेरा सवाल तरीके का है। एक बार केन्द्र ने शुरू किया तो प्रदेश में भी शुरू करते हैं, और ऐसे ही बीमारी फैलती जाती है। मनमाने ढंग से कुछ करने की जब बात की जाती है तो लोकतंत्र ठीक ढंग से नहीं चलता।

आज तक जिसको हम इकोनॉमिक डिसिप्लिन कहते आये इसको हम फ्लाउट करते आये हैं लगातार। आज सरकार मुद्रा प्रसार रोकने के लिये कोशिश कर रही है। मुद्रा का प्रसार किसने किया? क्या कोई प्राइवेट प्रिंटिग प्रेस है जो नोट छाप रहा है? यानी 1955-56 में जो 2,000 करोड़ की मुद्रा थी वह आज 10,000 करोड़ तक पहुंच गई है। कौन कर रहा है, क्यों कर रहे हैं? यहीं पर चव्हाण साहब ने खड़े हो कर कहा कि महाराष्ट्र का अकाल दूर करने के लिये नोट छापेंगे। हर योजना असफल होती है। पता चला because of the huge borrowings, dependence on foreign aid and evermounting taxes. इसको रोको, कम करो। कौन करेगा। यानी प्राइवेट उद्योग तो लगातार बढ़ता जा रहा है, कुछ ही मुट्ठी भर पूंजीपतियों के साथ में देश की पूंजी लगातार इकट्ठी हो रही है, क्या इस बात से आप इन्कार करते हैं? उनको अपने उद्योगों में मुनाफा होता है, 40, 50 करोड़ वाला 500 करोड़ तक पहुंच जाता है, और हम केन्द्र की तरफ से 5,000 करोड़ रुपये की लागत से लगाये गये उद्योगों में घाटा उठाते हैं। अगर इतनी पूंजी पर 10 प्रतिशत का भी मुनाफा न हो तो फिर क्यों चलाते हैं? यह सारा बोझा देश पर आता है। तो जब तक इकोनॉमिक डिसिप्लिन हम फॉलो नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। अध्यादेशों से आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी। आज भी यदि सरकार को लगता है कि इकोनॉमिक डिसिप्लिन फॉलो करें तो बड़े उद्योगों पर जोर देने का विचार है इस को छोड़ दीजिये। इंडस्ट्री का पैटर्न चेंज कर दीजिये। डीसेन्ट्रलाइज्ड लेवल पर गांवों तक ले जायें। बिजली जा रही है, और पांचवीं योजना के अन्तर्गत बिजली की कमी की वजह से सुझाव आ रहा है कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन स्टॉप करो। गांवों में पानी तो है ही नहीं, लेकिन कम से कम अंधरे में पानी है कि नहीं इस को देखने के लिये तो उजाला चाहिये। उसको भी बन्द कर रहे हैं। हम कहते हैं कि गांवों तक बिजली ले जाओ, इकोनॉमिक ढांचा बदलो। इसी के साथ-साथ कृषि के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है यह नहीं चल सकता।

परती भूमि के वितरण का काम था क्या आज तक परती भूमि के वितरण का काम हर जगह हो पाया है? जिन को मिलना चाहिये था उन को मिला है? नहरें निकालने के बाद जिन को पता था कि कहां-कहां से निकलेगी वहां की भूमि आप ने ली नहीं है। वह मिली गरीब किसान को? जमीन की मर्यादा ठीक ढंग से लगाओ, अगर भूमि बचे तो भूमिहीनों को दो। लेकिन क्या किसी को दी? यदि नहीं तो क्यों नहीं दी? जोतने वाले को जमीन, इस सिद्धांत को हमने स्वीकार किया। फिर मंत्रियों के नाम पर क्यों जमीन रखी जाती है। जैसे प्रधानमंत्री को ही लें, सवाल सवा चार, या पांच एकड़ का नहीं है, लेकिन एक एकड़ जमीन किसी जोतने वाले को नहीं दी। विनोबा जी ने सम्पत्ति दान का आंदोलन चलाया, लेकिन आज तक किसी ने सम्पत्ति का दान स्वयं नहीं किया। इन्कम टैक्स वाले जबरदस्ती ले जायें वह बात दूसरी है। भूमि सुधार का कार्यक्रम नहीं चलाया, भूमि वितरण नहीं किया, छोटे उद्योगों को पनपने नहीं दिया। छोटे उद्योगों के लिये जो आवश्यक चीजें हैं, इन्फ्रास्ट्रक्चर है, वह नहीं किया। कहा जाता है कि पिछड़े हुए क्षेत्रों में लोग उद्योगों को ले जायें। लेकिन कोई नहीं ले जा रहा है क्योंकि पहले वहां यातायात, पानी, बिजली और रॉ-मैटीरियल की बात आती है, जिसका आप प्रबन्ध नहीं करते। तो कौन जायेगा ऐसी जगह उद्योग लगाने? यदि आप को विकास करना है तो इन्फ्रास्ट्रक्चर तो होना चाहिये। ऐसी विपरीत आर्थिक स्थिति में जब आदमी खड़ा होता है तो फिर मजबूरन उसको हड़ताल करनी पड़ती है। कोई प्यार से नहीं करता। रेल कर्मचारी जब हड़ताल करता है तो मजबूरी से करता है एक बात पर आपत्ति मैं करता हूं वह यह है कि:

the way in which the strike was handled

वह हमारे कर्मचारी हैं, इस देश के नागरिक हैं। गलती उनसे हो सकती है। मिश्र जी ने कहा था कि यह मेरे परिवार के लोग हैं, मैं इसका स्वागत करता हूं, किन्तु परिवार के लोगों को कोई यह कहता है कि जो दुश्मन भी इस देश का नहीं कर पायेगा वह तुमने किया? ऐसा होता है? गलती के लिये क्या ऐसे लताड़ेंगे कि तू गद्दार है। फिर जो लोग हड़ताल पर नहीं गए वह लॉयल और जो हड़ताल पर गये वह डिसलॉयल। लोकतंत्र में यह स्वीकार की हुई पद्धति है जिसको सामूहिक बारगेनिंग कहते हैं। जैसे काम करने का लोकतंत्र में अधिकार है, वैसे ही काम न करने का भी अधिकार है। हमने संविधान से बेगारी को बन्द किया। तो जो उन्होंने मांगें रखी थीं, हमारे माननीय स्टीफन भी कहते हैं कि जहां तक मांगों का सवाल है मैं भी उसको स्वीकार कर रहा हूं और स्वयं माननीय श्री ए.पी. शर्मा जी से मैंने पूछा था तो वह कहते हैं कि मांगें ठीक हैं। तो फिर हड़ताल को क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? मियां भाई की सिफारिशें अप्रैल 1972 में आ गई, उनको इम्पलीमेंट क्यों नहीं किया? फर्नांडीस साहब ने जो एक फैडरेशन के अध्यक्ष हैं और जिनकी यूनियन रिकग्नाइज है उन्होंने स्ट्राइक बैलट लिया और नोटिस दिया और 15 अप्रैल तक आपको समय दिया। लेकिन आपने कुछ नहीं किया। और जब एक्चुली स्ट्राइक का निर्णय 15 अप्रैल को लिया तब वार्ता शुरू की और वारियर साहब को भेजा वारियर कहते हैं कि वह तो पोस्टमैन की तरह थे पोस्टमैन को क्यों भेजा, पोस्ट मास्टर जनरल को क्यों नहीं भेजा? फिर कुरैशी साहब आ गये लेकिन दुर्भाग्य से उनके पिता का देहान्त हो गया जिस वजह से वार्ता लम्बी चली, और फिर उनसे ठीक ढंग से वार्ता करके आपको ठीक-ठीक बताना था। किन्तु उधर कहते हैं कि

2 मई को वार्ता होने वाली है और फिर यह कहना कि प्लेन के आने में देरी होगी इस लिए रेलवे बोर्ड कार भेजे और सीधे फर्नांडीस साहब को वार्ता की टेबल पर ले आये। लेकिन ऐसा न करके उन को पकड़ा और जेल में बन्द कर दिया। यह कौन सा तरीका है? जो आप करें खुली रीति से कीजिए कि आप की 6 मांग में से दो हम को मंजूर हैं, शेष नहीं। जब आप ने स्वयं 8.33 प्रतिशत की बात मानी, खाडिलकर फार्मूला के नाम से, तो अब खाडिलकर जी को गवर्नर बनाकर भेजने से तो वह फार्मूला समाप्त नहीं हो जाएगा, वह तो रहेगा, तो जब आप प्राइवेट एजेन्सीस से कहते हैं कि 8.33 प्रतिशत बोनस दें, तो फिर हर एक मांग करेगा और आप को तो मॉडल एम्प्लायर होना चाहिए। सारे कहते हैं कि रेलवे कर्मचारी हड़ताल पर नहीं थे, सक्सेसफुल नहीं थी हड़ताल। यदि यह बात थी तो हड़ताल 8 मई से होने वाली थी उससे पहले 1 मई से ही आप ने 200 गाड़ियां क्यों बन्द कर दी। यानी हड़ताल खुद जनता पर थोपे जाओ। और रेडियो कितना गलत प्रचार करता है, जरा देखें। एक वकील साहब ने मुझे बंबई में बताया कि मैंने रेडियो पर सुना कि फर्नांडीस 2 तारीख को आने वाले थे, लेकिन वह नहीं आये।

He absented himself from the meeting.

इस लिए टॉक्स नहीं हो पायी। एक वकील पढ़ा-लिखा है वह किस पर विश्वास करता है? रेडियो पर ही तो करता है। रेडियो झूठ बोलता है। फर्नांडीस साहब को दो तारीख को सुबह पकड़ा जाता है। लेकिन आठ बजे सुबह रेडियो इस के बारे में कुछ नहीं बताता है अखबारों में यह चीज आती नहीं है। पार्लियामेन्ट में क्वेश्चन आवर होने नहीं दिया। आप अपने व्यवहार को सुधारें। सुधारने का समय गुजर नहीं गया है। अभी भी आप सुधार सकते हैं अपने व्यवहार को। विक्टिमाइजेशन के कारण आज भी हजारों लोग बाहर हैं, स्थायी और अस्थायी दोनों। लगभग तीन सौ जेल में हैं। इस तरह से विक्टिमाइजेशन करके क्या आप समझते हैं कि वायुमंडल ठीक रह सकता है? आप कहते हैं कि गाडियां चलती हैं। मुझे काशी से पत्र आया है कल। मुझे उसमें बताया गया है कि वाराणसी दादर एक्सप्रेस हड़ताल के पहले भी बन्द थी और अब भी बन्द है। इस कारण से वाराणसी का सूती वस्त्र उद्योग, जरी उद्योग ठप्प पड़ा है। इसका यातायात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। काशी में जो यात्री आते वे आ नहीं सकते हैं। कहते हैं गाडियां बन्द नहीं हैं।

For all practical purposes it is printed in the time-table that the train is running, but running where. God alone knows.

ऐसी स्थिति में आपने कहा कि देश भर में वातावरण पीसफुल है तो वह कहां हैं? मुझे नहीं लगता है कि पीसफुल वातावरण है। आप ठीक ढंग से, व्यवस्थित ढंग से, जनता के हित में रेलों को चलाएं और अपने कर्मचारियों के साथ दुश्मनों का व्यवहार न करें। जिन लोगों के खिलाफ आपने डिसमिसल के नोटिस दिए हैं, कुछ लोगों को आपने विक्टिमाइजेशन के रूप में दूरस्थ स्थानों में ट्रान्सफर कर दिया है, उन नोटिसिस को आप वापिस लें। उन बेचारों का गुनाह इतना सा ही तो था, अपराध इतना सा ही तो था कि वे स्ट्राइक में शामिल हुए। स्ट्राइक करना उनका अधिकार था, इसके बारे में बैलट लिया गया था, स्ट्राइक का नोटिस आप को दिया हुआ

था, और तब स्ट्राइक उन्होंने की। ऐसी स्थिति में आपने रेल कर्मचारियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया उसको देखकर क्या रेल कर्मचारियों का आप पर विश्वास होगा? नहीं होगा। इस स्ट्राइक का राजनैतिक लाभ उठाया जाए, इस दृष्टि से इस स्ट्राइक का हमने कभी समर्थन नहीं किया। उनकी मांगें उचित मांगे थी। क्या थीं उनकी मांगें। अगर उन्होंने कहा कि उनको इंडस्ट्रीयल वर्कर माना जाए तो इस में कौन सी गलत बात थी। उन्होंने अगर कहा कि हमारे काम का पुनर्वर्गीकरण हो, ठीक ढंग से हो, वैज्ञानिक तरीके से हमारे काम का मूल्यांकन हो, और पब्लिक अंडरटेकिंग में जो न्यूनतम वेतन मिलता है वह हमारे यहां भी क्लास फोर एम्पलाइज को मिले तो कौन सी अनुचित बात थी इस में राजनैतिक कुछ नहीं था।

मैं समझता हूं कि अब भी समय गुजर नहीं गया है। मंत्री महोदय से मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि उन लोगों के साथ शत्रु या दुश्मन जैसा व्यवहार वे न करें। स्ट्राइक पर गये वे भी इतने ही निष्ठावान हैं जितने वे लोग हैं, जो स्ट्राइक के समय काम पर आये। चूंकि वे काम पर नहीं गए इसीलिए उनकी निष्ठा भंग नहीं हो गई है। वे अब भी निष्ठवान हैं। इसी दृष्टि से आप को उनके केसिस पर विचार करना चाहिए।

साथ-साथ आप आर्थिक अनुशासन लाएं। यह अध्यादेश जारी करके ही नहीं हो जाएगा। आप गंभीरता से इस पर विचार करें और आर्थिक अनुशासन लाने की कोशिश करें ताकि आगे चल कर देश का भला हो। चूंकि मुझे विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे नहीं, इसलिए मैं इस अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

संविधान (चौंतीसवां संशोधन) विधेयक, 1974*

Sir, I welcome this measure which seeks to include in the ninth schedule certain Land Reform Acts as items 67 to 83 and three more Acts which are mentioned in the amendment tabled by the Minister, which I am sure will be moved, in which he has included the Orissa Land Reform Act of 1974. Even before independence, it was the policy of the Congress party to implement land reforms and since independence, several Land Reform Acts were passed by the various State Governments, mostly Congress Governments. But these Acts were always subject to judicial review and they could not be implemented because of judicial intervention. Firstly, it was a question of abolition of intermediaries—zamindars, inamdars etc. The first, fourth and seventeenth amendments of the Constitution had to be made to see that the object of the State legislations in respect of land reforms could be implemented. In spite of that, no Act was allowed to be implemented without being subjected to judicial scrutiny. Article 31B incorporating the ninth schedule was passed in 1951 so that the courts could not sit in judgement over the vires of these legislations. Now it has been found that the ceilings originally fixed by the State legislatures were high and the Congress Working Committee in 1971 passed a resolution saying that the ceilings should be reasonably reduced. Accordingly, various State Governments have reduced the ceiling. In Orissa, land was divided into four categories and the ceiling was reduced to 10 acres in the case of Class I land. After the Orissa Land Reforms Act was passed, more than 200 writ petitions are pending in the Orissa High Court and the State Government is not in a position to implement the Act. Such cases are pending in various other High Courts, with the result that the Acts passed by the State legislatures are not implemented. Mr. Dasaratha Deb, while supporting the Bill, complained about the non-implementation of these measures by the State Governments, particularly by the Tripura Government. He cannot challenge the *bona fides* of the State Government. Because of the intervention of the courts, because of the judicial reviews because of the rights given to the High Courts under article 226, stay order are being obtained

* उपरोक्त विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए।
(यह विधेयक भूमि सुधार अधिनियम और संशोधनों को नौवीं सूची में समावेश करने के संदर्भ में है)
लोक सभा वाद-विवाद, 26 अगस्त 1974, cc 273-76 ।

and all the cases are pending. Then, how could they be implemented? So, protection under article 31B is really necessary for the effective implementation of the land ceiling laws passed by the State Legislatures. Unless this is done, the land reform legislation can never be implemented and it will remain merely an Act on paper. Therefore Government have come forward with this amendment to include certain Land Reform Acts passed by the various State Legislatures in the Ninth Schedule.

Shri Dasaratha Deb was complaining about high ceilings. Originally it was so. Now the State Legislatures have reduced the ceilings, according to the conditions prevailing in the States. Exemptions to sugar farms and seed farms etc. also have been reduced to a very great extent.

The Congress Party sincerely believes that land reform should be an effective instrument in bringing about social justice. What about the poor man in the field who toils in the sun and rain? When the crop is harvested, he does not get one kilo of rice or wheat. The entire crop is taken away by the pattedar, to whom the land belongs. That is why we say that the man who works in the field should have the result of his labour.

The land reform legislation will not be complete until the land is given to the tiller of the soil. After the ceiling is fixed, the next stage is to legislate to the effect that land belongs to the tiller and not to the owner, who is an absentee landlord, who may be living in the city, who may have some other profession and to whom income from the land is only a subsidiary source of income. If the society is to subsist and progress, the foundation is the villager, the poor man in the village, the vulnerable sections, the Harijans and the Scheduled Castes, who have nothing to fall back upon. So, they should be protected. The land ceiling legislation is the first step which can give them this relief, which is really needed. Therefore, this is a measure which is highly necessary.

I am glad that Shri Dasaratha Deb also supported this measure though he has complained against the Tripura State Government. I agree with him that the exploitation of the tribals is very rampant, not only in Tripura but in other States. In the erstwhile Madras Presidency in the agency area there was a regulation which prohibited the transfer of land from a tribal to a non-tribal, without the previous permission of the Collector. In Orissa also Regulation No. 1 of 1956 prohibits the transfer of land from a tribal without the permission of the Government. So, there are such regulations. It is only a question of implementation. If the Tripura Government is not very alert...

*** *** ***

As a Member from Tripura he should put pressure on the State Government. He cannot bring that as a criticism here and say that various States are lagging in implementation of land reform legislation.

I am glad this amendment of the Constitution has come. This is highly necessary and this will give effect to the various State legislations which have introduced land ceiling. The distribution of land to landless Harijans and Adivasis is also highly necessary so that society can subsist on solid foundations.

तो केवल सदन कब बुलाया जाए, आज बुलाया जाए, कुछ दिन छोड़कर बुलाया जाए, इस बात को लेकर जो हटाने की होती है इससे बड़ा दु:ख होता है। आज भी यह जो राज्यपाल महोदय अपने अभिभाषण के कौन से अंश छोड़े कौन से न छोड़े इस बात का जो एक बवन्डर बनाया तो क्या हम यह समझें कि कोई प्रदेश हमको कौन सा राज्यपाल चाहिये यह डिक्टेट कर सकते हैं क्या? इस बात तो लेकर यदि सवाल खड़ा करते तो राष्ट्रवादी शक्ति देश की केन्द्र के साथ आतीं। किन्तु इसको छोड़कर अंश पढ़ाना चाहिये, न पढ़ना चाहिये ऐसी बिल्कुल अनइम्पोर्टेंट बातें होती हैं, उस पर जब क्राइसिस खड़ी की जाती है तो मुझको एक अंग्रेज प्रोफेसर की याद आती है। एक अंग्रेज प्रोफेसर शाम को घर आया उसकी पत्नी ने गुस्से में आकर कहा कि देखिये आपकी लड़की ने क्या किया। तो बड़ी शान्ति से उन्होंने कहा कि क्या किया। तो लड़की ने एक चिट्ठी लिखी थी "I am runing away with my lover. Papa, please excuse. तो अंग्रेज प्रोफेसर ने कहा *I will not excuse. I do not mind her running away, but why should she spell it wrongly with a single 'n' ?"* लड़की *भाग गई इसका दु:ख नहीं लेकिन रनिंग के स्पैलिंग ठीक नहीं लिखे इसका उनको दु:ख था। इस बात को लेकर जैसे अंग्रेज प्रोफेसर गुस्सा करता है ऐसे ही अराष्ट्रवादी विघटनकारी तत्वों को जिससे प्रोत्साहन मिलता है उसको छोड़कर असेम्बली कब बुलायी जाए, इसको लेकर जो झगड़ा होता है यह ठीक नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि समय आया है कि राज्यपाल के अधिकार, उसकी मर्यादा क्या है इसको तय होना चाहिये।*

संविधान (छत्तीसवां संशोधन) विधेयक, 1974*

एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक आज हमारे सामने है। वास्तव में अगर देखा जाए तो जो 1950 की संधि थी और उसके अनुसार जो रिश्ता भारत और सिक्किम में कायम हुआ था उस रिश्ते को थोड़ा-सा बदल करके सिक्किम को और थोड़ा नजदीक लाने की इसमें कोशिश की गई है। उस दिशा में यह एक प्रयास है, यह एक कदम है इसको स्वयं मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है। किन्तु दो बातें बड़े महत्व की हैं। एक तो यह कदम यह सरकार क्यों उठा रही है और अभी क्यों उठा रही है? ये दो प्रश्न हैं जिन का मैं केटेगोरिकल जवाब चाहता हूं। सिक्किम को नजदीक लाने के किसी भी कदम का हमारा भारतीय जनसंघ स्वागत करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है किन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि जो जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग अंग्रेज से पहले, अंग्रेज के बाद और सदा से है तथा संविधान के रूप में रहा है, ऐसी स्थिति में उसको और पीछे ले जाने की दृष्टि से खुले रूप से जो शेख अब्दुल्ला बार-बार वक्तव्य दे रहे हैं और उनके साथ स्वयं सरदार स्वर्ण सिंह को बात क्या नजदीक लाने की हो रही है या दूर ले जाने की हो रही है। यह हो क्या रहा है? यानी जो अपने हैं उन को पहले पूरा अपना करो, यह हमारी मांग है। वह फर्स्ट शैड्यूल में है। इसलिए हम कहते हैं कि संविधान की धारा 370 पूरी हटाकर उसको अपने गले लगाएं। अब ये कहते हैं कि जनता की मांग है। असेम्बली ने प्रस्ताव पास किया इन्होंने बात शुरू की। लेकिन शेख अब्दुल्ला के साथ बात शुरू की तो क्या कश्मीर असेम्बली ने प्रस्ताव पास किया था?

What was the resolution of the Kashmir Assembly? We doubt the very *bona fides* of this Government.

कश्मीर असेम्बली ने कोई प्रस्ताव नहीं रखा। यह इसलिए मैं कहता हूं कि अंग्रेज के जमाने से जो हमारे सिर पर कुछ बातें बैठी हैं, उनके रहते हुए आज अगर कोई यह कहता है कि यह ऐनेक्सेशन हो रहा है, यह इम्पीरियलिज्म हो रहा है तो उसके लिए हम दोषी हैं। क्योंकि पिछले 25 साल में हमने ऐसी हवा पैदा की, क्या इस सरकार को हम इम्पीरिलिस्ट कह सकते हैं या ऐनेक्स करने वाला कह सकते हैं? You can never accuse this Government of this charge.

... जो अपनी भूमि अपने हाथ में रख नहीं सकता, वह दूसरे की कहां से लेगा? जो अपनी हजम नहीं कर सकता?

---

* उपरोक्त विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए।
(यह विधेयक सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के संबंध में है)
लोक सभा वाद-विवाद, 4 सितंबर 1974, cc 132-144।

Can you blame this Government of annexation of territory? It is a travesty of truth.

इसलिए मैं पूछता हूं कि नजदीक लाने का तरीका है तो मैं मान लेता हूं। किन्तु अंग्रेज के चले जाने के बाद बुनियादी ढंग से कोई विचार नहीं किया गया है, यही इससे प्रतीत होता है। यह सिक्किम को नजदीक लाने की बात भी जो हो रही है वह भी ऐसे बड़े छिपे-छिपे हो रही है। यानी 25 साल में यही किया आपने? आप दिमाग जरा साफ करिए कि आप आखिर करना क्या चाहते हैं? इसी सदन में दादरा और नगर हवेली का एक प्रतिनिधि बैठा है। Do you mean to say that there is separate identity for Dadra and Nagar Haveli? Is Dadra and Nagar Haveli enjoying special status and separate identity?

सिवाय इसके कि 1954 में हम लोगों ने उसे मुक्त कराने की कोशिश की थी और मुक्त होकर जब वह आया

What did you do after the recommendations of the States Reorganisation Commission?

स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिकमेंडेशन आने के बाद क्या हिन्दुस्तान का कोई एक चित्र आपने सामने रखा है? जो संविधान है उस संविधान का अधिकार पूरा-पूरा तुम को मिले, यह व्यवस्था आपने की? क्योंकि जैसे ही यह सिक्किम का मामला आया, जो सवाल आया लोगों के मन में वह यह है मैं ट्रिब्यून से उद्धृत करना चाहता हूं—क्योंकि जैसे सिक्किम का अलग संविधान है, वहीं ऐसी गड़बड़ियां कीं।

There would not be any comparison to bent you people.

कश्मीर का भी संविधान सेपरेट है। क्यों?

Why should there be a separate Constitution for Jammu and Kashmir when it is an integral part of this country?

कुछ रीजनिंग है? इसलिए मैं उद्धृत करता हूं:

"The case of Kashmir comes to mind at once. Sheikh Abdulla could very well invoke the precedent of Sikkim for demanding similar status to Kashmir. Other States could also take up the thread."

मुझे जो आशंका है वह यह है। यद्यपि मैंने स्वागत किया इसका और मैं जरूर करूंगा, किन्तु आज अपने ही संविधान के अंतर्गत एक छोटा-सा संविधान रहने के लिए आप ने इजाजत दे रखी है, इतना ही नहीं, हमने स्वयं इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ा,

When Sheikh Abdulla was installed in Kashmir. He was called the P*rime Minister*, and not as Chief Minister, as is the position now. We had to fight against that. Why did you not fight? We want one Constitution for the whole country including Jammu and Kashmir. We do not want any anomaly.

इसलिए आज भी आप लोगों ने एनामली रहने दी तो आगे चलकर किसी को भी उदाहरण के नाते, आदर्श के नाते इसे पेश करने का मौका मिलेगा। कश्मीर हिन्दुस्तान का अविभाज्य भाग होने के बाद भी उसका एक अलग संविधान है और इतना ही नहीं अंग्रेज के चले जाने के बाद एक कदम आगे जाकर हिन्दुस्तान का कौन-सा रूप कौन-सा ढांचा हो, उसके ऊपर विचार करने के बदले में आप ने कहा कि स्टैंडस्टिल ऐग्रीमेंट था, हैदराबाद के साथ स्टैंडस्टिल ऐग्रीमेंट था, कश्मीर के साथ स्टैंडस्टिल ऐग्रीमेंट था...

जम्मू-कश्मीर का विलयन हुआ, वह इंटीग्रेट हुआ, ऐक्सेशन हुआ, किन्तु आप फिर उदार बन कर कहें कि:

This accession will be final when there will be referrendum. Did lord Mountbettan who was the Governor-General say like this? It is hanging fire till now.

उसे पूरा करने के बजाय फिर आप ने गड़बड़ शुरू की। यानी मामला धीरे-धीरे संभालते-संभालते यहां तक आने के बाद फिर आप वहीं करते जाते हैं, फिर वही करते जाते हैं। आखिर सवाल है कि जब उन्होंने मांगा नहीं, तब भी आप ने उदार हो कर दिया, आज भी बहुत लोग कह रहे हैं कि उनको छोड़ दो। छोड़ दो का मतलब क्या है? हम ने ऐसे ही कश्मीर को छोड़ा और

Kashmir was attacked under the garb of Kabailis. Who is to protect it? This is a cruel world in which we are living. In keeping an identity, we will completely annihilate the identity.

आखिर जो भी हुआ उस गलती की वजह से, क्या सरदार जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि

We have lost a portion of our own territory. Are you ashamed of it? We are sitting in this Parliament. Was it not our territory?

*** *** ***

सरदार जी, राष्ट्र का जब मामला है तब बोलना पड़ता है। यह कोई चीनी चावल का दाम तय करने की बात है क्या?

...बार-बार सवाल करने के बाद भी जवाब नहीं मिलता। मैंने ये पूछा

Why were the talk started? Why did you take the initiative? What was the necessity? But I do not get any reply. What for am I sitting in Parliament if I do not get a categorical reply?

कौन-सी ऐसी बात थी? कौन-सी बुनियादी बात थी? हो क्या रहा है? वह एक तरफा बयान देते रहते हैं, हम चुप हैं।

You are giving a wrong impression to the world that it is something very serious, very basic and very fundamental.

यह क्यों है? इसलिए इसका स्वागत मैं जरूर करूंगा किन्तु करते समय जो मेरे मन की आशंका और भावना है, बिकॉज यू बंगल्ड ए लॉट, इसलिए मुझे कहना पड़ता है।

अब हमारे लिए नागालैंड क्या दूसरा है? किन्तु उस को नाम दे दिया अंग्रेजी। नागभूमि कहते, नागनाडु कहते, नाग प्रदेश कहते। लेकिन नहीं, अंग्रेजी नाम दे दिया और वह चलता चला जाता है। कोई पूछने वाला नहीं है। नाम में भी आखिर एक महत्व होता है। यह सारे कहते हैं: प्रिज़र्विंग ऐन आइडेंटिटी, प्रिज़र्विंग ऐन आइडेंटिटी,

What is preserving an identity, I do not understand.

यानी आखिर अपने ही देश की बात मैं कह रहा हूं कि करना है तो...

*** *** ***

आजाद जी, यह सारी सृष्टि नाम रूपात्मक है। यह नाम है और रूप है...

*** *** ***

There is no name without identity. You cannot identify without a name. यहां 21 लोगों का नाम आया तभी तो पता चला कि वह कौन-कौन हैं दस्तखत करने वाले, नहीं तो पता नहीं चलता जब नाम आया तो पता चला कि उस में कोई कमला कुमारी हैं कोई दूसरे कुमार हैं। यह उसी से पता चला है। नाम से रूप का पता चलता है। लैंड से रूप का पता नहीं चलता। राजस्थान को कोई राणाप्रताप लैंड कहना चाहे तो उस से कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं कहता हूं :

What about those who would like to preserve their identity?

There is the body and the soul. We have to preserve not only the soul but also the body. India is not merely a geographical description. It is an entity with a spiritual personality.

आइडेंटिटी का मतलब यही होता है कि देश का नाम है, रूप है, आत्मा है। इस को हम न समझें और चाहे जैसा खिलवाड़ करते जाएं, तो उस से काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि दूसरों को नजदीक लाते लाते हम खुद भ्रम में पड़ेंगे, न वह नजदीक आएंगे और जो नजदीक आए हैं वे और भी दूर जाने की सोच रहे हैं, इसलिए मैं केटेगोरिकल आश्वासन आप से चाहता हूं कि इस को आधार मान कर किसी को भी यह इजाजत नहीं दी जायेगी।

This does not apply to anybody.

यह मैं आप से केटेगोरिकल आश्वासन चाहता हूं।

लोगों के मन में यह भावना जागी है, इसीलिए मैंने ट्रिब्यून को कोट कर के बतलाया है। आप उन को नजदीक लाना चाहते हैं, वे कांस्टीट्यूश्नली नजदीक हैं, केवल यह बात नहीं है,

वैसे भी उनको नजदीक लाना चाहिए। अभी किसी ने नेपाल को नजदीक लाने की बात कही, क्या हम उस का विरोध करते हैं, लेकिन क्या नेपाल को नजदीक लाने का यही तरीका है? आज के जो महाराज हैं, उन के पिता जी को नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दावत दी। उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया था लेकिन ऐन मौके पर, वह लाल बहादुर शास्त्री जी का जमाना था, वह व्यवहार में नहीं आया, क्योंकि भारत सरकार ने उनको कहा कि मत जाओ। क्या किसी पार्टी के कार्यक्रम में जाने से देश का हित नहीं रहता है। मैंने उन्हीं दिनों पूछा था—क्या कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मारशल टिटो उपस्थित नहीं थे? क्या वे आवडी अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे, क्या आपने उन्हें सफेद टोपी नहीं पहनाई थी, आप तर्क देते हैं, तो तर्क तो ठीक देते जाओ। नेपाल को नजदीक लाने का जो रास्ता था, उस को भी आपने रोक दिया—क्या यह नजदीक लाने का तरीका है?

You may have your own prejudices, you may have your own disagreements with RSS.

किन्तु यदि आप नेपाल को नजदीक लाना चाहते हैं तो

In the interest of the nation, you will have to sink your differences.

क्या आप ने ऐसा किया? इसीलिये मैं जब कहता हूं कि नजदीक लाना चाहिए तो What are the steps?

केवल संविधान में स्थान देने से कोई नजदीक आयेगा, ऐसा नहीं है।

They must be really proud that they are a part and parcel of the Indian Parliament.

आज किसी को भी इस सदन का सदस्य रहने में अच्छा लगेगा, कोई पूछेगा तो अभिमान से कहेगा कि मैं हिन्दुस्तान की संसद का सदस्य हूं। लेकिन फिर कोई पूछे—वही न, जहां चोर बैठते हैं, दलाल बैठते हैं। इसीलिए मैंने दोपहर को भी कहा था, लेकिन आप ने मजाक में उड़ा दिया—

When we are inviting, welcoming, others to join our Parliament, did we clear the shadow that is hanging on some members here?

क्यों नहीं किया?

मैं बार-बार कहता हूं—जब आप ने हम पर आरोप लगाया कि हमें विदेशी पैसा मिलता है तो हमने कहा कि जांच करो, पता लगाओ, हम को सजा दो। जांच भी हो गई, पता भी लग गया लेकिन बतलाया नहीं गया—

In public interest it cannot be disclosed. Wonderful.

यानी पब्लिक में आप गाली दो, पब्लिक इन्टरेस्ट में दबाते रहो—ये दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते। केवल संविधान के जरिये ही उनको लाना काफी नहीं है—

There must be a complete association, the psychological association.

*** *** ***

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं यदि आप उन को नजदीक लाना चाहते हैं तो वास्तव में हमारे पास यह जो बुलेटिन है इसके आधार पर कह सकता हूं–वैसे भी मेरी जानकारी है, 1947 के बाद वे लोग कहते आ रहे हैं कि मर्जर करो–यही बात इनके बुलेटिन में है–

"Before the above Treaty was signed, there was a demand in Sikkim for its merger with India and also for democratisation."

यह उनकी मांग रही है। बाद में भी वे कहते रहे कि हमको लोकतंत्र में शामिल करो, हम को ले लो, हम को संभालो, तो फिर क्यों नहीं लिया। जब वे–

For all those purposes, they are considered to be Indian nationals.

तो फिर क्या कठिनाई थी। 1950 की ट्रीटी के बाद जब भी उन के यहां कोई कानूनी झगड़ा होता है तो उन को यहां आना पड़ा है, अब वे प्रत्यक्ष में आ रहे हैं यहां सदस्य बन कर बैठने वाले हैं तो फिर आप ऐसा अलग दरवाजा खोलकर क्यों रख रहे हैं–एसोसियेटेड मैम्बरशिप। जब सिक्किम की जनता मांग कर रही है कि हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं तो 25 साल के बाद आप ने वास्तव में जो कदम उठाना चाहिए था, वह नहीं उठाया।

दुनिया क्या कहती है इस बात को छोड़ दीजिये। मैं तो यह कहूंगा कि यह जो स्टेप लिया है इस का विरोध पाकिस्तान या चीन करता है तो समझ लीजियेगा कि आप का स्टेप बराबर डायरेक्शन में है। लोक मान्य तिलक कहते थे कि जो निर्णय लेना हो, लो, उस के बाद अगर टाइम्ज आफ इंडिया में क्रिटिसिज्म आये तो समझ लो कि हमारा जो कदम उठा है, वह बराबर डायरेक्शन में है। आपने अणु विस्फोट किया, दुनिया आलोचना करेगी, करे, हमें डरना नहीं चाहिए, उससे घबराना नहीं चाहिए।

*** *** ***

मैं निवेदन कर रहा था कि दुनिया क्या कहती है उस से डरना नहीं चाहिए। हम ने गोआ को पुर्तगीज टैरिटरी कह कर बहुत ज्यादा दिन लगाये–इससे कोई लाभ नहीं हुआ। जो करें खुले रूप से करें, जो कहना है खुले रूप से कहें। जब हम अपने मन में साफ हैं कि वह भारत का हिस्सा है तो खुले रूप से कहिये। दुनिया क्या कहती है, उस सवाल को छोड़ दीजिये। हम अपने देश के हित को देखें और उसको सामने रख कर काम करें।

वास्तव में मुझे आश्चर्य लगता है–जब हम गुलाम थे तब हमें यह चिन्ता थी कि दुनिया को हम अपनी आवाज कैसे सुनायें। अब जब हम आजाद हो गये तो अपनी आत्मा की आवाज को सुनाने के बजाय दुनिया क्या कहती है यह कहकर सफोकेशन का अनुभव करने लगे हैं–यह उचित विचारधारा नहीं है। हम छोटे देश नहीं है–

We have got a big role to play, may not be today but tomorrow.

*** *** ***

हमारे देश का आकार बड़ा है। हमारे देश की आबादी बड़ी है, इसलिए हमारे देश का अधिकार भी बड़ा होना चाहिए। जैसे हमारी मांग होती है कि हमें सिक्योरिटी काउन्सिल में स्थायी सदस्य के रूप में स्थान मिलना चाहिये। क्यों मिलना चाहिए?

That is our natural role. We will have to exert ourselves.

इसलिये मैं कहना चाहता हूं–अणु विस्फोट कर के भारत ने बतला दिया है कि दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जिस के आगे हम घुटने टेके। लेकिन सब को साथ लेकर चलना है–

Let there not be a big-brother attitude.

यह बात केवल सिक्किम के लिए नहीं है, सब के लिये है। कोई भी हो, कश्मीर वाले हों या केरल वाले हों, किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि केन्द्र का मतलब कुछ और है...

*** *** ***

इसलिए मेरा निवेदन है–कि मेरा जो संशोधन है—

For all practical purposes they will be Members of this Parliament, they will sit here, they will vote and they will become Ministers also.

ऐसी स्थिति में उनको फुल-फ्लेज्ड भारतीय नागरिक बनाएं और एक बार आने के बाद उनको वापस नहीं जाना है, यहीं रहना है, वह स्थिति बनी रहे। उनके लिए कोई नया दरवाजा खोल कर कोई नया भ्रम पैदा करने के बजाय जो आप का खुला दरवाजा है उसमें उनको शामिल कीजिये। वे आते रहें, हमारे साथ बैठते रहें। इस संशोधन के साथ तथा जो अन्य सवाल मैंने उठाये हैं उन का केटेगोरिकल आश्वासन मिले, इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

स्थगन प्रस्ताव*

सभापति महोदय, माननीय समर गुह जी के स्थगन प्रस्ताव पर सदन में चर्चा हो रही है, इसके समर्थन के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। आज देश के कई प्रदेशों में भुखमरी की विभीषिका बड़ा विकराल रूप धारण कर खड़ी है। न केवल आसाम, बंगाल, कूचबिहार, बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा अन्य प्रदेशों में स्थिति मौत की सीमा तक पहुंच गई है। यह सवाल कोई राजनीतिक नहीं है, जो वास्तविकता है उसको स्वीकार करके उसका समाधान पाने का प्रयत्न करें–यही आवश्यक है।

कुछ कांग्रेसी मित्रों ने कहा कि स्थिति इतनी विकट नहीं है–किन्तु मेरे सामने तो ये अखबारों की कटिंग्ज हैं जो देखने लायक है। एक मित्र ने कहा कि कोई मृत्यु नहीं हुई–यह हिन्दुस्तान टाइम्ज का अग्रलेख है–आप इस को सुनें।

> "Possibly for the first time, the Assam Government has admitted that at least 426 persons have so far died in recent weeks in various parts of Kamrup District."

ये 426 लोग कैसे मरे, मैलन्यूट्रीशन से मरे या कैसे मरे? लेकिन वे मरे यह बात तो वास्तविक है। किन्तु जब इसके आधार पर हम यह देखते हैं कि हमारे माननीय अन्न मंत्री महोदय रोम जाते हैं और वहां एलान करते हैं–'Nobody is starving in India.' दूसरी तरफ इसी सदन के एक सदस्य श्री चन्दूलाल चन्द्राकर ने कहा है–

> "The Chhattisgarh people are eating grass and animal feed."

ये सदस्य विरोधी सदस्य नहीं हैं, ये कांग्रेसी सदस्य हैं, जब ये स्वयं इस बात की दुहाई दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के लोग कैसे भुखमरी के कगार पर आकर खड़े हुये हैं तो मुझे लगता है कि यह भुखमरी की समस्या कोई ऐसी समस्या नहीं है कि जो आसमान से आकर टपकी है।

कई लोगों ने कहा है–1943 में बंगाल में जो मौतें हुईं–उस समय की विदेशी सरकार के कहने के मुताबिक उसमें 30 लाख लोगों की मृत्यु हुई। लेकिन वह मानव निमित्त अकाल समझा जाता था, लेकिन अब तो पिछले कई सालों से भुखमरी की समस्या किसी न किसी रूप में हमारे देश के सामने खड़ी है। हर साल देश के ऊपर अकाल आता है, लाखों लोग उसमें मरते हैं–इस बात को हम क्यों अस्वीकार करते हैं।

*** *** ***

---

* उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए।
लोक सभा वाद-विवाद, 19 नवम्बर 1974, cc 298-307।

प्रकृति के कारण–ठीक है। जैसे अब ठंड शुरू हो गई है, यह बढ़ेगी तो कड़ाके की सर्दी आयेगी। इसी राजधानी में खबरें आयेंगी कि आज इतने मरे, कल इतने मरे–उसको यह कहना कि मरे नहीं, वास्तविकता से क्यों इंकार करते हैं, उसके मूल में क्यों नहीं जाते यानी जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनको बाहर सोना पड़ता है, जिनके पास ठंड से बचने के लिये कम्बल नहीं है, ऐसे लोग मरते हैं। और जितना आप कहते हैं स्वाभाविक है। मतलब क्या है? हर साल ठंड में राजधानी में लोग मरते हैं। कम से कम इतना ही आप तय कर लें कि देश की राजधानी में एक भी आदमी बेसहारा हो कर फुटपाथ पर नहीं सोएगा और किसी को ठंड से नहीं मरने दिया जायेगा।

कहते हैं अकाल आने के बाद लड़की को बेचने लगे। मतलब यह है कि लड़की को खरीदने वाले भी आदमी इस देश के हैं। भूखा आदमी अपने बच्चों को कुएं में फेंक दे, जंगल में छोड़ दे वह तो बात समझ में आती है, किन्तु कोई अपने बच्चों को बेचे इसका मतलब यह है कि खरीदने वाले भी यहां हैं समाज के अन्दर। यह स्थिति है। इसके लिये कौन जिम्मेदार है। यह कहना कि कोई होर्ड करता है हमारे हाथ में नहीं आया, सरकार के लिये रोना बिल्कुल ठीक है। यानी जब सरकार रोने लगे तो सरकार को समझना चाहिए कि उसकी शासन करने की क्षमता समाप्त हो गई और ऐसी सरकार को एक दिन भी शासन की गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए। देश के अन्दर एकदम जो अकाल की विभीषिका खड़ी होती है, बड़े पैमाने पर देश की जनता खेती पर निर्भर करती है और एक बार जब वर्षा नहीं होती है, तो ग्रामीण क्षेत्र की जनता उदास हो कर घूमने लगती है। मेरी समझ में नहीं आया, खाद्य राज्य मंत्री से मैं पूछता हूं कि उनके ऊपर के मंत्री बार-बार बदलते रहते हैं, लेकिन अन्ना साहब तो लगातार इसी मंत्रालय में हैं, पिछले सितंबर से लगातार भुखमरी की खबरें अखबारों में आ रही हैं, और वह जानते थे कि नवंबर में सदन की बैठक होने वाली है यह बात जरूर सामने आयेगी। तो इस के पहले जहां-जहां ऐसी स्थिति है वहां-वहां वह वस्तु स्थिति का पता लगाने के लिये क्यों नहीं स्वयं गये? क्यों नहीं देखा पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम क्या है, सरकार की तरफ से क्या हो रहा है, समाज सेवी संस्थायें क्या कर रही हैं? वास्तविकता क्या है और उसको हल करने के लिये कौन से प्रयत्न कर रहे हैं। क्या वह बता सकते हैं वह हर जगह गये? गुजरात, मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ इलाके, कूचबिहार, असम में वह गये? अगर ऐसा होता तो फिर अन्न मंत्री का स्टेटमेंट यह नहीं आता कि यह दुनिया की शार्टेज का यह एक पार्ट है। मैं मानता हूं कि दुनिया के देशों के सामने अपनी गरीबी और दरिद्रता सामने नहीं रखनी चाहिए क्योंकि उससे बदनामी होती है। लेकिन साथ ही मैं ये भी चाहता हूं कि अपनी समस्या को वर्ल्ड कंटेकस्ट में देखने की दृष्टि से भारत में जो शौर्टेज है उसको वर्ल्ड शौर्टेज के साथ जोड़ा जाये, यह उचित नहीं है। फूड शौर्टेज है तो वर्ल्ड फूड बैंक, पेपर की शौर्टेज है तो वर्ल्ड पेपर बैंक, और उसमें हम भी शामिल हों यह उचित नहीं है। वास्तविकता जो है आपके सामने उसको छोड़ कर कहीं और जाना ठीक नहीं है। इसलिये भुखमरी की समस्या का एक हल तात्कालिक है और दूसरा स्थाई है। फैमीन कोड अंग्रेजों के जमाने से बना हुआ है। मतलब यह है कि ड्राउट प्रोन एरियाज देश में हैं। पांचवीं योजना में कुछ जिक्र भी किया है जैसे आन्ध्र में रायलसीमा क्षेत्र है जो ड्राउट प्रोन है, हर दो, तीन साल के अन्दर वहां अकाल आ जाता है, करोड़ों रुपया खर्च होता है। किन्तु स्थाई रूप से उसका हल कैसे करें इस बारे

में कभी सोचा नहीं जाता है। मेरे ख्याल से 200, 300 करोड़ रु. रायलसीमा को राहत देने के लिये खर्च हुआ होगा। लेकिन स्थायी रूप से अकाल नहीं आयेगा इस दृष्टि से कुछ किया है, तो ऐसा लगता है कि कुछ नहीं किया है। जैसे अभी एक मित्र ने कहा माननीय डी.एन. तिवारी चम्पारन की बात 1952 से लगातार करते हैं, आज भी करते हैं। तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जो आज भी अकाल से ग्रस्त हैं। ऐसी स्थिति आज नहीं होनी चाहिए क्योंकि यातायात के तीव्र साधन होने की वजह से जहां मुसीबत है वहां की समस्या को हल किया जा सकता है। समग्र देश के अन्दर भुखमरी नहीं होती। जहां पैदा होता है वहां से अनाज ऐसी जगह पहुंचाना चाहिए और लोगों को जीवित रखने की कोशिश करनी चाहिए। तात्कालिक रूप से यह हमें करना ही होगा।

राहत कार्यों में जो बच्चे नहीं लग सकते कम अवस्था के कारण, या जो बूढ़े और अपंग हैं उनको तो जीवित रखना ही पड़ेगा। ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से कुछ मिलना चाहिए। माननीय नवल किशोर जी ने सारी बात कह कर कहा क्या करें। महाराष्ट्र सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी उसने अपनी जांच में कहा है कि एक क्षेत्र में लोग कबरें खोद कर हड्डियां निकाल कर बेच कर अपने जीवन का गुजारा कर रहे हैं। शिंदे साहब को पता ही नहीं। इस बात का। जनता परेशान होकर ऐसा करती है, कबरें खोदती है। 27 साल के बाद, चार योजनाओं के बाद जनता की हालत यहां तक पहुंचे यह शर्म की बात है। यह सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। माननीय हीरेन मुखर्जी ने कहा वेश्या व्यवसाय के लिये प्रवृत्त होना पड़ता है। लोगों को अपना जिस्म बेचना पड़ता है। यानी यह मजबूरियां हैं, उनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं देते हैं। जब देश में लैंडलैस लेबर्स हैं, भूमि पर अधिकतर जनसंख्या निर्भर है थोड़ा सा भी अकाल आ गया तो लोग एकदम उससे पीड़ित होते हैं और सारा गांव परेशान हो जाता है तथा लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगहों पर जाने लगते हैं। और सबसे बड़ी मुसीबत पशुओं पर आती है, उनको चारा नहीं मिलता और पशुओं को एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में चारे की तलाश में लोगों को ले जाना पड़ता है तो आखिर मवेशियों को चारा, पानी कैसे मिले यह सारी व्यवस्था करने का काम आपका है। किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि सरकार की मशीनरी

In normal circumstances it does not function and in emergency it collapses.

आपने पिछली बार जब होलसेल ट्रेड अपने हाथ में लिया यह कहकर कि हम परचेज, स्टोर और वितरित करेंगे स्थाई सरकारी मशीनरी के जरिये। लेकिन एक साल के अन्दर ही उसको छोड़ दिया इसलिये कि हम नहीं कर सकते।

Now you will have to decide whether you must continue in power.

मैं देख रहा हूं आपने बड़े उत्साह से मद्य निषेध शुरू किया। लेकिन अन्त में पहुंचे कहां? लोग चाहे जैसे पीते हैं इसलिये उनको अच्छी पिलाओ ताकि लोग पीते ही समाप्त हो जायें। मतलब यह कि आप फेल हो गये। वहां मटका चलता था जो जुआ था, किन्तु उसको बन्द करने के बदले में आपने लॉटरी निकाली, एक रुपये में लाख कमाओ। यह कौन-सा समाजवाद है? यह मैं इसलिये बता रहा हूं कि आगे चलकर भुखमरी के साथ यही कहेंगे कि मरने वाले

मरेंगे इसलिए हम आपके लिये अच्छी शमशान भूमि तैयार करेंगे। मरने वाले मरा करें, गाड़ने वाले गाड़ा करें। उसको आप बचायेंगे ऐसा मुझको नहीं लगता।

माननीय हीरेन मुखर्जी जी ने कहा: Government by the people, for the people and of the people. But I will say this Government is not with the people. This Government is with power and without the support of the people.

क्योंकि जब आप निर्णय करते हैं वह पूरा नहीं करते, फिर कैसे आप किसी समस्या का समाधान कर पायेंगे, मेरी तो समझ में नहीं आता। आप लोग जो तय करते हैं, तात्कालिक रूप से जो भी करना है, वह भी नहीं कर सकते। ठीक ढंग से बांट भी नहीं सकते हैं। आप रोते हैं। आपको रोना नहीं चाहिए। कुछ करके दिखाना चाहिये।

स्थायी रूप से आप क्या उपाय करना चाहते हैं यह भी पता चलना चाहिये? ड्राउट प्रोन एरियाज का हमें पता है। अकाल आता है यह भी हमें पता है। देश में सब जगह एक जैसी वर्षा नहीं होती है इसका भी हमें पता है। जहां चाहिये वहां वर्षा नहीं होती है यह भी हमें पता है। यह भी हमें पता है कि नदियों में बाढ़ आती है। नदियों का पानी बाढ़ों को कंट्रोल करने की दृष्टि से क्यों नहीं किया जाता है, उसका उपयोग भूमि की सिंचाई करने की दृष्टि से कौन करेगा? 1951 से लगातार हम देखते आ रहे हैं कि कृष्णा-गोदावरी का झगड़ा चल रहा है कावेरी का झगड़ा चल रहा है, नर्मदा का झगड़ा चल रहा है। पानी के बंटवारे के जो विवाद हैं उनको हल करके पानी को प्रयोग में क्या आप नहीं ला सकते हैं? इसके लिए भी किसी दूसरी एजेंसी की जरूरत है? पंजाब में पानी का उपयोग करके राजस्थान को पानी पहुंचाने का काम आप क्यों नहीं कर सकते हैं? नए मंत्री के आने के बाद क्या हुआ है। यह हुआ है कि थीन डैम को ही शैल्व कर दिया गया है। थीन डैम के बनाने की बात तो दूर रही यह कहने लग गए हैं कि इसको शैल्व कर दिया जाए। इसका क्या मतलब है? स्थायी हल की दृष्टि से आप कौन-से कदम उठाएंगे यह भी तो हमें पता चलना चाहिये। क्या आपको लाल बहादुर शास्त्री जी की याद दिलानी पड़ेगी? उस समय जबकि इतनी स्केरसिटी नहीं थी, आठ परसेंट ही अनाज की कमी थी, उन्होंने कहा था कि हम भीख नहीं मांगेंगे खुद ही अपना गुजारा करेंगे और इसलिए सोमवार शाम का भोजन छोड़ने का वचन सारा देश करे। इस निर्णय पर आप क्यों नहीं टिके रहे। उन्होंने जय किसान का नारा दिया था। किसान की जय हो, यह देखा क्यों नहीं आपने। फिर रूस के पांव क्यों पकड़ते हैं। ब्रेझनेव के पांव क्यों पकड़ते हैं? रूस सबसे बड़ा बिचौलिया है। अमरीका से लेकर देता है। खुद का देता तो समझ में आता। आप कहते हैं कि मिडलमैन को रिमूव किया जाए। लेकिन आप इंटरनेशनल मिडलमैन इस्टेब्लिश कर रहे हैं। भगवान ने हमें इतनी उपजाऊ भूमि दी है और इतनी अधिक दी है, पानी भी भरपूर दिया है लेकिन आप उसका पूरा उपयोग नहीं करते हैं। 38 परसेंट पानी का भी प्रयोग आप नहीं कर रहे हैं। इसका प्रयोग क्यों नहीं हो रहा है, इसमें किसने आपका विरोध किया है। छोटी सिंचाई योजनाएं देश को समृद्ध बना सकती हैं। इनको आप हाथ में लेकर इनको पूरा क्यों नहीं करते हैं। एक भी आदमी भूख से नहीं मरेगा, इसकी प्रतिज्ञा आप क्यों नहीं करते हैं। इन सब कामों में कौन आपका विरोध करेगा? लेकिन कठिनाई यह है कि आप अपने निर्णय पर अडिग नहीं

रहते हैं। उससे भटक जाते हैं। पांव पकड़ने शुरू कर देते हैं, भीख मांगना शुरू कर देते हैं, दुनिया में जाकर। देश को आप बदनाम करते हैं और दोष विरोधियों को देते हैं। लोग भूख से मर रहे हैं यह साफ बात है, प्रत्यक्ष चीज़ है। लेकिन आप कहते हैं कि यह सब झूठ है, यह कैसे हो सकता है। सारी फाइलें भरी हुई हैं, चित्र पड़े हुए हैं लेकिन आप कह देते हैं कि झूठ है। मैं असम गया हूं, बंगाल गया हूं, बसु जी मेरे साथ थे। कलकत्ता में मैंने देखा है गली-गली में, किसी भी जंक्शन स्टेशन पर फेंके हुए जूठे पत्तल इसके पहले कि कोई कुत्ता उठा ले जाए, लड़के, लड़कियां उसकी ओर लपकते हैं और उठा लेते हैं। ...

...चंदराकर जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार जो मांग रही है वह केन्द्र नहीं दे रहा है, राहत के रूप में नहीं दे रहा है, जितना अनाज मांग रही है, नहीं दे रहा है। फाइनेंस कमीशन ने यह कह दिया कि स्थाई रूप से कुछ न कुछ हर प्रदेश अपने पास रखे उस पर आप चिपके हुए हैं। जिस विकट रूप में यह समस्या मुंह बाए खड़ी है उसका क्या इस तरह से सामना किया जा सकता है। क्या उसमें केन्द्र की कोई जिम्मेदारी नहीं है? राज्यों की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में केन्द्रीय सरकार असफल रही है, स्थायी उपाय करने में असफल रही है, राहत पहुंचाने के काम में यह सरकार असफल रही है, भुखमरी रोकने में असफल रही है, कई प्रदेशों में इस समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है और उससे निपटने में यह सरकार नितान्त असफल रही है, इस वास्ते स्थगन प्रस्ताव लाकर जो उसकी निन्दा की गई है, उसका मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं।

Shri Jagannath Rao speaking on the Railway Budget, stated that on a particular line the train took 12 hours to cover a distance of 56 miles against the scheduled time of $7^1/_2$ hours. His complaint was that if the train moved, it did not stop and if it stopped it did not move.

राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव*

महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। इस अभिभाषण में इस साल का आशावादी चित्र खींचा गया है। मुझे लगता है कि यह वस्तुस्थिति के विपरीत है। कुछ सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर बोलते हुए इस बात पर बल दिया है कि तेल संकट की तथा अकाल की वजह से परिस्थिति बहुत बिगड़ गई। मैं समझता हूं कि सिर्फ तेल और अकाल की वजह से ऐसा नहीं हुआ है। 1969 में आपने गरीबी हटाने का नारा दिया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या गरीबी हटी है? मेरे जैसे आदमी के सामने यही सवाल है।

योजनाबद्ध तरीके से इस देश के विकास की बात आपने 1952 में करनी शुरू की थी जबकि आपने पंचवर्षीय योजना बनाई थी। एक, दो, तीन योजनायें खत्म हुईं और चौथी योजना शुरू होने के पहले सालाना जो योजनाएं बनीं 1967-68 और 1968-69, में इन सबके बावजूद क्यों स्थिति बिगड़ी? इसको जब तक आप नहीं सोचेंगे, इस पर आप जब तक विचार नहीं करेंगे, इसकी गहराई में आप जब तक नहीं जाएंगे तब तक सिर्फ तेल संकट और अकाल कह कर टाल देना न सिर्फ दुनिया को बल्कि खुद को भी धोखा देना है, देश को भी धोखा देना है। पांचवीं योजना में यह कहा गया था कि नीचे के स्तर के तीस प्रतिशत लोगों को हम ऊपर लाएंगे, कंगाली की रेखा के नीचे जो 22 करोड़ जनता है उसको हम ऊपर उठायेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ क्या? हुआ क्या है? 22 करोड़ की जो तादाद थी वह 27 करोड़ हो गई है। तीस प्रतिशत से बढ़कर यह करीब पचास प्रतिशत हो गई है। यत्नेकृते यदि न सिद्धयते कोत्र दोषः। प्रयत्न करने के बाद भी फल मिलता नहीं है तो क्यों? इसको आप सोचेंगे या नहीं सोचेंगे? आपने 1969 में चौथी योजना प्रारंभ की। वह योजना समाप्त भी हुई। जितना पैसा खर्च करना था, आपने किया। किन्तु जो प्रमुख टारगेट्स थे, जिसको लक्ष्य कहते हैं, वे थे, वे पचास प्रतिशत से अधिक पूरे नहीं हुए। इसलिए जब पांचवीं योजना के बारे में कुछ टारगेट्स दिए जाने लगे तो मैंने कमेटी में यह पूछा था कि चौथी योजना के लक्ष्य पूरे क्यों नहीं हुए, यह आप हमें समझायेंगे? इसको अगर समझा दिया जाएगा तभी आगे चलकर आपके जो लक्ष्य हैं ये प्राप्त हो सकते हैं, इसको हम मान लेंगें। बुनियादी जो गलती हुई है उसको आज तक भी आप सुधारने के लिए तैयार नहीं हैं। बजाय उसको सुधारने के उसका मजाक उड़ाया जाता है। कभी कुछ नाम ले कर टाला जाता है जैसे आजकल सभी के दिमागों पर मानो जयप्रकाश जी का आंदोलन सवार है। कुछ भी बात हो, जेपी को बीच में घसीट दिया जाता है। प्रधान मंत्री से लेकर नीचे तक के लोग कहते हैं कि परिस्थितियों का अनुचित लाभ विरोधी उठाते हैं। गुजरात को आप लें। मावलंकर जी बैठे हुए

* उपरोक्त विषय पर चर्चा में भाग लेते हुए।
लोक सभा वाद-विवाद, 21 फरवरी 1975, cc 263-80 ।

हैं। वहां पर कोई जेपी नहीं था। विरोधी दल वाले नहीं थे। यह जन आंदोलन था, स्वयं स्फूर्त था। वहां तो उन्होंने आपको मजबूर नहीं किया लेकिन आपको विधान सभा भंग करनी पड़ी। वहां तो जेपी नहीं गया, कोई विरोधी राजनीतिक दल नहीं गया।

जन आंदोलन खड़ा क्यों होता है? परिस्थिति ऐसी क्यों होती है कि वह खड़ा हो? परिस्थिति काबू से बाहर जब चली जाती है तो जनता तंग आकर उसके विरुद्ध आंदोलन करने को विवश क्यों होती है? मैं मानता हूं कि आंदोलन नहीं होना चाहिए। लेकिन समस्या का हल कैसे होगा यह आप मुझे समझाएं।

जब मैं लोक सभा में आया तब यहां पर घी साढ़े बारह रुपये किलो मिलता था। फिर साढ़े उन्नीस रुपए हो गया। फिर इक्कीस रुपए हुआ और अब पच्चीस रुपये किलो है। लोक सभा के सदस्यों की तनख्वाह तो उतनी ही है जितनी 1954 में थी यानी पांच सौ। बीच में भत्ता 31 रुपए से बढ़कर 51 रुपए हुआ। लेकिन दाम 12 रुपए के बजाय 25 रुपए घी के हो गए यानी दोगुने हो गए। 1954 के मुकाबले में पांच गुना हो गए। जनता की आमदनी बढ़ी नहीं। इसका मतलब हुआ जो रीयल इनकम है इरोडिड। भले ही हमें पांच सौ रुपये मिलें लेकिन वे कुछ काम के नहीं। दाम क्यों बढ़ रहे हैं? आप यह न कहिए कि दुनिया में बढ़ रहे हैं घी तो हिन्दुस्तान के अन्दर पैदा होता है। दुनिया में महंगाई की बात तो हम तब कर सकते हैं जब हमें बाहर से कोई मशीन मंगानी हो और उसकी कीमत चुकानी हो। तब वह बात समझ में आ सकती है। घी पैदा करने वाले सारे प्राकृतिक साधन–गाय, भैंस और घास आदि यहां मौजूद हैं। इस प्रकार के सभी प्राकृतिक साधनों के आधार पर हम लोगों ने यहां एक सेल्फ-रिलांयट इकॉनमी नहीं बनाई है। इसको हम नहीं मानते हैं और किसी न किसी को दोष देते चले जाते हैं। इसलिए आंदोलनकारियों को दोष देना खुद को धोखा देना तो है ही, लेकिन वह सही रास्ते पर न आना भी है।

आंदोलन के सिलसिले में जो बात निकली हैं, वे हैं—महंगाई, बेकारी, भ्रष्टाचार चुनाव प्रणाली में परिवर्तन, शिक्षा पद्धति में सुधार और सामाजिक न्याय है। बातें बहुत की जाती हैं। किन्तु नरोरा कैम्प में भी आपको दोहराना पड़ा–13-सूत्री कार्यक्रम में कहना पड़ा कि हरिजनों और पिछड़े हुए लोगों के लिए घर बनवाने के लिए हम जगह देंगे–इनएलियनेवल राइट देंगे। यदि आप वास्तव में 1947 से लेकर अब तक इस दिशा में आगे बढ़ते, तो हरिजनों और पिछड़े हुए लोगों के लिए ताजमहल खड़े कर देते। लेकिन आपने इधर ध्यान नहीं दिया।

इतने सालों के बाद, सीमेंट के महंगा होने के बाद, वर्क्स एंड हाउसिंग मिनिस्टर ने कहा है कि मिट्टी का मकान बढ़िया रहता है। किसने कहा है कि नहीं रहता है? मकान बनाने के लिए मिट्टी, लकड़ी, पत्थर और उन सबको मिलाकर बांधने के लिए हाथ मौजूद हैं किन्तु मकान नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? आज बंबई में 42 मंजिल की इमारतें बन रही हैं। गगन को छूने वाली इमारत खड़ी करने वाला खुद बेघर है। व्हाट एन आयरनी ऑफ फेट। अंग्रेजी में कहावत है, "चैरेटी बिगिन्ज़ ऐट होम"। क्या यह चैरिटी है? जो और लोगों के मकान खड़े करता है, उसके

अपने लिए मकान नहीं है। वह फुटपाथ पर सोता है। वह झुग्गी-झोंपड़ी में रहता है। यह खाई लगातार बढ़ती जा रही है। क्या यह राइट रीएक्शनरीज़ का काम है? आप जरा गहराई में जाकर समझ लीजिए।

बंबई में ओबेरॉय-शेरेटन होटल और ताजमहल होटल खड़े हुए हैं। इस विलासिता में मग्न होने लायक स्थिति आपने देश में पैदा की है। आपने पॉवर्टी का अर्थ यह बताया है कि ग्रामीण क्षेत्र में जिसकी आय 15 रुपये और उससे कम हो और शहर में उसकी आय 30 रुपये और उससे कम हो वह गरीब समझा जाये। किन्तु आप जो बड़े-बड़े होटल खड़े कर रहे हैं, ये किन के लिए? आपके राज्य में फूड का माल-डिस्ट्रिब्यूशन ही नहीं है, मनी का माल-डिस्ट्रिब्यूशन भी है। यह जो कानसेन्ट्रेशन ऑफ मनी हो रहा है, उसका डिफ्यूजन कैसे होगा, कौन करेगा? ऐसे होटल चलते हैं, इसका मतलब ही यही है कि आपने ऐसी क्लास तैयार की है, जो उन होटलों में जाती है, खाती-पीती है नाचती है और कैबरे देखती है। "राजा कालस्य कारणं।"

आपने दिशा नहीं दी है। आपके सामने यह लक्ष्य ही नहीं था कि आखिर हमको जाना कहां है, पहुंचना कहां है। यदि यहां समृद्धि पैदा होती है, तो उसका वितरण ठीक ढंग से कैसे हो? आम आदमी तक समृद्धि कैसे पहुंचेगी, इसको देखने वाला कौन है? इसलिए सिर्फ तेल संकट का नाम लेने से काम नहीं चलेगा। आप लगातार गलत दिशा को लेकर चल रहे हैं। आप इस बारे में छानबीन करने की कोशिश करें। अभी एक मित्र ने कहा कि यह होगा, वह होगा। ऐसी बातें हमेशा की जाती रही हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के काल में यह देखने के लिए महालनवीस कमेटी नियुक्त की गई कि देश की जो 40 प्रतिशत आमदनी बढ़ी है, उसका वितरण कैसे हुआ। उस कमेटी ने कुछ सिफारिशें भी कीं। उस कमेटी की फाइंडिग्ज पर क्या कार्यवाही हुई यह देखने के लिए क्या एक नई कमेटी नियुक्त करें? क्योंकि उसके बाद भी बदला कुछ नहीं है। आज जो परिस्थिति पैदा हुई है उसका कारण केवल तेल संकट वगैरह नहीं है। हमने बुनियादी गलती की है।

अभी मेरे मित्र गांव की बात कह रहे थे। गांव इस देश का पांव है। यदि पांव तगड़ा है तो देश तगड़ा है। यही बुनियादी बात हम भूल गये और यही बुनियादी गलती हमने की। गांधीजी ने बहुत पहले "बैक टु विलेजिज" की बात कही थी। उन्होंने यह क्यों कहा? क्योंकि उसी समय लोगों का शहरों की ओर जाना बढ़ रहा था। विनोबा जी ने ग्राम स्वावलम्बन, ग्राम स्वराज्य और शासनरहित समाज की बात कही है। उन्होंने यह सब गांव की ओर ध्यान देने के लिये कहा है। लेकिन हमने कितना ध्यान दिया है? आज भी अरबनाइजेशन की एक्सेलिरेटिड प्रॉसेस द्रुत प्रक्रिया के बावजूद हमारी केवल 18 प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है जबकि 82 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में है। हमें यह भी नहीं भूलना है कि हमारी नेशनल इनकम का 44 प्रतिशत गांवों से आता है।

इतना होने के बाद भी विलेजिज में क्या हुआ? जब हमने बिजली के बलबूते गांवों में उद्योग खड़े किये तो प्लानिंग कमीशन में बैठे लोग कहते हैं कि अब पावर की शॉर्टेज है, इसलिए रूरल

इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोग्राम छोड़ देना चाहिए, उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। यानि जब गांवों के सुधार, गांवों में काम उपलब्ध करने और गांवों की बेकारी हटाने का विचार आया तो पावर शार्टेज आ गया।

आज भी हमारे देश में जो पावर जेनरेट होती है, उसका 93 प्रतिशत शहरों में इस्तेमाल किया जाता है और सिर्फ 7 प्रतिशत गांवों में जाता है। उसमें से भी किसानों को अपने पम्पों के लिये कितनी बिजली मिलती है? लोगों को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सामने प्रदर्शन करके बिजली के लिए कोशिश करनी पड़ती है। मूल गांव है, लेकिन उसका हमने अनुकरण छोड़ दिया। हम लोगों ने दूसरों का अनुकरण करके एक इमारत खड़ी की, एक ढांचा खड़ा किया, जिसकी वजह से गांव वाले गांवों में रह गये।

आज हम कहते हैं कि गांव और शहर का अन्तर मिटना चाहिए। क्या वह मिट गया है? नहीं! आप की दृष्टि अलग है। आप एयर-कन्डीशन्ड बिल्डिंग बनायेंगे, जम्बो जेट लायेंगे और बड़े-बड़े होटल बनायेंगे, जिनका उपयोग केवल मुट्ठी भर लोगों के लिये है। आम आदमी के उपयोग के लिये जो चीजें या काम हैं, अगर हम उनकी तरफ ध्यान देकर उनमें पूंजी लगाते, तो यह स्थिति न पैदा होती।

पहले प्लान से ही यह गड़बड़ प्रारंभ हुई। पहला प्लान समाप्त होने के पूर्व 33 लाख लोग बेकार थे और उसके समाप्त होने पर 53 लाख लोग बेकार हो गये। दूसरी योजना के बाद 90 लाख लोग बेकार हो गये। तब कहा गया कि आबादी बढ़ रही है। आबादी का सवाल अलग रखिये। दूसरी पंच-वर्षीय योजना खत्म होते ही जो बेकारों की तादाद बाजार में खड़ी थी, वे सब 1947 से पहले पैदा हुए। आपने जो योजना बनाई, वह उनकी बेकारी की कल्पना करके, उनकी बेकारी को दूर करने की दृष्टि से नहीं बनाई। आपने जो योजना बनाई, उसमें हेवी इंडस्ट्रीज स्थापित की गई, बड़े-बड़े स्टील के कारखाने खड़े किये गये और उनमें बहुत पैसा लगाया गया। किन्तु जब तक हम विकेन्द्रित रूप में, गांवों में ले जाकर, इंडस्ट्री खड़ी नहीं करते तब तक यह समस्या हल नहीं होने वाली है। बेसिक गलती ही यही हुई है। आज न इंडस्ट्रीज का प्रोपर डिस्ट्रीब्यूशन है और न पॉपुलेशन का।

आज लोग फुटपाथ पर क्यों सोते हैं?—इसलिये कि उनको मालूम नहीं कि कहां जायें। जिस तरह परवाना शमा पर जाता है उसी तरह लोग शहरों की तरफ जाते हैं और "शहर और सपना" देख कर पाइप में सोते हैं। क्या हम को शर्म नहीं आती है? क्या यह कोई तरीका है? भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत से लोग बहुत बोलते हैं। किन्तु भारत में व्यक्ति को गृहस्थ माना गया है अर्थात् गृह में रहने वाला। केवल बन्दर ही बेघर रहता है। इस राज्य में बेघर व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई है।

*** *** ***

हमारे शास्त्रकारों ने कहा गृहंतु "गृहिणी हीनम्"। गृह नहीं होगा उन्होंने यह कल्पना नहीं की। किन्तु आज इस राज्य में गृहिणी है मगर गृह नहीं है। इस स्थिति का कारण यह है कि हमें काम और उद्योगों को विकेन्द्रित रूप में गांवों में ले जाना चाहिए था लेकिन आज तक हमने ऐसा नहीं किया है।

नेहरूजी ने 1954 में कहा था कि हमारी पहली योजना समाप्त होने दीजिए इतना ही नहीं कि हम अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनेंगे बल्कि हम अन्न का निर्यात भी करेंगे। आज हम 1975 में आये हैं। जिस देश में 70 प्रतिशत जनता जमीन पर निर्भर है, वह देश आत्मनिर्भर नहीं है क्या यह शर्म की बात नहीं है? क्या यह इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखने लायक है? हर बार जब आप कहते हैं कि उत्पादन बढ़ाओ कहां बढ़ेगा उत्पादन? जमीन में ही बढ़ेगा? आप के ही प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में क्या नारा दिया था–जय किसान। क्यों नारा दिया था जय किसान? इसलिये नारा दिया था कि अमरीका पर जो हमेशा आप लोग भरोसा करते हैं अमरीका ने उन दिनों में गेहूं का वादा तोड़ दिया था। इसलिये शास्त्री जी ने नारा लगाया कि भीख मत मांगो। यदि आहार की कमी है तो हम भोजन नहीं करेंगे एक वक्त बचत करेंगे भीख नहीं मांगेंगे। किन्तु जय किसान का नारा देकर भी किसान की तरफ देखा? अंग्रेजों के जमाने में 18 प्रतिशत जमीन पानी से भीगती थी आज 23 प्रतिशत है। 27 साल में यही हमारी परफॉर्मेंस है? पानी का प्रयोग करने की परंपरा तो भारत की दुनिया में सबसे पुरानी है। यानी स्वर्ग गंगा जो सीधी स्वर्ग से निकली हिमालय पर गिरी वह कहीं इधर-उधर न जाए इसलिये जहनु की जांघ को तोड़कर भागीरथ उसको भूमि पर लाये उससे साठ लाख सागर के पुत्रों का उद्धार हुआ? यानी नदी के पानी के प्रयोग की परंपरा इतनी पुरानी है। किन्तु लकप्पा हंस रहे हैं। कृष्णा गोदावरी का झगड़ा चालू है। नर्मदा का झगड़ा चालू है, कावेरी का झगड़ा चालू है, सोन का झगड़ा चालू है, व्यास का झगड़ा चालू है। नदी के पानी का उपयोग कौन करेगा? यह जिम्मेदारी किसकी है? भारत पाकिस्तान के बंटवारे में तीन नदियां सीधे पाकिस्तान को चली गईं, झेलम, सिंध और चेनाब। रावी, सतलुज और व्यास तो हमारी थीं। 65 तक उन्हें पानी देना था। बाद में बांध बनवा कर पानी का प्रयोग हमें करना था। कहां हुआ? एक सतलुज पर भाखरा बना। रावी पर क्या है? व्यास पर क्या है? व्यास के पानी को रोक कर टनेल से भाखरा जलाशय को पानी देना था ताकि बिजली में कटौती न हो। यह कल्पना थी। वह कहां गई? हर बात के लिये दोष किसी और को क्यों दें? साधन अपने पास न हो तो यह बात मैं समझ सकता हूं। भगवान ने प्राकृतिक साधन सम्पत्ति हमको इतनी दी है कि जिसकी कोई कमी नहीं। जिसको हम हाइडिल पावर कहते हैं हाइडिल पावर का जो लक्ष्य है उसकी 17 प्रतिशत क्षमता का हमने उपयोग किया, 83 परसेंट लाइज अन्टैप्ड? और यहां हम पावर कटौती करते फिरते हैं।

आज कोयले की कमी है। सरकारी किताब जो छपी है उसी में कहा गया है कि 20 हजार करोड़ टन कोयला है। कोयले का उत्पादन 8 करोड़ 70 लाख टन तक है और चौथी पंचवर्षीय योजना में 12 करोड़ टन करने का लक्ष्य है। मंत्री महोदय यहां बैठे हुये हैं। हमारी समझ में यह नहीं आता है कि इतना कोयला होने के बाद भी एक भी थर्मल प्लांट इनका पूरा क्यों नहीं चल रहा है? हमने पूछा कि यह 40 प्रतिशत केपेसिटी से ज्यादा काम ही नहीं करते, यानी अनयूटिलाइज्ड केपेसिटी जो है इसके लिये जिम्मेदार कौन है? राइट रीएक्शनरी जिम्मेदार है? या जेपी जिम्मेदार है?

स्टील है, एक लाख टन की स्टील की केपेसिटी होने के बाद स्टील का उत्पादन कितना है? 51 प्रतिशत। उसका मतलब यही निकला कि "मनी हैज बीन ब्लॉक्ड विदाउट एनी रिटर्न"।

फर्टिलाइजर फैक्ट्रियां हैं। उनमें 40 प्रतिशत केपेसिटी अनयूटिलाइज्ड है। थर्मल प्लांट की पावर जो है जिसमें 60 प्रतिशत अनयूटिलाइज्ड है। स्टील में 50 प्रतिशत अनयूटिलाइज्ड है। आखिर यह जो है, यह अव्यवस्था है और दूसरा कुछ नहीं है।

जापान का हम नाम लेते हैं। पिछले साल 8 करोड़ टन का अपना लक्ष्य उन्होंने पूरा किया हालांकि कोई साधन उनके पास नहीं है। हमारे पास मैगनीज़ ओर है, आयरन ओर है, हर चीज हिन्दुस्तान के अन्दर होने के बाद भी हम स्टील प्रोडक्शन में आगे क्यों नहीं हैं? अपने लक्ष्य के अनुसार हम प्रोडक्शन क्यों नहीं करते हैं दूसरों को दोष देना ठीक नहीं है। यह चीज क्यों होती है।

खेती के बारे में कहा कि 18 एकड़ की सीलिंग होगी। कुछ भी करो मगर कुछ निश्चित तो करो ऐग्रीकल्चर के बारे में क्या कोई एक पैटर्न आपने निश्चित किया है कि कितना रहे?

Whether it is through intensive farming, whether it should be a family holding.

क्या निश्चित किया है? हर जगह अपवाद, हर जगह अपवाद, कहीं यह रहा कहीं वह रहा इतने साल होने के बाद भी लैंड सीलिंग अभी पूरी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? करने वाले तो आप हैं किसान की जमीन तो छोटी कर दी और उसके सामने बड़ा ट्रैक्टर ले जाकर खड़ा कर दिया। या तो ट्रैक्टर भी मिनि बनाओ कि जो दस एकड़ में काम करे। कुछ हिसाब से बनाओ कुछ पैटर्न रखो।

वही बात उद्योग की भी है। ये आपके सारे दोस्त यहां बैठे हैं, दे आर फॉर पब्लिक सैक्टर, यानी शुरू से ऐसा तय किए हुए हैं कि जैसे पब्लिक सैक्टर प्राइवेट सेक्टर दुश्मन जैसे झगड़ा कर रहे हों। आखिर जनता के राज्य का मतलब क्या है? जनता का तन मन धन तीनों शक्ति उसकी लगनी चाहिए न। जो विद्या-विभूषित हैं वह अपनी विद्या देश के लिए न लगाए जिनके पास धन है वह अपना धन देश के लिए न लगाएं यानी 'इट इज नाट ए क्वेश्चन आफ ओनली केपिटलिस्ट्स', आपके राज में कोई संस्कार नहीं हैं, आप के राज्य में People don't exploit to earn but entertain to earn.

ये जो सारे सिनेमा स्टार्स हैं they never exploit anybody but they accumulate money.

..... They entertain people and accumulate money.

पैसा जमा होता है, ब्लैक मनी जमा होता है। मैं जानता हूं कि 15 लाख से कम में काम नहीं करते और रिसीट एक लाख से ज्यादा की नहीं देते।

*** *** ***

The money has got a tendency to accumulate. It is not only through exploitation but, through entertainment also, money is being exploited.

उसका क्या कारण है? यज्ञ, दान और तप की जो कल्पना समाज में थी व्यक्तिगत, सामाजिक और भौतिक वह कल्पना चली गई। संस्कार हुआ नहीं किसी को। कोई खुद का पैसा देता नहीं खुद का पैसा लगाता नहीं, धन इकट्ठा करता है। यह मैं इसलिए बताता हूं कि राजा कालस्य कारणम्। आप लोग दिशा देते हैं। आप लोगों ने दिशा नहीं दी। इसलिए ऐसे तरीकों से आज वह चल रहे हैं।

एक प्राइवेट सेक्टर है, एक पब्लिक सेक्टर है, एक ज्वाइंट सेक्टर है। जब मारुति लिमिटेड की बात आती है तो कोई बोलता नहीं। सब चुप। क्यों? यानी प्राइवेट सेक्टर खराब है तो मारुति लिमिटेड भी खराब है, प्राइवेट सेक्टर अच्छा है तो मारुति लिमिटेड भी अच्छा है। कहीं उसका डिमार्केशन करो, उसका क्षेत्र निश्चित करो। वैसे ही पावरलूम, हैंडलूम, टेक्सटाइल सब चालू है। इस इन्डस्ट्री में भी इतनी अराजकता है। उद्योग की कल्पना में अराजकता है, कृषि की कल्पना में अराजकता है। पानी है उसका प्रयोग नहीं। बिजली सप्लाई होती नहीं, इंडस्ट्री ठीक चलती नहीं। नौ प्रतिशत जो ग्रोथ रेट था वह निल तक आकर पहुंच गया और यह सारा अकाल है, तेल का संकट है, उसी के मत्थे मढ़ कर दूर होने की कोशिश करेंगे तो हम खुद को भी धोखा देंगे और दूसरों को भी धोखा देंगे। जब आप इकोनामिक डिसिप्लिन की बात करते हैं तो—

चौथी योजना में कोई सहायता बाहर से मिल नहीं रही थी तो आपने कहा कि कम से कम सहायता हम लेंगे लेकिन चौथी योजना में सहायता कितनी बढ़ गई है? ओवर ड्राफ्ट देखें, पहले प्लान में जितनी ओवर ड्राफ्ट थी, दूसरे प्लान में उससे ज्यादा हो गई। 1970–71 में और ज्यादा ओवर ड्राफ्ट हुई। यह ओवर ड्राफ्ट कौन बन्द करेगा? आप लोग नहीं कर सकते।

आज केन्द्रीय कर्मचारियों को डीए देने के लिए पैसा नहीं है और मंत्रियों की आप मौज उड़ा रहे हैं। बीच में आपने एकदम नायक साहब को हटा दिया। नायक साहब को जब मालूम हुआ कि मैं हटूंगा उन्होंने दस मंत्रियों की अपनी फौज और बढ़ाई। 21 से 31 हो गए। फिर भी वह बेचारे तो चले गए। अब आज 25 आ गए यह कहते हैं कि और दस बढ़ाएंगे, 35 हो जाएंगे। कामराज जी मद्रास जैसी बड़ी स्टेट में आठ मंत्रियों को लेकर काम करते थे, वह भी कांग्रेस के ही थे। इतना ही नहीं डिफेक्शन कमेटी ने कुछ तय किया था, उसमें मधु लिमये जी भी थे, कि केन्द्र में 11 प्रतिशत और राज्यों में 10 प्रतिशत मंत्री रहे। वह डिफेक्शन कमेटी का तय किया हुआ क्या हुआ? यानी जो भी निर्णय आप लेते हैं उस पर अमल ही नहीं करते हैं तो आखिर देश के अंदर अराजकता नहीं आएगी तो क्या आएगी? केवल बोलने से तो काम नहीं चलेगा। इकोनोमिक डिसिप्लिन, इकोनोमिक डिसिप्लिन बोलते रहने से तो इकोनोमिक डिसिप्लिन नहीं हो जायेगी। डिसिप्लिन शुड बी ऐट आल लेवेल्स।

आज शेख अब्दुल्ला के साथ बात हो रही है। नायक को जब निकाला किसी ने पूछा नहीं कि क्यों निकाला? शंकर राव को क्यों लाए? यह जो खेल आप लोग करते हैं यह क्यों करते

हैं? जहाज वाले को निकाला रेल में ले आए, रेल वाले को निकाला जहाज में ले आए, यानी दोनों को इतना ही समझते हैं कि ट्रेन जमीन पर चलती है और जहाज पानी पर चलता है, और कुछ नहीं समझते? यह अदल-बदल आप लोग क्यों करते रहते हैं? क्या इसका उपयोग है? आखिर डिसिप्लिन का मतलब यह होता है कि हर क्षेत्र में डिसिप्लिन हो। हर एक क्षेत्र में जैसे डिसिप्लिन चाहिए वैसे ही राजनैतिक क्षेत्र में भी डिसिप्लिन चाहिए। कोई मंत्री बेचारे कोयम्बटूर जा रहे थे, उनको कहा घर जाओ, कोयम्बटूर मत जाओ, घर जाओ। इस तरह कोई मंत्री काम करेगा? तुम्हारा आदमी जो है दि वे इन व्हिच यू डील, दि स्टाइल, कुछ तो होना चाहिए। हमारा यह भी कहना नहीं है कि शेख अब्दुल्ला को मत बैठाओ। चाहे जिसको बैठाओ। परंतु कर क्या रहे हो बताओ तो सही। वह लगातार स्टेटमेंट देते हैं, कहते हैं कि 1953 के बाद जो जो चीज हुई है, हमारी ख्वाहिश होगी तो मानेंगे नहीं तो नहीं मानेंगे। इसका मतलब क्या निकलता है? वह सारा कानून हम लोगों ने पार्लियामेंट में पास किया है एंड ही इज डिफाइंग दि अथॉरिटी आफ पार्लियामेंट। यह सवाल व्यक्ति का नहीं है। यह शमीम के नाराज होने का सवाल नहीं है। वहां कोई भी हो, क्या हम यह दे देंगे उसको चाहे जो करने के लिए? इसलिए मैंने पूछा कि आपके सामने कोई चित्र भी है या नहीं सारे देश का? आज भी शेख अब्दुल्ला पूछते हैं कि केन्द्र को ताकत कहां से मिले, वह स्टेटस से मिले। यह फेडरेशन में है। मगर हमारी सारी जो कांस्टीट्यूशन है उसका जो भाव है वह तो फेडरेशन का नहीं है। फेडरेशन का बिल्कुल नहीं है। यदि वैसा होता तो रेजिड्यूअरी पावर केन्द्र के हाथ में नहीं रहती। आज किसी को भी हटा कर राष्ट्रपति वहां बैठा दें यह नहीं होता। आखिर यहां देश में यूनिटरी सिस्टम हम चलाना चाहते हैं।

राष्ट्रपति महोदय ने कहा था—

"He will shortly make a statement in this regard."

यह 24 तारीख को बैठने जा रहे हैं, बतलाइये आपका स्टेटमेंट कहां है? मैंने तीन-तीन बार सलाहकार समिति में इस सवाल को पूछा कि वे स्टेटमेंट देते जा रहे हैं, तुम बोलते क्यों नहीं हो, हमको सही स्थिति बतलाओ, परंतु कोई जवाब नहीं। लोग हम को पूछते हैं, वे कहने लगे हैं कि तुम झूठ बोलते हो, तुम पार्लियामेंट में हो, तुम को मालूम नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम को जरूर मालूम होगा।

I strongly protest against the style of functioning.

यह डेमोक्रेटिक सरकार है। हम भ्रष्टाचार, बेकारी, जनता की समस्याओं की बातें करते हैं। चुनाव प्रणाली की बात करते हैं—आप ने अध्यादेश निकाला-अनाप-शनाप जो पैसा खर्च होता है, उस पर रोक लगाने के लिये, लेकिन आप ने अध्यादेश निकाल कर सब पर पानी फेर दिया। 180 लोगों की पिटीशन डूब जाती तो डूब जाती, 6 साल के लिये चुनाव नहीं लड़ सकते थे तो न लड़ते-लेकिन आप ने अध्यादेश निकाल कर ठीक नहीं किया...

*** *** ***

शंकरदयाल सिंह जी यहां बैठे हैं–1965 की बात है–क्या हिन्दी को जो स्थान मिलना चाहिए था, वह मिला? क्या शिक्षा दें, कौन सी शिक्षा दें, किस माध्यम से शिक्षा दें–यह आप आज तक तय नहीं कर पाये। मेरी मातृभाषा कन्नड़ है, लेकिन मैं हिन्दी बोलता हूं। जब 1930-31 में हम प्रभात-फेरी पर जाते थे तो गाते थे–विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, झण्डा ऊंचा रहे हमारा–उस समय हिन्दी के साथ जो लगाव था, वह सब आपने तोड़ दिया। उस समय हिन्दी भाषा बोलना देशभक्ति समझी जाती थी, खद्दर पहनना देशभक्ति समझी जाती थी, लेकिन आपने सब तोड़ दिया। हिन्दी के लिये कौन वातावरण पैदा करेगा, दुनिया में जाकर हिन्दी कौन बुलायेगा दुनिया में कौन प्रचार करेगा? इसलिये मूलभूत शिक्षा पद्धति में परिवर्तन होना चाहिये जिससे कि आदमी सुशिक्षित हो, सक्षम हो और कोई भी कार्य करने के लिये तैयार हो, शिक्षा में ऐसा परिवर्तन कौन करेगा? चुनाव प्रणाली के द्वारा ईमानदार, कार्यसक्षम आदमी जनता का प्रतिनिधि बनकर आये, चुनकर आये–इस काम को कौन करेगा?

आज जो भ्रष्टाचार व्याप्त है—उसको छिपाने की कोशिश क्यों हो रही है? संथनम कमेटी ने कहा–यदि 10 विधायक भी बतायें तो जांच हो और यदि प्राइमाफेसी केस बने तो कार्यवाही हो, सजा हो, लेकिन आप तो भ्रष्टाचार को छिपाना चाहते हैं। मैं पूछता हूं भ्रष्टाचार को छिपाने से क्या लाभ है? यहां पर कोई भी दल आये–चाहे मेरा ही दल आये, कोई भी आदमी गगन से उतर कर नहीं आता है—

We come from the same stock of the society.

जिस बुराई से समाज पीड़ित हो, बीमार हो, यह चीज हम पर भी लागू होती है, उसे डॉक्टर को दिखलाना पड़ता है, उसे छिपाते क्यों हो, डॉक्टर से छिपाना क्यों चाहते हो?

आप जे.पी. के आंदोलन को राइट-रिएक्शनरी बोलते हो, फासिज्म बोलते हो, लेकिन फासिज्म का अर्थ भी जानते हो, जिसके पास ताकत है वही फासिस्ट बन सकता है, दूसरा नहीं बन सकता है। कल जाकर, मैंने अपने दूधवाले से कहा–अरे, तुम अपना दूध 1 रुपया किलो दो। वह कहने लगा–नहीं दूंगा, आपको लेना हो तो लो। मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। आप किसान को कहते हैं कि अनाज रखना नहीं चाहिये, अगर रखता है तो कहते हैं कि पकड़ लो। आपके हाथ में ताकत है, आप जबरदस्ती कर सकते हैं। यही कारण है—आज कपास की कीमत कम है, लेकिन कपड़े की कीमत नहीं घटी, क्यों? गन्ने की कीमत कम है, किसान को उचित दाम नहीं मिलता, लेकिन चीनी की कीमत घटती नहीं है। मूंगफली की कीमत कम मिलती है, लेकिन वनस्पति की कीमत कम नहीं है, उस पर से तो आपने नियंत्रण ही हटा दिया है, चाहे जिस भाव में बेचो। इसलिये आज जो इन्फलेशन बढ़ा है, मुद्रास्फिति बढ़ी है, उसके हम जिम्मेदार नहीं हैं, आप लोग जिम्मेदार हैं। जब आर्थिक अनुशासन का पालन होगा, राजनीतिक अनुशासन का पालन होगा तब काम होगा। बीच-बीच में एकदम से किसी लहर के आ जाने से काम नहीं चलेगा। जैसा एक मंत्री ने कहा–दुनिया वाले, आते हैं, फलां यह करता है, फलां वह है, मैं तो इन दुनिया वालों में, अमरीका, रूस, चीन–इनमें कोई भेद करने को तैयार नहीं हूं। अमरीका ने कई बार आपको धोखा दिया है। पिछली बार स्वर्ण सिंह जी को

अमरीका ने कहा था कि आगे से शस्त्र नहीं दिये जाएंगें, लेकिन बाद में पता चला कि शस्त्र जा रहे हैं They are in the pipeline.

इस तरह से कितनी बार अमरीका ने धोखा दिया, लेकिन हम विश्वास करते चले जा रहे हैं।

राष्ट्रपति महोदय ने कश्मीर के बारे में कहा है–

We wish the people of Jammu and Kashmir speedy progress as an integral part of the nation.

लेकिन एक-तिहाई जो कश्मीर चला गया, उसका क्या हुआ? क्या उसको भूल गये? हमारे देश पर आक्रमण करके गैर-कानूनी तौर पर कश्मीर के एक-तिहाई भाग पर पाकिस्तान कब्जा करके बैठ गया तो बैठ गया–आप ने उसके लिये क्या किया। हिन्दुस्तान का विभाजन करके ये दुनिया की बड़ी-बड़ी ताकतें आज तक मजे उड़ा रही हैं–यदि इस तरह की नीति हम लोग अपनायेंगे तो उसका क्या परिणाम निकलेगा?

इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता, जब तक आर्थिक अनुशासन नहीं करेंगे और उस पर सही तरह से अमल नहीं करेंगे तब तक स्थिति में परिवर्तन नहीं आयेगा, आज की परिस्थिति उस परिस्थिति से मेल नहीं खाती है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

संविधान (अड़तीसवां संशोधन) विधेयक, 1975*

सिक्किम की जनता ने भारत के संघ राज्य का अंग बनने का भारी बहुमत से जो निर्णय किया है उसका मैं स्वागत करता हूं और मन:पूर्वक उसका अभिनन्दन भी करता हूं। आजादी मिलने के 27 साल के बाद भी जबकि देश में अलगाव के भाव बड़े जोरों से दिखाई देते हैं, ऐसी स्थिति में सिक्किम की जनता ने भारत के साथ मिलने का जो निश्चय किया है यह और भी ज्यादा अभिनन्दनीय है। किन्तु सरकार की एक बहुत बड़ी कमजोरी रही है कि जब अंग्रेज यहां थे तो अंग्रेजों ने अपने हित को ध्यान में रखते हुए राज्यों की जैसे रचना चाही की। शासकीय दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से जैसा उसको अच्छा लगा उसने वैसा किया। जिस तरह की व्यवस्था को उसने अपने हित में समझा उस तरह की व्यवस्था उसने देश में खड़ी की। प्रेजीडेंसियां उसने बनाईं जैसे मद्रास प्रेजीडेंसी, बंबई प्रेजीडेंसी। भाषाई आधार पर या किन्हीं दूसरे ऐसे आधारों पर उन्होंने राज्यों की रचना नहीं की। किन्तु मुझे बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी सरकार के सामने कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है। सिक्किम और भूटान प्रोटेक्टोरेट थे। यह क्या चीज है और आज की स्थिति में प्रोटेक्टोरेट का क्या मतलब है? क्या आप उनका भारत के साथ संबंध इस बीच तय नहीं कर सकते थे? बात क्या है? अगर किसी ने कहा कि एसोसिएट स्टेट बना दो तो आपने कह दिया अच्छी बात है, एसोसिएट स्टेट बन जाओ। उन्होंने कहा कि पूरी बना दो तो आपने पूरी बना दी। आखिर हम चाहते क्या हैं? कुछ चाहते भी हैं या नहीं चाहते हैं? सिक्किम की जनता ने कहा कि हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, तुममें मिलना चाहते हैं, आपने कह दिया मिल जाओ। अंग्रेजों के चले जाने के बाद पूरे देश का कोई चित्र आपके सामने है या नहीं है, कोई कल्पना आपके सामने है या नहीं है, यह सवाल है।

पुर्तगाल का कुछ हिस्सों पर कब्जा था। कुछ पर फ्रांसीसियों का था। फ्रांसीसी चले गए। उनके चले जाने के बाद भी जिन छोटे-छोटे हिस्सों पर वे कब्जे करके बैठे थे वे छोटे-छोटे हिस्से भी जैसे थे ऐसे हमने मिलाकर रख दिए हैं। जैसे पुदुचेरी है जिस को आमतौर पर पांडीचेरी कहा जाता है उसके साथ यनम और माहे को हमने जोड़कर रखा हुआ है। यनम ईस्ट कोस्ट पर है और उसमें तेलुगू भाषा बोली जाती और वह आन्ध्र से मिला हुआ है और माहे जो वेस्ट कोस्ट पर है वहां मलयालम भाषा बोली जाती और इसको केरल के साथ मिला दिया जाना चाहिये था।

---

*उपरोक्त विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए।
(यह विधेयक, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के संदर्भ में है)
लोक सभा वाद-विवाद, 23 अप्रैल 1975, cc 242-47।

सिवाय इसके कि फ्रांसीसियों का इन पर राज्य था इसके अलावा इनमें आपस में कोई एकता नहीं है। अंग्रेज चला गया, फ्रांसीसी चला गया और उनके चले जाने के बाद हम चाहते क्या हैं, यह चित्र हमारे सामने कभी साफ नहीं हुआ। वे चले गए हैं क्या इतना ही हमारे लिए काफी था? गोवा की हालत भी यही है। पुर्तगाल, गोवा, दमण और दीव में था, 1954 में दमण और दादरा व नगर हवेली आजाद हुए। अब इनके बारे में कुछ चित्र हमारे सामने साफ नहीं था। 1955 में हमने पुनर्गठन आयोग बिठाया ताकि राज्यों की पुनर्रचना की जा सके।

India, that is, Bharat, shall be a Union of States—A, B, C, D—

चार तरह की स्टेट्स हुआ करती थी। ए, बी, सी और डी। अब बी, सी और डी चली गई और केवल ए वर्ग की स्टेट्स हैं या फिर यूनियन टेरीटरीज हैं। लेकिन इसके बाद भी नए-नए तरह के प्रयोग यहां होते जा रहे हैं। मेघालय को हमने सब स्टेट का दर्जा दिया। सिक्किम को कहा एसोसिएट स्टेट आफ इंडिया। आज सिक्किम भारत का पूर्णरूपेण राज्य बनने जा रहा है। क्या यह सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पर ही होगा। हम आज 27 साल के बाद दु:ख के साथ देखते हैं कि आप लोगों के दिलों को बड़ा नहीं कर पाए हैं। कल यहां एक मोर्चा आया था सीमावर्ती प्रदेशों का, उन प्रदेशों का जिन के दूसरे प्रदेशों के साथ सीमा विवाद है। मराठी भाषी जो लोग हैं उनको ऐसा नहीं लगता है कि कर्नाटक में उनके लिए कोई स्थान है। इसी तरह से दूसरे प्रदेशों में रहने वालों की भी बात है। इससे साफ पता चलता है कि आप जनता को साथ ले जाने की क्षमता नहीं रखते हैं, आपका दिल इतना बड़ा नहीं है। पता नहीं इसका क्या अर्थ लगाया जाए। भारत सरकार के सामने कोई स्पष्ट चित्र नहीं है, कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है इसका उसको कुछ पता नहीं है। सिक्किम ही नहीं, कश्मीर के साथ और हैदराबाद के साथ भी आपने ऐसा ही किया था...

*** *** ***

It is going to be a full-fledged constituent State of this country?

मैं जानना चाहता हूं कि—

आगे चलकर उनके साथ हमारे संबंध कैसे रहेंगे। सिक्किम के फुल-फ्लैज्ड स्टेट बनने के बाद आपने वहां पर गवर्नर को, राज्यपाल को जो ज्यादा अधिकार दिए हैं ये क्यों दिए हैं। भारत के किसी अन्य राज्यपाल को जो अधिकार हैं वही अधिकार वहां के राज्यपाल को आपको देने चाहिये थे और अधिक अधिकार उनको देने की जरूरत नहीं थी। इन अधिकारों का दुरुपयोग नहीं होगा, यह कहना बहुत मुश्किल है। इसका मुझे डर भी है। नागालैण्ड के बारे में आपने ऐसा ही किया था। वहां पर थोड़ी सी अस्थिरता जब आई, इधर से उधर कुछ हुआ तो वहां का शासन अपने हाथ में ले लिया। अब सिक्किम के मामले में अगर ऐसा होगा तो वहां की जनता को लगेगा कि हम चाहते तो कुछ थे और हो कुछ और ही गया है। चाहते तो यह थे कि सारे अधिकार हमारे अपने हाथ में आएं। विकास का काम, प्रगति का काम अपने आधार पर करें लेकिन वह चीज नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सरकार ने वहां अस्थिरता का बहाना

बनाकर हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए, बड़ी तपस्या करके, चोग्याल के पद के खिलाफ वहां की जनता सदा लड़ाई करती आई है और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को मजबूत करने हेतु आज हिन्दुस्तान की कांस्टीट्यूएंट स्टेट बनने का उसने जो निर्णय किया है, उसका मैं स्वागत जरूर करता हूं लेकिन स्वागत करने के साथ-साथ यह कामना करता हूं कि हमारी उनके साथ और उनकी हमारे साथ आत्मीयता बनी रहे और बढ़े और वहां की जनता प्रगति और विकास की ओर अग्रेसर हो। यह अवश्य है कि राज्यपाल को आपने जो विशेष अधिकार दिए हैं उनको या तो निकाल दिया जाना चाहिये या राज्यपाल को सरकार यह निर्देश दे कि इन अधिकारों को वे व्यवहार में न लाएं।

मैं फिर से सिक्किम की जनता का अभिनन्दन करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1977*

उप सभाध्यक्ष महोदया, सदन में इस विधेयक को लेकर चर्चा चल रही है और इसमें काफी गर्मी भी पैदा हो गयी। वास्तव में यह देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि आजादी आने के उपरांत 34, 35 साल के बाद भी भाषा जो आपस में एक-दूसरे को समझने का माध्यम होना चाहिये। उसके बजाय वह आपस में विवाद और कटुता पैदा करने का माध्यम हो रही है और एक कटुता पैदा करने का साधन बनती जा रही है।

*** *** ***

सवाल यह नहीं है। हमारे मारन साहब जो विधेयक लाये हैं उससे पता लगता है कि उनके मन में आशंका है और उसको दूर करना चाहिये।

They have definitely got misgivings. They will have to be removed.

सबसे पहली बात तो यह है कि यह भाषा लादी जा रही है। वास्तव में यदि हम अपने संविधान को पढ़ें तो प्रारंभ में ही अपने को मिलता है : We have given this Constitution unto ourselves.

यह हमीं ने हमको दिया हुआ है। यह किसी ने हमारे ऊपर लादा नहीं है, थोपा नहीं है और यह संविधान के निर्माताओं ने, अंग्रेज चला गया तो आगे चलकर अपने देश का सारा व्यवहार, शासन, प्रशासन, संपर्क किस भाषा में चले, इस बात का गंभीरता से विचार करके जब हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया तो उन्होंने 15 साल की अवधि इसलिए रखी कि सामान्यतया बच्चा जब स्कूल में जाता है पांच साल के बाद तो पन्द्रह साल के अन्दर वह पदवीधारी बन जाता है, ग्रेजुएट हो जाता है तो 15 साल के अन्दर सबको भाषा आ जाए, इसलिए यह अवधि काफी समझी गई। किन्तु दुर्भाग्य यह है कि न भाषा पन्द्रह साल के अन्दर सबको आई, न जो आरक्षण हमने रखा था 10 साल के लिए, न उसमें प्रगति हुई। जिस बात को हम स्वीकार करते हैं उसको पूरा करने में गड़बड़ करते हैं। जब हमने संविधान में कहा है कि संविधान को खुद को हमने दिया है। उसमें इस बात को स्वीकार किया है कि हिन्दी इस देश की राष्ट्रभाषा है तो सबसे पहले तो इस गलतफहमी को दूर करना चाहिये कि यह किसी ने लादी है।

---

* उपरोक्त विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए
(यह विधेयक संविधान की धारा 120, 210 अर्थात् हिन्दी भाषा के संदर्भ में है)
राज्य सभा वाद-विवाद, 22 अक्तूबर 1982, p 298-313।

अभी हमारे मित्र शर्मा जी ने कहा कि अंग्रेजी लादी गई। अंग्रेजी लादी नहीं गई। अंग्रेजी यदि लादी गई होती तो अंग्रेज जैसे ही गये वह चली जाती। उप सभापति महोदया जीवन में चार प्रेरणाएं होती हैं–धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चार प्रेरणाएं अंग्रेजी शिक्षा से नहीं मिली हैं। उन्होंने शिक्षा कम्पलसरी नहीं की, अनिवार्य नहीं की। उन्होंने यह वातावरण पैदा किया कि जिसको अंग्रेजी का ज्ञान होगा, उसको नौकरी मिलेगी। जिसको अंग्रेजी आयेगी तो उसको मान-सम्मान मिलेगा। तो खुद आगे होकर लोगों ने अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया। श्रीमान, जब अंग्रेज थे, मेरे गांव में कर्नाटक में, नलगुंड में अंग्रेजी पढ़ने की सुविधा न थी, स्कूल बन्द हो गये। इसलिए मैं पूना गया पढ़ने के लिए और आज अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी आज मेरे ही गांव में अंग्रेजी माध्यम से नर्सरी स्कूल है, मांटेसरी स्कूल है। अंग्रेज चले गये, लेकिन अंग्रेजी चल रही है। यह कोई लादने से नहीं होगा। यह तो आर्थिक प्रेरणा थी कि अंग्रेजी में ही नौकरी मिलती है, रेलवे में, पोस्टल डिपार्टमेंट में तो लोगों ने इसको स्वीकार किया। आज अंग्रेज जाने के बाद भी जब लोगों को पता चलता है कि अंग्रेजी में सर्विसेज अपार्च्युनिटीज ज्यादा हैं, इससे मैं अमरीका जा सकता हूं, आस्ट्रेलिया जा सकता हूं, मैं कनाडा भी जा सकता हूं तो अंग्रेजी जानने वाले दुनियां में बहुत हैं, तो लादने का सवाल नहीं है। यह तो एक प्रेरणा है, इससे मुझे कुछ मिलेगा, इस बात को लेकर हमें काम करना होता है।

श्रीमन्, विभाजन की वजह से सिन्ध उजड़ गया। सिंध सारे भारत में फैल गया और जहां भी सिन्धी आबादी आज है, तमिलनाडु में वह तमिल बोलते हैं, आंध्र में तेलुगू बोलते हैं, सांगली में मराठी बोलते हैं, कल्याण में मराठी बोलते हैं तो इसके लिए प्रेरणा अर्थ व्यापार चलाना है। जिस प्रदेश में व्यापार चलाने के लिए जायेंगे वहां की भाषा को वह अपनाते हैं।

श्रीमन्, पुराने दिनों में शादियां होती थीं, ऐसे एक राजा बंगाल का हो और रानी दूसरे प्रदेश की, जैसे मैसूर के महाराजा थे, उनकी पत्नी धाग ध्रा, गुजरात स्टेट की थी। पति और पत्नी की भाषा एक दूसरे की नहीं थी। लेकिन जब शादी करते हैं तो यह जरूरी हो जाता है कि पति-पत्नी की भाषा समझे क्योंकि वह तो काम की प्रेरणा है। चन्द्रगुप्त ने जब ग्रीक कन्या के साथ शादी की तो भाषायी विवाद तो खड़ा नहीं हुआ, प्रेम की काम की प्रेरणा थी, उसके बाद उनकी भाषा एक हो गई। आज भी तमिलनाडु में सारे लोग सिनेमा देखते हैं। कहां कम्पलशन है? Absolutely there is no compulsion, किन्तु जब हम सिनेमा देखते हैं तो काम प्रेरणा से देखते हैं। आखिर कुछ तो प्रेरणा होती है।

मेरे मित्र ने अभी संस्कृत के बारे में भी उपेक्षा की। मैं इनको कुछ कहना नहीं चाहता हूं किन्तु जो मोक्ष चाहता है चाहे वह मैक्समूलर हो वह संस्कृत पढ़ेगा। जिसके सामने पेट की चिन्ता है वह नहीं पढ़ेगा। पेट की चिन्ता जिसे है जिस भाषा से उसका पेट पूरा होता है उस भाषा को वह पढ़ेगा। आज जो हमारे सामने चार प्रेरणाएं हैं उनको हमको देखने से पता चलेगा कि संविधान के निर्माताओं ने हिन्दी क्यों अपनाई। इस बात से तुलना करना कि साहित्य है या नहीं, यह समृद्ध है या नहीं, ज्ञान भंडार है या नहीं, यह बेमतलब है। यह भी बेमतलब है कि अंग्रेजी में क्या है और हिन्दी में क्या है। हम लोगों ने जो अंग्रेजी पढ़ी वह शेक्सपीयर के नाटक पढ़ने के लिए अंग्रेजी नहीं पढ़ी। नौकरी चाहिएं थी इसीलिए अंग्रेजी पढ़ी। अंग्रेजी आती थी इसलिए शेक्सपीयर के

नाटक पढ़े। अंग्रेजी आती थी इसलिए, जो भी किताब अंग्रेजी की मिली वह पढ़ी। पीलू मोदी साहब कहते हैं कि अंग्रेजी में ज्ञान भंडार है क्योंकि हम अंग्रेजी जानते हैं इसलिए कह सकते हैं। रशियन की किताब कोई सामने रखे तो हमें क्या पता कि इसमें क्या ज्ञान है। क्योंकि हम जानते नहीं हैं। दुनियां में कहां-कहां और कितना-कितना ज्ञान है हमको नहीं मालूम। हिन्दी इसलिए नहीं स्वीकार की गई कि यह समृद्ध भाषा थी। इससे भी समृद्ध भाषा थी बंगला और तमिल। दो हजार साल पहले 'थिरुवल्लूवर' ने थिरुकुरल लिखा उसमें धर्मार्थ काम की प्रेरणा है और कुछ नहीं है। यह बहुत समृद्ध है किन्तु उस समय उनके सामने जो ज्ञान था, विचार था वह यह था कि सबसे ज्यादा इस देश में समझी जाने वाली भाषा कोई है तो हिन्दी है। मैंने खुद प्रभातफेरी के दिनों में, हिन्दुस्तान की आजादी के समय, 'विश्व विजयी तिरंगा झंडा ऊंचा रहे हमारा' हमने गाया था। हम समझते थे इसका मतलब क्या होता है। चर्खा चलाकर स्वराज लेना। क्योंकि हम गीता पढ़ते थे। क्योंकि उस समय ऐसा लगता था कि अंग्रेजों के साथ हमारी लड़ाई है तो हिन्दी भी एक देशभक्ति का माध्यम समझी जाती थी। लेकिन आज न स्वदेशी रही, न खद्दर रही और न हिन्दी रही। यह बड़ी असफलता है। किन्तु पूरे देशभर में हिन्दी जानी जाती थी, इसलिए इसे स्वीकार किया गया? इसका एक बड़ा उदाहरण यह है कि आज सिनेमा देखने की छूट सबको है, कोई भी सिनेमा देख सकता है और टेक्नीकल एक्सीलेंस से देखें तो बंगला पिक्चर बहुत बढ़िया चलती है किन्तु बंगाली पिक्चर हिन्दुस्तान में ज्यादा नहीं चलती। तमिलनाडु में भी अंग्रेजी पिक्चर नहीं चलती।

"Gone with the Wind" literally went with the wind".

पिक्चर बहुत बढ़िया है इसके कोई चक्कर में न रहे। अब डेढ़ सौ सालों के बाद दो परसेंट अंग्रेजी आ गई। जो यह कहते हैं वह यह भूल जाते हैं कि अंग्रेजों ने अंग्रेजी थोपने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि जो अंग्रेजी पढ़ना चाहता है पढ़े और जो नहीं पढ़ना चाहता, छोड़ दे। He never bothered whether that percentage should be increased or not. Why should he bother?

अपने काम के लिए जितने लोग मिलते थे, लेकर चले गये। Absolutely there was no compulsion. किन्तु जब हम आजाद हो गये तो आजादी की अनिवार्यता क्या हो जाती है। जैसे माऊंट बेटन कुछ ही दिन यहां गवर्नर जनरल रहे, ज्यादा दिन नहीं रहे। यदि कोई अपना कमांडर-इन-चीफ है वह ज्यादा दिन नहीं रह सकता है। उस समय हम चर्चा करें कि आज का जो हमारा कमांडर-इन-चीफ है उससे वह बहुत बढ़िया है, ज्यादा जानकार है, फलां है ढिमकाना है, तो यह नहीं चलेगा। आजादी का मतलब यह भी होता है कि खुद का विकास करो। खुद की आत्मा को प्रकट करो। यह मुक्ति चाहता है। अगर भाषा को विकसित करना है तो आज जो सरकार ने नीति स्वीकार की है राजभाषा के रूप में वह हिन्दी है। यदि तमिलनाडु के लोग हिन्दी पढ़ना नहीं चाहते, कुछ नहीं कर सकते, नहीं करें। किन्तु सवाल यह है कि सरकारी नौकरी करनी है We are governed by certain conduct rules.

सरकारी नौकरी करनी है, तो आपको करना पड़ेगा। जैसे हम कॉलेज में पढ़ते थे। उन दिनों वह यू.टी.सी. नाम से चलता था। वहां यह शपथ लेनी पढ़ती थी "I will defend my country and my king".

तो हमने कहा: You are not our king. I am not bound to defend you.

तो उन्होंने कहा "don't join U.T.C." I never joined U.T.C.

आखिर हमको यह लगता था कि यह राजा हमारा नहीं है। इनका रक्षण करना हमारा काम नहीं है। फिर भी कई लोग गये। आज आखिर आजादी आने के उपरांत इस देश में सबसे ज्यादा समझी जाने वाली भाषा के रूप में हिन्दी को अपनाया। एक प्रमाण सिनेमा का है और दूसरा प्रमाण अण्डमान का प्रत्यक्ष है। आज अण्डमान में बंगला भाषी ज्यादा हैं, मलयालम भाषी ज्यादा हैं, तमिल भाषी ज्यादा हैं, तेलुगु भाषी ज्यादा हैं, आम लोगों के व्यवहार की भाषा हिन्दी है।

They have developed it, evolved it.

हर भाषा वाले वहां हैं। इतना होने के बाद भी बोल-चाल की जो भाषा है वह हिन्दी है। किसी ने उन पर थोपी नहीं है। हमें आगे चलकर कहना है सारे देश में कोई संपर्क भाषा चाहिये या नहीं? सवाल पैदा होता है; चाहिये। एक दूसरे को बताने के लिए। हमारे पीलू मोदी जी ने कल एक अच्छी बात कही–

It is means of communication. We want to communicate something exactly.

हम भाव प्रकट करना चाहते हैं। किन्तु ये भाव उसी भाषा में प्रकट किये जा सकते हैं जो अपनी हो। जैसे कि ब्रह्म है अंग्रेजी का कितना भी जानकार हो, वह ब्रह्म को नहीं प्रकट कर सकता है। ब्रह्म का मतलब क्या है? ब्रह्म को समझने लगे तो ब्रह्म शब्द का निर्माण करने वालों ने कहा कि इसको किसी भाषा की मर्यादा में नहीं बांधा जा सकता है। स्वामी रामकृष्ण ने कहा कि ब्रह्म कभी उच्छित नहीं हुआ क्योंकि वह असीम है, किसी मर्यादा में नहीं है। उपनिषदों में यही कहा गया है।

इसमें मन को भी प्राप्ति नहीं हुई है, वाचा तो बंद ही हो जाती है।

यह जीवनधारा और जीवन-दर्शन की बात है। वही भाषा इसको प्रकट कर सकती है जिस भाषा ने इसको बनाया है। अंग्रेजी में कहा जाता है कि–

He is dead.

लेकिन हमारे यहां अवस्थान्तरण होता है। मनुष्य मरता नहीं है।

Man is immortal.

हमारे यहां कहा गया–देहान्त या देहावसान। क्योंकि आत्मा अमर है।

हमारी भाषा में ही इसको प्रकट किया जा सकता है।

He is dead. Man is immortal. He is there. His body has gone. His body has perished.

यह हमारी भाषा ही प्रकट कर सकती है, अंग्रेजी नहीं। अंग्रेजी में कहते हैं कि–Herculean Task

लेकिन इसके पीछे क्या मतलब है; इसको वही समझ सकता है जिसको अर्थ मालूम हो। हमारे यहां मुष्टि प्रहार, हनुमान मुष्टि या भीम मुष्टि कहते हैं और वह समझ में आ जाता है। अंग्रेजी में कहते हैं कि Bones for the latecomer. बाद में आने वाले के लिए हड्डी। लेकिन हमारे यहां बाद में आने वाले के लिए भी भोजन होता है।

No Question of bones for the latetcomer.

अंग्रेजी में Hitting below the belt. लेकिन हमारे यहां मर्म प्रहार है। इसका मतलब क्या होता है, हम सब समझ जाते हैं।

Unless you know boxing, you do not know what is hitting below the belt.

इसी प्रकार से घर के दरवाजे पर लिखा होता है–Beware of Dogs. हमारे यहां अतिथि देवो भव: होता है। अतिथि का सत्कार होता है। Man is known by the company he keeps. This is the ferocious company he is keeping.

भाषा को लेकर विवाद खड़ा करना उचित नहीं है। अपनी-अपनी जगह की भाषाएं सब अच्छी हैं। किन्तु अब तमिल पढ़ने वाले जो हैं, मारन जी कहते हैं कि नेहरू जी का एश्योरेंस है। ठीक है नेहरू जी का एश्योरेंस है। किन्तु हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हिन्दी कहां से आयेगी, कैसे आयेगी। कोई तो शुरुआत करनी चाहिए, पढ़ना ही शुरू न करें, त्रिभाषा सूत्र है, उसको न करें तो फिर हिन्दी कैसे आयेगी? नहीं आयेगी। सीधा-सीधा हम लोग यह कह सकते हैं कि हम इस भाषा को नहीं चाहते। लेकिन देश के सारे कारोबार को चलाने के लिए भाषा की जरूरत होती है, समझने के लिए एक-दूसरे को समझने के लिए भाषा की जरूरत होती है। देश की रक्षा के लिए सेना में हर प्रदेश का आदमी भर्ती होता है। बिना किसी एक भाषा के वह चल नहीं सकता। कोई न कोई भाषा चलानी पड़ेगी। सभी देशों ने चाहे वह रशिया हो और चाहे चीन हो, कनाडा जैसा छोटा देश है वह दो भाषायें लेकर चलता है, स्विटजरलैंड में तीन भाषायें हैं तो फिर हमारे देश में अपनी कोई भाषा संपर्क भाषा क्यों न बने। मैं यह कहना चाहता हूं कि तमाम भाषाओं की वर्णमाला एक है। सभी जगह स्वर अ, आ, इ, ई... हैं लेकिन व्यंजन मलयालम में ज्यादा हैं। वहां–और हैं। इसको अगर छोड़ दें तो वर्णमाला एक है, व्याकरण एक है। कर्ता, कर्म, क्रिया पद एक हैं। अंग्रेजी के साथ यह बात नहीं है। आई गो, इसका हिन्दी में होगा मैं घर जाता हूं, कन्नड़ में कहेंगे नाम मने–वेंकटसुब्बैया इसको कहेंगे नेने इंटिकी पोतानु, मारन इसको कहेंगे नान वट्टक पोगोरेन। तो सब में क ही कर्ता, कर्म और क्रियापद है। कर्ता वही है, कर्म वही है, क्रिया वही है, वर्णमाला समान है। सभी में 40-50 प्रतिशत शब्द संस्कृत से लिये गये हैं; एक-सा व्याकरण है, एक-सी ग्रामर है, ज्ञान का सारा भंडार एक है। कोई भी किसी भाषा का धर्म ग्रंथ पढ़े सबका स्रोत एक है। चाहे कम्बन रामायण पढ़ना चाहे, तुलसीकृत रामचरित मानस, स्रोत सबका एक है। इसलिए कठिनाई आती है कि आखिर कोई समय कोई सीमा तो हो जबकि इसको किया जाये। एक साल, 15 साल, 30 साल हो गया। 1857 में अंग्रेजी का राज्य यहां पर स्थापित हुआ और 1947 में वे चले गये। Within hardly a period of 90

years not only we accepted English but we also identified ourselves with English so much so that we are not prepared to divorce with it. We are in love with it so much that we can divorce our beloved wife and not english. यह 90 साल के अंदर हुआ, केवल 90 साल के अन्दर if we can assimilate ourselves completely with the English language, a known foreign language.

तो अपनी भाषा जो है वह कम से कम 45 साल के अंदर तो आ जाये। मैं ज्यादा नहीं कहता। 34-35 साल हो गये। आने वाले दस साल के अन्दर अगर अपने देश की भाषा नहीं अपनाई जाती है तो हम देश में रहने के काबिल नहीं हैं और आजादी के भी काबिल नहीं। मैं नैरोबी में गया, 1969 में भी गया, 1973 में भी गया और अभी 1980 में भी गया। 1969 में वह आजाद हुआ था, 1973 में कुछ और था और अब जब 1980 में मैंने देखा वहां की कम्पलीटली उन्होंने स्वाहिलीकरण कर दिया है। स्वाहिली कोई विशेष भाषा नहीं है किन्तु उनका एक अभिमान है कि हमारी भाषा है। हमारी जो भाषा और उसकी जो लिपि है वह कितनी बढ़िया लिपि है, क्या बताऊं। एक गर्वित सुन्दरी थी उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता का शोक करने में रंग जो ओठों में लगा था वह न बिगड़ सके इसलिए उसने शोक में कहा हे तात, हे तात। दंतव्य में ओंठ से ओंठ नहीं लगते हैं और इससे उसका सौंदर्य नहीं बिगड़ा। जिस भाषा में इस तरह से पिता का शोक प्रकट करने का सामर्थ्य है उसको हम क्यों छोड़ें। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। हम रोयेंगे माइ डियर फादर करके? ऐसा क्यों रोयें। जब अपने देश की इतनी समृद्ध भाषा है, इतनी समृद्ध लिपि है जिसमें सारे स्वर और व्यंजन हैं ओष्ठक, तालव्य, दंतव्य और क, ख, ग, घ, च, म... व्यंजन हैं, तमिल में कुछ कम हैं क न... बीच वाले नहीं हैं और इसलिए अगर मारन साहब को महात्मा गांधी नाम लिखना है तो जो केवल तमिल अक्षरों को पढ़ेगा वह महात्मा गांधी पढ़ेगा। वहां कांती और गांधी एक ही हैं। इतना होने के बाद भी भाषा में एक सौंदर्य है। ये जो भाषायें हैं वे खाने के लिए नहीं हैं। झगड़ा हिन्दी और प्राकृत भाषाओं का नहीं है और असल में इनका कोई झगड़ा है भी नहीं और इसलिए अनिवार्य रूप में हिन्दी को स्वीकार करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इससे न कन्नड़ जायेगी न तमिल जायेगी। इससे अपने सिर पर बैठी अंग्रेजी चली जाएगी। तमिलनाडु में जब 1967 में डी.एम.के. का राज था तो उस समय बड़ा जोरदार उत्साह था। लोग पढ़कर तमिल में एम.ए. हो गये लेकिन बाद में पता चला कि उनको तो पोस्टमैन की नौकरी नहीं मिलती तो अंग्रेजी चाहिये। जब तक अर्थ की प्रेरणा केवल भाषा (समय की घंटी) एक मिनट और यह होगा, ऐसी बात नहीं है। इसलिए मारन साहब को मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि सारे दक्षिण में हिन्दी का विरोध नहीं है। न कर्नाटक में है, न आन्ध्र में है और न केरल में है बल्कि वे इसको पढ़ना चाहते हैं। विरोध का इन्होंने नया झण्डा ऐसा खड़ा किया कि उसका रियेक्शन होने लगा। यह तो अंग्रेजी का विरोध है, यह बिल्कुल कहेंगे। किन्तु वहां कर्नाटक की सरकार ने निर्णय लिया कि प्राथमिक भाषा कन्नड़ होगी। इस बात को लेकर कर्नाटक के एक हिस्से में जहां 70%-80% तमिल भाषी रहते हैं वहां विरोध हो रहा है। यह तमिल भाषी अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहते हैं, कन्नड़ भी नहीं पढ़ना चाहते। वहां बेलगाम में जो मराठी हैं, कन्नड़ नहीं पढ़ना चाहते हैं। इतना ही नहीं मैं बताना चाहता हूं वेंकटसुब्बैया जी से मैं बता देना चाहता था जब बेल्लारी एकत्र था विजयनगर साम्राज्य में तेलुगु और कन्नड़ दोनों भाषाएं चलती थीं

किन्तु राज्य पुनर्गठन के बाद आज भी बेल्लारी में कन्नड़ आदमी तेलुगु नहीं सीखना चाहते। यह भाषा द्वेष क्यों है? कन्नड़ आदमी आसानी से तेलुगु सीख सकता है। तमिल आदमी आसानी से कन्नड़ सीख सकता है किन्तु जो यह भाषा के लिए द्वेष का वातावरण पैदा हो रहा है मैं उसके लिए सरकार को जिम्मेदार समझता हूं। यह बड़ी भारी असफलता 30–35 साल में रही है उन्होंने वातावरण तैयार नहीं किया जिस बात को लेकर स्वाधीनता के उपरांत स्वाभिमान से साधन मानकर सारे भारतवर्ष में हिन्दी पढ़ाई शुरू होती तो आज एक नयी पीढ़ी खड़ी होती। हिन्दी जानता है, तमिल जानता है, जो हिन्दी जानता है कन्नड़ जानता है। हिन्दी जानता है मलयालम जानता है, हिन्दी जानता है तेलुगु जानता है, मराठी जानता है तब यह गड़बड़ी नहीं होती। कहीं भी नहीं होती। They are facing the difficulties only the government is solely responsible.

30–35 साल में जिन्होंने कुछ नहीं किया इसलिए मैं आज प्रार्थना करना चाहता हूं कि 90 साल में यहां अंग्रेजी आई थी तो कम से कम 45 साल में अपने देश की भाषा जो है वह आएगी। इसलिए सदन के सामने जो विधेयक आया है मैं इसका विरोध करता हूं किन्तु साथ ही साथ यह भी मैं बताना चाहता हूं कि: Don't block the road for a Prime Minister from the South. आगे चल के देश का प्रधानमंत्री किसी को बनना है यदि उसको हिन्दी नहीं आएगी तो वह नहीं बन सकता है। मैं डी.एम.के. की बात समझ सकता हूं। What about AIADMK? It is All-India Anna D.M.K.

ऑल इंडिया अब हो जाता है तो फिर विरोध करके काम नहीं चलेगा फिर भारत की भाषा को स्वीकार करना पड़ेगा। सभी आचार्य जितने हैं उनका जिक्र किया गया।

They all came from South.

चाहे शंकराचार्य हों, चाहे रामानुजाचार्य हों, चाहे मध्वाचार्य हों

They all dominated the national scene. आज हम दक्षिण वाले ऐसा क्यों समझें कि हिन्दी नहीं आएगी। यह अपमान है। देश के दो टुकड़े मत करिये। यानी उत्तर में चलती है हम दक्षिण वाले क्यों। हम क्या अंग्रेज हैं। हमारा बाप भी अंग्रेजी नहीं जानता था। हम अंग्रेज नहीं हैं। Don't divide the country on the illusion of English. सारा भारत एक है। जब संस्कृत थी तब भी वहां संस्कृत बोलते नहीं थे, कुछ लोग बोलते थे किन्तु जो संपर्क भाषा के रूप में हम विकसित करना चाहते हैं इसलिए सरकार और जनता का इन दोनों में संवाद हो। सरकार वह वातावरण पैदा करे, सरकार अनुदान दे, सरकार इसकी उपेक्षा न करे और जिनको असल में कठिनाई है, रिमूव करने की कोशिश करें ताकि आगे चल के सभी की एक भाषा राजभाषा के रूप में हिन्दी हो। धन्यवाद।

ECONOMIC AND FINANCIAL ISSUES
आर्थिक और वित्तीय मामले

रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगें, 1972-73*

अध्यक्ष महोदय, सुरक्षा मंत्रालय की मांगों पर सदन में चर्चा चालू है। अभी हाल में पाकिस्तान के साथ जो संघर्ष हुआ और उसमें हमारी सेना ने बांग्लादेश को मुक्त करने की जो ऐतिहासिक कामगिरी करके दिखलाई, उसकी वजह से सारा देश उसका केवल विनम्र अभिवादन ही नहीं करता, बल्कि अभिमान और गौरव मन में धारण करता है। मैं भी अपनी ओर से अपने वीर जवानों को हार्दिक बधाई देता हूं और विशेषकर उन वीर जवानों के प्रति जिन्होंने वीरगति प्राप्त की, जिन्होंने भारत का नाम दुनिया में ऊंचा किया, मेरे मन में अपार श्रद्धा है।

वास्तव में जब से देश आजाद हुआ, एक भ्रम को लेकर हम आगे चले, वरना पिछले 24-25 सालों में जिस स्थिति का सामना करने में हमको कठिनाई आई, वह शायद न आती। अंग्रेजों का यहां से जाना और सत्ता संक्रमण–इसको हमने शान्ति और अहिंसा के साथ जोड़ा, वास्तव में परिस्थिति बिल्कुल विपरीत थी। जब सत्ता संक्रमण का निर्णय अंग्रेजों ने अपनी पार्लियामेंट में किया, उस समय के प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में इस बात को स्वीकार किया था कि अंग्रेज सत्ता क्यों दे रहा है? वह कोई हृदय परिवर्तन की वजह से सत्ता नहीं छोड़ रहा था, जिसके आधार पर अंग्रेजों की सत्ता, अंग्रेजों की ताकत चलती थी, बल्कि वह लड़खड़ा गई थी। देश के अन्दर जब कई आन्दोलन चले और आखरी तमाचा हमारे देशभक्त सुभाष चन्द्र बोस ने आजाद हिन्द फौज बनाकर कर दिया, उसकी वजह से उनको अनुभव हो गया कि Indian army is no longer loyal to us. उन्होंने साफ शब्दों में बतलाया कि जिसकी वजह से वे अपनी सारी सत्ता को मजबूत करते थे जब वही ढुलमुल हो गई तो उन्होंने समझ लिया कि अब इसको आगे चलाना इतना आसान नहीं है। एक दूसरी बात उन्होंने यह भी कही कि इस दूसरे महायुद्ध के बाद भारत जैसे बड़े देश को अब जकड़ कर रखना इंग्लैंड के काबू के बाहर की बात है। यदि इस बात को ठीक ढंग से समझ लेते तो जिस शान्ति की बात को लेकर हमने अपनी सारी नीति तय की, वह इतनी एकांगी नहीं होती। यह बात सही है कि भारत शान्तिप्रिय है और आजाद होने के बाद यदि सबसे बड़ा लक्ष्य हमारा कोई रहा है तो शान्ति का रहा है–इसमें कोई गलती नहीं है। किन्तु जब तक शान्ति सामर्थ्य के बलबूते पर खड़ी नहीं होती, तब तक शान्ति दुनिया में सम्मानित नहीं होती। वास्तव में देश का विभाजन–हमारे लिये सबसे बड़े आह्वान के रूप में हमारे सामने खड़ा था। उससे ही देश को मजबूत करने की बात को लेकर ही हमको आगे जाना पड़ा। किन्तु मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि सावधानी और सतर्कता की दृष्टि से हमने दुनिया की ओर नहीं देखा। हमने सोचा कि दुनिया में शान्ति पैदा करना ही हमारा काम है। इसीलिये चीन

* उपरोक्त विषय पर चर्चा में भाग लेते हुए।
लोक सभा वाद विवाद, 2 मई 1972, cc 330-40।

को साथ लाने, एशिया में जो नये-नये देश पैदा हुए उनको भी साथ में लाना, इसी विचार को लेकर हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू जी ने काफी काम किया। उनका यह कांट्रीब्यूशन है कि उन्होंने वांडुंग की रचना करके, सबको वहां इकट्ठा करके पंचशील का उद्घोष करके चीन को साथ में लाने की कोशिश की। किन्तु यदि हम थोड़ा सा दुनिया को समझते तो ठीक रहता। जैसे मेरे वकील मित्र इस बात को मान लेते हैं कि न्यायालय में ऐसा कहना पड़ता है:-

Everybody must be taken to be a gentleman unless he is proved to be otherwise.

किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार का जहां तक सम्बन्ध है इसके अर्थ को भिन्न दृष्टिकोण से लेकर चलना पड़ता है:

Everybody must be taken to be a scoundrel unless he is proved to be otherwise.

*** *** ***

यह हमने छोड़ दिया, इसीलिये दुनिया को मित्र कहा, मित्र समझने की कोशिश की, साथ लेने की कोशिश की, शान्ति का उद्घोष किया, किन्तु वास्तविकता यह निकली कि हमारे ऊपर ही आक्रमण हुआ, हमारे मित्र कहलाने वाले मित्रों ने ही हमला किया और आज तक उस आक्रमण के शिकार से पूरे बाहर नहीं निकले। 1948 में हमें एक छोटा-सा धक्का लगा, किन्तु 1962 में बड़े पैमाने पर धक्का लगा और जैसा इस रिपोर्ट में स्वीकार भी किया गया है कि 1962 के आक्रमण के उपरान्त रक्षा व्यय में एकदम काफी खर्च करना शुरू किया, जो पहले लगभग 260 करोड़ रुपये था, वही अब एकदम बढ़कर 800 करोड़ रुपये से 1400 करोड़ तक पहुंच गया। सुरक्षा की ओर हमारा ध्यान जरूर गया, किन्तु हमको यह देखना चाहिये था कि आज जो हमारे सुरक्षा के साधन तय होते हैं, ये सुरक्षा के साधन शत्रु सामने कौन है, इस पर निर्भर रहता है, उससे निश्चित होता है। यहां पर जो भी चर्चा चली, मैंने उसमें यह देखा कि अणु-अस्त्र साधन बनाने के बारे में काफी मतभेद हैं। हमारा शत्रु केवल पाकिस्तान ही रहता तो शायद इसको कुछ दिन के लिये और छोड़ देते, किन्तु आज अकेला पाकिस्तान ही हमारा शत्रु नहीं है, पाकिस्तान के साथ चीन भी हमारा शत्रु है और पाकिस्तान के जो मित्र हैं, वे भी अणु-अस्त्र सम्पन्न हैं और वे मित्र भी कैसे हैं-

अभी हाल में वियतनाम में जो युद्ध हो रहा है, उससे पता लग जाता है कि पाकिस्तान के मित्र कितने अनस्क्रुपुलस हो सकते हैं। खुद की साख बढ़ाने के लिये या दुनिया पर प्रभाव जमाने के लिये, आज डायरैक्ट डॉमिनेशन के दिन तो चले गये, किन्तु किसी न किसी माध्यम से अपना प्रभाव जमाये रखना यह आज भी चालू है। इसलिए जहां तक चीन का सवाल है, यह बात समझ में नहीं आती कि 1962 के बाद 1972 तक हम पहुंच गए किन्तु इतना होने के बाद भी हम अणु शस्त्रों के निर्माण के बारे में कोई निर्णय तक नहीं पहुंचे। 1965 के दिनों में, जैसाकि रक्षा मंत्रालय ने स्वीकार किया कि हमारे मित्र कहलाने वालों ने, जो एक समझौता

था, एग्रीमेन्ट था, उसको तोड़ करके हमको साहित्य देना नामूंजर कर दिया और तब हम वास्तव में धरातल पर आकर खड़े हो गए। दो नारे यहां पर प्रचलित हो गए—जय जवान, जय किसान। आखिर आगे चलकर हमारे देश की सुरक्षा करनी है तो हमारे बलबूते पर ही हमको करनी पड़ेगी, खुद के पैरों पर खड़े होकर हमको करनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, अनाज के मामले में भी आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। इस बात को लेकर यह सारा हुआ था। मुझे खुशी है कि उस समय के हमारे अणु शास्त्री डॉ. भाभा ने इस बात को स्वीकार करते हुए कहा था कि जिस क्षमता का अणु बम हिरोशिमा और नागासाकी में फटा था उस क्षमता का अणु बम हम भी बना सकते हैं लेकिन हमको उसे बनाने की आज्ञा मिले तभी हम कर सकते हैं। किन्तु उस दृष्टि से हम आगे नहीं बढ़े। हमको लगने लगा कि यह कोई महाभयंकर चीज है। आज रूस के पास अणु-शस्त्र हैं, अमरीका के पास हैं, चीन के पास हैं, फ्रान्स के पास हैं। आज देश को अणु-शस्त्र साधन सम्पन्न बनाना केवल सुरक्षा की दृष्टि से ही नहीं है बल्कि एक सम्मान का साधन भी देना है। Not only a symbol of status. आज अपना देश कोई छोटा है? नहीं, नहीं।....आपको जरूर लगेगा किन्तु आप जिनकी हिमायत करते हैं, रूस को ऐसा नहीं लगता, अमरीका को ऐसा नहीं लगता।.....

*** *** ***

ऐसे ही क्यूबा के मामलें में जब तनातनी बहुत हो गई उस समय किसी ने मॉस्को से यह बात कहीं : After all the American tiger is nothing but a paper tiger. तो उसको रूसी नेताओं ने जवाब दिया Yes, it is a paper tiger, but with nuclear teeth. तो सवाल वहां आकर खड़ा हो जाता है जब ताकत के अन्दर संतुलन होता है, तभी शांति पैदा होती है। दुनिया में कमजोर होना दुनिया को अपने पर आक्रमण करने के लिए आह्वान देना है। जो खुद कमजोर रहे और दुनिया को दोष दे यह बात नहीं हो सकती है। इसलिए सामने शत्रु कौन खड़ा है उस पर निर्भर करता है कि हमें अपने हाथ में कौन-सा साधन चाहिए। सामने शत्रु कुत्ता है तो लकड़ी से काम चलेगा किन्तु अगर शत्रु शेर है तो लकड़ी से काम नहीं चलेगा। बल्कि उसके लिए बन्दूक की जरूरत पड़ेगी। हमारे सामने अगर मामूली पाकिस्तान जैसा शत्रु होता तो हम समझते किन्तु हमारे सामने चीन जैसा शत्रु है और सन् 1962 से लगातार हमारे बारे में जो उसकी भावना है उसमें कोई अन्तर नहीं आया है। बीच में हमारे स्वर्ण सिंह जी को ऐसा लगा था कि पिंग-पांग डिप्लोमेसी की वजह से शायद आगे सम्बन्ध सुधरेंगे किन्तु वास्तव में हमें कोई ऐसी ग्राउण्ड नहीं लगी जिनसे यह आभास हो कि चीन से हमारे सम्बन्ध सुधरेंगे। यह सम्बन्ध तभी सुधर सकते हैं जब एशिया में नये-नये जो स्वतंत्रता प्राप्त देश हैं उनके साथ हमारे सम्बन्ध कैसे रहेंगे क्योंकि एक न एक गुट में प्रभाव जमाने की कोशिश दुनिया में हमेशा चलती है, उसमें हम पीछे न पड़ें। इसलिए आज भी हाल में पाकिस्तान के साथ जो कुछ भी हुआ, पाकिस्तान टूट गया, उसकी ताकत घट गई है किन्तु इतनी मात्रा में नहीं घट गई है कि हम उसको अपना मित्र बनाकर शांति के साथ खड़ा कर सकें। ऐसी स्थिति अभी नहीं आई है। अभी हाल में हमारा दूत जब पाकिस्तान से वापिस आये तो पूछने पर वह भी कहते हैं कॉशियस आप्टिमिज्म। वैसे तो पाकिस्तान को मार

देने के बाद अखबार में जो निकला था, संभवत: हमारे रक्षा मंत्री जी ने कहा था कि ऐसी मार दी है पाकिस्तान को कि आगे चलकर हजार साल तक पाकिस्तान लड़ने का विचार नहीं करेगा–यह कहां तक सत्य है मुझे मालूम नहीं किन्तु अखबार में आया था लेकिन पाकिस्तान के जो नेता हैं श्री भुट्टो, वे बार-बार कहते हैं कि मैं इस एशिया में सबसे बढ़िया आर्मी बनाऊंगा। दो डिवीजन्स उन्होंने बनाई हैं। किन्तु उनके पीछे जो उनके मित्र हैं वे यह नहीं चाहते कि भारत बड़ा बनकर खड़ा हो। इसलिए जानबूझकर पाकिस्तान को उकसा कर और लगातार भारत को तनाव की स्थिति में रखना, यह उसके लिए अच्छा रहता है। इस बात को हम नजरअन्दाज नहीं कर सकते हैं।

एक गलती जो हमने ताशकन्द में की है वह गलती अब नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बिल्कुल शान्ति स्थापित हो लेकिन वह पैदा तभी हो सकती है जबकि 1947 में बनी जम्मू-कश्मीर की समग्र सीमा-रेखा से पाकिस्तान बाहर चला जाये और कच्छ की हमारी भूमि को भी छोड़ दे और आगे चलकर हमारे मन में यह विश्वास पैदा हो सके कि पाकिस्तान हमारे साथ मित्र बनकर रहेगा। तो ताशकन्द में हमने यह गलती की थी लेकिन हमारे जवानों ने कभी भी हमको धोखा नहीं दिया। 1948 में कठिन परिस्थिति होने के बावजूद हवाई जहाज से जाकर श्रीनगर से बारामूला तक जो पाकिस्तानी आर्मी खड़ी थी उसको खदेड़ने में भी वे पीछे नहीं रहे। हमारे जवानों पर हमें बड़ा गर्व है। विपरीत परिस्थिति में घटिया दर्जे के साधन होने के बाद भी उसके पराक्रम में कोई कसर नहीं रही। उन्होंने हमेशा ही भारत का नाम ऊंचा रखा है लेकिन अब हमारी बारी आती है। लड़ाई के मैदान में वे जो जीतते हैं उसको हम टेबल पर बैठ कर शान्ति के नाम पर गंवायें, यह बात अब शोभा नहीं देगी। एक बार ताशकन्द में यह हुआ है लेकिन हम नहीं समझते कि आगे चलकर यह होगा। लेकिन अभी जो हुआ है, दूत के स्तर पर जो बातचीत हुई है, मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे पत्र प्रतिनिधि उनके साथ क्यों नहीं गए? उनको वहां जाने से क्यों रोका गया? यहां तो प्रजातंत्र है, यहां तो खुले रूप में सब चलता है। दुनियाभर के पत्रकार वहां उपस्थित रहे लेकिन हमारे पत्रकारों पर रोक लगे तो क्यों? वहां क्या चलता है उसका हमको पता न लगे, आखिर क्या बात है समझ में नहीं आती? आखिर यह सारा जो होने वाला है उसको छिपाने की कोशिश क्यों है? जब खुले रूप में सभी पत्रकार वहां पर उपस्थित हो सकते हैं तो हमारे पत्रकार वहां क्यों नहीं गए यह बात समझ में नहीं आती। एक मामूली-सा एजेन्डा तैयार करने के लिए वार्ता करने के लिए हमने दूत क्यों भेजा यह बात भी समझ में नहीं आती है। आज हमें पाकिस्तान के साथ अपने पिछले 24-25 साल के वादों का निपटारा एक साथ करना होगा। हमने पीसमील करने की कोशिश बान्दुंग में की थी लेकिन उसका हमें कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए इस बात को समझकर हमें चलना चाहिए।

आज भारत की ओर बड़ी आशा भरी नजरों से एशिया के देश देख रहे हैं। बांग्लादेश की मुक्ति का काम बड़ा ऐतिहासिक रहा है और उसकी वजह से नयी आशायें जरूर बंधी हैं। पिछले मामलों में कुछ गलती की होगी किन्तु आज जो नयी आशा बंधी है उसके अनुकूल हम करने की कोशिश करें यह आवश्यक है। इस समय भारत की सेना को अत्याधुनिक बनाना, अणु-शस्त्र

साधन सम्पन्न करना और बड़ा भारी समुद्री किनारा होने की वजह से केवल एक ही आईएनएस विक्रान्त ऐयरक्राफ्ट कैरियर से काम नहीं चलेगा और साधारण पनडुब्बियों से काम नहीं चलेगा, 1965 के पहले डॉ. भाभा ने भी कहा था कि अणु-शक्ति चालित सबमेरीन्स हमें चाहिए–इस प्रकार की अत्याधुनिक सेना बनाना हमारे लिए आवश्यक है। किन्तु जब हम यह बात कहते हैं तो एकदम कुछ लोग यह कहने लगते हैं कि डिफेन्स और डेवलपमेंट साथ-साथ कैसे चलेंगे। प्रकृति ने जो मानव को बनाया है उसे दोनों बातों को ध्यान में रखकर बनाया है। यह हाथ जो है वह रक्षा का साधन भी है और विकास का साधन भी है। यानि डिफेन्स और डेवलपमेंट दोनों साथ-साथ चलते हैं। इतना ही नहीं, जब आदमी कोई विकास करता है तो उसकी सुरक्षा की तैयारी भी करता है। घर बनवाता है तो दरवाजा भी बनवाता है, दरवाजा बनवाता है तो ताला भी बनवाता है। हमारे पुराने शास्त्रकारों ने कहा है–भार्या रूपवती शत्रु। भार्या रूपवती हो तो कई लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। सुन्दर भार्या को सुरक्षित रखना भी आवश्यक होता है। जिनके भार्या ही न हो तो वह बात अलग है।

इसलिए यदि देश में विकास भी करना है तो देश की सुरक्षा का प्रबन्ध भी करना है। यह दोनों बातें साथ-साथ चल सकती हैं। इस दृष्टि से अणु-शस्त्र साधन सम्पन्न बनाना आवश्यक है और लम्बे समुद्री किनारे की दृष्टि से अण्डमान, निकोबार, लक्षद्वीप, अमीनदीव, मिनीकाय में आगे चलकर प्रभावी सैनिक अड्डे बनाने पड़ेंगे क्योंकि हिन्द महासागर में किसका प्रभाव रहे इसकी होड़ लगी हुई है, अमरीका का, रूस का या चीन का रहे किन्तु यह हमारा है इसलिए हमारा प्रभाव यहां रहना अत्यन्त स्वाभाविक है। उसी दृष्टि से भारत आगे पांव रखेगा यह हम चाहते हैं।

अब दूसरी बात यह है कि यह जो हमारी सारी सुरक्षा की रचना है वह पुराने जमाने में जैसी थी वैसी ही चल रही है। पुराने जमाने में तो कमान्डर-इन-चीफ रहता था किन्तु आज संविधान के अनुसार हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को सुप्रीम कमान्डर बना दिया है। किन्तु ये तीनों सेनायें जो हैं–थल, नेवल और हवाई—इन तीनों को साथ में लेकर समन्वय करने वाले की कमी महसूस होती है। अभी संघर्ष के दिनों में तीनों सेनाओं का समन्वय इतना सुन्दर रहा जिसकी वजह से ही हम ढाका बहुत जल्दी पहुंच गए और पाकिस्तान की सारी हवाई शक्ति को समाप्त कर सके। शान्ति के साथ यानी जिस समय कोई इमर्जेन्सी नहीं रहेगी, उस समय भी ये तीनों सेना के जो हाथ होंगे वह साथ-साथ चलें और उसका विचार करने वाला कोई एक हो, अर्थात् डिफेंस चीफ ऑफ स्टाफ हो, जो कि आज तक नहीं है। अब सब के उर में यह अनुभूति होने लगी है, आप की सेना के जो पुराने निवृत्त सेनाधिकारी हैं वह अपने लेख लिख-लिख कर यह भावना प्रकट करने लगे हैं। तो मैं समझता हूं कि इसके बारे में विचार हो। एक बार चीफ ऑफ स्टाफ के बारे में विचार हुआ है। तो आगे चलकर यहां अपने जो प्रमुख रक्षा मंत्री होंगे उनको सब बातों पर वह सलाह मश्विरा दे सकता है और रक्षा मंत्री जो भी सलाह उससे चाहें मांग सकते हैं और समग्र सेना के तीनों हाथ ठीक ढंग से चलें, यह भी हो सकता है। साथ-साथ वह यदि ऐक्स-अफिशियो मेम्बर के नाते प्लानिंग कमीशन की मीटिंग में भी जाये तो अच्छा

रहेगा, क्योंकि जो योजना चलती है उसमें सुरक्षा की दृष्टि से भी योजना का कोई काम होता है कि नहीं उसको भी वह देखे। आज नव अस्त्र साधन या केवल देश को सुरक्षा देने में ही नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना काम बढ़ जायेगा, कामयाब बन जायेगा उतना ही पढ़े-लिखे लोगों को काम देने में भी उसका उपयोग हो जाएगा। देश को सुरक्षित रखना, यह भी साथ-साथ हो जायेगा इसलिये जो कैबिनेट की डिफेंस कमेटी होती है उसमें ही वह हाजिर न रहे बल्कि प्लानिंग कमेटी में भी हाजिर रहे ताकि सुरक्षा की दृष्टि से योजना के अन्तर्गत क्या-क्या हो सकता है उसके बारे में वह कुछ सलाह दे सकता है।

इसके अलावा आज जो योजना है उसमें आई.ए.एस. अधिकारी वहां पोस्ट किये जाते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि ऐग्रीकल्चर में काम करने वाला या फैमिली प्लानिंग में या इन्फोर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग में काम करने वाला आदमी वहां रखा जाता है। तो जैसे आई.ए.एस. और आई.एफ.एस. होता है, वैसे ही आप आल इंडिया डिफेंस सर्विस शुरू करें और उसमें सीधे आदमियों को लें ताकि उनकी जो स्पेशेलाइज्ड नालेज है, ज्ञान है, उसका उपयोग हो सके। इस दृष्टि से विचार होना आज आवश्यक है।

एक और बात है कि जो इमर्जेन्सी कमीशन्ड अफसर हैं जोकि जान हथेली पर लेकर लड़ने जाते हैं, उनको जब मुक्त किया गया तो कुछ लोगों को तो, जो स्थान उनके लिये सुरक्षित रखे गये थे, वह स्थान मिल गये और कुछ लोगों का कम्पीटीशन में जाकर चुनाव हो गया। लेकिन जो व्यवहारिक कठिनाई है वह यह है कि जिनके लिये स्थान रखे गये थे उन पर जिनको लिया गया उनको तो ये और सीनियोरिटी का लाभ हुआ है, लेकिन जो कम्पीटीशन द्वारा लिये गये उनको बिल्कुल न्यू ऐन्ट्रेन्ट्स मान कर ट्रीट किया गया जिसके कारण उनको सीनियोरिटी का लाभ नहीं हुआ है। तो यह जो एक थोड़ा-सा मतभेद वहां पैदा हुआ है उसको दूर करने की दृष्टि से कुछ उपाय किये जायें।

मैंने यू.पी.एस.सी. की रिपोर्ट पर विचार के समय कहा था और आज पुनः रक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि कई ऐसे सैनिक हैं जो निवृत्त होने के उपरान्त गांव में जाकर खेती करना चाहते हैं किन्तु उनको अपनी खुद की खेती नहीं मिलती है, सरकार की जो परती जमीन पड़ी है वह भी उनको नहीं मिलती है। इसलिये उस दृष्टि से भी ध्यान देना चाहिये। जब तक यह सारा मामला चलता है संघर्ष का तब तक जवानों के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। किन्तु उसके बाद जब इधर-उधर घूमते समय जो भी जवान मिलते हैं, या अफसर मिलते हैं उनको ऐसा पता लगता है कि उनकी अकामोडेशन का सवाल है, उनके लड़के बच्चों की पढ़ाई का सवाल है, इधर-उधर उनका ट्रांसफर किया जाता है, सब जगह सैन्ट्रल स्कूल नहीं है, जिसकी वहज से उनको दो ऐस्टेबलिशमेंट्स रखने पड़ते हैं वैसे ही पहले उनकी तनख्वाहें बहुत कम हैं और सेना भर में जो असंतोष है, एक छोटे से सिपाही से लेकर बड़े अफसर तक, यह कैसे निकाला जाये इसको भी देखना बहुत आवश्यक है।

एक बार जब यहां सवाल आया था कि सिविल एविएशन में जो पायलट होता है और जो सेना का फ्लाइट लेफ्टीनेंट होता है इन दोनों की तनख्वाह में बड़ा अन्तर है इसको दूर करना

केवल यह कहने से नहीं होगा कि आफटर आल सिविल एविएशन कमर्शियल होता है, इस वजह से वह कमाते हैं और हम देते भी हैं और मिलिट्री में कोई कमाने वाली बात नहीं होती समझ में नहीं आता कि जब दोनों ही एक-सा काम करते हैं और वह भी जान खतरे में डाल कर करते हैं, तो फिर उनके मन में यह भावना पैदा होना स्वाभाविक है कि हमारे साथ न्याय नहीं किया जाता है। अब मिलिट्री वाले स्ट्राइक नहीं कर सकते, किन्तु उनके मन में कोई असंतोष रहे यह बात ठीक नहीं है। इसलिये मैं रक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि उनके बारे में विशेष ध्यान देकर उनकी तनख्वाह और सेवा की शर्तें ऐसी करें जिससे अच्छे लोग वहां पर आयें। यदि देश को शान्ति के साथ सुरक्षित रखना है, दुनिया में देश को सम्मानित रखना है तो अत्याधुनिक साधन सम्पन्न अपनी सेना को करने की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाये।

अनुदानों की मांगे (रेल), 1972-73*

सभापति महोदय, रेलवे की मांगों के अनुदानों पर सदन में चर्चा हो रही है। अभी मेरे मित्र ने विभाजन पूर्व की परिस्थिति का उल्लेख किया किन्तु अंग्रेजों के जमाने में रेलवे का जो लक्ष्य था और हमारे सामने जो लक्ष्य उसमें काफी अन्तर है। अंग्रेजों के सामने प्रमुख रूप से केवल दो बातें थीं। एक तो भारत जैसे विशाल देश में एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचना, कहीं गड़बड़ वगैरह हो तो शांति व्यवस्था के निर्माण के लिए सेना को इधर से उधर शीघ्र गति से पहुंचाना–इसी उद्देश्य से उन्होंने रेलों का निर्माण और उपयोग किया। दूसरा, उनके सामने लक्ष्य था भारत की जितनी कच्ची सामग्री है उसको बाहर भेजने के लिए बंदरगाह से बंदरगाह तक जोड़ना जैसे कि मछलीपटनम् से मार्गोवा तक हम देख सकते हैं। किन्तु जैसे ही वे चले गए, देश में आजादी आई तो देश के अन्तर्गत योजनाबद्ध तरीके से जो विकास होना चाहिए था वह, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है, नहीं हुआ है। हमारे सामने प्रमुख रूप से तीन लक्ष्य थे–सुरक्षा, समृद्धि और सुविधा। रेलवे को इन तीनों कामों में हाथ बंटाना है।

जहां तक सुरक्षा का सवाल है देश का विभाजन होने की वजह से देश का जो ऊपरी हिस्सा है, मेरे मित्र ने जम्मू-कश्मीर का उल्लेख किया, जम्मू पहले सियालकोट से जोड़ा गया था किन्तु आज 25 साल हो गए, कश्मीर की समस्या कितनी जटिल है हम जानते हैं, बार-बार वहां पर हमले होते हैं, अभी-अभी टिथवाल में हमला हुआ है किन्तु इतना सब होने के बाद भी सेना पहुंचाने की दृष्टि से जिस द्रुत गति से पठानकोट से जम्मू का रास्ता बनना चाहिए था वह अभी तक भी ठीक नहीं है। जम्मू से माधोपुर जोड़ने का कुछ काम चालू है। किन्तु पठानकोट से जम्मू जोड़ने का काम, जो कि एक प्रमुख भाग है, 25 साल में भी नहीं हुआ। यदि हम योजनाबद्ध विकास कर लेते तो 25 साल के अन्तर्गत यह हो जाता।

इसी प्रकार 1962 में चीन का हमला हुआ और हमको पता चला कि असम एक सेंसिटिव भाग बन गया है। असम को जोड़ने वाला लिंक एक ही था। बीच में अब हमारा मित्र बांग्लादेश पैदा हुआ जिसकी वजह से हमें कई सुविधायें प्राप्त हो जायेंगी किन्तु पहले एक ही लाइन थी। लगातार हम मांग करते आये कि वहां पर डबल लाइन हो, ब्रॉडगेज हो, जितनी जल्दी हम उसको प्राथमिकता देकर कर सकें उतना अच्छा है किन्तु वह नहीं हुआ। इसी प्रकार से गुजरात है, राजस्थान है। देश का नक्शा यदि रेलों की दृष्टि से देखा जाये तो अजीब बात दिखाई देती है। देश के सारे कोने मीटरगेज से भरे हुए हैं और देश के बीच का जो हिस्सा है वह ब्रॉडगेज है,

* उपरोक्त विषय पर चर्चा में भाग लेते हुए।
लोक सभा वाद विवाद, 18 मई, 1972, cc 298-305।

चाहे आप दक्षिण में जायें। पूर्व में जायें या उत्तर में जायें। इस प्रकार की सुरक्षा की दृष्टि से जितना यह आवश्यक है उतना ही जैसा मैंने कहा समृद्धि के मामले में भी रेलें काफी हाथ बटा सकती हैं। औद्योगिक दृष्टि से देश में जो आर्थिक असन्तुलन दिखाई देता है उसमें रेलों का एक गेज न होना एक बहुत बड़ा कारण है। जहां-जहां पर ब्राडगेज की सुविधा है वहां पर उद्योग खड़े हैं। तो यदि एक योजनाबद्ध तरीके से हम अपना लक्ष्य बनाते तो सफल हो सकते थे। अंग्रेजों ने तो जैसा चाहा रेलें बनाईं। कहीं बाम्बे-बड़ौदा सैन्ट्रल इंडिया रेलवे हो गई, कहीं सदर्न मराठा रेलवे हो गई और कहीं ग्रेट इंडियन पेनिन्सुला रेलवे हो गई। किन्तु अंग्रेजों के चले जाने के बाद आप एक ठोस कल्पना करते कि समग्र देश में एक ही गेज हो तो 25 सालों में यह हो जाता। तीन योजनाओं में 3 हजार करोड़ रुपया खर्च किया है किन्तु समग्र देश में एक गेज नहीं बनी, सुरक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और समृद्धि का लक्ष्य नहीं देखा। स्वयं मंत्री महोदय इस बात को स्वीकार करेंगे कि मैंगलूर बन्दरगाह जो है, पोर्ट बनाने की दृष्टि से उसकी तैयारी हो रही है, किन्तु मैंगलूर बन्दरगाह पर आयरन और मैंग्नीज कुदरेमुख प्रोजेक्ट से आयेगा और वहां से मैंगलूर को जोड़ने के लिए रेलवे लाइन नहीं है। कुदरेमुख प्रोजेक्ट में तो उसका एक्स्प्लॉयटेशन हो जायेगा किन्तु वह वहां तक पहुंचे कैसे यह सवाल है? इसी प्रकार से कांडला नया बन्दरगाह बन गया लेकिन यहां मीटरगेज है। जो माल वहां आता है उसको द्रुतगति से ले जाने की भी वहां कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि विकास की दृष्टि से जो होना चाहिए था उसकी ओर रेलवे ने ध्यान नहीं दिया। उस तरफ रेलवे को जरूर ध्यान देना चाहिये। मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय ने इस बात को स्वीकार करके आश्वासन भी जरूर दिया है कि आगे चलकर के देश भर में एक ही गेज होगी, ब्रॉडगेज बनेगी मैंने एक प्रश्न किया था तो मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि everything has been included in perspective plan उस पर्सपैक्टिव प्लान में देश की सुरक्षा और समृद्धि दोनों की ओर हम ध्यान दें।

तीसरी महत्व की बात है सुविधा। रेलें जनता की सुविधा के लिये हैं, और जनता की सुविधा के लिये यदि हम कुछ करना चाहते तो जरूर कर सकते। जब से नये मंत्री महोदय, श्री हनुमन्तैया आये हैं, एक बात जरूर हुई है, और वह यह कि रेलें ठीक समय पर चलने लगी हैं। इससे यही पता चलता है कि यदि हमने तय किया कि कोई चीज होनी चाहिये तो हो सकती है। मैं अपने अनुभव से बताता हूं, मेरे बड़े भाई रेलवे में काम करते हैं उन्होंने कहा कि बम्बई-भूसावल पैसेन्जर, जो पहले कभी समय पर नहीं पहुंचती थी, आज कल समय पर पहुंचने लगी है। पहले सदा तीन, चार घंटा लेट पहुंचा करती थी, क्योंकि पैसेन्जर गाड़ी थी, ऑर्फन चाइल्ड की तरह थी। लेकिन आज कल वह भी समय पर पहुंचती है। इससे क्या स्पष्ट होता है? यदि हम यह तय कर लें कि कोई चीज होनी चाहिये तो हो सकती है।

पिलफरेज का जहां तक प्रश्न है, माननीय रामवतार शास्त्री जी चले गये, यह यार्डों में बहुत बड़े पैमाने पर होता है। इसका एक कारण यह है कि जब गाड़ियां यार्डों में ट्रांशिपमेंट के लिये खड़ी रहती हैं तभी चोरियां होती हैं। यदि देश भर में एक गेज हो तो ट्रांशिपमेंट का सवाल ही नहीं आता। मुगलसराय जैसे बड़े यार्डों में जो गाड़ियां खड़ी रहती हैं वहां उनमें चोरियां होती हैं। वहां लोग वही कहते हैं कि यहां पर कोई कोयला नहीं खरीदता चाहे घर हो, दुकान हो, होटल

हो, कोई भी कोयला नहीं खरीदता। एक जगह तो यहां तक बताया गया कि कपड़ा भी मिल जाता है चोरी का और काजू भी मिला। तो नेशनल केरेक्टर का सवाल आकर खड़ा हो जाता है कि क्या देश में यही हवा चलेगी कि मुफ्त में मिलने से ही काम चलना चाहिये? चोरी शर्म का सवाल है। इसलिये राष्ट्रीय चरित्र की दृष्टि से हमको कुछ करना पड़ेगा।

एक सवाल मैंने इसी सत्र में किया था कि रेलवे में कितनी चोरियां हुईं, कितने लोग पकड़े गये, और उनमें कौन-कौन लोग हैं। 1970, 1971 में कितनी चोरियां हुईं। जो उत्तर मिला उससे स्पष्ट हुआ कि चोरियों की संख्या बढ़ गयी है, चोरी करने वालों में सुरक्षा दल के लोग भी हैं, उनकी संख्या बढ़ी है। रेलवे के अन्य कर्मचारियों की भी संख्या चोरी करने में बढ़ी है। जिन लोगों को सुरक्षा के लिये रखा गया है वे स्वयं चोरियों में सम्मिलित होते हैं। सुरक्षा दल के कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ गयी है, घटी नहीं है। जिनको सुरक्षा दल में सुरक्षा के लिये रखा जाता है, उन्हीं की तादाद चोरी करने में बढ़ गयी। तो पिलफरेज बढ़ेगा ही। इसलिये चोरियों को कम करने का एक ही इलाज है देश में एक ही गेज होनी चाहिये। एक कोने से दूसरे कोने तक एक ही गेज हो जिससे 80 प्रतिशत चोरियां कम हो जायेंगी। यार्डों के अन्दर में बहुत बड़ी मात्रा में चोरियां कम हो जायेंगी।

दूसरी बात यह है कि इन चोरियों की वजह से रेलवे को जो भुगतान करना पड़ता है यह भी सालों-साल बढ़ता है, घटता नहीं है। और यह बोझा सामान्य आदमी पर आता है। रेल के किरायों को बढ़ाकर यह किया जाता है और इसकी पूर्ति करने की कोशिश की जाती है।

पैसेंजर ट्रैफिक से रेलवे को लाभ नहीं होता, बल्कि गुड्स ट्रैफिक से होता है। उसमें भी कमियां आने लगती हैं और इसलिये आती हैं कि लोगों को लगता है कि हमारा माल सुरक्षित नहीं पहुंचता। इसलिये लोग अपना माल ट्रकों से अधिक भेजते हैं, जबकि ट्रक से माल भेजना महंगा पड़ता है। इसलिये रेल विभाग को सोचना चाहिये कि जब व्यक्ति का माल रेलवे सस्ता पहुंचाता है, फिर भी ट्रक से लोग क्यों अपना माल भेजते हैं? कारण स्पष्ट है कि लोगों का माल रेल द्वारा सुरक्षित नहीं पहुंचता। यदि उनको यह अनुभव हो जाये कि उनका माल सुरक्षित पहुंचता है तो वह रेलवे की तरफ आयेंगे।

सरकार यह सोचती है कि अपना जितना पंजा फैला दिया जाये उतना ही अच्छा है। लोग रेल से अपना माल नहीं भेजते हैं, बल्कि ट्रक से भेजते हैं तो सरकार सोचती है कि ट्रकों को अपने हाथ में ले लें। यानि एक गलती से दूसरी गलती आप करते जाते हैं। वास्तव में गलती कहां हुई है उसको नहीं सुधारते। सम्पूर्ण देश में एक गेज का होना अति आवश्यक है, और तभी चोरियां रुकेंगी और लोगों में विश्वास पैदा होगा कि उनका माल सुरक्षित पहुंचेगा। रेलों के अन्दर जो चोरियां होती हैं इनको यदि हम ठीक कर सकें तो रेलवे को जो घाटा होता है वह कम हो जायेगा।

तीसरी बात यह है कि माननीय नन्दा जी जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने 11 सूत्री प्रोग्राम दिया था फ्यूल की फिजूलखर्ची के बारे में, उसमें कोयले की फिजूलखर्ची बहुत बड़ी मात्रा में है।

तो यह जो फिजूलखर्ची रोकने की दृष्टि से उन्होंने कार्यक्रम दिया था, उसके बारे में मैंने एक प्रश्न किया था कि उसके ऊपर अमल हुआ है या नहीं क्योंकि उससे पता चलता है कि फिजूलखर्ची रोकने से काफी लाभ हुआ है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह जो फ्यूल की फिजूलखर्ची है, इसकी ओर और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।

अब क्योंकि मैं समाप्त करने वाला हूं, इसलिए यात्रियों को सुविधाएं देने के संबंध में एक बात और कहना चाहता हूं। अब नई राजधानी एक्सप्रेस शुरू हो गई है। पुरानी तो कलकत्ता तक जाती ही थी। अब नई राजधानी एक्सप्रेस बड़ी तीव्र गति से, बड़ी तेज गति से जाने लगी है, किन्तु मैंने जो सुविधा देने की बात कही थी वह तीसरे दर्जे के यात्रियों को सुविधा देने की बात कही थी, जिन पर ज्यादा भार पड़ता है और लगातार जब से मैं लोक सभा में चुनकर आया हूं यही मांग करता रहा हूं कि बम्बई से भुसावल और भोपाल होती हुई जनता एक्सप्रेस गाड़ी चलाई जाये। अब मैं यह देख रहा हूं कि हफ्ते में पांच बार डिलक्स और एयर-कन्डीशंड गाड़ियां चलाई जा रही हैं। बम्बई से भोपाल होते हुए दिल्ली के लिए गाड़ी क्यों नहीं चलाई जाती, थर्ड क्लास जनता एक्सप्रेस क्यों नहीं चलाई जाती? क्यों नहीं वह चलाई जा रही है? लखनऊ के लिए बम्बई में बड़ा ट्रैफिक रहता है। मैंने इसके लिए भी कई बार मांग की है कि बम्बई से लखनऊ के लिए गाड़ी चलाई जाए, लेकिन नहीं चलाई जाती, किन्तु हमारी आंखों के सामने डिलक्स गाड़ी चलती है। हमें खुशी है कि डिलक्स और एयर-कंडीशंड गाड़ियां चलीं, **बट नॉट एट दि कास्ट ऑफ कॉमन मैन।** यह हमें मंजूर नहीं है। वास्तव में थर्ड क्लास के यात्रियों को सुविधायें मिलनी चाहिएं और तीसरे दर्जे के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने की ओर ध्यान दिया जाए।

सरकारी कर्मचारियों के बारे में मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, किन्तु रेलवे के अन्दर लोग केजुअल लेबर के नाते दस-दस और पन्द्रह-पन्द्रह साल तक काम करते हैं लेकिन उन्हें पर्मानेन्ट नहीं बनाया जाता है। तो क्या रेलवे का बड़ा महकमा होने की वजह से ऐसा है? ऐसी स्थिति होने से आखिर उनके मन में असंतोष है कि सरकारी कर्मचारी होने के बाद भी हमें **पे कमीशन** के अन्तर्गत नहीं लाया जाता और जो सुविधायें दूसरे सरकारी कर्मचारियों को मिलती हैं वे उनको नहीं मिलती हैं। इस ओर भी मंत्री महोदय ध्यान दें।

मैं इसलिए यह कह रहा हूं कि जैसे मंत्री जी के प्रयत्नों से गाड़ियां ठीक समय से आने लगी हैं, उसी तरह से सारे महकमे को ठीक करने की दृष्टि से मंत्री महोदय इस ओर भी ध्यान दें। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

भारी उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांग*

सभापति महोदय, सदन में भारी उद्योग मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर बहस हो रही है। प्रारम्भ में ही मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि भारी उद्योगों का एक अलग मंत्रालय बना कर उसकी जिम्मेदारी एक ऐसे व्यक्ति को सौंप दी गई है, जिनकी सत्व-परीक्षा हो रही है। मैं पूरे विश्वास के साथ आशा करता हूं कि वह इस सत्व-परीक्षा में इस कसौटी पर, पूरे उतरेंगे और सार्वजनिक उद्योगों से देश को वास्तव में जो लाभ होना चाहिए, वह होगा।

डॉ. विश्वैश्वरैया ने किसी भी उद्योग की सफलता के लिए सात ''एम'' बताये थे: मैन, मनी, मैटीरियल, मशीन, मैनेजमेंट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और मार्केट । इससे स्पष्ट है कि किसी भी उद्योग की सफलता के लिए हर बात का बड़ा महत्व होता है। सार्वजनिक उद्योग साध्य नहीं हैं, साधन हैं। लेकिन अभी श्री शशि भूषण के भाषण को सुनने के बाद ऐसा लगा कि मानो सार्वजनिक उद्योग साध्य हैं– सार्वजनिक क्षेत्र में किसी उद्योग को खड़ा कर दिया तो अपनी जिम्मेदारी पूरी हो गई। यदि किसी सामान्य आदमी के घर से गाय को लेकर और कॉलोनी में बांध दें, मगर उसको घास चारा न डालें, तो क्या वह दूध देगी? नहीं देगी। गाय घर में हो या सार्वजनिक क्षेत्र में हो, जब तक हम उसकी हिफाजत नहीं करेंगे और उसको घास चारा नहीं खिलायेंगे, तब तक हम उससे जो अपेक्षा करते हैं, वह पूरी नहीं होगी।

मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख होता है कि जब उद्योग की स्थापना ही पॉलीटिकल ओवरटोन्ज से की जाती है, तो सारा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। रांची का हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है। उसके बारे में हमारी कमैटी की रिपोर्ट में कहा गया है–मैं कोट करता हूं:

> "The Government appointed a Committee under the Chairmanship of Mr. Jehangir Ghandy, Director, Tata Industries (Private) Limited, to examine the proposals of the U.S.S.R. Team and the U.K. Mission and to advise them on the most suitable place for the establishment of Heavy engineering Industry. The committee reported in March, 1957, that the proposals of the U.K. Mission were perferable to that of the Soviet Team. However, ultimately, at the end of 1957, the Government decided to set up the Plant with technical collaboration and credit assistance of the U.S.S.R."

मुझे किसी देश के बारे में कुछ नहीं कहना है। अगर इसमें यू. एस. एस. आर. के बजाए जर्मनी होता, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कमेटी ने कहा है कि एक देश की अच्छी शर्तों

* उपरोक्त विषय पर चर्चा में भाग लेते हुए।
लोक सभा वाद विवाद, 3 अप्रैल 1973, cc 341-51 ।

को छोड़ कर दूसरे देश के साथ समझौता किया गया। इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। किसी देश के साथ हमारी मित्रता है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम हर बात में उसको लायें। जब हम कोई उद्योग खड़ा करते हैं तो हमें यह देखना पड़ेगा कि किस देश के साथ कोलैबोरेशन करने से उसमें सफलता मिलेगी। कमेटी की रिपोर्ट से यह बात साफ है कि जब प्रारम्भ से ही इस प्लांट के सम्बन्ध में पॉलीटिकल ओवरटोन्ज बीच में आ गई, तो आगे चलकर उसमें गड़बड़ी हो, इस पर कोई आश्चर्य नहीं।

पिछली मांगों के सम्बन्ध में मंत्री महोदय, श्री सुब्रह्मण्यम, ने कहा कि बहुत कुछ मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। इसीलिए मैंने कहा है कि श्री पाई पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आ गई है। मंत्री महोदय ने कहा कि दि रिजल्ट्स कुड बी चेंज्ड ओवरनाइट। मतलब यह है कि ऊपर वालों की दृष्टि के हिसाब से सब कुछ चलता है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में फ्रिकवेंट चेंजिज इन टॉप मैनेजमेंट का जिक्र किया है। हमारे कारखानों में पूरी सफलता न मिलने और गड़बड़ी होने का यह एक कारण है। मैं किसी व्यक्ति विशेष में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन यह तथ्य है कि राजनीति में पूरी रुचि लेने वाले श्री के. डी. मालवीय को 212 करोड़ रुपये के बड़े भारी कॉम्प्लेक्स, रांची के हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, का चेयरमैन बना दिया गया। लेकिन वह वहां एक साल भी नहीं रहे। जब श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित की सीट खाली हुई, तो उस पर चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। मैं उनको दोष नहीं देता, किन्तु जिन लोगों की रुचि राजनीति में है उनको इन उद्योगों में क्यों भेजा जाये?

स्थिति यह है कि गोटी बिठाने का काम होता है जिस पर मुझे दु:ख होता है। इस तरह काम नहीं चल सकता है। इस सदन में भूतपूर्व रेल मंत्री, श्री हनुमन्तैया, की मैंने पीठ थपथपाई थी कि उन्होंने इस बात का प्रयास किया कि ट्रेनें समय पर चलें और ट्रेनें समय पर चलने लगीं। लेकिन फिर वह बदल दिये गये। उनके बाद श्री पाई आये और फिर वह भी बदल दिये गये। भगवान जाने, उनकी गोटी कहां बैठेगी—अभी वह इस मंत्रालय में आये हैं, पता नहीं कब तक रहेंगे। उनको रांची के हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, हैवी इलैक्ट्रिकल्स, भोपाल या हरिद्वार, या हैदराबाद या एच.एम.टी. ऐसे उद्योगों को ठीक करना है। हमें याद है कि श्री चव्हाण कम्यूनलिज्म का अन्त करने के लिए यहां से निकले, लेकिन भोपाल से ही वापिस आ गये। वह पहुंचे नहीं वहां तक। बीच में दूसरा ऑर्डर निकल गया। जो भी काम हम हाथ में लेते हैं उसको पूरा करने की दृष्टि से निश्चितता तो होनी चाहिए। आखिर यह उद्योग क्यों हमने शुरू किया, वह लक्ष्य हमारे सामने होना चाहिए, तब जाकर होगा। यदि कल्पना यह होगी कि इस उद्योग की वजह से हम समाजवाद ला रहे हैं या इस उद्योग की वजह से हम सरकार को आगे बढ़ा रहे हैं तो आखिर .....

Whether it was due to the necessity of economic factors or only to have that economic heights?

इकोनॉमिक हाइट्स जो हैं आप की इन उद्योगों में अगर अपना उत्पादन का लक्ष्य आप पूरा नहीं कर पाए तो एक तो चीज यह हो गई, लेकिन लगातार घाटा देना यह बात तो मेरी समझ में नहीं आती। अभी सुब्रह्मण्यम साहब ने यह बता दिया कि टाटा बिरला और दूसरे ऐसे लोगों ने अपनी सारी सम्पत्ति कैसे बढ़ाई और कौन से समय में बढ़ाई, यह उन्होंने बता दिया। उद्योग

चलाने वाले सब उद्योग अपने घाटे में नहीं चलाते। उसे लाभान्वित करते हैं। वह लाभ वह खुद खाते हैं। हमारी अपेक्षा यह थी कि सरकार खुद उद्योग चलाए और उसमें जो लाभ आए वह जनता को वापस आ जाएगा। जनता उससे समृद्ध होगी नॉट इन कैश बट इन काइंड। लेकिन इसकी जगह आप देखें कि भोपाल हैवी इलेक्ट्रिकल्स में 1960 में प्रोडक्शन शुरू होने के बाद भी 1972 तक घाटा ही घाटा वहां दिख रहा है। तो आखिर यह घाटा कब कम होगा?

मेरे पास एक अखबार है जिसमें पाई साहब का वक्तव्य है कि एच ई सी लासेज मे टच 100 करोर्स। अभी तक 89.90 करोड़ का जो लॉस है। वह आगे 100 करोड़ तक हो जायेगा। लेकिन ब्रेक ईवन हम करेंगे ऐसी आशा आपने प्रकट की है। 1973 में आप ब्रेक ईवन करने वाले हैं। परन्तु यह जो मेरे पास पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी की रिपोर्ट है यह रिपोर्ट इस पर आशंका प्रकट करती है, नहीं तो मैं मान लेता। कमेटी की रिपोर्ट बहुत साफ है।

The Committee highly deplores that the Project Report does not include any realistic assessment as to when the Corporation was likely to break even. All the exercises made so far differ widely from each other. The break even point is being shifted from year to year by bringing down the likely production and sale value thereof. From the studies made so far it is difficult to know as to what are the actual years anticipated and whether the corporation would really break even within any reasonable measure of time.

अब यह तो कमेटी का कहना है। मैं यह मानता हूं ब्रेक ईवन होता तो अच्छा था। लेकिन पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी इस के अंतर्गत गई है और सारा अध्ययन करने के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचे हैं क्योंकि यहां तो सारी बात इस पर है कि इनकी जो डिटेल्ड रिपोर्ट है उसमें कई चीजें शामिल न करके रिपोर्ट दी है जिसकी वजह से ऐसा है। अब आप देखें शुरू का जो प्रोजेक्ट था वह 132 करोड़ से बढ़ते-बढ़ते 211 करोड़ तक पहुंच गया। तो इसका मतलब यह होता है कि एस्टीमेट करते समय हम कुछ ध्यान से एस्टीमेट नहीं करते और बाद में यह कहना कि डिटेल्ड रिपोर्ट में यह बात नहीं थी। 45 करोड़ रुपये उसमें शामिल नहीं किए गए थे, यह बात कोई शोभा नहीं देती। इसलिए आज भी जितने पब्लिक सेक्टर हैं उनमें जो खामियां हैं, कमियां हैं उनको पूरा करना है तो इस में कई चीजें जो कमेटी ने नोट डाउन की हैं, उनके ऊपर ध्यान देना होगा।

इसमें स्पेयर्स के बारे में दिया है कि आइडिल इन्वेन्ट्री बहुत है। यानी हर पब्लिक सेक्टर में यह भी बहुत बड़ा कारण हुआ है कि डेड कैपिटल पड़ा हुआ है और रांची इंजीनियरिंग कारपोरेशन में तो बताया है कि 2 करोड़ रु. के स्पेयर्स यंत्र से पहले आ गए थे। यानी मशीन आने से पहले स्पेयर्स आ गए। मशीन आने में देर हो गई। बीच में स्पेयर सब खराब हो गए। तो यह क्या तरीका है? मशीन आने से पहले स्पेयर आ गए और जब तक मशीन नहीं आई तब तक वह खराब हो गए। यह तो बहुत अनुचित है। यह रिपोर्ट में कहा है। दो करोड़ रु. के करीब के स्पेयर्स खराब हो गए यह बात तो कोई अपने लिए शोभा नहीं देती।

दूसरी बात यह है कि वहां ओवर स्टॉफिंग है और इसका निदान उन्होंने किया है कि एक तरफ तो ओवर स्टॉफिंग है और दूसरी तरफ जहां टेक्निकल नो हाउ के लिए आवश्यक सामग्री

या आदमी चाहिए वहां वह नहीं है। यह दोनों हैं साथ-साथ। अनयूटिलाइज्ड केपेसिटी यह तो हर पब्लिक सेक्टर के अंदर है। कोई पब्लिक सेक्टर इससे अछूता नहीं है। सब पब्लिक सेक्टर जितने हैं उनकी केपेसिटी अनयूटिलाइज्ड है। यानि रेंटेड केपेसिटी जितनी है उतनी होती नहीं और वहां देखा यह जाता है कि आवश्यकता से ज्यादा ऑफिसर्स भरे हैं; आवश्यकता से ज्यादा काम करने वाले भरे हैं। दूसरे प्लांट में यह देखा जाता है कि आवश्यकता के अनुसार लोग नहीं हैं। अब यह दोनों बातें समझ में नहीं आती।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की रिपोर्ट पढ़ते समय मुझे लगा कि क्रेन्स की शॉर्टेज की वजह से जो काम होने वाला था वह हुआ नहीं और आगे चल कर पता चलता है कि क्रेन्स का काम नहीं है इसलिए क्रेन्स ऐसे ही पड़े हैं। क्यों पड़े हैं? क्योंकि क्रेन्स का उपयोग उस काम के लिए नहीं है। यदि उस क्रेन का उपयोग उस काम के लिए नहीं है तो वह वहां रखे किस लिए हैं? जहां दूसरे काम के लिए उसका उपयोग हो सकता है वहां वह भेज दिया जाए। इसलिए पब्लिक सेक्टर की जितनी बीमारी है, जैसा मैंने अभी कहा मैन, मैटर और मैटीरियल, यह सारी जितनी बातें हैं और जो उनका मार्किट होता है, मार्किट के बारे में भी जो आपका अन्दाजा सब गलत निकलता है, उसकी वजह से भोपाल हैवी इलेक्ट्रिकल्स का यह हाल है कि वहां सामान पड़ा हुआ है, उसके लिए मार्किट नहीं है। तो आप पहले तो मार्किट रिसर्च करें कि कौन-कौन सी चीजों के लिए मार्किट कहां-कहां उपलब्ध होगी। वह न करके प्रोडक्शन करते जाने से उसका नतीजा आखिर घाटे में निकलता है।

सबसे पहले इस बात की ओर ध्यान देना जरूरी है कि सार्वजनिक उद्योग जो घाटे की वजह से बदनाम होते चले जा रहे हैं, उस स्थिति में परिवर्तन हो। कोई अगर ऐसा समझता है कि यह हमको लगता है तो हमें यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो भी काम हम करें वह ठीक ढंग से करें यह आवश्यक है। हम सार्वजनिक उद्योग का विरोध ही करते हैं ऐसी बात नहीं है। रेलवे एक सार्वजनिक उद्योग है जो सरकार के हाथ में है। किसी ने यह नहीं कहा कि हमारे हाथ में रेलवे दे दो। किन्तु सरकार यदि रेलवे चलाना चाहती है तो ठीक ढंग से चलाए, कुछ हिसाब से, नियम से और योजनाबद्ध तरीके से चलाए। सार्वजनिक उद्योग का हम विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहते। सार्वजनिक उद्योग हों या खानगी उद्योग हों, ये दोनों उद्योग देश के हित के लिए, देश के लाभ के लिए विशिष्ट योजना के अनुसार चलें, यही हमारा कहना है।

सार्वजनिक उद्योगों में जो लेबर ट्रबल है उसकी ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेषकर एचएमटी की बात मैं सामने रखना चाहता हूं जिसमें पिछले तीन-चार वर्षों से लाभ हो रहा था, उसी में आज लेबर ट्रबल और पावर शॉर्टेज की वजह से 3 करोड़ का घाटा उन्होंने दिखाया है। वास्तव में आज इन घड़ियों की मांग है और उन्होंने दुनियाभर में कई ऑफिसेज़ इसको मार्किट में लाने के लिए खोले हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह घाटा ड्यू टु ओनली लेबर ट्रबल है? मैसूर प्रदेश में तो पावर कट सिर्फ 25 प्रतिशत है। इसी वजह से पिछले साल में जहां लाभ होता था वहां एकदम 3 करोड़ का घाटा हो, यह बात जरा अंदर जाकर गहराई से अध्ययन करने की है। लेबर ट्रबल का जहां तक सवाल है इसके बारे में कोई निश्चित नीति नहीं है। अपनी जो यूनियन होती है उसी को बढ़ावा देने की बात होती है। हमने

बार-बार मांग की और जब मध्य प्रदेश में संविद सरकार थी तो हमने प्रस्ताव पारित किया था कि कौन-सी यूनियन अधिकृत है यह सीक्रेट बैलेट से निर्णय हो। यह प्रस्ताव हमने पास किया था, संविद शासन के अंतर्गत। उस पर आपने क्यों नहीं अमल किया? जो झगड़े आज होते हैं, इंटर-यूनियन स्पर्धा जो होती है उसको यदि समाप्त करना चाहते हैं तो कोई सिद्धांत सामने रख लीजिए। जैसे कि राजनीति में हमने सिद्धांत स्वीकार किया है कि जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा वह पार्टी अधिकार में आएगी। हर एक को काम करने का अधिकार तो रहेगा ही: हर यूनियन को काम करने का अधिकार रहेगा। किन्तु अधिकृत उसी को माना जाए जिसको सीक्रेट बैलेट से बहुमत मिले।

लेबर के पार्टिसिपेशन की बात तो हम बहुत करते हैं। विद्यार्थी पार्टिसिपेशन के साथ-साथ लेबर पार्टिसिपेशन की बात भी बोलते हैं। लेकिन होता कुछ नहीं है। किस हद तक यह चीज हम करें, कैसे करें, यह प्रबन्ध में भी भागीदार हों, लाभ में भी भागीदार हों, यह सब मानते हैं लेकिन कहीं भी इसकी शुरुआत हमने नहीं की। बोनस का एक्ट पास किया, 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.33 प्रतिशत बोनस किया। लेकिन उसका दायरा बढ़ाकर सबको उसमें शामिल करने की कोशिश नहीं की। कुछ लोग उसके बाहर ही रह गए। तो यह चीज क्यों होती है? एक सिद्धांत स्वीकार कर लीजिए लेबर ट्रबल को समाप्त करने की दृष्टि से और सरकारी क्षेत्र में तो कम से कम एक आदर्श उद्योगपति के रूप में सरकार सबके सामने आए, यह मैं चाहता हूं। लेबर ट्रबल को समाप्त करने की दृष्टि से यह बहुत आवश्यक है। बोनस के बारे में पहले झगड़ा हो, इसके बाद हम कुछ स्वीकार करें यह नहीं होना चाहिए। बोनस जो आपने एक्ट पास करके तय किया है वह सब जगह लागू होना चाहिये और वह सबको मिलना चाहिये। आप लेबर पार्टिसिपेशन के सिद्धान्त को स्वीकार करें और उसे लागू करें।

अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो सरकार ने अपने हाथ में ली हैं जैसे स्कूटर है, ट्रैक्टर है, कार है। ट्रैक्टर के बारे में तो यह कहा गया है कि

"In the field of agricultural machinery, there is a sudden recession in demand...."

अभी इस सदन में जब दो दिन पहले चर्चा हुई तो मंत्री जी ने स्वीकार किया था कि अनसरटेनटी क्रिएटिड बिकॉज ऑफ दी लैंड सीलिंग के कारण यह ट्रैक्टर की डिमांड घट गई है। मैं कहना चाहता हूं कि अपने उत्साह के बलबूते पर आप एक दम तीस हजार ट्रैक्टर निर्माण करें और आगे चलकर जमीन की सीलिंग लागू करके जमीन अगर छोटी करें और उन ट्रैक्टरों का उपयोग न हो पाए तो यह ठीक नहीं है। या तो कम हॉर्स पावर के छोटे ट्रैक्टर हम बनाएं

because these are the days of mini things. Mini is becoming fashionable. Let there be a mini tractor.

ताकि वह पांच एकड़ भूमि में, छोटी भूमि में काम करे। ट्रैक्टर बड़ा और भूमि छोटी—ये दोनों बातें साथ-साथ नहीं चलेंगी। जब मंत्री महोदय स्वीकार करते हैं कि लैण्ड सीलिंग के

कारण जो अनसरटेनटी क्रिएट हुई है उसकी वजह से ट्रैक्टर की डिमाण्ड घट गई है—इसको देखना होगा स्कूटर की मांग बहुत है। कारों की मांग बहुत है। मैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के झगड़े में नहीं जाना चाहता, लेकिन छोटी कार को पब्लिक सेक्टर में बनाने की दृष्टि से कई मेम्बरों ने दुनियाभर का चक्कर लगाया कि कैसे वह कारखाना पब्लिक सेक्टर में खुले, लेकिन हमने देखा कि वह पब्लिक सेक्टर को नहीं मिला, क्योंकि प्लानिंग कमीशन ने स्वीकार नहीं किया। इसके लिए कोई निश्चित नीति होनी चाहिये। जब तक निश्चित नीति नहीं होगी तब तक लक्ष्य पूरा नहीं होगा। मैं आशा करता हूं कि आप ऐसा करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

पेट्रोल की कीमत*

श्री आर.के. सिन्हा को मैंने सुना। उन्होंने जैसे उनका अभिनन्दन किया है, वैसा स्वागत वास्तव में करने का मौका मुझे पहले मिलता तो मुझे बड़ी खुशी होती। मैं इसके लिए और कोई समय रख लेता हूं।

धीरे-धीरे सरकार की नीति पर तो नहीं लेकिन सरकार की नियत पर मुझे शक होने लगा है। डीलर एफ्लुएंट हैं या मिडल क्लास के हैं, इसमें जाने का इस वक्त कोई मतलब नहीं है। आखिर डीलर, डीलर है। आयल कम्पनियों का यह सवाल है और साथ-साथ डीलर्स का है। 1954-55 से लेकर आज तक उनकी कमीशन में कोई रिवीजन नहीं हुआ है, इसको मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में स्वीकार किया है। एक कमेटी बैठी, फिर दूसरी बैठी, आज मंत्री महोदय ने एक और कमेटी की दुहाई दी है जिसके प्रमुख मराठे होंगे। एक कमेटी हो गई, दूसरी हो गई, शान्ति लाल शाह कमेटी हो गई, एनसीएईसी हो गई। सब हो गई। कौन भरोसा करेगा अब जो नई कमेटी है उसकी सिफारिशों पर? मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में स्वीकार किया है कि जो रिकमेंडेशंस हैं उन पर निर्णय लिए जाने में कुछ समय लगेगा। इसको कहने के बाद उन्होंने कहा है इन दी मीनटाइम सर्टेन अदर डिवलेपमेंट्स हो गई हैं। कमीशन बढ़ना नहीं चाहिए यह भी आपने कहा है। डीलर्स का निर्णय ऐसी स्थिति में भी यही होगा कि वे कुछ करने वाले नहीं हैं क्योंकि अनऑथोराइज्ड सर्विस चार्जिज़ जो दो पैसे वे लेते हैं उसी को कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि कमीशन में जोड़ दिया जाए। जो इलीगल चीज चलती थी उसी को लीगलाइज कर दिया गया है। क्या यह एक आप इंसैंटिव नहीं दे रहे हैं उनको कि वे ज्यादा अनऑथोराइज्ड सर्विस चार्जिज़ कलेक्ट करें। वे आगे चलकर तीन परसेंट करें तो क्या उस चीज को फिर आपको स्वीकार नहीं करना पड़ जाएगा? क्या इस तरह से आप हर चीज को मजबूरी में स्वीकार नहीं करते जाएंगे। अनऑथोराइज्ड था जो वे कलेक्ट करते थे उसके लिए बजाए उनको सजा दी जाए, उलटा यह सुझाव दिया गया है कि उसी को कमीशन के साथ जोड़ दिया जाए। जो इलीगल थी, उसको लीगल किया गया है, जो अनऑथोराइज्ड थी उसको ऑथोराइज्ड किया गया है।

अन्तरिम राहत की जो बात कही है वह रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से लागू होगा या जब भी आप निर्णय लेंगे तब से लागू होगी?

गड़बड़ क्यों होती है? स्ट्राइक उन्होंने वापिस नहीं ली। दो दिन पहले से ही यह गड़बड़ी चली आ रही है। मार्किट में मिलती नहीं है। मैं घूम करके आया हूं। दो दिन पहले यह स्थिति पैदा

* उपरोक्त विषय पर ध्यानाकर्षण पर चर्चा में भाग लेते हुए।
लोक सभा वाद-विवाद, 23 नवम्बर 1973, cc 214-19 ।

हो गई थी कि न गैस थी और न केरोसिन ऑयल था। दोनों में से कोई नहीं था। आखिरकार मैंने इधर-उधर जाकर इनकी तलाश करने की कोशिश की तो पता चला कि कार में पैट्रोल नहीं है और यह मिलता नहीं है। कब मिलने वाला है यह मालूम नहीं। यह जो कमी हुई, यह जो मिलता नहीं था इसका काफी लोगों ने लाभ उठाया। आगे चलकर फिर से लोग ज्यादा लाभ कमाएं और ब्लैकमार्किट करें क्या यही आप चाहते हैं और उसमें से आपको भी कुछ मिलने वाला है। यार्न का भी यही हुआ। यार्न को आपने अपने हाथ में लिया लेकिन बीच की पूरी व्यवस्था किये बिना। बीच वालों ने ब्लैक किया। कोयले का यही हुआ। पूरी व्यवस्था किए बिना आपने इसको किया और बीच वालों ने आड़े हाथों लिया। यहां भी यही है सामान्य आदमी को मुनाफा नहीं मिल रहा है। इस अव्यवस्था की वजह से सारी जो अस्थिरता पैदा होती है उसको आपको देखना चाहिए।

आप देखें कि 1954-55 में पैसे का आन्तरिक मूल्य क्या था। क्या इंट्रिंजिक वैल्यू ऑफ मनी इज दी सेम टुडे? जिस सर्वेंट को उसने एम्पलॉय किया उसको जो पैसा मिलता है और जिस हिसाब से मिलता है क्या 1954-55 के रेट से मिलता है और क्या उसमें कुछ अन्तर नहीं हुआ है? समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। जब आन्दोलन कोई करता है तो एक दम सरकार जाग उठती है। पहले सोती रहती है। पहले क्यों नहीं सोचती है। आप अगर पेट्रोलियम का सारा मामला पार्लियामेंट के सामने लेकर आ जाते तो इट वुड हैव बीन कंसिडर्ड इन ऑल इट्स रेमिफिकेशंस। पैच बाई पैच सब आप करते हैं इसकी वजह से डीलर्स ने जो इसको बेचना बन्द किया और गड़बड़ी पैदा हो गई बम्बई में, इनको आपको देखना चाहिए। जब ऐसी गड़बड़ी पैदा होती तब आपका ध्यान उधर आकर्षित होता है और हमको करवाना पड़ता है। आप निर्णय पर नहीं पहुंचते हैं।

आपने कहा है कि केरोसिन के दाम बढ़ा दिये हैं। और पैट्रोल पम्प्स को केरोसिन बेचने के लिए दे दिया है ताकि उनकी आमदनी बढ़े, और जो उनको आमदनी चाहिए वह हो जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन उनका जो है वह हो जाएगा। दूसरी बात आपने यह कही है कि पैट्रोल पम्प्स जो है इनका बढ़ना आपने जरा कम कर दिया है, इसको घटा दिया है, पेस इसकी स्लो कर दी है ताकि पैट्रोल आदि की ऑफ टेंक पम्प्स से बढ़े और इनकी आमदनी भी बढ़े । अब आप देखें कि गांव में डीजल का प्रयोग बढ़ता जाता है। डीजल गांव-गांव में चाहिए। खेती करने वाला जो किसान है जिसको आप कहते हैं कि प्रगतिशील बने और हरित क्रान्ति की बात आप करते हैं अगर वह ट्रैक्टर चलाना चाहता है और उसके लिए उसको डीजल की जरूरत है तो जब आप पैट्रोल पम्प्स की ग्रोथ को स्लो करें तो क्या इसका मतलब नहीं होगा कि किसान डीजल लेने के लिए तीस-तीस और चालीस-चालीस मील तक जाएं और डीजल लेकर आएं? ये दोनों बातें कैसे मेल खाती हैं?

आप कहते हैं कि आपने केरोसिन बेचने के लिए पैट्रोल पम्प्स को दे दिया है। सामान्यतः पम्प गांव के बाहर रहते हैं और गांव के आदमी को तेल की जरूरत होती है गांव के अन्दर। अब एक तेल की बोतल लेने के लिए वह एक मील दूर जाएगा? किस हिसाब से रखा जाता है कुछ समझ में नहीं आता है। आप कहते हैं कि केरोसिन बेचने से उनको मुनाफा होगा। लेकिन क्या सामान्य आदमी को तेल इस तरह से आसानी से गांव में उपलब्ध हो जाएगा, उसको इससे

लाभ होगा? अगर उसके यहां मेहमान आ गया और उसको एक बोतल तेल चाहिए तो क्या उसके लिए उसके वास्ते एक मील जाकर तेल लाना संभव होगा? गांव में पैट्रोल पम्प तो होता नहीं है। कैसे इन चीजों में मेल बैठता है समझ में नहीं आता है?

स्लो पीस की बात आप इसीलिए करते हैं कि पम्प पर ज्यादा ये पदार्थ बिके ताकि उनको पूरी आमदनी हो, उनकी आमदनी बढ़े। आप कुछ नहीं चाहते हैं और जो हैं इसी में से उनको मिले यह आप चाहते हैं। यह कैसे होगा? पहले आपने एक कमेटी नियुक्त की। आपने कहा कि उसने कास्ट का विचार नहीं किया फिर एनसीएईआर की हुई उन्होंने कुछ नहीं किया। शान्तिलाल शाह कमेटी भी बैठी। अब मराठे कमेटी बैठी है। रिपोर्ट आने के बाद आपके वास्ते यह मौका नहीं रहना चाहिए कि आप पूरे निर्णय पर नहीं पहुंच सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि यह निर्णय कब हो जाएगा? जो भी निर्णय आपको लेना है वह आप कब ले लेगें? और क्या यह उसी दिन से लागू होगा जब लेंगे या रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से लागू होगा ताकि आज जो बेचेंगें उनको कम से कम आश्वस्ति तो रहेगी कि जो भी आप देंगे वह जब से आपने अंतरिम कमिशन बढ़ाई है उस दिन से देंगे? क्या आपका विचार यह है कि पूरा जो है वह आप बाद में देंगे?

यह जो सारा दबाव आएगा यह सामान्य उपभोक्ता पर नहीं यह आपकी और हमारी भी सबकी इच्छा है। किन्तु मैं यह कह चुका हूं कि आपकी नियत पर शक है। प्रधानमंत्री ने 12 तारीख को एक वक्तव्य लोक सभा की पटल पर रखा था। इसमें एक बात उन्होंने बड़ी मजे की कही थी:

> "That apart, an ordinary consumer would have little incentive for economy unless he pays the true cost of the energy."

प्राइज बढ़ रही है। उनको घटाने के बजाए उन्होंने दलील यह दी थी कि:

> "unless the consumer pays the true cost"

तब तक उनको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। इससे साफ पता चलता है कि कंज्यूमर का भार कम करने का विचार आपका नहीं है। उसका भार और भी बढ़े यह आप का विचार है। स्वयं मंत्री महोदय का वक्तव्य बताता है:

> "unless he pays the true cost there would not be sufficient incentive for economy"

ये सारे जो कनफ्लिक्टस हैं, कंट्रेडिक्शंस हैं इंटरनल उन पर आप किस तरह से ठीक ढंग से मेल बिठाना चाहते हैं यह आप हम को बताएं?

गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगें, 1974-75*

अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रालय की मांगों पर सदन में विवाद हो रहा है। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने लोकतंत्र पर बहुत जोर दिया है कि लोकतंत्र को इस देश के अंदर खतरा है और वह कैसे खतरा है यह भी उन्होंने बताया है। किन्तु मैं थोड़े बुनियादी सवाल करना चाहता हूं और दीक्षित जी जरा ध्यान दें तो अच्छा होगा।

यह जो वहां पट्टा लगा है "न धर्मचक्र पर्वतचाय" यह हम सबको कुछ नियमों से बांधता है वह चाहे गृह मंत्री हो या कोई विरोध के सदस्य हों जब हमने सदन में इसे लगाया है तो इसका मतलब यही है कि राजा का भी एक धर्म है, शासकों का भी शासन चलाने वालों का भी एक धर्म है और वह धर्म रिलीजन नहीं है। वह धर्म है कर्तव्य। भारतीय संस्कृति में धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता है रिलीजन का अर्थ है सम्प्रदाय और धर्म का अर्थ है कर्तव्य। आज का जो शासन है उसके लोकतांत्रिक पद्धति से होने की वजह से लोक मान्यता से यह शासन। है। जिस लोकतंत्र की बात अभी हमारे साथी भगत जी ने की मैं उसके बारे में कुछ सवाल करना चाहता हूं कि पिछले सत्ताइस सालों में लोकतंत्र की नींव उसकी जड़ें मजबूत करने की कोशिश इस शासन ने की है, लोकतंत्र का बुनियादी आधार है हर एक को विचार प्रकट करने की स्वाधीनता, स्वतंत्रता, खुली छूट उस विचार से कौन कितना सहमत है, कौन कितना विरोधी है यह सवाल नहीं क्या यहां यह खुली छूट है, और इस खुली छूट में मैं जनसंघ और कांग्रेस की बात भी नहीं करता। 1969 में कांग्रेस दो धड़ों में बंट गई। किस आधार पर बंट गई इसका सवाल नहीं है, किन्तु बंट गई। कांग्रेस के बंटने के बाद जो भी घटनाएं हुईं क्या वह लोकतांत्रिक ढंग से हुईं। अपने ही पुराने आफिस पर जबरदस्ती कब्जा जमाना और बाद में कोर्ट में थप्पड़ खाकर दूर हट जाना यह लोकतंत्र है?

*** *** ***

लोकतंत्र के ऊपर आप बहुत बोल रहे थे इसलिये मैं आप की बात बता रहा हूं, अपनी नहीं।

हो हल्ला करने से मेरी आवाज बन्द नहीं होगी, मैं आप से बहुत पुराना सदस्य हूं राजनीति में कोई नया आदमी नहीं हूं। 1930 से इसी क्षेत्र में काम कर रहा हूं।

*** *** ***

---

* उपरोक्त विषय पर चर्चा में भाग लेते हुए।

लोक सभा वाद-विवाद, 29 अप्रैल, 1974, cc 281-93 ।

I am discussing democracy in the context of democracy. I am citing certain instances wherein the roots of democracy have not been strengthened in this country during the last 27 years, have been destroyed by them.

*** *** ***

You have destroyed it. You have destroyed democracy in this country. History will have to record that. History will not go down in the Time Capsule. It will be written on the hearts of the people of this country. If not today, tomorrow, people will come out and tear your faces. I warn you.

इसलिये मैं बतला रहा हूं।

We are all governed by certain principles.

लेकिन यह डेमोक्रेसी को स्टेशन करने वाली बात नहीं है, क्योंकि आज भी आर.एस.एस. के बारे में जो मत सुनता आ रहा हूं वह कोई नई बात नहीं है। आज से नहीं 1925 से इस देश में आर.एस.एस. का संगठन चलता आया है और 50 सालों के बाद भी हमारी यह होम मिनिस्ट्री सामने बैठी है—मैंने अनेकों बार इससे इन्फार्मेशन मांगी—मैं 1967 से इस हाऊस का सदस्य हूं, बार-बार पूछता आया हूं—यदि आर.एस.एस. वायोलेंस में इन्डल्ज करता है तो बताइये यू विल हेव टु सब्सटेन्शियेट योर चार्जिज। दुनिया के सामने इस तरह से झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। मैं तो आपको झूठा समझ ही रहा हूं क्योंकि बेसलैस चार्जेज करना आपका धन्धा हो गया। जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी अपना प्रस्ताव स्वीकार करती है।

RSS indulges in violence.

तो इसका क्या मतलब है?

पिछले 25 सालों से लेकर अंग्रेजों के जमाने से जो संगठन इस देश में चलता आया है वह आपकी कृपा से नहीं चल रहा है। जो संगठन इस देश में आज भी मजबूती से खड़ा है, वह तुम्हारे लोगों के बलबूते पर नहीं खड़ा है। कहते हैं कि पाबन्दी लगाओ, आपने तो पाबन्दी भी लगाई थी लेकिन क्या परिणाम निकला। यह मैंने पूछा था कि ऐसे कितने केसेज हैं, कौन पकड़े गये और क्या परिणाम निकला। मैंने यह भी पूछा था।

"Cases wherein Courts including High Courts and Supreme Court have held RSS guilty of believing in violence, fascism or not believing in parliamentary democracy."

होम मिनिस्ट्री जवाब देती है–

"The required information is not available with this Ministry nor are they aware of any published document containing this information."

लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिये कहता हूं—

There is a book 'RSS and Court verdicts'. There is a book. I will cite that.

आपके डिपार्टमेंट को इतना भी मालूम नहीं है, आपका डिपार्टमेंट क्या करता है, उसको क्यों मालूम नहीं है—यह छपी हुई किताब है, जहां जहां कोर्ट वर्डिक्ट आया है, इस किताब में उसका उल्लेख है—आन्ध्र में 1955 में, पटना में 1961 में, बम्बई में 1962 में, इलाहाबाद में 1963 में, जोधपुर में 1964 में, दिल्ली में 1965 में, बंगलौर में 1966 में, चण्डीगढ़ में 1967 में, अहमदाबाद में 1970 में, इलाहाबाद में 1971 में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ देहरादून में 1967 में कोर्ट वर्डिक्ट्स आये, लेकिन आपकी होम मिनिस्ट्री कहती है कि हमको मालूम नहीं है....

*** *** ***

आप जैसे लोग कोर्ट में जाते हैं और थप्पड़ खाकर आते हैं, जिस तरह से 7 जन्तर-मन्तर रोड के मामले में हुआ उसी तरह से यहां भी हुआ हिन्दुस्तान में अभी भी न्याय बाकी है, लोगों को न्याय मिलने की आशा है, इसीलिये मैं यहां पर खड़ा होकर बोल रहा हूं, आज लोग चौराहों पर आ रहे हैं और आपकी करतूतों को देख रहे हैं....

...भारतीय संस्कृति कहती है कि महिलाओं के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिये, यह पुरुष वर्ग ही यहां काफी है, आप इनको सम्भालने की चिन्ता क्यों करती हैं।

यदि आप लोकतन्त्रात्मक पद्धति से कार्य करना चाहते हैं तो मैं आपसे मांग करता हूं—Let there be a white paper.

इस तरह से आर. एस. एस. को आनन्द मार्गियों के साथ जोड़ने का क्या मतलब है। किसी को कुछ पता नहीं है कि आर. एस. एस. क्या है, आनन्द मार्ग क्या है, यहां तक कि कोर्ट वर्डिक्ट्स का भी पता नहीं है।

श्री ए. जी. खेर जो उत्तर प्रदेश में मिनिस्टर रहे हैं और बाद में असेम्बली में स्पीकर बने, उन्होंने उन्हीं दिनों बतलाया था, कपूर कमीशन ने भी यह कहा:

"Having made a searching enquiry into the conspiracy to murder Mahatma Gandhi, the Kapur Commission categorically declared:

"An experienced administrator like Mr. R.N. Banerjee has stated that the RSS as such were not responsible for murder of Mahatma Gandhi, meaning thereby that one could not name the organisation as such as being responsible for that most diabolical crime, the murder of the apostle of peace..."

इस सदन में जब श्री चन्द्रजीत यादव ने इस प्रकार का आरोप लगाया तो मैंने उठकर कहा था कि ऐसे नहीं चलेगा, इसको साबित करो। यदि आप ऐसे कहते जायेंगे तो हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। श्री ए. जी. खेर ने जिनका मैंने अभी उल्लेख किया था—

"A.G. Kher, Minister of Local Self-Government in Uttar Pradesh and a staunch follower of Patel, responded to the criticism by asking why certain Congressmen opposed the RSS when members of Arya Samaj or the Jamat-ul-Ulema were eligible."

आगे वह कहते हैं–

"It cannot be that they were involved in Gandhi's murder for they were exonerated of that charge in a court of law. He continued by saying 'calling them Fascists, abusing and insulting them, and again and again repeating old charges does not serve any purpose, nor is it a Gandhian method...."

यह ए. जी. खेर जी का कहना है। क्या आप कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं? आर.एस.एस. कोई छिपा नहीं है, उसके बारे में किताब-पर-किताब हैं। सवाल यह है कि इस देश के अन्दर किसी को संगठन बनाने का अधिकार है या नहीं है? आर.एस.एस. हिन्दुओं का संगठन है, क्या सरकार हिन्दुओं का विचार नहीं करती, क्या सरकार ने आर्टिकल 25 में हिन्दुओं का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, सिख उसमें आते हैं, जैन उसमें आते हैं, क्या हिन्दू कोड आपने नहीं बनाया? हर एक को संगठन बनाने का इस देश में अधिकार है, देशभक्ति के आधार पर चरित्र निर्माण करने का हर एक को अधिकार है। लेकिन इस तरह से लगातार गलत-सलत बोलते रहना–

This is the worst form of fascism in this world.

क्योंकि हम इतने विदेशी बन गये हैं कि अगर हमको गाली भी देनी हो तो स्वदेशी में देनी नहीं आती। कोई कहता है ये नाजी हैं, कोई कहता है फासिस्ट हैं, कोई कहता है–कम्युनिस्ट हैं, कोई कहता है फलाने हैं और जो गांधी जी का नाम लेते हैं, वे कहते हैं कि हम यंगस्टर्स हैं। कोई अच्छी बात कहते हैं तो वह भी बाहर की और बुरी बात कहते हैं तो वह भी बाहर की, हिन्दुस्तान में कोई विकास करना चाहें तो वह भी नहीं कर सकते।

Do you know what is fascism

1967 से लेकर आज तक सवाल करता आया हूं, लेकिन उत्तर नहीं आता। फिर भी बार-बार यहां आरोप लगाते जाना–यह फासिज्म है और इसलिये है कि आपके पास अधिकार है। आप चाहें तो मेरी आवाज बन्द कर सकते हैं आप चाहें तो मुझको पकड़ कर जेल में बन्द कर सकते हैं, झूठे आरोप लगा सकते हैं।

नगरवाला मर गये, लेकिन उन्होंने मेरे पास एक चिट्ठी लिख कर भेजी थी, उस चिट्ठी को मैंने सदन में पढ़ कर सुनाया था। उसने कहा था–

"Why do you catch the tail of the bull and not its horn?"

मैंने चव्हाण जी से पूछा—

"Mr. Nagarwala considers himself to be tail in the drama. Who is the horn?"

क्या हुआ, कोई जवाब आया–

This is fascism.

इस सदन में बैठने के बाद भी 60 लाख रुपये का घपला होता है, घोटाला होता है, गड़बड़ होती है, लेकिन पता नहीं चलता–This is fascism अधिकार के मद में, अधिकार की मस्ती में दूसरों का मुंह दबाना, बंद करना–This is the worst type of fascism. लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं–यह भारत की भूमि है–न हिटलर की न मुसोलिनी की। इस भूमि में पावित्र्य, पराक्रम और पुरुषार्थ भरा है। यहां दसमुखा रावण हुआ, लेकिन उसको भी समाप्त करने वाले राम इसी भूमि में पैदा हुए। दुनिया को दानवता की ओर ले जाने वाला कंस इसी भूमि में पैदा हुआ, लेकिन उसको भी सीधा करने वाले कृष्ण इसी भूमि में पैदा हुए। यह भूमि पुरुषार्थ, पराक्रम और चारित्र्य से भरी पड़ी है। इसीलिये गांधी जी की हत्या के आरोप में 80 हजार लोगों को बन्द करने के बाद भी आप उनका कुछ न बिगाड़ सके, उस घटना के 27 साल बाद भी आप इस तरह की बातें कर रहे हैं–आप को शर्म आनी चाहिये।.... आप हंस रहे हैं। जो जेल में जाते हैं, जिनको सहन करना पड़ता है, वे उसको जानते हैं, 80 हजार लोगों को पकड़ कर भी आप आरोप साबित नहीं कर पाये, लेकिन उसके बाद भी यहां पर बोलते जायें–यह फासिज्म नहीं है तो क्या है? जो आज हंस रहे हैं उन को कल रोना पड़ेगा, मैं यह ज्योतिष के नाते भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जनता आपको गधे पर बैठा कर हजामत करके साबरमती में ले जाकर डूबो देगी यह दिन मत भूलें।

*** *** ***

सबसे ज्यादा गुरु गोविन्द सिंह जी का नाम समग्र भारतवर्ष में यदि किसी ने पहुंचाया है तो संघ ने पहुंचाया है। मैं जब पंजाब में घूमा, तब मैंने बतलाया कि जब मैं संघ में गया तो मैंने राणा प्रताप का नाम सुना, मैंने गुरु गोविंद सिंह जी का नाम सुना, मैंने वीर बन्दा वैरागी का नाम सुना तो जितना मेरे मन में प्यार है, जितना मेरे मन में आदर गुरु गोविन्द सिंह जी के लिए उतना में समझता हूं शायद किसी में हो। जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी ऐसे वीरवर के उदाहरण सामने रखे जाते हैं तो मैं उस ढंग से नहीं बोला हूं, आप मुझे गलत न समझें। मैं यह कह रहा था कि लोकतंत्र का मतलब यह है कि आप विरोध कर सकते हैं, आप असहमति प्रकट कर सकते हैं किन्तु लगातार झूठे आरोप और वह आरोप भी प्रस्ताव में पास करके रखना और आर. एस. एस. तथा आनन्दमार्ग को एक साथ जोड़ दिया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि गृह मंत्रालय का कारोबार चलाने की क्षमता आप में रही नहीं।

जहां तक सीमा विवाद का प्रश्न है उसके सम्बन्ध में दीक्षित जी से मेरी बात हुई, मेरी और प्रो. दण्डवते जी की बात हुई लेकिन उसका इसमें उल्लेख तक नहीं है। हमने मांग की थी कि 26 जनवरी के पहले सीमा विवाद हल हो जाये लेकिन उसका इसमें उल्लेख तक नहीं है। कितने एजिटेशन्स हुए, मकान जले, दुकानें जलीं, कितनी जानें गई, क्या वह एजिटेशन नहीं थे लेकिन इसमें उल्लेख तक नहीं है। इसलिए क्या यह कंप्लीट डाकूमेंट है? महाराष्ट्र में एजिटेशन हुए, मैसूर में एजिटेशन हुए लेकिन सीमा विवाद हल न करने वाली सरकार उसको भूल गई। हम तो मांग कर रहे थे कि 26 जनवरी के पहले इस विवाद को हल किया जाये। सभी का समाधान होगा ऐसा नहीं है कि हल निकलेगा नहीं लेकिन जो भी हल हो वह जल्दी निकले। किसी न किसी को उससे असन्तोष जरूर होगा किन्तु वह असन्तोष एक बार ही होगा; बार बार नहीं होगा इसलिए जहां तक सीमा विवाद का सवाल है, जितनी जल्दी, यह हो उतना ही अच्छा है।

फारेनर्स के बारे में जिक्र किया गया मेरी समझ में नहीं आता फादर फेरर को, महाराष्ट्र में उनकी गतिविधियां ठीक नहीं हैं यह बताकर जब आंध्र भेजा गया तो आंध्र में भी उनको अरेस्ट किया है। उसी समय मैंने हाउस में पूछा था क्या केन्द्र शासित कोई नीति है या नहीं विदेशी के बारे में? पहले महाराष्ट्र सरकार उनको भेजती है यह कहकर कि उनकी गतिविधियां ठीक नहीं हैं तो आंध्र सरकार ले लेती है। तो आपकी कोई नीति नहीं है। कोई तो एक नीति होनी चाहिए। देश का कोई चित्र, कोई लक्ष्य आपके सामने है या नहीं? या ऐसे ही चलेगा। अभी मिजोरम की कुछ बात आई, कभी नागालैंड की बात आती है और कभी मेघालय की बात आती है। मेरी समझ में नहीं आता आप राज्य शासन क्या चलाते हैं। यूनियन टेरिटरी में दादरा व नगर हवेली का उल्लेख है, वहां से जन प्रतिनिधि भी आकर बैठता है। 1954 में गोवा का एक हिस्सा दादरा व नगर हवेली मुक्त हुआ लेकिन न वह गोवा में है, न गुजरात में है और न महाराष्ट्र में है। केन्द्र शासित हो गया। आखिर कौन सा तरीका है राज्य चलाने का? राज्य शासन चलाने के लिए 1955 में आपने कमीशन क्यों बिठाया जब बड़े राज्य आये, ए. बी. सी. डी. को ए. क्यों किया? यह क्यों चल रहा है? कोई तो राशनेल होना चाहिए। दादरा व नगर हवेली अलग क्यों रहे? बाकी छोटे-छोटे हिस्से अलग क्यों रहें? हम राष्ट्रीय एकात्मकता की बातें करते हैं लेकिन जो हमारे पूर्वोत्तर प्रदेश हैं उनको हमने पिछले 27 वर्षों से एकात्मकता के साथ जोड़ने की कौन सी कोशिश की। आज मेरे मित्र ने बलात्कार के उदाहरण दिए, न केवल यह सदन बल्कि पूरा देश एजिटेटेड है। एक छोटे से हिस्से में ऐसा होता जाये, जैसा कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने विचार दिए थे, ऐसी भावना यहां पर होती जाये और उस पर शासन विचार न करे, यह अच्छा नहीं है। राष्ट्रीय एकात्मकता का मतलब होता है कि देश देह है और राष्ट्र आत्मा होती है। सांस्कृतिक विचारधारा एक होती है। अलग-अलग आंखें होने के बाद भी हम एक ही देखते हैं। तो समग्र भारतवर्ष में एक विचारधारा के आधार पर सभी को खड़ा करने में हम असफल रहे हैं। केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कितनी बातें आती हैं, शशि भूषण जी चले गए। वे हमेशा अफसरों के खिलाफ बहुत बोलते हैं। जब दिल्ली का सवाल आता है, जो म्युनिसिपल कमिश्नर है जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्ताव पास किया जाता है लेकिन वह रद्दी की टोकरी में फेंकने के लायक हो जाता है तो आखिर आप यहां पर बैठकर करते क्या हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता। जो ब्यूरोक्रैट्स हैं उनको आप मजबूत करने की कोशिश करें क्योंकि वहां भारतीय जनसंघ के हाथ में है, यह कहां तक उचित है, नौकरशाही की अगर कहीं गलती है तो उसको आप ठीक करें। इसलिए मैं कहना चाहता हूं विचहंटिंग, विलोफिकेशन और मेलाइनिंग, यह जो सब चलता है इसका नाम, लोकतंत्र नहीं है। एक बार आपने पाबन्दी लगाई, फिर आप लगा सकते हैं क्योंकि आप फासिस्ट गवर्नमेंट हैं। लेकिन भारत माता ने जिसको जन्म दिया है वह ऐसी गलत धारणा और ऐसे क्रूर दमन से हटेगा नहीं बल्कि भारतीय जनता के विचार ऊपर आयेंगे।

इन शब्दों के साथ में आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में

श्री जगन्नाथ राव जोशी और अन्य संसद सदस्य समिति के दौरे के दौरान

हिमाचल प्रदेश के दौरे के दौरान सम्मानित किये जाने पर

संसदीय राज भाषा समिति के सदस्य के रूप में

श्री जगन्नाथ राव जोशी और अन्य संसद सदस्य समिति के दौरे के दौरान

संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में

श्री जगन्नाथ राव जोशी और अन्य संसद सदस्य समिति के दौरे के दौरान

श्री जगन्नाथ राव जोशी और अन्य संसद सदस्य समिति के दौरे के दौरान

SOCIAL ISSUES
सामाजिक मामले

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1972*

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें संदेह नहीं कि यह बड़े महत्व का विधेयक है, केवल अलीगढ़ विश्वविद्यालय ही नहीं, आज देश के कई विश्वविद्यालयों में धांधली चालू है, गड़बड़ी चालू है। अब शिक्षा का जहां तक सवाल है, हम यह कह कर चुप रहते हैं कि वह प्रदेश का मामला है, केवल जहां तक सैन्ट्रल यूनिवर्सिटीज का सवाल है, उसको हम देख लेंगे। किन्तु मुझे लगता है कि शिक्षा, जिससे आदमी सुसंस्कृत हो जाता है एक जीवन-दर्शन दिया जाता है, उसमें केन्द्र की भी जिम्मेदारी है। इसलिये गड़बड़ केवल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ही नहीं, अन्य यूनीवर्सिटियों में भी चालू हैं, तो उन सबको एक ठीक मार्ग दिखलाने की दृष्टि से सोच समझ कर एक आदर्श विधेयक सामने आता तो आगे चलकर दूसरों को भी उससे कुछ बातें मिल जातीं।

अभी जैसा हमारे सम्माननीय सदस्य, जिनका महाविद्यालयों के प्राचार्यों के नाते बड़ा संबंध है, ने कहा कि केवल चुनाव की वजह से काफी गड़बड़ी पैदा होती है। चुनाव की वजह से मन-मुटाव पैदा होता है, चुनाव को कम करके कोई अलग तरीका ढूंढा जाता है तो वहां गड़बड़ी कम होती है। तो इस दृष्टि से एक आदर्श बिल के रूप में इसको हमारे सामने लाते तो उसका लाभ होता, लेकिन समझ में नहीं आता कि इतनी जल्दी क्या है। आखरी दिन में इसको लाया गया, एक दिन में पारित हो रहा है और जिस पर केवल हमारे मंत्री महोदय के ही 46 संशोधन हैं और आज जब से हम यहां बैठे हैं, 11 बजे के बाद तीन संशोधन आये। हम को इतना भी समय नहीं दिया गया कि पुराना बिल क्या है, नया क्या है, क्या डिलिट किया गया है, क्या एडीशन की गई है, उसको देख सकें। सबको देखकर अपना मत प्रकट करने का समय है क्या? यह फिजिकली इम्पौसिबल है। 46 संशोधन आपके हैं, सदस्यों ने अलग संशोधन दिये हैं, सब संशोधनों को सामने रख कर उनका क्या परिणाम निकलता है, क्या नहीं निकलता है, जब तक इसका अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक हम क्या राय दे सकते हैं। केवल एक दिन में क्यों पास करें, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। अगर पास कराना था तो आठ-दस दिन पहले लाते, किसी ने रोका नहीं था .....

*** *** ***

यह अकेले की बात होती तो फिर डेमोक्रेसी की बात नहीं रहेगी। इसलिये सबको इस पर ध्यान देना है, सबको विचार करना है। मुझको कोई शिकायत होगी तो हो सकता है मेरे सम्माननीय मित्र शमीम जी को भी शिकायत हो सकती है और अभी भी कुछ लोगों ने संशोधन दिया है कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाये। यह बड़ा महत्वपूर्ण विधेयक है, इसलिये इस पर पूरा विचार किया जाये, इसलिए मेरी समझ में नहीं आता कि इतनी जल्दी क्यों की जा रही है।

---

* उपरोक्त विषय पर चर्चा में भाग लेते हुए।
लोक सभा वाद-विवाद, 1 जून, 1972, cc 75-84 ।

इस यूनिवर्सिटी में जिस बात को लेकर गड़बड़ी शुरू हुई, वह इसके माइनौरिटी करैक्टर को लेकर शुरू हुई। आप विभाजन के बाद 25 सालों में भी यह तय नहीं कर पाये हैं कि माइनौरिटी का मतलब क्या होता है? या तो इस बात को स्वीकार करके चलिये कि यह हिन्दुस्तान है, यहां हिन्दू ही हैं और इनके अलावा जो हैं व माइनौरिटी हैं। अगर आप इस बात को मान लेते हैं तो जैसे नेपाल है–वह एक डिक्लेअर्ड हिन्दू राष्ट्र है तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि वहां केवल हिन्दू ही हैं, दूसरे मतों को मानने वाले भी हैं। उसी तरह से हिन्दुस्तान के अन्दर कोई भी ऐसा नहीं कहता कि जो अलग-अलग मत और पंथ के मानने वाले हैं, वे बाहर वाले हैं, वे सब इसी राष्ट्र के निवासी हैं। कई मित्रों ने कहा कि सेक्यूलैरिज्म क्या है? सेक्यूलैरिज्म केवल ईसाई या मुसलमानों के साथ ही जुड़ा हुआ नहीं है। जब वे भारत में नहीं थे, तब भी ऐसे झगड़े होते थे–शैव, वैष्णव, गणापत्य, अनेकों देवी-देवताओं के मानने वाले थे, तो उस समय भी देश के आचार्यों को रास्ता दिखलाना पड़ा। उन्होंने कहा कि झगड़ा क्यों करते हो–

आकाशत पतितम् तोयम यथा गच्छति सागरम्।
सर्व देव नमस्कारम् केशवं प्रति गच्छते।

उन्होंने पंचायतन् पूजा प्रारम्भ की। हम जिसको माइनौरिटी कहते हैं, वह क्या है? कोई कहेगा कि मैं मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता, मत कहिये, कोई रोक नहीं है; यहां के जैनी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। आर्य समाजी विश्वास नहीं करते या सिख मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, तो संविधान की धारा 25 में जहां हिन्दू का वर्णन किया है–इट इज ए डिस्क्रिप्शन, नाट ए डेफिनीशन–जिसके अन्तर्गत आपने स्वीकार किया है, कि सिख, जैन, बौद्ध, हिन्दुओं में आते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि और क्यों नहीं आते, एक नाम क्यों नहीं देते, कोई भी नाम दीजिए, हिन्दू कहिये, भारतीय कहिये, आर्य कहिये, इसका मतलब एक ही निकलता है।

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि कुछ गहराई से विचार करें, जब तक नहीं सोचेंगे तब तक ऐसी समस्याएं पैदा होती रहेंगी। जिनका हल करना मुश्किल हो जायेगा। जब हम इस देश के हैं तो हमारे अन्दर कोई न कोई समानता होनी ही चाहिए। हम इसके नागरिक हैं, यह समानता नहीं है यह रिजल्ट है, कॉज नहीं है। हम जब कहते हैं कि हम राष्ट्रीय हैं तो इसका मूल आधार कौन सा है, जिसके आधार पर मैं कहूंगा कि हम सब एक हैं। वह होती है देश की संस्कृति। इसी आधार पर हम कहते हैं केवल भूमि और जन्म से नहीं होता हमारे विदेशी राजदूतों के बच्चे कहीं वाशिंगटन में जाकर पैदा होंगे, कहीं रूस में पैदा होंगे तो फिर वे भारत के क्यों समझे जायेंगे। इसका आधार कौन सा है? इसलिए कुछ न कुछ आपको तय करना पड़ेगा। यह जो छोटी-छोटी बातें हम करते हैं, ऐसी लूज बाते करते हैं सेक्यूलेरिज्म का मतलब कोई ईसाई हो, कोई मुसलमान हो, यह सवाल नहीं है। यह एक जीवन का दृष्टिकोण है मैं किसी एक पंथ को मानता हूं इसका मतलब सभी उसी को माने यह नहीं।

"Democracy is not only a framework. It is an attitude of the mind where you are prepared to accept and understand the other man's point of view and if you agree accommodating completely and identifying yourself with it."

यह होती है डेमोक्रेसी, यह है प्रजातन्त्र, जीवन-दर्शन जिसकी खुली छूट देता है।

As a matter of fact, the whole question arose only because of this factor. Many people would like to maintain its minority character. They have deleted Section 12(A) and they would like to make it a completely residential University. What for? The right to affiliate other colleges has been deleted. Why?

यानी दोनों को एक साथ मिलाने की कोशिश हो रही है। यही तो महत्वपूर्ण सवाल है। बाकी और क्या है? झगड़ा तो इसी में हो रहा है। इसलिए अभी कई लोगों ने कहा हिन्दू मुसलमान लेकिन उसका सवाल ही नहीं है। नाम में क्या है?

सवाल आता है काम का, नाम का सवाल ही नहीं आता है। आखिर सब आप निकाल दीजिए लेकिन मैं जगन्नाथराव जोशी ही रहूंगा और मेरे मित्र भी शमीम अहमद शमीम ही रहेंगे क्या यह भी बदलने की जरूरत है? क्या इससे पहचाना नहीं जाता कि वे मुसलमान हैं मैं हिन्दू हूं। यह क्यों बदलना चाहिए? कोई सनातन धर्म कालेज में जाता है तो क्या हम कहेंगे कि वह सनातनी है या डी. ए. वी. कालेज में कोई जाता है तो क्या हम समझेंगे कि वह आर्य समाजी है? इसलिए इसमें सवाल है मनोवृत्ति का और दृष्टिकोण का अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से बड़े-बड़े अच्छे लोग निकले, मुझे इस बात की खुशी है। किन्तु अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर रहे अली यावर जंग उन्होंने जो इसमें कहा है:

"But an institution must justify itself by being a real University and not a home of obscurantism, reaction and violence. It must either accept the world of India"—

-This is very important, Sir—

"Or be extinguished."

यह मेरे शब्द नहीं हैं, यह तो श्री अली यावर जंग के शब्द हैं।

इसी प्रकार से हमारे भूतपूर्व शिक्षा मंत्री श्री वी.के.आर.वी. राव—इस समय वे सदन में नहीं हैं—उनके विषय में जमायते इस्लामी के ''दावत'' अखबार में छपा कि एक प्रतिनिधिमण्डल मिलने गया। उस प्रतिनिधिमण्डल ने कहा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का करैक्टर वैसा ही रहे। राव साहब ने जो कहा उसको मैं उद्धृत करना चाहता हूं: यदि आप अलीगढ़ विश्वविद्यालय का मुस्लिम एवं अल्पसंख्यक चरित्र बनाये रखना चाहते हैं तो आपको जनरल याहिया खां को हमें जीतने के लिए बुलाना होगा। इस प्रकार अलीगढ़ विश्वविद्यालय की जो मांग रही है यह देश के बंटवारे के लिए उत्तरदायी है। यह मेरा कहना नहीं है बल्कि हमारे भूतपूर्व शिक्षा मंत्री डॉ. वी.के.आर.वी. राव का कहना है। इसलिए मैंने कहा सारा झगड़ा इसी की वजह से है। जब तक आप इस बात को समझेंगे नहीं तब तक काम नहीं चलेगा कि आखिर हम चाहते क्या हैं? कोई आत्मिक उन्नति चाहते हैं तो उसकी खुली छूट है। बाकी जहां तक सोशल, एकोनामिक, पोलिटिकल प्राब्लम्स हैं, हमारा संविधान सबको खुली छूट देता है।

If there is a violation of the provision of the Constitution, I will be the first man to sacrifice.

आखिर जो हमने स्वीकार किया है उसको हम व्यवहार में लाये हैं या नहीं, यह सवाल है। इसलिए मैंने कहा सेक्यूलेरिज्म का मतलब हिन्दू मुसलमान नहीं है। नाम से कुछ नहीं होता है। रामपुर का मतलब यह नहीं है कि प्रभु रामचन्द्रजी वहां रहते थे, सीतापुरी का मतलब यह नहीं कि वहां सीताजी रहती थीं यह कुछ नहीं है। नाम केवल पहचानने के लिए होते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। इसके पीछे जो जीवन-दर्शन है, देह को लेकर हम खड़े रहेंगे और जो संस्कृति है उसको भूल जाते हैं। देह जैसे देश होता है और आत्मा जैसे संस्कृति होती है।

Everybody must have a soul. One may realise it; one may not realise it because of ignorance. But that is a different thing.

आप मुझसे पूछेंगे तो बताऊंगा कि आखिर यह मेरी आकृति है और मेरी स्वयं की इन्द्रियां हैं और उसी की वजह से विकृति पैदा होती है। उस विकृति को समझकर दूर करना यह मूल आकृति में छिपी प्रकृति को प्रकट करना है। आकृति पर आई हुई विकृति को दूर करने की प्रक्रिया, इसका नाम संस्कृति है। इसको समझना चाहिए।... इसलिए जो विश्व में आता है उसका मानवता की सेवा करने की दृष्टि से मन इतना विशाल हो कि विश्व कुटुम्ब की भावना उसके मन में स्थिर हो जाये। यह हम चाहते हैं। इसमें संकुचित भाव न तो हमने लिया है और न कोई और ही लेगा।

Let us not live on prejudices; let us try to understand ourselves.

आज 25 साल के बाद भी रेजिडेंशल यूनिवर्सिटी के नाम पर जो कालेज एफीलिएट करने की बात थी, वह छोड़ दी गई? आज आपका जो कहना है और गरीबी हटाने की बात जो हो रही है वह बात इसमें आ जाती है अलीगढ़ में तीन कालेजेज हैं। कई बार वे मांग करते आये हैं कि उनको एफिलिएट किया जाये क्योंकि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में 8 हजार विद्यार्थी पढ़ते हैं और जो अनुदान सरकार की तरफ से मिलता है वह है 5,36,25,000 रुपए और जो दूसरे तीन महाविद्यालय में जिनमें 5,325 विद्यार्थी हैं लेकिन सरकार का अनुदान मिलता है केवल 5 लाख 86 हजार रुपए। अब आप हिसाब लगायें तो पता चलेगा कि एक विद्यार्थी पर कितना खर्च आता है। आज जो सामान्य विद्यार्थी वहां हैं वे क्या बड़े ग्रंथालय का लाभ लेना नहीं चाहेंगे? क्या वे प्रयोगशालाओं का लाभ उठाना नहीं चाहेंगे? क्या वे अच्छे प्राध्यापकों का लाभ उठाना नहीं चाहेंगे? आखिर उनको उससे क्यों वंचित किया जा रहा है? यदि उन तीन महाविद्यालयों को वहां पर अलीगढ़ विश्वविद्यालय के रहते हुए आगरा यूनिवर्सिटी से एफीलिएट किया जाये तो उसका मतलब यही है कि दाल में कुछ काला है...

इसमें जहां शिया और सुन्नी, दोनों फैकल्टीज दी हैं तो सूफी जोकि हिन्दुस्तान में शुरू हुआ उसकी चिन्ता नहीं करेंगे? उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे? जिसने बड़ा आदर्श पैदा किया और वास्तव में जिन्होंने एसिमिलेट करने और इंटिग्रेशन का बड़ा भारी प्रयत्न किया उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे?....

इसलिए अध्यक्ष महोदय, वहां पर कम से कम तीन कालेज जो हैं उनको एफीलिएशन क्यों नहीं दिया जाता।

दूसरी बात यह है कि जो रेजिडेंशल किया जा रहा है, लगभग 50 परसेंट विद्यार्थी हैं जिनके लिए हास्टेल्स में जगह नहीं, वे बाहर से आते हैं। They are not hosteliers; nearly 50 per cent of students' population. तो ऐसी स्थिति में रेजिडेंशल किस आधार पर करना चाहते हैं। दूसरे 25 किलोमीटर के दायरे में जो प्रयोगशालायें बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो क्या 25 किलोमीटर में अलीगढ़ नहीं आता। जब आप उसका दायरा बड़ा करना चाहते हैं, 25 किलोमीटर, तो अलीगढ़ के तीन कालेजेज को क्यों नहीं लेते। हाई स्कूल तक आप लेते थे और कालेजेज छोड़ दिए। वह ठीक नहीं है। इस पर हमको थोड़ा गौर करना पड़ेगा।

अब यह बंगलादेश में जो बिहारी मुसलमानों का सवाल आया, यह क्यों आया?

*** *** ***

इसलिये बता रहा हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने क्या किया।

Why have Government brought forward this new Bill, Sir? Because of minority character? They have played havoc, I would like to tell.

जो मनोवृत्ति पैदा हुई है इसकी वजह से बंगलादेश में मुसलमान होने के बाद भी। They are not accommodating themselves with Bengali Muslims. It is we who are responsible for it. What did we do for the last 25 years? यह क्यों हो रहा है? दोनों मुसलमान होने के बाद भी बिहारी मुसलमान बंगलादेश के मुसलमानों के साथ रहने को तैयार नहीं हैं तो आखिर यहां क्या होगा? यह हमारी गलती है, उनकी नहीं है। मैं उनको बिल्कुल दोष नहीं देता। हमने 25 साल तक क्या किया? हमने कुछ संस्कार में परिवर्तन किया, कुछ शिक्षा में परिवर्तन किया? क्या किया? आखिर सबको अलग-अलग दूर रखना चाहते हैं तो यही पैदा होगा और कुछ नहीं पैदा होगा। सवाल सबको ऊंचे आदर्श देने का है। सवाल माइनॉरिटी करैक्टर का नहीं है, सवाल सब तरह की शिक्षा देने का है। कोई फैकेल्टी अछुती न रहे, दुनिया की सारी भाषायें पढ़ें, सारा इतिहास पढ़ें, सोशियो इकॉनामिक प्रॉब्लम का अध्ययन करें। किसी को किसी बात के लिये वंचित करने की जरूरत नहीं है। विश्वविद्यालय के माध्यम से हम यही चाहते हैं।

जैसे कहा जाता है यह रशियन प्रौवर्ब हैं:

*** *** ***

For a fuller development of a man, one should spend six years in a college...

*** *** ***

आखिर फुल डेवलपमेंट आफ ए मैन के लिये यह तीन चीजें जरूरी हैं। तो जिस कालेज में 6 साल बिताते हैं, क्यों बिताते हैं? क्योंकि लाइफ के प्रति एक ब्रौडर आउटलुक पाते हैं। विश्वविद्यालय के नाम ही में है ''विश्व'' वहां यूनिवर्स होता है। वहां जाकर हम छोटे दायरे में, छोटी सी कम्यूनिटी में बैठेंगे तो ब्रोडर पर्सपेक्टिव कहां देखेंगें। इसलिये यह जरूर सोचें। आखिर अहं ब्रह्मास्मि ब्रह्म और मेरा संबंध रहता है। मेरे और ब्रह्म में कई चीजें आ जाती है। इसलिये विश्वविद्यालय में जाने के बाद अहं से लेकर ब्रह्म तक सारी बातें जहां पर विचार कर सकते हैं, जहां ब्रोड माइन्डेडनैस आ सकती है वह विश्वविद्यालय है, और इसीलिए हम विश्वविद्यालय

में जाते हैं। इसलिये जो आर्टिकल 12 डिलीट किया है इस का मैं विरोध करता हूं। उसको बदलने की कोशिश करनी चाहिये, क्योंकि आखिर जो आप उत्तरदायित्व निभाना चाहते हैं वह इसी से होगा। अलग रखने से कुछ नहीं होगा। आखिर हम सब को मिलकर एक देश के नागरिक, बन्धुओं के नाते साथ-साथ चलना है और रहना है। जितना हम दूर रहेंगे।

That will be to the total detriment not only of the country but also of the community.

इसलिए अपने खुद के हित में है।

मैं मानता हूं मंत्री महोदय ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि: It is not in the larger interest of the community also इसलिए आखिर देश और हम खुद, सबकी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि इस पर पूरा विचार हो बड़े गौर से इस पर विचार करें। इसलिए प्रवर समिति को इस विधेयक को सौंपा जाये जहां इस पर पूरा विचार हो और अगले सत्र में हम बड़े गौर से इस पर विचार कर सकें।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के उन्नीसवें प्रतिवेदन संबंधी प्रस्ताव*

सभापति महोदय, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए 19वां प्रतिवेदन जो कुछ दिन पहले सदन पटल पर रखा गया था उस पर हम बहस कर रहे हैं। हम उसको दो हिस्सो में बांट सकते हैं एक तो अनुसूचित जाति और दूसरा अनुसूचित जन-जाति। इन दोनों के सवाल कई मायनों में अलग-अलग हैं। जैसे हरिजन उपेक्षित रहे। वैसे ही यह वर्ग भी अब तक बड़े उपेक्षित रहे। किन्तु दुर्भाग्य की बात यह नहीं है, दुर्भाग्य की बात यह है कि आजाद होने के बाद जितना ध्यान इस बात पर दिया जाना चाहिये था वह इन लोगों ने नहीं दिया। हम लोगों ने खुद को पहचाना नहीं। जैसे सारे शरीर में अगर किसी को प्राथमिकता देनी होती है तो वह पांव को दी जाती है, किसी भी बड़े आदमी के पांव पकड़े जाते हैं उनको नीचा नहीं समझा जाता क्योंकि उसके ही बल पर सारा शरीर खड़ा रहता है। इसको हम भूल गए आज भी जो समाज चलता है उसमें विंडो ड्रेसिंग चलती है। जब भी हम बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो लड़कियां फकफक पाउडर लगाकर यह दिखलाने की कोशिश करती हैं कि वे सुन्दर हैं। शरीर की तन्दरुस्ती की वजह से जो उजलापन आ जाता है उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता। इसी तरह से अगर समाज में कोई अंग विकलांग के रूप में रहे तो सारा समाज कभी भी तन्दरुस्त नहीं रह सकता कभी स्वस्थ नहीं रह सकता।

इसलिये आज जो सवाल अनुसूचित जनजाति का है उसमें कोई अस्पृश्यता का सवाल नहीं है, कोई छुआछूत का सवाल नहीं है। किन्तु जो उनका आर्थिक पिछड़ापन है वह एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरी एक बात है कि उनकी कुछ विशेषताएं हैं जो अलग-अलग हैं। जैसे अलग-अलग बोलियां होती हैं उसी तरह से उनके अलग-अलग रिवाज हैं। वे चाहते हैं कि उनको वैसे का वैसा बनाये रखें। समाज व्यवस्था में यह विशेषता रखकर विकास को हम कैसे साधें। इस दृष्टि से हम पुनर्योजना करते और उनको उनकी विशेषताओं के साथ आगे लाने की कोशिश करते तो आज जैसी भावना कई जगहों पर पैदा हो गई है वह पैदा न होती। यहां पर श्री दशरथ देव बैठे हैं। उन्होंने वर्णन करते-करते कहा कि इंडिया इज ए मल्टि-नेशनल कंट्री। यह बात मैं मान नहीं रहा हूं, लेकिन यहां पर जो छोटी-छोटी जन-जातियां हैं उनका आर्थिक विकास नहीं हुआ, इस बात को लेकर आज देश के अन्दर कई जगह तनाव है। तनाव केवल वहीं है, ऐसा नहीं है। तनाव कई जगह है इस बात को लेकर कि आर्थिक विकास नहीं हुआ। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम किसी दूसरे राष्ट्र के साथ सम्मिलित हैं या हम कोई दूसरे हैं। हम

* उपरोक्त विषय पर चर्चा में भाग लेते हुए।
लोक सभा वाद-विवाद, 15 और 16 नवम्बर 1972, cc 301-07, 319, 261-269।

समग्र रूप से एक ही देश के वासी हैं, एक राष्ट्र के वासी हैं, लेकिन जितना समान रूप से ध्यान जाना चाहिये था उतना नहीं गया है। यह गलती हमको स्वीकार करनी चाहिये।

मैं एक उदाहरण दूं। एक नया राज्य बनाते समय हमने उसको नाम भी अलग दे दिया। यह बात हमारे सामने क्यों नहीं आई कि हम एक अलग नाम दे रहे हैं। अभी मैं अफ्रीका गया था। वहां मैंने देखा कि जो सारे अंग्रेजों के दिये हुए नाम थे, उसको निकालकर वह अपने नाम दे रहे हैं। नार्दन रोडेशिया को निकाल कर उन्होंने जैम्बिया कर दिया, गोल्ड कोस्ट से घाना कर दिया। किसी को लेसोथो कर दिया, किसी का कुछ कर दिया। उन लोगों ने वेचुआनलैंड, सुमासीलैंड, वसूथोलैंड को बदलकर अपना नाम दे दिया, लेकिन हम लोगों ने पुराना नाम होने के बावजूद उसको नागालैंड कर दिया। हमने अपने देश और प्रदेश की बात को भुला दिया। हमारे यहां मध्य प्रदेश है उत्तर प्रदेश है, उसी तरह नागा प्रदेश हो सकता था। इससे कोई गड़बड़ी नहीं होती। नागालैंड नाम देने से यह हुआ कि जो भाग हम से उपेक्षित रहा उसमें कोई और घुस गया। उन्होंने वहां के सारे नये तरीके पैदा किये। आज यहां पर इसका सवाल नहीं है कि भगवान की कौन किस रूप में उपासना करे। यह सवाल तो बिल्कुल पैदा ही नहीं होता। खाली हिन्दुस्तान में इस बात की छूट है। अगर संसार में कोई देश है जहां खुली छूट है तो वह भारत है जहां यह तनाव पैदा नहीं होता है। यहां के सारे भाग हमारे सांस्कृतिक अंग प्रत्यंग हैं। लेकिन कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं, जैसे मणिपुर है जहां अगर वर्षा हो जाए तो हवाई जहाज नहीं जा पाता और आठ-आठ दिन तक रास्ता बन्द रहता है। इसकी ओर हमने ध्यान नहीं दिया। यातायात के साधनों की ओर ध्यान नहीं दिया, औद्योगिक विकास की ओर ध्यान नहीं दिया, वहां लोगों को काम में लगाया जा सके उस ओर ध्यान नहीं दिया। उनका आर्थिक विकास कैसे हो, वहां औद्योगिक विकास कैसे हो, उनका पिछड़ापन दूर कैसे हो, इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। यह सब शासन के करने के काम थे जिनको करने में वह विफल रहा है। इन सब बातों पर जितना ध्यान देना चाहिये था नहीं दिया। यह सरकार की वजह से हुआ, शासन की वजह से हुआ यह उसकी कमजोरी की वजह से हुआ। आरम्भ करने में तो सरकार बड़ी शूर है।

आरम्भशूराः खलु दक्षिणात्याः

आरम्भ में बड़ा शोर होता है किन्तु आगे तक, अन्त तक उसको नहीं ले जाती है। यह कमी शासन की है। सरकार बात तो बहुत करती है किन्तु उसको कार्यरूप में परिणत करने के लिए जिन ठोस कदमों की आवश्यकता होती है, जो ठोस प्रोग्राम काम में लाए जाते हैं, उस ओर ध्यान नहीं देती है। यही बात हिन्दी के बारे में भी है। कई पहाड़ी जनजातियां हैं जैसे मिजोरम है वहां हिन्दी बोली जाती है। ऐसा नहीं है कि बोली नहीं जाती है। यह हो सकता है कि उनकी लिपि न हो। लेकिन हमने उनको अपनी लिपि नहीं दी। गोवा में कोंकणी बोली जाती है। होना यह चाहिये था कि उसको नागरी लिपि में वे लिखते। लेकिन हमें इसमें विफलता मिली और हम उनसे नागरी लिपि में नहीं लिखवा सके। पुर्तगाली वहां आए और उन्होंने उनसे रोमन लिपि में इसको लिखवाया। आज भी कई पहाड़ी जातियां हैं उनको हम अपनी लिपि दें, लेकिन हम दे नहीं पाए हैं। रोमन लिपि में उन्होंने लिखना शुरू किया। यदि हमारे पास नहीं है उसको तो बाहर

से लें, वह अलग बात है। लेकिन जो हमारे पास है, वह तो हम उनको दें। हमें चाहिये था कि हम उनको अपने देश की लिपि देते।

मेघालय बन गया कुछ लोग हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि हमें अलग स्टेट चाहिये। हमने कहा जरूर लो। हिन्दुस्तान में कई स्टेट्स बन गए हैं। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा बन गए हैं और अगर मेघालय बन जाता तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इस पर हम विचार कर सकते हैं।

Do not ask for a separate State on the simple reason that you form a separate culture.

लेकिन विशेषता का मतलब कल्चर नहीं होता है। उसमें मैं नहीं जाता हूं। किन्तु मेरे मित्र ने कहा इसके बारे में तो मेरे मन में भी विचार आया कि मैं भी इसके बारे में कुछ कहूं। आर्थिक विकास हमारा नहीं हुआ इस वास्ते इसका यह मतलब नहीं है कि हम अलग राष्ट्र हैं। भारत में उनके साथ न्याय नहीं किया। उसको करना चाहिये था। ये जो भावनायें पनपी इनकी ओर जरूर ध्यान देना चाहिये और पता लगाना चाहिये था कि उनके मन में ये भावनायें क्यों पनपी और पता लगाकर उनकी समस्याओं का निदान करना चाहिये था। ऐसा तो होता है कि कोई भी बड़ा देश है, उसको मित्र कहने में व्यक्ति गर्व का अनुभव करता है या राष्ट्र गर्व का अनुभव करता है। लेकिन हमारा देश 55 करोड़ की सम्पत्ति का देश है। प्राकृतिक साधनों से भरपूर देश है। यूरेनियम से लेकर घास की पत्ती तक यहां पाई जाती है। भगवान ने मुक्त हस्त से जिसको सभी प्रकार की सम्पदा दी हुई हैं ऐसी धन सम्पत्ति और प्राकृतिक साधन स्रोत से सम्पन्न देश के लोगों को जिनकी आबादी 56 करोड़ है ऐसा क्यों लगता है कि वे पराए हैं, उनको परायापन क्यों महसूस होता है, एकात्मकता की भावना वे क्यों नहीं महसूस करते हैं, क्यों नहीं वे भारतीय कहने में गर्व अनुभव करते हैं? कारण यह है कि हमने उनको वह नहीं दिया जो देना चाहिये था, वह जीवन दर्शन नहीं दिया, जीवन दर्शन की गंगा आखिर तक नहीं पहुंचा पाए, उनके विकास के कामों में हाथ नहीं बंटा पाए। ऊपर से गंगा तो चलो किन्तु बीच में जनू बैठा था और वह उसको पकड़ कर रखे हुए है। भागीरथ प्रयत्न जो हमको करने चाहिये थे हमने नहीं किए। आम आदमी तक गंगा पहुंचे, आर्थिक विकास की गंगा जो बीच में जकड़ी और पकड़ी हुई है उसको उससे छुड़ा कर सामान्य आदमी तक उसको पहुंचाने के जो प्रयत्न हमें करने चाहिये थे हमने नहीं किए। यह काम शासन का था। इसको करने में शासन विफल हुआ है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी निश्चय हम करें उस निश्चय को कार्यान्वित करने के लिए निष्ठा से प्रयत्न करें, कोई कसर उसको कार्यान्वित करने में न छोड़ें। आपने गरीबी हटाओ का नारा देकर जनता से जैसा मजाक किया, वैसा आप मजाक इनके साथ न करें। हिन्दी हम पिछले पन्द्रह साल में लाना चाहते थे नहीं ला पाए। गरीबी हटाना हम चाहते हैं नहीं हटा पाए।

There is nothing wrong in building castles in the air provided you do not forget to give foundation to it.

जो बात कही जाती है उससे आदमी की नेचर जानी जाती है। जो भी आप कहें उसका कुछ आधार होना चाहिये, कुछ आधारशिला होनी चाहिये। आज भी मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजातियों की दृष्टि से बहुत ज्यादा संख्या वाला प्रान्त है। किन्तु बस्तर प्राकृतिक साधनों से भरा पड़ा है। उसका जितना विकास होना चाहिये था नहीं हुआ। वहां रेल तक नहीं गई। बेलाडीला में खनिज लोहा बहुत पाया जाता है। उसको बाहर भेजा जाता है। उसका उपयोग करने की दृष्टि से हमें कुछ करना चाहिए था, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिये था, सरकार को कुछ उपक्रम हाथ में लेने चाहिये थे लेकिन उसने वैसा नहीं किया। लघुवन उपज के राष्ट्रीयकरण के नाम पर बनवासी जो पहले कमाई कर लेते थे उस कमाई को भी वे गंवा बैठे उनको जो मेहनत मजदूरी मिल जाती थी वह भी चली गई। भला करने की इच्छा थी किन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि जो दूरदर्शिता दिखाई जानी चाहिये थी, जिस कल्पना शक्ति से काम लिया जाना चाहिये था, जिस तरह से उनका हित किया जाना चाहिये था, वह नहीं किया गया।

दूसरी समस्या भूमि की है। कुछ एरियाज में मध्य प्रदेश में जहां टोंगिया सिस्टम चलता था उसको बदल दिया गया। बदलने के बाद उसके स्थान पर जो देना चाहिये था वह दिया नहीं। इसका परिणाम यह हुआ कि पहले जिनके पास भूमि थी वे भी भूमिहीन हो गए, जिनके पास घर था वे बेघर हो गए। आर्थिक पिछड़ापन दूर करना है तो जरूरत इस बात की है कि सारे जितने साधन सरकार के पास हैं उनको लगाया जाए।

मंत्री महोदय ने पूछा है कि पांचवें प्लान में इनके लिए क्या किया जाए, इसके बारे में कुछ सुझाव दिये जायें। एक सुझाव मैं भी दे सकता हूं। पांचवें प्लान में कम से कम एक चीज को आप प्राथमिकता दें और यह है पेयजल। आप पहले प्लान से जैसे कहते आ रहे हैं वैसा नहीं होना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि पांचवें प्लान में पेयजल की समस्या बिल्कुल नहीं रहे। आज भी लाखों गांव ऐसे हैं जहां पेयजल का पूरा प्रबन्ध नहीं है। जो आगे बढ़े हुए लोग हैं वहां पेयजल की समस्या है तो ऐसे पिछड़े लोगों की हालत क्या होगी, इसका कोई भी अनुमान कर सकता है। पेयजल के बाद रहने का प्रबन्ध उनके लिए होना चाहिए। घरों की समस्या जो है वह हल होनी चाहिए। ग्रामीण भागों में लोग बेकार हैं काम चाहते हैं उनको काम नहीं मिलता है। मिट्टी पड़ी हुई है, पत्थर पड़े हुए हैं, पहाड़ों के पहाड़ हैं, जंगलों के जंगल हैं, चाहे जितनी लकड़ी मकान बनाने के लिए आप ले लें। फिर मकानों की कमी क्यों हैं?

सभापति महोदय, मैं यह जिक्र कर रहा था कि जहां तक घरों का सवाल है इस देश के अंदर काफी साधन सामग्री उपलब्ध होने के बाद भी यह घरों की समस्या क्यों इस देश के अदर है? यह मेरा सवाल था। क्योंकि आज जो वास्तव में साधन सम्पत्ति है उसका उपयोग हम कर सकते हैं। बेकार हाथ बहुत पड़े हैं जो काम चाहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बेकारी बहुत बढ़ रही है। उनको काम देना बहुत आवश्यक है। तो वहां पर साधन सामग्री जुटा कर उन्हें काम दिया जा सकता है। जैसे यहां काफी पहाड़ है, मिट्टी काफी हैं, लकड़ी काफी है जंगलों में। तो जिन घरों की आवश्यकता हम महसूस करते हैं। वह आवश्यकता हम पूरी क्यों नहीं कर सकते यह मेरी समझ में नहीं आता है। केवल मुझे यही कहना पड़ता है कि सब कुछ होने के बाद भी हम कुछ नहीं कर सकते तो इसका मतलब है।

योजक तंत्र दुर्लभ:

इसकी योजना करने वाला कोई दिखाई नहीं देता। कभी-कभी ऐसा महसूस होता है:

in the midst of a crowd, we feel alone....

*** *** ***

उपाध्यक्ष महोदय, कल मैं यह जिक्र कर रहा था कि जिन सुविधाओं पर हम विचार कर रहे हैं उनमें से एक घर की समस्या है। यह समस्या बहुत भयानक है विशेषत: उन लोगों के लिये जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग के हैं, चाहे वे अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित हों, चाहे अनुसूचित जाति में सम्मिलित हों। अपने देश में प्राकृतिक साधन सम्पत्ति प्रचूर होने के बावजूद उसका उपयोग क्यों नहीं होता यह मेरी समझ में नहीं आता। हम जो पांचवीं पंचवर्षीय योजना लाने जा रहे हैं उसमें कम से कम यह आश्वासन जरूर मिलना चाहिये कि हर गांव में पेयजल की व्यवस्था होगी और किसी को भी चाहे वह पिछड़े वर्ग का हो या जागृत वर्ग का हो, पेयजल की तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। साथ ही कम से कम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को घर की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। औद्योगिक विकास की दृष्टि से भी अगर हम उनके लिए कुछ कर पाये तो मैं समझूंगा कि कम से कम कुछ मात्रा में तो कर पाए।

जब हम अनुसूचित जातियों की समस्याओं के ऊपर आते हैं तो उसके साथ एक पुरानी बीमारी लगी हुई दिखाई पड़ती है, जिसको हम एक कलंक ही कह सकते हैं, और वह है अस्पृश्यता, जो वनवासियों और नव-जातियों के अन्दर नहीं है। उसको निकालने की कोशिश बहुत पुराने जमाने से होती चली आ रही है। बुद्ध भगवान के दिनों में अस्पृश्यता नाम की चीज नहीं थी। गीता में उसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। गीता में सिर्फ चार वर्णों का जिक्र किया गया है। यह बीच में कैसे पैदा हो गई इस परिवर्तन का बाबा साहब अम्बेडकर भी पता नहीं लगा सके कि क्या खास कारण हो गया। कभी-कभी गलत रूढ़ियां समाज के अंदर आ जाती हैं। कभी-कभी उनको तोड़ना पड़ता है। हम लोग जो नियम से बन्धे हुए हैं, नियम से इतने जकड़ जाते हैं कि उसके कारण जो जानकारी हमको चाहिये वह भी नहीं मिल पाती। जो कुर्सी पर बैठे हैं वह कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम नियम से बंधे हुए हैं। नियम जो होते है वह व्यवस्था के लिये होते हैं न कि किसी को रोकने के लिए। इस दृष्टि से जो भी रूढ़ियां गलत तरीके से आ गई हैं उनको हटाने के लिये प्रयत्न करना पड़ता है। बंसवेश्वर महाराज ने बारहवीं शताब्दी में प्रयत्न किया, रामानुजाचार्य ने प्रयत्न किया और आज जब नजदीक आते हैं तो दयानन्द महर्षि, महात्मा गांधी, वीर सावरकर और डॉ. हैडगेवार आदि कितने लोगों ने प्रयास किया। किन्तु इतना होने के बाद भी हम इस कलंक से बच नहीं पाये। अलग-अलग पन्थ निकालने के बाद भी लिंगायत पंथ निकला, वीर शैवालों ने 65 जातियों को बुला कर सबके गले में लिंग बांधकर कह दिया कि कोई भेद-भाव नहीं है आपस में, सब एक साथ हैं, किन्तु इतना होने के बाद भी उनमें बेटी का व्यवहार नहीं। जैनियों का जो पंथ निकला वह भी वैसे ही बैठा हुआ है, उसका भी वही हाल हुआ। सिक्खों का भी वही हाल हुआ, मज़हबी सिक्ख

के नाम से वह मौजूद हैं। इसी तरह के ईसाई बने। मैं जानता हूं कि गोवा में जो ईसाई हैं वह भी आपस में जानते हैं कि यह ब्राह्मण ईसाई हैं और वह क्षत्रिय ईसाई हैं। वह एक दूसरे के साथ बेटी का व्यवहार नहीं करते।

मैं समझता हूं कि हमको समाज को समानता के आधार पर खड़ा करने की दृष्टि से आगे चलना होगा। मुझे इस बात का दु:ख है 25 साल की आजादी के बाद, महात्मा गांधी जी के बड़े भारी प्रयास करने के बाद भी, ज्यादा कुछ नहीं हो पाया है। मैं इस सम्बन्ध में किसी पार्टी को दोष नहीं देता हूं। दोष सबका है। जो जन-जागरण होना चाहिये था वह हम लोगों ने नहीं किया। हम अपनी ही धुन में रह गये। हाथ में अधिकार आने के बाद हम को लगा कि परिवर्तन होगा, लेकिन परिवर्तन आया ही नहीं। मैं जानता हूं कि जहां मंदिर प्रवेश का सवाल है, अच्छे-अच्छे लोगों ने, यहां तक कि लिंगायतों ने भी कहना शुरू किया कि हम हिन्दू नहीं हैं और मन्दिर प्रवेश नहीं देंगे, जैनियों ने कहना शुरू किया हम हिन्दू नहीं हैं।

मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हमको समानता के आधार पर समाज को खड़ा करना है तो जब तक हम देश में जन-जागरण नहीं करेंगे, सामाजिक क्रान्ति लाने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हमें लगता है कि यह कलंक मिटेगा नहीं। एक बात मेरी समझ में नहीं आती है कि जो समाज गाय को पवित्र मानता है, जो समाज कुत्ते को दत्तात्रेय की मूर्ति के पास रखकर उसको पवित्र समझता है वह किसी व्यक्ति को अपवित्र कैसे मान सकता है। यह बिल्कुल गलत रूढ़ि है। इस रूढ़ि की दीवार को हमको तोड़ना चाहिये, फोड़ना चाहिये। पच्चीस साल के अन्दर हमने कुछ नहीं किया, इसको भूलना नहीं चाहिये। आज भी गांव-गांव में हरिजन बड़ी अलग और गिरी हुई स्थिति में हैं। उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, पीने का पानी नहीं मिलता, उनको खाना मिलना मुश्किल है। पढ़े लिखे लोगों को आज भी अच्छे-अच्छे मोहल्लों में मकान नहीं मिलता है। मैं चाहता हूं कि यह सब कानून बनाने से दूर नहीं हो सकता। जब तक हम मन में परिवर्तन नहीं करते, जब तक यह जो बड़ी भारी समस्या है उसकी बीमारी मन में बैठी हुई है तब तक कुछ नहीं हो सकता है। आज आदमी को इलाज करने वाला डॉक्टर बड़ा है और वेटरिनरी डॉक्टर छोटा है, आदमी के बाल काटने वाला बारबर है और भैंसे के बाल काटने वाला नाई छोटा है। यह हमारे मन में बैठा है। कोई भी काम समाज के लिए मैं करता हूं वह पवित्र है, जब तक यह भावना समाज में जागृत नहीं होती है तब तक यह इसी तरह से चलता रहेगा। इसको जागृत करने के लिये शासन को कदम उठाने चाहिये थे। शिक्षा के माध्यम से जन-जागरण होना चाहिये था। सामाजिक क्रान्ति शासन को लानी चाहिये थी। जो मन में परिवर्तन लाना चाहिये था उसको वह नहीं ला पाया है। आखिर हम सब परमात्मा के पुत्र होने के नाते एक ही स्तर पर एकता के आधार पर खड़े हैं। सबका सर्वांगीण विकास होना चाहिये। मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा का समग्र जीवन का विकास होना चाहिये। धर्म चक्र प्रवर्तनाय का यही मतलब है। यह शासन की जिम्मेदारी है। आर्थिक पिछड़ापन दूर करने की आवश्यकता थी। नौकरियां इनको देने की आवश्यकता थी। प्रारम्भिक शिक्षा भी मुफ्त हम नहीं दे पाते। आज भी उनके घरों में जाकर उनके बच्चों को नहीं लाया जाता है शिक्षा देने के लिए। वनवासी पहाड़ों में बिखरे पड़े हैं। उनके बच्चे कहां जाते हैं शिक्षा पाने के लिए। उनको शिक्षा कौन देगा? जो पढ़ा लिखा

है उसको यह कह कर नौकरी नहीं दी जाती है कि वह सूटेबल नहीं है। उसको नौकरी से इस आधार पर वंचित रखा जाता है। कई बार माननीय सदस्यों ने इस सवाल को यहां उठाया है। आज भी हम देखते हैं कि प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी में इन जातियों के गिने-चुने लोग ही हैं। आगे जैसे हम जाते हैं तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में तो पता चलता है कि कुछ नौकरियां उनको मिली हैं। यह जो भेद-भाव है यह कांग्रेस के शासनकाल में बिल्कुल नहीं होना चाहिये था। कभी-कभी कहा जाता है कि अच्छा नहीं किया। अगर अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा तो मत करो। बुरा भी आप करते हैं।

हरिजनों के साथ नौकरियों के मामले में, शिक्षा के मामले में अन्याय होता होगा किन्तु उन पर अत्याचार क्यों होते हैं? कुछ मामले मैं देखता हूं। मुझे लगता है कि आजकल यह बीमारी जो बड़ी तादात में बढ़ती जा रही है यह इस वास्ते कि हम भारी बहुमत से चुनकर आए हैं और इसकी वजह से मन में एक बात बैठ गई है कि मुझको पूछने वाला कोई नहीं है। पुलिस भी ज्यादती कर सकती है। लेकिन गांव-गांव में कौन करता है। जो हमने देखा है उनको मैं आपको सुनाता हूं। बावड़ा, जोकि पूना जिले में है, वहां क्या हुआ? इसको मैने कंसलटेटिव कमेटी में भी उठाया था। जिला परिषद के चुनाव को लेकर क्या हुआ? पांच महीने तक हरिजनों का बहिष्कार क्यों किया गया है? क्या सिर्फ इसलिए कि एक आदमी जो आज महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में मंत्री है उसका भाई चुनाव लड़ रहा था और उसके विरुद्ध एक हरिजन खड़ा रहना चाहता था। मैंने स्वयं इस मामले को कंसलटेटिव कमेटी में उठाया है। मुझे बताया गया है कि उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मैंने जानकारी लेने की कोशिश की। मुझे पता चला कि अस्पृश्यता निवारण कानून के अन्तर्गत यह मामला दर्ज नहीं किया गया है और ऐसा करने का कारण यह है कि उनको ज्यादा दण्ड मिल सकता था और सारे सवर्ण लोगों को इसमें लपेटा जा रहा है। दादा वर्ग हर गांव में पैदा हो गया है जो रूलिंग पार्टी से सम्बद्ध है। उसको पता है कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है। उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए वहां का थानेदार भी तैयार नहीं होता है। मैं अपनी कांस्टिट्यूएंसी की बात आपको बताता हूं और नाम लेकर बताता हूं। मेरी कांस्टिट्यूएंसी में जीरापुर में स्वयं हरिजनों ने मुझे आकर बताया है कि कोई हरिजन जा रहा था उसको कांग्रेसी नेता ने मारा पीटा। मैंने गांव वालों से पूछा तुमने इसके बारे में कुछ क्यों नहीं किया? उसी रात को पब्लिक मीटिंग में मैंने गांव वालों को पूछा तुम क्यों चुप बैठे रहे जो जुर्म करने वाला है उसको पकड़ कर पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया, किसी को मारने की इजाज़त चाहे वह नेता हो या कोई भी किसी को भी नहीं है, और जो जुर्म करता है उसको पुलिस के हवाले किया जाना चाहिये था। लेकिन वे बेचारे क्या कर सकते हैं घोड़े पर कोई जाए तो उसको कोड़े मारे जाएं और गरीब सहन करते रहे, यह नहीं हो सकेगा। मैंने गांव वालों को यह भी कहा है कि हर जगह पुलिस नहीं जा सकती है। आपको भी अन्याय को सहन नहीं करना चाहिये। गांव-गांव में पुलिस नहीं जाएगी। जब तक मन में गन्दगी रहेगी पुलिस क्या करेगी? गांव-गांव में आपको जन-जागरण करना चाहिये, क्रान्ति लानी चाहिये थी। परबनी जिले में औरतों को नंगा घुमाया गया। मैं पूछता हूं कि वे लोग क्या करते हैं, क्यों नहीं आगे आते हैं। लेकिन शासन उनको आगे नही लाया है। शिक्षा में उसने उनको पीछे रखा है। नौकरियों में पीछे रखा है। यह जो आपने किया, इसको तो किया लेकिन कम से कम उन पर अत्याचार तो न होने

दें और न ही आप उन पर अत्याचार करें। मैं चाहता हूं कि जब कभी भी किसी घटना का शासन को पता चले, उसको तुरन्त कार्रवाई करनी चाहिये। बावड़ा गांव की घटना के बारे में मैंने कंसलटेटिव कमेटी में पूछा था और मुझे बताया गया कि उनके खिलाफ कुछ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है लेकिन हरिजन कानून के अंतर्गत नहीं हुआ है। मैं जानता हूं कि उनको सजा कुछ नहीं होगी और ऐसे ही वे रिहा हो जाएंगे, छूट जाएंगे। कोई भी गलत काम करता है तो उसको दंड मिलना चाहिये। पिछले पच्चीस साल में उनकी शिक्षा की समस्या, उनके घर की समस्या, उनको नौकरियों में लेने की समस्या आदि जो उनकी समस्याएं हैं उनमें से हम किसी को भी हल नहीं कर पाए हैं। अनटचेबिलिटी आज भी कहां-कहां है और किस-किस रूप में है, इसके उदाहरण बड़े मजेदार हैं। चंडीगढ़ में कमिशन की रिपोर्ट में बताया गया है कि जब एक हरजिन को यह मालूम हुआ कि हरिजन कहने से नौकरी नहीं मिलेगी तो किचनमेड की नौकरी के लिए उसने अपना नाम बदल दिया। यह अनटचेबिलिटी आज भी किसी न किसी रूप में चालू है। मैं चाहता हूं कि इन सब बातों की ओर शासन ध्यान दे और जो उसका दायित्व है, उसको वह समझे। अन्याय जो उनके साथ होते हैं, उनको बन्द किया ही जाना चाहिये और अगर वह आप नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो करिए कि उन पर अत्याचार न हो। यह तो शासन के देखने की चीज है।

यह पार्टी का सवाल नहीं है। कोई भी करता हो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन*

उपाध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रतिवृत्त 1970-71 और 1971-72 का जो है उस पर सदन में चर्चा हो रही है। कई लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण विचार अपने सामने रखे हैं। किन्तु मुझे लगता है कि आजादी के उपरान्त यदि किसी पर विशेष बात की ओर हमने बड़ी भारी उपेक्षा की है तो यह शिक्षा का क्षेत्र है, क्योंकि प्रतिवृत्तियों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि विश्वविद्यालयों की संख्या भी बढ़ी है; महाविद्यालयों की संख्या भी बढ़ी है, छात्रों की संख्या भी बढ़ी है। 11 लाख से 32 लाख तक छात्रों में वृद्धि हुई है। किन्तु आखिर में प्रतिवृत में आयोग को यह कहना पड़ता है कि आज विश्वविद्यालयों में गड़बड़ी है, वहां आराजकता है, अनुशासनहीनता है। यह जो सारा उनको इतने साल के बाद कहना पड़ा है इसका अर्थ यही है कि शिक्षा का मूल रूप से विचार करके पिछले 25 साल में एक नई पीढ़ी को तैयार करने का जो दायित्व था उसको हमने निभाया नहीं है।

शिक्षा के दो अंग होते हैं—एक अंतरंग और एक बहिरंग जैसे व्यक्ति में भी होता है एक देह और एक आत्मा। शिक्षा की आत्मा है व्यक्ति सुविज्ञ बने, सुसंस्कृत बने और शिक्षा का बहिरंग या देह है कि वह समाज का कोई भी काम जिम्मेदारी से उठाने लायक सक्षम बने। और 25 साल बाद पता चला कि दोनों मोर्चे पर हम हार गये। आज न हमारा विद्यार्थी सुविज्ञ है, न हमारा विद्यार्थी सक्षम है।

बहुत लोगों ने कहा कि शिक्षा जॉब-ओरियेन्टेड होनी चाहिये। यह बात कब हमारे मन में आयी? जब पढ़ा लिखा वर्ग कहने लगा कि मेरे सामने भविष्य अंधकारमय है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तब पता चला कि हमारी पढ़ाई और जीवन में कर्तव्य के साथ कर्तव्य निभाने की जो जोखिम जिम्मेदारी है दोनों में कोई मेल नहीं है। इसलिये फिर विचार आया कि जॉब-ओरियेन्टेशन हो। मेरे प्रोफेसर मित्र ने कहा:

"Let there be some re-orientation". The question is: if there is orientation, then only re-orientations. Where is the, orientation?

उस पर हमने विचार नहीं किया। आजादी के पहले स्वस्थ जागृति लोगों में पैदा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कई संस्थायें निकलीं और उनमें से नेता निकले। तब अंग्रेजी में शिक्षा दी जाती थी। बाल गंगाधर तिलक ने भी एक संस्था चलाई। उनका महापात्र जैसे लोगों ने मजाक किया। कहा कि आप पढ़ाओगे, क्या चार-चार आठ के बदले चार-चार दस पढ़ाओगे। उन्होंने कहा कि वह गणित पढ़ाएंगे और कोई नहीं लेकिन इतना ही नहीं 33 करोड़ वाले विशाल देश

* उपरोक्त विषय पर प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए।
लोक सभा वाद-विवाद, 20 नवंबर 1973, cc 267-73 ।

पर साढ़े चार करोड़ लोग कैसे राज करते हैं; छोटी संख्या और बड़ी संख्या का जो अन्तर है वह भी बताएंगे और स्वस्थ जागृति भी लोगों में पैदा करेंगे। शिक्षण का यह माध्यम है। किन्तु पच्चीस साल हो गए हैं शिक्षा कौन से माध्यम से दी जाए यह भी तय नहीं हो पाया है। आज की जो गड़बड़ी है उसके कई कारण हैं। एक यह भी है कि नीचे के स्तर पर हमने प्रादेशिक भाषा अपनाए जाने की छूट दी है और महाविद्यालय में जब बच्चे जाते हैं तो वहां प्रादेशिक भाषा में वे शिक्षा ग्रहण कर नहीं सकते हैं और एक दम से उनको अंग्रेजी में शिक्षा ग्रहण करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उनके सामने कोई लक्ष्य है या नहीं है? समग्र भारत के व्यक्ति किसी भी प्रदेश के हों, कहीं भी पले और बड़े हुए हों, केरल के हों या कश्मीर के हों, जब वे इकट्ठे मिलेंगे तो किसी न किसी भाषा में अपने विचार तो प्रकट करेंगे ही। क्या इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। हिन्दी को हम लोगों ने स्वीकार किया है। स्वीकार करने के बाद भी वास्तव में उस माध्यम को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से कौन से कदम उठाए जाएं क्या हमने इसका फैसला किया है? मैं समझता हूं कि कोई कदम हमने नहीं उठाए हैं। मैं कौन हूं और क्या हूं इसको भी जानना चाहिये विवेकानन्द स्वामी आदि जो ज्योति सदृश खुद जले और दुनिया में उजाला किया, के आदर्श तब आते हैं जब उनको जीवन के लक्षण का पता चल जाएगा। जब उनको यह पता चल जाएगा कि भगवान ने जो कुछ दिया है, इसको हमें वापिस भी देना है, इस ऋण से हमें उऋण भी होना है। उचित तथा ठीक ढंग से देना है। यह शिक्षा तो उनको दी ही नहीं जाती है। आप अपने पाठ्यक्रमों को देख लें।

हम सब कहते हैं कि ब्रेन ड्रेन होता है, बाहर लोग जाते हैं, टेलेंट जाता है। हरगोविन्द खुराना, नारलेकर आदि के नाम भी लिए जाते हैं। लेकिन जहां तक मेरा सम्बन्ध है मुझे उनकी चिन्ता नहीं है। मैं जब इंग्लैंड में था तो किसी नौजवान ने मुझसे कहा कि हम सारे बाहर आ गए हैं, हमें रिसोर्सिस अपने देश में नहीं मिले, हिन्दुस्तान का क्या होगा। मैंने कहा कि तुम जैसे बुद्धिमान आदमी को पैदा करने वाला बाप तो वही है तू चिन्ता मत कर। हरगोविन्द खुराना बाहर जाएं, इसकी मुझे चिन्ता नहीं है। चिन्ता मुझे तब पैदा होती है जब गांव का लड़का शहर के अन्दर पढ़ाई के लिए आता है और पढ़ाई खत्म होने के बाद गांव में नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? इस कारण कि उसके मन में गांव के प्रति प्रेम पैदा नहीं किया जाता। कई लड़कों का मुझे मालूम है जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आगे क्या करोगे उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी। मैंने कहा कि तुम्हारे सामने उद्देश्य यही रहा खेती कालेजों में पढ़ कर?

He would like to become a B.D.O. (Block Development Officer) who will block all the development in the area.

मैं लड़कों को दोष नहीं देता लेकिन उनके दिलों में गांवों के प्रति रूची पैदा नहीं की गई। हमने कौन सा पाठ्यक्रम उनके सामने रखा कि आखिर वे अपनी जिन्दगी को सफल समझें। शहरों में पढ़ लिख कर कोई गांवों में जाना नहीं चाहता है। पैन्शनर तक भी नहीं जाना चाहता है। पैन्शन लेने के बाद जो एग्जेक्यूटिव इंजीनियर है वह अगर गांवों में जाएगा, वहां घर बसाएगा तो कम से कम नगरपालिका को कोई उपयोगी सुझाव, ही देगा, वाटर सिस्टम कैसे ठीक किया जाए इत्यादि के बारे में। लेकिन वह जाता ही नहीं है। गांवों की उपेक्षा हो रही है। हम उनको

दोष इस सब के लिए देने के बजाए अपने दायित्व को समझें। हमने अपने दायित्व को निभाया नहीं है। इर्द-गिर्द का जो वायुमंडल होता है उसका भी असर पड़ता है।

एक से एक बढ़कर लोग यहां आए हैं। डॉ. बी.के.आर.वी. राव आए, डॉ. त्रिगूण सेन आए और आप भी माने हुए शिक्षा शास्त्री हैं। सभी यही कहते रहे हैं कि शिक्षा पद्धति में सुधार होना चाहिए। लेकिन करेगा कौन? आपको ही तो करना है। हमको देखना होगा कि विद्यार्थी सुविज्ञ बने, सक्षम बने। दोनों दृष्टियों से इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। हमारी जो शिक्षा है यह उपयोगी है या नहीं इसको भी देखा जाना चाहिये।

अराजकता के बारे में इस क्षेत्र में जो व्याप्त है कई लोगों ने कहा है। स्वयं इस कमीशन ने भी कहा है। पिछले कमीशन ने यह कहा था कि हमने गजेन्द्र गड़कर कमेटी नियुक्त की है, उसकी रिपोर्ट जब आएगी तब देखेंगे। रिपोर्ट आ गई। उसका हवाला भी इन्होंने दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि स्टूडेंट पार्टीसिपेशन के बारे में आपने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? यह जिम्मेवारी किसकी थी। आपने इसके बारे में कोई निर्णय क्यों नहीं लिया? मेरे पास यह यहीं का अखबार है। इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय की समस्याओं का जिक्र है। शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने लिखा है कि छात्रों और अध्यापकों की जो संयुक्त समिति है यह क्यों नहीं बनती है। डायलॉग के लिए कोई मशीनरी नहीं है। यह उनको कहना पड़ा है। समझ में नहीं आता है कि गजेन्द्र गड़कर समिति की सिफारिशें आने के बाद भी इस दिशा में कदम क्यों नहीं उठाया गया।

इतना ही नहीं यू. जी. सी. जो ग्रांट देती है, जिन-जिन बातों के लिए देती है, उसको भी आप देखें। स्पोर्ट्स का भी जिक्र किया गया है। दिल्ली में 64000 विद्यार्थी हैं, महाविद्यालयों में पढ़ने वाले लेकिन उनके लिए एक ही स्विमिंग टैंक है, एक ही आडिटोरियम है। आउटर कैम्पस में लाइब्रेरी नहीं है। जो लाइब्रेरी है उसमें से पांच हजार किताबें गायब हैं और भी कई चीजें प्रेस में गायब हैं। डायलोग की कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्या घपलेबाजी होती है। इसको देखने वाला कोई नहीं है। रिपोर्ट कहती है उच्च विद्यालयों में जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उनमें से 25 प्रतिशत को हॉस्टल एकोमोडेशन चाहिये और पोस्ट ग्रेजुएट जो हैं उनमें से 50 प्रतिशत को चाहिये। यहां दिल्ली में पांच हजार विद्यार्थियों को हॉस्टल एकोमोडेशन चाहिये। इसकी व्यवस्था कौन करेगा? उनकी ऐमेनेटीज को कौन देखेगा।

शिक्षकों का वर्णन करते हुए यह कहा गया है कि 'दे आर दी कार्नर स्टोन टू दी आर्च आफ एजुकेशन'। इतना महत्वपूर्ण स्थान शिक्षकों को दिया गया है। किन्तु इसी दिल्ली में हमारी आंखों के सामने अखबारों में यह निकला है कि शिक्षकों को तनख्वाह न मिलने के कारण दयाल सिंह कॉलेज बन्द कर दिया गया है। शिक्षकों की भी अपनी समस्याएं हैं। किसी कॉलेज में पीने के पानी का प्रबन्ध नहीं है तो आप स्टुडैंट एमेनेटीज की बात कैसे कर सकते हैं दिल्ली में यह हाल है तो और जगहों पर क्या होता होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं। जो 96 यूनिवर्सिटीज हैं उनमें क्या होता होगा भगवान जाने। हम चाहते हैं कि शिक्षक सक्षम बनें, सक्रिय बनें, कर्तव्य का पालन करें लेकिन उनकी भी अपनी आवश्यकताएं हैं और वे यदि पूरी नहीं होती हैं तो फिर कैसे वे बनेंगे। उनको हम दोष नहीं दे सकते हैं। आर्च स्टोन और कार्नर स्टोन कहने से उनका पेट नहीं भरेगा। कोठारी कमीशन ने शिक्षकों के बारे में यह कहा था कि हर पांच साल में उनकी

सैलरी का रिविजन होना चाहिये। क्यों नहीं होता है जो सुसंस्कृत हैं, जो पढ़े-लिखे हैं वे भी आज स्ट्रीट पर, चौराहे पर आने के लिए मजबूर हो गए हैं तो यह एक गम्भीर बात है। आखिर उनका भी पेट है, उनको भी गुजारा करना होगा। उनको आगे की पीढ़ी को तैयार करना है और उनके बारे में भी देखा जाना चाहिये।

यू.जी.सी. जो ग्रांट देती है उसमें भी भेदभाव होता है। अभी मेरे मित्र ने बताया है कि जो ग्रांट बांटी गई लगभग 56 करोड़ की 66 विश्वविद्यालयों में उसमें से जवाहरलाल यूनिवर्सिटी जिसको कि सफेद हाथी कहा जा सकता है, उसको अकेली को साढ़े छह करोड़ की ग्रांट मिली। वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 550 ही है। 64 हजार जहां विद्यार्थी हैं, उनको कितनी मिलती है। 66 यूनिवर्सिटियों को 56 करोड़ और जहां 550 विद्यार्थी हैं, उसको साढ़े छह करोड़।

एक विद्यालय इंदिरा संगीत कला विद्यालय मध्य प्रदेश में खेरागढ़ में है। पिछले साल उसमें दस विद्यार्थी थे और इस साल 27 विद्यार्थी हैं। पता नहीं इसमें कितना ही खर्च कर दिया गया है। इसमें इतने कम विद्यार्थी हैं कि गायन क्लास में इससे ज्यादा संख्या होती है। कौन-सा संगीत का बड़ा संशोधन यहां हो रहा है, पता नहीं। कौन-सा नया राग तैयार हो रहा है। जैसे कुमार गंधर्व ने संगीत में एक नया राग ढूंढ निकाला गांधी-मलहार वैसा कुछ यहां संशोधन हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। दस लोगों के लिए या 27 लोगों के लिए विश्वविद्यालय?

नई यूनिवर्सिटियां जरूर पैदा हो रही हैं। लेकिन क्वांटिटी के साथ-साथ क्वालिटी पर भी हमें ध्यान देना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन हमें करना है, शिक्षा पद्धति तथा परीक्षा पद्धति में जो परिवर्तन करना है, उस पर भी हमें ध्यान देना होगा। भेदभाव जो होते हैं उनको समाप्त करना होगा। पर्सनल प्रोमोशन की कोई स्कीम आती है तो उसमें भी कितनी ही घपलेबाजी होती है। बनारस विश्वविद्यालय में यही हुआ है। वी.के.आर.वी. राव साहब ने कहा था कि एक एक्ट बनाएंगे। लेकिन बनाया नहीं। क्यों नहीं बनाते हैं, समझ में नहीं आता है। यू.जी.सी. का पैसा किस तरह बंटता है, इसको भी देखा जाना चाहिये। शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन भी होने चाहिएं। हर व्यक्ति सुविज्ञ, सुसंस्कृत और सक्षम बने और समाज की जिम्मेवारियां उठाने के लायक बने, यह मैं चाहता हूं।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को बंद किया जाना*

अध्यक्ष जी शुरू में ही मैं एक बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि चाहे वह विश्वविद्यालय का क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो, कहीं भी तनाव, हिंसा, इसको हम स्वीकार नहीं करते हैं, बर्दाश्त नहीं करते हैं। किन्तु यह जो वक्तव्य मंत्री महोदय ने सभा पटल पर रखा है यह एक तरफा है और अधूरा है। क्योंकि यह तो विश्वविद्यालय बन्द होने का समाचार है, यह कोई पहली घटना नहीं है। आज के वाइस चांसलर डॉ. श्रीमाली, के कार्यकाल में पिछले 6 साल में पांचवीं बार यह विश्वविद्यालय बन्द हुआ है और वह भी अनिश्चित काल के लिये। इस सदन में कई बार विश्वविद्यालय की घटनाओं को लेकर गरमा-गरम चर्चा हुई है और कई बातें सामने रखी गईं, मांग की गई। किन्तु दुर्भाग्य है कि सरकार जो खुद आश्वासन देती है उसी पर वह कुछ काम नहीं करती है। जब पुराना कानून बदलकर 1969 में नया कानून बना उस समय के शिक्षा मंत्री डॉ. बी.के.आर.वी. राव ने सदन में आश्वासन दिया था, मैं उसको उद्धृत करना चाहता हूं:

> "I would like to give an assurance to my honourable friend that I do not like to keep this Bill on the statute book for a day longer than is absolutely necessary. I do not like nominated Executive Councils. I do not like nominated Courts. I have functioned all my life in a University and, as a university man, I would be the last person in the world to ask for nominated bodies for the governance of the University."

किन्तु इतना होने के बाद भी अभी तक वही पुराना सिलसिला चालू है और एक व्यक्ति के मनमाने आचरण के बारे में विद्यार्थी वर्ग के अन्दर काफी असंतोष है, जिसका गहराई में जाकर अध्ययन करना पड़ेगा।

मैं केवल एक ही बात मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहता हूं कि सात विद्यार्थी परिषद् के कार्यकर्ता, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मंत्री चुने गये थे। पूरे साल भर में एक भी कोई अप्रिय घटना हुई विश्वविद्यालय में? एक भी नहीं हुई। किन्तु इस समय तनाव इसलिये पैदा हुआ कि अक्तूबर, 1974 में ही जिस छात्र परिषद् का सम्बन्ध कुछ हमारे मित्रों से था जो यहां पर बैठे हुए हैं, ऐसा लोग कहते हैं, उस छात्र सम्मेलन में स्वयं डॉ. श्रीमाली उपस्थित रहे और उन्होंने जयप्रकाश जी के आन्दोलन की भरसक आलोचना की, निन्दा की और उसको फासिस्टी आन्दोलन की संज्ञा दी जिससे विद्यार्थी वर्ग क्षुब्ध था। इतना ही नहीं खुले रूप में जब वहां पर चुनाव हो रहा था तो कहते हैं कि उप-कुलपति महोदय ने इसके अंदर दिलचस्पी ली कि जयप्रकाश जी

---

* उपरोक्त ध्यानाकर्षण पर चर्चा में भाग लेते हुए।
लोक सभा वाद-विवाद, 19 मार्च 1975, cc 251-235 ।

के आन्दोलन के समर्थक इसमें चुनकर न आने पायें। इस दृष्टि से जी-जान से उन्होंने कोशिश की किन्तु अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या मंत्री जयप्रकाश जी के आन्दोलन के समर्थक ही विद्यार्थी प्रतिनिधि चुन लिये गये। तब से यह तनाव पैदा हुआ है। जो सारा घटनाक्रम है वह इस प्रकार है कि 13 तारीख को प्रात:काल साढ़े 9 बजे अध्यक्ष ने शपथ ग्रहण की, किन्तु शुरू में ही उप-कुलपति महोदय ने इस दृष्टि से कि अध्यक्ष, श्री भरत सिंह शपथ ग्रहण न करें, कोर्ट से कुछ पाबन्दी आये, इसकी उन्होंने कोशिश की। किन्तु उसमें वह सफल नहीं हुए। यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि आपको मालूम हो जाए कि तनाव क्यों पैदा हुआ। इसलिये पिछले एक साल का हवाला दिया.... इसलिए उन्होंने उस समय क्या कहा, क्या नहीं कहा इसके बारे में तो जांच होनी चाहिये वास्तव में कौन-से शब्द निकाले, इसका पता लगाना चाहिये। क्योंकि यह जो वक्तव्य है, जो शिक्षा मंत्री ने दिया यह तो उप-कुलपति ने जो दिया है, वही है। किन्तु अखबार में कुछ और बात है। इतना ही नहीं, सबने इस बात की मांग की है कि उस दिन क्या हुआ उसकी पूरी जांच होनी चाहिये, क्योंकि उसी बात को लेकर उसका निष्कासन हुआ।

मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में भी अब यहां के विद्यार्थी परिषद् के अध्यक्ष श्री श्रीराम खन्ना को निष्कासित किया गया था। उसी को लेकर जब यहां चर्चा हुई थी तो मांग की गई थी कि शिक्षक और विद्यार्थी वर्ग की चुनी हुई समन्वय समिति होगी और उस समिति के सामने यह बात रखकर उनसे राय लेकर ऐसा निर्णय किया जाना चाहिये किन्तु जब सुबह साढ़े 9 बजे घटना होती है जिसके बारे में वक्तव्य उप-कुलपति देते हैं, उसके आधार पर किसी को निष्कासित करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वह चाहते थे कि विद्यार्थी वर्ग उत्तेजित हो और उसी का हवाला देते हुए यह विश्वविद्यालय अनिश्चितकाल के लिये बन्द किया जाए ताकि 16 तारीख को छात्र संघ का उद्घाटन लोकनायक, जयप्रकाश नारायण जी के कर कमलों से हो। यह विद्यार्थियों की जो आकांक्षा थी, उस पर पानी फिर जाए। इसके लिये यह सारा व्यूह रचा गया। इसलिये किसी को निष्कासित करने की जो घटना हो जाती है क्या वह बात पहले शिक्षक और विद्यार्थी वर्ग की चुनी हुई समन्वय समिति के सामने रखी गई और उसकी राय ली गई? क्योंकि उस दिन शाम को घटना हुई उसका इतना विस्तृत विवरण जानबूझ कर किया है, जबकि प्रत्यक्ष अखबार वाले जो कहते हैं, वह क्या है, वह भी देखने लायक है। मैं उद्धृत करना चाहता हूं।

''आज'' अखबार कहता है कि ''शुक्रवार के प्रात:काल कई गमले टूटे हुए दिखाई पड़े। वाइस-चांसलर के आवास की एक खिड़की का शीशा भी टूटा हुआ दिखाई पड़ा''। पूरी घटना का वर्णन यह है और जो वहां की चुनी हुई उपाध्यक्षा हैं, कु. अंजना देवी, उनका यह कहना है कि हर बार जब विश्वविद्यालय अनिश्चितकाल के लिए बन्द किया जाता है तो गमले टूट गये, यही कारण दिया जाता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि यह गमले की राजनीति क्या चीज है कुछ लोगों का कहना है कि यह स्वयं जानबूझकर किया गया है। मैं उद्धृत करना चाहता हूं ''सन्मार्ग'' अखबार से, जो काशी से ही निकलता है। ''ऐसी स्थिति में यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि वातावरण को विक्षुब्ध कर, विश्वविद्यालय को अनिश्चितकाल के लिए बन्द कर स्वयं वाइस-चांसलर ने यह परिस्थिति उत्पन्न कर दी कि छात्र संघ का उद्घाटन ही न हो।'' जब काशी का अखबार यह लिखता है कि जानबूझ कर ऐसा सारा घटनाक्रम चलाया गया जिससे छात्रसंघ का उद्घाटन करने के लिए जयप्रकाश नारायण जी न आने पायें। वहां एक भी घटना नहीं हुई, जबकि वक्तव्य में मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि विश्वविद्यालय न केवल

अनिश्चितकाल के लिए बन्द हुआ, बल्कि विद्यार्थियों को हॉस्टल खाली करने के लिये भी कहा गया है।

"University was closed *sine die* and asked students to vacate hostels."

ताकि 16 तारीख को जयप्रकाश नारायण जी छात्र संघ का उद्घाटन करने आयें तो वहां कोई विद्यार्थी न रहने पाये। बसों का भी प्रबन्ध कर दिया गया है जो विद्यार्थियों को स्टेशन तक ले जाकर छोड़ आये जिससे किसी न किसी तरह विश्वविद्यालय बन्द हो।

मैं ऐसा नहीं कहता कि विद्यार्थी गड़बड़ नहीं करते। आजकल कई विश्वविद्यालयों में जो स्थिति है उसको देखकर ऐसा लगता है कि विद्यार्थियों को जब अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई देता है तो उनमें निराशा बढ़ती है।

अत: अन्त में मैं चाहूंगा कि मैंने जो तीन बातें कही हैं, उनके बारे में मंत्री जी स्पष्ट जवाब दें।

(1) भूतपूर्व शिक्षा मंत्री डॉ. बी.के.आर.वी. राव ने जो आश्वासन दिया था उसकी पूर्ति कब होगी?

(2) निष्कासन करने के पहले विद्यार्थी और शिक्षक, इनके चुने हुए विद्यार्थी समन्वय समिति से राय लेकर क्यों नहीं उनको निष्कासित किया गया?

(3) यह जो सारी घटनायें हुई हैं, कई अनियमितितायें बरती गईं, अपने-अपने लोगों को लिया गया, खुले रूप से डॉ. श्रीमाली के बारे में वहां का विद्यार्थी वर्ग यह कहता है कि वह दलगत विचार रखते हैं और जब-जब किसी को एडमिशन देना होता है तो उन्हीं दलों से सम्बन्धित लोगों को वहां पर प्रवेश दिया जाता है?

जो नौकरियां दी जाती हैं, उनमें पक्षपात से काम लिया जाता है। ऐसी स्थिति में जो इस प्रकार की घटनायें हुई हैं तथा और भी जो-जो अनियमितितायें बरती गई हैं....उन सबकी पूरी जांच करने के लिए एक संसदीय समिति गठित करने का आपका विचार है? मुझे तो विद्यार्थियों को तथा जयप्रकाश जी के आन्दोलन को बदनाम करने का ही यह तरीका लगता है। विश्वविद्यालयों में इस तरह की घटनाओं का घटना ठीक नहीं है।

महिलाओं के प्रति आर्थिक और सामाजिक अन्याय को दूर करने के उपाय*

अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष में इंद्रजीत गुप्त जी ने जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं और उसकी सराहना करता हूं। महिलाओं के लिए प्रचार करने की दृष्टि से एक वर्ष का आयोजन करना मैं समझता हूं यह महिलाओं का अपमान करना है। अपना सारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। इसके सारे विचारों में, व्यवहारों में, भाषा में पुरुष प्रधानता भरी हुई है। इस कारण उसमें अहं का भाव भी पैदा हो गया है। मानसिक विकास के रास्ते में जो कारण बाधक हैं उनको जब तक हम निकालते नहीं हैं तब तक जितने भी कानून आप पास कर लें, कुछ नहीं होगा। यह मांग क्यों की जाती है कि समान वेतन दिया जाए, समान दर्जा दिया जाए, स्थान उनको दिए जाएं, यह दिया जाए, वह दिया जाए? सम्पूर्ण विकास जीवन का लक्ष्य है। शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, इन सभी का चतुर्दिक विकास, सर्वांगीण विकास यह व्यक्ति का लक्ष्य है। जो भी कारण, स्त्री हो या पुरुष, उसके पूरे विकास में बाधक बनते हैं, उनको निकाल बाहर करना होगा। सामाजिक या आर्थिक क्षेत्र में या व्यवहार में कुछ वैमनष्य आता हो तो उस सब को निकाल बाहर करना होगा। जब हमने ऐसा किया तब पता चलेगा कि स्त्री और पुरुष में अन्तर नहीं है। पाश्चात्य विचारधारा है कि सृष्टि का जन्म एडम से हुआ और फिर ईव आई। मध्य युग में एक धारणा यह भी बनी कि स्त्री की आत्मा ही नहीं है और इसके बारे में भी चर्चा चली थी। प्रधान मंत्री कांची कामकोटी शंकराचार्य से मिलने गई थीं। उनसे मिलने के लिए हमारे इंद्रजीत जी गुप्त की ही लाइन में चलने वाले श्री आर्थर क्वेसलर भी गए थे? शंकराचार्य ने उनसे पूछा कि एडम कहां से आया, ईव कहां से आई, आपके विचार में। जब उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं है तब स्वामी जी ने कहा कि वह हिन्दुस्तान से गए थे। उपनिषदों में यह कथा आती है कि एक वृक्ष की शाखा पर आत्मा और जीव दो पक्षी बैठे हुए थे। आत्मा तो आदमी हुई और जीव ईव हुई। आप तो जानते ही हैं कि पुरानी अंग्रेजी में पहले जो आता है तो उसका उच्चारण नहीं होता था। अब इसमें इस दृष्टि से संशोधन हो जाएंगे तो मेरे विचार में दोनों समाज नजदीक आ जाएंगे और अगर ऐसा होता है तो जो विषमता है, जो उसकी दीवारें हैं, वे खत्म हो जाएंगी और मानवता की दृष्टि से ये दोनों बहुत ज्यादा नजदीक आते जाएंगे। अर्धनारी नटेश्वर की जिन्होंने कल्पना की वह यह बताने के लिए की कि न नर श्रेष्ठ है और न नारी और दोनों एक दूसरे से युक्त हैं और इस बात को मान लिया जाए और पुरुष अपना अहं भाव छोड़ दें, वह उसका निकल जाए तो धीरे-धीरे उसी हिसाब से समाज में परिवर्तन आता जाएगा और समाज बनता चला जाएगा। जब कोई किसी को मारता है तो कहा

* उपरोक्त विषय पर चर्चा में भाग लेते हुए।
लोक सभा वाद-विवाद, 11 अप्रैल 1975 cc 342-51।

जाता है मैनहैंडल। अगर महिला कोई ऐसा करती तो मैनहैंडल नहीं होता है। कारण यह है कि वह बहुत सॉफ्ट होती है, आत्मभाव पूर्ण रहती है। किसी को गाली देनी होती है तो कहा जाता है कि क्या चूड़ियां पहन रखी हैं इसका मतलब यह है कि चूड़िया पहनना कोई दुर्बल काम है। समझ में नहीं आता है कि ऐसा करके क्या मां, बहन, पत्नी आदि की बेइज्जती नहीं होती है। अब आप देखें कि चेयर पर आदमी ही बैठता था इस वास्ते यह चेयरमैन हो गया। प्रधानमंत्री भी कभी-कभी खड़ी होकर कहने के लिए मजबूर हो जाती हैं कि उनका कोई जैंडर नहीं है क्योंकि पुरुष भी मंत्री और स्त्री भी मंत्री। लिंगों की जब बात की जाती है तो उस समय भी पहले पुल्लिंग आता है और बाद में स्त्रीलिंग। सारे विचार में अहं भाव भरा हुआ है। यही भरा हुआ है कि पुरुष श्रेष्ठ है। जब यह अहं भाव निकल जाएगा तब व्यक्ति सुसंस्कृत हो जाएगा, जब मानसिक विकास की चरम सीमा आ जाएगी तब वह अपने इस अहं भाव को भूल जाएगा। तब सारा जो अन्तर बीच का है यह सब चला जाएगा। हम एक समान भावना की बात कहते हैं, कहते हैं कि समान अधिकार इनको मिलने चाहिये। समानता के आधार पर न कह कर हमको एकता के आधार पर करना चाहिये। समानता कहते हैं तो उसमें तुम, फिर मैं, फिर हम दोनों बराबर हैं, फिर कुछ कम और कुछ ज्यादा ये सब चीज आ जाती हैं। इस वास्ते एकता के आधार पर यह सब होना चाहिये। जिस तरह से एक वट वृक्ष के एक छोटे से बीज में समग्र वृक्ष का विकास छिपा रहता है, उसी तरह से हम को इस आधार पर आगे बढ़ना चाहिये कि दोनों का रूप एक है, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा, न कोई ज्यादा है और न कोई कम तब शर्मा जी ने जो यह कहा है कि धर्म और संस्कृति बीच में आती है वह नहीं आएगी। जो रुढ़ियां पैदा हो जाती हैं उनको समय-समय पर और बीच-बीच में हमको निकालना पड़ता है। वेदों ने जो भी कहा होगा लेकिन उसको सही मानो में प्रस्तुत करने के लिए स्मृतियां बनी हैं। अगर ऐसा न होता तो एक ही वेद रहते और कोई स्मृतियां न बनतीं। परिस्थितियों का सामना करना है, जीवन को कैसे ढालना चाहिये, जीवन की रचना कैसे करनी चाहिये इस तरह की बातों को लेकर अलग-अलग समय में स्मृतियां पैदा हुई हैं।

इसलिये कोई यह न समझें कि धर्म या संस्कृति का इससे विरोध है। मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं। कालिदास ने भी स्त्री के स्थान के बारे में कहा है–गृहिणी सचिव सखी मिथः। सबसे पहले आता है गृहिणी, फिर आता है सचिव अर्थात् एडवाइजर, फिर आता है सखी अर्थात् मित्र और सबसे पीछे आता है मिथः। स्त्री का स्थान कोई कम है, मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं। .....

*** *** ***

..... स्त्री का स्थान है सह-धर्मचारिणी, और धर्म के साथ कर्म जुड़ा होता है। इसलिये वह कर्मकारिणी भी है। ये भाव बहुत सूक्ष्म है। प्रभू रामचन्द्रजी के साथ सीता वनवास में चली गई। लेकिन लक्ष्मण के साथ उनकी पत्नी उर्मिला नहीं गई। इसका मतलब यह नहीं था कि उर्मिला का लक्ष्मण पर प्यार नहीं था, या सीता का राम पर ज्यादा प्यार था। राम को वनवास जाने के लिये आज्ञा हुई थी। यह उसका कर्तव्य था। इसलिये सीता साथ गई। लक्ष्मण को कोई आज्ञा नहीं थी, लक्ष्मण राम के प्यार के कारण साथ गये थे। इसलिये उर्मिला को भी साथ जाना चाहिये था, ऐसी बात नहीं है। सीता सह-धर्मचारिणी होने की वजह से अपने पति के धर्म में हिस्सा बंटाने के लिए गई।

यह मैं इसलिये बताना चाहता हूं कि आज कल जो लिव मूवमेंट, नारी मुक्ति आन्दोलन चला हुआ है, उसमें नारी अपने नारीत्व को ही भूल जाये, तो इसका कुछ मतलब ही नहीं है। बड़े ड्रामेटिस्ट जार्ज बर्नार्डशॉ ने कहा है कि पुरुष जब सिगरेट पीता है तो आदत की वजह से पीता है, किन्तु जब महिला सिगरेट पीती है तो शी स्मोक्स एज प्रोटेस्ट तुम पीते हो, तो मैं भी पीती हूं। समानता का यह मतलब नहीं है, जैसे राम के साथ सीता गई, मगर लक्ष्मण के साथ उर्मिला नहीं गई। पति बीड़ी पीता हो तो उसकी नकल करना पत्नी का काम नहीं है। बीड़ी को उठाकर फेंकना इतना उसका काम है, क्योंकि वह सचिव है, वह सही रास्ते पर लाने के लिये है, पति को धर्म बताने के लिये है। उसका काम यह नहीं है कि तुम्हारे बाद मैं भी दम लगाऊं।

अगर हम सह-धर्मचारिणी की कल्पना ठीक तरह से समझ लें तो उसका अर्थ यही है कि जो मुझे अधिकार है, वे सारे अधिकार स्त्री को भी मिलने चाहिये, उसमें इसमें कोई दो राय नहीं है। श्री शुक्ल ने अभी कहा कि जब लड़की दूसरी जगह ब्याही जाती है तो भूमि में उसका हिस्सा कैसे होगा? वह भूल गये कि यह तर्क उस समय ठीक था, जब समाज एक जगह से दूसरी जगह हिलता नहीं था। एक ही गांव में एक ही स्थान पर समाज रहता था। आज ऐसा नहीं है। हम चार भाई हैं, एक भाई वहीं रहता है और मैं यहां हूं। मेरी खेती का क्या होगा? आज नौकरी की वजह से भी भाई दूर-दूर चले जाते हैं। जो बटाई होगी, तो वह भाई की भी होगी इसलिये यह कहना ठीक नहीं है कि बहिन या लड़की को कोई अधिकार दिया, इसलिये ऐसा हो गया। यदि अधिकार मिले तो उसका कंवर्शन हो सकता है। अचल सम्पत्ति का चल सम्पत्ति में रूपान्तर हो सकता है। अगर श्री राम सहाय पांडे को कोई भूमि है। तो उसके बदले 10 हजार रुपये दिये जा सकते हैं। यह व्यवस्था कैसे करनी है, वह बाद में होगा किन्तु क्या कानून में स्त्री का अधिकार नहीं रहना चाहिये? रहना चाहिये, इसमें दो राय नहीं है।

सामाजिक प्रथा के रूप में दहेज तब आया जब शादियां दो परिवारों के मुखिया तय करते थे, शादी करने वाले नहीं। अष्टवर्षा भवेत कन्या। अर्थात् 8 वर्ष के बाद कन्या शादी के लायक समझी जाती थी और प्राप्ते तु षाड्षे वर्ष अर्थात् 16 वर्ष की आयु का लड़का वयस्क समझा जाता था। जब दोनों परिवारों के मुखिया शादी तय करते थे तो उस शादी में कन्या का दान होता था। शादी का मतलब ही है कन्या का दान आज भी विवाह के समय यही कहना पड़ता है-प्रजोत्यापादार्थ इमाम कन्यां दत्तम्। अर्थात् प्रजा उत्पादन के लिए मैं कन्या का दान दे रहा हूं। हर दान के बाद दक्षिणा दी जाती है, जैसे हमारी तनख्वाह के बाद एलाउन्स होता है। मगर आजकल की स्थिति में विवाह दान नहीं है और जब यह दान नहीं है तो दक्षिणा के लिए भी कोई स्थान नहीं है।

क्या कानून यह बन्द होगा? नहीं। कानून अपनी जगह है। बाल विवाह के विरुद्ध कानून है, लेकिन बाल विवाह होते है। जब तक हम सामाजिक अभियान से जागरण पैदा नहीं करेंगे, तब तक यह नहीं होगा।

शादी का मतलब ही यह है कि समाज का क्रम चिरन्तन रूप से चलता रहे। अगर लोग मेरी तरह या श्री इन्द्रजीत गुप्त की तरह ऐसे ही बैठे रहें तो समाज खत्म हो जाएगा। हम अपवाद के रूप में हैं। शायद श्री इन्द्रजीत गुप्त इस अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष में इस बारे में कुछ सोचेंगे।

अगर समाज को चिरन्तन रूप से चलाना है तो अपनी कन्या को दूसरे को देना होता है। जब लैंड सीलिंग का कानून आया तो कुछ लोगों ने कहा कि हम अपनी भूमि जोतने वाले किसान को क्यों दे? तो मैंने कहा कि बाप ढूंढ-ढूंढ कर किसी वर को अपनी कन्या क्यों देता है? यदि वह नहीं देगा तो समाज नहीं चलेगा। मेरे पास जमीन है, उसका क्या प्रयोग है? मेरे हरम में दो तीन या चार सौ स्त्रियां पत्नी के रूप में रहें। उसका क्या अर्थ है। जैसे समाज के क्रम को बनाये रखने के लिए अपनी खुद की कन्या मैं दूसरे को देता हूं। वैसे ही समाज में वह अभियान चले कि जोतने वाले किसान को जमीन दी जाए ताकी पैदावार हो। यह संस्कार करने की बात है, वातावरण निर्माण करने की बात है। हमने समाज में यह व्रत वरण पैदा किया, इसीलिए हम स्वयं वर को ढूंढ़-ढूंढ़ कर, दक्षिणा दे-देकर कन्या का दान देते हैं।

जब विनोबा भावे ने भूमिदान का कार्यक्रम चलाया तो लोगों को बहुत अटपटा लगा कि भूमि कैसे दान दी जाती है। क्यों नहीं दी जाती है? हर चीज दान दी जाती है। समाज में जिसको जिन चीजों की जरूरत है, उसको वे चीजें मिलें, ऐसा वातावरण निर्माण करना बहुत आवश्यक है।

जहां तक अधिकार का प्रश्न है, अगर किसी पुरुष को यह अधिकार है कि वह 3 बार कहने से स्त्री को तलाक दे सकता है तो वही अधिकार स्त्री को क्यों नहीं मिलना चाहिए। बड़े-बड़े पंडित विधवा को अमंगल कहते हैं क्योंकि उसका पति मर गया है। पत्नी के मरने के बाद जो विधुर है, वह तो मंगल है, मगर पति के मरने के बाद पत्नी अमंगल है। यह पुरुष प्रधान अहंकार, अभिमान और दर्प है, उसको निकालना पड़ेगा।

स्त्रियों द्वारा मताधिकार प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड की तरह हमारे यहां कोई संघर्ष नहीं हुआ, क्योंकि हमारे समाज के अन्तर्गत नारी का स्थान बहुत ऊंचा रहा है, माता के रूप में, भगिनी के रूप में। मैं पढ़ी लिखी महिलाओं को बताना चाहता हूं कि समाज को साथ लेने में वे बहुत सहायक होती हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि घर में भोजन परोसने के लिए तो पत्नी होती है लेकिन झूठे पत्तल उठाने के लिए नौकरानी को लाया जाता है। महिला इसमें अपमान महसूस करती है। क्या परोसना पवित्र है और जूठी पत्तल उठाना अपवित्र है। हमारे मन में यह जो भाव पैदा हुआ है इसको कौन निकालेगा? यह कार्य स्वयं महिलाओं को करना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जो अनपढ़ महिलायें हैं, उनके जीवन में बहुत समस्यायें हैं।

अभी यहां पर नारी निकेतन की बात भी कही गई है। पति अपनी पत्नी को मार-मार कर निकाल देता है तो उस महिला की क्या स्थिति होती है, यह हम नहीं जान सकते हैं। पति कितना क्रूर हो सकता है, इससे हम देख सकते हैं।

इस अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष में नारियों की समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए यह जो प्रस्ताव लाया गया है, वह बहुत बढ़िया और अच्छा प्रस्ताव है। माननीय सदस्य ने इसमें मैटरनिटी बैनिफिट और चाइल्ड वैलफेयर के बारे में भी कहा है। आज स्थिति यह है कि हमारी सरकार काम करने वालों तक को रहने के लिए मकान नहीं दे पाई है। गृहंतु गृहिणी हीनं। सबसे पहले कालिदास ने स्त्री को गृहिणी कहा। जो महिलाएं काम करती हैं, उनके बच्चों की देखभाल कौन करेगा? एयरलाइन्स के बारे में कहा गया है कि वहां स्त्रियों को उनके विवाह कर लेने के

बाद नौकरी में नहीं रहने दिया जाता है। यह बिल्कुल अनुचित है। एक महिला के प्रमुख बनने के बाद भी महिला को इस अधिकार से वंचित किया गया है, यह खेद की बात है। इसमें परिवर्तन होना चाहिए।

जीवन के हर क्षेत्र में भारत की महिलायें आगे गई हैं, ऐसा यहां का इतिहास है। जब आध्यात्मिक दरवाजे खुले तो मीरा सामने आई। किसी ने विरोध नहीं किया। कर्नाटक में अक्का महादेवी, सन्त सुख, और सन्त जनाबाई हुई। ऐतिहासिक स्तर पर अब विधवा होने के बाद जिम्मेदारी आई तो झांसी की रानी सामने आई। इसी तरह कलदी चन्नम्मा, कित्तूर चन्नम्मा, अहिल्या बाई, जीजा बाई के बारे में हम सब जानते हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें भारत की महिलाएं आगे नहीं आईं। आध्यात्मिक क्षेत्र में गार्गी, मैत्रयी, सुलभा विख्यात हैं।

जब मंडव मिश्र का शंकराचार्य से वाद-विवाद चला तो उसकी अध्यक्षता मंडन मिश्र की पत्नी सरस्वती ने की। इन दोनों के विद्वानों के वाद-विवाद का अर्थ समझने के लिए मंडन मिश्र की पत्नी को उपयुक्त समझा गया। शंकराचार्य को यह तनिक भी शंका नहीं हुई कि उसकी पत्नी होने की वजह से वह पार्शल होगी। मंथन से जो भी नवनीत निकलता है, उसको स्वीकार करने की मुक्त पुन:स्थिति जिस समाज में थी वह हमारा समाज था। ऐसे समाज को हम फिर भी पैदा कर सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त जो प्रस्ताव लाये हैं, वह बहुत अच्छा और आवश्यक है। लेकिन इस सम्बन्ध में स्वयं महिलाओं की भी जिम्मेदारी बहुत है। सब दरवाजे उनके लिए खुले हैं। केवल हमारे आगे जाने से काम नहीं चलेगा। बल्कि जो हमसे पिछड़े हुए हैं, उन सब को लेकर हम आगे जायें और इस वर्ष को हम सार्थक करें। इस दृष्टि से मैं इस प्रस्ताव का पूरा समर्थन करता हूं।

LABOUR WELFARE

श्रम कल्याण

रेलवे में जारी हड़ताल की स्थिति*

सभापति महोदय, लोको कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से समग्र देश के अन्दर जिन गम्भीर परिस्थितियों का निर्माण हुआ है उस पर आज हम विचार कर रहे हैं। यह तो सब को मानना पड़ेगा कि इस हड़ताल की वजह से लगभग 500 गाड़ियां बन्द हो गईं। वह केवल देश के एक ही भाग में नहीं, बल्कि सभी डिवीजनों में ऐसा हुआ है। इसकी वजह से जनता को बड़ी तकलीफ है और यातायात के साधन में रुकावट होने की वजह से अनाज के मूवमेंट पर असर पड़ा है और वह रुका हुआ है। इसकी वजह से लोगों की तकलीफ बढ़ी है।

सवाल यह है कि जिन मांगों को लेकर यह हड़ताल हुई है उन मांगों के बारे में क्या है। यह मैं जानना चाहता हूं। मैं यूनियन के झगड़े में नहीं पड़ता क्योंकि मैं किसी यूनियन में नहीं हूं। मैं सिर्फ एक प्रार्थना मंत्री महोदय से करना चाहता हूं कि इन्होंने यह जो मैमोरेंडम सबमिट किया हुआ है इसमें कई मंत्रियों का हवाला दिया है। बड़ा दुर्भाग्य है, मैं 1967 से यहां बैठा हूं, इस बीच में 6, 7 रेल मंत्री हो चुके हैं, और हर मंत्री ने चाहे वह श्री परिमल घोष हों, पाई जी हों, गुलजारी लाल नन्दा हों, या पुनाचा जी हों, हर एक ने कर्मचारियों को कहा कि सहानुभूतिपूर्वक आप की मांगों पर विचार करेंगे। लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। आखिर हर समस्या की एक मर्यादा होती है। तो मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं, जैसे एक वक्तव्य में कहा गया है। मई के महीने में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में आश्वासन दिया था वर्तमान रेल मंत्री ने और कहा था कि मैं उसका पालन करूंगा। लेकिन अनुभव ही बताता है कि जैसे आंध्र के बारे में कहा गया था कि एक बार आंध्र में शान्ति हो जाये तो रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, तो मई में आश्वासन दिया, आज अगस्त चल रहा है और अभी मंत्री महोदय कहते हैं कि अभी दोनों के बारे में मैं आश्वासन व्यवहार में लागू करूं। सवाल यह है कि उनकी मांगें हैं, उनके साथ सभी सहानुभूति रखते हैं, माननीय ए. पी. शर्मा भी रखते हैं और माननीय स्टीफन भी रखते हैं तो सब सहानुभूति रखते हैं और हर मंत्री रखता है फिर उनकी मांगें क्यों पूरी नहीं होतीं, यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

अब कैटेगरीवाइज और डी-कैटेगरीवाइज के झगड़े में मैं नहीं जाता क्योंकि वह एक अलग सवाल है, लेकिन इंटर यूनियन राइवलरी, क्योंकि यह रेलवे की ही बात नहीं है, हर इंडस्ट्री में चलता है, खत्म करने के लिये जब हमने एक सुझाव दिया था मध्य प्रदेश में जब संविदा सरकार थी, उस समय हमने प्रस्ताव भी पास किया था कि गुप्त मतदान पद्धति से कोई भी यूनियन को रिकग्नाइज कीजिये। क्योंकि जिस ढंग से हम चुनकर आये हैं वहीं ढंग अपनायें। यदि हम नहीं करते तो प्रोसिजर की ऐबसेंस में जो भी यूनियनें आप के सामने आती हैं उनकी मांगों के आधार

* उपरोक्त विषय पर चर्चा में भाग लेते हुए।
लोक सभा वाद-विवाद, 6 अगस्त 1973, cc 361-65।

पर हम को विचार करना पड़ेगा। यह यूनियन रिकग्नाइज्ड है या नहीं इसको यदि प्रतिष्ठा का सवाल बनाकर हम बात करेंगे तो यह अच्छा नहीं है। यह जो झगड़ा है यह अनइक्वल फाइट है। जैसा माननीय स्टीफन ने बता दिया कि 17 लाख कर्मचारियों में से 70 हजार कर्मचारी इसमें हैं सवाल यह नहीं है कि कितने लोग उनके पीछे हैं। सवाल यह है कि जो मांगें हैं वे यदि जायज हैं, उन पर विचार करेंगे। ऐसा हर मंत्री जब आश्वासन दिया करता है तो वह मांगें प्रत्यक्ष व्यवहार में क्यों नहीं आतीं? सवाल यही है।

माननीय ठेंगड़ी एक यूनियन के महत्वपूर्ण नेता हैं, उन्होंने 1967 में राज्य सभा में इस विचार को उठाया था। उनका भारतीय मजदूर संघ अलग संगठन है, मर्यादा भारतीय संस्कृति स्वीकार करके चलती है, हम एक अलग राजनीतिक दल हैं, वह मजदूरों का दल है। यूनियन के फील्ड को हम कम्पलीटली डी–पोलिटिक्लाइज्ड चाहते हैं, और चाहते हैं कि मजदूरों का कोई भी ऐक्सप्लायटेशन न करे, हम इस मत के हैं। अगर कोई गलती हो तो हमें बता दीजिये, हम ठीक कर लेंगे।

> "Shri D. Thengari asked whether the grievances of the fireman were taken on the agenda of the Permanent Negotiating Machinery (PNM) by any of the affiliated federations and if so, on what date. He also asked how many months or years were required to consider the demands. If these demands were not considered by those federations, what other form or method would the Honourable Minister suggest?."

मेरा यही मतलब है। आखिर यूनियन रिकग्नाइज्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन जो उनकी मांगें हैं उसके बारे में विचार करने के लिये कोई न कोई तरीका तो ढूंढ़ निकालना पड़ेगा। वरना एक छोटे से सेक्शन में यह असंतोष रहे कि उनकी मांग जायज होने के बाद भी, चूंकि रिकग्नाइज्ड यूनियन के जरिये नहीं गयी इसलिये उन पर विचार नहीं हो रहा है, आखिर यह संतोष भी ठीक नहीं है। मैं अनइक्वल फाइट इसलिये कह रहा हूं कि वह आप के कर्मचारी हैं। वह सरकार से झगड़ा करना चाहते हैं उसमें वह सफल बनें, सरकार को नीचा दिखायें यह हम नहीं चाहते। गवर्नमेंट मस्ट आलवेज बी सुप्रीम। सरकार के कर्मचारी सरकार के खिलाफ यह कह दें कि हम सरकार से भी ज्यादा हैं, हम यह बिल्कुल नहीं चाहते। इसलिये जो स्ट्राइक पर गये हैं वह भी नहीं चाहते कि हड़ताल ऐसे ही चले। वह समाप्त करना चाहते हैं, वह सेवा करना चाहते हैं। लेकिन जिस मांग को लेकर वह करना चाहते हैं। वह मांग पूरी क्यों नहीं हुई है। वह आज भी आपका आश्वासन यहां इसलिये चाहते हैं क्योंकि आपने जो आश्वासन बाहर दिये वह व्यवहार में नहीं आते, और हड़ताल वापस लेने पर कुछ नहीं हुआ। जैसे मई में हड़ताल वापस ली लेकिन कोई आश्वासन पूरा नहीं हुआ। आज भी हम वापस लेंगे लेकिन कुछ होगा नहीं। जैसे आंध्र वाले आज भी कहते हैं कि यहां सब शान्ति है कुछ नहीं हो रहा है। जब शान्ति है तो आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है।

जब हड़ताल चलती है तो उसकी वजह से कई चीजें होती हैं, जैसे आज अखबार में खबर आयी है कि हड़ताली कर्मचारियों के जो परिवार हैं, उसमें महिलायें हैं, बच्चे हैं, उनके साथ पुलिस ज्यादती करे, यह बात ठीक नहीं है। जो कर्मचारी हड़ताल पर जाता है उसके घर वालों

को दबाना और अत्याचार करना मैं समझता हूं इस का हर व्यक्ति को विरोध करना चाहिये। इसलिये ज्यादा दिन हड़ताल न चले, उनकी मांग को लेकर आप यहां आश्वासन दे दें और साथ ही यह विश्वास दिला दें कि पिछले आश्वासन भी पूरे करेंगे तब जाकर वह हड़ताल वापस लेंगे।

आप ने कहा वार्ता के लिये कोई भी आपके पास आये, आप तैयार हैं। अब जिनके खिलाफ वारन्ट है वह कैसे आयेंगे जब तक कि सरकार की तरफ से कोई आश्वासन न दिया जाये कि उनको पकड़ा नहीं जायेगा? यह कहना कि कोई भी आये मिले, मैं तैयार हूं किन्तु अगर वह पकड़े जायेंगे तो कैसे कोई आयेगा। इसलिये वह आश्वासन चाहते हैं कि वार्ता करने के लिए अगर मंत्री महोदय तैयार हैं तो यह आश्वासन मिलना चाहिये सदन में कि किसी का विक्टिमाइजेशन नहीं होगा और स्ट्राइक की वजह से जो लोग पकड़े गये, जिनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हुई है, वे सारे केसेज सरकार वापस ले लेगी और उनकी मांगों पर सरकार सहानुभूतिपूर्ण तरीके से विचार करेगी, यह आश्वासन सदन के सामने मंत्री जी दे दें तो हड़ताल समाप्त हो जायेगी। मैं स्वयं यह नहीं चाहता कि बार-बार आवश्यक सेवाओं के अन्दर रुकावट हो क्योंकि पहले ही देश की प्रगति बहुत धीमी गति से चल रही है इसलिये ऐसी स्थिति पैदा न हो। कोई सज्जन कहते हैं कि इन दिनों में क्राइसिस पैदा करना ठीक नहीं है। इसका नाम स्ट्राइक है—स्ट्राइक ऐट दी राइट टाइम। स्ट्राइक करने वाले ऐसा ही समय देखते हैं। तो हम उसको दोष नहीं दे सकते, आखिर वह अपनी दृष्टि से देखते हैं। इसलिये मंत्री जी प्रतिष्ठा का सवाल न बनाते हुए उनकी मांगों को सामने रखकर, जो आश्वासन हम चाहते हैं वह दे दें और किसी के साथ विक्टिमाइजेशन न हो, उनके प्रतिनिधियों के खिलाफ जो अरेस्ट का वारन्ट है उसको वापस ले लें तथा जो पकड़े गये हैं उनको छोड़ दिया जाये और उनसे वार्ता करके जल्दी से जल्दी हल आप निकालेंगे यह आश्वासन हम चाहते हैं।

औद्योगिक संबंध और श्रम नीति*

सभापति महोदय, जो प्रस्ताव सदन के सामने सस्मान्य सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्ता जी लाये हैं, उसमें कई अच्छे सुझाव हैं, इसलिए मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं।

आज की बदली हुई स्थिति में और जो नई घोषणा सरकार की हुई है, इसकी वजह से कई आशाएं सभी के सामने आई हुई हैं और स्वभावत: आज मजदूर भी यही चाहता है कि जिस न्याय के लिए, जिस न्यायपूर्ण अधिकार के लिए वह आज तक झगड़ता आया है, उसकी अब कम से कम प्राप्ति होगी, उसको उसके न्यायपूर्ण अधिकार मिलेंगे किन्तु एक आशंका इसलिए पैदा होती है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने स्ट्राइक के विषय में जो अपनी एक भावना को प्रकट किया है, वास्तव में उसके लिए कोई दो राय नहीं हो सकती, किन्तु जिस परिस्थिति के अन्दर किसी मजदूर को स्ट्राइक करना पड़ता है उसको जब तक हम ध्यान में नहीं लेंगे और केवल यह आशा करेंगे कि कुछ समय के लिए कम से कम देश के अन्दर कोई स्ट्राइक न हो, मैं समझता हूं कि हम बिना बुनियाद के कुछ बात कर रहे हैं क्योंकि इसके साथ-साथ सरकार के ऊपर यह जिम्मेदारी आ जाती है कि जब हम यह चाहते हैं कि कुछ समय तक कम से कम ये स्ट्राइक न हों तो ऐसी परिस्थिति के निर्माण करने का दायित्व हम भी अपने ऊपर लें और इसके लिए हम आश्वासन दें। जैसा कि मेरे एक मित्र ने अभी बताया कि स्ट्राइक्स शुड बिकम सुपरफ्लुयस अगर ऐसी स्थिति सरकार पैदा करे तो फिर यह जरूर कहेंगे कि वहां स्ट्राइक्स न हों। मेरे मित्र श्री बनर्जी ने कहा कि दुनिया में जहां-जहां स्ट्राइक्स को बैन किया गया है, वहां बूमरंग हुआ है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता लेकिन जहां ऐसी शासकीय स्थिति है जैसेकि सोवियत रूस में या कुछ और कम्युनिस्ट देशों में क्या हम यह नहीं सुनते हैं कि वहां स्ट्राइक्स नहीं होते हैं? क्यों स्ट्राइक्स नहीं होते हैं? हम यह चाहते हैं कि हमारे देश के अन्दर भी ऐसी कोई स्थिति आ जाए जिससे स्ट्राइक्स न हों क्योंकि हमारी आशंका यह है कि धीरे-धीरे हम कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे हैं। पहली बात तो मेरीटोरियम की आई है और फिर कहीं बैन की बात न आ जाये धीरे-धीरे? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि काम करने का अधिकार केवल डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स में न हों, यह तो सभी का मूलभूत अधिकार होना चाहिए। वैसे ही जो काम हम करते हैं कि उसके लिए पूरा वेतन मिले और जीवन की आवश्यकताएं भी पूरी हों, यह देखने की भी जिम्मेदारी हो। इसलिए कुछ चीजों की ओर जो मेरे मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्ता जी ध्यान दिलवाना चाहते हैं, मैं भी उनकी ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

* उपरोक्त विषय पर संकल्प पर चर्चा में भाग लेते हुए।
लोक सभा वाद-विवाद, 7 अप्रैल 1972, cc 232-37।

किसी भी एक उद्योग के अन्दर स्ट्राइक क्यों होती है? इसके लिए एक कारण तो यह है कि इन्टर-यूनियन राइवलरी होती है। यह इन्टर-यूनियन राइवलरी क्यों होती है? किस यूनियन को रिक्गनीशन मिले या न मिले, इस बात को लेकर होती है। इसलिए ऐसी व्यवस्था हम क्यों न करें जैसे कि हमने प्रजातंत्र को स्वीकार किया है और उसमें यह है कि देश का शासन कौन चलाए? जिसको बहुमत मिला हो, वह पार्टी उसको चलाए, ऐसा हमने माना है। इसी तरह से किसी उद्योग में हम आखिर किसको मान्यता दें? मान्यता का आधार कौन सा हो? जिसको ज्यादा समर्थन उसी उद्योग में काम करने वालों का हो, वह रहे। जब मध्य प्रदेश के अन्दर संविद शासन था तो हमने एक प्रस्ताव पास किया था कि ट्रेड यूनियन के अधिकार के अन्तर्गत एक उद्योग में जिस यूनियन को ज्यादा से ज्यादा काम करने वालों का समर्थन मिले, उसको मान्यता मिले और जितनी भी बातें हों हम उनके साथ करें, किन्तु आज तक सरकार ने इसके विषय में कोई कदम नहीं उठाया है। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि सरकार इस दृष्टि से इसमें कदम उठाये।

दूसरी बात यह है कि इस क्षेत्र के अन्दर काम करने वालों को स्वभावत: यह अपेक्षा जरूर रहती है कि उनको मान्यता मिले। अभी कुछ दिन पहले मेरे एक मित्र ने सवाल किया था कि भारतीय मजदूर संघ इस क्षेत्र में काम करता है और जो भी मान्यता के लिए आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करता है। इतना होने पर भी अखिल भारतीय स्तर पर उसको आज तक मान्यता क्यों नहीं मिली? इस सवाल का यह जवाब दिया गया कि आंकड़े जो थे वे 1968 के थे और 1968 और 1972 में काफी अन्तर आया है। हो सकता है कि 1968 में किसी यूनियन की जो स्थिति रही हो वह 1972 में न रह गई हो। इस वास्ते इस मान्यता के सवाल को लेकर भी झगड़े हो जाया करते हैं। मैं समझता हूं कि मान्यता देने के बारे में कोई सिद्धान्त होना चाहिये जिस पर चल कर आप मान्यता दें, कोई युक्तिसंगत बात होनी चाहिये। मैं नहीं समझता हूं कि मान्यता देने के सवाल को, आपको अखिल भारतीय स्तर पर किसी को मान्यता दी गई है, उससे जोड़ना नहीं चाहिये। आप देखें कि राजनीतिक दलों को मान्यता अखिल भारतीय स्तर पर मिल भी जाती है तो भी किसी प्रदेश में अगर उस दल को चार प्रतिशत मत नहीं मिलते हैं, तो उसको उस प्रदेश में ..... मान्यता नहीं मिलती है। इसी तरह से किसी यूनियन को अखिल भारतीय स्तर पर मान्यता मिली हुई है इसका मतलब यह नहीं हो जाना चाहिये कि हर उद्योग में उसी यूनियन को मान्यता मिले। उस उद्योग के अन्दर जिस किसी यूनियन को भी मजदूर वर्ग का ज्यादा से ज्यादा समर्थन प्राप्त हो, उस यूनियन को मान्यता दी जानी चाहिये।

हम वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट की बात भी करते हैं। श्री धारिया से सवाल किया गया था कि वे इसकी शुरुआत पब्लिक सैक्टर से क्यों नहीं करते हैं? हमने जब सार्वजनिक उद्योग खड़े किए हैं तो हम यह भी चाहते हैं कि वहां जो आपसी सम्बन्ध हैं, वे मधुर हों। हमने वहां झगड़ों का निपटारा करने के लिए पश्चिम के तरीके को अपना लिया है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिये कि पश्चिम में जो तरीका है उसको ही हमको स्वीकार कर लेना है। यह मालिकों और

मजदूरों के बीच सम्बन्ध की बात ही नहीं है। उपभोक्ता भी एक तीसरा पक्ष रहता है और उसका भी विचार हमको करना होगा। ऐसा नहीं हुआ तो मालिक अपना लाभ ले लेगा, काम करने वाला अपना लाभ देखेगा। इन दोनों को भले ही लाभ हो किन्तु उपभोक्ता का जो एक बड़ा वर्ग होता है, उस वर्ग को देखने वाला भी कोई होना चाहिये, उसके हितों की देखभाल करने वाला भी कोई होना चाहिए और वह सरकार ही हो सकती है, उसको ही उनके हितों की रक्षा करनी होगी। मालिकों और मजदूरों के झगड़े तो वह तय करें लेकिन उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा भी वह साथ साथ करें। वर्कर्स पार्टिसिपेशन की दृष्टि से भी जब सरकार अपने उद्योग खड़े करती है सार्वजनिक क्षेत्र में तो उसको एक आदर्श मालिक के रूप में उस उद्योग को संचालित करना चाहिये। सार्वजनिक उद्योगों में प्राफिट शेयरिंग की बात भी की जाती है। वे अगर घाटे में चलते हैं तो वर्कर्स को क्या देंगे? आज 87 ऐसे उद्योग में से 37 घाटे में चल रहे हैं। आदर्श मालिक के रूप में आप उद्योगों को चलाएं और जो काम करने वाले हैं उनको यह भी लगना चाहिये कि वे उद्योग उनके अपने हैं, उनमें सैंस ऑफ इनवाल्वमेंट होना चाहिये, सैंस आफ बिलांगिंग होना चाहिये। वह इस बात को महसूस करे कि ज्यादा से ज्यादा फायदा इसलिए मैं उद्योग को दिलाऊं कि इससे यह नहीं कि मेरा लाभ होगा बल्कि मेरे देश को भी लाभ होगा, मेरे देश का भी भला होगा। हर मजदूर अपनी पूरी ताकत लगाए, अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाए, कोशिश यह होनी चाहिये। साथ ही साथ हर स्तर पर उसको प्रबन्ध में साझेदारी कैसे मिले, इसका भी एक फार्मुला एक नक्शा शासन को सामने लाना चाहिये।

मजदूर को ज्यादा दुख इसलिये होता है, कि जो बात कही जाती है, जो वादे किये जाते हैं, उन पर अमल नहीं किया जाता है। एक मंत्री ने बोनस की बात कही लेकिन दूसरा मंत्री उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अखबारों में हमने पढ़ा कि खाडिलकर साहब ने एक यह फार्मूला दिया कि 8 1/3 देंगे लेकिन उनकी इस बात को श्री उमाशंकर दीक्षित मानने को तैयार नहीं हैं, वे इसको स्वीकार नहीं करते हैं। इस तरह की बातें होंगी तो मजदूरों का विश्वास आप पर से उठ जाएगा। केवल तब कहने से काम नहीं चलेगा। धारिया जी ने कल कहा कि हम जो कहेंगे उसको करेंगे और वही करेंगे जो हम कहेंगे। इसको आपको करके दिखाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि इस क्षेत्र में शान्ति कैसे पैदा हो सकती है। यदि हम चाहते हैं कि घेराव न हो तो मालिकों और मजदूरों के बीच में जहां भी तनाव पैदा होता है, जहां भी अन्याय होता है, वहां सरकार को अपने स्थान का उपयोग करके उस अन्याय को दूर करना होगा और मजदूरों को न्याय मिले, इसकी व्यवस्था करनी होगी। जब तक ऐसा नहीं होगा, घेराव के खिलाफ बातें कहते रहने से काम नहीं चलेगा।

आप देखें कि आंध्र में बैंकों की स्ट्राइक हुई। सरकार ट्रिब्यूनल या कमेटी नियुक्त करती है और उसका एवार्ड या सिफारिशें आती हैं तो देखा जाता है कि मजदूर के हित में जितनी भी बातें होती हैं उनको कार्यान्वित नहीं किया जाता है और यह कह दिया जाता है कि इसकी सरकार पर जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि वह स्टेचुटरी नहीं है। इस तरह काम चलने वाला नहीं है। मजदूरों को पूरा न्याय मिले उस क्षेत्र के अन्तर्गत जहां वे काम करते हैं, वहां उनको हर स्तर पर भागीदारी मिले, इसका आपको प्रबन्ध करना होगा। स्ट्राइक हो ही नहीं, ऐसी परिस्थितियों का आपको निर्माण करना होगा।

जितने भी सार्वजनिक उद्योग स्थापित होते हैं उनकी ईंट पर ईंट खड़ा करने वाला सामान्य मजदूर होता है लेकिन वह कभी ईंट के घर में नहीं रहता है, वह झोपड़ी में रहता है। उसको आपको सम्मान देना होगा, उसके श्रम को आपको मान्यता प्रदान करनी होगी। डिगनिटी आफ लेबर जब होगी तब जाकर समाजवाद की जो आप दुहाई देते हैं, सामाजिक न्याय की दुहाई देते हैं उसकी स्थापना हो सकेगी। प्रत्यक्ष रूप से आपको सामाजिक न्याय की प्रस्थापना करनी चाहिये। ज्यादा दिन तक मजदूर जो उसके साथ अन्याय होता है उसको सहन नहीं करेगा। परिस्थितियां बदल चुकी हैं और बदली हुई परिस्थितियों में सरकार का जो दायित्व है, उसका उसको निर्वाह करना होगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

FOOD AND AGRICULTURE
खाद्य और कृषि

देश में खाद्य स्थिति*

उपाध्यक्ष महोदय, आज हम लोग यहां पर खाद्य समस्या पर विचार कर रहे हैं। यह समस्या कोई नई नहीं है। पिछले सोलह साल से लगातार देश के सामने समस्यायें खड़ी हैं। इस बीच में कई अन्न मंत्री आये कई अन्न मंत्री गये लेकिन अन्न की समस्या वैसी की वैसी ही नहीं अपितु दिन पर दिन बिगड़ती चली जा रही है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि

Food Ministers may come and Food Ministers may go but the food problem seems to go on forever.

तो बदलना चाहिए। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के अन्दर खाद्य का संकट भयंकर रूप लेकर आज जो खड़ा है उसके मूल में हमें जाना होगा। जो भारत हजारों साल से अन्नपूर्णा, अन्न भंडार के नाम से प्रसिद्ध रहा हो और दुनिया भर के लोग देश के अन्दर आते रहे क्यों यह आजादी के बाद में हिन्दुस्तान के अन्दर अन्न की समस्या पैदा हो? उसको हल करने में हम असफल रहे यह तो मैं समझता हूं कि देश की बुद्धिमत्ता पर एक बड़ा भारी कलंक रूप में रहेगा।

सन् 1954 से पहले स्वर्गीय प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को आश्वासन दिया था कि पहली पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने के बाद न केवल देश अन्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि हम अन्न बाहर भेज देंगे। उस बात के लिए कई बार ऐश्योरेंस देने के बाद भी और उस बात को कई साल होने के बाद और कितने ऐश्योरेंसेज मिलने के बाद भी यह देश की खाद्यान्न समस्या जो लगातार बिगड़ती चली जा रही है उसका मूल समझने की हम कोशिश, It cannot be treated in isolation. इस समस्या के साथ राजनीति भी जुड़ी हुई है। जब तक पहले समस्त कारणों को समझकर उन्हें हम हल करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक यह समस्या लगातार दिन पर दिन और भी बिगड़ती चली जायेगी।

सरकार के कहने के अनुसार जो विभाजन सन् 1947 में आया उसी के कारण हिन्दुस्तान का जो बड़ा उपजाऊ हिस्सा था वह पाकिस्तान के रूप में उधर चला गया, अपने पास जो भूमि थी वह चली गई लेकिन उसके बदले हमको अपने यहां रिफ्यूजीज के रूप में लोगों को लाना पड़ा और भेजना पड़ा। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उससे हमने कोई भी सबक नहीं लिया। पिछले 18-19 साल से लगातार वह लोग जोकि बड़े मजे के साथ और सम्मान के साथ बसे हुए थे वह लोग लगातार यहां आते चले जा रहे हैं। वह लोग बर्मा से आये हैं लंका से आये हैं दक्षिण अफ्रीका से आये हैं और पूर्वी अफ्रीका से आये हैं और जब तक भूमि जाती

* उपरोक्त विषय पर चर्चा में भाग लेते हुए।
लोक सभा वाद-विवाद, 29 मार्च, 1967, cc 1658-1666 ।

रहेगी तब तक लोग इस तरह से आते रहेंगे और यह समस्या फिर बिगड़ती चली जायेगी। यह सवाल राजनीति का है। अपने सम्बन्ध बर्मा के साथ अपने सम्बन्ध लंका के साथ, अपने सम्बन्ध पाकिस्तान के साथ कैसे रहें इसी पर बहुत मात्रा में यह विषय निर्धारित रहता है। इसलिए केवल खाद्यान्न की ओर जब हम ध्यान देंगे तो इस राजनीति की ओर भी अपने को ध्यान देना होगा।

दूसरी बात यह है कि यह एक राष्ट्रीय सवाल है। इसमें कोई दलगत भावना आकर खड़ी नहीं होती। मुझे बड़ा दुख होता है कि जब खाद्यान्न पर बहस होने का विचार आया तो हर एक यहां का माननीय सदस्य ऐसा महसूस करता है कि कहीं मेरा प्रदेश छूट न जाए, कहीं मेरे प्रदेश के बारे में यहां पर विचार न हो। वास्तव में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी की नेशनल इंटिग्रेशन की बात तो हम यहां करते हैं लेकिन जब ऐसा कोई सवाल आकर खड़ा होता है तो पता चलता है कि एक प्रदेश और दूसरे प्रदेश की स्थिति में आज तनाव पैदा हुआ है, एक महसूस करता है कि शायद हम अमरीका से, अर्जेन्टीना से, आस्ट्रेलिया से गेहूं जल्दी मंगवायेंगे, किन्तु पंजाब से शायद हम नहीं मंगा सकते न और ही किसी प्रान्त से हम मंगवा सकते हैं, यह जो भावना है एक तनाव और अलगाव की यह उचित नहीं है। हमें इस भावना को बदलना होगा और ऐसा सोचकर चलना होगा कि यह एक राष्ट्रीय भावना है और सबको एक सहयोग की भावना से मिलकर इस सवाल को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। इस साल के अन्दर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और मैसूर नहीं खड़े होते कि कितना मिला इन प्रदेशों को। this invidious distinction of a surplus state and a deficit state must go. भारत में इतनी विविधता है कि हम कह नहीं सकते कि कहां चावल पैदा होता है, कहां मकई पैदा होती है, कहां बाजरा पैदा होता है, या कहां चना पैदा होता है और वहां के लोग क्या खाते हैं? अब चना राजस्थान के अन्दर पैदा होता है या गुलाबीवाला चना मध्य प्रदेश में पैदा होता है तो उसके उपभोक्ता बम्बई में रहते हैं। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में आने जाने पर जो निकासी पर रोक है उसके कारण यह समस्या और भी जटिल हुई है। कई बार आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सैंशन के सामने यह मांग उठी कि food zones must go; immediately they must be abolished इस बारे में बहुत बार वायदे करने और ऐश्योरेंस देने के बाद भी आज तक यह फूड जोंस चली आ रही हैं। जब तक अनाज के एक जगह से दूसरी जगह आने ले जाने पर रोक वैसी की वैसी ही रहेगी तब तक यह पता ही नहीं लगता, कि देश के अन्दर कितनी अन्न की उपज बढ़ी है। फूड कॉरपोरेशन के पुराने चेयरमैन श्री पाई ने त्यागपत्र देने के बाद एक लेख में इस बात को स्वीकार किया कि भारत सरकार के पास देश के अन्दर पैदावार कितनी होती है इसके कोई सही आंकड़े नहीं हैं। जो उनके पास हैं वह सारी कल्पना है। यह कल्पना यहां तक चलती है कि गोदामों के अन्दर कितना अनाज सड़ता है कितना अनाज चूहे खा जाते हैं कितना ट्रांजैक्शन के अन्दर खराब होता है। लेकिन जैसा मैंने कहा यहां देश में अनाज कितना पैदा होता है इसका कोई हिसाब ही नहीं रहता है। श्री लाल बहादुर शास्त्री के जमाने से लेकर हम तो समझते थे कि देश के अन्दर अन्न का अभाव नहीं है 40, 50 या 60 लाख टन का अभाव है। यहां की पैदावार 8 करोड़ टन से लेकर 8 करोड़ 80 लाख टन होने की बात भी यहां की फूड टैक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट यह स्वीकार करके चलता है कि 10 प्रतिशत जो है गोदामों के अन्दर खराब होता है। इसलिए अगर हम उसके स्टोरेज का माकूल इंतजाम करें और वह खराब या सड़ने न पाये तो मैं आज भी

यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि देश के अन्दर जो पैदावार होती है यदि उसका ठीक ढंग से बटवारा हो तो हिन्दुस्तान के अन्दर कोई भी आदमी भूख से नहीं मरेगा।

यह सरकार की ओर से हमेशा बताया जाता है कि देश के अन्दर जो खाद्यान्न की समस्या पैदा हुई वह आबादी के बढ़ने के कारण पैदा हुई। अब आबादी के बढ़ने का भी कोई एक क्रम होता है। इतना ही नहीं पिछले 40 साल के अन्दर यदि हम देखेंगे तो पायेंगे कि हिन्दुस्तान की आबादी का यह मामला मैं यह मानकर चलता हूं कि दुगुनी बढ़ी है, किन्तु 40 साल के पहले हिन्दुस्तान का आम आदमी जो खाता था The quantum of food he consumed आज वह उसका एक चौथाई भी नहीं खाता है। अब इसका कारण अलग है जैसे कि आज लोगों को चाय पीने की आदत हो गई है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि मेरे पिताजी मेरे सामने बैठकर 10-12 रोटियां खाते थे हालांकि मैं केवल दो ही रोटियां खाता हूं.... आज खाने का क्वान्टम कम हो गया है और अगर मेरे जैसा फूड मिनिस्टर आ गया तो अन्न की कमी की यहां कोई समस्या रहेगी ही नहीं। अब यह बढ़ती हुई आबादी की समस्या उसको तो है ही और उसको कैसे रोका जाए तो हम देखेंगे लेकिन उसको धान की समस्या के साथ जोड़ना, मैं उसको ठीक नहीं समझता। इसलिये कोई भी नीति निर्धारित करते समय, मेरा यह आग्रह है, सरकार एक राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्धारित करे। किन्तु दुख के साथ कहना पड़ता है कि the present Government is being tossed between "right" and left. कोई भी नीति निर्धारित करते समय हम कोई लेफ्ट नीति निर्धारित करें या कोई राइट नीति निर्धारित करें, व्यापार हाथ में लेंगे तो क्या होगा, जमीन को हाथ में लेंगे तो क्या होगा, इस तरह से उसका मन चलता है उसके कारण राइट और लेफ्ट के चक्कर के कारण सारा काम गड़बड़ हो रहा है। इस कारण, मुझे कहना पड़ता है कि let us now better give up this left and right. Let us now do about turn and face the problem straight. जो असली प्राब्लम है वह राइट और लेफ्ट की नहीं है। असली प्राब्लम यह है कि एक देश के होने के नाते आज हर आदमी को कितना मिले, कैसे मिले, कैसे अच्छे ढंग से हम दे सकते हैं, इसको दृष्टि में रखकर हम विचार करें। तभी मैं समझता हूं कि देश की समस्या हल होगी और कुछ मात्रा में हम सफल हो सकते हैं। इस दृष्टि से मैंने कुछ सुझाव दिये थे। एक तो यह कि हम एक राष्ट्रीय स्तर पर इस वक्त विचार करें।

दूसरी बात यह कि सरप्लस स्टेट या डेफिसिट स्टेट के विचार को छोड़कर जनता को जो मिलना चाहिए वह सही मायनों में सब को समान रूप से मिले। यह नहीं होना चाहिये कि केरल में उसकी मात्रा कम, आंध्र में उसकी मात्रा ज्यादा और मद्रास में और ज्यादा, इसलिये कि मद्रास में चावल पैदा होता है, आंध्र में चावल पैदा होता है और पूना में 100 ग्राम चावल के लिये लोग लाइन लगाकर खड़े रहें। इस बात को मैं ठीक नहीं समझता। राष्ट्रीय स्तर पर एक नीति निर्धारित करके देश में जितना भी उत्पादन हो, चाहे वह कन्याकुमारी में हो या केरल में हो, किसी भी प्रदेश में हो, सब जगहों पर समान रूप से वितरित किया जाये। किसी के मन में यह भाव पैदा नहीं होना चाहिए कि केन्द्र हमारे खिलाफ अन्याय करता है, हमारे प्रान्त के खिलाफ अन्याय होता है। एक राष्ट्रीय नीति हम निर्धारित करें और उसको अमल में लाने के लिये पूरे देश में जो खाद्यान्न जोन्स बने हुये हैं उनको हम हटायें।

तीसरी बात यह आकर खड़ी होती है कि केन्द्र आज बेबसी अनुभव करने लगा है। आज यहां चावल की शार्टेज है, उसका अभाव है, बाहर से चावल मिलता नहीं। चूंकि चावल मिलेगा थाईलैंड से या पूर्वी प्रदेश से, इसलिये उस प्रदेश से सम्बन्ध रखना चाहिए, जब सम्बन्ध अच्छा रहेगा तो ज्यादा मिलेगा। आज केन्द्र अनुभव करता है कि अपने पास है नहीं, प्रान्त मांगते हैं तो प्रान्त को हम क्या देंगे। इसके लिये मैं सुझाव देना चाहता हूं कि पिछले कई सालों से हिन्दुस्तान के अन्दर नियोजन की बात चलती है, लेकिन यदि हम देखेंगे आंकड़ों को तो पता चलेगा कि जहां पर सिंचाई का प्रबन्ध होता है, जहां पानी की व्यवस्था होती है, वहां कहीं गन्ना लगाया जाता है, कहीं सुपारी का बाग लगाया जाता है, कहीं अफीम खेत लगाया जाता है और कहीं जूट होता है। यदि हम देश के अन्दर अनाज के लिये तरसें तो इससे ज्यादा अच्छा यह है कि हम अपनी भूमि का उपयोग अनाज के लिये करें और शक्कर सस्ती बाहर से मंगायें, सुपारी सस्ती बर्मा से आ सकती है। लैंड सीलिंग का कानून लागू करके सुपारी के बजाय वहां पर अनाज की खेती की जाये। जब सुपारी बाहर से सस्ती मिल सकती है, चीनी सस्ती मिल सकती है तब देश के अन्दर शक्कर क्यों ज्यादा पैदा करें। देश में चावल नहीं है, गेहूं नहीं है। अगर हमको दूसरे देशों पर निर्भर रहना है तो चावल और गेहूं के लिये नहीं, शक्कर और सिगरेट के लिये रह सकते हैं। यदि बाहर से सिगरेट और शक्कर नहीं आयेगी तो यहां के आदमी मर नहीं जायेंगे। हम भूमि के हिसाब से उसका उपयोग करें। बंगलोर में अंगूर लगाया गया। इतना ज्यादा अंगूर हो गया और हम उसकी शराब बनायें, तो इसका मतलब यह है कि हमने अपनी भूमि का अच्छे ढंग से उपयोग नहीं किया।

भूमि का अच्छे ढंग से उपयोग करने के लिये हमारी जितनी भूमि है उसको हम जोत के नीचे लाने की कोशिश करें। भूमि सुधार कानून के लिये कई प्रकार के सुझाव आये हैं, भूदान आया, ग्रामदान आया, वन महोत्सव आया, पेड़ लगाये गये, सहकारी खेती आई और इन सब के बाद आखिर में लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान कह कर सोमवार को भोजन छोड़ने का विचार किया। लेकिन हमने किसी पर भी गम्भीरता से विचार करके उसको कार्यान्वित करने की कोशिश नहीं की। ..... आगे चलकर ऑप एक राष्ट्रीय नीति अपना कर खाद्यान्न जोन समाप्त करके सबको समान मात्रा में खाने को दें। आज उत्तर प्रदेश में और बिहार में बहुत ज्यादा भुखमरी है उनको आप भुखमरी का क्षेत्र घोषित करें? वहां क्या-क्या हो रहा है इसको देखने के लिये संसद सदस्यों का सर्वदलीय दल इन सूखाग्रस्त क्षेत्रों का भ्रमण करे। वह आकर यहां पर अपनी रिपोर्ट दे कि वहां क्या चल रहा है क्या नहीं। साथ ही साथ वहां की जनता को वह बतलाये कि पूरे देश की सहानुभूति तुम्हारे साथ होने के नाते तुम्हारा संकट हमारा संकट है और हम उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं आपका आभार मानता हूं और अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि*

अध्यक्ष महोदय, पिछले कई सालों से मूल्यों में वृद्धि हो रही है और कीमतें बढ़ रही हैं और यह कोई मामूली बात नहीं है। उत्तर में हमेशा इस बात को स्वीकार किया जाता है। जैसे, आज व्यापार मंत्री ने बताया है कि विकासमान देश में आयात बढ़ना स्वाभाविक है। वैसे ही विकासमान देश में मूल्य वृद्धि होना स्वाभाविक है। किन्तु मैं मंत्री महोदय के वक्तव्य के बारे में कुछ पूछना चाहता हूं। सोशलिस्ट इकॉनोमी की बात करने वाले, श्री मालवीय और श्री शशि भूषण वाजपेयी, चले गये दिखते हैं। लेकिन हमारे समाजवादी मंत्री ने स्वयं यह स्वीकार किया था कि मूल्यवृद्धि ''मार्जिनल'' होगी, जबकि उन्होंने यह बजट पेश किया था। आज के उनके वक्तव्य में ''मॉड्रेट'' की बात कही गई है अंग्रेजी का फिगर ऑफ स्पीच हो सकता है और जहां तक फिगर का संबंध है, श्री पीलु मोदी और किसी दूसरे व्यक्ति में अन्तर होता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो एक्चुअल मूल्यवृद्धि हुई है, वह मार्जिनल है या मॉड्रेट। जैसे, मछली पहले तीन रुपये किलो थी, लेकिन वह आज नौ रुपये किलो तक पहुंच गई है। अण्डा पहले 25 पैसे में मिलता था, लेकिन अब वह 35 पैसे तक पहुंच गया है। मटर तीन रुपये किलो तक पहुंच गयी है। इसी तरह गोभी और उरद की दाल के भाव भी बहुत बढ़ गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह मार्जिनल इनक्रीज है या मॉड्रेट, या ज्यादा है।

हम अपने देश में हमेशा देखते आये हैं कि–

Government always decides to hold the price line.

But it only beholds the price line rising ever higher and higher.

जहाँ तक गाय और बछड़े की बात है, कर का बछड़ा और महंगाई की गाय हमेशा साथ–साथ होते हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि बछड़े के हिसाब से गाय मार्जिन है या मॉड्रेट है।

महंगाई को रोकने के लिए कई सुझाव दिये गये हैं। सरकार उन सब सुझावों से सहमत है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उन सुझावों पर अमल कब होगा।

अभी श्री बनर्जी ने एक्स्ट्रा एक्सपेंडीचर की बात कही है। वह भी महंगाई का एक कारण है। बात छोटी–सी है, लेकिन उससे सरकार की नीति और दृष्टिकोण का पता चलता है। प्रधान मंत्री जी ने बंगलादेश के बारे में वक्तव्य में कहा है कि पाकिस्तान के गलत प्रचार का निराकरण करने के लिए उनका प्रवास उपयोगी रहा है। लेकिन उनसे पहले कई व्यक्ति विदेशों में इस उद्देश्य से गये यदि प्रधान मंत्री जी के दौरे से ही वह असर होने वाला था, तो वह अकेली

* उपरोक्त विषय पर ध्यानाकर्षण पर चर्चा में भाग लेते हुए।
लोक सभा वाद–विवाद, 16 नवम्बर, 1971, cc 223–26।

चली जातीं और इस प्रकार उस पैसे की बचत हो जाती। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने कहां-कहां बचत करने का निर्णय किया है और वास्तव में कहां-कहां बचत की है।

इस वक्तव्य में कहा गया है 'दि टैक्सटाइल मिल्ज़ हैव बिन आस्क्ड टु इनक्रीज देयर प्रॉडक्शन ऑफ कन्ट्रोल्ड क्लाथ'। मैं जगह-जगह घूमा हूं और मुझे यह सुनने को मिला है कि कन्ट्रोल्ड क्लॉथ के गट्ठे के गट्ठे पड़े हुए हैं, लेकिन उसकी कोई मांग नहीं है। मुझे जो जानकारी मिली है, यदि वह सही है, तो फिर मंत्री महोदय द्वारा कन्ट्रोल्ड क्लॉथ की प्रोडक्शन में वृद्धि की बात कहना कहां तक उचित है?

अभी मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि जब लोग बढ़ती हुई महंगाई का विरोध करेंगे, तो उन पर टीयरगैस छोड़ी जायेगी। मैं कहना चाहता हूं कि होम मिनिस्टर साहब तो टीयर गैस छोड़कर आंखों में आंसू लायेंगे, लेकिन वित्त मंत्री द्वारा कीमतों में वृद्धि करने से ऐसे ही सबकी आंखों में आंसू आ जायेंगे। विदाउट गैस ही विल ब्रिंग टीयर्ज टु ऑल।

मैं यह जानना चाहता हूं कि प्राइस में जो वृद्धि हुई है, वह मार्जिनल है या मॉड्रेट, या वह ज्यादा बढ़ी है। अगर वह ज्यादा है, तो उसका अध्ययन करने के लिए क्या कोई मशीनरी बनाई गई है। इस मामले को कनज्यूमर्ज रेसिस्टेंस पर छोड़ने से काम नहीं चलेगा। यह काम सरकार को करना पड़ेगा। अगर सरकार कीमतों की वृद्धि को रोकने में अपने आप को असफल अनुभव करती है, तो फिर उसका इस मामले को लोगों के मत्थे डालकर अलग हो जाना ठीक नहीं है। देश में इस समय जो वातावरण है, उसमें अनुशासन नहीं है। बड़े-बड़े लोग अनुशासन भंग करके क्या-क्या करते हैं, आज उस पर बहस होगी। लोग बिल्कुल तंग आ गये हैं। अगर कीमतों को बढ़ने से न रोका गया, तो इट विल बि इनसाइटिंग पीपल टु वॉयलेंस।

कई लोगों ने कीमतों को रोकने का उपाय घेराव बताया है। कई जगह ऐसा हुआ भी है। जैसे, इडली के दाम घटाने के लिए रेसिस्टेंस सोसायटी के लोग होटल को घेर कर खड़े हो गये, या टिकटों के दाम घटाने के लिए थियेटर के सामने खड़े हो गये। जब स्टेट्स एन्टरटेनमेंट टैक्स और सेल्स टैक्स पर सरचार्ज लगायेंगी, तो फिर कीमतें बढ़ेंगी। जब रेलवे और पोस्ट ऑफिस रेट बढ़ायेंगे, तो क्या होगा? क्या सामान्य आदमी यह कहे कि मैं इनलैंड लैटर के पंद्रह पैसे दूंगा, पांच पैसे पोस्ट ऑफिस स्वयं लगायें? पोस्ट ऑफिस या रेलवे के समक्ष कनज्यूमर्ज की रेसिस्टेंस क्या करेगी? अपनी असफलता को छिपाने के लिए इस काम को जनता के मत्थे मढ़ना ठीक नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि कीमतों को रोकने के लिए सरकार ने क्या रास्ता निकाला है।

*** *** ***

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि*

उपाध्यक्ष महोदय, लगातार बढ़ती हुई कीमतों पर यह पहली बार सदन में चर्चा नहीं हो रही है। स्वयं वित्त मंत्री इस बात को स्वीकार करते हैं कि कीमतें बढ़ रही हैं और पिछले दिनों तो बहुत बढ़ी है। जबसे अपने देश में नियोजन शुरू हुआ है, हर नियोजन के प्रारम्भ में कहा जाता था कि यह पंचवर्षीय योजना समाप्त होने के बाद कीमतें स्थिर होंगी, कीमतें नीचे आयेंगी कहा जाता था—We hold the price line. आज इतने सालों के बाद लगता है—hold the price line नहीं बल्कि behold the price line. अब यह क्यों होता है? अभी मैंने सम्मानित सदस्य का भाषण सुना, उनका हमारे ऊपर आरोप था कि वह कुछ करना चाहते हैं और जनसंघ करने नहीं देता है। इसलिए मैं सम्मानित सदस्य की जानकारी के लिए कुछ बताना चाहता हूं। आजादी आते ही सन् 1948 में ही सबसे पहले प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि अब आजादी आई हुई है, अब यहां पर कोई ब्लैक-मार्केटिंग करेगा तो he will be hanged by the nearest tree. यह सन् 1946 की बात है when *Jan Sangh* did not exist. यह मैं नाहाटा जी की जानकारी के लिए दे रहा हूं। बाद में अन्न मंत्री मुंशी जी को लगा नेहरू जी ने घोषणा की है, पेड़ों पर फांसी लगानी होगी और पेड़ों की कमी होगी इसलिए वनमहोत्सव का कार्यक्रम लेकर जहां-तहां पेड़ लगाए गए ..... Is there a single hoarder or black-marketeer or smuggler being hanged by the nearest tree? .....

*** *** ***

जो कीमतों की समस्या हैं उसमें आवश्यकता और पूर्ति, यह दो बातें आती हैं। जिन चीजों की जरूरत हैं उन चीजों का उत्पादन है या नहीं? जिन चीजों की जरूरत है उनको प्राप्त करने की क्षमता है या नहीं—यह दो चीजें हैं।

सिर्फ यह कहने से काम नहीं चलेगा कि जो कोई उत्पादन करता है उसी की कीमत बढ़ती है। पोस्ट ऑफिस का कार्ड है, मैं जब बचपन में था तब पोस्ट कार्ड एक पैसे में मिलता था, लेकिन आज 10 पैसे में मिलता है। यह पोस्ट मास्टर की होर्डिन्ग टेन्डेंसी की वजह से तो कार्ड की कीमत नहीं बढ़ी। अब एक कार्ड बनाने में जो कागज लगता है....

*** *** ***

वही मैं कह रहा था कि जो सरकार के हाथों में चीजें हैं उनकी जब कीमत बढ़ती हैं तो उसका भी विचार करना पड़ेगा कि आखिर क्यों कीमत बढ़ गयी।

---

* उपरोक्त विषय पर चर्चा में भाग लेते हुए।
लोक सभा वाद-विवाद, 10 अगस्त, 1972, cc 206-15 ।

तो मैं यही कह रहा हूं कि आखिर आप पोस्ट कार्ड छापते हैं, किस हिसाब से छापते हैं? सरकार जो भी चीज तय करती है वह पूरी नहीं करती। इसलिए मेरा सुझाव है कि आज जो कीमतें बढ़ रही हैं इसके लिए दो उपाय हैं। एक तो दूरगामी है और दूसरा तात्कालिक है जो कि आज करना है और दूसरा आगे चलकर आने वाले दिनों में। मैं मंत्री महोदय से पूछता हूं कि जब से हमने देश में नियोजन शुरू किया। कुछ निश्चित लक्ष्य से हमने शुरू किया। उस लक्ष्य की पूर्ति यदि नहीं होती तो यह देखने का किन का काम है। रीएप्रेजल कोई आज नहीं हो रहा है, तीसरी योजनाओं का भी रीएप्रेजल हो चुका है, इतना ही नहीं टोटल नैट इन्कम जो देश में बढ़ी है उसका वितरण कैसा हो रहा है, यह देखने के लिए महालनवीस कमेटी नियुक्त की गयी थी। उसकी रिपोर्ट आयी उस पर कोई अमल हुआ क्या? प्लान का हम रीएप्रेजल करते हैं किन्तु हमारी जो अपेक्षा होती है वैसी उपलब्धि क्यों नहीं होती है यह क्यों नहीं सोचते ''यत्ने यदि न सिद्धयाति कोऽत्र दोष:''। दोष कहां है यह देखना बहुत आवश्यक है।

लगातार 1966 से हमारी रेल घाटा देती है। आज हम 1972 में पहुंचे, वास्तव में रेल घाटा क्यों दे, इसका कोई अभ्यास किया? जिस डिब्बे के अन्दर 42 लोगों के बैठने की जगह होती है वहां 42 टिकट के लिए ही तो रेलवे को मुनाफा होना चाहिए। जबकि उसी डिब्बे में 84 आदमी टिकट लेकर बैठते हैं फिर भी घाटा होता है। ऐसा क्यों हैं, कभी इस बारे में आपने गम्भीरता से विचार किया है? 1967 से लेकर 1972 तक पांच रेल मंत्री आये, पहले पुनाचा जी रहे, फिर रामसुभग सिंह जी आये, उसके बाद गुलजारी लाल नन्दा जी आए उसके बाद हनुमन्तैया जी आये और अब पाई साहब हैं, यानी पांच साल में पांच मंत्री बने किन्तु रेल का मामला वैसे ही चलता है। Ministers may come and Ministers may go but the railways will go on for ever off the track. लगातार किराया बढ़ाते जाते हो, यह नहीं देखते हो कि रेल में घाटा क्यों आता है। सरकार के हाथ में यदि कोई मोनोपली कन्सर्न है तो यह मतलब नहीं है कि उस घाटे को पूरा करने के लिए रेट बढ़ायें। आखिर उसका असर कॉमन मैन पर ही होता है। अब दूध क्यों महंगा बिकता है? बड़े-बड़े शहरों में ट्रेन से दूध आता है, और जब ट्रेन का किराया बढ़ता है तो दूध भी महंगा हो जाता है, पेट्रोल का रेट महंगा होता है तो मोटरों से जो सब्जी आती है वह भी महंगी होती है। दस साल पहले एक लीटर पेट्रोल का रेट 68 पैसे का मिलता था, आज 1.48 पैसे का मिलता है। यह जो लगातार बढ़ोत्तरी होती चली जाती है इसका असर हर चीज पर पड़ता है क्योंकि एक चीज दूसरे पर निर्भर रहती है। इसलिए इस पर कहीं न कहीं रोक लगानी चाहिए। यह बहुत आवश्यक है।

नियोजन के प्रारम्भ में देश का कर्जा 32 करोड़ था यह कोई नहीं कहता कि कर्जा न करो, लेकिन उसकी कुछ तो सीमा होनी चाहिए। आज वह कर्जा बढ़ते-बढ़ते 10 हजार करोड़ तक पहुँच गया है। कीमत की बात करते हैं, योजना के लिए पैसा कहां से आए? बाहर से आए, बाहर से लो। वह लगातार बढ़ता जा रहा है। योजना के लिए पैसा कहां से आये नैट सेविंग से आये। सेविंग घटती चली जा रही है तो योजना के लिए पैसा टैक्स से आए। टैक्स लगातार बढ़ता जाता है, इन्डायरेक्ट टैक्स बढ़ता चला जाता है तो सामान्य आदमी पर बोझ बढ़ रहा है। इतना खर्च करके भी जो गैप है उसकी पूर्ति नहीं होती इसलिए डेफिसिट फाइनेंसिंग आती है। और जैसा भगत जी ने कहा 900 करोड़ चाहिए, और बार-बार हम कहते हैं कि डिपेंडेंस ऑन फौरेन

एड जो है इसको कम करेंगे। लेकिन होता इसका उल्टा है। हर साल के आंकड़े देखिये बढ़ता जाता है। जिस साल कहते हैं कि कम करेंगे उसी साल चार हजार करोड़ तक बढ़ता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग कम करेंगे, लेकिन कम होने के बजाय बढ़ती है। बोरोइंग कम करेंगे, लेकिन बढ़ती है। टैक्सेशन नहीं करेंगे, लेकिन बढ़ती है। हर चीज जो कहते हैं नहीं करेंगे, वह करते हैं। तो उसका जो नैट रिजल्ट है वह घटेगा कैसे यह हमको बताइये? इसलिए जब तक इसको नहीं रोकेंगे तब तक हालत खराब ही होती जायेगी। क्या इनको कम करने की कोशिश की है यह कैसे होगी। तो वही होगी कि कैपिटल फोरमेशन कैसे होगी, अण्डर डेवलप्ड इकोनामी में हमको करना पड़ेगा। किन्तु यह करते समय केवल जब प्राइसेज पर चले जाते हैं तो प्रधान मंत्री एक समाधान लेती हैं कि डेवलपिंग इकोनामी में प्राइसेज बढ़ती हैं। मैं मानता हूँ कि बढ़ती हैं। किन्तु जैसे चव्हाण जी ने आंकड़े दिये, वह एकतरफा दिये कि रुपये की क्रय शक्ति घट गयी है। और यह कहते समय उन्होंने दूसरे देशों के आंकड़े दिए कि जैसे हमारा रुपया घटा है 42 तक वैसे ही जर्मनी का मार्क घटा है, जापान का यैन घटा है और इंग्लैंड का पाउन्ड घटा है। किन्तु हमारे रुपये को पिछले 25 साल में दो बार डिवैल्यूएशन का डोज देना पड़ा। जर्मनी ने मार्क फ्लोट किया, जापान ने येन फ्लोट किया, इंग्लैंड ने पाउन्ड फ्लोट किया तो कीमत नीचे आयी। वह इकोनामी को रिफ्लैक्ट करता है। तो चव्हाण जी ने यह क्यों नहीं बताया कि पर कैपिटा इनकम अमरीका में क्या है, जर्मनी में क्या है, जापान में क्या है, इंग्लैंड में क्या है? सिर्फ यह कहने से काम थोड़े ही चलेगा कि जो अर्निंग्स हैं यदि वह बढ़ती हैं, जैसे आज रुपया 42 तक नीचे आया किन्तु यदि लोगों की दुगनी, तिगुनी आमदनी हो तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सवाल यही है कि कीमतें यदि बढ़ती हैं तो मतलब यह है कि हमारे पास जो क्षमता है आवश्यक चीजें लेने की वह उतनी क्षमता पूरी नहीं कर सकता।

इन दो बातों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है—एक तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है और दूसरा इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन। आज भी देश में सबसे बड़ा उद्योग खेती है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। आज भी 70 प्रतिशत लोग इसी पर निर्भर हैं। हमने तीन योजनाओं को देखा और चौथी योजना को देखें तो कितना इम्बैलेंस है, इस उद्योग की तरफ हमने कितना ध्यान दिया है? हमारे शास्त्रकारों ने बताया है कि भूमि को अदैव मात्रका रखनी चाहिए। हमारे ऋषियों ने प्रार्थना की है "काले वर्षतु पर्जन्य:" यह प्रार्थना क्यों की है?

*** *** ***

मेरा कहने का मतलब यह है कि जब हमने यह प्रार्थना की है "काले वर्षतु पर्जन्य:" तो इसका मतलब होता है कि देश के अन्दर अकाल में वर्षा नहीं होती। किन्तु जब-जब होती है पानी का प्रबन्ध खेती के लिए, पानी का प्रबन्ध गांवों के लिए करने की दृष्टि से जो योजना को अग्रेक्रम मिलना चाहिए था वह आज नहीं मिला। इसलिए यदि एक महीने की बारिश में देर हो जाती है तो हमारे सारे आंकड़े गलत हो जाते हैं। इन्हीं मंत्री महोदय ने तीन महीने पहले कहा था कि इस बार हम निर्यात करेंगे। और खटाक से एक महीना वर्षा में देर हो गई तो कहने लगे कि ऐसा लगता है कि निर्यात नहीं कर सकेंगे। अब ऐसा लगता है कि निर्यात तो छोड़ दीजिए, आवश्यकता की पूर्ति भी कर सकते हैं कि नहीं? इन्टरनेशनल मार्केट में पल्सेज हैं, आयल सीड्स हैं, यह सस्ते हैं तो यह भी मंगायेंगे। अब क्या-क्या मंगायेंगे?

हमारे मित्र कह रहे थे कि जब तक हर चीज सरकार के हाथ में नहीं आती तब तक इस समस्या का हल नहीं होगा। मैं यह भी मान लेता हूं, जैसे सुपर बाजार का उदाहरण दिया:

The Super Bazar is known not only for its super profits but it is known for its super losses.

और जैसे ही सुपर बाजार लौस देने लगा तो नाम बदल दिया–अपना बाजार हो गया। यानी घाटा अब होता है तो जनता का हो गया।

स्टील एक बेसिक उद्योग है। इसको सरकार ने हाथ में लिया। क्या सरकार कह सकती है कि यह सस्ता मिले ऐसा उत्पादन उसका हमने किया है? अभी अखबार मैंने पढ़ा, कैबिनेट ने यह तय किया कि 170 करोड़ रुपये स्टील इम्पोर्ट के लिए रिलीज किया, फर्टिलाइजर के लिए 200 करोड़ रु. किया। कॉटन कॉर्पोरेशन होने के बाद कॉटन ज्यादा पैदा हो, इसका प्रयत्न होने के बाद भी 100 करोड़ रु. का कॉटन इम्पोर्ट करके सारी व्यवस्था पूर्ण करना चाहते हैं। यानी आलरेडी देयर इज ए गैप, जिसके कारण इम्पोर्ट ज्यादा बढ़ायेंगे। तो How are you going to meet the ever widening trade gap? स्टील मिल्ज खड़ी करने के बाद भी सरकार सस्ता स्टील उपलब्ध नहीं करा सकी है ऐसा क्यों? जापान हमसे मैंगनीज और कच्चा लोहा लेता है और हमसे लेकर भी वह अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में स्टील सस्ता बेचता है। हमारा स्टील क्यों महंगा है? क्यों नहीं इसको सस्ता करने का प्रयास किया जाता? सरकार ने अपने हाथ में स्टील कम्पनियों को लिया है। क्यों नहीं सरकार सस्ता स्टील पैदा करके दे सकती है। क्यों नहीं सरकार विश्वास निर्माण कर सकती है? आखिर बहुत सी चीजें विश्वास पर भी होती हैं। जब युद्ध चलता है तब कीमतें नहीं बढ़ती हैं....

*** *** ***

दो पैसे की दर से आप बिड़ला जी को बिजली सप्लाई करते हो जबकि किसान को 11–12 पैसे फी यूनिट के हिसाब से सप्लाई करते हैं। तमिलनाडु में उन्होंने बारह पैसा किया तो उसके खिलाफ आपने आन्दोलन किया। हिंडालियम को आप क्यों दो पैसे फी यूनिट के हिसाब से देते हैं।

** *** ***

Let us not be hypocrites.

किसानों की बहुत बात की जाती है। लेकिन किदवई जी का फार्मूला क्या था? उन्होंने गन्ने और शक्कर की कीमतों में समन्वय स्थापित किया था। उसको आपने क्यों छोड़ दिया। आज आप किदवई जी के फार्मूले को स्वीकार करें तो किसान को गन्ने का मूल्य 18 रुपये और 20 रुपये क्विंटल मिलना चाहिए। लेकिन आप उनको न्यूनतम दाम देते हैं 7 रुपये 37 पैसे क्विंटल। वह घाटे में कैसे नहीं रहेगा? पांडे जी सामने बैठे हुए हैं। उन्होंने यहां सदन में कहा था कि हमारे गांवों में जो जलाने की लकड़ी होती है वह तेरह रुपए क्विंटल बिकती है। लकड़ी से गन्ना सस्ता है। यह कौन सी साइन्टिफिक इकोनोमी है? किसी भी अर्थव्यवस्था में गन्ने से लकड़ी सस्ती होती है या गन्ना लकड़ी से महंगा होता है और गुड़ से शक्कर महंगी होती है। लेकिन यहां उल्टी बात है। यहां गन्ने से लकड़ी, शक्कर से गुड़ और दूध से पानी महंगा है।

वर्षा न होने की वजह से पीने का पानी नहीं मिलता है। पच्चीस पैसे पानी के एक घड़े से लेकर एक रुपया फी घड़ा तक देना पड़ता है। हमारे देश में आज भी एक लाख गांव हैं। वहां पीने का पानी नहीं है । वहां पानी चाहिए। यह हमारी गलत इकोनोमी है।

मैं समझता हूं कि जब तक नियोजन को आप ग्राम आधार नहीं मानेंगे, ग्राम से योजना का काम शुरू नहीं करेंगे, तब तक देश का भला नहीं हो सकेगा। साथ ही साथ खेती से सम्बन्धित उद्योगों को विकेन्द्रित रूप में आपको चालू करना होगा और इन विकेन्द्रित उद्योगों को आपको गांवों में स्थापित करके गांव वालों को काम देना होगा। साथ ही साथ देश का एक-एक पैसा आपको देश के हित में खर्च करना होगा। जब तक आप यह सब कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। तात्कालिक उपाय की दृष्टि से आज सरकार के लिए यह सब करना आवश्यक है।

आप देखें कि 1951 में दस लाख टन शक्कर की पैदावार थी जबकि पिछली बार वह पैदावार 42 लाख टन हो गई। 1951 में हमारी आबादी 40 करोड़ थी जो आज 56 करोड़ है। दस लाख से बढ़कर पैदावार चालीस लाख टन हो गई, यानि चौगुनी हो गई लेकिन पापुलेशन हमारी उतनी नहीं बढ़ी। 1947 में देश की आबादी 36 करोड़ थी और तब अनाज की उपज थी 5 करोड़ 30 लाख टन। आज आबादी 56 करोड़ है यानी यह ड्योढ़ी हो गई है और हमारा जो अनाज का उत्पादन है वह दुगुना हुआ है। उत्पादन 100 मिलियन टन है। तब कमी कैसे पैदा हो जाती है, यह समझ में नहीं आया है। मैं आंकड़ों के जाल में नहीं फंसना चाहता हूं। सीधी सी बात है। जो आवश्यक चीजें हैं उनको खरीदने की क्षमता लोगों में कैसे हो, और उतनी मात्रा में उत्पादन कैसे हो इन दोनों चीजों के बीच आपको समन्वय बिठाना होगा। जो स्थिति पैदा हुई है इसका सामना करने के लिए आपको बफर स्टॉक ऑफ ऑल एसेंशियल कमोडिटीज करना होगा। सिर्फ अनाज की बात नहीं है। तमाम एसेंशियल कमोडिटीज का बफर स्टॉक बनाना होगा और छोटे-मोटे गांव तक में सस्ती दुकानों से सामान्य आदमी को ये चीजें उपलब्ध हो सकें, ऐसी व्यवस्था आपको करनी होगी। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि:

Where is the administrative machinery? You are the ruling party. If you are not in a position to administer all these things, better get out.

मैं कहना चाहता हूं कि आज जो स्थिति पैदा हो गई है उसका सामना करने के लिए सरकार को रियलिस्टिक बनना होगा अभी मैं बम्बई से आया वहां भुखमरी हुई है, भूख से लोग मरे हैं। लेकिन मंत्री जी कहते हैं कि भूख से नहीं मरे। मैं पूछना चाहता हूं कि जब शीत लहर चलती है या जब गर्मी ज्यादा पड़ती है और लू चलती है तो लोग नहीं मरते हैं? अगर मरते हैं तो क्या उसकी वजह यह नहीं है कि उनके पास रहने के लिए घर नहीं होते हैं? वैसे ही खाने लायक अन्न न होने की वजह से लोग मरते हैं। यह कहने से काम नहीं चलेगा कि फॉर वांट ऑफ न्यूट्रिशियस डायट वे मर गए। आखिर वह मरता क्यों हैं? क्यों नहीं उसको खाना मिलता है। वह कभी इसकी परवाह नहीं करता है कि जो डायट उसको मिलती है वह न्यूट्रिशियस है या नहीं है। उसको तो पेट भरने के लिए कुछ चाहिए। ऊंचे लेवल पर सरकार जन संघ को गाली देकर होर्डर्ज को गाली देकर काम नहीं चला सकती है। गवर्नमेंट विल हैव टू बिहैव।

*** *** ***

आज जो स्थिति पैदा हो गई उसको वार्ड ऑफ करने के लिए

All essential commodities have to be made available through the fair price shops at the lowest cost to the common man.

यह मशीनरी गवर्नमेंट ने तैयार करनी है। तब जाकर कुछ काम होगा। लांग टर्म साल्यूशन की दृष्टि से केवल री-एप्रेजल करने से काम नहीं चलेगा। हमें एक उत्साही मंत्री योजना के लिए मिले हैं। हमारी उनसे बड़ी आशायें थीं। लेकिन वैनिश पावर्टी वाला जो नारा था वह वैनिश मिनिस्टर्ज में तबदील होता जाता है। एक जाता है दूसरा आता है। इसलिए मैं सरकार से कहता हूं कि उसको कम्पलेसेंट नहीं होना चाहिए, उसको वाकई में सीरियस होना चाहिए। उसको ऐसे कदम उठाने चाहियें जिनसे देश के सामने जो एक बड़ी समस्या है, भुखमरी की जो सम्भावना पैदा हो गई, वह टल सके, वह दूर हो सके।

वनस्पति और चीनी की कमी और कीमतों में वृद्धि*

बढ़ते हुए चीनी और वनस्पति के दाम, वनस्पति का बाजार से गायब होना, जिनकी वजह से अभावग्रस्त जनता को तकलीफ होती है—इन समस्याओं की ओर हमने माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाने का प्रयत्न किया है। लेकिन जो वक्तव्य माननीय मंत्री जी की तरफ से आया है, उसे देखकर मुझे शर्म होती है, क्या हम वास्तव में सदन के रूप में कार्य कर रहे हैं, क्या जिम्मेदारी से कोई काम हो रहा है, यह क्या वक्तव्य है। इसमें दिया गया है—राज्यों में उपभोक्ताओं, ग्रामीण तथा शहरी दोनों को लेवी का वितरण कुल मिलाकर सन्तोषजनक ढंग से हो रहा है—यह क्या वक्तव्य है? ग्रामीण क्षेत्र में शुगर के लिये गोली चली है, लोग मरे हैं और मंत्री महोदय कहते हैं कि वितरण संतोषजनक रहा है—अब क्या सवाल करूं? वह आगे कहते हैं—कि सरकार स्थिति पर निगरानी रखे हुए है और जब कभी आवश्यकता समझी गई तो सरकार उपयुक्त उपाय करेगी। अभी तक आवश्यकता ही नहीं समझी गई, क्या निगरानी की जा रही है—यह चीनी के बारे में है। वनस्पति के लिये कहते हैं कि विभिन्न राज्यों से प्राप्त आवश्यकताओं को एसोसियेशन को बता दिया गया है ताकि वे वनस्पति सप्लाई करने की व्यवस्था करें। इन्होंने प्रदेशों को लिखा कि वे अपनी आवश्यकतायें बतायें उसके बाद उस आवश्यकता को इन्होंने एसोसियेशन को बता दिया—उसके बाद इनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। मैं आप से पूछता हूं—चीनी के बारे में क्या आपने एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ा है। एस्टीमेट्स कमेटी ने साफ बताया है—

There is absolutely no long-range policy with this Government.

पिछले दस सालों में कभी डी-कन्ट्रोल होता है, कभी सेमी-कन्ट्रोल होता है, कभी पार्शियल कन्ट्रोल होता है, कभी राष्ट्रीयकरण की बात होती है, लेकिन होना कुछ नहीं है। आप की कोई नीति ही नहीं है। मैं आपके सामने आंकड़े उद्धृत करना चाहता हूं—1968-69 में 35.39 लाख टन, 1969-70 में 49.63 लाख टन चीनी आवश्यकता से ज्यादा उत्पन्न हुई। 1970-71 में 30.67 लाख टन, 1971-72 में 32.07 लाख टन और इस साल कहते हैं 38 लाख टन ज्यादा होगी। क्या इनमें कोई सन्तुलन है, ऐसा क्यों है? एस्टीमेट्स कमेटी साफ-साफ कहती है कि किसानों को गन्ने का उचित मूल्य मिलना चाहिये, लेकिन उनको गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। जब श्री जगजीवन राम जी अन्न मंत्री थे, उस समय 10 रुपया न्यूनतम दाम था, लेकिन फिर उसको बदलकर 7 रुपया 37 पैसा किया और इस साल 8 रुपया किया। मैं पूछना चाहता हूं—1952 में जब श्री रफी अहमद किदवई खाद्य मंत्री थे, उन्होंने दोनों में संतुलन बैठा दिया था

* उपरोक्त विषय पर चर्चा में भाग लेते हुए।
लोक सभा वाद-विवाद, 10 मई, 1973, cc 147-52।

और कहा था कि जितने आने मन गन्ना, उतने रुपये मन चीनी। इस सन्तुलन को आपने क्यों छोड़ दिया? आज बाजार में तीन और चार रुपए किलो चीनी बिकती है तो हमारे किसानों को कम से कम 25 रुपए क्विंटल गन्ने का दाम मिलना चाहिए। अभी मंत्री जी ने बताया मैसूर में कहीं 16 रुपए का दाम मिला लेकिन कहां मिला? जहां पर कोऑपरेटिव शुगर मिल हैं, जहां पर उनकी खुद की जमीन है, शेयरहोल्डर्स ने अपनी जमीन लगाई है इसलिए उन्होंने दाम बढ़ा दिए जो प्राइवेट किसान हैं उनको कहीं नहीं मिला है।

हमारी एस्टीमेट्स कमेटी की जो रिपोर्ट है वह कहती है कि 1970-71 तक गन्ने का जो बकाया था वह 16 करोड़ है तो फिर किस आधार पर गन्ने का उत्पादन होगा? एक तो किसानों को गन्ने के ठीक दाम नहीं मिलते और दूसरे जो कुछ दाम मिलते भी हैं वह भी बकाया हैं। जब-जब हमने यहां पर सवाल उठाया तो मंत्री महोदय ने कह दिया कि हमने प्रान्तीय सरकार को बता दिया है। प्रान्तीय सरकार तो देती नहीं है। ऐसी स्थिति में जब उचित दाम भी नहीं मिले और जो मिले भी वह हाथ में न मिले तब मंत्री महोदय का यह कहना कि चीनी में हमको संतोष है यह बात समझ में नहीं आती। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर आप कोई निश्चित नीति निर्धारित करेंगे या नहीं? मरहूम श्री रफी अहमद किदवई का फार्मूला आपको मंजूर नहीं है तो कम से कम चीनी और गन्ने के बीच में कोई सन्तुलन हो सकता है या नहीं। यह बात समझ में नहीं आती कि गन्ने का दाम घटता जाता है और चीनी का दाम बढ़ता जाता है, कपास का दाम घटता जाता है और कपड़े का दाम बढ़ता जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप कोई निश्चित नीति बनाये और गन्ने के दाम बढ़ायें। .....1930 के दिनों में जब हम कांग्रेसी थे तो हम शपथ लेते थे कि चीनी नहीं खायेंगे क्योंकि उस समय चीनी मॉरिशस और जावा से आती थी। हम उस समय गुड़ खाते थे। आज जब हम स्वयं चीनी पैदा करते हैं तब हमारा अधिकार है, हर एक आदमी चीनी खायेगा।

*** *** ***

मैं यह जानना चाहता हूं उत्पादन के आंकड़ों में जो असमानता है कभी 33 लाख टन, कभी 44 लाख टन और कभी 30 लाख टन इसका कारण क्या है? गन्ने का जो उत्पादनकर्ता है उसको जो उचित मूल्य मिलना चाहिए उस पर ध्यान देना चाहिए और उनका जो बकाया है उस पर भी ध्यान देना चाहिए।

इसके अतिरिक्त आज आपने चीनी के वितरण की जो प्रणाली रखी है उसमें पिछले साल 60 प्रतिशत लेवी थी और आज है 70 प्रतिशत। मैं जानना चाहता हूं पूरे उत्पादन का 70 प्रतिशत कोटा आपने सस्ते दामों में वितरित करने का निश्चय किया जो हर आदमी को महीने में एक हफ्ते काम आता है और क्या हुआ 30 प्रतिशत आउट आफ दि टोटल प्रोडक्शन, वह पूरे महीने काम आता है, सत्यनारायण की कथा में और शादी में भी काम आता है। यह हिसाब समझ में नहीं आता।

If it is 70 per cent which Government has taken over of the total production why is it only sufficient for one week whereas the remaining 30 per cent is sufficient for three weeks?

इसमें कुछ गड़बड़ है जिसको देखने की बात है।

वनस्पति के मामले में भी यही गड़बड़ है। उसके बारे में भी कोई निश्चित नीति नहीं है। मंत्री महोदय ने कहा है कि उत्पादन आधा हुआ है। वनस्पति की इंस्टाल्ड कैपेसिटी है 12 लाख टन, लाइसेंस्ड कैपेसिटी है 16 लाख टन और पैदा होता है 6 लाख टन। मैं जानना चाहता हूँ इसके बारे में आपकी कोई नीति है या नहीं? 1968 और 1970 के बीच में आपने डी-लाइसेंस किया जिसकी वजह से एकदम कारखाने बढ़ गए। 1970 में इसको लाइसेंस किया। दक्षिण में आज भी इसका उपयोग नहीं होता, पश्चिम और उत्तरी भागों में होता है। मैं जानना चाहता हूं आवश्यकता से ज्यादा जो इंस्टाल्ड कैपेसिटी है और जो कच्चा माल लेते हैं जैसे मूंगफली का तेल है उसके उत्पादन के बड़े प्रदेश हैं तमिलनाडु, गुजरात वहां खुद कितनी है खपत, वहां तेल ही उपयोग में आता है, वहां पर रिफाइंड के रूप में, डालडा के रूप में कितना उपयोग में आता है....

तो मैं यह जानना चाहता हूं वनस्पति जब गायब है और यह आशीर्वाद दे रहे हैं, कहते हैं हमने आवश्यकता पूछी है और सप्लाई करेंगे। इस तरह से नहीं होगा। आवश्यकता तेल के सीड्स की है। मूंगफली के तेल से कहां तक हो सकता है? पिछले दिनों सोयाबीन, रेपसीड आयल, पाम आयल की जहां तक बात है

the latest new-fangled idea is to bring out cotton-seed oil

आखिर इन सबका हिसाब क्या है? कच्चे माल की पूर्ति करने की दृष्टि से सन फ्लावर, रेपसीड, पाम आयल इनका आयात कितना हो कि आगे चलकर गड़बड़ी न हो, केवल यह कहने से काम नहीं चलेगा कि हर इंडस्ट्री को टेक ओवर कर लिया जाये। यह ठीक नहीं है, स्केर्सिटी से ही ब्लैक-मार्केट चलती है। तो आपूर्ति कैसे हो ठीक ढंग से चीनी के बारे में? जब उत्पादन न हो आवश्यकता के अनुसार और उसके लिए जो कच्चे माल की जरूरत है उसकी आपूर्ति कैसे करेंगे? आयात करेंगे, बाहर से कहां से लायेंगे? कनाडा ने जो एक लाख टन देने की कोशिश की थी उसे क्यों नहीं लिया? आज इसी दिल्ली में लोग कड़ी धूप में लाइन लगाकर खड़े हैं, उनको पता चलता है कि चीज गायब है। यहां पर सुपर बाजार की जो आवश्यकता थी उसकी पूर्ति आप क्यों नहीं कर रहे हैं? वहां की आवश्यकता को आप कब तक पूर्ण करेंगे? कपड़ा मिलों की हड़ताल हो गई तो उसका आपने बहाना ले लिया। इसमें केवल एक दिन की हड़ताल हुई।

*** *** ***

I could not follow it because the honourable Minister says that one man will not get more than 1 Kg. and one family will not get less than 1 Kg.; what does this mean? I do not understand what it means.

इसमें एक जगह बताया है कि एक व्यक्ति को एक किलो से ज्यादा नहीं मिलेगा और एक परिवार को एक किलो से कम नहीं मिलेगा तो फिर मिलेगा कितना? यानि सबको एक किलो मिलेगा? मतलब क्या है? अगर हिन्दी गलत है तो हो सकता है मेरी समझ में न आया हो। जब ऐसा वक्तव्य हो तो कहना पड़ेगा पुराने जमाने में जैसा सुनते थे कि रोम जल रहा था तो नीरो बैठकर बांसुरी बजा रहा था उसी तरह से जनता धूप में तड़प रही है और मंत्री महोदय बंसी बजा रहे हैं। तो जो सवाल मैंने उठाएं हैं मंत्री जी उनका ठीक जवाब दें।

कीमतों में वृद्धि*

सभापति महोदय, मूल्यवृद्धि को रोकने में सरकार को जो असफलतायें हुई हैं उसके सम्बन्ध में जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव सदन के सामने हैं उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मूल्यवृद्धि पिछले कई सालों से लगातार बढ़ती चली जा रही है। हर योजना और हर बजट पेश करते समय वित्त मंत्री यह आश्वासन देते आए हैं कि हम मूल्यवृद्धि रोकेंगे, मूल्यों को नीचे लायेंगे। एक उस समय यह परिभाषा हुई थी

that the Government will hold the price-line

किन्तु आज का अनुभव यह बताता है।

But the Government has failed to hold the price-line. It simply keeps on beholding the line ever-increasing.

आप लोगों ने भी स्वीकार किया, अमृत नाहाटा जी ने भी स्वीकार किया कि बेहद मूल्य बढ़े हैं। यह किसी पार्टी का सवाल नहीं है। यह मूल्य यदि एक दम पिछले कई दिनों में बढ़े हैं तो क्यों बढ़े हैं, उसके मूल में हमें जाना पड़ेगा। भले ही हम उनको नीचे न लायें लेकिन कम से कम वह आगे न बढ़ें इसकी तो कुछ गारन्टी करनी चाहिए। हमारे मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त और दूसरे भी कहें कि मूल्यवृद्धि के लिए जमाखोर और मुनाफाखोर जिम्मेदार और जनसंघ इसलिए जिम्मेदार है

but it is an over-simplification of the matter.

*** *** ***

क्योंकि 1954 में हमने स्वयं सरकार से मांग की थी

the floor price must be given to Kisan.

क्योंकि ज्वार का भाव 32 रु. क्विंटल तक खिसका। व्यापारी व्यापारी था, मुनाफाखोरी उसकी रग-रग में है, ऐसा नहीं है कि आज का व्यापारी मुनाफाखोर है और पहले नहीं था लेकिन जब वस्तु का अभाव होता है तब यह प्रवृत्ति बढ़ती है। अभाव ही इसका मूल कारण है। जब किसी चीज का अभाव हो तो उसका एक दुष्चक्र शुरू होता है। कल ही मैं खरीदने गया था, मैंने पूछा पोस्टमैन तेल का दाम क्या है तो उन्होंने कहा चार किलो का डिब्बा ले लें तो 46 रुपए, दो किलो का ले लें तो 22 रुपये और एक किलों का ले लें तो 12 रुपए। मैं कल की ही बात बता रहा हूं पहाड़गंज की। तो मैंने कहा कि एक किलो का दीजिए। उसने कहा 8 दिन बाद

* उपरोक्त विषय पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए।
लोक सभा वाद-विवाद, 23 जुलाई, 1973, cc 347-62।

आयेंगे तो 12 का नहीं मिलेगा, 14 का मिलेगा और अभी दो किलो 22 का मिल जायेगा। तो मेरे जैसे आदमी को भी जहां एक किलो लेने का विचार था वहां दो किलो लिया। जब वातारण में अस्थिरता हो, मूल्य बढ़ेंगे यह डर हो, तो मैं जो जमाखोर नहीं हूं, मुझे भी लगता है कि एक किलो के बजाये दो किलो क्यों न लिया जाये। यह एक प्रवृत्ति है इसीलिए मैंने कहा कि इसके मूल में हमें जाना पड़ेगा कि ऐसा वातावरण हम क्यों तैयार कर रहे हैं।

मैं उदाहरण देता हूं, कोई बुरा न माने इस बार जो शुगर की पैदावार हुई है उसके आखिरी आंकड़ें जो आये हैं वह 38 लाख टन के हैं किन्तु हमारे मंत्री महोदय ने इस पर आंकड़ों की जो बात शुरू की थी वह 32 लाख टन से शुरू की थी। यानि यह वातावरण किसने पैदा किया? जिस प्रकार से ज्यादा बढ़ाकर एक वातावरण पैदा करना गलत है उसी प्रकार से कम होगा, यह कह कर भी वातावरण में अस्थिरता पैदा करना मैं समझता हूं ठीक नहीं है।

जब एक बार साइकोलोजिकल स्केर्सिटी पैदा कर दी जाती है और उसकी वजह से अस्थिरता पैदा हो जाती है तो गड़बड़ी होती है। यह जो डायरी मिली है इसको हमें गवर्नमेंट ने दिया है। इसमें जो आंकड़े दिए हुए हैं ये जनसंघ के आंकड़े नहीं हैं, ये गवर्नमेंट के दिए हुए आंकड़े हैं। इसमें बताया गया है कि लगातार बढ़ोतरी हुई है। 1950-51 में राइस का उत्पादन 22.11 मिलियन टन था जोकि 1970-71 में बढ़कर 42.45 मिलियन टन हो गया। इसी तरह से व्हीट का उत्पादन 6.83 मिलियन टन था जोकि 1970-71 में बढ़कर 23.25 मिलियन टन हो गया। किसी में कमी नहीं हुई। फूडग्रेन्स का टोटल उत्पादन जोकि 55.5 मिलियन टन था वह 1970-71 में बढ़कर 107.81 मिलियन टन हो गया। 1950-51 में देश की आबादी 40 करोड़ थी। आज वह डेढ़ गुनी भी नहीं बढ़ी है। हम केवल 55 करोड़ हैं। व्हीट का उत्पादन दुगुना बढ़ा है, ज्वार का दुगुना बढ़ा है। पलसिस का दुगुना हो गया है। इससे साफ पता चलता है कि कहीं न कहीं गड़बड़ है। दुगुनी अगर हमारी आबादी हो गई होती तब भी यह जो उत्पादन है यह काफी होना चाहिये था। 1950-51 की हालत आज नहीं है। उन दिनों कंट्रोल था। रफी अहमद जी ने उसको हटा दिया। तब बाजार में कीमतें नीचे आई थीं। राजगोपालाचारी मद्रास के मुख्य मंत्री थे। उन्होंने कहा कि हम भगवान के भरोसे हैं। उन्होंने विनियंत्रण किया, प्राइसिस नीचे आए। जब समाज के अन्दर अविश्वास की भावना पैदा नहीं होती है और उसको पता होता है कि स्केर्सिटी नहीं होगी तब गड़बड़ी नहीं होती है जब अविश्वास की भावना पैदा कर दी जाती है तब गड़बड़ी शुरू हो जाती है जिसकी वजह से मूल्यवृद्धि होती है। उसको रोका जा सकता है।

इसके कई कारण बताए गए हैं। यह कहा गया है कि मनी सप्लाई बढ़ी है। यह जरूर बढ़ी है। सोलह प्रतिशत बढ़ी है और उत्पादन डेढ़ प्रतिशत बढ़ा है। इन दोनों का मेल नहीं बैठा है। फिर भी सरकार ने मनी सप्लाई को बढ़ाया है। मनी सप्लाई बढ़ती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि समाज के सभी वर्गों के पास पैसा हो गया है। मनी सप्लाई बढ़ने के साथ-साथ अगर इसका वितरण ठीक ढंग से होता तो गड़बड़ शायद पैदा नहीं होती। जिस तरह से अनाज का वितरण ठीक ढंग से नहीं हुआ है वैसे ही पैसे का वितरण भी ठीक ढंग से नहीं होता है। पैसा तो जरूर है। यह नहीं कह सकते हैं कि पैसा नहीं है। किन्तु जिनके पास और जिनकी जेब में पैसा जाना चाहिये उनके पास वह नहीं जाता है। यह कैसे जाए यह सवाल पैदा होता है। इसी कारण से यह दुष्चक्र चलता है। किसी कर्मचारी को दोष हम नहीं दे सकते हैं। गरीबी हटाओ का नारा आपने दिया। तब तेल साढ़े तीन रुपये किलो था। आज ग्यारह बारह रुपये किलो है।

अब जिनकी बंधी बंधाई आमदनी है वे इसकी पिच डैफिनिटली महसूस करेंगे। मुझे कई मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास वालों का पता है जिन्होंने घी खाना बन्द कर दिया है। वे भी आज घी खा नहीं सकते हैं। सामान्य व्यक्ति क्या करता होगा, इसको आप समझ सकते हैं। जो मूल्यवृद्धि होती चली जा रही है इसके लिए आप बहुत ज्यादा हद तक जिम्मेदार हैं। मनी सप्लाई जो होती है या डिफिसिट फाइनेंसिंग जो होता है उसमें आप केवल करेंसी नोट जो प्रिंट करते हैं, उसी को लेते हैं। किन्तु जो ओवर ड्राफ्ट करते हैं, हर स्टेट करती है उस पर आप रोक क्यों नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं कहते हैं कि जितनी आमदनी है उतना ही खर्च करो, ज्यादा न करो। लगातार वे केन्द्र की ओर देखते हैं। ज्यादा खर्च करना, केन्द्र से ले लेना यह भी मूल्य वृद्धि करने में सहायक सिद्ध होता है। हिन्दुस्तान की आज जो माली हालत है, आर्थिक हालत है उसमें बारह सौ करोड़ का डेफिसिट फाइनेंसिंग, सहन नहीं कर सकता है। यह आवश्यकता से ज्यादा है। श्री नाहाटा ने ठीक ही इस बात को कहा है। किन्तु डेफिसिट फाइनेंसिंग का पैसा यदि उत्पादक कामों में हम नहीं लगाते हैं दैन दी मनी विल नैवर बी बैलेंस्ड। अर्थशास्त्रियों का यह जो सिद्धान्त है इसका मतलब यही है कि सरकार की क्रैडिबिलिटी जहां तक रहे तब तक करना चाहिये। दैट इज दी लाइन आफ डिमारकेशन। इसको क्रास नहीं करना चाहिये। इसको क्रास करके जब आगे बढ़ा जाता है तब सबको उसके दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि यह सवाल हमारा है। हर किसी का यह सवाल है। मूल्यवृद्धि सबके लिए बराबर होती है। इसलिए बियांड पार्टी लाइंज इसके बारे में सोचा जाना चाहिये और इस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिये।

मैं आपको स्वयं की बात बताता हूं। मैंने श्री फखरुद्दीन अली अहमद से सवाल किया था कि व्हीट टेक ओवर क्यों किया है? ये जो आपके कम्युनिस्ट मित्र हैं उनका तो सिद्धान्त है। उनके सामने यह सवाल नहीं है कि टेक ओवर क्यों करें। उनके सामने तो यह एक सिद्धान्त की बात है कि गेहूं का व्यापार सरकार के हाथ में रहना चाहिये, खरीद और बिक्री का काम उसके हाथ में रहना चाहिये, कारखाने उसके हाथ में होने चाहियें। वे सिद्धान्त के आधार पर टेक ओवर करते हैं। क्या आपने भी सिद्धान्त के आधार पर यह टेक ओवर किया है? अगर किया है तो फिर गड़बड़ कितनी भी क्यों न हो उस पर आपको काबू पाना चाहिये। विरोध होता है, तो हर चीज का विरोध होता है। भगवान बुद्ध से लेकर महात्मा गांधी तक के हर विचार का विरोध हुआ है। ऐसा नहीं कि विरोध नहीं होता है। लेकिन विरोध के बावजूद जब हम सफलता पाते हैं तब जाकर पता चलता है कि हम कितने कर्तव्यनिष्ठ हैं। लेकिन यह ही तय नहीं हुआ कि इसको आपने सिद्धान्त के आधार पर स्वीकार किया है या इट इज ओनली टू टाइड ओवर दी डिफिकल्टी ऑफ स्केर्सिटी। मैं साफ पूछता हूं कि यदि एक साल के लिए है तो साफ बता दो। हम भी फिर जाएंगे किसानों के पास और उनको कहेंगे कि एक साल के लिए थोड़ा सा कष्ट सहन कर लो। किन्तु आज हम देखते हैं कि राइस टेक ओवर के बारे में विचार चल रहा है, उसके बारे में निर्णय लेना है। मैं यह इसलिए कहता हूं कि अगर निर्णय ले लिया जाए तो गवर्नमेंट एक परमानेंट मशीनरी स्थापित करने के लिए हर संभव कोशिश करेगी और हर सम्भव पग उठाएगी। वितरण अच्छे ढंग से कैसे हो, गरीब आदमी को कैसे मिले, इसके उपाय वह करेगी।

आप अमरीका से गेहूं लेते हैं? उसमें धतूरा मिला रहता है। चावल में लोहे के कण होते हैं। सरकार धंधा करना चाहती है और लोहे के कण मिला हुआ चावल और धतूरा मिला हुआ गेहूं देती है तो मैं कहूंगा कि यह वर्स्ट टाइप का फूड एडल्ट्रेशन है जिसके वास्ते मैक्सिमम सजा मिलनी चाहिये। यह दोष आपका है किसी दूसरे का नहीं है।

मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में जो बात हुई है वह अखबारों में भी आई है। फूड कॉरपोरेशन के ट्रकों से अपना ही माल ले जाने के लिए हर ट्रक के 35 रुपये घूस के मांगे जाते हैं। फूड कॉरपोरेशन के अधिकारी सरकार को ही देने के लिए घूस मांगें यह कितने आश्चर्य की बात है। इट विल हैव, टू बी कर्ब्ड। सामान्य आदमी को अच्छा मिले इसके बारे में क्या कभी अन्तर्मुख होकर आपने देखा है? 1955 में फूड कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी। 1973 तक क्या वास्तव में रिम्युनरेटिव प्राइस आपने किसान को दी है, कंज्यूमर को सस्ते दामों में आप अनाज दे सकते हैं? यह नहीं हुआ है फूड कॉरपोरेशन में गड़बड़ घोटाले हुए हैं। वे क्या जन संघ वालों की वजह से हुए हैं? हम फूड कॉरपोरेशन के खिलाफ नहीं हैं। व्यापार के खिलाफ नहीं हैं। हम मोनोपोली के खिलाफ हैं। हम यह कहते हैं कि करो परचेज, जितना चाहिये उतना करो। 81 लाख टन का आपका लक्ष्य था। क्यों वह पूरा नहीं हुआ? क्यों 43 लाख टन हुआ। आप अमरीका से गेहूं लाते हैं। जो प्राइस वह मांगता है आप देते हैं। किसान जो प्राइस मांगता है वह आप नहीं देते हैं। क्या किसान मुनाफाखोर है? आप सीधे फार्मर से, प्रोड्यूसर से खरीदें। टेलीविजन पर मैंने हरियाणा के किसानों के साथ बातें देखीं। उन्होंने कहा कि हमें 112 रुपये एक क्विंटल के चाहियें, इससे कम में हम नहीं देंगे। 76 रुपये में लोगे तो नहीं देंगे। जब उनसे सवाल किया गया कि अगले साल क्या करोगे तो उन्होंने कहा कि अगले साल गेहूं नहीं बोएंगे, मक्का, ज्वार या कुछ और बोएंगे। दूसरे किसान से जो पंजाब का था जब पूछा गया कि कितना पैदा किया तो उसने बताया कि इतने हज़ार क्विंटल पैदा किया। जब पूछा गया कि क्या सरकार को नहीं दिया तो उसने कहा कि नहीं दिया। जब पूछा गया कि क्यों नहीं दिया तो जवाब मिला कि नहीं देंगे। ये फार्मर मुनाफाखोर नहीं है। किसान को बाजार कीमत से कम कीमत क्यों मिलनी चाहिये। उसकी आवश्यकता की वस्तुएं हैं, वे बाजार में उसको महंगे दामों में मिलती हैं। उसको खाद चाहिये तो कहा जाता है कि ब्लाक में आओ, वहां मिलेगी। ब्लाक में जाता है तो बी.डी.ओ. कहता है कि कहां अक्ल रखते हो, खाद कहीं ब्लाक में मिलती है, वह तो ब्लैक में मिलती है, वहां जाओ ब्लैक में उसको खाद खरीदनी पड़ती है। ट्रैक्टरों की कीमतें हम लोगों ने बढ़ा दी हैं। जितनी भी इनपुट्स हैं उनकी कीमतें बढ़ी हैं। तब जो वह पैदा करता है उसको वह घाटे में कैसे दे सकता है और क्यों देगा? कौन किसान घाटे का सौदा करेगा? अमरीका या दूसरे देशों को पैसा देने के बजाय आप वही पैसा किसान को दें। तब पैसा बाहर नहीं जाएगा। सब इम्पोर्ट्स आप बन्द कर दें। पी.एल. 480 आप बन्द कर दें। श्री लाल बहादुर शास्त्री ने 1966 में नारा दिया था कि सोमवार को एक बार का खाना बन्द कर दो। तब चालीस लाख टन की कमी थी। ज्यादा की नहीं थी। हमने कहा कि बफर स्टॉक हमारे पास 93 लाख टन है। आवश्यकता केवल 81 लाख टन की है। पता नहीं वह बफर स्टॉक कहां गायब हो गया। यह आल आफ ए सडन एक महीने में घट कर 54 लाख टन रह गया है। तब यह घट कर 32 लाख टन हो गया है। गॉड एलोन नोज हाऊ मच इट वॉज। ये जो कीमतें बढ़ रही हैं इनको आपको कर्ब करना पड़ेगा, इनको बढ़ने से आपको रोकना पड़ेगा। हम दूसरों को इसके लिए दोष न दें। व्यापारी, किसान

या पोलीटिकल पार्टीज को दोष देने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए एक बार मैंने कहा था कि हम लोग—विरोधी दल—तो एक-तिहाई भी नहीं हैं, जब कि सत्तारूढ़ दल को दो-तिहाई बहुमत प्राप्त है। यदि हम किसान को गलत बात बताते हैं, तो सत्तारूढ़ दल उसको सही बात बताये। वह किसान को समझाये और मनाये तब किसान सरकार को अपना गेहूं दे देगा। लेकिन स्वयं किसान कहता है कि उसको ठीक प्राइस नहीं मिल रही है।

जब सरकार कोई नीति तय नहीं करती है, तभी घोटाला होता है। दिल्ली में भी गेहूं मिलता था। सरकार ने उसकी रीटेल प्राइस 83 पैसे तय की, लेकिन वह गेहूं दे नहीं सकती है। जब वह गेहूं दे नहीं सकती है, तो फिर प्राइस तय करने का क्या मतलब है? यही स्थिति सिमेंट आदि दूसरी चीजों के बारे में भी है। सरकार की गलत नीतियों के कारण हर एक चीज अण्डरग्राउंड चली जाती है। इसीलिए हमने कानपुर में जानबूझ कर व्हीट टेक-ओवर के बारे में कहा कि सवाल कोई प्रिंसिपल या सिद्धान्त का नहीं है, सवाल व्यवहार का है। सरकार की मशीनरी एस्टाब्लिश नहीं हुई है। सरकार लाखों गांवों तक नहीं पहुंच सकती है। कई गांव ऐसे हैं, जो वर्षा के दिनों में दो-दो महीने तक कम्पलीट्ली कट ऑफ हो जाते हैं। गांव का छोटा व्यापारी कम से कम मुनाफे के लालच से दो-चार महीने का स्टॉक रखता है और लोग जैसे तैसे गुजारा करते हैं। लेकिन जब सरकार इस व्यापार को अपने हाथ में लेगी, तो सरकारी अफसर लिख देगा कि यातायात का मार्ग ठप्प हो गया है, मैं नहीं जा सकता हूं। कम से कम मुनाफे के लालच की वजह से गांव का छोटा व्यापारी एक, दो, चार बोरे रखता है और लोगों को कुछ न कुछ अनाज मिल जाता है। चीज का महंगा होना एक बात है और अभाव होना दूसरी बात है। चीजों की महंगाई तो समझ में आती है, क्योंकि जनता के पास पैसा हो, तो वह उन को ले सकती है, लेकिन जब चीजों का अभाव होता है, तो फिर गड़बड़ियां होती हैं।

प्राइस राइज का एक कारण पोलीटिकल इनस्टेबिलिटी भी है। जब राजनैतिक अस्थिरता का निर्माण होता है तो कीमतें बढ़ती हैं। अमरीका में वाटरगेट स्केंडल हुआ, तो उसके कारण निक्सन के एडमिनिस्ट्रेशन पर केवल अमरीका वालों का ही नहीं, बल्कि दुनिया वालों का भी भरोसा चला गया। इसका परिणाम यह हुआ कि एक औंस सोने का दाम 35 डॉलर से बढ़कर 119 डॉलर हो गया। यह वाटर गेट स्केंडल का सीधा परिणाम था। जब शासन पर से लोगों का भरोसा हट जाता है, तब कीमतें स्थिर नहीं रहती हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि मैजारिटी होने के बावजूद सत्तारूढ़ दल ने वायुमंडल में अस्थिरता क्यों लाई। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यदि उत्तर प्रदेश या गुजरात में सत्तारूढ़ दल में झगड़े होते हैं, तो उनके लिए क्या हम जिम्मेदार हैं? यहां तक स्थिति पैदा हुई कि बैलट बाक्स अहमदाबाद से हवाई जहाज पर दिल्ली लाए गए और उनकी गिनती एक्सटर्नल अफेयर्ज मिनिस्ट्री में की गई। यह शर्म की बात है। हम यह कैसी डेमोक्रेसी चला रहे हैं? हम 1952 से 1972-73 तक पहुंच गये हैं। एक ही गुट का नेता कौन बने, इसका फैसला करने के लिए बैलट बाक्स अहमदाबाद से दिल्ली लाये गये।

जब इस प्रकार की राजनैतिक अस्थिरता पैदा होती है, तो उसकी वजह से भी कीमतें बढ़ती हैं। लोगों को भरोसा नहीं रहता है कि कल क्या होगा, कल कौन आयेगा। भले ही हम चुनाव में हारे हों, लेकिन हमको लगता था कि देश की दृष्टि से ही नहीं, विदेशों की दृष्टि से भी देश के लिए एक मजबूत बहुमत वाली सरकार का होना बहुत आवश्यक है—यहां पर दो-तिहाई बहुमत वाली सरकार हो, ताकि दुनिया के देश हमारी ओर गौरव के साथ देखें, यहां की सरकार

कोई दक्षिण अमरीका की सरकार जैसी नहीं है, जो आज है, तो कल नहीं है, कल है तो परसो नहीं है, वह एक स्थिर सरकार है। हम चाहते थे कि यहा सरकार स्थिर रहे। इसलिए आज सब कुछ इस सरकार पर निर्भर करता है वह कोई भी निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह से विचार करें। सूत हो या कोयला, कोई भी धंधा लेने से पहले वह पूरी तरह से विचार करे। जहां तक सूत का संबंध है, जब बात केवल फाइनर वैरायटी की थी, तो सारा सूत क्यों कंट्रोल किया गया? आज सरकार फिर डीकंट्रोल पर उतर आई है–वह 20 से 24 काउंट तक डीकंट्रोल कर रही है। यार्ड में ही एक सिरे से दूसरे सिरे तक यह जो शंटिंग चलता है–करें या न करें–, इससे समस्याएं पैदा होती हैं। घड़ी का लम्बक इधर से उधर चलता है, तो टाइम गोज एहैड। पोलीटिकल लम्बक इधर से उधर चलता है, तो प्राइसिज गो एहैड। इसलिए सरकार अस्थिरता छोड़ दे। अगर उसने कुछ करना है, तो वह उसको निश्चित तौर पर करे और अगर नहीं करना है, तो उसको न छोड़े। अमरीका में जूलियस बैरेरे भी सोशलिस्ट हैं। उन्होंने क्षेत्रों को डीमार्केट किया है कि अमुक क्षेत्र में सरकार आयेगी और अमुक में नहीं। इस तरह लोगों को पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाती है।

इसलिए केवल जनसंघ जैसे दल को दोष देकर मुंह छिपाने से यह समस्या हल नहीं होगी। दि रेसपांसीबिलिटी लाईज स्क्वेयर्ली आन दि गवर्नमेंट। राजा कालस्य कारणम्। सरकार उससे बच नहीं सकती है। हर चीज सरकार के मत्थे आयेगी। अगर देश में मुनाफाखोरी है, तो उनको दोषी ठहरा कर उनको सजा क्यों नहीं देते? कहा जाता है कि प्राइस रेसिस्टेंस कमेटी बनाओ। जिनके पास पुलिस और सेना है, वह तो कुछ न करें और हम करें? क्या ऐसा करके कोई मार खाये जाकर? मोदी हो या कोई और हो, जो जमाख़ोर या मुनाफाख़ोर नियमों और कानून के विरुद्ध काम करता है, उसको कड़ी सजा दी जानी चाहिए। लेकिन मेरा अनुभव रहा है कि दुर्भाग्य से एक भी कलप्रिट को सजा नहीं दी गई है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैंने देखा है कि कई कलप्रिट्स को कोई सजा नहीं दी गई। केवल यह किया गया कि उनको टिकट नहीं मिली–यानी औरों को खाने का मौका दिया गया।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि डेफिसिट फिनांसिंग पर रोक लगाई जाये और खर्चे को कम किया जाये। किसी ने कहा कि रजत जयन्ती समारोह पर 100 करोड़ रुपये का खर्च हुआ। श्री चव्हाण ने कहा कि 100 करोड़ रुपया खर्च नहीं हुआ। कितना ही खर्च हुआ हो, लेकिन अगर हमने इस समस्या को हल करना है, तो खर्च को, और मिनिस्टर्ज की संख्या को, कम करना पड़ेगा। बिहार में 72 मिनिस्टर बना दिये गये थे। जब कमेटी ने कहा है कि सदस्य-संख्या 10 प्रतिशत मिनिस्टर होने चाहिएं, 32 या 33 मिनिस्टर होने चाहिएं, तो फिर इस प्रकार पैसा क्यों बर्बाद किया जाता है? जहां-जहां खर्च पर रोक लगाना जरूरी है, वहां रोक लगाई जाये।

कल अखबार में आया कि आज दिल्ली में भारी वर्षा होगी। आज वर्षा हो रही है। इससे लोगों का विश्वास जरूर बढ़ेगा। श्री चव्हाण ने कहा कि कीमतों में मार्जिनल इनक्रीज होगी। हम देखते हैं कि टैक्स तो बछड़े जितने लगाये गये, लेकिन कीमतें गाय जितनी बढ़ गईं। क्या यह मार्जिनल इनक्रीज है? सरकार को यह आश्वासन देना चाहिए कि वह अगले तीन-चार महीनों में आवश्यक कदम उठायेगी और कीमतों को स्थिर रखेगी। यदि ऐसा आश्वासन दिया जाये, तो हम समझेंगे कि सरकार जो कहती है, वह करती है। हम चाहते हैं कि या तो सरकार कुछ काम करे और या वह काम को छोड़ दे।

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1974*

सभापति महोदय, अध्यादेश के विरोध में जो मैंने संकल्प उपस्थित किया था उसका जिन-जिन माननीय सदस्यों ने समर्थन किया उन सभी का मैं बड़ा आभारी हूं। मैंने प्रारंभ में इस बात को बताया था कि इसका जो उद्देश्य है उससे में सहमत हूं। मैंने यह नहीं कहा कि मैं इससे असहमत हूं। मैंने दो बातें उपस्थित की थीं। एक तो यह कि 22 जून को अध्यादेश जारी करने के बजाये जैसे आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, उसी समय यह विधेयक के रूप में ही आता तो बीच में कौन-सा आसमान टूटने वाला था? इतनी जल्दी करके संसद को ताक में रखकर अध्यादेश के रूप में जो यह आया तो क्यों आया–इसके लिए आप का कोई जवाब नहीं आया। प्रारम्भ में भी आपने कुछ नहीं बताया और न अभी ही कुछ बताया।

दूसरी बात यह है कि पुराना जो विधेयक था 1955 का उसमें ऐसी कौन-सी खामी थी जिसकी वजह से मोदी फ्लोर मिल्स पर 9 फरवरी, 1973 को छापा मारा गया और आज हम अगस्त, 1974 में पहुंच गए और अभी तक उसका मामला वैसे ही चल रहा है? तो 1955 के विधेयक में कौन-सी खामी थी। वह यदि बताते तो बात समझ में आती। पुराने और इस विधेयक में जो अन्तर है वह कोई ज्यादा नहीं है जैसे 5 साल की जगह पर 7 साल की सजा कर दी, 3 महीने की 6 महीने कर दी और जो वेहिकिल्स होती हैं उनको पकड़ने का अधिकार कलक्टर को दे दिया लेकिन सवाल यह है कि आपकी जो मशीनरी है उसमें खामी है, उसमें लूपहोल्स हैं उनको किस तरह से ठीक करना चाहते हैं यह आपने नहीं बताया। आप जब नये अधिकार लेते हैं तो क्यों लेते हैं यह बताया नहीं जाता है। उसमें कौन-सी खामी थी उसके दो चार उदाहरण पेश करते तो बात समझ में आती इस तरह से अगर आप 7 साल की जगह 70 साल सजा करते हैं तो भी क्या होगा? जब व्यक्ति में मानसिक संस्कार नहीं हैं, वह जेल जाने से कतराता नहीं है और स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि यदि कोई आदमी जानबूझकर इसका उल्लंघन करे, एसेन्शियल कमोडिटीज जिनको आप कहते हैं उनको लाकर देने की कोशिश करे और आपका थानेदार उसको पकड़ने की कोशिश करे तो जनता थानेदार का साथ नहीं देगी, उस आदमी का साथ देगी क्योंकि कम से कम वह कहीं से चीजें लाकर जनता में देता है, बाजार में वह चीजें मिलती ही नहीं हैं जैसे गेहूं, केरोसिन ऑयल और चावल मिलता नहीं है और जो लाकर देता है वह चोरी से ही लाकर देगा यह बात सभी जानते हैं और इसी की वजह से यह सारा कुछ हुआ है। स्थिति यह हो गई है कि अपराध करते समय किसी को शर्म ही नहीं आती!

आप तो भारत रत्न बन गए हैं, आप पदमश्री क्या करेंगे? तो सवाल कानून का नहीं है, सवाल कानून को चलाने और उसको इस्तेमाल करने का है, उसको प्रयोग में लाने का है। कल

* उपरोक्त विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए।
लोक सभा वाद-विवाद, 22 अगस्त, 1974, cc 312-320।

मैंने पढ़कर सुनाया था कि जो बड़े-बड़े शॉर्क्स हैं वह पकड़ में आते नहीं और जो छोटे आदमी हैं उनको आप पकड़ सजा दे देते हैं।

यह कल का नवभारत टाइम्स है जिसमें यह खबर राजधानी दिल्ली की है। यदि यह हालत राजधानी की होगी तो और जगह क्या स्थिति हो सकती है उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। मैं इसको उद्धृत करना चाहता हूं।

"भ्रष्ट अधिकारियों को भी दंड दिया जाये"

नयी दिल्ली, मंगलवार: जंगपुरा एक्सटेन्शन मार्किट एसोसिएशन ने अपने एक सदस्य दुकानदार को खाद्य एवं पूर्ति विभाग द्वारा परेशान किए जाने और इस प्रकार क्षेत्रीय निरीक्षक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले को विभाग द्वारा दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। एसोसिएशन ने खाद्य मंत्री को एक पत्र भेजा है जिसमें यह मांग की गई है कि क्षेत्रीय निरीक्षक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कराई जाये। एसोसिएशन की ओर से इसमें सरकार के साथ पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया गया है।

पीड़ित दुकानदार ने प्रधान मंत्री को भी एक पत्र लिखकर आरोपों की सत्यता की जांच करने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि जो दुकानदार भ्रष्ट तरीके अपनाने से इन्कार करते हैं और अधिकारियों को उनके द्वारा निर्धारित दर पर रिश्वत नहीं देते उन्हें परेशान किया जाता है....''

मंत्री जी इस बात को भी अपने ध्यान में रखें कि रिश्वत की दर भी निर्धारित है।

That Commodity has also been controlled.

यानी कौन से स्तर पर और कौन-सी दर से रिश्वत देनी चाहिए, ऐसा लगता है कि वह भी तय है और जो लोग निर्धारित दर पर कर्मचारियों को रिश्वत नहीं देते हैं, उनको परेशान किया जाता है। इसलिये जितने भी कानून बनते हैं, उद्देश्य आपका और हमारा एक है लेकिन व्यवहार में जब उसको लाते हैं, तो जनता को तकलीफ होती है। उसको ठीक तरह से अमल में नहीं लाया जाता है। इसी अखबार में आगे यह लिखा है:

"आयुक्त खाद्य एवं पूर्ति विभाग से भी क्षेत्रीय निरीक्षक की कार्य-पद्धति के सम्बन्ध में लिखित रूप से शिकायत की गई है लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।"

यह बात मैं समझ सकता हूं कि कोई कार्यवाही नहीं की गई किन्तु आगे लिखा है:

"उल्टे संबंधित दुकानदार को 518 पंजीकृत खाद्य कार्डों के लिए 1500 किलो के बजाय सिर्फ 708 किलो घी दिया गया जबकि एक अन्य को 300 कार्डों पर 1000 किलो घी दिया गया। गेहूं का लाइसेंस "50 रुपये फीस" न दिये जाने के कारण विचाराधीन पड़ा है इस कारण उम्मीद लगाई कार्डधारी जनता घी व गेहूं सभी से वंचित रह गई है।"

यानी आज अगर कोई ईमानदार रहना भी चाहे तो आप की मशीनरी उसको ईमानदार रहने नहीं देगी और इस वजह से जो उपभोक्ता है, जो आम जनता है जिसके हित के लिए हम यह सब कर रहे हैं, वह परेशान रहेंगी। उस ईमानदार दुकानदार ने प्रधान मंत्री को भी पत्र लिखा

और खाद्य मंत्री को भी पत्र लिखा और लिखित रूप में देने पर भी कुछ नहीं हुआ है और उल्टे उसको सजा मिलती है कि 518 राशन कार्डधारियों को जितना घी और गेहूं मिलना चाहिए उतना नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? इसकी जांच कौन करेगा? केवल कानून बना देने से ही यह होगा नहीं? आखिर जो कानून हम बनाते हैं वह आम आदमी के हित के लिए बनाते हैं। अब आम आदमी का हित होता है या नहीं इसको देखेगा कौन? इसलिए मैंने कल जो मांग की थी वह अपनी जगह पर है कि यह अध्यादेश जो निकाला गया है तो ऐसा क्यों किया गया यह बताएं। पहले कानून में कौन सी खामियां थी। यह आप ने बताया नहीं। आज आवश्यक वस्तुओं की क्या हालत है यह पता है आपको? बम्बई में केरोसिन की वजह से कितनी गड़बड़ है यह आप जानते हैं? वहां पर विरोधी दल कितना उत्तेजित है और जनता भी वहां पर डिब्बे बजाने लगी है। ऐसी स्थिति में भी केरोसीन जैसी वस्तु को आपने आवश्यक वस्तुओं की सूची में नहीं रखा है यानी इसके दायरे को आपने बढ़ाया नहीं है और जैसा मेरे मित्र श्री जैनेश्वर मिश्र ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं में आपने दवाइयों को भी नहीं लिया।

*** *** ***

नमक भी उसमें नहीं आता है।

सभापति महोदय आज जो चीज उत्पादित होती है वह प्रत्यक्ष रूप से बाजार में बिकने के लिए आती है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि वह पैदा कहां होती है। आप का कपड़ा किस से बनता है? कपास से और वह खेतों में पैदा होती है। आप की चीनी जो बनती है वह गन्ने से बनती है जो खेतों में पैदा होता है और इसी तरह से वनस्पति घी मूंगफली से बनता है जिसको किसान पैदा करता है। जो किसान इनको पैदा करता है उसको उसकी उपज की क्या कीमत मिलती है और ये चीजें जब बाजार में कपड़ा, चीनी और घी की शक्ल में आती हैं तो किस कीमत पर मिलती हैं। जब गन्ना मिलों में चला जाता है और उसको चीनी बनती है तो वह बाजार में आकर 5 रुपये किलो बिकती है। पहले वह 4 रुपये थी फिर साढ़े चार रुपये हुई और अब पांच रुपये मिल रही है और उसके दाम बढ़ते ही जा रहे हैं लेकिन किसान को गन्ने का क्या मूल्य मिला। इसी तरह से कपास के दाम किसान को क्या मिलते हैं और कपड़ा जब बाजार में बनकर आता है तो वह किस दाम पर बिकता है। इस तरह से आप देखें कि इनके दामों में क्या कोई समानता है। मेरे मित्र श्री जैनेश्वर मिश्र ने कहा है कि कीमतों में इनका फर्क नहीं होना चाहिए।

इन चीजों के दाम कैसे बढ़ते हैं यह मैंने कल भी बताया था। एक व्यापारी पौने चार रुपये हैंडलिंग चार्जेज़ लेकर गेहूं बेचता था, लेकिन जब आपके खाद्य निगम ने इस काम को अपने हाथ में लिया तो उसके हैंडलिंग चार्जेज थे 5 रुपये 27 पैसे प्रति क्विंटल और अब तो वे बहुत ज्यादा हो गये हैं। इससे क्या चीज सस्ती मिलेगी। आपने किसान को मजबूर किया कि वह 105 रुपये क्विंटल के हिसाब से अपना गेहूं सरकार को बेचे लेकिन आप उसको बेचते हैं 132 रुपये में इसका मतलब क्या है। पिछली बार आपने गेहूं का स्टॉक 76 रुपये प्रति क्विंटल किसान से लेकर अपने गोदामों में भर लिया था और आपने उसको बेचा किस भाव से? इस बार आपने 105 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से लिया और बेचा है 132 रुपया और यह बताया

गया कि यह बाजार का रेट है। यानी किसान से जब गेहूं लिया जाये तो कहते हैं कि बाजार का ध्यान रखना चाहिए और जब आप बेचते हैं तो बाजार का ध्यान नहीं रखा गया यानी स्वयं सरकार भ्रष्ट तरीका अपनाए। आप इस तरह की बातें करते हैं।

इसी तरह से आप देखें कि आप का एडल्ट्रेशन का कानून है। आपके सप्लाई मिशन से अमरीका का गेहूं आया, मिलों में आया और उसमें धतूरा मिला हुआ था। क्यों आया धतूरा मिला हुआ मिलों में? यानी एडल्ट्रेशन का मतलब यह होता है कि दाल में चावल मिले तो वह एडल्ट्रेशन है **इट शुड बी हार्मलैस**। एडल्ट्रेशन का मतलब है कि चावल में गेहूं मिला हो **दैट इज एडल्ट्रेशन** लेकिन खुले रूप में धतूरा मिला दिया जाए तो वह एडल्ट्रेशन नहीं है। किसको आपने दंडित किया? किसी को नहीं। क्यों नहीं किया? यानी सप्लाई मिशन से इस तरह का माल आता है तो सरकार कुछ नहीं करती है और यह खुले रूप से चलता है।

मैं आपको बताऊं कि मैं अपने गांव गया तो वहां पर लोगों ने मुझसे कहा कि आप पार्लियामेंट के मेम्बर हैं, यह देख लीजिए कि इस तरह की ज्वार हमें खाने के लिए दी जाती है और कर्नाटक के खाद्य मंत्री जी को उसका नमूना भेजा है। मैंने उनसे कहा कि दिल्ली में तो इसमें और पत्थर भी मिले होते हैं। वह ज्वार सोसाइटी की तरफ से सरकार की ओर से वितरण हुई है कोई किसानों की तरफ से या निजी व्यापारियों की तरफ से नहीं। ऐसी चीज जब सरकार खुद करेगी, तो फिर आप दूसरों को कैसे दोष दे सकते हैं। केवल कानून को कड़ा करने से काम नहीं चलेगा। **चैरिटी मस्ट बिगन एट होम।** हम चाहे जितना कठोर कानून बनायें उससे काम नहीं चलेगा इसलिए मैंने जब प्रधान मंत्री जी का 15 अगस्त का दिव्य संदेश महिलाओं को देते हुए सुना जिसमें उन्होंने कहा था कि गमलों में सब्जी उगाओ तो मुझे कुछ आश्चर्य सा हुआ क्योंकि हम देखते हैं कि राष्ट्रपति भवन में केवल गुलाब के फूल के पौधे लगे हुए हैं और दूसरे पेड़ लगे हुए हैं और पार्लियामेंट हाउस में भी हम देखते हैं कि गुलाब के फूल और दूसरे फूल लगे हुए हैं। अगर आलू मूली लगाये होते तो हम भी आते जाते खा लेते और आखिर किसी का पेट तो भरेगा। यानी समस्या का समाधान होना चाहिए। यह आवश्यक है और मैं इनसे इस बात में बिल्कुल सहमत हूं लेकिन मैं यह समझता हूं कि केवल कानून बना देने से ही समस्या हल नहीं होगी। कानून ठीक ढंग से बने यह तो हमें देखना ही चाहिए लेकिन उस पर अमल भी ठीक से होना चाहिए।

अब मैं एक बात की ओर आप का ध्यान खींचना चाहता हूं। मेरे पास यह आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक हिन्दी का है और एसंसियल कमोडीटीज एक्ट अंग्रेजी का भी है किन्तु इन दोनों में थोड़ा सा अन्तर है हिन्दी का जो विधेयक है इसमें जो सेक्शन 3 है उसमें लिखा हुआ है "जहां ऐसी कीमत नियत न की गई वहां ऐसी श्रेणी या किस्म के खाद्यान्नों, खाद्य तिलहनों या खाद्य तेलों की उस कीमत को" यह अंग्रेजी में नहीं लिखा है। अंग्रेजी का जो एक्ट है' उसमें सैक्शन 3 इस प्रकार है:

> "3. In section 3 of the principal Act, in clause (ii) of sub-section (3B) for the words 'where no such price is fixed', the words 'where no such price is fixed, an amount calculated having regard to' shall be substituted."

इसमें न खाद्यान्न है न खाद्य तिलहन है और न खाद्य तेल है जोकि हिन्दी के विधेयक में है। यह आपको मालूम है? यानी जल्दबाजी में अध्यादेश निकाल दिया। क्यों करते हो ऐसा हमारी समझ में नहीं आता। बुढ़ापे में तो सोच-समझ कर करना चाहिए। किसी चीज को कोई जवान ऐसी गलती करे तो बात समझ में आ सकती है।... मंत्री महोदय जरूर इस तरफ ध्यान दें और संशोधन करके इसको शुद्ध कर दें। मुझे ऐसा लगता है कि पुराना जो बिल है उसमें ये सब शब्द हैं लेकिन नये में नहीं हैं। इसलिए इसको आपको ठीक करना होगा और कम से कम इस एमेंडमेंट को तो आप स्वीकार करें या आप हिन्दी वाले को ही प्रमाणित करिये और हिन्दी का ही विधेयक यहां पारित कीजिए क्योंकि वह समझ में तो आ जाता है लोगों के वरना एमेंडमेंट मूव कीजिए। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा।

इसलिए मैंने जो संकल्प पेश किया था, वह इसी उद्देश्य से किया था कि मैं जो इस विधेयक का उद्देश्य है, उससे असहमत नहीं हूं, मैं उसके उद्देश्य से सहमत हूं लेकिन प्रत्यक्ष व्यवहार में छोटे को तो पकड़ लिया जाता है और उनको सजा भी हो जाती है लेकिन जो बड़े लोग हैं उनको पकड़ा नहीं जाता है। जो छोटे लोग हैं उनको बहुत तकलीफ होती है और उनका बहुत हैरेसमेंट किया जाता है। हम जिनका हित करना चाहते हैं उनका हित नहीं होता है और दिन ब दिन आदमी परेशान होता जाता है, कभी चावल के लिए, कभी घी के लिए और कभी तेल के लिए और हमारा किसान जिसकी आप बात करते हैं, वह बेचारा तो बहुत परेशान है। न उसके लिए बिजली है और न तेल और अगर ट्रैक्टर है तो टायर नहीं। ऐसी स्थिति में वह बेचारा घूम रहा है। उसकी परेशानी तो कम से कम आप न बढ़ाइए और जो कानून आप लाएं, उसमें उसका हित हो, इस बात को आप देखिये, किन्तु आपका जो उत्तर आया है, उससे मेरी शंकाओं का समाधान नहीं हुआ। इसलिए मैं अपने संकल्प पर डटा हुआ हूं और इस अध्यादेश का विरोध करता हूं।

CENTRE-STATE RELATIONS
केन्द्र–राज्य संबंध

संसदीय समिति की नियुक्ति संबंधी संकल्प*

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे प्रथम राजू गारू का धन्यवाद करता हूं क्योंकि पिछले साल देश के अन्दर जो परिवर्तन आया जिसकी वजह से हमारे राजू गारू अधिकार से वंचित रहे, इसलिए चिन्तन करने के लिए काफी समय उनको मिला और अपने संविधान के अन्तर्गत जो धाराएं हैं, चाहे 252 हो, 356 हो या 365 हो, यह कहां तक राज्यों के अधिकार पर अतिक्रमण करता है या नहीं। किन्तु कम से कम इसके विषय में उनको सोचने का समय मिला, इसलिए परिवर्तन और राजू जी को धन्यवाद दोनों को साथ-साथ मैं देता हूं। किन्तु राजू जी ने बीच में मेरी ओर देखकर कहा कि अखण्ड भारत की कल्पना मोनोलिथिक है। किन्तु जब हमारे देश में संविधान बनाया गया था, इसका ढांचा जो है, वह संघात्मक है, किन्तु भाव एकात्मक है।

अखण्ड भारत की कल्पना मोनोलिथिक....

He joined together Akhand Bharat and monolithic. I stand corrected.

तो जो संविधान हम लोगों ने स्वीकार किया और उसका ढांचा जो संघात्मक है, इसका कारण यह है कि जिस ऐतिहासिक परिस्थिति में अपने को वह ढांचा स्वीकार करना था, उस समय समग्र देश एक ही शासन के अन्तर्गत नहीं था। कहीं तो ब्रिटिश हिन्दुस्तान जिसको हम कहते, वहां का शासन अपनी अन्तरिम सरकार के हाथ में आया था। किन्तु अभी भी रियासतों का राज्य जिसको कहते हैं, वहां अलग शासन चलता था। इसलिए कुल मिलाकर सबको साथ ले जाने की दृष्टि से ढांचा संघात्मक जरूर रहा। किन्तु इसकी भावना एकात्मक है, इसकी हकीकत और व्यवहार, प्रत्यक्ष वस्तुस्थिति में जो प्रयोग हुआ है, वह एकात्मक दृष्टि से हुआ है। इसमें गलत कुछ नहीं है। जिसको हम अमरीकी संघ ढांचा कहते हैं, वह यहां नहीं है क्योंकि अमरीका राज्य जैसे बना, पहले 13 राज्यों का, बाद में एक-एक राज्य मिलता गया। उन्होंने अपनी ताकत केन्द्र को दी। किन्तु बची हुई शेष शक्ति, रेसिडुअल पावर जिसे कहते हैं, वह स्टेट्स के साथ रही। वह यहां नहीं है। यहां जिसको कहते हैं शेष शक्ति—रेसिडुअल पावर, इट इज विद दि सैन्टर। इसका कारण यह है कि हमारा जो दर्शन है, उसको लेकर यह भाव है।

It is with the Centre. When we talk about our own country, India or Bharat, that is not merely a geographical expression. It is a living entity with a distinct spiritual personality.

---

* उपरोक्त विषय पर चर्चा में भाग लेते हुए।
यह संसदीय समिति केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के संदर्भ में है।
राज्य सभा वाद-विवाद 28 अप्रैल, 1978, cc 144-58 ।

इसलिए आज भी राज्य और केन्द्र के सम्बन्ध की जब बात करते हैं तो भूल नहीं सकते कि एक ही शरीर के केवल अलग-अलग अवयव हैं। वे सारे एक सूत्र के अन्तर्गत, एकात्मक ढांचे के अन्तर्गत बन्धे हुए हैं। जब यह व्यवहार चलेगा तभी हम कह सकते हैं कि यह सुचारू रूप से चलेगा। वास्तव में पिछले 30 साल से ऐसा शासन चलता आया है।

1957 में सबसे पहले केरल में जब गैर-कांग्रेसी कम्यूनिस्ट की सरकार बनी तो दो साल के अन्दर कुछ ऐसी परिस्थिति का निर्माण हुआ जिसमें केन्द्र ने हस्तक्षेप करके सबसे पहले वहां के राज्य के शासन को समाप्त किया। तो सबसे पहले केन्द्र ने राज्य के बारे में जो एक अधिकार चालू किया था वह 1967 में आठ प्रदेशों में जब गैर-कांग्रेसी सरकारें आईं तो...।

*** *** ***

वह तो 1956 की बात है। तो 1967 के बाद यह स्वाभाविक था कि गैर-कांग्रेसी सरकारें आठ प्रदेशों में आने की वजह से केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध कैसे रहा करते हैं, यह मालूम होने लगा। राजू साहब ने आज जो बात कही है वह 1967 में भी राज्य सभा में अगस्त में केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों की बात को लेकर एक गैर-सरकारी प्रस्ताव, जैसा आज राजू साहब ने दिया है, वैसा ही प्रस्ताव आया था। उस पर बहस के समय केन्द्रीय गृह मंत्री श्री यशवन्त राव जी चव्हाण ने कहा कि कोई भी ऐसी संसदीय समिति की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था में तबदीली करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती।

He then did not really understand the ramifications that are inherent in this arcticle 356.

तो 1975 में प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी इस बात का हवाला देते हुए कहा कि अपने संविधान के अन्तर्गत केन्द्र और राज्यों की बात को लेकर परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु राजू साहब ने पहले बता दिया है कि उनको 365 धारा का उस समय समझ में नहीं आया था कि इसके अन्दर क्या-क्या छिपा हुआ है। लेकिन 1975 में प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी जब ऐसी बात कही कि कोई ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई कि जिसको लेकर केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध को लेकर संविधान में परिवर्तन किया जाए। केन्द्र और राज्यों के अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या की गई है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत प्रशासनिक सुधार आयोग को 1975 में भी महसूस नहीं हुई। अब केवल आज जनता सरकार केन्द्र में आने के उपरान्त यह आवाज फिर से जोर पकड़ने लगी है।

*** *** ***

1977 में जनता सरकार के आने के बाद यह जो मांग आने लगी है, मैं राजू साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि लगातार राज्यों के अधिकारों की मांग कौन उठा रहा है। एक तो करुणानिधि, डी.एम.के. की तरफ से, दूसरे शेख-अब्दुल्ला साहब की तरफ से और तीसरे ज्योति बसु की तरफ से। इसलिए जब भी ऐसी मांग आती है तो इसके पीछे एक पृष्ठभूमि है। सभापति महोदय, हम इसको भुला नहीं सकते। एक अधिकार जम्मू-कश्मीर का यह है कि इसका अलग संविधान है। हमारे संविधान में धारा 370 है जिसके अधीन एक कानून लोक सभा में पारित होने के बाद उसको वहां लागू करने के लिए फिर पारित करना पड़ता है और आज शेख साहब

खुले रूप से यह कह रहे हैं कि धारा 370 के अन्तर्गत जो अधिकार जम्मू-कश्मीर को है वह हर प्रदेश को दिया जाए। क्या राजू साहब इस बात के लिए सहमत हैं। डी.एम.के. ने अलग झंडे की बात कही। मैं कहता हूं कि....

*** *** ***

मैं राममूर्ति जी से भी कहना चाहता हूं कि अपने देश का विचार करना चाहिए कि यह एक राष्ट्र है, यह एक देश है, किन्तु हमारे राममूर्ति साहब या ज्योति बसु या शंकर नम्बूदरीपाद की हिन्दुस्तान के बारे में जो उनकी शब्दावली है, वह कहते हैं–

*** *** ***

India is a multi-racial, multi-religious, multi-national State.

*** *** ***

My important point is multi-national State.

*** *** ***

I am saying that whenever the CPM people refer to it, they speak in terms of a multi-national State.

*** *** ***

मैं समझता हूं जब उनकी धारणा ही एक बहु-राष्ट्रीय देश जैसी है और जब हम इस आधार पर अधिकार मांगना शुरू करते हैं तो फिर यह खतरे से खाली नहीं है। यह देखने से लगता है। क्योंकि if you yield to an inch, people demand something more. यह बात वहां नहीं ठीक लगती। क्योंकि इनके विचार के अनुसार यह देश एक राष्ट्र है ही नहीं। जहां-जहां प्रदेशों के लिए कोई अधिकार के अतिक्रमण की बात होती है तो वहां साथ में बैठकर विचार किया जाता है। क्योंकि जनता सरकार इस शक्ति का विकेन्द्रीकरण करना चाहती है। इसमें विश्वास करती है, राजू साहब ने पूछा कि शक्ति कहां होती है? यह शक्ति केन्द्र में होती है, जनता में होती है।

It is the people who give the strength whether it is a panchayat or a Parliament. The real strength behind the country is the people.

जनता ने शक्ति दी संविधान में इसलिए जनता के प्रतिनिधियों ने बनाया जिनको हम कहते हैं 'फाउंडिंग फादर्स'। वह शक्ति जनता की थी।

*** *** ***

But that was adopted by the Parliament and that Constitution is still continuing.

जनता अधिकार देती है, पंचायत को वह चुनती है, पार्लियामेंट के प्रतिनिधि वह चुनती है। यह शक्ति जो होती है, यह केन्द्रित होती है जैसे शरीर का केन्द्र हृदय है और सारा खून और रक्त एक हृदय में केन्द्रित होता है। अगर किसी शरीर के हिस्से तक यह पहुंचेगा नहीं तो आदमी मर जाएगा। हार्ट फेल हो जाएगा।

*** *** ***

यहां की शक्ति जो है वह शक्ति विकेन्द्रित रूप से समग्र देश की आखिरी पंचायत तक जाकर पहुंचे।

*** *** ***

मैं चाहता हूं कि शरीर हृदय के साथ चले। मैं समझता हूं राजू साहब यह कहेंगे कि जब पहले हर चीज दिल्ली से निपटाई जाती थी उस वक्त मैंने टोका था। एक ही व्यक्ति काम करता था। केन्द्र भी नहीं था और यूनियन केबिनेट भी नहीं थी।

पंचायतों को सही माने में अधिकार देने की दृष्टि से अशोक मेहता जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। इस समय पंचायतों को वित्तीय सुविधाएं, नगरपालिका और महानगरपालिका को मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं।

आश्चर्य की बात यह है कि जो प्रदेश ज्यादा अधिकारों की मांग करते हैं वे प्रदेश अपने अख्तियार में मिले अधिकारों का सही उपयोग नहीं करते। नगरपालिका के 10-12 साल से चुनाव नहीं हुए, महानगरपालिका बर्खास्त कर दी और पंचायतों के चुनाव नहीं हुए। जनता के हाथ में अधिकार देने का सवाल आता है। यह राज्य और केन्द्र का संबंध नहीं है। केन्द्र से राज्य को अधिकार मिले और वह आखिर तक नहीं जाए, यह ठीक नहीं।

The blood should not clot there.

जैसे समग्र शरीर के अन्तर्गत खून का फैलाव होता है और फिर शरीर तरोताजा होता है, इसी दृष्टि से अधिकार का विकेन्द्रीकरण आखिरी पंचायत तक होना चाहिए।

जब सिफारिश आ जाएगी तो उसी के आधार पर हम करेंगे। अब सवाल यह है कि जनता पार्टी के हाथ में अधिकार आने के बाद, जैसा राजू साहब ने कहा कि नौ, दस महीने में कई बार अधिकारों का दुरुपयोग हुआ है। जो प्रदेश सरकारें थीं वह भी बर्खास्त कर दी गईं। मैं बताना चाहता हूं कि जो 1977 का चुनाव था, वह अलौकिक चुनाव था। यह स्वाभाविक नॉर्मल स्थिति में चुनाव नहीं हुए थे। आप जानते हैं कि पिछले आम चुनावों में उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा राज्यों से एक भी कांग्रेस का प्रतिनिधि चुनकर नहीं आया तो ऐसी स्थिति में वहां की जो सरकारें थीं, वे लोक प्रतिनिधि सरकारें नहीं रह गई थीं। किसी भी दृष्टि से उन सरकारों का सत्ता में रहना उचित नहीं था। आप इस बात को भी जानते हैं कि पुरानी सरकार ने भी डी.एम.के. की सरकार को उसका एक महीने का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही समाप्त कर दिया था, किन्तु चुनाव नहीं कराया था। लेकिन उस समय की परिस्थिति और पिछले साल की परिस्थिति में बड़ा अन्तर है। हमने इन राज्यों की सरकारों को समाप्त करते ही वहां पर चुनाव करवाये।

*** *** ***

We referred the matter to the people to elect a popular Government.

हमारे राजू जी यहां पर बैठे हुए हैं। उन्होंने देखा होगा कि पिछले दिनों महाराष्ट्र से यह मांग आई थी कि वहां की सरकार को बर्खास्त किया जाए, आन्ध्र प्रदेश से यह मांग आई थी कि वहां की सरकार को बर्खास्त किया जाए, लेकिन वहां की सरकारों को बर्खास्त नहीं किया

गया। हमने विरोधी दलों का सम्मान किया है। आप जानते हैं कि कर्नाटक की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए ग्रोवर आयोग बनाया गया था। उसने जब दोषी पाया तो सरकार को बर्खास्त किया गया, किन्तु दो महीने के बाद जब चुनाव हुए और वही सरकार सत्ता में आ गई तो उसके हाथ में सत्ता सुपुर्द कर दी गई। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमने कहीं विरोधी दलों के साथ सौतेला व्यवहार किया है। मैं समझता हूं कि एक भी उदाहरण ऐसा नहीं होगा जिसमें वर्तमान सरकार ने पक्षपात से काम लिया हो। आप महाराष्ट्र के उदाहरण को ही ले लीजिए। मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र का सवाल यहां उठा था। वहां पर सरकार बनाने के संबंध में प्रश्न किया गया था। लोक सभा में जब यह सवाल उठा तो हमारे प्रधान मंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमने वहां के राज्यपाल को कोई निर्देश नहीं दिया है। जब कांग्रेस के दोनों धड़े इकट्ठे हो गए तो राज्यपाल ने उनको आमंत्रित करना ठीक समझा और उन्हीं को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। मैं यह नहीं कहता कि हम गलती नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा विरोधी सतर्क रहे।

We have to run a democracy here, not a particular party's Government and on the norms and traditions established during the last 30 years.

राज्य और केन्द्र के संबंधों के बारे में यदि कोई प्रश्न हो तो उसको हल करने के लिए आज भी हमारे प्रधान मंत्री तैयार हैं। वे व्यक्तिगत रूप से इस बारे में बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हमारी सरकार ने यह कहा है कि पुलिस और सेना राज्य सरकारों की सहमति से ही राज्यों में भेजी जाएगी। राज्यों के अन्दर केन्द्रीय सरकार के जो औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं उनकी सुरक्षा के लिए इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स बनी हुई है। इसी प्रकार से रेलवे की सुरक्षा के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स बनी हुई है। अगर राज्यों के अन्दर कोई तनाव पैदा हो तो उसके संबंध में केन्द्रीय सरकार की भी जिम्मेदारी हो जाती है। जनता पार्टी की सरकार ने यह निर्णय किया है कि पुलिस और सेना राज्यों के अन्दर राज्य सरकारों की सहमति से ही भेजी जाएगी। आन्ध्र प्रदेश में पिछले साल जब भयंकर तूफान आया तो केन्द्रीय सरकार की इस बात के लिए आलोचना की गई कि उसने वहां पर सेना नहीं भेजी। लेकिन हमारे रक्षा मंत्री जी ने साफतौर पर बता दिया कि सेना केवल मात्र आन्ध्र प्रदेश की सरकार के आवेदन करने पर ही भेजी जाएगी। राज्य सरकारों को जो अधिकार प्राप्त हैं, हम उनका उल्लंघन नहीं करना चाहते श्री राजू ने समवर्ती सूची का सवाल उठाया....

*** *** ***

हम खुद ही इस बात पर विचार कर रहे हैं कि इस प्रकार की जो धाराएं हमारे संविधान में हैं उनका दुरुपयोग न हो, इस दृष्टि से हम इस सवाल को सोच रहे हैं यानी आपातकाल की घोषणा हो सकती है तो उसका दुरुपयोग न हो।

Even Article 355 can be taken undue advantage of because it can be declared from the top that law and order situation has completely broken and so we request the Governor to dismiss. Any Article can be taken advantage of; why only Articles 356 or 355 etc.?

*** *** ***

Much of my time has been taken away by interruptions. As a gentleman, I yielded to Mr. Ramamurti and Mr. Raju. What can I do?

*** *** ***

तो इसलिये जहां संविधान की धारा का दुरुपयोग करने का सवाल है हम यह नहीं चाहते। हम यह चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था बने कि कोई भी दल जो अधिकार प्राप्त हो, केन्द्र में या राज्य में, तो वह किसी दूसरे केन्द्र का, चाहे वह जिला स्तर का हो, ताल्लुका स्तर का हो या पंचायत स्तर का हो, उनके अधिकारों का हनन, उनके अधिकारों का अतिक्रमण न कर सके। ऐसा कोई फूलप्रूफ अरेन्जमेन्ट हो जाये तो उसके लिये बैठकर विचार हो सकता है। किन्तु जो राजू जी की बात है, राजू जी की बात को मानते हुए....

The demand for a review of the Centre-State relations is not...

*** *** ***

I know it. I am very-very clear in my mind.

मैंने यह क्यों कहा। यह इसलिये क्योंकि यह जो मांग आ रही है इसकी पृष्ठभूमि भिन्न है। इस मांग के पीछे राजनैतिक विचार ज्यादा हैं, बनिस्बत इसके कि असल में किसी के अधिकार का अतिक्रमण किया गया हो। यदि यह बात हो तो बात अलग है। इसके लिये उस प्रदेश का मुख्यमंत्री बैठ कर प्रधान मंत्री के साथ विचार कर सकता है और यह बता सकता है कि इस अधिकार का दुरुपयोग कहां हो रहा है।

एक बात मैं राजू जी की मानता हूं और यह बात मेरे ध्यान में उनके कहने से पूर्व ही थी। केन्द्रीय कर्मचारियों की सरकार जो महंगाई भत्ता देती है, उससे प्रदेश सरकारों के कर्मचारी भी उसकी मांग करते हैं और इससे प्रदेश सरकारों को बड़ी कठिनाइयां होती हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रदेश सरकार की वित्तीय आवश्यकता जो है, उसकी फाइनेन्स कमीशन, वित्त आयोग के अनुसार हम करते ही हैं। इसके अलावा भी यदि कुछ ऐसी अड़चने पैदा हो जाती हैं तो उसके लिये केन्द्र सरकार को प्रदेश की सहायता करनी चाहिए। क्योंकि मैं यह मानता हूं कि यह जो अड़चन पैदा होती है वह केन्द्र की ही वजह से होती है। इस निर्णय के जो कन्सीक्वेंसल एफेक्ट जहां-जहां हैं उसको ध्यान में रखकर राज्यों की इस प्रकार की अड़चनों को दूर करने के लिये केन्द्र की जो जिम्मेदारी है, केन्द्र का जो दायित्व है—वह केन्द्र निभाये, यह मैं भी चाहता हूं। लेकिन आज देश में जो हालत है और जैसा कि अभी यहां एक मित्र ने बताया कि आन, अलगाव, बिखराव, अलगपन का भाव देश के अन्दर है। हमारे देश में जाति, भाषा, पंथ, सम्प्रदाय, रहन-सहन, खान-पान कई तरह की भिन्न व्यवस्थायें हैं और कई तरह की विविधतायें हैं। इन सबको साथ में लेकर हम सब एक हैं। आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से हैं। गोवा

की जेल में जब मैं था उस समय कोर्ट के सामने मुझे खड़ा किया गया और पूछा गया कि गोवा भारत से अलग है फिर आप यहां क्यों आये। मैंने कहा कि गोवा भारत से अलग नहीं है, यह भारत का अभिन्न अंग है। विष्णु पुराण में है कि:

उत्तरं यत् समुद्रस्य,
हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्।
वर्षतद् भारतन्नाम
भारती यत्र संतती।।

यानी कि हिमालय के दक्षिण का सारा हिस्सा और समुद्र के उत्तर का सारा हिस्सा, समग्र जाति, पाति, पंथ, संप्रदाय, रहन-सहन के भेद के साथ हम एक देश, एक राष्ट्र, एक शरीर में आत्मा के रूप में रहे हैं, हजारों-हजारों सालों से हैं और आगे चलकर हमारे संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार केन्द्र और राज्यों के बीच में तनाव पैदा न हो, वह तनाव हमारी इस एकता को नष्ट और तहस-नहस न करे, इस दृष्टि से हम साथ में बैठकर जहां तनाव, टकराव, फ्रिक्शन हो, उसको हल करने के लिये तैयार हैं। लेकिन आज जो आपकी मांग है वह ज्यादा राजनैतिक है। यदि इसको एक बार हम स्वीकार करें तो यह देश के अन्दर एक खतरा मोल लेना जैसा होगा। अलगाव, बिखराव, टकराव और सेपरेटिस्ट वाली ताकतों को इससे बढ़ावा मिलेगा। इसलिये मैं इस मांग का विरोध करता हूं। किन्तु इसके साथ ही साथ राजू जी की जो भावना है कि किसी प्रदेश के ऊपर अतिक्रमण न हो, इस भावना का मैं साथ देता हूं। जहां-जहां ऐसा दिखे हम साथ में बैठ कर विचार कर सकते हैं और प्रधान मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है कि मैं खुद बैठकर विचार करने के लिये तैयार हूं, इसको स्वीकार कर लिया है। अत: मैं उनकी मांग का विरोध करता हूं।

नौ राज्य विधान सभाओं संबंधी उद्घोषणा*

उपसभाध्यक्ष महोदय सदन में नौ विधान सभाओं को भंग करने के आदेश के विरोध में जो प्रस्ताव पेश हुआ है उसके समर्थन में और नौ विधान सभाओं को भंग करने के लिए जो मूल अध्यादेश जारी किया गया है उसका विरोध करने के लिए मैं खड़ा हूं। ये विधान सभायें भंग करने के लिए कई तर्क दिये गये हैं। उनमें से एक तर्क दिया गया है कि जनता ने हमको पिछले चुनावों में भारी बहुमत दिया है जैसा कि सन् 1977 में जनता पार्टी को मिला था। दूसरी बात यह कही गई है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति इतनी बिगड़ी हुई थी कि राज्यों में राष्ट्रपति का शासन लागू करना जरूरी हो गया था.... राष्ट्रपति का शासन मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि अनेक राज्यों में लागू किया गया है। तीसरी बात यह कही गई है कि जिन राज्यों में जनता पार्टी की सरकारें थी कि वे केन्द्र के साथ सहयोग नहीं करती थीं सहकार नहीं करती थीं। इस प्रकार से ये तीन कारण दिये गये हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार ने सन् 1977 में जिन नौ विधान सभाओं को भंग किया था उसके पीछे एक बड़े महत्व की बात थी। हमने सन् 1977 के आम चुनावों में लोगों को यह आश्वासन दिया था कि हम लोगों का उन दिनों जेल में होने का लाभ उठा कर संविधान में जो तोड़-मरोड़ की गई है और जिस प्रकार से विधान सभाओं और लोक सभा की अवधि और कार्यकाल जो पहले पांच साल का होता था, उसको बढ़ाकर छः साल किया गया है उसको हम पांच साल करेंगे। सन् 1972 में विधान सभाओं के चुनाव हुए थे और उनका कार्यकाल सन 1977 में समाप्त हो गया था। इसलिए हमने यह आश्वासन दिया था कि हम इस अवधि को 5 साल करेंगे। हमने लोक सभा की अवधि को भी पांच साल किया। जिन विधान सभाओं की अवधि खत्म हो गई थी उनको भंग किया। जिन प्रदेशों में आपात काल के कारण लोगों पर अत्याचार किये गये और जिन प्रदेशों की जनता आपात काल के कारण पीड़ित और जर्जरित थी वहां की विधान सभाओं को भी हमने भंग किया। मैं मानता हूं कि इस वक्त आपको बहुमत मिला है। लेकिन सत्ता कोई नई चीज नहीं है। आपने पहले भी सत्ता का उपयोग किया है। आप फिर सत्ता में आए हैं। आपको इस सत्ता का उपयोग देश के अन्दर सवालों को हल करने में और देश का निर्माण करने में करना चाहिए था आप जनहित के कार्यक्रम बनाते। लेकिन चक्रम-वक्रम खेल चलता है। आज आप जनता पार्टी का तर्क दे रहे हैं। कल जा कर दूसरी पार्टियां भी अधिकार में आएंगी। वे फिर आपके ऊपर अंगुली दिखाएंगी। आपको कोई न कोई तो अच्छा उदाहरण पेश करना चाहिए क्योंकि जीवन में आखिर यह कहा जाता है कि सर्व आत्मवशं सुखम, सर्व परवंशे दुखम। दूसरे की ओर देखकर अगर कोई गलत काम करता है तो वह ठीक नहीं है। अगर कोई मेरे घर चोरी करता है तो मैं उसके घर

*उपरोक्त विषय पर चर्चा में भाग लेते हुए।
राज्य सभा वाद-विवाद, 27 मार्च, 1980, cc 289-98 ।

चोरी नहीं करता हूं। इस तर्क को कोई मान्यता नहीं मिल सकती कि अगर कोई मेरे घर चोरी करता है तो मैं भी उसके घर जाकर चोरी करूं। मैं चोरी नहीं करूंगा क्योंकि चोरी करना गलत काम है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि देश में स्वस्थ परम्पराएं डाली जाएं। अगर आप स्वस्थ परम्परा देश में डालते तो यह बहुत अच्छा होता। जैसा अभी कहा गया है कि श्री देवराज अर्स ने बहुत सोच-विचार करके त्याग-पत्र दे दिया। यह बहुत अच्छी बात है। श्री देवराज अर्स ने त्याग-पत्र इसलिए दिया था कि विधान सभा को भंग करके नये चुनाव कराए जाएंगे क्योंकि आखिर इस देश के अन्दर एक स्वस्थ परम्परा के रूप में शासन प्रणाली चलनी है। कोई भी सरकार क्यों न हो, उसको मौका मिलता है। इस वक्त आप कहते हैं कि जनता आपके साथ है। ठीक है, लेकिन आप फिर दल बदल को प्रोत्साहन क्यों देते हैं? आपको इसकी क्या जरूरत थी? यह मान लिया कि जनता आपके साथ है, आप जनता का विश्वास प्राप्त कर सकते थे। आप हरियाणा में चुनाव कराते, हिमाचल प्रदेश में चुनाव कराते, कर्नाटक में चुनाव कराते। किन्तु आपने कुछ राज्यों को छोड़ दिया क्योंकि आपको पता चला कि केरल में 21 जनवरी को विधान सभा के जो चुनाव हुए उनका नतीजा आपके मन के अनुकूल नहीं निकला। इसलिए आपने सोचा कि अब क्या करें और तब यह दल-बदल की बात सामने आई। फिर हरियाणा की बात सामने आई, कर्नाटक की बात सामने आई। वहां पर सारा का सारा माहौल जो पहले श्री देवराज अर्स के साथ था वह सारा का सारा श्री गण्डूराव के साथ चला गया और वह पवित्र हो गया। जिस प्रकार से पानी चाहे कहीं से भी आए, अगर वह गंगा में मिल जाता है तो वह पवित्र हो जाता है। कहीं कोई सवाल नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह सब क्या है? वह आगे चल कर आपको तकलीफ देगा। इसलिए मैं बता रहा हूं कि यह करना नहीं चाहिए जिससे कि जन-मन में संदेह हो। जनता ने आपको अधिकार दिया है इसलिए नहीं। बार-बार चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी जी ने कहा कि हम पीछे की बात कहेंगे नहीं, करेंगे नहीं। हमने सबक सीख लिया है।

"There is no such thing as emergency."

आगे उन्होंने कहा:

"There will not be emergency for another thousand years."

तो जनता ने आपका साथ दिया। उसको लेकर आप क्यों नहीं गये। आपने अधिकार के आते ही उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। जो दिल्ली में हुआ वह हम सब देख रहे हैं। यहां पहले के लेफ्टिनेन्ट-गवर्नर चले गये। दूसरे जो आए उनके आते ही नई दिल्ली नगर पालिका चली गई, थोड़े ही दिनों बाद मेट्रोपोलिटिन कौंसिल चली गई। जब आपको यह करना था तो फिर 9 के साथ 10वां क्यों नहीं किया क्योंकि किसी ज्योतिषी ने बता दिया होगा कि 9 का आंकड़ा अच्छा है। सूर्य ग्रहण 16 को है तो 17 को करो। तो जब मामले ऐसे हल हो जाएं तब फिर चर्चा का सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी ने भीष्म नारायण सिंह का जिक्र किया, किसी ने प्रणब मुखर्जी का जिक्र किया कि उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर कहा कि यह नहीं होगा वह नहीं होगा। उनके कहने का कोई लाभ नहीं है। क्या होता है यह किसी को पता नहीं चलता। जैसे इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई और केबिनेट मिनिस्टर्स को इसका पता दूसरे दिन चला वैसे ही इनकी हालत

है। उनको भी कहां पता चलता है? हमारे श्री साठे जी ने कहा कि कलर्ड टी.वी. होगा, फलां होगा, फलां होगा सिनेमा क्या-क्या होगा, यह क्या होगा यह भगवान जाने। विश्वास के साथ कोई कुछ बोल सके यह बात कहां है। मैं किसी की आलोचना बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं आपकी आलोचना नहीं करता। मैं यह आलोचना इसलिए कर रहा हूं कि सत्ता हाथ में आते ही इसको एकदम केन्द्रित करके उसका उपयोग खुद के लिए करो यह जो पुरानी परम्परा है वह परम्परा जब फिर दिखने लगती है तो मन को ठेस लगती है कि भारतीय राजनीति फिर गलत रास्ते से जाने लगी है। अब किसी ने कहा कि दिल्ली में बहुमत मिला है। एक बात आप भूल गए कि इसी लोक सभा चुनाव के साथ ही दिल्ली मेट्रोपोलिटन कौंसिल के लिए भी एक उप-चुनाव हुआ था। उस उप-चुनाव में कांग्रेस का उम्मीदवार हार गया और जनता पार्टी का जीत गया। आज लोग बड़े समझदार हैं। वे केन्द्र में आपको सत्ता देंगे तो राज्यों में भी आपको ही दें यह जरूरी नहीं है, कॉरपोरेशन में आपको ही देंगे यह जरूरी नहीं है। 1971 में लोक सभा का चुनाव होने के बाद 1972 में कॉरपोरेशन आपके हाथ में नहीं आई यानि कि अब लोग विवेक करने लगते हैं। वह यह अच्छी तरह समझते हैं कि असेम्बली में किसको वोट दिया जाए, लोक सभा में किसको दिया जाये और मेट्रोपोलिटन में किसको दिया जाये। यह लोग बिल्कुल समझते हैं। 1952, 1957, 1962 और 1967 के लोक सभा और असेम्बलियों के चुनाव साथ साथ हुए, हर पांच साल के बाद। परन्तु यह गाड़ी पटरी से उतर गई जबकि 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। उस समय जो यह गाड़ी पटरी से उतरी थी अभी तक ठीक नहीं है। इसलिए अधिकार का खुद के लिए दुरुपयोग करने की बात को लेकर जनता के मन में जो सन्देह है उस सन्देह को आपको दूर करना चाहिए। लेकिन जिस ढंग से दिल्ली में एन.के. सिंह का मामला हुआ, जिस ढंग से नई दिल्ली नगरपालिका को समाप्त कर दिया गया, जिस तरह से मेट्रोपौलिटन कौंसिल को समाप्त कर दिया सारे पार्लियामेंटरी नार्म्स को ताक में रख दिया Highly gross impropriety है। क्या जरूरत थी। थोड़ी सा रुक जाते कुछ बिगड़ता नहीं था "Set very good precedents".

कुछ बिगड़ता नहीं था। आपके साथ बहुमत है यह मान कर चलते। हम भी यह मान कर चलते किन्तु उस अधिकार का जो उपयोग है वह अच्छे काम के लिए करना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि आज अपने देश के अन्दर सामाजिक अत्याचार होते हैं उनको राजनीति के साथ मत जोड़िए। इसका राजनीति से बहुत कम मतलब है। नारायणपुर में जो कुछ हुआ उसके लिए आपने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसी है और दिल्ली में जब अंधों पर लाठी चार्ज हुआ तो इन्दिरा जी कहती हैं कि पुलिस वालों से कैसा व्यवहार करें पता नहीं। तो हमारे ज्ञानी जी एक कदम और आगे आये और उन्होंने कह दिया कि इसमें आर.एस.एस. वाले घुसे थे। तो क्या पुलिस में आपको सलाह देने वाले भिंडर आर.एस.एस. के हैं। असम में जब गड़बड़ होती है तो आर.एस.एस. वाले हैं, हवाई जहाज उड़ा लिया गया तो आर.एस.एस. वाले हैं यह कहा जाता है। पंडित जी जब कह रहे थे तो बड़ा आश्चर्य हुआ और जिनको छुड़वाने के लिए संजय गांधी जी ने राजनारायण के साथ बैठकर बात की कि इनको छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने यहां खड़े होकर कहा। तो जब राजनीति इतनी घटिया दर्जे की हो गई है तो इससे किसी का भला नहीं हो सकता। किसी का भला नहीं होता है। वे तो अंधे थे मैं समझता हूं कि उन पर लाठी चलाने वाले लोग अंधे थे वे भी चला सकते थे किन्तु गृह

मंत्री जी को आंखें खोलकर हर चीज को देखना चाहिए। यह तो ओवर सिम्पलीफिकेशन से काम नहीं चलेगा। असम में कुछ होता है तो संघ वालों का हाथ है, पुलिस वाले कुछ करते हैं तो संघ का हाथ है। यह ठीक बात नहीं है। इसलिए जब भी अत्याचार होते हैं, दंगे होते हैं, उसके मूल में जाने की कोशिश करें। नारायणपुर, पारस बीघा, पिपरा जो है या अभी-अभी दिल्ली में जो विद्यार्थी मारा गया आज तक पता नहीं चला पुलिस वाले तो पता नहीं लगा रहे हैं। यह जो सारे अत्याचार होते हैं इनको राजनीति से मत जोड़िये। हम सारे आपके साथ हैं। हम सब को मिलकर हल करना है। यह समाज के लिये कलंक है। दुर्बलों पर जब भी अत्याचार होते हैं तो उसका मतलब यह है कि सब लोगों को हमने शिक्षा नहीं दी, उनके संस्कार ऐसे नहीं बनाए कि दुर्बल की रक्षा करनी है आज देश के अन्दर जो दादागिरी पैदा होती चली जा रही है, उद्दंडता पैदा होती चली जा रही है, यह सब लोगों के विचार का विषय है। इसको दलीय राजनीति में मत जोड़िये। यह मुझे दुख होता है कि नारायणपुर तक इंदिरा जी चली गई, पिपरा क्यों नहीं गई, पारस बीघा क्यों नहीं गई? जहां जहां पर अत्याचार होते हैं वहां पर क्यों नहीं गई? यह राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए।

तीसरी बात यह है कि जो तर्क दिया गया कि केन्द्र का आदेश नहीं मानेंगे, केन्द्र के साथ सहयोग नहीं देंगे। जहां तक यह अवधि बढ़ाने का सवाल था, आगे 10 साल का सवाल था हमने यहां पर समर्थन दिया था। मुख्यमंत्री को बता दिया था।

It was only a question of time.

यह मार्च में होता था किन्तु उसके लिए पहले ही राज्य सभा का चुनाव था। इसमें यहां भी आपका बहुमत होता। तो वास्तव में यह एक तरह का बैलेंस है। आप लोगों ने देखा हम जो संशोधन लाए थे उसको कुछ मात्रा आपने नहीं माना, हमको चुप रहना पड़ा। नहीं माने तो वैसे लोक सभा में गया। जिसको आपने न कहा था उसे हमने कुछ नहीं किया किन्तु आपकी स्थिति यदि वैसी होती तथा आपके विचार में बहुत तर्क होता तो आप इधर के चेहरे उधर दिखाने की कोशिश न करते। वैसे चेहरा बदलते हैं। पहले उधर था अब इधर आ गया हूं लेकिन दल-बदल से नहीं। यह हो जाता है इधर का चेहरा उधर और उधर का चेहरा इधर, वह चुनाव के जरिये हो जाता है क्योंकि जो आज यहां बैठेगा कल वहां भी बैठेगा। यहां से वहां और वहां से यहां, यह सब चलता रहता है। लेकिन यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कल तक जो यहां बैठे थे वे चेहरे आज खटाक से वहां दिखाई देने लगे हैं। असल में यदि आपके मन में विश्वास है कि हमने जो किया है वह सही है तो लोग मानते। आज यहां बैठकर भी आपका साथ देते। यहां बैठने का यह मतलब नहीं है कि विरोध ही करें। यह हमारा साथ नहीं देते यह कह कर विधान सभाएं भंग की गई। इसको मैं नहीं मानता। मुझे असल में एक दूसरा ही डर है। वह यह है कि कुछ लोगों ने कहा, अभी गनी खान चौधरी साहब और स्टीफन साहब ने कहा कि वेस्ट बंगाल की सरकार को बंगाल की खाड़ी में डुबो देंगे। दूसरे ने केरल में कहा। मुझे डर यह लगने लगा है कि एक बार चुनाव के बाद वह आर्टिकल, 356 का अनड्यू एडवांटेज लेंगे। आर्टिकल, 356 के अनुसार केन्द्र का आदेश मानना जरूरी है। इसको आधार बनाकर कल जाकर केरल और बंगाल की विधान सभाओं को भंग करेंगे। यहां कम से कम चुनाव हो रहे हैं। मुझे डर है कि वहां चुनाव भी नहीं होंगे। एक बार नौ विधान सभाओं के चुनावों के बाद

यहां पर भारी बहुमत हो जाए, कोई भी गवर्नर का प्रोक्लेमेशन पास होने की स्थिति में आ जाए फिर जैसे पहले केरल में हुआ था छः महीने राष्ट्रपति शासन बढ़ाया गया, फिर और छह महीने बढ़ाया गया उसके बाद फिर और छह महीने बढ़ाया गया। यहां कम से कम चुनाव तो हों। मुझे बिल्कुल डर है कि केरल और वेस्ट बंगाल में जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा तो पक्का हो जाएगा। अब बिल्कुल आप पर भरोसा करने की स्थिति नहीं रही है।

अंत में एक बात ज्ञानी जी के बारे में बता कर समाप्त कर दूंगा। ज्ञानी जी ने जनता का बहुत तर्क दिया। जनता ने ऐसा किया, जनता ने वैसा किया। ज्ञानी जी मुझे इसलिये डर है कि जनता ने जैसे किया आप बिलकुल वैसे मत करें। एक बार अनुकरण शुरू हो जाता है तो फिर जैसे किसी ने कहा कि शेर जैसा है तो लोग पूछ पकड़ने की कोशिश करते हैं। आपने कहा जनता ने ऐसा किया। उसके बाद जनता ने क्या किया। प्रधान मंत्री पद के लिए लड़ाई हुई। जनता पार्टी टूट गई, स्थिरता आ गई और आप के मुंह में यह शब्द दिल्ली के वीकली में खुशवंत सिंह जी जिसको एडिट करते हैं उसमें आये हैं कि क्या संजय गांधी प्रधान मंत्री नहीं बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं। हमारे प्रधान मंत्री का स्वास्थ्य बहुत कुछ अच्छा है फिर भी समय रहते सोच समझ कर बड़ों को छोटों के लिए राज्य छोड़ना चाहिए वरना वे छीन लेंगे। मेरा डर यह है कि जनता को ज्यादा उदाहरण मत दिया करिये। आगे चलकर वहां भी प्रधानमंत्री की लड़ाई होगी और फिर देश के अन्दर अस्थिरता आयेगी जो हम नहीं चाहते हैं। तो बार-बार जनता जनता कह कर देश के अन्दर आप यह करेंगे तो फिर मैं बताता हूं कि जनता अब सजग हुई है विवेकपूर्ण हो गई। अधिकार का उपयोग खुद के लिए हो इसलिए आप कांस्टीट्यूशन में तोड़ मरोड़ करेंगे तो जनता आपको उखाड़ फेंक देगी।

धन्यवाद।

अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उद्घोषणा संबंधी संकल्प*

उप-सभाध्यक्ष महोदय, यह असम की समस्या जो गम्भीर रूप धारण करके सबके सामने आई है यह सारे देश के लिए चिन्ता का विषय है। जब स्वयं प्रधानमंत्री ने विरोधी दलों का सहयोग मांगा इसका मतलब यह है कि समस्या को देखने की दृष्टि दलगत भावना से प्रेरित नहीं होनी चाहिए। हमारे मित्र कल्याण राय जी हों या हमारे मित्र विपिन पाल दास जी हों इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया यह समस्या नहीं है। आज अपने को क्या करना है यह समस्या है। अब पीछे क्या हुआ इसकी हम कितनी भी चर्चा करें इससे समस्या का हल होने वाला नहीं है। इसलिए मूल रूप से यह समस्या जैसे है वैसे इसको सही रूप में समझने की कोशिश करनी चाहिए। यदि ईमानदारी से किसी समस्या को हल करना चाहते हैं तो समस्या को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आज की अधिकाररूढ़ सरकार में यदि कोई सबसे बड़ा दोष है तो वह यह कि चाहे जो भी समस्या हो वह उसको इस रूप में देखती है कि वह विरोधी दलों द्वारा पैदा हुई है तो इससे पता लगता है कि समस्या को हल करने की सरकार की मंशा नहीं है। अभी मेरे मित्र विपिन पाल दास जी ने कहा कि आर.एस.एस. वालों ने कुछ किया। अब मुझे लगता है कि जितनी जल्दी आप आर.एस.एस. फोबिया से दूर जाएंगे उतना ही देश का भला होगा और आपका भी भला होगा। मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं कि इसी सदन में हवाई जहाज उड़ाने वालों की बात चली थी तो हमारे आदरणीय कमलापति त्रिपाठी जी ने कहा था कि यह संघ वालों का काम है, आर.एस.एस. वालों का काम है। आज हमने देखा कि उनको इंदिरा कांग्रेस का टिकट मिल गया और वे चुनकर आए हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता। यानी यह समस्या हल करने का इनका तरीका है—कहीं भी कुछ हो, आर.एस.एस वालों का हाथ है। तो मेरी यह प्रार्थना है आप पहले इससे बाहर निकलें। दूसरा यह कि ईमानदारी से समस्या को समझना है तो इस समस्या को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करने से कोई लाभ नहीं है। जब भी कोई ऐसी समस्या खड़ी होती है तो उसका अन्ततः प्रभाव बहुत रहता है। कोई भी दावे के साथ नहीं कह सकता है कि यहां बंगालियों के खिलाफ कुछ हवा नजर नहीं आती है या कहीं छुट-पुट अत्याचार नहीं हुए हैं। जब समग्र प्रदेश में ऐसी समस्या आगे आती है तो इसमें छोटी-मोटी भावना रहती है किन्तु आज पूरे असम प्रदेश में all political parties and political leaders have become absolutely irrelevant.

इसलिए किसी पार्टी को दोष देना कि उन्होंने किया, इन्होंने किया, कुछ मतलब का नहीं है। आज वे समग्र समस्या हाथ में लेकर जो आन्दोलन चला रहे हैं, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन

* उपरोक्त विषय पर घोषणा पर चर्चा में भाग लेते हुए।
यह घोषणा असम में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में है।
राज्य सभा वाद-विवाद, 9 जून, 1980, cc 150-62 ।

या गण संग्राम परिषद उन्होंने साफ-साफ कहा है। उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि यह भारतीय नागरिकों के खिलाफ है, यह उन्होंने स्वीकार नहीं किया। आज भी यदि कोई कहे तो इसको स्वीकार नहीं करेगा। संविधान में सबको समान....

*** *** ***

इसलिए हम कहते हैं जो होता है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। यदि असम की समस्या जल्दी हल नहीं हुई तो इसका गलत असर और प्रदेशों में होने की सम्भावना है। मध्य प्रदेश से ही एक आवाज निकली है कि यहां भी विदेशी नागरिक हैं उनको मध्य प्रदेश से निकालना चाहिए। कुछ साल पहले मुझे याद है यहां पार्लियामेंट में एक सवाल पूछा गया था कि वेलिड पासपोर्ट की अवधि समाप्त होने के बाद बम्बई में कितने पाकिस्तानी हैं। जवाब यह मिला कि 5,000 से ज्यादा हैं। आज भी यदि अन्दर जाकर देखने की कोशिश करें तो स्थिति कुछ निराली नहीं होगी। यदि हम असम की असली समस्या को न पहचानते हुए, हम ऐसे ही इसके साथ कुछ करते चले जायेंगे तो इसका प्रभाव मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में भी होगा और यह देश के लिए अनहितकारी सिद्ध हो सकता है।

इसलिए जितनी जल्दी हम इस समस्या को हल करने की कोशिश करें उतना अच्छा है। कुछ मैं यह बताना चाहता था किन्तु असम के सर्वोदय समाज ने इसके बारे में जो कहा है वह जरा देखने लायक है:

> "We, the workers and sympathisers of the Sarvodaya Mandal of Sibsagar, Assam, have been closely studying the present movement in Assam sponsered by the All-Assam Students' Union and the All-Assam Gana Sangram Parishad and are convinced that this is a peaceful mass movement to preserve the sanctity of the Constitution of India and to safeguard the sovereignty of the Indian Republic and to preserve the socio-cultural extension of one of the most peace-loving people, that is, the Assamese in the footsteps of Mahatma Gandhi, the Father of the Nation. We believe that it is a *slur on* any nation and its government to allow any illegal intrusion of foreign nationals into the country."

यानि जब खुद सर्वोदय समाज, उनको तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि किसी पक्षपात से कहते हैं, वे जब कहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से यह आंदोलन चला है तो ऐसी अवस्था में इस आंदोलन को बदनाम करने हेतु यह कहना कि यह आंदोलन हिंसावादी है, फलाना है, इसके खिलाफ है, उसके खिलाफ है, मुझे लगता है कि आंदोलन को हल करने का तरीका नहीं है। दूसरा यह जो मैं ब्लिट्ज से कोट कर रहा हूं। सभापति महोदय, यदि कोई कहे कि मुसलमानों के खिलाफ है या किसी और माइनॉरिटी के खिलाफ है तो स्वयं जो ब्लिट्ज ने कहा है वह मैं कोट करना चाहता हूं:

> "The Muslims of Barpeta, it is learnt, have sent a memorandum to the Prime Minister reiterating their support to the movement launched by the AASU and the AGSP demanding 1951 as the best year for detection and deportation of foreigners."

यह तो ब्लिट्ज का है और उन्होंने भी जो कोट किया है वह बारपेटा के मुसलमान का है तो ऐसी स्थिति में जानबूझकर इस आंदोलन को गलत रूप देने की कोशिश करना, मैं नहीं मानता हूं कि यह आंदोलन को हल करने की दिशा में कोई अच्छा कदम है। अब कोई यह बात कहे कि असम में यह सारे बारपेटा के मुसलमान और आर.एस.एस. एक हो गए तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। यानि आखिर समग्र असम जब एक आदमी जैसे खड़ा है तो वहां तुम्हारे कांग्रेस (आई) का हो, कांग्रेस 'यू' का हो या हमारे भारतीय जनता पार्टी का हो या जनता पार्टी का हो तो वह स्वाभाविक है कि वे सब साथ खड़े रहेंगे। इसलिए इसका उसका कहने का कोई कुछ मतलब नहीं है। आज इतने महीने होने के बाद भी इतना दमन चक्र चलाने के बाद भी शांति पूर्ण तरीके से वास्तव में यदि समस्या हल करने के लिए समग्र प्रदेश उठ खड़ा होता है तो मुझे लगता है कि अभी भी अपने देश के अंदर जान है। कोई चिंता की बात नहीं है। जितना भी दमन चक्र चलाने की कोशिश करें तो भी बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से महात्मा गांधी जी की कल्पना में जो आंदोलन था, उसी शांतिपूर्ण तरीके से समस्या को हल करने के लिए यदि समग्र प्रदेश उठ खड़ा हो सकता है तो यह देखकर वास्तव में बड़ा आनन्द होता है और वह भी जब विद्यार्थी उसको चला रहे हैं। उन्होंने यह आंदोलन कोई हिंसात्मक रूप न ले, इसकी कोशिश की है, इसलिए मैं तो इनका अभिनन्दन करना चाहता हूं:

I would like to congratulate them wholeheartedly.

कि इतने समय से चलाकर भी उन्होंने उसको धब्बा न लगे, इस दृष्टि से जो प्रयास किया है, यह बड़ा अभिनन्दनीय है। अब सवाल यह है कि यह जो बाहर से आये हैं और बसे हैं, उसमें कई हैं, उसमें आखिर रंग भी कई हैं और कोई भी समझदार नागरिक इसको स्वीकार नहीं करेगा कि जो कि विदेशी नागरिक हैं वे इस देश के भी नागरिक बन सकते हैं या मतदाता सूची में नाम डलवा सकते हैं, किंतु यह कहने करने के पहले जो कुछ प्रक्रिया हम लोगों ने बनायी हैं:

the procedure to adopt the citizenship of a particular country.

उस प्रक्रिया से जाना पड़ेगा। केवल यह कहने से काम नहीं चलेगा कि जो वहां से भाग कर आये हैं, जान बचाकर भाग कर आये हैं, वे वापिस जाने की स्थिति में नहीं है, हम समझ सकते हैं कि वे वापस जाने की स्थिति में नहीं हैं किन्तु फिर भी वे बंगलादेश के नागरिक हैं या उस समय के ईस्ट पाकिस्तान के नागरिक हैं चाहे वे किसी सम्प्रदाय के लोग थे। यह सवाल नहीं है। यानि जहां तक उसका सैद्धांतिक और कानूनन पहलू है वह यही है कि वहां से जो जो भी आया, पाकिस्तान बनने के बाद या बंगलादेश बनने के बाद, चाहे उसका सम्प्रदाय कौन सा भी हो, वह विदेशी है। सबसे पहले सरकार को आगे आकर इस बात को स्वीकार करना चाहिए। यह कट-आफ इयर मुझको समझ में नहीं आता, यानि कि 1970 में जो विदेशी है, वह 1951 में क्या स्वदेशी बन सकता है। यह कैसे हो सकता है? विदेशी, विदेशी है—जब तक वह विदेशी है, वह 1951 में, 1961 में या 1971 में भी विदेशी ही है। तो आखिर जितने विदेशी हैं, उनमें से ऐसे कौन हैं कि जो वापिस नहीं जा सकते, जिसको आप बार-बार कहते हैं कि ह्युमैनिटेरियन प्रॉब्लम है। इसे मानवीय दृष्टिकोण से देखकर जब आपको लगेगा कि ऐसे कुछ लोग हैं जो कि वह लोग वापिस नहीं जा सकते, हम उनको भेज नहीं सकते, तो फिर उनका पुनर्वसन करना पड़ेगा। उनके नागरिकता के पाने के जो सारी प्रक्रिया है, उस सारी प्रक्रिया से जाना पड़ेगा।

उनको पहले नागरिकता का अधिकार देना पड़ेगा और इसके बारे में जो असम की शिकायत है कि वे त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल से नागरिकता का अधिकार लेकर आते हैं, यह उनकी बात बिलकुल सही है; क्योंकि कौन क्या लेकर आए, यह पता नहीं।

तो केन्द्र को अपनी जिम्मेदारी को टालना नहीं चाहिए। यदि केन्द्र ऐसा समझता है कि जो लोग आए हैं, उनमें से वापिस नहीं जा रहे हैं तो उनको यहां की नागरिकता का अधिकार दिलवा कर फिर बाद में मतदाता सूची में उनका नाम होगा। तो पहला काम यह करना पड़ेगा कि विदेशी नागरिक कौन है—identify the foreigners. यह तो करना ही पड़ेगा, राइट फ्राम 1951 से यह करना पड़ेगा। लियाकत पैक्ट के बाद भी 31 दिसम्बर तक आह्वान करके टाइम दिया गया था। उसके बाद जो भी आए, वे सारे विदेशी नागरिक हैं। उनको पहचानना पड़ेगा।

आज तुरन्त मतदाता सूची से उनका नाम हटाना पड़ेगा। यह नहीं चलेगा कि विदेशी कोई नागरिक है और हमारी वोटर्स लिस्ट में है। अब वे कैसे एकदम आ गए, कहते है कि जनता पार्टी ने क्या किया?

It is always the last straw that breaks the camel's back.

तो लास्ट स्ट्रा कब आएगा, कहां नहीं जाता। जब उप-चुनाव में हमारे स्व. हीरा लाल जी पटवारी के देहांत के उपरांत यह सवाल आया तब पता चला कि एक कांस्टीट्यूएंसी के अन्दर जब यह शिकायत की गई कि यहां विदेशी नागरिक हैं—पचास हजार के बारे में तो उनके बारे में तहकीकात करने के बाद पता चला कि पैंतालीस हजार विदेशी हैं। यानि एक कांस्टीट्यूएंसी के अन्दर यदि इतनी तादाद में विदेशी हैं, तो आगे चलकर फिर वह जो हम कहते हैं नागरिकता अधिकार कि हमारे राज्य चलाने का हमारा अधिकार—वह हम खुद होकर विदेशियों के हाथ में देंगे, उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई भी देश इतना बेवकूफ हो सकता है, इतना नासमझदार हो सकता है कि विदेशी नागरिकों को घर में बुलाकर उनको मतदान का अधिकार देकर अपने भविष्य को धूमिल करने की कोई कोशिश करेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। इसलिए शासन को सबसे पहले यह करना चाहिए कि Identify the foreigners, first.

दूसरे वोटर्स लिस्ट से उनके नाम को निकालना पड़ेगा। तीसरे जितने जा नहीं सकते हैं, उनको पुनर्वसन करना पड़ेगा और जो जान-बूझकर असम में इनफिल्ट्रेट करके उसको एक ही सम्प्रदाय का रंग देकर यह सारी भूमि अपने हाथ में लेने के इरादे से आए थे, जिनको हम कह सकते हैं कि पाक इरादा नहीं है, नापाक इरादे हैं, ऐसे लोगों को रिपोर्ट करना पड़ेगा। आज असम भुक्त चुका है। यानी अपनी गलती भुक्त चुका है। हमने उस तरफ ध्यान नहीं दिया।

तो जब आखिर देश का विभाजन हुआ, असम का विभाजन हुआ तो असम का सिलहट जिला चला गया असम भुक्तभोगी है। उन्होंने खुद इसका अनुभव किया है। तो इसलिए आज ही वास्तव में विरोधी दलों के साथ बैठकर, एक, दो, तीन, चार ऐसा करने पर यदि कोशिश करते तो वास्तव में जितना उग्र रूप आज आया हुआ है उतना नहीं आता। किन्तु मुझे क्षमा करिये यह अच्छा नहीं, यानि मुझे दु:ख है कि इतने दिनों के बाद भी आन्दोलन समाप्त नहीं हुआ तो उन्होंने प्रतिआन्दोलन चालू करवाया हम तो आरोप करते हैं कि चालू करवाया, क्योंकि जैसे ही

यह माइनारिटीज के प्रोटेक्शन के नाम पर माइनारिटी विद्यार्थियों की तरफ से आन्दोलन चालू हुआ तो आज तक स्वयं जैसे मंत्री महोदय ने स्वीकार किया कि 49 मौते हुई हैं। इस आन्दोलन में दो, तीन दिन में ही चालीस मौतें हो गई, यानि जानबूझकर के इसको हिंसात्मक रूप देकर दबाने की कोशिश करना, यह कोई समस्या को हल करने का तरीका नहीं है, यह बिलकुल कोई तरीका नहीं है क्योंकि यहाँ पर ब्लिट्ज को कोट करने का मोह मुझको होता है। उन्होंने खुद कहा है कि माइनारिटीज प्रोटेक्शन के नाम पर जानबूझकर हिंसात्मक आन्दोलन खड़ा करके कई असमी बंधु जो हैं उनके मकान जलाए गए हैं और वे खुद निर्वासित बने, यानि उनके खुद के प्रदेश में वे खुद निर्वासित बने, They are in refugee camps.

तो आज जो वास्तव में यहां रिफ्यूजी बन कर के आए हैं, उनका पुनर्वसन करना तो दूर जो घर में ही निर्वासित हुए हैं इतनी विडम्बना विधि की बनी है कि असमी जो अपने घर में ही रिफ्यूजी बना तो उनको भी ऐसे स्वच्छ वातावरण निर्माण कर बसाना पड़ेगा, किन्तु घर ही नहीं है, जल गया है। तो उनको सारी सुविधा देकर उनको खड़ा करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि यह सारा काम वहां की लोकप्रिय सरकार कभी भी अच्छे ढंग से करेगी। किन्तु इस सरकार का क्या है, हमको समझ में नहीं आता यहां अकाल है, यहां पानी नहीं है। यह कहते हैं कि हम दिल्ली में बैठकर सबको पानी दिलायेंगे समझ में नहीं आता है। दिल्ली में भी पानी नहीं आता है, बिजली नहीं आती है, स्थिति ऐसी है कि न कार्पोरेशन है और न मेट्रोपोलिटन काउन्सिल। एक आदमी खड़ा होकर कहता है कि मैं सब करूंगा। यह समझ में नहीं आता। आखिर अधिकार जो हैं यह जनता के हैं, जनता देती है और जनता का विश्वास है तब तक चलता है किन्तु वह जनता के अधिकार सब समाप्त करके पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक अपने हाथ में अधिकार लेकर बैठ कर समग्र हिन्दुस्तान जैसे एक विविधतापूर्ण विशाल देश की समस्या हल करने की कोशिश किसी से होगी, यह सम्भव नहीं है।

अंग्रेजों ने किया। लेकिन अंग्रेजों के तौर-तरीके अलग थे। उस तौर-तरीके से हम अपना राज नहीं चलाना चाहते। इसलिए आज मैं कहता हूं कि समग्र पूर्वांचल प्रदेश जो है इसके बारे में जो ध्यान देना चाहिए था उतना नहीं दिया गया है। तो ऐसा है कि हेगड़े साहब ने भी अच्छी तरह उत्तर देकर कहा है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए हम लोगों ने लक्ष्य दिये हैं। इस क्षेत्र के विकास के लक्ष्य देना बहुत जरूरी है। एक तो यहां का सारा प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, कोई भी हो, आज हर प्रदेश की अलग-अलग समस्याएं हैं। किन्तु इनके मन में एक ऐसा भय है। उनको लगता है कि हमारा जो रूप है, यह बदल जायेगा, आइडेंटिटी जो है हमारा व्यक्तित्व ही है, यह खत्म हो जाएगा, We will become faceless. अब वह भय इसलिए रखते हैं क्योंकि उनको वास्तव में इस देश की विचार धारा का पता नहीं। यदि पता होता तो ऐसा नहीं होता। किन्तु दुर्भाग्य हमारा भी है कि हमारे देश की विचारधारा वहां तक पहुंची नहीं, मणिपुर तक नहीं पहुंची। यदि विचारधारा का पता चलता है तो दुनिया में यह एक ऐसा देश है जो किसी व्यक्ति की विशेषता समाप्त नहीं करना चाहता। उस विशेषता को स्वीकार करते हुए उसी विशेषता से उनके विकास को परम लक्ष्य तक पहुंचाने की कोशिश करता है।

Mr. Kalyan Roy, you will have to go a long way to understand cow protection. यह उनको कहिए, विनोबा भावे जी को फास्ट छोड़ने के लिए श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने कहा था। वह भी उन्होंने किया नहीं।

मैं यह कह रहा था–श्री कल्याण राय जी को पता नहीं है। वास्तव में नागालैंड में तो गाय छोड़ दी गई है, नागालैंड में तो कुत्ता खाया जाता है। यह अवस्था है, कोई उसको स्वीकार करे या न करे, किसी को अच्छा लगे या न लगे। मैं जो बोल रहा था वे जानते ही नहीं हैं। वास्तव में यहां जो भी चलता है It is not a Moscow dictate that everybody will accept it. यह होगा नहीं हिन्दुस्तान में और जो भी यहां करने की कोशिश करेगा उन्होंने भारत को पहचाना नहीं है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं और अपनी गलती बताना चाहता था कि हमने किसी की विशेषता को धक्का नहीं लगाया, किन्तु विकास का मार्ग हमने उनको दिखाया नहीं वह जहां थे वहां उनको छोड़ दिया, यह ठीक नहीं। आज उनके मन में यह जो भय है कि–We will lose our identity तो उनको यह बताना होगा–No, you will not have to lose your identity.

आइडेंटिटी न लूज करते हुए विकास के मार्ग में कैसे पहुंच सकेंगे, यह दिखाना बहुत आवश्यक है। इसलिए इस क्षेत्र की ओर ज्यादा ध्यान दें, इस क्षेत्र की जनता का विश्वास प्राप्त करना है। यह जो आंदोलन चल रहा है यह जितनी जल्दी समाप्त हो इस दृष्टि से इस आंदोलन के जो प्रणेता हैं, नेता हैं, उनको जेल से बाहर निकालना, वहां एक स्वच्छ वातावरण पैदा करना, यह पहला काम होना चाहिए। एक टेबल पर बैठकर, हम कहते हैं, दुनिया की सारी समस्याएं हम हल कर सकते हैं। इन्दिरा जी बेलग्रेड से आईं तो उन्होंने कहा कि दुनिया वाले हमारी तरफ देखते हैं कि हमारी समस्याएं हल करने की दृष्टि से हम उनको सुलझाएंगे। तो "चैरिटी शुड बिगिन एट होम" हमारे यहां एक समस्या खड़ी है, असम एक डिस्टर्ब एरिया घोषित किया गया है यानी अशांतिग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है, निवारक नजरबन्दी कानून यहां लागू किया गया है, यहां तक कि शूट एट साइट–देखते ही गोली मारो–यह किया गया; मिनटों में पकड़ कर जेलों में बंद करो, ऐसा किया गया। इस तरह से समस्या हल नहीं हुआ करती। दुनिया के बारे में हम क्यों कहते हैं, चीन के साथ पाकिस्तान के साथ हम एक साथ बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान करें। अगर यह जरूरी है तो क्या अपने उन नेताओं के साथ बैठ कर एक छोटे से प्रदेश की समस्या हम हल नहीं कर सकते हैं?

That is the attitude which is coming in the way.

वह जो अपने को लगता है, बिग ब्रदर्स एटीट्यूड, यह अपने आदमी को भी नहीं लगना चाहिए कि हमारी बात कोई सुनता नहीं है, मानता नहीं है, समझता नहीं है। इसलिए किसी को भी नहीं समझना चाहिए कि छोटा है। तो यदि इस समस्या को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना है तो एक-दो-तीन-चार मैंने कहा कि सबसे पहले तो आइडेन्टिफाई दी फॉरेनर्स; नं. 2, मतदाता सूची से उनका नाम निकाल दीजिए फार दी टाइम बींग सही, नं. 3, जिन को यहीं हिन्दुस्तान के अंदर ही रहना है उनको भारत का नागरिक बनकर रहना चाहिए उनकी नागरिकता के अधिकार की प्रक्रिया को पूर्ण करके, नागरिकता का अधिकार प्राप्ति करने के बाद उन्हें फिर मतदाता सूची में रखें। लेकिन जो लोग सीमा लांघ कर और जानबूझकर असम की अल्प-मत

संप्रदाय को बहुमत में करके पाकिस्तान के साथ जोड़ेंगे ऐसे लोगों को आइडेन्टिफाई करना चाहिए। उनको फिर वापस भेजना पड़ेगा और ऐसा नहीं देखना चाहिए इन्होंने किया या उन्होंने किया, किसने क्या आंदोलन छेड़ा है। यह समस्या को जटिल करेगा अगर शांतिपूर्ण ठीक ढंग से टेबल पर बैठ कर हो सकता है तो इसे आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। लोकप्रिय सरकार वहां निर्माण होती तो लोकप्रिय साधन बनते। इसलिए यह जो प्रोक्लेमेशन को बढ़ाने का विचार है, इसका मैं विरोध करता हूं।

FOREIGN AFFAIRS AND INTERNATIONAL POLITICS
विदेशी मामले और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति

दक्षिण वियतनामी सेना की कम्बोडिया में घुसपैठ*

अध्यक्ष महोदय, विदेश मंत्री जी ने जो वक्तव्य रखा है, उसमें उन्होंने जो भावना प्रकट की है, वह भावना स्वर्गीय पं. जवाहरलाल नेहरू ने जो पंचशील का उद्घोष किया था, उससे वह सन्निहित है, किन्तु इस कम्बोडिया के कारण आज एक सवाल सामने आया है, जो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि छोटे देश की स्वाधीनता और स्वतन्त्रता की रक्षा कैसे की जाए? दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं—चाहे अमरीका हो, चाहे रूस हो, चाहे चीन हो, (इसमें कोई भी अन्तर नहीं है) वे किसी न किसी रूप में अपने प्रभाव का विस्तार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में करते जा रहे हैं। आज अमरीकी सेना किसी न किसी बहाने कम्बोडिया में आई है। रूस के पायलेट्स इजिप्ट के साथ मिलकर इजराइल पर बम्बार्डमेंट करते हैं इसको भी एस्केलेशन कहा जा सकता है। चाहे दक्षिण-पूर्वी एशिया हो या पश्चिमी एशिया हो, दोनों जगह बड़ी ताकतें स्थिति को बिगाड़ रही हैं। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि पंचशील का उद्घोष करने से काम नहीं चलेगा। भारतीय संस्कृति के अनुसार जो विचार आया था कि—

स्वे स्वे कर्मण्यभीरतः संसिद्धिम् लभते नरः।

किसी के दखल दिये बिना हर एक अपना विकास कर सकता है, इसी आधार पर पंचशील खड़ा था। लेकिन चेकोस्लोवेकिया छोटा क्यों न हो, आज रूस उसको अपने हिसाब से बाहर जाने नहीं देता। चाहे वियतनाम और कम्बोडिया हो—बड़ी ताकतें जरूर दखल दिया करती हैं, यहां तक कि हिन्दुस्तान के अन्दर भी दिया। हिन्दुस्तान के एक हिस्से पर चीन स्वयं अधिकार करके बैठा है। यह देखकर मुझे हंसी आई—इन्होंने कहा

We want the hostilities to stop and the armies to be withdrawn.

हमारे घर के अन्दर आर्मी बैठी हुई है, 1962 से लेकर आज तक चीन की आर्मी बैठी हुई है। केवल कहने से काम नहीं चलता है। जब तक उसके पीछे हम कुछ ताकत नहीं खड़ी करेंगे, तब तक दूसरों के दबाव में हम कैसे नहीं आयेंगे—मैं यही बात पूछना चाहता हूं। यदि हम चाहते हैं कि हमारी आवाज दुनिया सुने, तो जिस तरह से चीन आगे गया है, उसी तरह से हमने खुद अपने आपको शक्ति सामर्थ्य क्यों नहीं किया?

आपने अभी जो वक्तव्य दिया, उसमें शान्ति स्थापित करने के लिये इण्डोनेशिया ने जो कान्फ्रेंस बुलाई है, उसमें हम क्यों नहीं जा रहे हैं, इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया। रब्बात में आपको नहीं बुलाया गया, लेकिन अपने आप निमन्त्रण लेकर आप वहां गये, इसलिये कि वहां हमारा हित था। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यहां हमारा हित नहीं है? इसका तो हमारी सुरक्षा

* उपरोक्त विषय पर ध्यानाकर्षण पर चर्चा में भाग लेते हुए।
लोक सभा वाद-विवाद, 4 मई, 1970, cc 250-53 ।

के साथ सीधा सम्बन्ध है—आज कम्बोडिया है, कल थाईलैंड है और थाईलैंड के बाद सीधा हिन्दुस्तान है। चीन पहले ही यहां आकर बैठा हुआ है, माओत्सेतुंग के नारे लगाने वाले हमारे घर में मौजूद हैं। बड़े सक्रिय है ...*(व्यवधान)*... इसलिये वास्तव में पहल हम लोगों को करनी चाहिये थी। इतना ही नहीं कन्ट्रोल कमीशन के चेयरमैन के नाते हमारे ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी थी कि दोनों वियतनामों के अन्दर एक सामान्य स्थिति पैदा करके वहां चुनाव किया जाए किसी की भी सेना वहां न रहे और इसी बात को लेकर हमारे भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्ष डॉ. राधाकृष्णन् ने एक सुझाव दिया था कि किसी का भी हस्तक्षेप वियतनाम में न हो, इन्टरनेशनल पुलिस फोर्स वहां रखी जाए और उसके सुपरविजन के अन्तर्गत वहां चुनाव हो, किन्तु उस कन्ट्रोल कमीशन के चेयरमैन के नाते हमने कुछ काम नहीं किया। इतना ही नहीं, स्वयं प्रिन्स सिंहानुक ने इस बात की शिकायत की कि वहां इन्फिल्ट्रेशन चालू है, यह उन्होंने अपने अगस्त 16, 1969 के पत्र में लिखा—

> "Vietnamese Communist forces in relatively important numbers have infiltrated into our north-east and eastern provinces. We try to dislodge them, first by diplomacy and when that fails, by military pressure."

यानी यह स्वीकार किया गया है कि आज अमरीकी सेना और उसके पहले वियतनामी सेना वहां गई हुई है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उस समय अपनी तीव्र प्रतिक्रिया प्रकट क्यों नहीं की कि बाहरी सेना चाहे किसी भी देश की हो, चाहे अमरीका की हो, वियतनाम की हो, हम उसको नहीं चाहते? हर देश, सेना से मुक्त हो इसको हम स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि भारत पर कम से कम दक्षिण-पूर्व और पश्चिम एशिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और जब तक हम समर्थ नहीं होंगे तब तक सुरक्षा का भाव हम पैदा नहीं कर सकते हैं। यह शक्ति शून्यता का सिद्धान्त है। कल अफ्रीका का मामला आ जायेगा। छोटे-छोटे देश कैसे आज़ाद हो सकते हैं जब बड़ी ताकतें उनको आज़ादी का अनुभव नहीं करने देती हैं। दक्षिण-पूर्व एशिया में जो शक्ति शून्यता का निर्माण हो गया, उसमें वास्तव में हमें अपना आधार देना आवश्यक था लेकिन वह हम कर नहीं पाये। अगर हम इसको करते तो अमरीका की फोर्सेज और उनके बहाने चाइना की फोर्सेज वहां नहीं आतीं। अगर यह करना है तो आज भी इस बात की आवश्यकता है कि किसी की सेना वहां न रहे। इस दृष्टि से दक्षिण देशों की कान्फ्रेंस हम क्यों न बुलायें? जेनेवा की कान्फ्रेन्स अगर रूस नहीं चाहता तो हम चुप रहें? मैं कहता हूं कि इन्डोनेशिया ने जो पहल की है उसके पहल करने के बदले में हमको पहल करनी चाहिए थी क्योंकि उसके साथ सीधा हमारा सम्बन्ध होता है। जब कुछ नहीं करना है तो चुप रहना, यह कोई नीति नहीं है—यह भारत सरकार की नीति का सबसे बड़ा खोखलापन और दिवालियापन है। लगातार चीनी सेना आगे बढ़ती चली जाये लेकिन उसको रोकने का भारत कोई भी तरीका अख्तियार न करे, यह ठीक नहीं है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि इंडोनेशिया की बुलाई हुई कान्फ्रेन्स में आप क्यों नहीं गए? वहां के सम्बद्ध देशों की कान्फ्रेन्स बुलाने की पहल हम करें ताकि जल्दी से वहां से सेना की वापसी हो और इस सारे क्षेत्र में शान्ति स्थापित करके उन देशों की तटस्थता, स्वाधीनता और स्वतन्त्रता अक्षुण्ण बनी रहे—इस दृष्टि से आप कौन से कदम उठायेंगे?

भारत, पाकिस्तान प्रतिनिधियों की मुलाकात*

उपाध्यक्ष महोदय सबसे पहले मैं अपना रोष प्रकट करना चाहता हूं। पिछली बार जब समझौते की पुष्टि की गई तब दो तीन दिन बाद जो संसद मिलने वाली थी उसको ताक में रखकर पुष्टि की गई और देश में शिमला समझौते के बारे में लोगों के मन में जो आशंकायें थीं उन्हें दूर करने के लिये दोनों देशों के प्रतिनिधियों के स्तर पर जो वार्ता हुई वह कोई मामूली वार्ता नहीं थी। वह वार्ता पांच दिन तक चली। क्या सरकार यह आवश्यक नहीं समझती कि वार्ता के सारे तथ्य और जानकारी सदन के सामने स्वयं आकर पेश करे और जो सवाल हम करें उनका उत्तर दें? केवल यह कह देना कि सारा भारतवर्ष उनके साथ है कहां तक उचित है? आखिर भारतवर्ष में हम भी है फिर केवल हमारे मन में आशंकायें नहीं हैं, आप के मन में भी आशंकायें हैं। उनका निराकरण करने के लिये आपने उनके प्रतिनिधियों को यहां बुलाया। इसलिये मैं समझता हूं कि उन आशंकाओं का निराकरण हुआ या नहीं, इस बात को जानने का हमारा अधिकार है। अगर आज सदन न बैठता, या सोमवार तक हमारी कार्रवाई नहीं चलती तो शायद यहां इसकी चर्चा तक न होती। इसलिए मैं सबसे पहले इस बारे में अपना रोष प्रकट करता हूं क्योंकि यहां पर जो वार्ता हुई उसमें एक प्रमुख बात बतलाई गई है। वह यह है कि:

They reaffirmed the determination of the two Governments to implement the provisions of the Shimla agreement in letter and in spirit for the establishment of durable peace in the sub-continents.

It is a very important thing. The very basis of Shimla talks was establishment of durable peace, in the sub-continent. It was a case of not only an amicable and friendly relation between India and Pakistan alone. There is a third country. Have you realised that?

जब हमने शिमला में बैठकर यह तय किया कि आगे चलकर भारतीय उप-महाद्वीप में स्थायी शांति होगी उस समय क्या हमारी आंखों से यह बात ओझल हो गयी कि जैसे हमारे और पाकिस्तान के बीच मसले हैं, जिनको हम हल करेंगे, शांति के साथ हल करेंगे, सौहार्द्र के साथ हल करेंगे, वैसे ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में मसले हैं जिनका हल होना बहुत जरूरी है। उनमें से एक है युद्धबन्दी और दूसरा है बंगलाभाषी लोग जो पाकिस्तान में हैं और उर्दू-भाषी जो बांग्लादेश में हैं। उनका भविष्य क्या है, यह दोनों महत्वपूर्ण विषय हैं।

* उपरोक्त विषय पर चर्चा में भाग लेते हुए।
लोक सभा वाद-विवाद, 2 सितम्बर, 1972, cc 111-18 ।

During the talks at Shimla, at some level or the other, it was incumbent and imperative that we should have involved the Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Mujibur Rehman.

जो भी हम समझौता करें उसके अंदर बांग्लादेश की अनुमति या सहमति हमें नहीं मिलेगी, तो स्थायी शांति कैसे पैदा होगी, यह समझ में नहीं आता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति भंग करने का मसला हमेशा कश्मीर रहा है। इसलिये जब तक कश्मीर के अन्दर एक शांति की हवा पैदा नहीं होती तब तक यह कहना कि स्थायी शांति स्थापित हो सकती है ठीक नहीं होगा। फिर चाहे आप बड़े-बड़े पोस्टर और होर्डिंग्ज़ कितने ही लगा लें। हमारी जो आशंकायें थीं वे अगर गलत निकलती तो हमें आनन्द होता, हमें दु:ख नहीं होता। हम भी यही चाहतें हैं। कॉलेज में मुझ पर रवीन्द्रनाथ ठाकुर का असर हुआ।

We read the world wrong and say that it deceives us. It is not a question of Pakistan only but it is a question of China also.

चीन के साथ हम लोगों ने पंचशील समझौता किया था और उस वक्त किसी ने उसका विरोध नहीं किया।

In spite of that, why was Panchsheel shattered to pieces? Unless we go into it in details. सवाल केवल पाकिस्तान का नहीं है। हम जरूर चाहते हैं कि पड़ोसियों के साथ ही नहीं दुनियाभर के साथ हम शांति से रहें विद्वेष समाप्त हो। किन्तु हमारे चाहने पर क्या दुनिया चलती है?

If wishes were horses, beggars could ride.

यह सवाल मैंने उठाया है। हमें समय चाहिये। हमारे मन में जो आशंकायें हैं उनका निराकरण तो होना ही चाहिये। अगर ऐसा नहीं होता है तो जनता में जाकर हम क्या बतायेंगे। मैं कुछ सवाल करना चाहता हूं। बार-बार हमारे विदेश मंत्री कह रहे हैं कि जम्मू-कश्मीर में लीपा वैली में टिथवाल की दो-दो चौकियां पाकिस्तान को छोड़नी पड़ेंगी। इसके बारे में आशंका तब पैदा होती है। जब जो आप कहते हैं उसकी पूर्ति नहीं होती है। पाकिस्तान के प्रतिनिधि यहां आए थे। क्या उन्होंने लिखित में कोई आश्वासन इसके बारे में दिया है? Is it in black and white?

इसलिये मैं यह कहता हूं कि समझौता जब हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान के अध्यक्ष ने उसके तुरन्त बाद पाकिस्तान की राष्ट्रीय असैम्बली में जो भाषण दिया, उसको लेकर हमने आपत्ति उठाई थी। मेरी समझ में यह नहीं आता है क्या वास्तव में उस भाषण का गहरा अध्ययन किया गया था और गहन अध्ययन के बाद सही बात क्या हमारे सामने रखी गई थी? बजाय इसके कि हमारे विदेश मंत्री भुट्टो को समझने की और उनको समझाने की कोशिश करते उन्होंने वहां जनसंघ को समझाने की कोशिश की। जो पत्र प्रतिनिधि वहां एकत्र हुए जब उन्होंने भुट्टो साहब से पूछा कि:

'You blow hot and cold at one and the same time.' And he replied: "I am a product of the sub-continent where there is extreme cold and extreme heat."

उन्होंने कभी अपने आपको समझाने की कोशिश नहीं की। इसी ढंग से उन्होंने अपने आप को समझाया:

"If I blow hot and cold at the same time, it is because I am a product of the sub-continent."

ऐसी स्थिति में हमारे विदेश मंत्री उनको समझाने की कोशिश करते। वह समझाते हैं।

"It is for the internal consumption and it is only to convince the counterpart of Jan Sangh there in Pakistan."

पाकिस्तान में भी कोई जन संघ है जिसको समझाने के लिये उनको ऐसा करना पड़ता है? जन संघ तो यहां है। हमको समझाने के बजाय हमको दुतकारा जाता है।

** *** ***

आप अगर हमको समझाने की कोशिश करें तो हम भी समझने की कोशिश करेंगे।

हम चाहते थे चव्हाण साहब भी इस वक्त यहां होते तो बहुत अच्छा होता क्योंकि ताशकन्द की टेबल पर ये दोनों विभूतियां मौजूद थीं। इसलिये उनको अनुभव तो है ही, पाकिस्तान का भी अनुभव है और भुट्टो का भी है। आज द्विपक्षीय समझौता पाकिस्तान ने किया है और कहा है कि उस पर वह अमल करेगा। लेकिन ताशकन्द में जब रूस मध्यस्थ था और विदेश मंत्री जब हमारे दिनेश सिंह थे और उनको मैंने पूछा था कि 1961 में गोवा की कार्रवाई के बाद आपको इस बात का अनुभव हुआ है क्योंकि

Unilateral good faith is not responded to in international affairs.

हमारे जो गोआ में बंदी थे क्या उन सबको छोड़ दिया गया है? क्या मैसकोनास को, मोहन रानाडे को छोड़ दिया गया है क्या? नहीं छोड़ा गया था। ताशकंद की टेबल पर यही गलती फिर हमने की। पाकिस्तान के साथ हमारा जो एग्रीमेंट हुआ उसमें पाकिस्तान के वास्ते जो अच्छी बातें थीं उन पर तो अमल किया बाकी पर अमल नहीं किया, इसकी सूचना मुझे लिखित रूप में दे दी गई थी। उस वक्त मध्यस्थ रूस था। क्या रूस को इस बात का पता था कि पाकिस्तान ने इस पर अमल नहीं किया, पूरा अमल नहीं किया तो उसने क्या किया? आज हमने द्विपक्षीय समझौता किया है। इस समझौते के बारे में हमारे मन में जो शंकायें पैदा हुई हैं उनका हम चाहते हैं कि निराकरण हो और जो, बाधायें हमें मालूम देती हैं, उनका हम चाहते हैं कि जवाब किया जाए। इस विपक्षीय समझौते के बाद जम्मू-कश्मीर में भी जो रेखा हम कह रहे हैं क्या उसको वह मानेगा? हमने यह भी कहा है कि यू.एन.ओ. के निरीक्षकों के वहां रहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के प्रतिनिधि यू.एन.ओ. में कहते हैं कि रहने की जरूरत है।

अभी जो प्रतिनिधि स्तर पर वार्ता हुई, क्या उसमें पाकिस्तान ने इस बात को स्वीकार किया कि वहां पर यू.एन.ओ. के निरीक्षक नहीं रहेंगे? क्या पाकिस्तान लीपा वैली की दोनों चौकियां खाली कर देगा। शिमला समझौते के अनुसार डीलीनिएशन ऑफ दि लाइन आफ कंट्रोल इन

जम्मू एंड कश्मीर और सेनाओं का विद्ड्राल एक महीने में साथ-साथ होना चाहिये था। वह एक महीने में क्यों नहीं हुआ? इस सम्बन्ध में कौन-सी कठिनाइयां आईं? क्या उन कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश की गई? क्या इस बात को इस समझौते में कहीं अंकित किया गया है? हमने कहा था कि जम्मू-कश्मीर कश्मीर में यू. एन. ओ. के निरीक्षकों को रखने की जरूरत नहीं है। क्या पाकिस्तान ने हमारी इस बात को केटेगारिकली माना है? अगर माना है, तो उसका अंत क्यों नहीं किया गया है?

हमारा स्टैंड यह है कि युद्धबन्दियों की वापसी का मामला बांग्लादेश की अनुपस्थिति में तय नहीं किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान के अध्यक्ष ने इस पर आपत्ति की थी उन्होंने कहा था कि जब हमने एक द्विपक्षीय समझौता किया है, जब हमने यह तय किया है कि हम सब विवादों को परस्पर बैठकर हल करना चाहते हैं, फिर क्या बांग्लादेश को बीच में लाना द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन नहीं होगा। क्या इसका भी कोई निराकरण किया गया है? क्या हमारे निराकरण को पाकिस्तान ने स्वीकार किया है? क्या मंत्री महोदय की समझ में नहीं आ रहा है?

It is reported in the press that President Bhutto had expressed his doubts that if India would like to abide by bilateralism, why then Indian Government wants to bring in Bangladesh in between.

यह जो वार्ता हुई है, it is because of certain grave doubts created in our minds.

वर्ना हम इस वार्ता का आयोजन क्यों करते? क्या हमने पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के सामने अपनी ये आशंकायें प्रकट की थीं और क्या पाकिस्तान ने उनका कोई निराकरण किया? ये सब बातें प्रेस में आ चुकी हैं। आज हम इस के बारे में बिल्कुल सही-सही जानकारी चाहते हैं।

हम भी शांति चाहते हैं। मैं आज का आदमी नहीं हूं। जब इस कांग्रेस का नाम राष्ट्र सभा था, मैं उस वक्त था इंडियन नेशनल कांग्रेस तो बाद में बनी। लोकमान्य तिलक के जमाने में इसको राष्ट्र सभा कहा जाता था। हमने देखा कि एक राष्ट्र से दो हो गये और दो से तीन हो गये और our nation became a sub-continent including three nations. यह सब कुछ मैं देखता आया हूं।

जैसा कि मैंने कहा है, हम भी शान्ति चाहते हैं, लेकिन सम्मान के साथ शान्ति अपने सामर्थ्य के बल-बूते पर आती है। श्री सतपाल कपूर ने कहा है कि if Pakistan slides back, we are ready.

इसका मतलब है जंग। यह सरकार हमेशा जंग के खिलाफ आवाज उठाती रही है। लेकिन फिर भी 1947, 1962, 1965 और 1971 में जंग हुई। यह जंग क्यों हुई? इन लोगों की वजह से हुई। जंग किसी के चाहने से नहीं होती है, बल्कि दुनिया में कुछ परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जिनकी वजह से जंग होती है।

Let us try to understand and appreciate the realities of life.

जब हम पाकिस्तान के साथ कोई समझौता करने के लिए बैठें, तो वह ऐसा समझौता हो, जिसमें शान्ति—स्थायी शांति की व्यवस्था हो और वह भी भारतीय उपमहाद्वीप में हमको दिखाई दे, यह बहुत आवश्यक है।

दिल्ली वार्ता के बाद हमारे अधिकारियों ने भारतीय पत्र-प्रतिनिधियों को वक्तव्य और अन्य विवरण की प्रति रात के साढ़े नौ बजे दी और उस पर भी यह एम्बार्गो लगा दिया कि उसको बारह बजे से पहले प्रसारित न किया जाये। इसकी तुलना में पाकिस्तानी अधिकारियों ने सारी सामग्री उसी दिन साढ़े पांच बजे विदेशी पत्र-प्रतिनिधियों को दे दी। इस तरह पाकिस्तान ने यही दिल्ली में समझौते को दिया। रेडियो पाकिस्तान लगातार यह कहता रहा:

The line will be delineated in the disturbed areas.

समझौता होते ही पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने हमें यह तमाचा मार दिया। हमारे पत्र-प्रतिनिधियों के साथ हमेशा ऐसा व्यवहार क्यों होता है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। मेरी टॉक्स के अवसर पर भी हम अपने पत्र-प्रतिनिधियों को अपने साथ नहीं ले गये। We had to depend upon only the foreign press. हमारा पिछला अनुभव रहा है कि पाकिस्तान हमेशा समझौतों को तोड़ता रहा है। इसलिये हमें सतर्कता से काम लेना चाहिए। हम शांति चाहते हैं लेकिन सम्मान के साथ शांति, अपने सामर्थ्य के बल-बूते पर शांति चाहते हैं। हम शांति के इच्छुक हैं, लेकिन ऐसी शांति नहीं।

which was disturbed during the last 25 years four times and we had to pay heavily.

इसीलिए हम कहते हैं कि भविष्य में हम सतर्कता से काम लें।

जो आशंकायें मैंने बताई हैं, मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय उनके बारे में सही-सही जवाब दें।

*** *** ***

Was it not very clear in the Shimla Agreement?

That was very wise.

There is no question of any objection. There is no clarification.

*** *** ***

Yes, of course, That is why we raised this subject.

We would like to know whether this fact was brought to the notice of Pakistan. It is the question of attitude of Pakistan. We want to know... Otherwise, what is the use of raising this discussion?

अमेरिका द्वारा कथित रूप से पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई*

अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने विदेश मंत्री का ध्यान जो इस मामले की ओर दिलाया था, उसका उद्देश्य यह नहीं था कि वह खुद अमेरिका का ध्यान इस ओर दिलायें। किन्तु हम इससे ज्यादा अपेक्षा करते थे। दुनिया में भारत का प्रचार सही ढंग से क्यों नहीं होता है यह वक्तव्य उसका एक नमूना है। यह वक्तव्य ऐसा नॉन-कमिटल है कि जो कोई इसको पढ़ेगा उसको ऐसा लगेगा कि भारत और पाकिस्तान में कोई अन्तर नहीं है। इसमें थोड़ा सा सेंस भी नहीं निकलता है। एक्सेप्ट दि वर्ड अनफार्चुनेट।

सवाल यह है कि दुनिया भूत दया से प्रेरित होकर कोई काम नहीं करती। हर एक देश का कुछ हित होता है। उस हित को समझ कर इस संघर्ष में हम अपने देश के हितों की कैसे रक्षा करें ऐसी नीति की जरूरत होती है। यह आर्म्स का सवाल आज का नहीं है। जिन्होंने दुनिया को बांटने की दृष्टि से ही दुनिया को बांटा है क्योंकि केवल हिन्दुस्तान का ही बंटवारा नहीं हुआ है। कोरिया का भी हुआ है वियतनाम का हुआ है उनका यह चालू रहेगा। इसलिए दुनिया अब अपने हित को देख कर चलती है। ऐसी स्थिति में और ऐसी संघर्षमय परिस्थिति में हम अपने देश का हित कैसे करें यह देखने की चीज होती है। 1954 में आइजनहावर एडमिनिस्ट्रेशन ने जब सबसे पहली बार मिलिटरी हार्डवेयर के नाते पाकिस्तान को हथियार देने का निर्णय किया एशिया में कम्युनिज्म को रोकने की दृष्टि से (टु कंटेन कम्युनिज्म) उस समय हम ने उस का विरोध किया था। हम लोगों ने बड़े पैमाने पर विरोध किया था नेहरू जी ने विरोध किया था। किन्तु उस हथियार का इस्तेमाल भारत के खिलाफ़ कैसे हुआ, यह देखने के बाद शास्त्री जी देहांत के बाद, ताशकन्द एग्रीमेंट होने के बाद रूस ने पाकिस्तान को हथियार दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह सवाल किसी एक देश का नहीं है। यह बड़ी ताकतों का है। आज चीन, रूस, अमेरिका, इंग्लैण्ड कोई भी हो, ये सब पाकिस्तान के दोस्त हैं। इसका एक ही अर्थ है कोई भी हिन्दुस्तान को बड़ा देश बनते देखना पसन्द नहीं करता.....।

मेरा कहने का मतलब यह है कि केवल ध्यान दिलाने से काम नहीं चलता। किसी को दोष देने से भी काम नहीं चलता। यह दुनिया बड़ी विचित्र दुनिया है। इस को हम समझें यही मेरा कहने का मतलब है। न रूस को दोष दें, न अमेरिका को दें, न चीन को दें, हम दुनिया को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? आज 1975 में भी यही हालत है। मैं आप से कहना चाहता हूं कि यह केवल कहने से काम नहीं चलेगा कि एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और एंटी टैंक मिसाइल

* उपरोक्त ध्यानाकर्षण पर चर्चा में भाग लेते हुए।
लोक सभा वाद-विवाद, 18 फरवरी, 1975, cc 251-56 ।

उनको मिला। पाकिस्तान को केवल अमेरिका से मिलता है ऐसी बात नहीं है। नाटो का मेम्बर होने के नाते पश्चिमी जर्मनी से मिला, तुर्किस्तान से मिला, ईरान से मिला, सऊदी अरेबिया से मिला, दुनिया भर से मिला है और उस को लेकर भारत के खिलाफ़ एक बार नहीं, 1947 में हुआ। 1965 में हुआ, 1971 में हुआ, इतना होने के बाद भी क्या एक बात आप तय करेंगे कि जब भी इस के बाद पाकिस्तान के साथ कोई संघर्ष होगा तो पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जायेगा कि वह फिर ऐसा न करे? क्योंकि आप ही लोगों ने कहा था कि आगे चल कर 50 साल तक पाकिस्तान ऐसी हिम्मत नहीं करेगा। ये जगजीवन राम जी के शब्द हैं और आज तो तीन साल भी नहीं हुआ, अब फिर आ रहे हैं। इसलिए जो जनरल केंडिथ ने कहा था, पूर्वी फ्रंट पर जब बंगलादेश आजाद हो गया तो वह कहता था कि आज चार दिन पश्चिमी मोर्चे पर हम को मिलते तो हम पाकिस्तान को ठीक कर देते, पाकिस्तान के दांत खट्टे कर देते, जगजीवन राम बाबू ने बताया था कि हमने ऐसा धक्का मारा है कि आगे चल कर 50 साल तक पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा। क्या यही उसका नमूना है कि आज चार साल के अन्दर पाकिस्तान में जितना कुछ नुकसान हुआ था उस को पूरा किया अब बाबू जी आ गए हैं, बहुत अच्छा है, उसको जो-जो चाहिए था वह मिल गया है तो मेरा कहने का मतलब यह है कि 1948 में वी आर द लूजर्स, 1965 में वी आर दी लूजर्स, 1971 में वी आर दी लूजर्स ..... छम्ब में आपका हिस्सा चला गया, राजस्थान के मोर्चे पर अभी 37 हजार निराश्रित पड़े हुए हैं। 18 हजार छम्ब में निराश्रित पड़े हुए हैं। मैं आपका ध्यान इसलिए दिलाना चाहता हूं कि जब-जब संघर्ष का मौका आता है हर संघर्ष में आप हारते हैं। क्या आप यह समझते हैं कि वह फिर संघर्ष नहीं करेगा?

बाबू जी को क्या सुनाऊं? बाबू जी बदल गए। ये भी कितने दिन रहेंगे पता नहीं हर गोटी बदल दी जाती है। किसी का कोई ठिकाना नहीं है। जहाज वाला रेल में आता है रेल वाला कहां जायेगा पता नहीं। तो यहां किस को सुनाएं? क्यों कि एक सरकार के नाते किसी की जिम्मेदारी है ही नहीं। हर आदमी आए दिन बदल दिया जाता है।

मै जानना चाहता हूं ताशकंद एग्रीमेंट का पूरा कार्यान्वयन हुआ नहीं, शिमला एग्रीमेंट का पूरा कार्यान्वयन हुआ नहीं क्योंकि उसी समय आप ने बताया था कि जो भी बाइलेटरल बातें होंगी हम आपस में तय करेंगे कोई तीसरा नहीं आएगा ऐसी स्थिति में वहां जो बोर्डर पर देखने के लिए आबजर्वर थे वे निकाले नहीं गए वे वहीं के वहीं हैं फिर पाकिस्तान बार-बार यह चीज उठाता है अमेरिका में जाता है बोलता है कि आप ने जो शिमला एग्रीमेंट में तय किया था वह हुआ नहीं आखिर कितनी बार आप धोखा खाएंगे? इसलिए मैं पहली बात यह जानना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान के साथ या और किसी के साथ भी संघर्ष आएगा तो आप कठोरता से और कड़ाई से सफलतापूर्वक उसको सम्पन्न करेंगे ताकि आगे चल कर यह मौका फिर न आए?

दूसरी बात-डिंगो गार्शिया सवाल पर श्री माधो राव सिंधिया जी बैठे हैं उन्होंने सब से पहले ध्यान दिलाया। उस समय मैंने जब पूछा तो सरदार स्वर्ण सिंह ने कहा—

Mr. Joshi, I am glad you are taking interest in diego garcia?

दो साल पहले की बात मैं बता रहा हूं। अब जब डिगो गार्शिया बड़ा हो गया तो मुखर्जी साहब भी कहने लग गए सब कहने लग गए। दो साल पहले जब हमने उठाया तो ही शोड

सरप्राइज प्रोसीडिंग पढ़िए आप, तब पता चलेगा। तो दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने भारत को अणु अस्त्र से सम्पन्न करने का निश्चय किया है। न्यूक्लियर ब्लास्ट का ये सब विरोध करेंगे ये जितने आपके दोस्त हैं वे सब उसका विरोध करेंगे इसलिए मैंने कहा कि कोई बड़ी ताकत यह नहीं चाहती कि भारत बड़ा हो। हम चाहते हैं कि भारत बड़ा हो। इसलिए हमने अभिनन्दन किया था न्यूक्लियर ब्लास्ट जब आप ने किया क्योंकि वह भारत को स्टेटस देता है, दुनिया में भारत भी शक्तिशाली है यह बताया है। आप जो भी अच्छा कदम उठाएंगे उसका हम समर्थन करेंगे। दुनिया यह नहीं चाहती कि भारत बड़ा हो। इसलिए भारत को बड़ा करने की दृष्टि से आप कदम उठाएं और तब भी कोई संघर्ष आए आप कड़ाई से और सफलतापूर्वक उससे निपटें, इन बातों पर क्या आप सदन को विश्वास दिलायेंगे?

OTHER ISSUES
अन्य मामले

अखबारी कागज के कोटे में कटौती*

अखबारी कागज के कोटे में जो तीस प्रतिशत की कटौती की गई है उसका सबसे पहला बड़ा आघात लगेगा जैसा मेरे मित्र श्री चन्द्राकर ने कहा है कि इस देश के जो छोटे अखबार हैं उन पर। जयपुर की राजस्थान पत्रिका बन्द हो गई है। इलाहाबाद भारती के बारे में समाचार आया है कि वह बन्द होने को है। इस तरह से कितने अखबार बन्द हो गए हैं यह कहना मुश्किल है। एक बार कटौती की वजह से कागज देने का एक मात्र अधिकार अगर सरकार के पास रहा तो सरकार अपनी ही बात अखबारों में छपवाने की कोशिश करेगी नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वृत्तपत्र की निर्भीकता और स्वतंत्रता यह लोकतंत्र का अडिग आधार है। यह आधार चला जाता है जब कागज के मामले में उनको सरकार की ओर देखना पड़ता है। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र का पनपना बहुत मुश्किल हो जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि जो कटौती की गई है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वक्तव्य में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। एस.टी.सी. को अखबारी कागज का आयात करने का अधिकार दिया गया था। उसको चाहिये था कि वह बाजार के जो ट्रेंड्ज हैं उनको देखती। अगले साल या दो साल बाद स्थिति क्या होगी इसका उसको अध्ययन करना चाहिये था। इसका अध्ययन करके पहले से ही उसने कागज की खरीद क्यों नहीं की? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो जिम्मेदार हैं उनको सरकार क्या सजा देने जा रही है। गलती एस.टी.सी. करे और भुगते सामान्य गरीब अखबार वाला और उसमें काम करने वाला कर्मचारी, यह ठीक नहीं है। पिछले साल चाहे जितना अखबारी कागज कनाडा आपको देने के लिए तैयार था। उसको आपको पाउंड में लेना पड़ता। उसको छोड़ कर रुपी पेमेंट वाले देशों के साथ हमने करार किया। मैं जानना चाहता हूं कि कितने के लिए वह करार किया गया था। पोलैंड, चैकोस्लोवाकिया आदि देशों के साथ हमने कितने हजार टन का करार किया था और कौन से दामों पर किया था और क्या कारण है कि वे आज ज्यादा दाम मांगते हैं। कनाडा, स्वीडन आदि के साथ हमारे जो एग्रीमेंट थे वे लीगली शायद अनटैनेबल थे क्योंकि कम से कम वे यह कह सकते थे कि डॉलर डिवैल्यू हुआ है इसलिए वे ज्यादा दाम चाहते हैं। लेकिन जिनके साथ हमारा रुपी पेमेंट होता है, जहां डॉलर का सवाल नहीं है, पाउंड का सवाल नहीं है, पोलैंड, चैकोस्लोवाकिया, रूस आदि से हम जो रुपी पेमेंट के आधार पर व्यापार करते हैं तो किस आधार पर रूस एक दम से जबकि पचास हजार टन का एग्रीमेंट था 28 हजार टन ही देने पर आ गया और 600 रुपये के करीब एक टन के पीछे ज्यादा मांग करने लग गया। एक बार करार करने के बाद वह उससे पीछे क्यों हट गया? मैं इंडो-सोवियत फ्रैंडशिप सोसायटी में नहीं जाना चाहता हूं। एक मित्र के नाते नहीं लेकिन सामान्य व्यवहार और व्यापार जो होता है, दूसरे देशों

* उपरोक्त विषय पर ध्यानाकर्षण पर चर्चा में भाग लेते हुए।
लोक सभा वाद-विवाद, 25 जुलाई, 1973, cc 228-33 ।

के साथ जो व्यापारिक करार किये जाते हैं उनमें जिस दाम पर लेने की बात तय होती है उसी दाम पर यदि वह देता नहीं है तो उसके खिलाफ हमने कौन सी कार्रवाई की है और अगर कोई कार्रवाई नहीं की है तो क्यों नहीं की है? आज भी आप कोई कार्रवाई करने का विचार कर रहे हैं या नहीं!

हमें आजाद हुए पच्चीस साल हो गये हैं। वृत्त-पत्र की स्वाधीनता और स्वतंत्रता जिस तरह से हम चाहते हैं उसी तरह से हम यह भी चाहते हैं कि हमारा देश अखबारी कागज के मामले में दूसरों पर निर्भर न रहे, आत्मनिर्भर हो। सरकार भी कागज के लिए दूसरों पर निर्भर न रहे। हमने इस मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए कौन-कौन से प्रयास किये हैं? सरकारी क्षेत्र में चलने वाले नेपानगर के मिल की क्षमता पचास हजार टन है लेकिन चालीस हजार टन से ज्यादा वहां पैदा नहीं होता है। इसका क्या कारण है? पूरी क्षमता से वह कारखाना काम क्यों नहीं करता है। इसको कौन देखेगा?

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन में साठ हजार मीट्रिक टन निकलता है। केरल में प्लांट लगाने की बात चली थी, वह कब बनेगा परमात्मा जाने। यहां जिक्र किया गया है कि हिमाचल प्रदेश में भी एक पेपर फैक्ट्री खोलने का विचार हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कितनी अर्जियां प्राइवेट सैक्टर के अन्दर पेपर फैक्ट्रीज खोलने के बारे में आपके पास आई हैं? अगर ऐसी अर्जियां आई हैं तो उनको हमने मना किया है क्या और अगर किया है तो क्यों किया है जबकि कागज की हमारे देश में इतनी भारी कमी है?

गन्ने का जो अवशिष्ट भाग रह जाता है उसके आधार पर कागज बनाने के प्रयोग भी हुये हैं। सांगली कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री का लेटर ऑफ इंटेंट भी सरकार ने दिया था। यह एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट में है।

> "We have issued a licence for the manufacture of newsprint and paper to the Sangli Cooperative Sugar Factory and the cost is estimated at Rs. 32-40 crores. That Factory is getting in touch with foreign collaboration. If the scheme becomes successful, it is likely that some other schemes might come up."

अभी मैक्सिको का जिक्र किया गया है। क्या यहां भी वही कोलैबोरेटरज हैं। क्या इसका उसके साथ कोई संबंध है या नहीं है? यह 1972 की बात है। इसको एक साल हो गया है। सांगली कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री ने कौन से टैक्नीकल कोलैबोरेशन के लिए प्रयत्न किया है। उसका क्या हुआ है। क्या लैटर आफ इंटेंट, लैटर आफ इंटेंट ही रह गया है या लाइसेंस देने का भी सरकार विचार कर रही है? मैक्सिको के साथ अलग से अगर करार किया जा सके तो क्यों नहीं ऐसा किया जा रहा है?

वृत्त-पत्र की स्वाधीनता और निर्भीकता इतनी आवश्यक होने के बावजूद भी इसकी कमी क्यों होने दी जाती है। आज बाजार में इसकी कमी तो नहीं होने दी जानी चाहिए थी। और चीजों की तो कमी है लेकिन इसकी कमी तो न होती ऐसा प्रबन्ध आपको कर लेना चाहिए था। स्वयं सरकार के हित में भी यह नहीं है क्योंकि सरकार का हर प्रोटैस्ट कागज पर होता है। पेपर ही

नहीं रहेगा तो फिर आप ओरल प्रोटैस्ट करें और वह एयर में ही रहेगा। आपके जो प्लांज होते हैं वे पेपर पर ही बनते हैं। अगर पेपर ही घट गया तो फिर सरकार चलेगी कैसे?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कनाडा में जो आपका व्यापार मंडल बातचीत करने के लिए गया है यदि वह वहां सफल होता है तो तीस प्रतिशत से कितनी कम प्रतिशत कटौती होगी?

रूस को क्यों ज्यादा कीमत दी गई है?

सांगली के बारे में बताइए।

समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों के स्वामित्व संबंधी संकल्प*

सभापति महोदय, समाचार-पत्र और समाचार वितरण संस्था, इन दोनों की स्वाधीनता विसंबद्ध कैसे की जाये—इस पर आज हम विचार कर रहे हैं। पहले तो थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि देखनी आवश्यक है कि यह विचार आया क्यों? कांग्रेस में फूट होने के बाद बंबई में जब अधिवेशन हुआ तो उस अधिवेशन पर कई टीका-टिप्पणियां आईं जो अच्छी नहीं लगीं इसलिए पत्रकारों को बुलाकर बताया गया बल्कि मै तो कहूंगा कि धमकी दी गई—I will fix you within a minute. I will fix your proprietor within a minute. यह मैं 1969 की बात बता रहा हूं जब बंबई में डूबते हुए सूरज को साक्षी लेकर चव्हाण साहब ने कहा था कि हम समाजवाद लाकर रहेंगे। सवाल आखिर यह है कि लोकतंत्र जहां पर है वहां पर विचारों की स्वतंत्रता हो और यह उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुझे लगता है कि साल्वे जी, पाटिल जी या जो भी चाहते हैं कि वृत्त-पत्र और समाचार वितरण संस्था की विसंबद्ध स्वाधीनता हो, वे विचारों की स्वतंत्रता भी जरूर चाहते हैं। आज इसमें जो बुराई आई है वह केवल वृत्त-पत्र की व्यवस्था में नहीं आई है बल्कि सारा समाज बिगड़ गया है। आज सभी चीज धर्म के नाते नहीं धंधे के नाते हम करते हैं चाहे पुजारी हो, मठ हो, मन्दिर हो यहां तक राजनीतिक दल हो तो सभी में बुराई आई है। इस तरह आज हम हर क्षेत्र में एक अपना ही सर्वस्व स्थापित करने की प्रक्रिया देखते हैं तो उस बुराई को निकालना बहुत आवश्यक है। मैं हमेशा कहूंगा—

Hate the sin, not the sinner. There is sin behind everything; behind monopolising everything.

क्योंकि मेरा तो सरकार की नीयत पर शक है, नीति पर नहीं। नीति कोई भी होगी उसको व्यवहार में कैसे लाया जाता है सवाल वही है। 1971 में जब आपने गरीबी हटाओ की बात कही तो हमने भी कहा—

Let there be war on poverty.

किन्तु जब आपने देखा 1973 तक गरीबी नहीं हट रही है, लोग चिल्ला रहे हैं तो एक नयी आवाज आ रही है—

Let there be limited dictatorship. यानी आवाज बन्द, बोलिये नहीं। यह मैं नीयत की बात बता रहा हूं। तीन साल में गरीबी हटाने के बजाय ये गरीबी की आवाज दबाकर गरीब का

* उपरोक्त विषय पर संकल्प पर चर्चा में भाग लेते हुए।
लोक सभा वाद-विवाद, 17 अगस्त, 1973, cc 300-07 ।

गला घोटना, यह चालू है। तीन साल के बाद हरिजन और पिछड़े वर्गों पर अत्याचार घटने के बजाये बढ़ क्यों रहे हैं? यह तो समाज में जो वातावरण पैदा करते हैं उसी का यह परिणाम है। मैं किसी को दोष देना नहीं चाहता हूं, हम सभी उसके लिए जिम्मेदार हैं। तो समाचार-पत्र में कुछ आया हुआ है, यदि सरकार डिफ्यूजिंग दि ओनरशिप करती है तो करे किन्तु मुझे डर है—

Diffusion of newspapers will ultimately mean refusing the ownership to any private individual.

यहां आकर वह खड़ा होगा। आखिर हम विकेन्द्रीयकरण चाहते हैं, हर जगह पर चाहते हैं। राजनीतिक सत्ता का भी विकेन्द्रीयकरण चाहते हैं लेकिन वह कहां है? लोकतंत्र विकेन्द्रीयकरण के आधार पर चलता है लेकिन आज हर चीज एक व्यक्ति पर लटकी हुई है—चाहे वह आंध्र की समस्या हो, तेलंगाना की समस्या हो—क्या यह लोकतंत्र है? यानी एक राजनीतिक मोनोपली पैदा हो गई है, एक व्यक्ति में ही सारा केन्द्रीयकरण हुआ है। क्या यह आपको मंजूर है? पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी हो तो हम समझ सकते हैं किन्तु एक व्यक्ति पर हर चीज केन्द्रित हो, आप चाहते हैं विकेन्द्रीकरण और करते हैं केन्द्रीयकरण, इसीलिए मैं चाहता हूं कि सवाल नीति का नहीं नीयत का है। इसलिए आज यह जो मोनोपली पैदा हुई है कोई भी नहीं समझेगा कि यह मोनोपली अच्छी है। हम किसी भी तरह की, किसी भी मोनोपली के विरुद्ध हैं।

यदि हमारे मुकर्जी साहब का "डीलिंकिंग" का मतलब यह है कि हमारे प्रेस को फॉरेन कन्ट्रीज से डीलिंक करना चाहते हैं, उनका विदेशों के साथ जो लिंक है उसको तोड़ना चाहते है तो मैं इसके पक्ष में हूं। किन्तु जब वहां यह बताया जाता है कि किसी व्यक्ति को बाहर से रुपया आया आठ लाख, वह कहां से आया उसका सोर्स डिसक्लोज नहीं करेंगे, वह आठ लाख रुपया ब्याज में लगाया जो एकदम 16 लाख हो गया। वह कहां लगाया गया? अखबार में, मैं अखबार का नाम लेना नहीं चाहता। तो वह कहां से आया? यदि मुकर्जी साहब इसको डीलिंक करना चाहते हैं तो हम इसके पक्ष में हैं। यदि विदेश इस दृष्टि से हमारे विचार पर हावी होना चाहता है कि फ्रौम टाप टू बॉटम बड़े-बड़े विज्ञापन दें और उसके बलबूते पर अखबार वालों को अपने वर्चस्व में रखने की कोशिश करें तो यह जैसा विदेशों से चलता है वही सरकार भी करती है क्योंकि इसका उद्देश्य वही है। यह जो बिल की बात है, जब श्रीमती नन्दिनी सत्पथी थी तो उसका प्रारूप अखबार में आ चुका है कि 15 हजार से ज्यादा जिनका सर्कुलेशन होगा उनके लिए सरकार कुछ करेगी। यानी तलवार लटकती रहेगी कि हमारे विचारों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, दूसरों के विचारों को प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए। आप कहते हैं हम विकेन्द्रीयकरण में विश्वास करते हैं इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूं कि सवाल नीति का नही, तुम्हारी नीयत का है। आल इंडिया रेडियो के बारे में जब सरकार ने स्वयं चन्दा कमेटी नियुक्त की थी और उस कमेटी ने यह सिफारिश दी कि एक कार्पोरेशन होना चाहिए तो आज तक वह होता क्यों नहीं है? वह सिफारिश स्वीकार क्यों नहीं की जाती है?

यदि सरकार की नीति यह है कि सब तक विचार पहुंचे और हर एक को अपने विचार की खुली स्वाधीनता और छूट हो तो आज हमारा जो हवाई जहाज चलता है, मैं देखता हूं स्टेट्समैन से लेकर पैट्रियट सभी हैं लेकिन मदरलैंड वहां क्यों नहीं है? आखिर वह भी एक विचार

प्रकट करता है। यानी जब विचार की खुली छूट है तो मैं पूछना चाहता हूं मदरलैंड वहां पर क्यों नहीं है जहां पर पैट्रियट भी है।

It represents the political affiliation; it represents the political opinion.

मैं बताना चाहता हूं आप धीरे-धीरे रेडिकलिज्म के नाम पर वहां जा रहे हैं जहां दम घुट जायेगा, जहां पर स्वाधीनता समाप्त हो जायेगी, उसी ओर आप अग्रसर होते जा रहे हैं।

जहां तक लिट्रेसी की बात है, मैं बताना चाहता हूं।

If there is any monopoly in the press today, it is the English monopoly.

यह असली मोनोपली है जिसकी वजह से हमारे जो लैंग्वेज पेपर्स हैं वह पनप नहीं पा रहे हैं। यह सरकार भी महत्व किनको देती है? प्रधानमंत्री कहीं बाहर गई तो लैंग्वेज पेपर का पत्रकर क्या वहां जायेगा? नहीं आजकल प्रोटेस्ट के बाद थोड़ा-थोड़ा होने लगा है किन्तु इनके दिमाग में जो प्राथमिकता आती है, जो मोनोपली है वह अंग्रेजी की है। मैंने भारतवर्ष में केवल केरल में देखा है कि त्रिचूर से एक अंग्रेजी अखबार चलाने की कोशिश हुई लेकिन वह चल नहीं पाया। केरल में ज्यादातर मलयालम के पेपर पढ़ते हैं। ऐसा मैंने केवल केरल में देखा।

आप लोगों को समझाने के लिए, दूसरा हमारे पास कोई चारा नहीं है।

We want to remove the thorn by using the thorn. When once you remove the thorn, you throw away the thorn.

तो समझदारों को समझाने की दृष्टि से ऐसा करना पड़ता है। किन्तु यदि आप मोनोपली समाप्त करना चाहते हैं तो जो अंग्रेजी की मोनोपली समग्र देश में प्रेस की है उसको जब तक समाप्त नहीं करेंगे तब तक लैंग्वेज पेपर्स नहीं पनप सकते हैं। माननीय अनन्त राव पाटिल आपका पेपर भी नहीं पनप सकता है। इसलिए सरकार को छोटे पेपर्स की आवश्यकता कैसे पूरी की जाये इसको देखना होगा।

अभी एकाएक बताया गया कि 30 परसेंट न्यूज प्रिन्ट कटा इसमें तो कई एंप्लाइज बेकार हो जायेंगे। पहले जो चार पेज का छोटा पेपर निकालते थे उनकी तो इस कट के कारण लंगोटी ही रह जायेगी। अभी कुछ दिन पहले चर्चा आयी थी कि ग्राउन्ड नट रशिया को क्यों भेज रहे हैं तो बताया गया कि अच्छी वैरायटी है, लेकिन आज वही परम मित्र कहने वाला देश 1300 रु. टन वाले कागज का हम से 1900 रु. पर टन के हिसाब से दाम लेता है, और उस पर 30 परसेंट कट, तो ऐसी स्थिति में छोटे पेपर चलेंगे ही नहीं। और उस पर भी सरकार विज्ञापन देने में आनाकानी करती है। इससे विकेन्द्रीकरण और विचारों की स्वतंत्रता नहीं हो सकती है। आप आल इंडिया रेडियो को कारपोरेशन बनाने के लिये तैयार नहीं हुए, इसलिये धीरे-धीरे जब एक बार बड़े ओनर्स चले जायेंगे, मैं मानता हूं कि चले जायेंगे, जैसा बड़ी मिल्स के बारे में हुआ कि बड़ी-बड़ी मिल्स चला नहीं सकते तो आपने उनमें एंप्लाइज़ को कोऑपरेटिव फौर्म न करके, सिक मिल्स कॉरपोरेशन के नाते फिर से उन मिल्स को अपनी छत्रछाया में ले लिया। बड़े-बड़े पेपर ओनर्स चले जायेंगे, लेकिन उनकी जगह आप आ जायेंगे।

आज भी 'हिन्दुस्तान टाइम्स' को छोड़कर 'टाइम्स ऑफ इंडिया' से लेकर और जितने पेपर्स हैं कोई भी मुनाफे में नहीं चलता है। तो कल जाकर जब डिफ्यूजन हो जायेगा और साठे साहब और हम ओनर बन जायेंगे, तो कैसे पेपर मुनाफे पर चला पायेंगे जब तक कि कहीं से कोई सहायता न हो? मैं नाम लिये बिना बताना चाहता हूं दिल्ली के एक अखबार को जिसको वित्त वितरण संस्था का 60,000 रु. देना था, वन फाइन मार्निन्ग एक सज्जन आ गये और पैसा दे गये और चले गये। हर महीने में एक वी.आई.पी. आता है और और दो लाख रुपया देता है इस तरह से अखबार चलता है। तो कल जाकर जब डिफ्यूजन हो जायेगा और अखबार बन्द हो जायेगा उसको सिक न्यूज पेपर के नाम से माननीय गुजराल साहब के अनाथाश्रम में जाना पड़ेगा। फिर चलायेंगे कौन? वहीं। क्योंकि पेपर देना उनके हाथ में है, मशीनरी मंगाने का अधिकार उनके पास है, लाइसेंस मिलेगा या नहीं इसका भी निर्णय करने का अधिकार सरकार के हाथ में है, मशीनरी रूस से आयेगी या जर्मनी से, तो जब हर जगह पर हर चीज के लिये सरकार पर निर्भर करना पड़ता है, मशीनरी के लिये, पेपर के लिये, विज्ञापन के लिये ऐसी हालत में जो पेपर पहले ही मुश्किल से चल रहा है उसको और दबाने की दृष्टि से कोशिश हो रही है।

जहां तक कम्युनिस्टों का सवाल है और कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया का सवाल है, तो मैं भी रूस गया हूं, क्या विचारों की स्वाधीनता वहां है? खुश्चेव को क्यों निकाला गया किसी अखबार में छपा? आखिर इनके सामने जो आदर्श पेश है उसी के रास्ते पर तो यह चलेंगे? तो डिफ्यूजन के मामले में वहां जाकर पहुंचेंगे? इसलिये मैं माननीय साठे और माननीय सतपाल कपूर जी से पूछना चहता हूं कि इनकी पूंछ पकड़ कर आप कहां जा रहे हैं? जैसा कल माननीय पीलू मोदी साहब ने बताया अपने कामरेडों के साथ आप you are going deeper and deeper into the ditch.

आप विकेन्द्रीकरण चाहते हैं, हम भी इस को अच्छा समझते हैं और चाहते हैं कि धर्म के नाते अखबार चलें, विचारों का प्रसार करने के नाते पैसा कमाने की दृष्टि से नहीं। अगर इस दृष्टि से काम किया जायेगा तो काम करने वालों को पेट पालने के लिए पैसा मिल सकता है और अखबार की भी आमदनी हो, तक काम बनेगा, नहीं ती नहीं। तो क्या सरकार बता सकती है कि छोटा सा पेपर, जैसे श्री अनन्तराव पाटिल का अखबार है, उसके भी पीछे एक ताकत है इसलिये वह अखबार चल रहा है, लेकिन किसी का समर्थन पीछे न होते हुए आज अखबार चलाना मुश्किल हो गया है। इसलिए वास्तव में इसका जो उद्देश्य विकेन्द्रीकरण करने का है, छोटे अखबार, लैंग्वेज पेपर्स में विचार खुले रूप से व्यक्त हों,वहां काम करने वाले कर्मचारियों के सथ न्यायोचित्त व्यवहार हो और वह भी उस में भागीदार हो, यदि ये विचार प्रत्यक्ष रूप से आ जायेंगे तो हमारे विचार वाला आदमी भी दो, चार शेयर्स लेगा कम से कम उस अखबार में हमारी छोटी-सी बात तो छप जायेगी। आज जो बिल्कुल ब्लैक आउट होता है वह तो नहीं होगा।

सांविधिक संकल्प और प्रेस परिषद (संशोधन) विधेयक, 1974*

उपाध्यक्ष महोदय, प्रेस परिषद के कार्यालय को बढ़ाने की दृष्टि से लाए गए अध्यादेश और उसके ही आधार पर बनाए गए विधेयक, दोनों पर सदन में साथ-साथ चर्चा चल रही है। वास्तव में इसका दायरा बहुत छोटा है किन्तु इसके दो-तीन महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर सरकार का ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहता हूं। एक तो यह है कि इस का कार्यकाल जब 20 जून, 1974 को समाप्त होने वाला था यह बात मालूम थी, ऐसा होते हुए उसके पहले ही विधेयक के रूप में लाकर इसका कार्यकाल क्यों नहीं बढ़ाया? अध्यादेश क्यों? क्योंकि यह सरकार जो ऐडहॉक बैसिस पर काम करती है उसके ऊपर मेरा विरोध है। कोई भी कार्य सोच समझकर करे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु जब पता था कि 30 जून, 1974 को कार्यकाल समाप्त होगा तो उसके पहले ही एक विधेयक लाकर एक काल की कल्पना करके कि कितना समय लगेगा। आखरी नतीजे या निर्णय पर पहुंचने में, उतना समय बढ़ा देते विधेयक के रूप में तो उसमें कोई आपत्ति नहीं थीं। किन्तु बीच-बीच में जैसा मन में आता है वैसा करते हैं, काल समाप्त हो गया। फिर करेंगे। अभी भी जो बढ़ाया है वह दिसंबर, 1976 तक है। यह भी मुझे लगता है कि ऐडहॉक बेसिस पर ही हैं या इसके पहले ही क्या रचना वगैरहा सब हो जाएंगी? तो यह जो अस्थायी रूप में सरकार का एक काम करने का तरीका है कि जब मन में आया अध्यादेश जारी कर दिया और बाद में संसद का सत्र जब हुआ तो उसमें विधेयक का रूप दे दिया, यह मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। अब वास्तव में जो प्रेस परिषद की रचना होने वाली है उसकी रचना जितनी महत्वपूर्ण उतने ही उसके अधिकार महत्वपूर्ण हैं और मुझे लगता है—जैसे अमरीका में अभी हाल ही में वाटरगेट काण्ड हुआ, जिसकी वजह से उस देश के अन्दर राज्य शासन में जो गन्दगी है वह जितनी सामने आई, उतनी ही या उससे ज्यादा वहां की जो पत्रकारिता है वह कितनी निर्भीक है, कितनी निर्भीकता से वे अपना प्रतिपादन कर सकते हैं, देश के सर्वोच्च नेता को भी नीचे लाया जा सकता है, यह सब कुछ देखने के बाद हमको सबक सीखना चाहिए। यदि लोकतंत्र को ठीक ढंग से चलाना है तो यह जो पत्रकारिता की स्वाधीनता है, स्वतंत्रता है, उसको जितना सुरक्षित रखा जाए, उतना देश के हित में है, लोकतंत्र के हित में है।

किन्तु मुझे डर लगता है—जिस तरह से अमरीका में वाटर गेट काण्ड का परिणाम निकला हिन्दुस्तान में उस तरह का परिणाम नहीं निकलेगा, क्योंकि हिन्दुस्तान के अन्दर पोटेन्शन

* उपरोक्त विषय पर चर्चा में भाग लेते हुए।
लोक सभा वाद-विवाद, 29 अगस्त, 1974, cc 222-32 ।

वाटर गेट काण्ड बहुत है। जैसे अमरीका में वाटरगेट काण्ड को कोई बाहर लाया, वैसे हिन्दुस्तान के अन्दर कोई बाहर न लाये, इसलिए उसके दबाने की दृष्टि से, उसकी स्वाधीनता को समाप्त करने की बात होगी यह मुझे आशंका है।

अभी मेरे मित्र मधु लिमये जी ने पंजाब का मामला हमारे सामने रखा। वहां हिन्द समाचार और पंजाब केसरी को जो बिजली मिलती थी—वह सारी फाइल मेरे पास मौजूद है, यह चित्र भी मौजूद है—उसको काट दिया गया। किस तरह उन्होंने दीवार तोड़ कर ट्रैक्टर लगाकर अपने पत्र को छापा और छाप रहे हैं, देश के अन्दर बिजली की कमी है—यह बात समझ में आ सकती है, लेकिन कोई अपने खिलाफ आलोचना करता है इस बात को लेकर उसकी स्वाधीनता को दबाने की कोशिश की गई—यह बात लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।

दूसरा मामला ट्रिब्यून का है जो प्रेस काउन्सिल के सामने लाया गया। आप जानते हैं बंसी लाल जी का हरियाणा में कितना आतंक है, वहां जो कुछ हो रहा है, वह हम लोगों से छिपा नहीं है। ऐसी स्थिति में पत्रकार आलोचना न करें, यह कैसे संभव हो सकता है। अब यदि खुले रूप से आलोचना होती है तो उस आलोचना का स्वागत न करते हुए जो विज्ञापन उनको दिये जाते थे, वे बन्द कर दिये गये। मामला प्रेस काउन्सिल के सामने आया। प्रेस काउन्सिल ने भी इसके बारे में कहा कि यह बात ठीक नहीं है, लेकिन उसको भी उन्होंने नहीं माना, हरियाणा की सरकार ने नहीं माना। ऐसी स्थिति में सरकार के दोष हैं, जो कमियां है उनकी आलोचना की जाए और प्रेस काउन्सिल भी उसको सही माने तो प्रेस काउन्सिल के पास कोई अधिकार नहीं हैं कि वे सरकार को उसे मानने के लिये बाध्य करें। श्री बी.वी. नायक ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि उसके जो "टीथ" होने चाहिये, वे उसके पास नहीं हैं, सिर्फ रिकमेण्डट्री फंक्शन्ज़ हैं।

मधु लिमये जी ने सर्च लाइट और प्रदीप का मामला भी उठाया। उनके दफ्तर को जलाया गया, उसके बावजूद भी वह निर्भीकता से लिखते रहे तो अब गफ्फूर साहब ने इन अखबारों को अपनी विज्ञापन सूची से निकाल दिया। लेकिन सूची से निकालने के बाद भी उन्होंने अपनी निर्भीकता को नहीं छोड़ा।

अपने देश में कुछ और भी अजीब सी चीजें हैं।

It seems that everybody has a price of his own.

वास्वत में जितनी स्वाधीनता और स्वतंत्रता रहनी चाहिए, उसमें सरकार कुछ आदर्श उपस्थित करें—ऐसा नहीं होता है। या तो उसको दबाने का प्रयास होता है या उसको खरीदने का प्रयास होता है। या तो डर दिखाओ या उसको खरीद कर अपने साथ मिला लो—"फेवर और फीअर"। पहले तो उसको डर दिखाओ, यदि नहीं मानता है तो खरीदने की कोशिश करो, जाल में फंसाने की कोशिश करो। कुछ भी करना पड़े लेकिन आलोचना नहीं होनी चाहिए—यह सही विचारधारा नहीं है। मैं तो यही चाहता हूं कि देश में पत्रकारिता को खुले रूप से अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिये।

अभी हमारे वी. रवि ने कहा कि जब चरण सिंह थे तो उन्होंने भी यही किया था। यह सवाल चरण सिंह या स्वर्ण सिंह का नहीं है–जो भी गलत काम करता है, आलोचना का पात्र है, उसकी आलोचना होनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों कहता हूं–मान लीजिये कोई व्यक्तिगत रूप से अखबार चलाता है, उसमें विज्ञापन छपते हैं, जैसे तेल का विज्ञापन छपता है, दवाइयों का विज्ञापन छपता है। जो विज्ञापन देते हैं, कल उनको पता चले कि आगे चलकर उस अखबार में विज्ञापन देने से कोई लाभ होने वाले नहीं हैं, तो स्वाभाविक है वह विज्ञापन देना बन्द कर देगा–क्योंकि यह उसका व्यक्तिगत मामला है, जिसके लिये मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एक बड़े बीड़ी उद्योगपति हैं, एक बार उन्होंने एक पत्रकार को बताया कि जब तुम खुद बीड़ी नहीं पीते तो तुम्हारे अखबार में विज्ञापन दे कर क्या करूंगा, क्योंकि जो तुम्हारा अखबार पढ़ेंगे वे भी पीने वाले नहीं हैं, इस लिये तुम्हारे अखबार में विज्ञापन देने से मुझे कोई लाभ नहीं होगा–वह यदि विज्ञापन देना बन्द कर देता हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यह सरकार तो जनता की है, यहां कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। जो पार्टी आज शासन में बैठी है, हो सकता है कल दूसरी पार्टी शासन में आये। इस लिये विज्ञापन द्वारा धन की जो शक्ति शासन के पास है, वह किसी पार्टी की नहीं है, वह शक्ति सबकी है। जो भी आलोचना करता है वह अपनी मर्यादा के अन्तर्गत करता है, इसलिये खुले रूप से उसको अपने विचार प्रकट करने की छूट रहनी चाहिए।

मैं बहुत बार पार्लियामेन्ट का मेम्बर होने के नाते हवाई जहाज से देश के विभिन्न भागों में जाता हूं। देखता हूं हवाई जहाज में नेशनल हैरल्ड से लेकर पैट्रियोट तक सब अखबार होते हैं, लेकिन वहां मदर-लैंड दिखाई नहीं देता...

*** *** ***

मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों है। सरकार को जो अखबार अच्छे नहीं लगते, आप चाहते हैं कि लोग उनको न पढ़ें। ब्लिट्ज़ होता है लेकिन आर्गनाइज़र नहीं होता है। विचारों की खुली स्वाधीनता तब ही हो सकती है जबकि देशवासी सब प्रकार के विचार पढ़ें और सब विचारों को जान कर मंथन करके किसी नतीजे पर पहुंचे।

मेरे कम्युनिस्ट भाई यहां बैठे हैं–डिफ्यूज़न और डीलिंकिंग की बात कही गई है, मैं उसको मान लेता हूं, लेकिन क्या रूस में डिफ्यूजन और डीलिंकिंग है? 'इज़वेस्तिया' कितना छपता है, पता है It is millions. Where is de-linking and where is diffusion?

मोनोपॉली की बात को छोड़ दीजिये। यह सरकार उसी लाइन पर जा रही है–हर चीज कमिटेड चाहते हैं, सिविल सर्विस कमिटेड हो, जूडीशियरी कमिटेड हो, हर बात कमिटेड हो...

यहां सवाल पैसे का नहीं है। यदि एक ही अखबार रहा तो जनता के सामने एक ही विचार आयेगा। मैं तो डिलिंकिंग और डिफ्यूज़म का समर्थन करता हूं, लेकिन जो बाहर का पैसा लिंक होता है तो कैसे डीलिंकिंग हो—

I want a real de-linking. इसलिये डिफ्यूज़ जरूर हो। हम तो किसी भी मोनोपॉली के विरोध में हैं—वह मोनोपॉली सरकार की हो या टाटा, बिरला की हो, हम सबके खिलाफ हैं।

प्रेस काउन्सिल को विचारों की स्वतंत्रता के साथ यह भी देखना होगा कि इसके स्टैण्डर्ड में इम्प्रूवमेंट कैसे हो—मंत्री महोदय इस बात को भी ध्यान में रखें। अखबारों को कैसे चलाना है, जिला स्तर पर कैसे चलाना है—उन अखबारों को कौन लोग पढ़ते हैं, जनता तक वे कैसे पहुंचे—उनको विज्ञापन मात्रा कहां तक की मिलती है—इन सब बातों को देखना होगा। जब भी प्रतिनिधित्व का सवाल आता है तो हमेशा अंग्रेजी अखबारों के प्रतिनिधि ही सामने आते हैं। कभी राष्ट्रपति जी या प्रधानमंत्री जी को बाहर जाना है—बाहर कौन-कौन से अखबार वाले साथ जायेंगे तो केवल अंग्रेजी वाले ही दिखाई देते हैं। हमारे यहां प्रादेशिक भाषाओं में भी अनेकों अखबार निकलते हैं, जैसे केरल में मातृभूमि है, मलयालम के अखबार हैं, दूसरी भाषाओं के अखबार हैं—इनका वाचकवर्ग काफी बड़ा है, जिला स्तर पर चलने के बावजूद भी वाचक वर्ग बहुत बड़ा है—ये अखबार कैसे चले?

Otherwise, how are you going to improve the standards? They are already being starved.

सबसे पहले तो उनको कागज का कोटा ही नहीं मिलता। यह सब आपके हाथ में है। अगर किसी को मिलता है तो इसमें एक बड़े मजे की बात है—जैसे आप अहमदाबाद के मिल वालों को सूत देते हैं, बंगाल को—बंगाल के मिल वालों को सूत देते हैं दूसरी जगह से। इसी तरह से बंबई में चलने वाले अखबार को पेपर का कोटा दिया जाता है कलकत्ता से और कलकत्ता में अमृतबाजार पत्रिका से कहा जायेगा कि तुम अपना कागज का कोटा दूसरी जगह से लो। आखिर यह क्यों चलता है? यह अव्यवस्था क्यों है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। प्रेस काउन्सिल का मतलब तो यही है कि स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करे लेकिन जिला स्तर पर छोटे-छोटे प्रादेशिक अखबार चलते हैं उनको ठीक समय पर और उचित दाम पर कागज नहीं मिलता। मंत्री महोदय को उनका खयाल जरूर होगा लेकिन जो दाम कागज के तय किये जाते हैं उस पर उनको वह मिलता नहीं है। इसलिए मुझे मालूम है कुछ अखबारों का कि उन्होंने तय किया है, अपने एकाउन्ट्स में, जो आन का पैसा मांगा जाता है उसको वह दिखाते हैं कि इतना आन दिया है क्योंकि आपके राज्य में उचित दाम पर, निश्चित दाम पर कुछ भी नहीं मिलता है। आज छोटे अखबार बिल्कुल मरण घटका गिन रहे हैं क्योंकि उनको विज्ञापन नहीं मिलते, उनके कागज में कटौती हो गई। तो मैं कहता हूं कि प्रेस काउन्सिल का काम है स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना लेकिन अगर अखबारों को चलाने लायक कागज न मिले, उनके पास धन की क्षमता न रहे तो फिर वह अखबार चलेंगे नहीं।

इसके अलावा यह जो आप चाहते हैं कि मोनोपॉली न हो लेकिन इसमें केवल अंग्रेजी अखबारों की मोनोपॉली हो जायेगी। दो प्रतिशत लोग ही जिस भाषा को पढ़ते हैं वही भाषा

मोनोपॉलाइज़ करके बैठ जायेगी। आखिर यह क्यों हो? 90 प्रतिशत जनता जो भाषा पढ़ती है उस भाषा के अखबारों पर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए। कागज की उचित मात्रा उपलब्ध होने की दृष्टि से या विज्ञापन द्वारा या सरकार की मदद के द्वारा भी अखबार चल सकें—यह बात भी बहुत आवश्यक है।

*** *** ***

इसीलिए मैं बता रहा हूं कि प्रादेशिक भाषाओं को सरकार प्रोत्साहन दे देती तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी लेकिन विज्ञापन के जरिये पीछे के दरवाजे से अपना अधिकार चलाने की बात होती है उस पर मुझे आपत्ति है।

रेल मंत्री ने कल कहा कि किन-किन अखबारों को उन्होंने दिया, उनके नाम भी दिये किन्तु कितनी राशि दी यह नहीं बताया। यह बात हमारी समझ में नहीं आई। आखिर हम यहां लोक सभा में बैठे किस लिये हैं। सरकार पैसा देती है और जब सरकार के मन में ही कुछ काला है तभी उसको वह छिपाने की कोशिश करती है। कुछ अखबारों को इन्होंने ज्यादा पैसा दे दिया होगा और कुछ को बताया होगा कि रेल कर्मचारियों के खिलाफ तुम चाहे जैसा छापो—यही किया होगा। तो विज्ञापन के जरिए से यह जो होता है इसके बारे में मैं चाहता हूं सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे और उस नीति पर अमल करने की कोशिश करे। इसके बारे में जब प्रेस काउन्सिल आपका ध्यान खींचेगी तो उस पर भी आप ध्यान दीजिये। यह काउन्सिल जो है उसका अधिकार क्षेत्र आप बढ़ाइये।

अब जहां तक रचना का सवाल है, मुझे लगता है पहले जो रचना बनी थी उसमें कोई खराबी नहीं थी। आलोचना तो अपने देश में सभी की होने लगी है। आलोचना होते ही कोई अपना त्याग-पत्र दे दे या उससे हट जाये तो मुझे लगता है वह ठीक नहीं रहेगा या कुछ मर्यादा को हम स्वीकार करें। जैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनके बारे में, या राष्ट्रपति के बारे में मर्यादा को हम स्वीकार करें। ऐसे पद रहें जिनकी गरिमा को ध्यान में रख कर कोई कटु या कड़ी आलोचना न हो—यह बात तो समझ में आती है लेकिन जहां लोकतंत्र है वहां तो आलोचना होगी। अब हम कहेंगे राष्ट्रपति का पद है तो ठीक है किन्तु निक्सन वैसा ही था, उसके काम में गड़बड़ी निकली। आज तो हर कोई जनता की निगाह में सस्पेक्ट बन गया है। स्थिति ऐसी है कि हम करें क्या। तो लोकतंत्र को ध्यान में रख कर हम कहते हैं कि आलोचना के लिए मर्यादा का पालन होना चाहिए।

दूसरे इस काउन्सिल में जो मनोनीत सदस्य हों उसमें श्रमजीवी पत्रकारों के भी प्रतिनिधि होने चाहिए। जो संपादक वृत्तचित्र चलाते हैं उनको भी इसमें समुचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। श्रमजीवी पत्रकारों में भी दो-दो संगठन बने हुए हैं—कोई नेशनल यूनियन बनी है, कोई वर्किंग फेडरेशन बनी है। मैं दो मिनट में समाप्त करता हूं। तो इनके झगड़े में न जाकर श्रमजीवी पत्रकारों का सही प्रतिनिधित्व हो, यह देखना बहुत आवश्यक है।

तीसरी बात यह है कि अखबारों में जो आता है उसको देखने के लिए जैसे प्रेस काउन्सिल है वैसे ही आज ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी पर क्या चलता है उसको देखने के लिए कुछ है ही नहीं। तो इसके बारे में भी जो शिकायतें हो, चाहे स्पॉटलाइट के बारे में हों या जो भाषण वहां से होते हैं उनके बारे में हों, जो न्यूज दी जाती है उनके बारे में शिकायत हो जैसे इतने सालों से हम यहां पर हैं विरोधी दलों के लोगों का भी कभी वहां पर कोई भाषण होता है यह तो कभी हमने सुना नहीं। कभी सतपाल कपूर, कभी शशि भूषण कभी दूसरे, उधर ही बैठने वालों का प्रोग्राम टी.वी. पर भी आता है।

तो आकाशवाणी के बारे में भी कुछ हो। इसके बारे में भी विचार किया जाये, हमारे पार्लियामेंट के सदस्यों की कमेटी बैठी हुई है, वह इसके डिटेल्स और वर्किंग में जायेगी। यह भी देखना चाहिए कि किस तरह से इसकी परिधि को बढ़ाकर आकाशवाणी भी इसमें आ सकती है ताकि आकाशवाणी पर भी अंकुश लग सके।

इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं मंत्री महोदय अपने उत्तर में मेरी इन बातों का भी उल्लेख करें।

श्री जगन्नाथ राव जोशी 1980 में धारवाड़ में अपने 60वें जन्मदिवस के अवसर पर
स्मृतिचिह्न स्वीकार करते हुए।

1980 में धारवाड़ में अपने 60वें जन्मदिवस के अवसर पर।

अपने 60वें जन्मदिवस समारोह के अवसर पर पार्टी के सदस्यों और साथियों के साथ।

वरिष्ठ आर.एस.एस. कार्यकर्ता श्री अप्पा साहिब जिग्जिन्नी द्वारा धारवाड़ में अपने 60वें जन्मदिवस के समारोह के अवसर पर स्मृतिचिह्न स्वीकार करते हुए।

बेलगाम में सार्वजनिक गणेशोत्सव के अवसर पर।

पुणे के आर.एस.एस. कार्यालय में जनता के दर्शनार्थ रखा गया श्री जगन्नाथ राव जोशी का पार्थिव शरीर।

पुणे के आर.एस.एस. कार्यालय में श्री जगन्नाथ राव जोशी के पार्थिव शरीर पर
पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्री ए.बी. वाजपेयी।

कर्नाटक के गदग जिले में नरगुंड स्थित जगन्नाथ राव जोशी स्मारक भवन में स्थापित श्री जगन्नाथ राव जोशी की आवक्ष प्रतिमा जिसका अनावरण कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल, श्री वजु भाई वाला और श्री अमित शाह, राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष द्वारा 23 जून, 2015 को किया गया था।

PART IV

TRIBUTES PAID TO SHRI JAGANNATH RAO JOSHI

TRIBUTE PAID IN RAJYA SABHA

The House met at eleven of the clock, **Mr. Chairman** in the Chair.

MR. CHAIRMAN: I refer with profound sorrow to the passing away of Shri Jagannath Rao Joshi a former Member of Rajya Sabha, on the 15th of July, 1991 at the age of 71 years. Born at village Nargund in Karnataka in June, 1920, Shri Jagannath Rao Joshi was educated at Poona. He represented the Union Territory of Delhi in this House from April, 1978 to April, 1984. He was also a Member of Lok Sabha for two terms from 1967 to 1970 and again from 1971 to 1977. Shri Joshi started his career as an employee in the Ministry Accounts Department in 1942 but left his job in 1945 and because a whole-time political and social worker. Shri Joshi actively participated in the Goa Liberation Movement and suffered imprisonment under the Portuguese rule in Goa for some years. He also suffered imprisonment for political causes. He was earlier associated with the Jan Sangh and later with the Bharatiya Janata Party and held several important positions in the party. A protagonist of Hindi language, Shri Joshi always spoke in chaste Hindi and will be remembered for his lively participation.

We deeply mourn the passing away of Shri Jagannath Rao Joshi. I request Members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed.

(*Hon. Members then stood in silence for one minute*)

Mr. Chairman: Secretary General will convey to the members of the bereaved family our deep sense of sorrow and profound sympathy.

TRIBUTE PAID IN LOK SABHA

Shri Jagannath Rao Joshi served the Lok Sabha continuously for two terms during 1967-77 representing Bhopal and Shajapur constituencies of Madhya Pradesh, respectively. Later he became a Member of Rajya Sabha during 1978-84.

A renowned social and political worker, he devoted his entire life for the political awakening among the masses and actively participated for liberation of Goa from the foreign domination.

अनुक्रमणिका

अनुक्रमणिका

शिमला एग्रीमेन्ट 49
गुप्ता, समर 52, 54, 58
झा, भगवत 52
पांडेय, केदार 53
पटेल, चिमन भाई 53
ईगैलिटेरिअन सोसायटी 56, 88
अमेरिकन रिपब्लिक पार्टी 56
आडवाणी, लाल कृष्ण 57
शाह, के.टी. 57
खोसला आयोग 58
बोस, सुभाष चन्द्र 58, 62, 143
आजाद हिन्द सेना 59
राय, राजा राममोहन 62
सरस्वती, स्वामी दयानन्द 62
खां, गुलाम अली 66
रेड्डी, के.सी. 74
नेहरू, जवाहरलाल 75, 76, 209, 124, 137
शेख, अब्दुल्ला 108, 126
शास्त्री, लाल बहादुर 112, 124
नन्दा, गुलजारी लाल 152, 199
भारतीय मजदूर संघ 203
जगजीवन राम 221, 267
किदवई, रफी अहमद 222
अहमद, फखरुद्दीन अली 226
बसु, ज्योति 239
सिंह, भीष्म नारायण 245
मुखर्जी, प्रणब 245
गांधी, संजय 246, 248
इंडो-सोवियत फ्रैंडशिप सोसायटी 271
हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन 272
सांगली को-ऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री 272
सत्पथी, नन्दिनी 275
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 277
तिवारी, डी.एन. 117
शर्मा, मुलीचन्द्र 75
चटर्जी, सोमनाथ 92
खां, गफूर 94
लाल, हीरा 252
नारायण, जय प्रकाश 190
गुप्ता, इन्द्रजीत 192
विवेकानन्द, स्वामी 186
राय, बी.के.आर.बी. 173, 187
गडकर, गजेन्द्र 187
खुराना, हरगोविन्द 186
कोठारी कमीशन 187
राजगोपालाचार्य, चक्रवर्ती 25, 42, 225
खेर कमीशन 26
देसाई, हितेन्द्र 37, 45
गांधी, इन्दिरा 37, 245, 249
मधोक, बलराज 37
मुकर्जी, श्यामा प्रसाद 39
सिंह, राम सुभग 39
देसाई, मोरारजी 39
राधाकृष्णन, सर्वपल्ली 40
परमहंस, रामकृष्ण 40
नम्बूद्रीपाद, ई.एम.एस. 40, 234
जनसंघ 40
सलीम, यूनस 47
एंग्लो-इंडियन कम्युनिटी 48

रेड्डी, नीलम संजीवा 99
संथानम कमेटी 100
विश्वैश्वरैया 154
पंडित, विजयलक्ष्मी 155
सिन्हा, आर.के. 160
गृह मंत्रालय 163, 167
Kher, A.G. 165
Banerjee, R.N. 165
यादव, चन्द्रजीत 165
दण्डवते, मधु 167
चंदराकर 119
फाइनेंस कमीशन 119
नारायण, जयप्रकाश 120
गांधी, महात्मा 122, 138, 167
कामराज, के. 126
राव, शंकर 126
सिंह, शंकरदयाल 128
सिंह, स्वर्ण 128, 145
मोदी, पीलू 135
वेंकटसुब्बैया 138
रक्षा मंत्रालय 144
डॉ. भाभा 145, 147
हनुमन्तैया 151, 155
शास्त्री, रामवतार 151
उद्योग मंत्रालय 154
Ghandy, Jehangir 154
Abdullah, Sheikh 15
Advani, L.K. 18
Bharatiya Jan Sangh 12
Golwalkar, M.S. 1
Hedgewar, K.B. 1, 13, 14
Jan Sangh 2
Janardhan, M.R. 9
Joshi, Yadava Rao 1, 11, 16, 17
Karnataka Keshari 2, 12, 13, 17
Mookerjee, Syama Prasad 11
Nehru, Jawaharlal 14
Shesadri, H.V. 10, 17, 19
Upadhyaya, Deendayal 11
Vajpayee, Atal Behari 18, 19